

89900

1040



मध्यप्रदेश सरकार

वित्त लेखे

2008-2009

2007-8007

©

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

2009


राज्य विधान सभा के पटल पर
दि. 23 फरवरी 2010 को रखी गई।



मध्यप्रदेश सरकार

वित्त लेखे

2008-2009



विषय-सूची

| | पृष्ठ |
|--|------------------|
| भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र प्रस्तावना | (iii)-(V) 1-3 |
| भाग I-संक्षिप्त विवरण | |
| विवरण सं. 1--लेन-देनों का सारांश | 6-24 |
| विवरण सं. 2--राजस्व लेखे के बाहर पूंजीगत परिव्यय -2008-09 के अंत तक का प्रगामी पूंजीगत परिव्यय | 25-30 |
| विवरण सं. 3--सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम | 31 |
| विवरण सं. 4--ऋण की स्थिति-- | |
| (i) उधार ली गई राशियों का विवरण | 32-34 |
| (ii) अन्य दायित्व | 34 |
| (iii) ऋण का चुकाना | 34-35 |
| विवरण सं. 5--राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज और उधार-- | |
| (i) कर्ज और उधारों के विवरण | 36-37 |
| (ii) बकाया वसूलियां | 37-38 |
| विवरण सं. 6--सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जों के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई गारंटी | 39-45 |
| विवरण सं. 7--रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश | 46-48 |
| विवरण सं. 8--समेकित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेष का सारांश | 49-52 |
| लेखों पर टिप्पणियां | 53-55 |
| भाग II--ब्यौरे लेखे तथा अन्य विवरण | |
| अनुभाग- क-राजस्व और व्यय | |
| विवरण सं. 9--वर्ष 2008-09 के लिए कुल राजस्व/कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त राजस्व और व्यय का विवरण | 58-60 |
| विवरण सं. 10--प्रभारित और दत्तमत व्यय के बीच वितरण को प्रदर्शित करने वाला विवरण | 61 |
| विवरण सं. 11--राजस्व प्राप्तियों और पूंजी प्राप्तियों का लघु शीर्षवार ब्यौरेवार लेखा | 62-83 |
| विवरण सं. 12--लघु शीर्षवार राजस्व व्यय और मुख्य शीर्षवार पूंजी व्यय का ब्यौरेवार लेखा | 84-128 |
| विवरण सं. 13--वर्ष 2008-09 के दौरान तथा उसके अंत में पूंजी व्यय का ब्यौरेवार विवरण | 129-290 |
| विवरण सं. 14-- वर्ष 2008-09 के अंत में सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी बैंकों और संस्थाओं आदि में सरकारी निवेशों को दर्शाने वाला विवरण | 291-322 |

(ii)
विषय-सूची-समाप्त

| | पृष्ठ |
|---|---------|
| विवरण सं. 15-- वर्ष 2008-09 के अंत तक पूंजीगत और अन्य व्यय (राजस्व लेखे से बाहर) और जिनसे उक्त व्यय के लिए निधि प्राप्त हुई उन प्रमुख स्रोतों को दर्शाने वाला विवरण | 323-325 |
| अनुभाग-ख-ऋण, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा | |
| विवरण सं. 16--ऋण, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से सम्बन्धित लेखा शीर्षों के अधीन प्राप्तियों, संवितरणों और शेषों का विवरण | 328-341 |
| विवरण सं. 17-- सरकार के ऋण और अन्य ब्याज वाले दायित्वों का ब्यौरेवार विवरण | 342-354 |
| विवरण सं. 18--सरकार द्वारा दिये गये कर्जे और उधारों का विस्तृत विवरण | 355-385 |
| विवरण सं. 19--उद्दिष्ट शेषों का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण | 386-389 |
| परिशिष्ट | |
| परिशिष्ट I--सरकार के निवेशों पर प्राप्त लाभांश/ब्याज को दर्शाने वाला विवरण | 392 |
| परिशिष्ट II--आकस्मिकता निधि से सम्बन्धित ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण | 393 |
| परिशिष्ट III--विवरण संख्या 16 में और लेखा कार्यालय/विभागीय कार्यालयों में रखे गये अभिलेखों में दर्शाये गये अन्त शेषों के अन्तर के वे महत्वपूर्ण मामले, जिनका समाधान नहीं हो सका | 394 |
| परिशिष्ट IV--उपार्पण विवरण--पूंजीगत अपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची | 395 |
| परिशिष्ट V--राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को दिये गए सहायता अनुदान के विवरण | 396 |
| परिशिष्ट VI-- वर्ष 2008-09 के दौरान, मुख्य शीर्ष-वार व्यवस्थित, वेतन पर व्यय | 397-401 |
| परिशिष्ट VII-- वर्ष 2008-09 के दौरान वितरित राजसहायता पर व्यय | 402 |
| परिशिष्ट VIII-- मुख्य शीर्ष 6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण तथा 6004- केन्द्र सरकार से कर्जे और पेशगियों की परिपक्वता स्थिति | 403-404 |
| परिशिष्ट IX-- मध्यप्रदेश सरकार की वर्ष 2008-09 की वित्तीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन | 405 |
| परिशिष्ट X-- लघु शीर्ष 800- अन्य प्राप्तियां तथा अन्य व्यय के अंतर्गत प्रविष्टि | 406-407 |

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र

इस संकलन में मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे शामिल हैं जो राजस्व और पूंजीगत लेखाओं, लोक ऋण एवं देयताओं के लेखाओं और लेखाओं में अभिलेखित शेषों से यथा परिकलित परिसम्पत्तियों द्वारा प्रकटित वित्तीय परिणामों सहित वर्ष के लिये सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं को प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों के लिए वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखाओं को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार हमारे पर्यवेक्षण के अन्तर्गत तैयार किया गया है और उन्हें मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत ऐसे लेखाओं के कार्यचालन को रखने वाले उत्तरदायी खजानों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत बाऊचरों चालानों एवं प्रारंभिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन में विवरणों (संख्या 3, 5, 6 एवं 14), विवरण संख्या 1 एवं 2 की व्याख्यात्मक टिप्पणियों और परिशिष्टों (I, II, एवं V) को मध्यप्रदेश सरकार/निगमों/कम्पनियों/समुदायों जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है, से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है।

मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत कोषागार, कार्यालय और अथवा विभाग प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं की तैयारी और परिशुद्धता के साथ-साथ ऐसे लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं लेखाओं के संकलन, रखरखाव, वार्षिक लेखाओं की तैयारी और उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं के संकलन, तैयारी और अन्तिम रूप देने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का महालेखाकार (ले. एवं हक.) के कार्यालय के माध्यम से निर्वहन किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार तथा ऐसे लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित इन लेखाओं पर विचार की अभिव्यक्ति हेतु इन लेखाओं की लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाती है। ये कार्यालय निश्चित संवर्गों, पृथक रिपोर्ट देने वाली प्रणालियों एवं प्रबंध संरचना के साथ एक स्वतंत्र संगठन हैं।

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

5300 S. DICKINSON DRIVE

CHICAGO, ILLINOIS 60637

TEL: 773-936-3636

FAX: 773-936-3636

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.ORG

WWW: WWW.PHYSICS.SOCIETY.ORG

WWW: WWW.PHYSICS.TEACHERS.ORG

WWW: WWW.PHYSICS.EDU/WWW

WWW: WWW.PHYSICS.EDU/WWW/WWW

WWW: WWW.PHYSICS.EDU/WWW/WWW/WWW

WWW: WWW.PHYSICS.EDU/WWW/WWW/WWW/WWW

WWW: WWW.PHYSICS.EDU/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW

WWW: WWW.PHYSICS.EDU/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW

WWW: WWW.PHYSICS.EDU/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW

WWW: WWW.PHYSICS.EDU/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW

WWW: WWW.PHYSICS.EDU/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW

WWW: WWW.PHYSICS.EDU/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW

WWW: WWW.PHYSICS.EDU/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW

WWW: WWW.PHYSICS.EDU/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW

WWW: WWW.PHYSICS.EDU/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW

WWW: WWW.PHYSICS.EDU/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW

WWW: WWW.PHYSICS.EDU/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW

WWW: WWW.PHYSICS.EDU/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW

WWW: WWW.PHYSICS.EDU/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW

WWW: WWW.PHYSICS.EDU/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW

WWW: WWW.PHYSICS.EDU/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW/WWW

PHYSICS 101

सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की गई थी । इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्त्विक अर्थार्थ कथन से मुक्त है । लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जॉच को शामिल किया जाता है ।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गये स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए मैं अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि व्याख्यात्मक 'लेखाओं के लिए टिप्पणियों' के साथ पठित वित्त लेखे 2008-09 वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार के प्रयोजन के लिए प्रादियों एवं संवितरणों का सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं ।

वर्ष अथवा पूर्व वर्षों के दौरान इन लेखाओं के अध्ययन के साथ-साथ की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य मुद्दे 31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत की जाने वाली मध्यप्रदेश सरकार पर हमारे प्रतिवेदनों में शामिल हैं ।

Panil Kumar

(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

20 जनवरी 2010

दिनांक:

स्थान: नई दिल्ली

प्रस्तावना

1. सरकारी लेखे निम्नलिखित 3 भागों में रखे जाते हैं :--

भाग I--समेकित निधि

भाग II--आकस्मिकता निधि

भाग III--लोक लेखा

भाग I अर्थात् समेकित निधि में मुख्य दो प्रभाग होते हैं, अर्थात् :--

(1) राजस्व--इसमें "प्राप्ति शीर्षो (राजस्व लेखा)" और "व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)" के अनुभाग शामिल किये जाते हैं।

(2) पूंजी, लोक ऋण, कर्जे इत्यादि--इसमें "प्राप्ति शीर्षो (पूंजी लेखा)" "व्यय शीर्षो (पूंजी लेखा)" और "लोक-ऋण, कर्जे तथा पेशगियां आदि" के अनुभाग शामिल किए जाते हैं।

राजस्व प्रभाग कर्जों के आगम और राजस्व के रूप में वर्गीकृत अन्य प्राप्तियों तथा उसमें से किये गये व्ययों से संबंध रखता है, जिसका निवल परिणाम संबंधित वर्ष की राजस्व वेशी अथवा कमी को दर्शाता है।

पूंजी प्रभाग में खंड "प्राप्ति शीर्ष (पूंजी लेखा)" पूंजी के स्वरूप की ऐसी प्राप्तियों से संबंध रखता है जिनका पूंजीगत व्यय से प्रति संतुलन नहीं किया जा सकता है।

खंड "व्यय शीर्षो (पूंजी लेखा)" उस व्यय से संबंध रखता है जो साधारणतः उधार ली गई निधियों से किया जाता है और जिनका उद्देश्य भौतिक और स्थाई प्रकार की ठोस परिसंपत्तियों को बढ़ाना है। इसमें पूंजी के स्वरूप की वे प्राप्तियां भी शामिल होती हैं जिनका उद्देश्य पूंजीगत व्यय को घटाना है।

खण्ड "लोक ऋण, कर्जे और पेशगियां आदि" में सरकार द्वारा लिये गये कर्जे तथा उनका प्रतिभुगतान शामिल किया जाता है अर्थात् "आन्तरिक ऋण" और "सरकार द्वारा" लिए गये "कर्जे और पेशगियां" (और उनकी वापसी)। इस खण्ड में "आकस्मिकता निधि" और "अन्तर्राज्यीय परिशोधन" के विनियोग संबंधी लेनदेनों के लिये कतिपय विशेष प्रकार के शीर्षो को भी शामिल किया जाता है।

भाग-II में अर्थात् आकस्मिकता निधि के लेखे में भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 के अधीन स्थापित आकस्मिकता निधि से लेन-देन अभिलिखित किये जाते हैं।

भाग-III में अर्थात् लोक लेखा ऋण (भाग-I में शामिल किये गये ऋण के अलावा), "जमा", "पेशगियों", "प्रेषण" और "उचन्त" से संबंधित लेन-देनों को अभिलिखित किया जाता है। इस भाग में "ऋण" "जमा" और "पेशगियों" के अन्तर्गत लेन-देन वे हैं जिनके संबंध में सरकार प्राप्त धन के प्रति भुगतान का दायित्व लेती है या प्रदत्त राशि की वसूली का दावा रखती है और दायित्व (ऋण और जमा) का भुगतान करती है तथा दावा (पेशगियों) की वसूली करती है।

इस भाग में "प्रेषण" और "उचन्त" संबंधी लेन-देन केवल समायोजक शीर्ष होते हैं जिनके अन्तर्गत खजानों और तिजोरी के बीच नकद का प्रेषण विभिन्न लेखा परिमंडलों के बीच अन्तरण जैसे लेन-देन शामिल किए जाते हैं। इन शीर्षों में आरम्भिक डेबिट या क्रेडिट का शोधन अन्ततः उसी या किसी अन्य लेखा परिमण्डल में तदनुरूपी प्राप्तियों या भुगतानों में किया जाता है।

2. अनुभाग और लेखा शीर्ष :

ऊपर लिखित भाग 1 में प्रत्येक अनुभाग के अन्तर्गत लेन-देनों को सैक्टर में विभाजित किया जाता है अर्थात् "कर राजस्व" "गैर कर राजस्व" और "सहायता अनुदान और अंशदान प्राप्ति" शीर्षों के लिये (राजस्व लेखा), और "सामान्य सेवायें", "सामाजिक सेवायें" "आर्थिक सेवायें" और व्यय शीर्ष के लिये सहायता अनुदान और अंशदान। विशिष्ट कार्य या सेवायें (जैसे सामाजिक सेवाओं के संबंध में शिक्षा, खेल कूद, कला और संस्कृति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, सफाई, गृह निर्माण और नगर विकास आदि व्यय शीर्षों के लिये सैक्टरों में विभाजित किये जाते हैं। भाग III (लोक लेखा) में भी लेन देनों को सैक्टर में विभाजित किया जाता है अर्थात् "लघु बचत", "भविष्य निधियां", "अराश्रित निधियां" इत्यादि। सैक्टरों को मुख्य लेखा शीर्षों में उप विभाजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में सैक्टरों को लेखे के मुख्य शीर्षों में विभाजन से पहले उप सैक्टरों में उप विभाजित किया जाता है।

मुख्य शीर्षों को लघु शीर्षों में और अनेक सहायक शीर्षों में विभाजित किया जाता है जिसे उपशीर्ष कहा जाता है। इसके बाद उपशीर्षों को ब्यौरेवार शीर्ष में विभाजित किया जाता है। इन प्रत्येक शीर्षों के अन्तर्गत व्यय को प्रभारित और दत्तमत के बीच विभाजित करके दिखाया जाता है। कभी-कभी मुख्य शीर्षों को लघु शीर्षों में विभाजित करने से पूर्व उन्हें उप मुख्य शीर्षों में भी विभाजित किया जाता है। सेक्टरीय और उप सेक्टरीय वर्गीकरण के अतिरिक्त मुख्य शीर्षों, उप मुख्य शीर्षों, लघु शीर्षों, उप शीर्षों, ब्यौरेवार शीर्षों और उद्देश्य शीर्ष से मिलकर सरकारी लेखाओं की वर्गीकरण संरचना का छः आयामी प्रबंध का निर्माण करते हैं। सामान्य लेखे में व्यय के वर्गीकरण के लिये निर्धारित मुख्य, लघु और उपशीर्ष अनुदान, उप शीर्षों और आबंटन की अन्य इकाइयों के अनुरूप नहीं होते हैं जिन्हें संसद या विधान-मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अनुदानों की मांग के लिए सरकार द्वारा अपमान्ये गये परन्तु सामान्यतः अनुदान के लिये मांग और वित्त लेखे के बीच कुछ अंश तक सह संबंध बनाये रखा जाता है।

व्यय शीर्षों के लिये सैक्टरों के भीतर आने वाले मुख्य लेखा शीर्ष साधारणतः सरकार के कार्यों के अनुरूप होते हैं जबकि लघु शीर्ष जो उनके अधीनस्थ हैं, मुख्य शीर्षों द्वारा दर्शाये गये कार्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये हथ में लिए गए कार्यक्रमों से संबंधित होते हैं। उपशीर्ष योजना ब्यौरेवार शीर्ष, उपयोजना और उद्देश्य शीर्ष वर्गीकरण के उद्देश्य स्तर के द्योतक होते हैं।

3. कोडिंग प्रतिमान :

मुख्य शीर्ष :

1 अप्रैल, 1987 से मुख्य शीर्षों को चार अंकों का कोड आबंटित किया गया है, प्रथम अंक यह दर्शाता है कि क्या मुख्य शीर्ष प्राप्ति शीर्ष या राजस्व व्यय शीर्ष या पूंजी व्यय शीर्ष या कर्ज शीर्ष है?

राजस्व प्राप्ति शीर्षों के लिए कोड का प्रथम अंक 0 अथवा 1 होता है। राजस्व प्राप्ति शीर्ष के कोड के प्रथम अंक के साथ 2 जोड़ने पर तदनुसूची राजस्व व्यय शीर्ष के आबंटन की संख्या निकल आती है और उसमें पुनः 2 जोड़ने पर पूंजी व्यय शीर्ष तथा पुनः 2 जोड़ने पर लेखे का कर्ज शीर्ष निकल आता है। उदाहरण स्वरूप फसल व्यवस्था. कोड के लिए 0401 प्राप्ति शीर्ष का, 2401 राजस्व व्यय शीर्ष का, 4401 पूंजीगत परिव्यय शीर्ष का और 6401 कर्ज शीर्ष का द्योतक होता है।

तथापि इस प्रकार का प्रतिमान उन विभागों के लिये सुसंगत नहीं है जहां पूंजी/कर्ज लेखा शीर्ष लागू नहीं है जैसे आपूर्ति विभाग। कुछ मामलों में जहां प्राप्ति और व्यय अधिक नहीं है, कुछ कार्यों को एक मुख्य शीर्ष के अधीन कर दिया गया है और वे उस मुख्य शीर्ष के अधीन उप मुख्य शीर्ष के रूप में स्वयं ही काम करते हैं।

उप मुख्य शीर्ष :

दो अंकों का कोड आबंटित किया गया है। यह कोड प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत 01 से प्रारम्भ होता है। जहां उप-मुख्य शीर्ष नहीं है वहां कोड 00 आबंटित किया गया है। "सामान्य" नामावली को कोड 80 आबंटित किया गया है ताकि उप मुख्य शीर्ष को पुनः लागू किये जाने के बाद भी "सामान्य" के लिये कोड वही रह सके।

लघु शीर्ष :

इन्हें तीन अंकों का कोड आबंटित किया गया है और प्रत्येक उप मुख्य/मुख्य शीर्ष के अंतर्गत 001 से कोड प्रारम्भ किये जाते हैं (वहां जहां उप मुख्य शीर्ष नहीं हैं)। "001" से "100" तक तथा "750" से "900" तक के कुछ कोडों को कतिपय मानक लघु शीर्षों के लिये आरक्षित कर दिया गया है। लघु शीर्षों के लिये कोडिंग प्रतिमान इस तरह से तैयार किये गये कि अनेक मुख्य/उपमुख्य शीर्षों के अधीन समान नामावली वाले कुछ लघु शीर्षों के संबंध में यथासंभव वही तीन अंकों का कोड अपनाया जाता है।

कोड निर्धारण की इस योजना के अंतर्गत प्राप्ति मुख्य शीर्ष (राजस्व लेखा) को 0020 से 1606 तक की ब्लाक संख्यायें दी जाती हैं। व्यय मुख्य शीर्ष (राजस्व लेखा) को 2011 से 3606, व्यय मुख्य शीर्ष (पूजी लेखा) को 4046 से 5475, "लोक ऋण" के अधीन मुख्य शीर्ष को 6001 से 6004 तक और जो कर्ज तथा पेशगियों, अन्तर्राज्यीय शोधन और आकस्मिकता निधि को अन्तरण के अन्तर्गत आते हैं उन्हें 6075 से 7999 तक की संख्याएं दी जाती हैं। पूजी प्राप्ति मुख्य शीर्ष के लिये कोड संख्या 4000 दी गई है। भाग 2 आकस्मिक निधि में केवल मुख्य शीर्ष "आकस्मिकता निधि" को कोड संख्या 8000 दी गई है। लोक लेखा में मुख्य शीर्ष को 8001 से 8999 कोड संख्या दी गई है।

4. मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का क्र.28) की शर्तों के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया था तथा 1 नवम्बर 2000 (निर्धारित दिन) से छत्तीसगढ़ के नाम से नये राज्य का गठन किया गया था। निर्धारित दिन से तत्काल पूर्व संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का अनुभाजन यथा अन्य वित्तीय समायोजन प्रत्येक प्रकरण में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का क्र. 28) के प्रावधानों के संदर्भ में किया जाना है। जहां कहीं ऐसे प्रगामी व्यय तथा अंत शेषों को आवंटित तथा अंतरित किया गया है, ऐसी राशियां इन लेखों में दर्शाई गई हैं। अन्य प्रकरणों में आवंटन एवं अंतरण तथा पुनर्समायोजन भी संबंधित संस्थाओं/सरकार से आगामी विवरण/सूचना के प्राप्त होने पर आगामी वर्षों के वित्त लेखों में किया जावेगा। इन लेखों में प्रगामी व्ययों तथा अंतशेषों के आवंटन एवं अंतरण को दर्शाने हेतु यथा संभव उपयुक्त व्याख्यात्मक टिप्पणियां समाविष्ट की गई हैं। प्रगामी व्ययों तथा अंतशेषों का पुनर्मिलान संबंधित प्राधिकारियों के साथ करने में सावधानी बरती गई है।

5. इस लेखे में शामिल किये गये लेन-देन मुख्यतः वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च के दौरान वास्तविक नकद प्राप्ति और संवितरण के द्योतक होते हैं। जो उसी अवधि के दौरान सरकार को प्राप्त और सरकार से प्राप्य राशि से अलग रखे जाते हैं। तथापि नकद आधार प्रणाली लेन-देनों के अभिलेखन के लिये तथा वाणिज्यिक सिद्धांतों पर चलाए जाने वाले सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों की सही स्थिति प्रस्तुत करने के लिये पूर्ण रूप से युक्तियुक्त नहीं है इसलिये इस श्रेणी के उपक्रमों के ब्यौरेवार लेखे समुचित वाणिज्यिक फार्म में नियमित लेखे से अलग रखे जाते हैं और इनकी भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग द्वारा नमूना जांच की जाती है।

6. इन लेखाओं में दिखाये गये वास्तविक आंकड़े, वसूलियों को हिसाब में लेकर निवल हैं यद्यपि विधान मंडल को प्रस्तुत किए गए अनुदानों की मांग और विनियोग लेखे सकल व्यय के लिये होते हैं और उन क्रेडिटों तथा वसूलियों को अलग रखा जाता है जो अन्यथा व्यय से कम की जाती हैं।

भाग - I संक्षिप्त विवरण

विवरण संख्या 1

वास्तविक आंकड़े

पिछला वर्ष

चालू वर्ष

2007-08

2008-09

(लाख रुपये में)

भाग I-समेकित

(1)राजस्व

प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)--

क-- कर राजस्व--

(क) आय तथा व्यय पर कर--

| | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| 0020--निगम कर | 32,38,14.00 | 35,30,66.00 |
| 0021--आय पर निगम कर से भिन्न कर | 21,73,40.00 | 22,16,97.00 |
| 0023--होटल प्राप्ति कर | 7,79.13 | 9,66.53 |
| 0028--आय तथा व्यय पर अन्य कर | 1,85,02.19 | 1,72,29.05 |
| योग--(क) आय तथा व्यय पर कर | 56,04,35.32 | 59,29,58.58 |

(ख) सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर--

| | | |
|---|-------------|-------------|
| 0029--भू-राजस्व | 1,29,14.54 | 3,38,83.94 |
| 0030--स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस | 15,31,54.15 | 14,79,29.28 |
| 0032--धन कर | 3,59.00 | 3,36.00 |
| 0035--कृषि भूमि से भिन्न अचल संपत्ति पर कर | 0.00 | 0.00 |
| योग--(ख) सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर | 16,64,27.69 | 18,21,49.22 |

(ग) वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर --

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 0037--सीमा शुल्क | 19,28,56.00 | 20,58,09.00 |
| 0038--संघ उत्पाद शुल्क | 18,41,06.00 | 17,95,02.00 |
| 0039--राज्य उत्पाद शुल्क | 18,53,82.53 | 23,01,95.00 |
| 0040--बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 60,45,07.00 | 68,42,98.88 |
| 0041--वाहन कर | 7,02,62.12 | 7,72,56.16 |
| 0042--माल तथा यात्री कर | 9,16,43.50 | 13,32,56.93 |
| 0043--विद्युत् कर तथा शुल्क | 6,26,07.64 | 3,43,05.62 |
| 0044--सेवा कर | 10,18,76.00 | 11,63,04.00 |
| 0045--वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क | 20,10.32 | 20,28.25 |
| योग--(ग) वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर | 1,49,52,51.11 | 1,66,29,55.84 |
| योग--क--कर राजस्व | 2,22,21,14.12 | 2,43,80,63.64 |

ख-- करेतर राजस्व--

(क)-- राजकोषीय सेवाएं--

| | | |
|----------------------------|------|------|
| 0047--अन्य राजकोषीय सेवाएं | 3.41 | 0.22 |
| योग--(क) राजकोषीय सेवायें | 3.41 | 0.22 |

(ख)-- ब्याज प्राप्ति, लाभांश तथा लाभ--

| | | |
|---|------------|------------|
| 0049--ब्याज प्राप्ति | 2,06,97.96 | 1,63,28.50 |
| 0050--लाभांश तथा लाभ | 59,22.81 | 69,05.22 |
| योग--(ख) ब्याज प्राप्ति, लाभांश तथा लाभ | 2,66,20.77 | 2,32,33.72 |

लेन-देनों का सारांश

| संवितरण | वास्तविक आंकड़े | |
|--|-----------------------|----------------------|
| | पिछला वर्ष 2007-08 | चालू वर्ष 2008-09 |
| | (लाख रुपये में) | |
| निधि | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-- | | |
| क-- सामान्य सेवाएं-- | | |
| (क) राज्य के अंग-- | | |
| 2011--संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल | 23,69.29 | 27,02.15 |
| 2012--राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक | 3,20.03 | 4,02.27 |
| 2013--मंत्रिपरिषद् | 21,81.66 | 27,69.37 |
| 2014--न्याय प्रशासन | 1,56,30.59 | 1,87,58.40 |
| 2015--निर्वाचन | 15,37.47 | 34,23.65 |
| योग--(क) राज्य के अंग | 2,20,39.04 | 2,80,55.84 |
| (ख) राजकोषीय सेवाएं-- | | |
| (i) आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण-- | | |
| 2020--आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण | 21.31 | 32.98 |
| योग--(i) आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण | 21.31 | 32.98 |
| (ii) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण-- | | |
| 2029--भू-राजस्व | 1,90,93.05 | 2,11,50.73 |
| 2030--स्टाम्प तथा पंजीकरण | 1,74,41.76 | 1,95,88.46 |
| योग--(ii) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण | 3,65,34.81 | 4,07,39.19 |
| (iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण-- | | |
| 2039--राज्य उत्पाद शुल्क | 3,96,62.89 | 5,05,51.34 |
| 2040--बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 54,66.47 | 89,47.05 |
| 2041--वाहन कर | 28,50.52 | 31,98.16 |
| 2045--वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क | 2,74,03.26 | 1,73,71.58 |
| योग--(iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण | 7,53,83.14 | 8,00,68.13 |
| (iv) अन्य राजकोषीय सेवाएं-- | | |
| 2047--अन्य राजकोषीय सेवाएं | 2,08.92 | 2,17.92 |
| योग--(iv) अन्य राजकोषीय सेवाएं | 2,08.92 | 2,17.92 |
| योग--(ख) राजकोषीय सेवाएं | 11,21,48.18 | 12,10,58.22 |
| (ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा -- | | |
| 2049--ब्याज अदायगियां | 41,90,76.94 | 41,91,99.22 |
| योग--(ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा | 41,90,76.94 | 41,91,99.22 |
| (घ) प्रशासनिक सेवाएं-- | | |
| 2051--लोक सेवा आयोग | 4,12.21 | 7,70.53 |
| 2052--सचिवालय-सामान्य सेवाएं | 84,63.27 | 90,51.88 |
| 2053--जिला प्रशासन | 1,67,95.00 | 2,00,66.22 |
| 2054--खजाना तथा लेखा प्रशासन | 41,91.70 | 54,32.26 |
| 2055--पुलिस | 10,47,10.10 | 13,03,03.69 |

| विवरण संख्या 1- | | |
|-----------------|-----------------------|----------------------|
| प्राप्तियां | वास्तविक आंकड़े | |
| | पिछला वर्ष 2007-08 | चालू वर्ष 2008-09 |

(लाख रुपये में)

भाग I-समेकित
(1)राजस्व

प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)-जारी

ख-- करेतर राजस्व--जारी

(ग)-- अन्य करेतर राजस्व--

(i) सामान्य सेवायें--

| | | |
|---|------------|---------------|
| 0051--लोक सेवा आयोग | 94.39 | 3,00.62 |
| 0055--पुलिस | 25,03.18 | 23,62.57 |
| 0056--जेल | 2,05.59 | 2,54.50 |
| 0058--लेखन सामग्री तथा मुद्रण | 10,86.97 | 12,83.43 |
| 0059--लोक निर्माण-कार्य | 20,32.86 | 21,74.36 |
| 0070--अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 68,15.00 | 55,58.34 |
| 0071--पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान तथा वसूली | 6,91.90 | 8,03.46 |
| 0075--विविध सामान्य सेवाएं | 3,74,60.32 | 3,80,16.84(x) |
| योग--(i) सामान्य सेवाएं | 5,08,90.21 | 5,07,54.12 |

(ii) सामाजिक सेवाएं--

| | | |
|--|----------|------------|
| 0202--शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति | 13,74.50 | 3,18,96.87 |
| 0210--चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 21,93.21 | 20,88.26 |
| 0211--परिवार कल्याण | 15.74 | 55.65 |
| 0215--जलपूर्ति तथा सफाई | 5,91.06 | 6,13.54 |
| 0216--आवास | 14,01.57 | 14,40.75 |
| 0217--शहरी विकास | 1,82.74 | 3,38.51 |
| 0220--सूचना तथा प्रचार | 14.32 | 35.29 |
| 0230--श्रम तथा रोजगार | 8,60.98 | 11,28.41 |
| 0235--सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 7,35.41 | 39,11.42 |
| 0250--अन्य सामाजिक सेवाएं | 22,10.72 | 32,17.96 |
| योग--(ii) सामाजिक सेवाएं | 95,80.25 | 4,47,26.66 |

(x) भारत सरकार से बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अधीन राज्य को ऋण समेकितकरण तथा राहत सुविधा के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त 3,63,05.97लाख रुपये सम्मिलित हैं।

| जारी | संवितरण | वास्तविक आंकड़े | |
|--|---------|-----------------------|----------------------|
| | | पिछला वर्ष 2007-08 | चालू वर्ष 2008-09 |
| | | (लाख रुपये में) | |
| निधि -- जारी | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)--जारी | | | |
| क-- सामान्य सेवाएं--समाप्त | | | |
| (घ) प्रशासनिक सेवाएं--समाप्त | | | |
| 2056--जेल | | 83,19.21 | 99,00.49 |
| 2058--लेखन सामग्री तथा मुद्रण | | 22,62.88 | 29,51.77 |
| 2059--लोक निर्माण-कार्य | | 2,15,13.61 | 1,58,81.06 |
| 2070--अन्य प्रशासनिक सेवाएं | | 90,11.70 | 1,01,72.18 |
| योग--(घ)--प्रशासनिक सेवाएं | | 17,56,79.68 | 20,45,30.08 |
| (ड) पेन्शन तथा विविध सामान्य सेवाएं-- | | | |
| 2071--पेन्शन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ | | 19,64,28.47 | 24,33,04.84 |
| 2075--विविध सामान्य सेवाएं | | 1,00,62.34 | 84.95 |
| योग--(ड) पेन्शन तथा विविध सामान्य सेवाएं | | 20,64,90.81 | 24,33,89.79 |
| योग--क--सामान्य सेवाएं | | 93,54,34.65 | 1,01,62,33.15 |
| ख-- सामाजिक सेवाएं-- | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति-- | | | |
| 2202--सामान्य शिक्षा | | 35,82,72.55 | 47,04,77.89 |
| 2203--तकनीकी शिक्षा | | 88,24.27 | 1,03,50.31 |
| 2204--खेलकूद तथा युवा सेवाएं | | 40,72.95 | 44,18.43 |
| 2205--कला एवं संस्कृति | | 56,14.60 | 42,18.48 |
| योग--(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति | | 37,67,84.37 | 48,94,65.11 |
| (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण-- | | | |
| 2210--चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | | 9,78,14.29 | 11,47,95.57 |
| 2211--परिवार कल्याण | | 1,60,46.51 | 1,60,19.01 |
| योग--(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण | | 11,38,60.80 | 13,08,14.58 |
| (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास-- | | | |
| 2215--जलपूर्ति तथा सफाई | | 3,51,99.71 | 4,16,67.33 |
| 2216--आवास | | 1,45,70.39 | 1,67,90.60 |
| 2217--शहरी विकास | | 3,97,12.84 | 5,07,90.11 |
| योग--(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास | | 8,94,82.94 | 10,92,48.04 |
| (घ) सूचना तथा प्रसारण-- | | | |
| 2220--सूचना तथा प्रचार | | 40,84.70 | 57,16.41 |
| योग--(घ) सूचना तथा प्रसारण | | 40,84.70 | 57,16.41 |

| प्राप्तियां | विवरण संख्या 1- | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| | वास्तविक आंकड़े | |
| | पिछला वर्ष 2007-08 | चालू वर्ष 2008-09 |
| | (लाख रुपये में) | |
| | भाग I-समेकित (1)राजस्व | |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)--जारी | | |
| ख-- करेतर राजस्व--समाप्त | | |
| (ग)-- अन्य करेतर राजस्व-- समाप्त | | |
| (iii) आर्थिक सेवाएं-- | | |
| 0401--फसल कृषि-कर्म | 15,05.86 | 15,51.07 |
| 0403--पशुपालन | 2,60.68 | 3,08.31 |
| 0404--डेरी विकास | 0.00 | 0.21 |
| 0405--मछली पालन | 1,82.52 | 1,93.03 |
| 0406--वानिकी तथा वन्य प्राणी | 6,08,89.38 | 6,85,60.40 |
| 0408--खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार | 1,03.73 | 74.67 |
| 0425--सहकारिता | 29,28.50 | 13,24.70 |
| 0435--अन्य कृषि कार्यक्रम | 7,90.74 | 4,66.87 |
| 0515--अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम | 3,94.73 | 3,77.23 |
| 0700--मुख्य सिंचाई | 17,23.96 | 13,14.93 |
| 0701--मध्यम सिंचाई | 20,17.89 | 23,92.73 |
| 0702--लघु सिंचाई | 13,40.36 | 8,06.54 |
| 0801--बिजली | 0.71 | 2.28 |
| 0802--पेट्रोलियम | 0.17 | 0.46 |
| 0851--ग्राम तथा लघु उद्योग | 2,39.46 | 78.24 |
| 0852--उद्योग | 4,82.60 | 6,50.91 |
| 0853--अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग | 11,25,39.32 | 13,61,07.90 |
| 0875--अन्य उद्योग | 0.00 | 0.21 |
| 1054--सड़क तथा सेतु | 3,37.01 | 4,61.33 |
| 1452--पर्यटन | 0.09 | 0.25 |
| 1475--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | 9,86.12 | 8,99.38 |
| योग--(iii) आर्थिक सेवाएं | 18,67,23.83 | 21,55,71.65 |
| योग--(ग) अन्य करेतर राजस्व | 24,71,94.29 | 31,10,52.43 |
| योग--ख-- करेतर राजस्व | 27,38,18.47 | 33,42,86.37 |

जारी

| संवितरण | वास्तविक आंकड़े | |
|---|-----------------------|---|
| | पिछला वर्ष 2007-08 | चालू वर्ष 2008-09 (लाख रुपये में) |
| निधि -- जारी | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)--जारी | | |
| ख-- सामाजिक सेवाएं--समाप्त | | |
| (ड.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-- | | |
| 2225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 9,91,79.98 | 11,09,49.73 |
| योग--(ड.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 9,91,79.98 | 11,09,49.73 |
| (च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण-- | | |
| 2230--श्रम तथा रोजगार | 82,86.99 | 99,08.86 |
| योग--(च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण | 82,86.99 | 99,08.86 |
| (छ) समाज कल्याण तथा पोषण-- | | |
| 2235--सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 6,77,05.07 | 9,99,21.55 |
| 2236--पोषण | 3,13,64.25 | 2,84,44.74 |
| 2245--प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत | 2,19,41.79 | 2,79,03.08 |
| योग--(छ) समाज कल्याण तथा पोषण | 12,10,11.11 | 15,62,69.37 |
| (ज)-- अन्य-- | | |
| 2250--अन्य सामाजिक सेवाएं | 9,35.28 | 10,64.03 |
| 2251--सचिवालय-सामाजिक सेवाएं | 9,20.12 | 11,58.17 |
| योग--(ज) अन्य | 18,55.40 | 22,22.20 |
| योग--ख--सामाजिक सेवाएं | 81,45,46.29 | 1,01,45,94.30 |
| ग-- आर्थिक सेवाएं-- | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप-- | | |
| 2401--फसल कृषि-कर्म | 5,78,76.32 | 6,75,03.94 |
| 2402--मृदा तथा जल संरक्षण | 32,27.17 | 40,68.62 |
| 2403--पशुपालन | 2,16,76.06 | 2,55,17.18 |
| 2405--मछली पालन | 20,14.08 | 22,37.41 |
| 2406--वानिकी तथा वन्य प्राणी | 8,24,25.14 | 8,95,54.10 |
| 2408--खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार | 1,03,43.12 | 5,40,26.05 |
| 2415--कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा | 66,93.57 | 68,09.87 |
| 2425--सहकारिता | 1,02,33.86 | 74,18.72 |
| योग--(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप | 19,44,89.32 | 25,71,35.89 |
| (ख) ग्राम विकास-- | | |
| 2501--ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम | 6,28,21.58 | 4,68,09.59 |
| 2505--ग्राम रोजगार | 3,57,99.55 | 5,26,55.48 |
| 2515--अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम | 11,50,94.59 | 9,81,13.67 |
| योग--(ख) ग्राम विकास | 21,37,15.72 | 19,75,78.74 |

विवरण संख्या 1-

| प्राप्तियां | वास्तविक आंकड़े | |
|--|---------------------------|----------------------|
| | पिछला वर्ष 2007-08 | चालू वर्ष 2008-09 |
| | (लाख रुपये में) | |
| | भाग I-समेकित (1)राजस्व | |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)--समाप्त | | |
| ग-- सहायता अनुदान तथा अंशदान-- 1601--केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान | 57,29,40.97 | 58,53,70.62 |
| योग--ग--सहायता अनुदान तथा अंशदान | 57,29,40.97 | 58,53,70.62 |
| योग--प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) | 3,06,88,73.56 | 3,35,77,20.63 |
| राजस्व आधिक्य (+) / राजस्व घाटा (-) | +50,87,62.58 | +40,63,33.02(*) |

(*) राजस्व आधिक्य रुपये 40,63,33.02 लाख में राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान प्राप्त 3,63,05.97 लाख रुपये भारत सरकार से बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अधीन राज्यों को ऋण समेकितकरण तथा राहत सुविधा के रूप में मुख्य शीर्ष 0075-विभिन्न सामान्य सेवाएं-800-अन्य प्राप्तियों में जमा किए गए, सम्मिलित हैं।

| जारी संवितरण | वास्तविक आंकड़े | |
|--|-----------------------|----------------------|
| | पिछला वर्ष 2007-08 | चालू वर्ष 2008-09 |
| | (लाख रुपये में) | |
| निधि -- जारी | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)--समाप्त | | |
| ग-- आर्थिक सेवाएं--समाप्त | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण-- | | |
| 2700--मुख्य सिंचाई | 75,68.68 | 78,10.01 |
| 2701--मध्यम सिंचाई | 2,37,96.62 | 2,83,71.95 |
| 2702--लघु सिंचाई | 79,44.47 | 65,28.96 |
| 2705--कमान क्षेत्र विकास | 1,04.46 | 1,19.50 |
| योग--(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण | 3,94,14.23 | 4,28,30.42 |
| (ङ.) ऊर्जा-- | | |
| 2801--बिजली | 10,84,16.85 | 14,37,21.87 |
| 2810--अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत | 0.00 | 6,27.50 |
| योग--(ङ.) ऊर्जा | 10,84,16.85 | 14,43,49.37 |
| (च) उद्योग तथा खनिज-- | | |
| 2851--ग्राम तथा लघु उद्योग | 1,03,74.29 | 1,26,14.72 |
| 2852--उद्योग | 39,54.75 | 58,37.16 |
| 2853--अलौह खनिज तथा धातुकर्म उद्योग | 1,05,08.16 | 1,05,20.49 |
| 2885--उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय | 28,38.00 | 0.00 |
| योग--(च) उद्योग तथा खनिज | 2,76,75.20 | 2,89,72.37 |
| (छ) परिवहन-- | | |
| 3053--नागर विमानन | 44.56 | 86.75 |
| 3054--सड़क तथा सेतु | 6,08,62.50 | 6,07,84.70 |
| 3055--सड़क परिवहन | 0.00 | 0.00 |
| योग--(छ) परिवहन | 6,09,07.06 | 6,08,71.45 |
| (झ) विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण-- | | |
| 3425--अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान | 42,52.74 | 50,63.64 |
| योग--(झ) विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण | 42,52.74 | 50,63.64 |
| (ञ) सामान्य आर्थिक सेवाएं-- | | |
| 3451--सचिवालय-आर्थिक सेवाएं | 8,57.70 | 10,16.85 |
| 3452--पर्यटन | 11,26.12 | 19,65.39 |
| 3454--जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी | 22,59.33 | 26,81.15 |
| 3475--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | 6,32.19 | 6,50.68 |
| योग--(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाएं | 48,75.34 | 63,14.07 |
| योग--ग--आर्थिक सेवाएं | 65,37,46.46 | 74,31,15.95 |
| घ-- सहायता अनुदान तथा अंशदान-- | | |
| 3604--स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन | 15,63,83.58 | 17,74,44.21 |
| योग--घ--सहायता अनुदान तथा अंशदान | 15,63,83.58 | 17,74,44.21 |
| योग--व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) | 2,56,01,10.98 | 2,95,13,87.61 |

विवरण संख्या 1-

वास्तविक आंकड़े

प्राप्तियां

पिछला वर्ष
2007-08चालू वर्ष
2008-09

(लाख रुपये में)

भाग I-समेकित

(2) पूंजी, लोक ऋण, कर्जे आदि

प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)--

(क)

| | | |
|--|-------------|-------------|
| 4000--विविध पूंजीगत प्राप्तियां | 11,06.85 | 24,00.02 |
| योग-- प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा) | 11,06.85 | 24,00.02 |
| ड-- लोक ऋण-- (गा) | | |
| 6003--राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण | 28,31,93.32 | 53,99,29.55 |
| 6004--केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम | 5,39,01.44 | 11,53,67.86 |
| योग--ड.--लोक ऋण | 33,70,94.76 | 65,52,97.41 |
| च-- कर्ज तथा उधार --(X) | | |
| कर्ज तथा उधार | 1,05,24.13 | 53,61.77 |
| योग--च--कर्ज तथा उधार | 1,05,24.13 | 53,61.77 |

छ- अंतर्राज्यीय परिशोधन-

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 7810--अंतर्राज्यीय परिशोधन (@) | 1,78.97 | 79.10 |
| योग --अंतर्राज्यीय परिशोधन | 1,78.97 | 79.10 |
| योग-- पूंजी, लोक ऋण, कर्जे आदि | 34,89,04.71 | 66,31,38.30 |
| योग--समेकित निधि | 3,41,77,78.27 | 4,02,08,58.93 |

भाग II--आकस्मिकता

| | | |
|----------------------|------|------|
| 8000--आकस्मिकता निधि | 0.00 | 0.00 |
| योग--आकस्मिकता निधि | 0.00 | 0.00 |

भाग-III-- लोक

झ-- लघु बचत, भविष्य निधि आदि-- (गा)

| | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| (क) राष्ट्रीय अल्प बचत निधि | .. | .. |
| (ख) राज्य भविष्य निधि | 12,24,34.31 | 12,64,60.15 |
| (ग) अन्य लेखा | 2,14,52.24 | 1,22,63.04 |
| योग--झ--लघु बचत, भविष्य निधि आदि | 14,38,86.55 | 13,87,23.19 |

ञ-- आरक्षित निधि-(घा)-

| | | |
|-------------------------------------|------------|-----------------------------|
| (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां | .. | (-) 1,56,00.00 [#] |
| (ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां | 7,16,06.62 | 7,56,37.88 |
| योग--ञ--आरक्षित निधि | 7,16,06.62 | 6,00,37.88 |

(x) विस्तृत जानकारी के लिये विवरण संख्या 18 का अवलोकन करें।

(@) यह शीर्ष सरकारी लेखे को बंद होता है।

(गा) विस्तृत जानकारी के लिये विवरण संख्या 17 का अवलोकन करें।

(घा) विस्तृत जानकारी के लिये विवरण संख्या 16 का अवलोकन करें।

(क) पृष्ठ 83 पर विवरण देखें।

म.प्र.सरकार राजस्व विभाग की स्वीकृति दिनांक 31.03.2009 के तहत 8235-111-आपदा राहत निधि बिना ब्याज वाली में अन्तरित।

| जारी | संवितरण | वास्तविक आंकड़े | |
|---|---------|-----------------------|----------------------|
| | | पिछला वर्ष 2007-08 | चालू वर्ष 2008-09 |
| | | (लाख रुपये में) | |
| निधि -- समाप्त | | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा) | | | |
| (प्रत्येक मुख्य शीर्ष के लिये आंकड़े विवरण संख्या 2 में दिये गये हैं) | | 68,32,69.84 | 67,13,15.04 |
| योग--व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा) | | 68,32,69.84 | 67,13,15.04 |
| ड.-- लोक ऋण--(गा) | | | |
| 6003--राज्य सरकार का आंतरिक ऋण | | 12,40,13.56 | 15,16,15.27 |
| 6004--केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम | | 4,36,86.26 | 4,44,86.19 # |
| योग--ड.--लोक ऋण | | 16,76,99.82 | 19,61,01.46 |
| च-- कर्ज तथा उधार--(X) | | | |
| कर्ज तथा उधार | | 11,54,87.54 | 18,61,45.65 |
| योग--च--कर्ज तथा उधार | | 11,54,87.54 | 18,61,45.65 |
| छ-- अंतर्राज्यीय परिशोधन-- | | | |
| 7810-अंतर्राज्यीय परिशोधन (@) | | 2,06.44 | 73.49 |
| योग --छ-- अंतर्राज्यीय परिशोधन | | 2,06.44 | 73.49 |
| ज--आकस्मिकता निधि को अंतरण-- | | | |
| 7999--आकस्मिकता निधि को विनियोजन | | 0.00 | 0.00 |
| योग--ज-- आकस्मिकता निधि को अंतरण | | 0.00 | 0.00 |
| योग-- पूँजी, लोक ऋण, कर्ज आदि | | 96,66,63.64 | 1,05,36,35.64 |
| योग--समेकित निधि | | 3,52,67,74.62 | 4,00,50,23.25 |
| निधि | | | |
| 8000--आकस्मिकता निधि | | .. | .. |
| योग--आकस्मिकता निधि | | .. | .. |
| लेखा | | | |
| झ-- लघु बचत, भविष्य निधि आदि--(गा) | | | |
| (क) राष्ट्रीय अल्प बचत निधि | | 0.00 | 0.00 |
| (ख) राज्य भविष्य निधि | | 11,17,73.62 | 10,51,15.03 |
| (ग) अन्य लेखा | | 1,27,86.79 | 1,32,36.99 |
| योग--झ--लघु बचत, भविष्य निधि आदि | | 12,45,60.41 | 11,83,52.02 |
| ज -- आरक्षित निधि--(घा) | | | |
| (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां | | 0.00 | 0.00 |
| (ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां | | 8,50,18.81 | 5,87,38.39 |
| योग-- ज --आरक्षित निधि | | 8,50,18.81 | 5,87,38.39 |

विवरण संख्या 1-
वास्तविक आंकड़े
पिछला वर्ष
2007-08
चालू वर्ष
2008-09
(लाख रुपये में)
भाग - III लोक

| प्राप्तियां | पिछला वर्ष 2007-08 | चालू वर्ष 2008-09 (लाख रुपये में) |
|---------------------------------|-----------------------|---|
| ट--जमा तथा अग्रिम--(घा) | | |
| (क) ब्याज वाली जमा | 33,44.72 | 24,55.80 |
| (ख) बिना ब्याज वाली जमा | 52,55,64.10 | 76,20,46.01 |
| (ग) अग्रिम | 2,47,86.32 | 2,65,84.61 |
| योग--ट--जमा तथा अग्रिम | 55,36,95.14 | 79,10,86.42 |
| ठ-- उचंत तथा विविध--(घा) | | |
| (क) उचंत | 4,41.86 | 2,34.21 |
| (ख) अन्य लेखा | 11,69,17,02.86 | 8,15,68,76.70 |
| (ग) विविध | 6,65.43 | 0.00 |
| योग--ठ--उचंत तथा विविध | 11,69,28,10.15 | 8,15,71,10.91 |
| ड.-- प्रेषण --(घा) | | |
| (क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण | 89,28,61.99 | 91,15,29.93 |
| (ख) अंतः सरकार समायोजन लेखा | 0.25 | 1,80.01 |
| योग--ड--प्रेषण | 89,28,62.24 | 91,17,09.94 |
| योग--लोक लेखा | 13,35,48,60.70 | 10,05,86,68.34 |
| योग--प्राप्तियां | 16,77,26,38.97 | 14,07,95,27.27 |
| प्रारंभिक रोकड़ शेष | -3,31,77.07 | (-) 13,01,14.44 |
| महायोग | 16,73,94,61.90 | 13,94,94,12.83 |

(घा) विस्तृत जानकारी के लिए विवरण संख्या 16 का अवलोकन करें।

| जारी संवितरण | वास्तविक आंकड़े | |
|--|-----------------------|---|
| | पिछला वर्ष 2007-08 | चालू वर्ष 2008-09 (लाख रुपये में) |
| लेखा -- समाप्त | | |
| ट-- जमा तथा अग्रिम--(घा) | | |
| (क) ब्याज वाली जमा | 27,40.91 | 26,02.15 |
| (ख) बिना ब्याज वाली जमा | 49,83,17.15 | 73,82,23.50 |
| (ग) अग्रिम | 2,52,83.24 | 2,65,94.39 |
| योग--ट--जमा तथा अग्रिम | 52,63,41.30 | 76,74,20.04 |
| ठ-- उचंत तथा विविध--(घा) | | |
| (ख) उचंत | -29,76.09 | 48,49.47 |
| (ग) अन्य लेखा | 11,71,87,36.99 | 8,17,29,93.93 |
| (घ) विदेशी सरकारों के पास खोले गए लेखे | 0.00 | 0.00 |
| (ड.) विविध | 40,46.25 | 3,18.50(x) |
| योग--ठ--उचंत तथा विविध | 11,71,98,07.15 | 8,17,81,61.90 |
| ड-- प्रेषण--(घा) | | |
| (क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण | 88,65,96.88 | 90,74,16.97 |
| (ख) अंतः सरकार समायोजन लेखा | 4,77.17 | (-) 18,73.06@ |
| योग--ड--प्रेषण | 88,70,74.05 | 90,55,43.91 |
| योग--लोक लेखा | 13,34,28,01.72 | 10,02,82,16.26 |
| योग--संवितरण | 16,86,95,76.34 | 14,03,32,39.51 |
| अंतिम रोकड़ शेष | -13,01,14.44 | -8,38,26.68 |
| महायोग | 16,73,94,61.90 | 13,94,94,12.83 |

(क) "रिजर्व बैंक में जमा" के विरुद्ध आंकड़ों के समाशोधन से संबंधित विवरण संख्या-7 के पृष्ठ 44 के अधीन पाद टिप्पणी (क) का अवलोकन करें।

(ख) यह लेन-देन सरकारी लेखों को बंद होता है।

@ ऋणात्मक लेन-देन पूर्व वर्षों के लेन-देनों के समायोजन के कारण है।

विवरण संख्या 1 -- जारी

1. वर्ष 2008-09 में राजस्व लेखे पर किये गये लेन-देन के 50,87.62 करोड़ रुपये के आधिक्य के विरुद्ध 2007-08 में 40,63.33 करोड़ रुपये का आधिक्य था। राजस्व लेखे के बाहर के लेन-देन और आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के अंतर्गत लेन-देनों को सम्मिलित कर 2007-08 में हुए 9,69.37 करोड़ रुपये के कुल घाटे के विरुद्ध 2008-09 में 4,62.87 करोड़ रुपये का कुल अधिशेष था।

विवरण नीचे दिए जा रहे हैं:-

| | पिछला वर्ष 2007-08 | चालू वर्ष 2008-09 (करोड़ रुपये में) |
|---|-----------------------|---|
| प्रारंभिक रोकड़ शेष | -3,31.77 | -13,01.14 |
| भाग -I समेकित निधि- | | |
| राजस्व लेखे पर किये गये लेन-देन-- | | |
| (i) (क) प्राप्तियां | 3,06,88.73 | 3,35,77.21 |
| (ख) व्यय | 2,56,01.11 | 2,95,13.88 |
| (ग) राजस्व घाटा /आधिक्य | +50,87.62 | + 40,63.33(*) |
| राजस्व लेखे से भिन्न किये गये लेन-देन- | | |
| (ii) निवल पूंजीगत व्यय | -68,21.63 | -66,89.15 |
| (iii) लोक ऋण से निवल प्राप्तियां | 16,93.95 | 45,91.96 |
| (iv) निवल ऋण तथा उधार -राज्य सरकार द्वारा | -10,49.63 | -18,07.84 |
| (v) अन्तर्राज्यीय समायोजन (निवल) | -0.27 | 0.05 |
| (vi) आकस्मिकता निधि को अंतरण | .. | .. |
| भाग -II -आकस्मिकता निधि - | | |
| (vii) आकस्मिकता निधि से निवल आहरण | | .. |
| भाग -III - लोक लेखा - | | |
| (viii) लघु बचत, भविष्य निधि, आदि के अंतर्गत निवल प्राप्तियां | -1,93.26 | 2,03.71 |
| (ix) आरक्षित निधियों के अंतर्गत निवल प्राप्तियां | -1,34.12 | 13.00 |
| (x) जमा तथा अग्रिमों के अंतर्गत निवल प्राप्तियां | 2,73.54 | 2,36.66 |
| (xi) उचन्त तथा विविध - निवल | -2,69.97 | -2,10.51 |
| (xii) प्रेषण --निवल | 57.88 | 61.66 |
| अंतिम रोकड़ शेष | -13,01.14 | -8,38.27 |
| कुल अधिशेष (+)/घाटा (-) | -9,69.37 | + 4,62.87 |

(*) पृष्ठ 12 पर पाद टिप्पणी (*) देखें।

पृष्ठ 46 पर पाद टिप्पणी (क) देखें।

विवरण संख्या 1--जारी
व्याख्यात्मक टिप्पणियां

2. राजस्व प्राप्तियां--वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियां 3,35,77.21 करोड़ रुपये थीं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। तुलनात्मक सुविधा के लिए वर्ष 2007-08 के तदनुसार आंकड़े भी दिए गए हैं :-

राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व

| | पिछला वर्ष 2007-08 | चालू वर्ष 2008-09 |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | (करोड़ रुपये में) | |
| (i) कर राजस्व | 1,20,18.18 | 1,36,14.05 |
| (ii) करेतर राजस्व | 27,38.18 | 33,42.86(x) |
| योग (i+ii) | 1,47,56.36 | 1,69,56.91 |

भारत सरकार से प्राप्तियां

| | | |
|--|------------|-------------|
| (iii) संघ करों की निवल प्राप्तियों का भाग-- | | |
| (क) निगम कर | 32,38.14 | 35,30.66 |
| (ख) आय पर निगम कर से भिन्न कर | 21,73.40 | 22,16.97 |
| (ग) आय तथा व्यय पर अन्य कर | -0.16 | (-) 0.22(य) |
| (घ) धन कर | 3.59 | 3.36 |
| (ङ) सीमा शुल्क | 19,28.56 | 20,58.09 |
| (च) संघ उत्पाद शुल्क | 18,41.06 | 17,95.02 |
| (छ) सेवा कर | 10,18.76 | 11,63.04 |
| (ज) वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क | -0.39 | (-) 0.33(य) |
| योग (iii) | 1,02,02.96 | 1,07,66.59 |
| (iv) अनुदान-- | | |
| का-- योजनेतर अनुदान-- | | |
| (क) रेल यात्री किराये पर कर के बदले अनुदान | .. | .. |
| (ख) संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत अनुदान | 10,17.17 | 9,77.96 |
| (ग) प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत निधि के लिए अंशदान हेतु अनुदान | .. | .. |
| (घ) विभिन्न उद्देश्यों तथा योजनाओं के लिए अनुदान | 93.69 | 36.83 |
| खा-- राज्य योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान-- | | |
| (क) संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत अनुदान | 59.73 | 1,66.14 |
| (ख) अन्य अनुदान | 25,52.24 | 26,57.64 |
| गा-- केन्द्र योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान | 2,20.31 | 2,00.60 |
| घा-- केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान-- | | |
| (क) संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत अनुदान | .. | .. |
| (ख) अन्य अनुदान | 17,86.27 | 18,14.54 |
| योग (iv) | 57,29.41 | 58,53.71(र) |
| योग (iii+iv) | 1,59,32.37 | 1,66,20.30 |
| महायोग | 3,06,88.73 | 3,35,77.21 |

(x) पृष्ठ 8 पर पाद टिप्पणी (X) देखें।

(य) पृष्ठ 62 तथा 64 पर पाद टिप्पणी (X) देखें।

(र) बाहरवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं से संबंधित प्राप्त राशि रुपये 11,44,10 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 1 -- जारी

3. कर परिवर्तन आदि -वर्ष के दौरान कोई नया कर आरोपित नहीं किया गया। वर्ष 2008-09 के दौरान कराधान आदि में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:-

| विवरण | लागू किए जाने की तिथि | 2008-09 में आगणित प्राप्तियां / राजस्व में कमी (करोड़ रुपये में) | वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियां |
|---|-----------------------|--|------------------------------------|
| 0028- आय तथा व्यय पर अन्य कर- | | | |
| रुपये 1.20 लाख प्रति वर्ष तक की आय वाले वृत्ति करदाताओं को पूर्णतः वृत्ति कर से मुक्त करने, रुपये 1.20 लाख से अधिक परन्तु 1.50 लाख से कम वार्षिक आय वर्ग के करदाताओं पर वृत्ति कर भार 1500 रुपये से घटाकर 1000 रुपये तथा 1.50 लाख से अधिक किन्तु रुपये 1.80 लाख से कम वार्षिक आय वर्ग के करदाताओं पर वृत्ति कर भार रुपये 2500 से घटाकर 1500 रुपये करने के कारण। | (*) | 56.00 | (*) |
| 0030-स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस- | | | |
| स्थाई सम्पत्ति के हस्तान्तरण के दस्तावेजों पर लगने वाली स्टाम्प शुल्क की दरों में 0.5 प्रतिशत की कटौती करने के कारण। | (*) | 90.00 | (*) |
| 0039-राज्य उत्पाद शुल्क- | | | |
| (i) विदेशी मदिरा, स्प्रिट के निर्यात पर विद्यमान 0.50 रुपये प्रति प्रूफ लीटर, बीयर पर 0.46 रुपये प्रति बल्क लीटर तथा रेक्ट्रीफाइड स्प्रिट पर 0.30 रुपये प्रति बल्क लीटर निर्यात फीस को बढ़ाकर स्प्रिट के लिये 1.00 रुपये प्रति प्रूफ लीटर एवं बीयर तथा रेक्ट्रीफायड स्प्रिट के लिये 1.00 प्रति बल्क लीटर करने के कारण। | (*) | 3.85 | (*) |
| (ii) स्थानीय इकाइयों द्वारा विदेशी मदिरा स्प्रिट के निर्माण पर विद्यमान 0.30 रुपये प्रति प्रूफ लीटर बाटलिंग फीस का बढ़ाकर 2.00 रुपये प्रति प्रूफ लीटर करने के कारण। | (*) | 2.21 | (*) |
| (iii) राष्ट्रीय स्तर के विदेशी मदिरा निर्माताओं द्वारा, राज्य के बाहर निर्यात करने के उद्देश्य से प्रदेश में बाटलिंग करने पर विद्यमान 2.00 रुपये प्रति प्रूफ लीटर बाटलिंग फीस को बढ़ाकर 10.00 रुपये प्रति प्रूफ लीटर करने के कारण। | (*) | 6.80 | (*) |
| (iv) राज्य के बीयर निर्माताओं द्वारा बीयर की वर्तमान बाटलिंग फीस 0.08 रुपये प्रति बल्क लीटर से बढ़ाकर 1.00 रुपये प्रति बल्क लीटर करने के कारण। | (*) | 2.80 | (*) |
| (v) राष्ट्रीय स्तर के विनिर्माताओं द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में विक्रय के उद्देश्य से राज्य में बीयर बाटलिंग पर निर्धारित 3.85 रुपये प्रति बल्क लीटर बाटलिंग फीस को बढ़ाकर 6.00 रुपये प्रति बल्क लीटर करने के कारण। | (*) | 3.22 | (*) |
| (vi) राष्ट्रीय स्तर के विनिर्माताओं द्वारा राज्य के बाहर निर्यात के उद्देश्यों से प्रदेश में बीयर की बाटलिंग पर विद्यमान 0.38 रुपये प्रति बल्क लीटर की बाटलिंग फीस को बढ़ाकर 2.00 रुपये प्रति बल्क लीटर करने के कारण। | (*) | 1.78 | (*) |

(*) राज्य सरकार से जानकारी अपेक्षित है।

विवरण संख्या 1 -- जारी

| विवरण | लागू किए जाने की तिथि | 2008-09 में आगणित प्राप्तियां / राजस्व में कमी (करोड़ रुपये में) | वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियां |
|--|-----------------------|--|------------------------------------|
| 0040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर- | | | |
| (i) डीजल पर वैट की दर 26 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने के कारण। | (*) | 85.00 | (*) |
| (ii) कृपाण, 500 रुपये तक के खुदरा मूल्य का हाथ का कड़ा, प्रसाद, भोग या महाभोग, कैलेण्डर के रूप में उपयोग न होने वाले धार्मिक चित्र, कपूर, गोंमूत्र एवं उससे बने सभी उत्पाद, पका हुआ बलिया, सलू, पंजीरी, मुरमुरा, बताशा, मिश्री, भुने/तले/पाचर्ड चने, बिना मार्का की झाड़ू, पशुओं की नाल, केरोसीन लालटेन, केरोसीन लेम्प एवं केरोसीन चिमनी तथा उसके पुर्जे, हस्तनिर्मित मोमबत्ती, सौर चूल्हे, छाते एवं उसके पुर्जे, बांस से बनी टोकरी एवं टाटपट्टी, लोहे से बना घमेला, तसला एवं तगाडी, खाद्य उपयोगी गोंद सिंप्रकलर्स एवं ड्रिप सिंचाई में लगने वाले उपकरण(पाइप एवं मोटर को छोड़कर) को वैट से मुक्त करने के कारण। | (*) | 1.82 | (*) |
| (iii) मध्यप्रदेश में विनिर्मित सभी प्रकार के जूते/चप्पल एवं उनके स्ट्रैप्स जिनका अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य 250 रुपये से अधिक न हो को कर मुक्त करने के कारण। | (*) | 1.55 | (*) |
| (iv) प्री रिकार्डेड ऑडियो कैसेट तथा प्री रिकार्डेड ऑडियो सी.डी., हेलमेट, सभी प्रकार का प्लायवुड, ब्लैक बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड, फोम एवं प्लास्टिक फोम एवं रबर फोम अथवा अन्य सिन्थेटिक फोम से बने शीट्स, सभी प्रकार के सी.एफ.एल. बल्ब/ट्यूब जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य 100 रुपये या उससे कम हो, अर्थ मूविंग मशीनें, उपकरण उनके पार्ट्स एवं अटेचमेंट सहित, बिना इण्टरनल कम्बर्शन इंजिन वाले दुपहिया इलेक्ट्रिक/बैट्री चलित वाहन, इलेक्ट्रिकल इनर्जी मीटर्स, एल्यूमीनियम प्रोफाइल्स इत्यादि पर वैट की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने के कारण। | (*) | 30.87 | (*) |
| (v) पुरानी एवं उपयोग की गई कारों के विक्रय पर वैट की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत करने के कारण। | (*) | 0.10 | (*) |
| 0041- वाहन कर | | | |
| राष्ट्रीयकृत 171 मार्गों में प्रचलित मोटर यान कर रुपये 160/- प्रति सीट प्रतिमाह के स्थान पर 240/- रुपये प्रति सीट प्रतिमाह करने, ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने वाले दूरस्थ मार्गों के लिये 120/- रुपये प्रति सीट प्रतिमाह करने, उपरोक्त दोनों श्रेणी के मार्गों को छोड़कर शेष सभी सामान्य मार्गों पर मोटरयान कर की दर 160/- रुपये प्रति सीट प्रतिमाह करने तथा आरक्षित बसों पर 120/- रुपये प्रति सीट प्रतिमाह की दर से मोटरयान कर आरोपित करने के कारण। | (*) | 25.00 | (*) |
| 0042- माल तथा यात्री कर- | | | |
| (i) सभी प्रकार के सूत अथवा कपड़े में युक्त होने वाले कपास/रुई या अन्य मानव निर्मित रेशे को प्रवेश कर से मुक्त करने के कारण। | (*) | 20.10 | (*) |
| (ii) इण्डक्शन फर्नेश में निर्माण की प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में स्पंज, आयरन तथा आयरन स्क्रैप का उपयोग होने पर ऐसे कच्चे माल को प्रवेश कर से मुक्त करने के कारण। | (*) | 0.50 | (*) |

(*) राज्य सरकार से जानकारी अपेक्षित है ।

विवरण संख्या 1 -- जारी

4. राजस्व प्राप्तियों में 28,88.48 करोड़ रुपये की वृद्धि (2007-08 में 3,06,88.73 करोड़ रुपये से 2008-09 में 3,35,77.21 करोड़ रुपये तक)
मुख्यतः निम्न के अंतर्गत थी:-

| लेखे का मुख्य शीर्ष | 2007-08 की तुलना में वृद्धि (करोड़ रुपये में) | वृद्धि के कारण |
|--|--|---|
| 0020- निगम कर | 2,92.52 | केन्द्रीय करों से समनुदेशन में प्राप्त राशि में हुई वृद्धि के कारण। |
| 0029- भू-राजस्व | 2,09.69 | भू-राजस्व/कर- नियमित वसूलियों में अधिक प्राप्तियों के कारण। |
| 0037- सीमा शुल्क | 1,29.53 | केन्द्रीय करों से समनुदेशन में प्राप्त राशि में हुई वृद्धि के कारण। |
| 0039- राज्य उत्पाद शुल्क | 4,48.12 | देशी स्पिरिट- देशी लिकर अनुज्ञापित शुल्क प्राप्ति में वृद्धि के कारण। |
| 0040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 7,97.92 | राज्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत - पण्यवर्त कर में अधिक प्राप्तियों के कारण। |
| 0042- माल तथा यात्री कर | 4,16.13 | माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर- प्रवेश कर में अधिक प्राप्तियों के कारण। |
| 0044- सेवा कर | 1,44.28 | केन्द्रीय करों से समनुदेशन में प्राप्त राशि में हुई वृद्धि के कारण। |
| 0202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति | 3,05.22 | मुख्यतः लघुशीर्ष- सामान्य में अधिक प्राप्तियों के कारण। |
| 0853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग | 2, 35.69 | बड़े खनिजों से अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण। |
| 1601- केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान | 1,24.30 | राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान - एक मुश्त (ब्लॉक) अनुदान के अंतर्गत अधिक धनराशि प्राप्ति के कारण। |

प्राप्तियों की उपरोक्त वृद्धि मुख्यतः निम्नलिखित में कमी के द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित हुई:-

| लेखे का मुख्य शीर्ष | 2007-08 की तुलना में कमी (करोड़ रुपये में) | कमी के कारण |
|-----------------------------|---|--|
| 0043- विद्युत् कर तथा शुल्क | 2,83.02 | मुख्यतः विद्युत् के उपयोग और बिक्री पर कर के अंतर्गत कम प्राप्तियों के कारण। |

विवरण संख्या 1 -- जारी

वर्ष 2008-09 के दौरान राजस्व व्यय (2,95,13.88 करोड़ रुपये) में गत वर्ष 2007-08 (2,56,01.11 करोड़ रुपये) की तुलना में 39,12.77 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। वृद्धि मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

| लेखे का मुख्य शीर्ष | 2007-08 की तुलना में वृद्धि (करोड़ रुपये में) | वृद्धि के कारण |
|---|---|--|
| 2039- राज्य उत्पाद शुल्क | 1,08.88 | स्थापना व्यय में वृद्धि के कारण। |
| 2055-पुलिस | 2,55.94 | सामान्य व्यय (जिला स्थापना) में वृद्धि के कारण। |
| 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | 4,68.76 | पेंशन तथा सहायक लाभों में वृद्धि के कारण। |
| 2202- सामान्य शिक्षा | 11,22.05 | सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक विद्यालयों, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में स्थापना-उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा शिक्षा कर्मियों पर अधिक व्यय के कारण। |
| 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 1,69.81 | जिला चिकित्सालयों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अधिक व्यय के कारण। |
| 2217- शहरी विकास | 1,10.77 | जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन पर अधिक व्यय के कारण। |
| 2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 1,17.70 | विशेष पिछड़े आदिवासियों के विकास पर अधिक व्यय के कारण। |
| 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 3,22.16 | राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा मुख्य मंत्री श्रमिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत अधिक व्यय के कारण। |
| 2401- फसल कृषि-कर्म | 96.28 | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना नाम की एक नई योजना शामिल करने के कारण। |
| 2408- खाद्य भण्डारण एवं भाण्डागार | 4,36.83 | गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के लिये खाद्य योजना नाम की नई योजना शामिल करने के कारण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य अनाज के प्रापण के लिये प्रोत्साहन राशि दिये जाने के कारण। |
| 2505- ग्रामीण रोजगार | 1,68.56 | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर अधिक व्यय के कारण। |
| 2801- बिजली | 3,53.05 | मुख्यतः एम.पी.ई.बी. को टैरिफ अनुदान के अधीन तथा किसानों के बकाया देयकों के निराकरण हेतु प्रोत्साहन अनुदान पर अधिक व्यय के कारण। |

विवरण संख्या 1 -- समाप्त

| लेखे का मुख्य शीर्ष | 2007-08 की तुलना में वृद्धि (करोड़ रुपये में) | वृद्धि के कारण |
|--|--|--|
| 3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन | 2,10.61 | शहरी स्थानीय निकायों को प्रवेश कर की प्राप्ति राशि के समतुल्य सहायता अनुदान भुगतान किये जाने तथा वाणिज्यिक कर पर अधिभार वसूली हेतु भुगतान के कारण। |

व्यय की उपरोक्त वृद्धि मुख्यतः निम्नलिखित में कमी के द्वारा अंशतः प्रति -संतुलित हुईः.

| लेखे का मुख्य शीर्ष | 2007-08 की तुलना में कमी (करोड़ रुपये में) | कमी के कारण |
|---|---|---|
| 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क | 1,00.32 | विद्युत विकास उपकर की न्यून राशि विद्युत विकास निधि को अंतरण करने के कारण। |
| 2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम | 1,60.12 | पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष योजना के अंतर्गत निरंक व्यय के कारण। |
| 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम | 1,69.81 | जल आपूर्ति तथा सफाई के स्रोतों में सुधार योजना के अंतर्गत तथा ग्राम पंचायतों की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं पर कम व्यय के कारण। |

विवरण संख्या 2-राजस्व लेखे के बाहर पूंजीगत परिव्यय-2008-09 के अंत तक का प्रगामी पूंजीगत परिव्यय

| क्रम संख्या | मुख्य लेखा शीर्ष | 2007-08 के अंत तक व्यय | 2008-09 के दौरान व्यय (लाख रुपये में) | योग |
|--|---|------------------------|--|-------------------|
| क-- सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा-- | | | | |
| 1. | 4055--पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | 1,04,85.32 | 23,70.33 | 1,28,55.65 |
| 2. | 4058--लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय | 1,71.89 | .. | 1,71.89 |
| | | 10,10.78 | | 10,10.78 |
| 3. | 4059--लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | 4,08,16.57 | 1,01,17.92 | 5,09,34.49 |
| | | 2,42,92.23 | | 2,42,92.23 |
| 4. | 4070--अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 19,36.46 | .. | 19,36.46 |
| | | 18.84 | | 18.84 |
| योग--क--सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा | | 5,34,10.24 | 1,24,88.25 | 6,58,98.49 |
| | | 2,53,21.85 | | 2,53,21.85 |
| ख-- सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-- | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा-- | | | | |
| 5. | 4202--शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | 3,46,14.45 | 2,46,53.76 | 5,92,68.21 |
| | | 5,48,14.81 | | 5,48,14.81 |
| योग--(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा | | 3,46,14.45 | 2,46,53.76 | 5,92,68.21 |
| | | 5,48,14.81 | | 5,48,14.81 |
| (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-- | | | | |
| 6. | 4210--चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | 5,03,98.59 | 68,10.08 | 5,72,08.67 |
| | | 1,53,26.92 | | 1,53,26.92 |
| 7. | 4211--परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 8,53.22 | 9.52 | 8,62.74 |
| | | 61,25.81 | | 61,25.81 |
| योग--(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा | | 5,12,51.81 | 68,19.60 | 5,80,71.41 |
| | | 2,14,52.73 | | 2,14,52.73 |
| (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-- | | | | |
| 8. | 4215--जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय | 18,03,50.11 | 5,60,62.07 | 23,64,12.18 |
| | | 33,65.64 | | 33,65.64 |
| 9. | 4216--आवास पर पूंजीगत परिव्यय | 34,54.76 | 30,20.42 | 64,75.18 |
| | | 1,67,93.05 | | 1,67,93.05 |
| 10. | 4217--शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | 7,58,74.96 | 52,06.08 | 8,10,81.04 |
| | | 1,09,28.43 | | 1,09,28.43 |
| योग--(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा | | 25,96,79.83 | 6,42,88.57 | 32,39,68.40 |
| | | 3,10,87.12 | | 3,10,87.12 |

मोटे अंक म.प्र. में रोके गए शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन होना है।

विवरण संख्या 2--जारी

| क्रम संख्या | मुख्य लेखा शीर्ष | 2007-08 के अंत तक व्यय | 2008-09 के दौरान व्यय (लाख रुपये में) | योग |
|--------------|---|------------------------|--|--------------------|
| ख-- | सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा--समाप्त | | | |
| (घ) | सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा-- | | | |
| 11. | 4220-सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय | 13.46 | .. | 13.46 |
| | | 3,18.29 | | 3,18.29 |
| | योग--(घ) सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा | 13.46 | .. | 13.46 |
| | | 3,18.29 | | 3,18.29 |
| (ड.) | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-- | | | |
| 12. | 4225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 9,74,53.29 | 2,75,92.66 | 12,50,45.95 |
| | | 5,41,59.26 | | 5,41,59.26 |
| | योग--(ड.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा | 9,74,53.29 | 2,75,92.66 | 12,50,45.95 |
| | | 5,41,59.26 | | 5,41,59.26 |
| (च)-- | समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा-- | | | |
| 13. | 4235--सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 57,25.36 | 55,37.34 | 1,12,62.70 |
| | | 2,31,85.35 | | 2,31,85.35 |
| | योग--(च) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा | 57,25.36 | 55,37.34 | 1,12,62.70 |
| | | 2,31,85.35 | | 2,31,85.35 |
| (छ) | अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा-- | | | |
| 14. | 4250--अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 12,12.32 | 6,15.70 | 18,28.02 |
| | | 13,98.30 | | 13,98.30 |
| | योग--(छ) अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा | 12,12.32 | 6,15.70 | 18,28.02 |
| | | 13,98.30 | | 13,98.30 |
| | योग--ख--सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा | 44,99,50.52 | 12,95,07.63 | 57,94,58.15 |
| | | 18,64,15.86 | | 18,64,15.86 |
| ग-- | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-- | | | |
| (क)-- | कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा-- | | | |
| 15. | 4401--फसल कृषि -कर्म पर पूंजीगत परिव्यय | 9,27.00 | .. | 9,27.00 |
| | | 36,32.05 | | 36,32.05 |
| 16. | 4402--मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय | 1,04,07.01 | .. | 1,04,07.01 |
| | | 1,18,24.36 | | 1,18,24.36 |

मोटे अंक म.प्र. में रोके गए शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन होना है।

विवरण संख्या 2--जारी

| क्रम संख्या | मुख्य लेखा शीर्ष | 2007-08 के अंत तक व्यय | 2008-09 के दौरान व्यय (लाख रुपये में) | योग |
|-------------|---|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| ग-- | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा--जारी | | | |
| (क)-- | कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा--समाप्त | | | |
| 17. | 4403--पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय | 11,45.73 9,69.43 | 85.90 | 12,31.63 9,69.43 |
| 18. | 4404--डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | 0.09 7,48.73 | .. | 0.09 7,48.73 |
| 19. | 4405--मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय | 8,38.13 1,52.78 | 33.76 | 8,71.89 1,52.78 |
| 20. | 4406--वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय | 48,46.10 1,63,74.03 | 24,51.00 | 72,97.10 1,63,74.03 |
| 21. | 4408--खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय | 45,17.54 79,42.41 | 7,50.08 | 52,67.62 79,42.41 |
| 22. | 4415--कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय | 48.98 1,91.45 | .. | 48.98 1,91.45 |
| 23. | 4425--सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय | 1,49,31.36 3,32,55.81 | 9,95.28 | 1,35,26.62(क) 3,32,55.81 |
| 24. | 4435--अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | 1,83.38 8,41.59 | .. | 1,83.38 8,41.59 |
| | योग--(क) कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा | 3,78,45.32 7,59,32.64 | 43,16.02 | 3,97,61.32(क) 7,59,32.64 |
| (ख) | ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा-- | | | |
| 25. | 4515--अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | 21,80,77.39 7,13,95.15 | 4,60,80.77 | 26,41,58.16 7,13,95.15 |
| | योग--(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा | 21,80,77.39 7,13,95.15 | 4,60,80.77 | 26,41,58.16 7,13,95.15 |
| (घ) | सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-- | | | |
| 26. | 4700-- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | 90,01,91.35 2,87,76.78 | 15,12,67.25 | 1,05,14,58.60 2,87,76.78 |
| 27. | 4701-- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | 15,33,34.37 10,44,74.97 | 1,45,44.89 | 16,78,79.26 10,44,74.97 |
| 28. | 4702--लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | 19,20,32.30 18,56,11.59 | 4,59,75.17 | 23,80,07.47 18,56,11.59 |
| 29. | 4705--कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय | 1,17,69.17 40.34 | 11,46.65 | 1,29,15.82 40.34 |

मोटे अंक म.प्र. में रोके गए शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन होना है।

(क) पूंजी निवृत्ति/विनिवेश के कारण वर्ष के अंतशेष से 24,00.02 लाख रुपये की राशि प्रोफार्मा कम की गई।

विवरण संख्या 2--जारी

| क्रम संख्या | मुख्य लेखा शीर्ष | 2007-08 के अंत तक व्यय | 2008-09 के दौरान व्यय (लाख रुपये में) | योग |
|-------------|---|-------------------------------------|--|--|
| ग-- | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा--जारी | | | |
| (घ) | सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-समाप्त | | | |
| 30. | 4711--बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 32,28.03 17,62.22 | 12,64.94 | 44,92.97 17,62.22 |
| | योग--(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा | 1,26,05,55.22 32,06,65.90 | 21,41,98.90 | 1,47,47,54.12 32,06,65.90 |
| (ड.) | ऊर्जा का पूंजीगत लेखा- | | | |
| 31. | 4801--बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 92,30,72.37 3,12,78.43 | 9,07,01.03 | 1,01,37,73.40 3,12,78.43 |
| | योग--(ड.)--ऊर्जा का पूंजीगत लेखा | 92,30,72.37 3,12,78.43 | 9,07,01.03 | 1,01,37,73.40 3,12,78.43 |
| (च) | उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा-- | | | |
| 32. | 4851--ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | 86,82.40 2,15,35.62 | 8,53.45 | 95,35.85 2,15,35.62 |
| 33. | 4852--लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | .. 35.04 | .. | .. 35.04 |
| 34. | 4853--अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | 1,17.79 5,18.70 | 4.76 | 1,22.55 5,18.70 |
| 35. | 4854--सीमेंट तथा धातु रहित खनिज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | .. 3.33 | .. | .. 3.33 |
| 36. | 4858--इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | 9.43 5.39 | .. | 9.43 5.39 |
| 37. | 4860--उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | .. 11,95.51 | .. | .. 11,95.51 |
| 38. | 4875--अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | 1,94,49.68 45,58.75 | 1,40.00 | 1,95,89.68 45,58.75 |
| 39. | 4885--उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय | 3,80,72.91 41,49.38 | 21,91.13 [@] | 4,02,41.85 ^(अ) 41,49.38 |
| | योग--(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा | 6,63,32.21 3,20,01.72 | 31,89.34 | 6,94,99.36 3,20,01.72 |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा-- | | | |
| 40. | 5053--नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय | 1,01,99.97 6,69.95 | 11,63.77 | 1,13,63.74 6,69.95 |

मोटे अंक म.प्र. में रोके गए शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन होना है।

(अ) पृष्ठ 322 पर पाद टिप्पणी (बा) देखें।

@ पृष्ठ 290 पर पाद टिप्पणी @ देखें।

विवरण संख्या 2--जारी

| क्रम संख्या | मुख्य लेखा शीर्ष | 2007-08 के अंत तक व्यय | 2008-09 के दौरान व्यय (लाख रुपये में) | योग |
|-------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| ग-- | आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा--समाप्त | | | |
| (छ) | परिवहन का पूंजीगत लेखा--समाप्त | | | |
| 41. | 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | 54,21,84.99 11,65,07.21 | 16,37,37.10 | 70,59,22.09 11,65,07.21 |
| 42. | 5055--सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय | 6,50.00 1,41,65.80 | .. | 6,50.00 1,41,65.80 |
| | योग--(छ)--परिवहन का पूंजीगत लेखा | 55,30,34.96 13,13,42.96 | 16,49,00.87 | 71,79,35.83 13,13,42.96 |
| (झ) | विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा-- | | | |
| 43. | 5425--अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय | 2,00.00 | 8,00.00 | 10,00.00 |
| | योग--(झ)--विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा | 2,00.00 | 8,00.00 | 10,00.00 |
| (ञ) | सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-- | | | |
| 44. | 5452--पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय | 1,15,88.76 30,33.16 | 51,32.23 | 1,67,20.99 30,33.16 |
| 45. | 5465--सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश | .. 3.69 | .. | .. 3.69 |
| 46. | 5475--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 17.67 14,83.17 | .. | 17.67 14,83.17 |
| | योग--(ञ) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा | 1,16,06.43 45,20.02 | 51,32.23 | 1,67,38.66 45,20.02 |
| | योग--ग--आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा | 3,07,07,23.90 66,71,36.82 | 52,93,19.16 | 3,59,76,20.85 66,71,36.82 |
| | महायोग | 3,57,40,54.66 87,88,74.53 | 67,13,15.04 | 4,24,29,77.49 87,88,74.53 |

व्याख्यात्मक टिप्पणी

1. 2008-09 में सरकार ने सांविधिक निगमों (5,70.67 करोड़ रुपये), सरकारी कम्पनियों (2,40.95 करोड़ रुपये), संयुक्त पूंजी कम्पनियों और बैंकों (निरंक) तथा सहकारी संस्थाओं (10.95 करोड़ रुपये) में कुल 8,22.57 करोड़ रुपये अंश पूंजी में निवेशित किये।

2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के अंत में सरकार का विभिन्न प्रतिष्ठानों की अंश पूंजी में कुल निवल निवेश क्रमशः 81,61.71 करोड़ रुपये, 88,44.99 करोड़ रुपये तथा 96,43.35(*)करोड़ रुपये था जिसमें एकीकृत म.प्र. राज्य से संबंधित 10,82.58 (*)करोड़ रुपये का शेष सम्मिलित है, जिनका मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन होना है। निवेश से प्राप्त लाभांश क्रमशः 14.44 करोड़ रुपये (0.18 प्रतिशत), 59.23 करोड़ रुपये (0.67 प्रतिशत) तथा 69.05 करोड़ रुपये (0.72 प्रतिशत) था।

अन्य ब्यौरे विवरण संख्या 14 तथा परिशिष्ट-I में दिये गए हैं।

मोटे अंक म.प्र. में रोके गए शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन होना है।

(क) पृष्ठ 27 पर पाद टिप्पणी (क) देखें।

(ख) पृष्ठ 322 पर पाद टिप्पणी (बा) देखें।

(*) पृष्ठ 322 पर पाद टिप्पणी (बा),(क) तथा @ देखें।

विवरण संख्या 2--समाप्त

व्याख्यात्मक टिप्पणी--समाप्त

2. 31 मार्च 2009 को सात राज्य व्यापार योजनायें यथा तेंदू पत्तों का क्रय-विक्रय, लघु वनोपज, इमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार, बांसों का राजकीय व्यापार, साल बीज, खैर तथा अन्न प्रदाय योजना और चार दुग्ध आपूर्ति योजनाएं थीं ।

इन उपक्रमों/योजनाओं के प्रोफार्मा लेखे प्रत्येक के सामने दर्शाये गए वर्ष से बकाया थे (जून 2009) ।

(i) वन विभाग:-

| | |
|-------------------------------------|---------|
| (का) तेंदू पत्ते का क्रय तथा विक्रय | |
| (खा) लघु वनोपज | |
| (गा) इमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार | 1983-84 |
| (घा) बांसों का राजकीय व्यापार | |
| (ङ) साल बीज | |
| (चा) खैर | |

वर्ष 1979-80 से 1982-83 के प्रोफार्मा लेखे और लेखाओं की सत्य तथा स्वच्छ छवि प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण अधोलिखित कारणों से लेखे प्रमाणित नहीं किए जा सके :-

(1) जमा और नामे के प्रारम्भिक शेष में 7,32.92 लाख रुपये का अंतर था ।

(2) सभी संभागों के विक्रय, भण्डार, देनदार, लेनदार दायित्व से संबंधित लेन-देन के लेखा संवरित नहीं हैं । अभिकर्ताओं के माध्यम से क्रय एवं व्यय-पत्रक लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए ।

(3) लेखे से यह भी निदर्शित नहीं होता है कि बतौर राज्य सरकार के अभिकर्ता के रूप में मध्य प्रदेश निर्यात निगम के लेन-देनों को प्रोफार्मा लेखे में सम्मिलित करने हेतु मान्य किया गया है ।

(4) निर्धारित संपत्ति अनुसूची में दर्शित द्वास की तुलना में निवल राजस्व लेखा के द्वास के प्रभार के कारण 17.97 लाख रुपये का अंतर था ।

(5) चोरी/आग के कारण हुई हानि राशि रु. 0.78 लाख 4 वर्षों के दौरान मार्च 1983 के अंत तक लेखाओं में नहीं ली गई हैं (बालाघाट वृत्त) ।

(6) मूल्य पर या बाजार दर की सीमा जो भी कम हो, की स्थिति में मूल्यांकित अंतिम भंडार खाता 1,56.85 लाख रुपये के मूल्य की सीमा तक अधिमूल्यांकित किया गया ।

(7) लेखा परीक्षा शुल्क हेतु देय विक्रय-कर एवं अनुमुक्त दायित्व, दायित्व में प्रतिबिंबित नहीं होते हैं। (जून 2009)।

(ii) खाद्य विभाग:-

अन्न प्रदाय योजना 1974-75

1969-70 तक के प्रारूप लेखाओं की अप्राप्ति के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 1975-76, 1978-79 एवं 1982-83 के प्रतिवेदन (सिविल) की कंडिका क्रमशः 7.2, 7 एवं 7.2 में उल्लेख किया गया था । 1982-83 के पूर्वोक्त प्रतिवेदन की कंडिका 7.2 में यह भी उल्लेख किया गया था, कि वर्ष 1970-71 से 1973-74 हेतु योजना के प्रोफार्मा लेखे इसलिए प्रमाणित नहीं किए जा सके, क्योंकि यह लेखे उन विभागीय आंकड़ों पर आधारित थे जिनका महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों के आंकड़ों से मिलान नहीं किया गया था । लोक लेखा समिति ने अपने 57वें प्रतिवेदन में मत व्यक्त किया (मार्च 1984) कि 1956-57 से पुनर्मिलान किए गए आंकड़ों पर आधारित प्रोफार्मा लेखे तैयार न करने में विभाग ने उदासीनता दर्शायी है और अनुशंसा की (मार्च 1984) कि पुनर्मिलान किए गए आंकड़ों पर आधारित लेखे 1956-57 से तुरन्त प्रस्तुत किए जाने चाहिए । फरवरी एवं सितम्बर 1988 में निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति से पहल की गई । लेखा परीक्षा को वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने में उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की । 1973-74 तक के प्रारूप लेखे एवं 1974-75 तथा आगे के प्रोफार्मा लेखे अभी तक प्रतीक्षित हैं (जून 2009) ।

(iii) दुग्ध आपूर्ति योजनायें:-

भोपाल तथा इंदौर स्थित दुग्ध प्रदाय योजनाओं का प्रबंध । जनवरी 1979 से मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम मर्यादित को हस्तांतरित किया गया और उसमें भी ग्वालियर तथा जबलपुर स्थित दुग्ध योजनाओं को 9 फरवरी 1981 से मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास महासंघ (सहकारी) मर्यादित को हस्तांतरित कर दिया गया था । तुलना शेषों में अंतर के कारण इन योजनाओं के प्रोफार्मा लेखे प्रमाणित नहीं किये जा सके, बड़ी राशियां उर्चत में रखी गईं तथा मूल अभिलेख गुम हो गये ऐसा सूचित किया गया । योजना हस्तांतरण की निबन्धन तथा शर्तें और सरकार द्वारा हस्तांतरित परिसम्पत्तियों के मूल्य को अभी अंतिम रूप दिया जाना है । प्रकरण सरकार को सूचित किया गया, उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2009)।

विवरण संख्या 3--सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

| (लाख रुपये में) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------|------|---------------------------------|------------|------|-------------------------------|------------|------|---|--------------------------|---|------|---|--|------------------------------------|---|--|
| स. क्र. | परियोजना का नाम | वर्ष के दौरान पूंजीगत परिव्यय | | | वर्ष के अन्त तक पूंजीगत परिव्यय | | | वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्ति | | | वर्ष के दौरान राजस्व का छेड़ना/ राजस्व की छूट | वर्ष के दौरान कुल राजस्व | वर्ष के दौरान कार्यचालन व्यय और रखरखाव प्रभार | | | व्याज का छेड़कर निवृत्त राजस्व | व्याज के बाद निवृत्त लाभ अथवा हानि | | |
| | | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | जोड़ | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | जोड़ | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | जोड़ | | प्रत्यक्ष | अप्रत्यक्ष | जोड़ | व्यय के ऊपर राजस्व अधिशेष अथवा राजस्व के ऊपर खर्च की अधिकता | वर्ष के अन्त में पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर | पूंजीगत परिव्यय पर व्याज | व्यय के ऊपर राजस्व अधिशेष अथवा राजस्व के ऊपर खर्च की अधिकता | वर्ष के अन्त में पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर |

जानकारी अप्राप्त

विद्युत योजनाओं के वित्तीय परिणाम

| (लाख रुपये में) | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| स. क्र. | परियोजनाओं के नाम | प्रत्यक्ष पूंजीगत परिव्यय | | वर्ष के दौरान सकल राजस्व | कार्यचालन खर्च | | | व्याज का छेड़कर निवृत्त राजस्व | पूंजीगत परिव्यय पर व्याज | व्याज के बाद लाभ या हानि | |
| | | वर्ष के दौरान | वर्ष के अन्त में | | मूल्य ह्रास | प्रत्यक्ष कार्यचालन खर्च | कुल कार्यचालन खर्च | व्यय से राजस्व का अधिक(+) या राजस्व से अधिक व्यय(-) | वर्ष के अन्त में पूंजीगत परिव्यय पर दर प्रतिशत | व्यय से अधिक राजस्व(+) या राजस्व से अधिक व्यय (-) | वर्ष के अन्त में पूंजीगत परिव्यय पर दर प्रतिशत |

जानकारी अप्राप्त

सिंचाई विभाग के प्रशासनिक लेखे को उत्पादक या अनुत्पादक के अंतर्गत श्रेणीबद्ध करने का आधार यह है, कि निर्माण प्राक्कलनों की समाप्ति की तारीख से दस वर्ष बाद प्रत्येक निर्माण कार्य से प्राप्त होने वाला निवृत्त राजस्व (कुल राजस्व में से कार्यपालन व्यय काटकर) निवेशित पूंजी पर निर्धारित वार्षिक ब्याज प्रभारों को पूरा करता है या नहीं।

चूंकि पूंजी और राजस्व लेखे तैयार करने के लिये पूरी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई इसलिये 1959-60 तथा उसके बाद के लेखे अभी तक तैयार नहीं किये जा सके। नवम्बर 1963 में लेखा परीक्षा ने राज्य सरकार को निम्नलिखित सुझाव दिए:--

- (i) छोटे निर्माण कार्यों (15 लाख रुपये तक की लागत वाले) के प्रोफार्मा लेखे तैयार करने की आवश्यकता नहीं है;
- (ii) मध्यम निर्माण कार्यों (15 लाख रुपये और 5 करोड़ रुपये के बीच की लागत वाले) के लेखे पांच वर्ष में एक बार तैयार किए जाएं; और
- (iii) बड़े निर्माण कार्यों (5 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले) के लेखे प्रति वर्ष तैयार किए जाएं।

सरकार ने इन सुझावों को जून 1969 में स्वीकार कर लिया फिर भी उन परियोजनाओं के निर्माण कार्य जिनके प्रशासकीय लेखे तैयार किए जाना आवश्यक है, की सूची प्रमुख अभियंता द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही अगस्त 1971 में लेखा परीक्षा द्वारा सुझाई गई प्रयोजनात्मक सूची की राज्य सरकार द्वारा अब तक पुष्टि की गई है। प्रत्येक परियोजनाओं/निर्माण कार्यों से संबंधित विवरण, जैसे परियोजनाओं/निर्माण कार्यों को पूर्ण करने की तिथि, सिंचाई हेतु पानी देने की तिथि, सृजित और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता, उगाहा गया, परित्यक्त या छूट में दिया गया राजस्व आदि के विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, और कई मामलों में पूंजीगत परिव्यय के दर्शाये गए आंकड़े, लेखा आंकड़ों से भी नहीं मिलते हैं। जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता और सरकार से मामले पर अनुसरण करने के बावजूद प्रशासकीय लेखे तैयार करने के लिये संपूर्ण आंकड़े विभाग से अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं (जून 2009)।

विवरण संख्या 4--ऋण की स्थिति
(i) उधार ली गई राशियों का विवरण

| ऋण का प्रकार | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान प्राप्तियां | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | 31 मार्च 2009 को राशि | निवल वृद्धि (+) कमी (-) |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. लोक ऋण -- | | | | | |
| | | | | | (करोड़ रुपये में) |
| राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-- | | | | | |
| (का) बाजार कर्जे | 1,26,46.45 | 44,95.25 | 5,37.89 | 1,66,03.81 | (+)39,57.36 |
| (खा) भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्जे | 1,49.83 | 1.29 | 11.33 | 1,39.79 | (-) 10.04 |
| (गा) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्जे | 20,38.42 | 7,52.21 | 2,27.21 | 25,63.42 | (+) 5,25.00 |
| (घा) भारतीय सामान्य बीमा निगम से कर्जे | 16.57 | .. | 1.42 | 15.15 | (-) 1.42 |
| (डा) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से कर्जे | 32.97 | 36.91 | 12.42 | 57.46 | (+) 24.49 |
| (चा) क्षतिपूर्ति एवं अन्य बाँड | 32,63.39 | .. | 4,07.86 | 28,55.53 | (-)4,07.86 |
| (छा) भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से कर्जे | 1,21.96 | .. | 0.24 | 1,21.72 | (-) 0.24 |
| (जा) अन्य संस्थाओं से कर्जे | 6,88.51 | 23.85 | 1,02.04 | 6,10.32 | (-) 78.19 |
| (झा) भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियां | .. | 19.01 | 19.01 | .. | .. |
| (जा) केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां | 1,43,00.39 | 70.77 | 1,96.73 | 1,41,74.43 | (-) 1,25.96 |
| योग--राज्य सरकार का आंतरिक ऋण | 3,32,58.49 | 53,99.29 | 15,16.15 | 3,71,41.63 | (+) 38,83.14 |
| केन्द्र सरकार से कर्जे और पेशगियां | 87,81.85 | 11,53.68 | 4,44.86 ^(#) | 94,90.67 | (+) 7,08.82 |
| योग--लोक ऋण | 4,20,40.34 | 65,52.97 | 19,61.01 | 4,66,32.30 | (+) 45,91.96 |
| 2. अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि | 72,74.99 | 13,87.23 | 11,83.52 | 74,78.70 | (+) 2,03.71 |
| | 5,61.49 | | | 5,61.49 | |
| योग--ऋण | 4,93,15.33 | 79,40.20 | 31,44.53 | 5,41,11.00 | (+) 47,95.67 |
| | 5,61.49 | | | 5,61.49 | |

(#) भारत सरकार से बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अधीन राज्य को ऋण समेकितकरण तथा राहत सुविधा के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त 3,63.06 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं ।

(1) सरकार से कर्मचारीवार/स्थितिवार विवरण प्राप्त नहीं होने के कारण म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य अभी तक अनुभाजित न हुए शेषों को दर्शाता है ।

विवरण संख्या 4--जारी

(i) उधार ली गई राशियों का विवरण -जारी

वर्ष के अंत में विभिन्न बाजार कर्जों में अंशदान के बतौर निक्षेप (मुख्य शीर्ष 8449-अन्य जमा) निरंक था। पावती-पत्र जारी किये जाने पर यह राशि लोक ऋण को अन्तर्गत की जायेगी।

राज्य विधान मण्डल ने संविधान के अनुच्छेद 293 के अधीन ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया है, जो उन सीमाओं को निर्धारित करता हो, जिनके अन्तर्गत सरकार राज्य की समेकित निधि की जमानत पर उधार ले सके।

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. वर्ष के दौरान राज्य सरकार की ऋण ग्रस्तता में 47,95.67 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।
2. कर्जों और अन्य ऋणों के पूर्ण ब्यौरे विवरण संख्या 17 में उपलब्ध हैं।
3. राज्य सरकार का आंतरिक ऋण--इसमें खुले बाजार से लिए गए दीर्घकालीन कर्ज, स्रोत अन्तरों को पूरा करने के लिये अस्थाई रूप की उधारियां और सरकार द्वारा स्वशासी निकायों से प्राप्त किए गए कर्ज सम्मिलित हैं।

खुले बाजार से ऋण--सरकार द्वारा खुले बाजार से लिए गए वे समस्त ऋण जो बारह मास से अधिक समय तक चालू रहते हैं, इस श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान सरकार ने निम्न लिखित कर्ज जारी किए :- 6,25.00 करोड़ रुपये (8.30 प्रतिशत मध्यप्रदेश सरकार स्टॉक, 2018), 9,00.00 करोड़ रुपये (6.00 प्रतिशत मध्यप्रदेश सरकार स्टॉक 2019), 8,85.00 करोड़ रुपये (7.00 प्रतिशत मध्यप्रदेश सरकार स्टॉक 2019), 10,75.00 करोड़ रुपये (7.77 प्रतिशत मध्यप्रदेश सरकार स्टॉक 2019) तथा 10,10.25 करोड़ रुपये (8.40 प्रतिशत मध्यप्रदेश सरकार स्टॉक 2019) रुपये के सममूल्य कर्ज जारी किये। कर्ज पर क्रमशः 8.30, 6.00, 7.00, 7.77 तथा 8.40 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय है और अंकित मूल्य पर क्रमशः 2018, 2019, 2019, 2019 तथा 2019 में विमोच्य है। अभिवत्त राशि 44,95.25 करोड़ रुपये (रोकड 44,95.25 करोड़ रुपये, पुनर्भुगतान के कारण हुए ऋण परिवर्तन से निरंक रुपये) थी।

वर्ष 2008-09 के दौरान 12.15 प्रतिशत म.प्र. राज्य विकास कर्ज 2008, 11.50 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास कर्ज 2008 तथा 12.50 प्रतिशत म.प्र.राज्य विकास कर्ज 2008 उन्मोचित हुए। वर्ष के अंत में इन कर्जों के विरुद्ध क्रमशः 0.00 करोड़ रुपये, 0.07 करोड़ रुपये तथा 0.00 करोड़ रुपये के शेष को छोड़ते हुए वर्ष के दौरान क्रमशः 2,53.57 करोड़ रुपये, 59.25 करोड़ रुपये तथा 2,24.99 करोड़ रुपये का कुल पुनर्भुगतान किया गया था।

अल्प कालीन उधारियां--इस श्रेणी के ऋण में बारह मासों के अन्दर प्रतिदेय पूर्णतः अस्थाई प्रकार की उधारियां, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियां सम्मिलित हैं।

वर्ष के आरंभ में अर्थोपाय पेशगियों के अंतर्गत निरंक शेष था। वर्ष के अंत में निरंक शेष छोड़ते हुए, वर्ष के दौरान 19.01 करोड़ रुपये प्राप्त तथा पुनर्भुगतान किए गए। वर्ष के दौरान 0.01 करोड़ रुपये का ब्याज का भुगतान किया गया था।

आगामी ब्यौरे विवरण संख्या 7 में दिए गए हैं।

स्वायत्त निकायों से कर्ज--उधारियों की इस श्रेणी में विभिन्न स्वायत्त निकायों जैसे कि भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, आवास और नगरीय विकास निगम तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना मंडल तथा क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉण्ड से प्राप्त किये गए कर्ज सम्मिलित हैं।

वर्ष के दौरान सरकार ने ऐसे निकायों से 8,14.26 करोड़ रुपये कर्ज के रूप में प्राप्त किए और 7,62.52 करोड़ रुपये चुकाए। 31 मार्च 2009 के अंत में इस प्रकार के बकाया कर्जों का शेष 63,63.39 करोड़ रुपये था। विभिन्न स्वायत्त निकायों से प्राप्त कर्जों पर सरकार ने 5,54.72 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में भुगतान किये।

मार्च 2009 के अंत में सरकार ने 1,41,74.43 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्पबचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां के अंतर्गत रखे तथा 13,95.57 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में भुगतान किये।

स्वायत्त निकायों से प्राप्त कर्जों के पूर्ण ब्यौरे विवरण संख्या 17 के अनुलग्नक में दिए गए हैं।

भारत सरकार से कर्ज--31 मार्च 2009 को भारत सरकार से प्राप्त कर्ज कुल लोक ऋण के 20.35 प्रतिशत थे।

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से लिए गए कर्जों के ब्यौरे विवरण संख्या 17 में दिए गए हैं।

वर्ष के दौरान भारत सरकार से कर्ज के रूप में 11,53.68 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने वर्ष 2008-09 के दौरान कर्ज चुकाने में 4,44.86 करोड़ रुपये और ब्याज के कारण 6,92.91 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

विवरण संख्या 4--जारी

(i) उधार ली गई राशियों का विवरण--समाप्त

पुनर्वासित एवं विस्थापित व्यक्तियों आदि के कर्जों के प्रकरणों में 1974 के पूर्व के कर्जों और पुनः प्रदत्त कर्जों की वसूलियां 1974-75 से 1983-84 के दौरान प्राप्त हुई एवं अधित्यागित की गई और 31 मार्च 1989 को बकाया शेष भारत सरकार के आदेशों के अन्तर्गत अपलिखित किया जाना है।

परिशोधन हेतु व्यवस्था--राज्य सरकार का दृष्टिकोण है कि उस स्थिति के अलावा जहां ऐसा करना अनिवार्य हो, भारत सरकार से प्राप्त कर्जों के परिशोधन हेतु व्यवस्था जहां ऐसी परिशोधन व्यवस्था के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त राजस्व स्रोत उपलब्ध हों, केवल राजस्व से करनी चाहिए। उन्होंने ऐसे किसी भी कर्जों के लिए परिशोधन व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा है।

अल्प बचत भविष्य निधियां आदि--2008-09 के अन्त तक यह शीर्ष जो सरकार के कुल कर्जों का 14.71 प्रतिशत था, में मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि और राज्य सरकार बीमा निधि की राशियां सम्मिलित हैं।

(ii) अन्य दायित्व

उपर्युक्त के अतिरिक्त, राज्य सरकार के दायित्व के अन्तर्गत पृथक् रक्षित तथा अन्य निधियों के जमा शेष तथा अन्य कुछ जमा राशियों के शेष भी उस सीमा तक आते हैं, जिस सीमा तक इनको निवेशित नहीं किया गया है, किन्तु सामान्य रोकड़ शेष में मिला दिया गया है। 2008-09 के अंत में ऐसे दायित्व की राशि 57,59.94 करोड़ रुपये नीचे दर्शाये अनुसार थी :-

| दायित्व का प्रकार | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान प्राप्तियां | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान | 31 मार्च 2009 को शेष | निवल वृद्धि (+) कमी (-) |
|--|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| (करोड़ रुपये में) | | | | | |
| ब्याज वाले दायित्व जैसे--राज्य विद्युत् मण्डल की जमा राशियां तथा उपभोक्ताओं से जमानत जमा | 5,61.88 ^(क) -2.38 | (-)1,31.44 ^(ख) | 26.02 | 4,04.42 -2.38 ⁽²⁾ | (-) 1,57.46 |
| बिना ब्याज वाले दायित्व, जैसे सिविल जमा, स्थानीय निधियों की जमा पृथक से रखी गई निधियां आदि | 48,48.21 1,02.46 | 83,76.84 | 79,69.61 | 52,55.44 1,02.46 ⁽³⁾ | (+)4,07.23 |
| योग | 54,10.09 1,00.08 | 82,45.40 | 79,95.63 | 56,59.86 1,00.08 | (+)2,49.77 |

अन्य ब्यौरे विवरण संख्या 16 और 19 में दिए गए हैं।

(iii) ऋण का चुकाना

(का) ऋण तथा अन्य दायित्वों पर ब्याज--बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्वों तथा 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान उनके लिए राजस्व से पूरे किए गए ब्याज प्रभारों की निवल राशियां नीचे दर्शाई गई हैं :-

| | 2007-08 | 2008-09 | वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (+) कमी (-) |
|--|-----------------------|------------|---|
| (करोड़ रुपये में) | | | |
| वर्ष के अन्त में बकाया सकल ऋण और अन्य दायित्व सरकार द्वारा दिया गया ब्याज-- | (4)(का) 5,53,86.99 | 6,04,32.43 | (+)50,45.44 |
| (i) लोक ऋण और अल्प बचत भविष्य निधियां आदि पर | 40,87.72 | 41,91.79 | (+) 1,04.07 |
| (ii) अन्य दायित्वों पर | 1,03.05 | 0.20 | (-) 1,02.85 |
| योग | 41,90.77 | 41,91.99 | (+) 1.22 |

(x) पृष्ठ 14 पर पाद टिप्पणी # देखें।

(2) सरकार से कर्मचारीवार विवरण प्राप्त न होने के कारण अभी तक म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य अनुभाजित न होने वाले शेषों को दर्शाता है।

(3) भारत सरकार का निर्णय लंबित होने के कारण म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य अनुभाजित न होने वाले शेषों को दर्शाता है।

(4) इसमें म.प्र. में रोके गये रुपये 6,61.57 करोड़ (रुपये 5,61.49 करोड़ + रुपये 1,00.08 करोड़) सम्मिलित हैं जैसा कि पृष्ठ 32 तथा 34 पर पाद टिप्पणी (1), (2) एवं (3) में वर्णित किया गया है।

(क) पृष्ठ 334 पर पाद टिप्पणी: (का) देखें।

विवरण संख्या 4--समाप्त

(iii) ऋण का चुकाना --समाप्त

| | 2007-08 | 2008-09 | निवल वृद्धि (+) कमी (-) |
|--|-------------------|----------|----------------------------|
| | (करोड़ रुपये में) | | |
| घटाएं--सरकार द्वारा प्राप्त ब्याज- | | | |
| (का) सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और पेशगियों पर प्राप्त ब्याज | | | |
| (1) मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल को दिए गए कर्जों पर ब्याज | .. | .. | .. |
| (2) अन्य कर्जों और पेशगियों पर ब्याज | 29.22 | 64.49 | (+) 35.27 |
| (खा) रोकड़ शेषों के निवेश पर प्राप्त ब्याज | 1,75.77 | 95.95 | (-)79.82 |
| योग -- (का) और (खा) | 2,04.99 | 1,60.44 | (-) 44.55 |
| ब्याज प्रभारों की निवल राशि | 39,85.78 | 40,31.55 | (+) 45.77 |
| 1. सकल ऋण से सकल ब्याज की प्रतिशतता | 7.57 | 6.94 | (-) 0.63 |
| 2. कुल राजस्व प्राप्तियों से सकल ब्याज की प्रतिशतता | 13.66 | 12.48 | (-) 1.18 |
| 3. कुल राजस्व प्राप्तियों से निवल ब्याज की प्रतिशतता | 12.99 | 12.01 | (-) 0.98 |

इसके अतिरिक्त कतिपय अन्य विविध ब्याज प्राप्तियां 2.84 करोड़ रुपये थी, और यदि इनको लेखे में लिया जाता है तो राजस्व पर ब्याज का निवल भार 40,28.71 करोड़ रुपये अथवा कुल राजस्व प्राप्तियों का 12.00 प्रतिशत होगा।

अवधि के दौरान सरकार को वाणिज्यिक और औद्योगिक उपक्रमों आदि में निवेश से लाभांश के रूप में 69.05 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

ऋण में कमी करने या परिहार के लिए विनियोग--1976-77 से जारी ऋणों हेतु अधिसूचित शर्तों की व्यवस्थाओं हेतु सरकार बाध्य नहीं है, अतः 2008-09 के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया।

विवरण संख्या-5--राज्य सरकार द्वारा दिये गए कर्ज और उधार
(i) कर्ज और उधारों के विवरण

| कर्ज और पेशगियों की श्रेणियां | 1 अप्रैल 2008 को बकाया शेष | वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | 31 मार्च 2009 को बकाया शेष | अवधि के दौरान निवल वृद्धि (+) या कमी (-) |
|--|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| (लाख रुपये में) | | | | | |
| च--कर्ज और उधार-- | | | | | |
| (1) सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज-- | | | | | |
| विविध सामान्य सेवायें | 9,45,93.68 | 27,14.50 | 1,65.00 | 9,71,43.18 | +25,49.50 |
| (2) सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज-- | | | | | |
| (i) शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति | 17,49.25 | 4,00.00 | 28.60 | 21,20.65 | +3,71.40 |
| (ii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 3,57.71 | .. | .. | 3,57.71 | .. |
| (iii) जलपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास | 12,96,96.11 | 2,30,38.95 | 17,09.79 | 15,10,25.27 | +2,13,29.16 |
| (iv) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 7,57.04 | .. | .. | 7,57.04 | .. |
| | 57.80 | | | 57.80 | |
| (v) समाज कल्याण एवं पोषाहार | 3,23.11 | .. | 20.01 | 3,03.10 | -20.01 |
| (vi) अन्य सामाजिक सेवाएं | 1,77.75 | .. | .. | 1,77.75 | .. |
| योग--(2) सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज | 13,30,60.97 | 2,34,38.95 | 17,58.40 | 15,47,41.52 | +2,16,80.55 |
| | 1,68,55.72 | | | 1,68,55.72 | |
| (3) आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज-- | | | | | |
| (i) कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप | 2,91,29.74 | 6,06.40 | 15,86.61 | 2,81,49.53 | -9,80.21 |
| | 81,92.42 | | | 81,92.42 | |
| (ii) ग्राम विकास | 1,59.58 | .. | .. | 1,59.58 | .. |
| (iii) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 14,78.16 | .. | 0.01 | 14,78.15 | -0.01 |
| (iv) ऊर्जा | 9,11,09.07 | 15,74,91.94 | .. | 24,86,01.01 | +15,74,91.94 |
| | 18,19,16.90 | | | 18,19,16.90 | |
| (v) उद्योग एवं खनिज | 1,40,50.93 | .. | 17,11.93 ^(x) | 1,23,39.00 | -17,11.93 |
| | 26,37.21 | | | 26,37.21 | |
| (vi) परिवहन | 35,98.01 | 18,84.00 | .. | 54,82.01 | +18,84.00 |
| | 23,17.50 | | | 23,17.50 | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है।

(x) मध्यप्रदेश वित्तीय निगम के कर्ज को निवेश में परिवर्तित किये गए 16,91.13 लाख रुपये सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 5 --जारी
(i) कर्जों और उधारों के विवरण --समाप्त

| कर्जों और पेशगियों की श्रेणियां | 1 अप्रैल 2008 को बकाया शेष | वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि | वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि | 31 मार्च 2009 को बकाया शेष | अवधि के दौरान निवल वृद्धि (+) या कमी (-) |
|--|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| (लाख रुपये में) | | | | | |
| च--कर्जों और उधार--समाप्त | | | | | |
| (3) आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जों--समाप्त | | | | | |
| (vii) सामान्य आर्थिक सेवाएं | 12.45 | .. | .. | 12.45 | .. |
| योग-(3) आर्थिक सेवाओं के लिए कर्जों | 13,95,25.49 | 15,99,82.34 | 32,98.55 | 29,62,09.28 | +15,66,83.79 |
| | 19,50,76.48 | | | 19,50,76.48 | |
| (4) सरकारी कर्मचारियों को कर्जों | -36,15.71 | 9.86 | 1,39.82 | -37,45.67 | -1,29.96 |
| | 68,11.89 | | | 68,11.89 | |
| (5) विविध उद्देश्यों के लिए कर्जों | 4.46 | .. | .. | 4.46 | |
| योग-च-कर्जों और उधार | 36,35,68.89 | 18,61,45.65 | 53,61.77 | 54,43,52.77 | +18,07,83.88 |
| | 21,87,44.09 | | | 21,87,44.09 | |

प्रत्येक कर्जों के ब्यौरेवार लेखे विवरण संख्या 1.8 में दिये गये हैं।

(ii) बकाया वसूलियां

कतिपय श्रेणी के कर्जों और पेशगियों के ब्यौरेवार लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा रखे जाते हैं जबकि अन्य लेखे राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा रखे जाते हैं।

(i) वे कर्जों, जिनके ब्यौरेवार लेखे राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा रखे जाते हैं :-

कर्जों और पेशगियों, जिनके ब्यौरेवार लेखे विभागीय अधिकारियों द्वारा रखे जाते हैं, के कर्जों और उधार की बकाया वसूली की पूरी जानकारी महालेखाकार को नहीं दी गई है।

अब तक (जून 2009) प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2009 को 29,01.86 करोड़ रुपये (मूलधन) की वसूली अदत्त थी। ब्यौरे नीचे दर्शाये गये हैं :-

| कर्ज का प्रकार | बाकीदारी के अन्तर्गत राशि | |
|---|---------------------------|-------|
| | मूलधन | ब्याज |
| | (लाख रुपये में) | |
| (1) चिकित्सा योजनाएं -- | | |
| (i) एलोपैथी - अन्य कर्जों | 7.73 | .. |
| (ii) आयुर्वेद आरोग्य धाम, चित्रकूट को कर्जों और पेशगियां | 3,49.98 | .. |
| (2) शिक्षा योजनाएं-- | | |
| तकनीकी शिक्षा, विश्वविद्यालय एवं अन्य उच्च शिक्षा हेतु कर्जों | 18,94.62 | (*) |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है।

(1) ऋणात्मक शेष, शेषों के अनुभाजन न होने के कारण है।

(*) बाकीदारी के ब्याज की स्थिति विषयक सूचना संबंधित विभागों से प्रतीक्षित है।

विवरण संख्या 5 --समाप्त
(ii) बकाया वसूलियां--समाप्त

| कर्ज का प्रकार | बाकीदारी के अन्तर्गत राशि | |
|--|---------------------------|--------------------------|
| | मूलधन | ब्याज (लाख रुपये में) |
| (3) ग्रामीण विकास योजनाएं-- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु कर्ज | 1,59.58 | (*) |
| (4) सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण -- (i) पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु कर्ज | 11.81 | (*) |
| (ii) (का) शिक्षित बेरोजगार एवं (खा) रोजगार उन्नत कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु कर्ज | 39.78 | (*) |
| (iii) अन्य विविध कर्ज | 2,51.51 | (*) |
| (5) अन्य सामाजिक सेवा योजनायें-- (i) शिक्षित बेरोजगारों को कर्ज | 29.55 | (*) |
| (ii) रोजगार एवं विशेष रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत कर्ज | 1,41.63 | (*) |
| (iii) अन्य विविध कर्ज | 6.57 | (*) |
| (6) विविध कर्ज-- (i) भूमिधारियों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को कर्ज | 0.35 | (*) |
| (ii) भूतपूर्व मध्यभारत और विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र की विलीनीकृत रियासतों द्वारा दिये गये कर्ज | 8.75 | (*) |
| योग | 29,01.86 | (*) |

कर्ज जिनके ब्यौरेवार लेखे लेखा कार्यालय द्वारा रखे जाते हैं :--

राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और पेशगियों में से जिनके ब्यौरेवार लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा रखे जाते हैं,
14,55,15.28 लाख रुपये (मूलधन) की वसूली मार्च 2009 के अंत तक बकाया थी ।

| | मूलधन | ब्याज (लाख रुपये में) |
|---------------------------|-------------|--------------------------|
| मार्च 2009 तक बकाया वसूली | 14,55,15.28 | @ |
| योग | 14,55,15.28 | .. |

(*) बाकीदारी के ब्याज की स्थिति विषयक सूचना संबंधित विभागों से प्रतीक्षित है ।

@ जानकारी प्रतीक्षित है ।

विवरण संख्या 6-- सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जों के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई गारंटी

सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, संयुक्त पूंजी कंपनियों, सहकारी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, फर्मों और व्यक्तियों आदि द्वारा लिए गए कर्जों जैसी कुछ देयताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्याभूति दी गई है। ये प्रत्याभूतियां राज्य के राजस्व पर आकस्मिक दायित्व हैं।

2. 31 मार्च 2009 को कुल प्रत्याभूति 1,19,91.33 करोड़ रुपये के लिए थी, जिनके विरुद्ध उसी दिनांक की गारंटीकृत राशियां और बकाया (प्राप्त हुई सूचना की सीमा तक) 19,10.46 करोड़ रुपये थी।

3. राज्य विधान मण्डल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया गया है जिसमें सरकार द्वारा राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर प्रत्याभूति देने के लिए सीमा निर्धारित की गई हो।

4. सरकार द्वारा बनाए गए नियमों (फरवरी 1977) के अनुसार गारंटी शुल्क प्रमुख कर्जदार से, यदि विशेष रूप से छूट न दी गई हो, प्रभारित किया जाता है। इस प्रकार उगाहे गये शुल्क की प्राप्ति भी सरकार के राजस्व में जमा की जाती है। वर्ष 2008-09 के दौरान प्रत्याभूति शुल्क के रूप में 1,23.96 लाख रुपये की राशि वसूल की गई तथा सरकारी लेखे में जमा की गई है।

5. वर्ष 2005-06 के दौरान एक गारंटी मोचन निधि निर्मित की गई थी। राज्य सरकार द्वारा 2005-06 के दौरान 1,01,51.29 लाख रुपये, 2006-07 के दौरान 1,03,80.18 लाख रुपये, 2007-08 के दौरान 1,00,00.00 लाख रुपये तथा 2008-09 के दौरान 34.85 लाख रुपये जमा कराये गये तथा संबंधित वित्तीय वर्षों में सम्पूर्ण राशि शासकीय प्रतिभूतियों में निवेशित की गई थी। वर्ष 2008-09 के अंत में गारंटी मोचन निधि तथा गारंटी मोचन निधि-निवेश लेखा के अंतर्गत महालेखाकार की पुस्तकों के अनुसार 3,05,66.32 लाख रुपये शेष थे। भारतीय रिजर्व बैंक सी.ए.एस. नागपुर के अनुसार गारंटी मोचन निधि के अंतर्गत कुल 3,67,64.90 लाख रुपये निवेशित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक तथा महालेखाकार की पुस्तकों में दर्शाई गई राशि के मध्य 61,98.58 लाख रुपये का अंतर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज को निवेशित करने की प्रविष्टि निकासी ज्ञापन में न करने के कारण था। प्रकरण भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन पत्राचाराधीन है।

6. गारंटी इन्वोकेशन की दशा में सरकार द्वारा भुगतान की गई राशि प्रारंभिक रूप में राज्य की समेकित निधि से सम्बन्धित ऋण शीर्ष के अन्तर्गत प्रभारित की जाती है और अवसूली योग्य राशियां अंततः गारंटी आरक्षित निधि को अंतरित की जाती हैं। 31 मार्च 2009 के अन्त में कुल राशि जो इस प्रयोजन से सरकार द्वारा भुगतान की गई और जो विभिन्न संस्थाओं से वसूल की जानी है, 4.04 लाख रुपये थी, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

| क्रम संख्या | जिसे भुगतान किया गया | संस्था, जिसकी ओर से गारंटी दी गई थी | गारंटीकृत कर्जों आदि की राशि | भुगतान की गई राशि और मार्च 2008 के अन्त में वसूली के लिए बकाया राशि | 2008-09 के दौरान भुगतान की गई राशि | 2008-09 के दौरान वसूल की गई राशि | मार्च 2009 के अन्त में वसूली योग्य शेष |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये | रुपये |
| 1. | मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर | दि न्यू भोपाल टैक्सटाइल लि. भोपाल | 1000000 | 403666 | क | क | 403666 (का) |
| योग | | | 1000000 | 403666 | क | क | 403666 (का) |

क जानकारी प्रतीक्षित है।

(का) सरकार से शेषों की वसूली पत्राचार के अधीन है।

विवरण संख्या 6--जारी

सरकार द्वारा दी गई गारंटी नीचे दर्शायी गई हैं :-

| | 31 मार्च 2008 को अधिकतम गारन्टीकृत राशि | अधिकतम गारन्टीकृत राशि (मूलधन केवल) (लाख रुपये में) | 31 मार्च 2009 को गारन्टीकृत बकाया | | गारंटी फीस | |
|---|---|--|--------------------------------------|----------|----------------|---------|
| | | | मूलधन | ब्याज | प्राप्ति योग्य | प्राप्त |
| (का) मध्य प्रदेश वित्त निगम, इन्दौर द्वारा अभिवृद्धित कार्य पूंजी और उस पर लाभांश | 88,29.00 | 88,29.00 | 17,10.00 | क | .. | .. |
| (खा) निम्न के द्वारा लिए गए कर्जे, ऋण- पत्र, बाण्ड्स आदि- | | | | | | |
| (1) मध्य प्रदेश वित्त निगम | 1,94,38.50 2,87,00.00 | 86,18.50⁽¹⁾ 2,03,75.00 ⁽²⁾ | 1,14,33.56 | क | .. | .. |
| (2) सांविधिक निगम और मण्डल | 60,34,61.05 3,22,34.27 | 60,32,04.98⁽³⁾ 3,34,68.89 ⁽⁴⁾ | 3,53,90.96 | क | 2,11.42 | 1,03.78 |
| (3) सरकारी कंपनियां | 1,83,31.57 28,86.55 | 1,82,58.37⁽⁵⁾ 28,86.55 | 27,35.25 | 3,90.79 | 13.67 | .. |
| (4) संयुक्त पूंजी कंपनियां | 43,95.88 | 43,95.88 | क | क | .. | .. |
| (5) सहकारी बैंक और समितियां | 27,76,94.14 18,94,10.43 | 27,65,44.14⁽⁶⁾ 19,94,10.43 ⁽⁷⁾ | 13,97,76.24 | 15,71.89 | 6,98.88 | 6.89 |
| (6) नगरपालिकाएं, निगम और नगर क्षेत्र | 2,04,93.32 13,81.00 | 2,04,16.37⁽⁸⁾ 13,81.00 | क | क | 1,10.44 | 13.29 |
| (7) अन्य संस्थाएं | 13,44.07 | 13,44.07 | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| योग | 95,39,87.53 25,46,12.25 | 94,16,11.31 25,75,21.87 | 19,10,46.01 | 19,62.68 | 10,34.41 | 1,23.96 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है।

- (1) म.प्र. वित्तीय निगम से संबंधित राशि रुपये 1,08,20.00 लाख की ग्यारह पुरानी गारंटियां निरस्त हुईं।
- (2) म.प्र. वित्तीय निगम से संबंधित राशि रुपये 83,25.00 लाख की दो नई गारंटियां निरस्त हुईं।
- (3) सांविधिक निगम तथा बोर्ड से संबंधित राशि रुपये 2,56.07 लाख की एक पुरानी गारंटी निरस्त हुई।
- (4) सहकारी बैंकों तथा समितियों से संबंधित राशि रुपये 12,34.62 लाख की दो गारंटियां प्राप्त हुईं।
- (5) सरकारी कंपनियों से संबंधित म.प्र.राज्य वस्त्र निगम के विरुद्ध राशि रुपये 70.00 लाख तथा म.प्र. लघु उद्योग निगम, भोपाल के विरुद्ध 3.20 लाख रुपये की दो पुरानी गारंटियां निरस्त हुईं।
- (6) सहकारी बैंकों तथा समितियों से संबंधित म.प्र.राज्य सहकारी गृह निर्माण संघ, भोपाल के विरुद्ध राशि रुपये 4,50.00 लाख तथा म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ भोपाल के विरुद्ध 7,00.00 लाख रुपये की तीन पुरानी गारंटियां निरस्त हुईं।
- (7) म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संस्था से संबंधित राशि रुपये 1,00,00.00 लाख की एक गारंटी प्राप्त हुई।
- (8) नगर निगम/कस्बा से संबंधित उज्जैन विकास प्राधिकरण के विरुद्ध राशि रुपये 76.95 लाख की एक पुरानी गारंटी निरस्त हुई।

विवरण संख्या 6--जारी

सरकार द्वारा दी गई गारंटी के विवरण और 31 मार्च 2009 को बकाया के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं :--

| क्र.सं. | सार्वजनिक या अन्य निकाय जिनकी ओर से गारंटी दी गई और गारंटी का संक्षिप्त स्वरूप | 31 मार्च 2008 को अधिकतम गारंटीकृत राशि | अधिकतम गारंटीकृत राशि (मूलधन केवल) (लाख रुपये में) | 31 मार्च 2009 को गारंटीकृत बकाया मूलधन | ब्याज |
|--|--|--|---|--|--|
| 1. | सांविधिक निगम और मण्डल (8) (*) | | | | |
| (i) | मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा भंडार के मूल्य और भाड़े तथा अन्य देय राशियों के भुगतान के लिए भारत सरकार (महा-निदेशक, पूर्ति तथा निपटान एवं रेल्वे बोर्ड) को दी गई गारंटी | अमर्यादित | | | गारंटी अविच्छिन्न होने के कारण लागू नहीं |
| (ii) | पूँजी को चुकाने और उस पर 3-1/2 प्रतिशत लाभांश के भुगतान हेतु गारंटी | 88,29.00 | 88,29.00 | 17,10.00 | .. |
| (iii) | कर्जे/ओवर ड्राफ्टों के चुकाने, बाण्ड/ऋण-पत्रों को जारी करके राशि बढ़ाने तथा आवधिक जमा आदि को स्वीकार करने और निर्दिष्ट दरों पर ब्याज के भुगतान के लिए गारंटी | 62,28,99.55 6,09,34.27 | 61,18,23.48 ^{(1) (3)} 5,38,43.89 ^{(2) (4)} | 4,68,24.52 ^(क) | क |
| योग-- | सांविधिक निगम और मण्डल मध्यप्रदेश वित्त निगम सहित | 63,17,28.55 6,09,34.27 | 62,06,52.48 5,38,43.89 | 4,85,34.52 ^(ख) | क |
| (का) सांविधिक निगमों एवं बोर्डों से सम्बन्धित 31 मार्च 2009 को गारंटीकृत राशि एवं बकाया के विवरण :-- | | | | | |
| क्र.सं. | सार्वजनिक या अन्य निकाय जिनकी ओर से गारंटी दी गई और गारंटी का संक्षिप्त स्वरूप | 31 मार्च 2008 को अधिकतम गारंटीकृत राशि | अधिकतम गारंटीकृत राशि (मूलधन केवल) (लाख रुपये में) | 31 मार्च 2009 को गारंटीकृत बकाया मूलधन | ब्याज |
| (i) | मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल | 56,22,52.46 1,15,13.00 | 56,22,52.46 1,15,13.00 | 2,94,66.69 | क |
| (ii) | मध्य प्रदेश गन्दी बस्ती उन्मूलन मण्डल | 12,56.60 | 12,56.60 | बंद | बंद |
| (iii) | मध्य प्रदेश राज्य भाण्डागार निगम | 2,56.07 | निरंक ⁽³⁾ | निरंक | निरंक |
| (iv) | मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम, भोपाल | 60,05.00 25,00.00 | 60,05.00 25,00.00 | 13,21.92 | क |
| (v) | मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल | 3,36,90.92 1,77,76.27 | 3,36,90.92 1,90,10.89 ⁽⁴⁾ | 46,02.35 | निरंक |
| (vi) | मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम | 4,45.00 | 4,45.00 | क | क |
| योग | | 60,34,61.05 3,22,34.27 | 60,32,04.98 3,34,68.89 | 3,53,90.96 | क |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है ।

(*) इस विवरण में कोष्ठक के भीतर के अंक संस्थाओं की संख्या दर्शाते हैं ।

- (1) पृष्ठ 40 पर पाद टिप्पणी (1) देखें ।
- (2) पृष्ठ 40 पर पाद टिप्पणी (2) देखें ।
- (3) पृष्ठ 40 पर पाद टिप्पणी (3) देखें ।
- (4) पृष्ठ 40 पर पाद टिप्पणी (4) देखें ।

विवरण संख्या 6 -- जारी

(खा) इसमें 57,61,57.50 लाख रुपये (बकाया राशि 1,44,65.48 लाख रुपये) की सांविधिक गारंटी शामिल हैं।
संस्थावार विवरण निम्नानुसार है :--

| क्र.सं. | सार्वजनिक या अन्य निकाय जिनकी ओर से गारन्टी दी गई और गारन्टी का संक्षिप्त स्वरूप | 31 मार्च 2008 को अधिकतम गारन्टीकृत राशि | सांविधिक गारन्टी (लाख रुपये में) | 31 मार्च 2009 को गारन्टीकृत बकाया | |
|---------|---|---|--|-----------------------------------|--------|
| | | | | मूलधन | ब्याज |
| (1) | मध्य प्रदेश वित्त निगम, इन्दौर-- अंश पूंजी [धारा 6 (i)] बांड [धारा 7 (ii)] | 88,29.00 1,94,38.50 2,87,00.00 | 88,29.00 86,18.50(1) 2,03,75.00(2) | 17,10.00 1,14,33.56 | क क |
| (2) | मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम | 60,05.00 25,00.00 | 60,05.00 25,00.00 | 13,21.92 | क |
| (3) | मध्य प्रदेश विद्युत् मण्डल (धारा 66) | 52,98,30.00 | 52,98,30.00 | क | क |
| योग | | 56,41,02.50 3,12,00.00 | 55,32,82.50 2,28,75.00 | 1,44,65.48 | क |

| क्र.सं. | सार्वजनिक या अन्य निकाय जिनकी ओर से गारन्टी दी गई और गारन्टी का संक्षिप्त स्वरूप | 31 मार्च 2008 को अधिकतम गारन्टीकृत राशि | अधिकतम गारन्टीकृत राशि (मूलधन केवल) | 31 मार्च 2009 को गारन्टीकृत बकाया | |
|---------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| | | | (लाख रुपये में) | मूलधन | ब्याज |
| 2. | सरकारी कम्पनियां --(17) (*)- दालों, ज्वार, गेहूं, खाद्य तेल, पशु खाद्य, इस्पात, ट्रैक्टरों, उपकरणों, मशीनों इत्यादि तथा सागौन, बांसों के व्यापारिक पौधरोपण के लिए, ऋण-पत्रों/बांडों को जारी करके प्राप्त किए कर्जों और राशियों को चुकाने और उस पर ब्याज का भुगतान करने हेतु गारंटी | 1,83,31.57 28,86.55 | 1,82,58.37 (5) 28,86.55 | 27,35.25 | 3,90.79 |
| 3. | संयुक्त-पूंजी कम्पनियां (5) (*)- बोनस भुगतान, कार्यचालन पूंजी उपलब्ध कराए जाने तथा कर्मचारियों को स्वीकृत अनाज अग्रिम के भुगतान के लिए सीमांत धन, आवश्यक मरम्मत इत्यादि के लिए मध्य प्रदेश वित्त निगम और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर से प्राप्त कर्जों के चुकाने तथा उस पर ब्याज के भुगतान हेतु गारंटी । | 43,95.88 | 43,95.88 | क | क |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है ।

(1) पृष्ठ 40 पर पाद टिप्पणी (1) देखें ।

(2) पृष्ठ 40 पर पाद टिप्पणी (2) देखें ।

(5) पृष्ठ 40 पर पाद टिप्पणी (5) देखें ।

(का) म.प्र. औद्योगिक विकास निगम, म.प्र. राज्य टेक्सटाइल निगम, भोपाल, म.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल, म.प्र. राज्य दुग्ध विकास निगम, भोपाल, म.प्र. विद्युत यंत्र मर्यादित गोसालपुर, जबलपुर, म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम, म.प्र. राज्य औद्योगिक निगम, भोपाल, म.प्र. राज्य पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक निगम, भोपाल, म.प्र. हस्तशिल्प विकास निगम, भोपाल, राज्य मत्स्य विकास निगम, भोपाल, म.प्र. स्टेट एग्री इन्डस्ट्रीज विकास निगम, भोपाल, म.प्र. राज्य लघु उद्योग निगम, भोपाल से संबंधित जानकारी प्रतीक्षित है ।

(खा) मेसर्स होप टेक्सटाइल्स मिल्स मर्यादित इंदौर, विनोद टेक्सटाइल्स मिल्स उज्जैन, गोविन्द राम शुगर मिल्स उज्जैन, श्री सज्जन मिल्स रतलाम, राजकुमार मिल्स इंदौर, हुकुमचंद मिल्स इंदौर, जीवाजी राव शुगर कंपनी दलौदा (मंदसौर) तथा जीवाजी राव कॉटन मिल्स ग्वालियर से संबंधित जानकारी प्रतीक्षित है ।

विवरण संख्या 6 -- जारी

| क्र. सं. | सार्वजनिक या अन्य निकाय जिनकी ओर से गारन्टी दी गई और गारन्टी का संक्षिप्त स्वरूप | 31 मार्च 2008 को अधिकतम गारन्टीकृत राशि | अधिकतम गारन्टीकृत राशि (मूलधन केवल) (लाख रुपये में) | 31 मार्च 2009 को गारन्टीकृत बकाया मूलधन | ब्याज |
|----------|--|---|--|---|----------|
| 4. | सहकारी बैंक और समितियां-- | | | | |
| | (i) उधार सहकारी समितियां (3) (*)- भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, कृषि पुनर्वित्त निगम एवं भारतीय खाद्य निगम से भवन निर्माण आदि हेतु प्राप्त कर्जों के चुकाने और उस पर ब्याज के भुगतान हेतु गारंटी । | 18,79,33.51 15,48,00.00 | 18,79,33.51 15,48,00.00 | 11,71,68.83 | क |
| | (ii) आवास सहकारी समितियां (1) (*)- भारतीय जीवन बीमा निगम से मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास वित्त समिति मर्यादित भोपाल, जबलपुर द्वारा प्राप्त कर्जों के चुकाने और उस पर ब्याज के भुगतान की गारंटी । | 4,50.00 | .. | निरंक | निरंक |
| | (iii) भाण्डागार एवं विपणन सहकारी समितियां (4) (*)- गेहूं, उर्वरक तथा खाद, चावल मक्का आदि को क्रय करने तथा उधार सुविधा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त कर्जों के चुकाने और उन पर ब्याज के भुगतान हेतु गारंटी । | 33,11.34 2,00,00.00 | 26,11.34(6) 3,00,00.00(7) | निरंक | निरंक |
| | (iv) सहकारी शक्कर कारखाने (1) (*)- मुरैना मण्डल सहकारी शक्कर कारखाना, कैलारस, मालवा सहकारी शक्कर कारखाना, झिरी, बुरहानपुर द्वारा मध्य प्रदेश औद्योगिक वित्त निगम, मध्य प्रदेश वित्त निगम, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम, औद्योगिक उधार एवं निवेश निगम और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से प्राप्त कर्जों के चुकाने और उस पर ब्याज के भुगतान हेतु गारंटी । | 23,87.00 5,50.00 | 23,87.00 5,50.00 | 18,50.00 | 10,22.72 |
| | (v) सहकारी कताई कारखाना (2) (*)- सहकारी सूती कपड़ा मिल, बुरहानपुर द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक तथा औद्योगिक वित्त निगम से प्राप्त कर्जों तथा उन पर ब्याज के भुगतान को चुकाने हेतु गारंटी । | 35,64.00 15,00.00 | 35,64.00 15,00.00 | 11,90.96 | क |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है ।

(6) पृष्ठ 40 पर पाद टिप्पणी (6) देखें ।

(7) पृष्ठ 40 पर पाद टिप्पणी (7) देखें ।

विवरण संख्या 6 -- जारी

| क्र.सं. | सार्वजनिक या अन्य निकाय जिनकी ओर से गारन्टी दी गई और गारन्टी का संक्षिप्त स्वरूप | 31 मार्च 2008 को अधिकतम गारन्टीकृत राशि | अधिकतम गारन्टीकृत राशि (मूलधन केवल) | 31 मार्च 2009 को गारन्टीकृत बकाया | |
|---------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | मूलधन | ब्याज |
| | | | | (लाख रुपये में) | |
| 4. | सहकारी बैंक और समितियां--समाप्त (vi) औद्योगिक सहकारी समितियां (2)(*)- मध्य प्रदेश राज्य हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, जबलपुर, शक्ति करघा/ हाथकरघा सहकारी समिति बुरहानपुर, मध्य प्रदेश औद्योगिक सहकारिता, रायपुर और मध्य प्रदेश तिलहन उत्पादक संघ, भोपाल को मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक तथा राष्ट्रीय दुग्ध विकास मण्डल, आनन्द (गुजरात) से सोयाबीन इत्यादि के क्रय हेतु प्राप्त कर्जों के चुकाने और उन पर ब्याज के भुगतान हेतु गारन्टी । | 6,64,29.50 1,00,00.00 | 6,64,29.50 1,00,00.00 | 62,63.07 | 2,81.00 |
| | (vii) अन्य सहकारी समितियां (17) (*)- ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियां, खण्डवा, मनावर (धार), मनासा (मन्दसौर), नौगांव (छतरपुर), रीवा, सीधी, मण्डला, मुलताई (बैतूल), अमरपाटन (सतना), बन्डा (सागर), गोहद (भिण्ड), गरियाबंद (रायपुर), अंबिकापुर (सरगुजा), चारमा (बस्तर), मुंगावली (गुना), पिछोर (शिवपुरी) द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली से प्राप्त कर्जों के मूलधन को चुकाने तथा उस पर ब्याज के भुगतान हेतु गारन्टी | 1,36,18.79 25,60.43 | 1,36,18.79 25,60.43 | 1,33,03.38 | 2,68.17 |
| | योग --सहकारी बैंक और समितियां | 27,76,94.14 18,94,10.43 | 27,65,44.14 19,94,10.43 | 13,97,76.24 | 15,71.89 |
| 5. | नगरपालिकाएं, निगम और नगर क्षेत्र-- (i) नगरपालिका परिषदें (269) (*)- नगर परिषदों द्वारा जलपूर्ति योजनाओं के निष्पादन, अग्निशामकों के क्रय, तथा बदनावर (धार) एवं तराना (उज्जैन) तहसीलों में दुकानों के निर्माण के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारतीय जीवन बीमा निगम से लिये गए कर्जों के मूलधन और उस पर ब्याज के भुगतान हेतु गारन्टी | 1,05,01.10 13,81.00 | 1,05,01.10 13,81.00 | क | क |

मोटै अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है ।

विवरण संख्या 6 -- समाप्त

| क्र.सं. | सार्वजनिक या अन्य निकाय जिनकी ओर से गारन्टी दी गई और गारन्टी का संक्षिप्त स्वरूप | 31 मार्च 2008 को अधिकतम गारन्टीकृत राशि | अधिकतम गारन्टीकृत राशि (मूलधन केवल) (लाख रुपये में) | 31 मार्च 2009 को गारन्टीकृत बकाया मूलधन | ब्याज |
|---------|--|---|---|---|----------|
| 5. | नगरपालिकाएं, निगम और नगर क्षेत्र--समाप्त (ii) नगर सुधार न्यास (12) (*)- नगर सुधार न्यास रतलाम, नीमच, इटारसी, सिहोर, बुरहानपुर, रीवा, सागर, मंदसौर, पन्ना द्वारा आवास और नगर विकास निगम, नई दिल्ली से प्राप्त कर्जों के मूलधन और उस पर ब्याज के भुगतान हेतु गारन्टी । | 12,84.21 | 12,84.21 | क | क |
| | (iii) विकास प्राधिकरण (16) (*)- आवास और नगर विकास निगम, नई दिल्ली और मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर से प्राप्त कर्जों के मूलधन और उस पर ब्याज के भुगतान हेतु गारन्टी । | 87,08.01 | 86,31.06(8) | क | क |
| | योग -- नगरपालिकाएं, निगम और नगर क्षेत्र | 2,04,93.32 13,81.00 | 2,04,16.37 13,81.00 | क | क |
| 6. | अन्य संस्थायें (3) (*)- | | | | |
| | (i) कृषि उपज मण्डी समिति, डबरा | 25.00 | 25.00 | निरंक | निरंक |
| | (ii) कृषि उपज मण्डी समिति, मंदसौर | 19.07 | 19.07 | निरंक | निरंक |
| | (iii) राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय | 13,00.00 | 13,00.00 | निरंक | निरंक |
| | योग -- अन्य संस्थायें | 13,44.07 | 13,44.07 | निरंक | निरंक |
| महायोग | | 95,39,87.53 25,46,12.25 | 94,16,11.31 25,75,21.87 | 19,10,46.01 | 19,62.68 |

31 मार्च 2009 के मूल देनदारों की ओर से गारंटी देयताओं को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा किये गये भुगतान तथा उसकी वसूलियों के विवरण नीचे दिए गए हैं :-

| क्र.सं. | मूल देनदार का नाम | सरकार द्वारा भुगतान की गयी राशि तथा भुगतान का दिनांक (लाख रुपयों में) | उद्देश्य | अभ्युक्तियाँ |
|---------|-----------------------------|---|-----------------------------|--|
| 1. | होप टेक्सटाइल्स मिल, इन्दौर | 37.00 (जुलाई 1997) | बोनस तथा अधिविकर्षण के लिये | कम्पनी दोषी पाई गई अतः न्यायालय के अन्तर्निमित्त आदेश के परिपालन में सरकार द्वारा राशि का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर को किया गया । वसूलियों के विवरण प्रतीक्षित हैं । |
| | | 50.00 (सितम्बर 1997) | सावधिक ऋण के लिये | |
| | | 100.00 (अक्टूबर 1997) | कार्यशील पूंजी के लिये | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है ।

(8) पृष्ठ 40 पर पाद टिप्पणी (8) देखें ।

विवरण संख्या 7-रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

| | 1 अप्रैल 2008 को | 31 मार्च 2009 को (लाख रुपये में) |
|--|------------------|-------------------------------------|
| (क) सामान्य रोकड़ शेष-- | | |
| (1) खजानों में रोकड़ | .. | .. |
| (2) रिजर्व बैंक में जमा | -13,03,79.04 | -8,40,93.44 (ख) (क) |
| (3) मार्गस्थ प्रेषण | 2,64.60 | 2,66.76 |
| योग | -13,01,14.44 | -8,38,26.68 |
| (4) 'रोकड़ शेष निवेश लेखा' में किया गया निवेश | 27,59,00.00 | 29,29,46.24 (क) |
| योग--(क) सामान्य रोकड़ शेष | 14,57,85.56 | 20,91,19.56 |
| (ख) अन्य रोकड़ शेष और निवेश-- | | |
| (1) विभागीय अधिकारियों, जैसे वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव आदि के पास रोकड़ | 15,90.44 | 13,38.25 |
| (2) विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिये स्थायी पेशगी राशियां | 74.32 | 77.20 |
| (3) उद्दिष्ट निधियों का निवेश | 3,17,94.63 | 3,16,75.35 |
| योग--(ख) अन्य रोकड़ शेष और निवेश | 3,34,59.39 | 3,30,90.80 |
| योग--(क) एवं (ख) | 17,92,44.95 | 24,22,10.36 |

व्याख्यात्मक टिप्पणी

1. रोकड़ शेष--सामान्य रोकड़ शेष समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे की संयुक्त शेष राशियों का सूचक है।
2. रिजर्व बैंक के साथ किए गए करार के अनुसार मध्यप्रदेश सरकार को बैंक में सप्ताह के प्रत्येक दिन 1.96 करोड़ रुपये न्यूनतम शेष रखना पड़ता है। प्रत्येक कार्य दिवस के अन्त में रिजर्व बैंक सरकार को अपने पास उसके दैनिक शेष की सूचना तार द्वारा देता है। यदि यह शेष राशि साप्ताहिक निपटारे के दिनों में करार के अनुसार निश्चित न्यूनतम शेष राशि से कम होती है, तो उस कमी की पूर्ति भारत सरकार के खजाना बिलों को बेचकर या रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम (साधारण या विशेष) लेकर की जाती है।

- (ख) दिनांक 31.10.2000 को भारतीय रिजर्व बैंक तथा महालेखाकार की पुस्तकों में 27.09 लाख रुपये के अंतर को अनंतिम रूप से आवंटित मध्य प्रदेश (रुपये 5.13 लाख) तथा छत्तीसगढ़ (रुपये 21.96 लाख) को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य जनसंख्या अनुपात (485.7:176.2) में परिशोधित किया जाना है।
- (क) भारतीय रिजर्व बैंक में जमा के अंतर्गत लेखाओं में दर्शित रुपये 8,40,93.44 लाख (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित 8,27,81.01 लाख रुपये (नामे) के मध्य आंकड़ों में मार्च 2009 के लेखे बंद होने पर रुपये 13,12.43 लाख (जमा) का अंतर था। अप्रैल 2009 के लेखाओं के बंद होने के उपरांत 51.32 लाख रुपये (जमा) का शुद्ध अंतर समाधान के लिये शेष था। रिजर्व बैंक में जमा में अन्तर एजेन्सी बैंक द्वारा आर.बी.आई. तथा कोषालय अधिकारी को लेन-देनों की, लेखों में, गलत रिपोर्टिंग के कारण है।
- (क) ब्यौरे के लिये इस विवरण की कंडिका 4 का अवलोकन करें।

विवरण संख्या 7--जारी

वर्ष 2008-09 के दौरान साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 460 करोड़ रुपये थी। विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा निम्नानुसार थी:-

| अवधि | सीमा करोड़ रुपये में |
|--------------------------|----------------------|
| 01.04.2008 से 10.04.2008 | 8.43 करोड़ |
| 11.04.2008 से 22.05.2008 | 29.08 करोड़ |
| 23.05.2008 से 01.07.2008 | 27.61 करोड़ |
| 02.07.2008 से 10.07.2008 | 27.24 करोड़ |
| 11.07.2008 से 30.09.2008 | 6.59 करोड़ |
| 01.10.2008 से 31.12.2008 | 6.67 करोड़ |
| 01.01.2009 से 31.03.2009 | 7.36 करोड़ |

भारतीय रिजर्व बैंक अर्थोपाय अग्रिमों (साधारण) पर 90 दिन की अवधि के लिये रेपोदर पर तथा 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए रेपोदर से 1 प्रतिशत अधिक ब्याज वसूलती है।

विशेष अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज रेपोदर से 1% कम है।

अर्थोपाय अग्रिमों की 100% की सीमा तक अधिविकर्ष पर ब्याज रेपोदर से 2% अधिक तथा 100% अर्थोपाय अग्रिम से अधिक पर रेपो दर से 5% अधिक है।

वर्ष 2008-09 के दौरान प्रभावी दरें निम्नानुसार थीं-

| अनु.क. | नामकरण | दर | प्रभावी दर |
|--------|---|-----------|-------------|
| 1. | अर्थोपाय अग्रिम (साधारण) | | |
| | (क) 90 दिन तक | रेपो दर | |
| | (ख) 90 दिन से अधिक | रेपो दर+1 | वर्तमान में |
| 2. | अर्थोपाय अग्रिम (विशेष) | रेपो दर-1 | रेपो दर |
| 3. | कमी | रेपो दर | 4.75% |
| 4. | अधिविकर्षण | | है। |
| | (क) अर्थोपाय अग्रिम (साधारण) के 100% तक | रेपो दर+2 | |
| | (ख) अर्थोपाय अग्रिम(साधारण) के 100% से अधिक | रेपो दर+5 | |

3. प्रतिवेदन वर्ष की अवधि में राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से तय की हुई न्यूनतम शेष राशि को बनाये रखने में कहां तक समर्थ थी, यह नीचे दर्शाया गया है :-

| | |
|---|-----|
| (का) दिनों की संख्या, जब न्यूनतम शेष राशि बिना पेशगी लिए बनाये रखी गई | 363 |
| (खा) दिनों की संख्या, जब न्यूनतम राशि अर्थोपाय पेशगी (साधारण तथा विशेष) लेकर बनाए रखी गई | 2 |
| (गा) दिनों की संख्या, जब उपरोक्त पेशगियों का उपयोग करने पर न्यूनतम अवशेष में कमी थी, किन्तु कोई ओवर ड्राफ्ट नहीं लिया गया | .. |
| (घा) दिनों की संख्या जब ओवर ड्राफ्ट लिए गए | .. |
| (ड.1) अवसरों की संख्या जब ओवर ड्राफ्ट लिए गए | .. |

भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त की गई अर्थोपाय पेशगियों तथा उन पर भुगतान किए गए ब्याज के संबंध में लेन-देनों का ब्यौरेवार लेखा नीचे दिया गया है--

| विवरण | 1 अप्रैल 2008 को शेष | 2008-09 के दौरान प्राप्त की गई राशि | 2008-09 के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | 2008-09 के दौरान भुगतान किया गया ब्याज |
|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | (करोड़ रुपये में) | | | |
| साधारण अर्थोपाय पेशगियां | .. | 12.33 | 12.33 | .. | 0.01* |
| विशेष अर्थोपाय पेशगियां | .. | 6.67 | 6.67 | .. | |
| ओवर ड्राफ्ट | .. | .. | .. | .. | .. |
| योग | .. | 19.00 | 19.00 | .. | 0.01 |

* वास्तविक रुपये 79,633 हैं।

विवरण संख्या 7--समाप्त

4. 31 मार्च 2009 को सामान्य रोकड़ शेष से किए गए निवेशों के ब्यौरे निम्न हैं :--

| प्रतिभूति का प्रकार | राशि (लाख रुपये में) |
|--------------------------------|-------------------------|
| (1) भारत सरकार के खजाना बिल | 29,26,14.69 |
| (2) भारत सरकार की प्रतिभूतियां | 3,32.08 |
| योग | (क) 29,29,46.77 |

5. वर्ष के दौरान उपरोक्त निवेशों पर 95,95.18 लाख रुपये (अल्प अवधि की प्रतिभूतियों पर 95,61.08 लाख रुपये एवं दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियों पर 34.10 लाख रुपये) का ब्याज प्राप्त हुआ। जबकि 2007-08 के दौरान 1,75,76.79 लाख रुपये (अल्प अवधि की प्रतिभूतियों पर 1,75,42.69 लाख रुपये एवं दीर्घ अवधि की प्रतिभूतियों पर 34.10 लाख रुपये) था।

6. सांविधिक निगम, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों के अंशों/ऋण पत्रों में किए गए निवेशों के ब्यौरे विवरण संख्या 14 में दिए गए हैं।

7. उद्दिष्ट रक्षित निधियों से निवेशित राशियाँ विवरण संख्या 19 में दर्शाई गई हैं।

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिपक्वता मूल्य का अनुभाजन छत्तीसगढ़ सरकार को न किये जाने के कारण पृष्ठ 46 पर रोकड़ शेष निवेश लेखा में किये गये निवेश से 0.53 लाख रुपये भिन्न हैं। मामला पत्राचाराधीन है।

विवरण संख्या 8-समेकित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा के अन्तर्गत शेष का सारांश

31 मार्च 2009 को शेषों का सारांश निम्नानुसार है :-

| नामे शेष (हजार रुपये में) | सामान्य लेखे का खण्ड | लेखे का नाम | जमा शेष (हजार रुपये में) |
|------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 5,06,23,09,79 | क से घ, छ, ज और अनुभाग ठ का अंश | समेकित निधि-- शासकीय लेखे | |
| | ड | लोक ऋण | 4,66,32,29,96 |
| 54,43,52,77 | च | कर्जे तथा उधार | |
| 21,87,44,09 | | आकस्मिकता निधि-- आकस्मिकता निधि | 1,00,00,00 |
| | | लोक लेखा-- | |
| | झ | लघु बचत, भविष्य निधियां आदि-- | |
| | | (i) राष्ट्रीय अल्प बचत निधि | 17,12 |
| | | (ii) राज्य भविष्य निधियां | 60,82,11,67 |
| | | | 5,52,10,91 |
| | | (iii) अन्य लेखे | 13,96,41,52 |
| | | | 9,38,26 |
| | ज | आरक्षित निधियां-- ब्याज वाली आरक्षित निधियां- सकल शेष | 1,62,55,08 |
| | | बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां-- सकल शेष | 16,74,65,52 |
| | | | 1,02,46,44 |
| 3,16,75,35 | | निवेश | |
| | ट | जमा तथा अग्रिम-- | |
| | | (का) ब्याज वाली जमा | 2,41,87,05 |
| | | | -2,37,80 |
| | | (खा) बिना ब्याज वाली जमा | 38,97,53,16 |
| 14,19,61 | | (गा) अग्रिम | |
| | ठ | उचन्त और विविध-- | |
| | | (i) उचन्त-- | |
| | | निवेश | 25,10 |
| | | अन्य मदें (निवल) | 28,27,03 |
| | | | 7,93,27 |
| | | (ii) अन्य लेखे-- | |
| 29,29,46,24 | | निवेश | |
| | | अन्य मदें (निवल) | 51,45,39 |
| 2,60,88,51 | ड | प्रेषण-- | |
| | | प्रेषण | |
| | ढ | रोकड़ शेष (अन्तिम) | 8,38,26,68 |
| 6,17,75,36,36 | | योग | 6,17,75,36,36 |

मोटे अंक म.प्र. में रोके गये शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन होना है।

विवरण संख्या 8--जारी

व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. सरकारी लेखा--सरकारी लेखे में बही खाता रखने की पद्धति के अन्तर्गत राजस्व, पूंजीगत शीर्षों और सरकार के अन्य लेन-देनों के अन्तर्गत अंकित की जाने वाली राशियां जिनके शेष प्रतिवर्ष लेखाओं में आगे नहीं ले जाए जाते, एक ही शीर्ष में बन्द किए जाते हैं जिसे "सरकारी लेखा" कहा जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत जो शेष होता है वह उपयुक्त सभी लेन-देनों का संचयी परिणाम होता है जिससे कि उसमें लोकऋण से कर्जें और अल्प बचतें, पेशगियां, भविष्य निधि आदि आरक्षित निधियां, जमा और पेशगियां, उचन्त और विविध (विविध सरकारी लेखे के अतिरिक्त) प्रेषण और आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत आने वाली शेष राशियों को जोड़ देने पर वर्ष के अन्त में अंतिम रोकड़ शेष निकाला और सिद्ध किया जा सके। नीचे दिए गए 2008-09 के सरकारी लेखे में वर्ष के अन्त में निकाली गई निवल राशि दर्शाई गई है :-

| नामे (हजार रुपये में) | विवरण | जमा (हजार रुपये में) |
|------------------------------|---|-------------------------|
| 4,79,94,14,90 ^(क) | क--। अप्रैल 2008 को सरकारी लेखे का नामे शेष | |
| | ख--राजस्व प्राप्तियां | 3,35,77,20,63 |
| | विविध पूंजीगत प्राप्तियां | 24,00,02 |
| 2,95,13,87,61 ^(ख) | ग--राजस्व लेखे पर व्यय | |
| 67,13,15,04 | घ--पूंजीगत व्यय | |
| 3,18,50 | ड.--विविध | |
| 73,49 | छ-- अंतर्राज्यीय परिशोधन | 79,10 |
| | 31 मार्च 2009 को सरकारी लेखे का नामे शेष | 5,06,23,09,79 |
| 8,42,25,09,54 | योग | 8,42,25,09,54 |

(क) निम्नलिखित प्रोफोर्मा वृद्धि के कारण। अप्रैल 2008 के प्रारंभिक शेष 4,79,94,14,90 हजार रुपये में गत वर्ष के अंत शेष (4,79,18,01,90 हजार रुपये) में 76,13,00 हजार रुपये की वृद्धि की गई (पृष्ठ 334 पर पाद टिप्पणी (क) देखें:-

| शीर्ष जिनमें। अप्रैल 2008 के प्रारंभिक शेष को परिवर्तित किया गया | जमा शेष वृद्धि (+) |
|--|--------------------|
| अ- आरक्षित निधियां- | |
| (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां- | |
| 8121- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां- | |
| 115- प्राकृतिक विपत्ति अव्ययित मार्जिनल मुद्रा निधि | 76,13,00 |
| योग | 76,13,00 |

ड. - 'विविध' के विरुद्ध 3,18,50 हजार रुपये सरकारी लेखा को बन्द किये जाने के समायोजन से सम्बन्धित हैं जिनके विवरण निम्नानुसार हैं :-

| | जमा (हजार रुपये में) | नामे |
|--|-------------------------|---------|
| विशेष संस्वीकृति से शेष शीर्षों से इस शीर्ष में अंतरित मिलान न किये गये अंतरों के निबल परिणाम के कारण विविध अपलेखन | .. | 3,18,50 |
| योग | .. | 3,18,50 |
| निबल नामे शेष | | 3,18,50 |

(ख) 3,01,95,63,75 हजार रुपये के सकल राजस्व व्यय में से प्राप्तियों और वसूलियों की राशि 6,81,76,14 हजार रुपये घटाने पर यह परिणाम है। (विनियोग लेखे के परिशिष्ट I के संदर्भ में)

विवरण संख्या 8--जारी

2. इस सारांश के शीर्षकों में सरकारी बहियों के उन समस्त लेखा शीर्षों के अंतर्गत आनेवाली शेष राशियों का परिकलन किया जाता है, जिनके सम्बन्ध में प्राप्त धन को वापस करने की देयता या दी गई राशि को वसूल करने का अधिकार सरकार का होता है तथा साथ ही प्रेषण लेन-देनों के समायोजन के लिए बहियों में खोले गये लेखा-शीर्ष भी सम्मिलित हैं। यह समझ लेना चाहिये कि इन शेष राशियों को मध्यप्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा लेखा-जोखा नहीं माना जा सकता क्योंकि इसके हिसाब में न तो राज्य की समस्त भौतिक परिसम्पत्तियां जैसे भूमि, भवन, संचार के साधन आदि सम्मिलित होते हैं और न ही उपार्जित देय राशियां या बकाया देयतायें ही जिन्हें सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली नकद आधार की लेखा विधि के कारण हिसाब में सम्मिलित नहीं किया जाता।
3. ऋण, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे से सम्बन्धित लेखा-शीर्षों के अन्तर्गत आने वाली प्राप्तियों, संवितरण और शेष राशियों का सारांश विवरण संख्या 16- में दिया गया है।
4. कई प्रकरणों में (जिन्हें विवरण संख्या 16 और 18 में # चिन्ह द्वारा दिखाया गया है) विवरण संख्या 16 और 18 में बताए गए अंत शेषों और लेखा कार्यालय/विभागीय कार्यालयों द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखी गई अलग-पंजियों या अन्य अभिलेखों में दिखाए गए अन्तशेषों में अन्तर है, जिनका समाधान नहीं हो सका है। इन विसंगतियों को यथा शीघ्र दूर करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। कई प्रकरणों में इस उद्देश्य हेतु वांछित पूर्ण विवरण या प्रलेख विभागीय/खजाना अधिकारियों से प्रतीक्षित है। बड़ी राशियों वाले या पुरानी अवधि से संबंधित प्रकरणों के विवरण परिशिष्ट-III में दिये गए हैं।

विवरण संख्या 8--समाप्त

5. यह ज्ञात करने के लिए कि लेखा कार्यालय की बहियों में "कर्जे और पेशगियां" तथा "जमा और पेशगियों" के अन्तर्गत दिखाई गई बकाया शेष राशि स्थिति को सही-सही प्रकट करती है या नहीं, ये शेष राशि प्रत्येक वर्ष के अन्त में सत्यापन और स्वीकृति के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों और स्वयं कर्जदारों को (उन प्रकरणों में जिनमें ब्यौरेवार लेखे-लेखा कार्यालय द्वारा रखे जाते हैं) भेजी जाती है। अधिकांश प्रकरणों में ऐसी स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हुई हैं, कुछ प्रकरणों में तो कई वर्षों का विलम्ब हो गया है। दृष्टांत स्वरूप कुछ प्रकरण नीचे दिये जा रहे हैं-

| लेखा शीर्ष | स्वीकृतियों की संख्या | जिस वर्ष से स्वीकृतियों की प्रतीक्षा की जा रही है | 31 मार्च 2009 को इन मदों से संबंधित बकाया राशि (लाख रुपये में) |
|------------|-----------------------|---|---|
|------------|-----------------------|---|---|

च--कर्जे और पेशगियां--

6515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिये कर्जे--

| | | | |
|---|----|---------|-------|
| (i) सामुदायिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने हेतु कर्जे | 30 | 1956-57 | 39.49 |
| (ii) राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना के लिये कर्जे | 38 | 1957-58 | 4.67 |

6. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अनुसार 14.65 लाख रुपये की धनराशि "हैदराबाद परिचालन उचन्त" में पड़ी है, जिसे मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आन्ध्रप्रदेश सरकार को आवंटित किया जाना अभी शेष है। भारत सरकार ने पहले ही आन्ध्रप्रदेश सरकार को लागत का दायित्व स्वीकार करने के लिये निर्देश दिया है। मामला अभी भी मध्यप्रदेश सरकार और आन्ध्रप्रदेश के मध्य पत्राचार के अधीन है।

लेखों पर टिप्पणियां

1. बारहवें वित्त-आयोग द्वारा प्रस्तावित कुल 8 परिशिष्टों पेंशन भोगियों की संख्या की जानकारी सहित में से 5 परिशिष्ट नाम यथा- वर्ष 2008-09 के दौरान, मुख्य शीर्षवर व्यवस्थित वेतन पर व्यय, वर्ष 2008-09 के दौरान वितरित राज सहायता पर व्यय, मुख्य शीर्ष 6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण तथा 6004- केन्द्र सरकार से कर्जे और पेशगियों की परिपक्वता स्थिति, मध्यप्रदेश सरकार की वर्ष 2008-09 की वित्तीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन तथा पाद टिप्पणी के रूप में पेंशन भोगियों की संख्या से संबंधित जानकारी वित्त लेखे 2008-09 में शामिल की गई है तथा शेष रहे 3 परिशिष्टों नाम यथा- भावी-उपार्जित दायित्वों से संबंधित आंकड़े, भावी नकद प्रवाह हेतु वर्ष के दौरान सरकार द्वारा बजट में प्रस्तावित नई योजनाओं हेतु लिये गए वृहद् नीतिगत निर्णयों के परिणाम तथा वेतन तथा गैर-वेतन अंश के पृथक्करण के साथ संधारण व्यय को 2009-10 में शामिल किया जाना संभावित है ।

2. लघु शीर्ष 800- अन्य प्राप्तियां तथा अन्य व्यय के अंतर्गत प्रविष्टि

13 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 800- अन्य प्राप्तियों के अधीन दर्ज 18,21.41 करोड़ रुपये की राशि संबंधित मुख्य शीर्षों की कुल प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक को परिशिष्ट-X में दर्शाया गया है ।

13 मुख्य शीर्षों के अधीन 800- अन्य व्यय के अंतर्गत दर्ज 38,84.67 करोड़ रुपये की राशि संबंधित मुख्य शीर्षों के कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक दर्ज है । शीर्ष यथा 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, 2801- बिजली, 4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय इत्यादि के अधीन अन्य व्यय के रूप में वर्गीकृत पर्याप्त व्यय परिशिष्ट-X में दिया गया है । मुख्य योजनाएं यथा मध्यान्ह भोजन सामग्री परिवहन, टैरिफ अनुदान, नहर तथा संलग्न कार्य, मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना इत्यादि जिन्हें वित्त लेखे में पृथक से नहीं दर्शाया गया है, परिशिष्ट-X में दिया गया है । यद्यपि उप शीर्ष स्तर (योजना) पर विस्तृत अनुदान मांगों के अंतर्गत तथा राज्य सरकार के लेखों के संबंधित शीर्षवार विनियोग लेखों में दर्शाया गया है । वित्तीय रिपोर्टिंग में वृहद पारदर्शिता हेतु गहन समीक्षा की जा रही है ।

3. सार-आकस्मिकता देयक (ए.सी.बिल) का असमायोजित अस्तित्व: आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को सार आकस्मिकता देयक तैयार कर सेवा शीर्ष को विकलित कर धन राशि आहरित करने तथा एक निश्चित समयवाधि में सभी प्रकरणों में विस्तृत आकस्मिकता देयक (अन्तिम व्यय के समर्थन में देयक) प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है । वर्तमान में महालेखाकार कार्यालय में 1986 मर्दों के 20.90 करोड़ रुपये के विस्तृत देयक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

4. निधियों का व्यक्तिगत जमा लेखों को अंतरण- व्यक्तिगत जमा लेखों के अंतरण को राज्य के समेकित निधि (सेवा मुख्य शीर्ष) में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है । जबकि सरकार विशेष प्रयोजन हेतु राशि जमा करने हेतु व्यक्तिगत जमा लेखे खोलने हेतु अधिकृत है । प्रशासकों को चाहिए कि वे वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर ऐसे लेखों को संवर्तित करें तथा उव्ययित शेषों को सरकारी लेखों में अंतरित करें, जो कि वर्ष के दौरान केवल 3,36.80 करोड़ रुपये व्यक्तिगत जमा लेखों को अंतरित कर किया गया है ।

5. प्राप्तियों तथा व्यय का पुनर्मिलान : सभी आहरण तथा संवितरण अधिकारियों को चाहिये कि वे सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय का महालेखाकार के लेखों में दर्ज राशि के साथ पुनर्मिलान करें । यह पुनर्मिलान सरकार के कुल व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत शीर्ष) रुपये 3,62,27.03 करोड़ के विरुद्ध 3,03,50.64 करोड़ रुपये का अर्थात् 83.78 प्रतिशत तथा सरकार की कुल प्राप्तियां (राजस्व एवं पूंजीगत शीर्ष) रुपये 3,36,01.21 करोड़ के विरुद्ध 3,01,41.60 करोड़ रुपये का अर्थात् 89.70 प्रतिशत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा पूर्ण किया गया ।

6. महालेखाकार द्वारा 8,40.93 करोड़ रुपये (जमा) रोकड़ शेष निकाली गई । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2009 को रोकड़ शेष 8,27.81 करोड़ रुपये (नामे) सूचित की गई है । इस प्रकार दोनों राशियों के मध्य 13.12 करोड़ रुपये (जमा) का शुद्ध अंतर (रुपये 1,17.00 करोड़ रुपये नामे तथा 1,30.12 करोड़ रुपये जमा) है । अंतर-का मुख्य कारण एजेंसी बैंक द्वारा लेन-देनों का भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोषालय अधिकारियों को लेखों में गलत रिपोर्टिंग है । इस अंतर में से 40.88 करोड़ रुपये (शुद्ध जमा) (31.70 करोड़ रुपये नामे तथा 72.58 करोड़ रुपये जमा) अभिज्ञापित किये गए हैं तथा आगामी लेखा अवधि के दौरान लेखे में सम्मिलित की जावेगी ।

लेखों पर टिप्पणियां--जारी

7. राज्य सरकार जो कि ऐसी गारंटी जारी करने हेतु अधिकृत है से प्राप्त जानकारी के आधार पर विवरण संख्या- 6 में गारंटी प्रतिवेदित की गई है। गारंटी मोचन निधि में वर्ष 2008-09 के दौरान 0.35 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई तथा वर्ष 2008-09 के अंत में 3,05.66 करोड़ रुपये शेष थे। इन गारंटियों के संबंध में निधि से कोई राशि आपूरित नहीं की गई।
8. ऐसे कर्ज तथा उधार जिनके विस्तृत लेखे राज्य सरकार के विभागों द्वारा संधारित किये जाते हैं, से पूर्ण जानकारी प्राप्ति हेतु सतत् प्रयास किये गए हैं।
9. आरक्षित निधियों की समीक्षा की जा रही है तथा सरकार को उचित कार्यवाही हेतु सूचित किया गया है।
10. वित्त लेखे उचंत तथा प्रेषण के शुद्ध शेषों को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष नामे तथा जमा के बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षों के अधीन पृथक से जोड़कर निकाले जाते हैं।

उचंत शीर्षों के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों की सकल राशि की जानकारी नीचे दी जा रही है :

मुख्य लघु उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष

| मुख्य/लघु शीर्ष | 2006-07 | | 2007-08 | | 2008-09 | |
|--|-------------------|----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | जमा | नामे | जमा | नामे | जमा | नामे |
| 8658- उचंत लेखा - | (करोड़ रुपये में) | | | | | |
| 101- वेतन तथा लेखा कार्यालय उचंत | -0.17 | 29.45 | 0.62 | 16.40 | -0.28 | 18.11 |
| निवल | नामे 29.62 | | नामे 15.78 | | नामे 18.39 | |
| 107- नकद परिनिर्धारण उचंत लेखा | -17.82 | 81.22 | -31.66 | 81.22 | -30.96 | 78.56 |
| निवल | नामे 99.04 | | नामे 1,12.88 | | नामे 1,09.52 | |
| 110- रिजर्व बैंक उचंत- केन्द्रीय लेखा कार्यालय | -0.11 | 5.17 | -6.04 | 18.73 | -6.60 | 56.54 |
| निवल | नामे 5.28 | | नामे 24.77 | | नामे 63.14 | |
| 112- स्रोत पर कर कटौती (स्रोत) उचंत | 30.52 | .. | 37.24 | .. | 33.20 | .. |
| निवल | जमा 30.52 | | जमा 37.24 | | जमा 33.20 | |
| 113- भविष्य निधि उचंत | 0.05 | 24.04 | -0.10 | 23.19 | -0.22 | 22.54 |
| निवल | नामे 23.99 | | नामे 23.29 | | नामे 22.76 | |
| 129- सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचंत लेखे | 2,29.91 | 13.54 | 2,47.76 | 21.99 | 2,53.36 | 33.46 |
| निवल | जमा 2,16.37 | | जमा 2,25.77 | | जमा 2,19.90 | |
| 8782- नकद प्रेषण- | | | | | | |
| 102- लोक निर्माण प्रेषण | 50,31.90 | 52,10.80 | 1,21,59.96 | 1,22,98.12 | 1,94,37.13 | 1,95,68.43 |
| निवल | नामे 1,78.90 | | नामे 1,38.16 | | नामे 1,31.30 | |
| 103- वन प्रेषण | 10,72.26 | 10,99.31 | 22,98.19 | 23,17.02 | 35,43.46 | 35,34.80 |
| निवल | नामे 27.05 | | नामे 18.83 | | जमा 8.66 | |
| 110- विविध प्रेषण | 3,94.70 | 5,16.67 | 8,74.63 | 10,00.32 | 13,72.53 | 14,91.46 |
| निवल | नामे 1,21.97 | | नामे 1,25.69 | | नामे 1,18.93 | |

टीप :- नामे/जमा के अंतर्गत वर्ष 2006-07 में 2005-06 तक के नामे/जमा शेष संविलयित कर दिये गये हैं अतः कुछ उचंत लघु शीर्षों के अंतर्गत ऋणात्मक शेष दर्शित हुए हैं।

लेखों पर टिप्पणियां--समाप्त

इन शीर्षों के अंतर्गत शेषों को निराकृत करने हेतु सतत् प्रयास जारी हैं, तथापि उचंत तथा प्रेषण मदों का निराकरण सरकार के विभागों/निर्माण कार्य तथा वन मंडलों/केन्द्रीय मंत्रालयों/पी.ए.ओ./आर.बी.आई. इत्यादि द्वारा जानकारी की उपलब्धता पर निर्भर है।

11. वर्ष के अंत में आकस्मिकता निधि अग्रिम की कोई राशि प्रतिपूर्ति हेतु शेष नहीं है।
12. लोक लेखा के अंतर्गत आरक्षित निधि/निधि निर्मित नहीं की गई है जो कि इस हेतु बनाये नियमों के अनुरूप नहीं हैं।
13. राज्य सरकार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं (राज्य अंश) तथा राज्य योजनाओं को लागू करने हेतु राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों तथा अभिकरणों, समितियों, अशासकीय संगठनों इत्यादि को निधि प्रदान करती है। क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा संबंधित वित्तीय वर्ष में निधि सामान्यतः पूर्ण रूप से खर्च नहीं किये जाते हैं, इन एजेंसियों के बैंक खाते में अव्ययित शेष रह जाते हैं।

क्रियान्वयन एजेंसियों के खातों की अव्ययित शेष राशि जो कि सरकारी लेखों से अलग (बैंक लेखों में) रखी जाती है, सहज अभिनिश्चित नहीं होती है। इसलिये उस सीमा तक लेखों में दर्शाया सरकारी व्यय अंतिम नहीं होता है।

भाग - II

ब्यौरेवार लेखे और अन्य विवरण

अनुभाग- क- राजस्व और व्यय

विवरण संख्या 9--वर्ष 2008-09 के लिए कुल राजस्व/कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त
राजस्व और व्यय का विवरण

| शीर्ष | राशि (लाख रुपये में) | कुल राजस्व की प्रतिशतता | कुल व्यय की प्रतिशतता |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| राजस्व-- | | | |
| क--कर राजस्व-- | | | |
| (i) आय तथा व्यय पर कर-- | | | |
| निगम कर | 35,30,66.00 | 10.52 | 11.96 |
| आय पर निगम कर से भिन्न कर | 22,16,97.00 | 6.60 | 7.51 |
| होटल प्राप्ति कर | 9,66.53 | 0.03 | 0.03 |
| आय तथा व्यय पर अन्य कर | 1,72,29.05 | 0.51 | 0.58 |
| (ii) सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर-- | | | |
| भू-राजस्व | 3,38,83.94 | 1.01 | 1.15 |
| स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस | 14,79,29.28 | 4.40 | 5.01 |
| धन कर | 3,36.00 | 0.01 | 0.01 |
| कृषि भूमि से भिन्न अचल संपत्ति पर कर | .. | .. | .. |
| (iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर-- | | | |
| सीमा शुल्क | 20,58,09.00 | 6.13 | 6.97 |
| संघ उत्पाद शुल्क | 17,95,02.00 | 5.35 | 6.08 |
| राज्य उत्पाद शुल्क | 23,01,95.00 | 6.86 | 7.80 |
| बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 68,42,98.88 | 20.38 | 23.20 |
| वाहन कर | 7,72,56.16 | 2.30 | 2.62 |
| माल तथा यात्री कर | 13,32,56.93 | 3.97 | 4.52 |
| विद्युत् कर तथा शुल्क | 3,43,05.62 | 1.02 | 1.16 |
| सेवा कर | 11,63,04.00 | 3.46 | 3.94 |
| वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क | 20,28.25 | 0.06 | 0.07 |
| योग--क--कर राजस्व | 2,43,80,63.64 | 72.61 | 82.61 |
| ख--करेतर राजस्व-- | | | |
| (i) अन्य राजकोषीय सेवाएं | 0.22 | .. | .. |
| (ii) ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ | 2,32,33.72 | 0.69 | 0.79 |
| (iii) सामान्य सेवाएं | 1,19,33.82 | 0.36 | 0.40 |
| (iv) पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं | 3,88,20.30 | 1.15 | 1.32 |
| (v) सामाजिक सेवाएं | 4,47,26.66 | 1.34 | 1.52 |

विवरण संख्या 9--जारी

| शीर्ष | राशि (लाख रुपये में) | कुल राजस्व की प्रतिशतता | कुल व्यय की प्रतिशतता |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| राजस्व--समाप्त | | | |
| ख-- करेतर राजस्व--समाप्त | | | |
| (Vi) आर्थिक सेवाएं-- | | | |
| कृषि तथा सम्बद्ध कार्य कलाप | 7,24,79.26 | 2.16 | 2.46 |
| ग्राम विकास | 3,77.23 | 0.01 | 0.01 |
| सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 45,14.20 | 0.14 | 0.15 |
| बिजली | 2.74 | .. | .. |
| उद्योग तथा खनिज | 13,68,37.26 | 4.07 | 4.63 |
| परिवहन | 4,61.33 | 0.01 | 0.02 |
| सामान्य आर्थिक सेवाएं | 8,99.63 | 0.03 | 0.03 |
| योग--ख--करेतर राजस्व | 33,42,86.37 | 9.96 | 11.33 |
| ग-- सहायता अनुदान तथा अंशदान-- | | | |
| सहायता अनुदान तथा अंशदान | 58,53,70.62 | 17.43 | 19.83 |
| महायोग--राजस्व | 3,35,77,20.63 | 1,00.00 | 1,13.77 |
| व्यय-- | | | |
| क--सामान्य सेवाएं-- | | | |
| राजकोषीय सेवाएं-- | | | |
| (i) आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण | 32.98 | .. | .. |
| (ii) सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण-- | | | |
| भू-राजस्व | 2,11,50.73 | 0.63 | 0.72 |
| स्टाम्प तथा पंजीकरण | 1,95,88.46 | 0.58 | 0.66 |
| (iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण-- | | | |
| राज्य उत्पाद शुल्क | 5,05,51.34 | 1.51 | 1.71 |
| बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 89,47.05 | 0.27 | 0.30 |
| वाहन कर | 31,98.16 | 0.09 | 0.11 |
| वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क | 1,73,71.58 | 0.52 | 0.59 |

विवरण संख्या 9--समाप्त

| शीर्ष | राशि (लाख रुपये में) | कुल राजस्व की प्रतिशतता | कुल व्यय की प्रतिशतता |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| व्यय--समाप्त | | | |
| क--सामान्य सेवाएं--समाप्त | | | |
| राजकोषीय सेवाएं--समाप्त | 2,17.92 | 0.01 | 0.01 |
| (iv) अन्य राजकोषीय सेवाएं | | | |
| योग--राजकोषीय सेवाएं | 12,10,58.22 | 3.61 | 4.10 |
| ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा | 41,91,99.22 | 12.48 | 14.20 |
| राज्य के अंग | 2,80,55.84 | 0.84 | 0.95 |
| प्रशासनिक सेवाएं | 20,45,30.08 | 6.09 | 6.93 |
| पेन्शन तथा विविध सामान्य सेवाएं | 24,33,89.79 | 7.25 | 8.25 |
| योग--क--सामान्य सेवाएं | 1,01,62,33.15 | 30.27 | 34.43 |
| ख-- सामाजिक सेवाएं-- | | | |
| सामाजिक सेवाएं | 1,01,45,94.30 | 30.22 | 34.38 |
| ग-- आर्थिक सेवाएं-- | | | |
| कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप | 25,71,35.89 | 7.66 | 8.71 |
| ग्राम विकास | 19,75,78.74 | 5.88 | 6.70 |
| सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण | 4,28,30.42 | 1.28 | 1.45 |
| बिजली | 14,43,49.37 | 4.30 | 4.89 |
| उद्योग तथा खनिज | 2,89,72.37 | 0.86 | 0.98 |
| परिवहन | 6,08,71.45 | 1.81 | 2.06 |
| विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण | 50,63.64 | 0.15 | 0.17 |
| सामान्य आर्थिक सेवाएं | 63,14.07 | 0.19 | 0.22 |
| योग--ग--आर्थिक सेवाएं | 74,31,15.95 | 22.13 | 25.18 |
| घ--सहायता अनुदान तथा अंशदान-- | | | |
| सहायता अनुदान तथा अंशदान | 17,74,44.21 | 5.28 | 6.01 |
| महायोग--व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) | 2,95,13,87.61 | 87.90 | 1,00.00 |

विवरण संख्या 10--प्रभारित और दत्तमत व्यय के बीच वितरण को प्रदर्शित करने वाला विवरण

| विवरण | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------|
| | प्रभारित | दत्तमत (हजार रुपये में) | योग |
| राजस्व लेखे पर व्यय | 45,88,80,44 | 2,49,25,07,17 | 2,95,13,87,61 |
| पूँजीगत लेखे पर व्यय | 33,55,05 | 66,79,59,99 | 67,13,15,04 |
| लोक ऋण, कर्ज तथा उधार, अंतर्राज्यीय परिशोधन तथा आकस्मिकता निधि को अंतरण के अंतर्गत संवितरण(*) | 19,61,01,46 | 18,62,19,14 | 38,23,20,60 |
| योग | 65,83,36,95 | 3,34,66,86,30 | 4,00,50,23,25 |

(*) ये आंकड़े इस प्रकार निकाले गए :--

ड.--लोक ऋण--

| | | | |
|------------------------------------|----------------------------|----|----------------------------|
| राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण | 15,16,15,27 ^(x) | .. | 15,16,15,27 ^(x) |
| केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम | 4,44,86,19 ^(x) | .. | 4,44,86,19 ^(x) |

च--कर्ज तथा उधार--

| | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज | .. | 27,14,50 | 27,14,50 |
| समाज सेवाओं के लिए कर्ज | .. | 2,34,38,95 | 2,34,38,95 |
| आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज | .. | 15,99,82,34 | 15,99,82,34 |
| सरकारी कर्मचारियों को कर्ज | .. | 9,86 | 9,86 |
| छ-- अंतर्राज्यीय परिशोधन | .. | 73,49 | 73,49 |
| योग | 19,61,01,46 | 18,62,19,14 | 38,23,20,60 |

(x) यद्यपि मुख्य शीर्ष 6003 तथा 6004 के अंतर्गत व्यय भारत व्यय है। इसको छोड़कर, अन्य संबंधित विवरण पत्रकों में तदनुसार यह नहीं दर्शाया गया है।

विवरण संख्या 11--राजस्व प्राप्तियों और पूंजी प्राप्तियों का लघु शीर्षवार ब्यौरेवार लेखा

शीर्ष

2008-09 के
वास्तविक आंकड़े
(हजार रुपये में)

प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)--

| | | |
|------------|--|-------------|
| क-- | कर राजस्व-- | |
| (क) | आय तथा व्यय पर कर- | |
| 0020-- | निगम कर-- | |
| 901-- | राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 35,30,66,00 |
| योग-- | 0020 | 35,30,66,00 |
| 0021-- | आय पर निगम कर से भिन्न कर-- | |
| 901-- | राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 22,16,97,00 |
| योग-- | 0021 | 22,16,97,00 |
| 0023-- | होटल प्राप्ति कर- | |
| 101-- | उन होटल से संग्रहण, जो कम्पनियां हैं | 9,66,53 |
| योग-- | 0023 | 9,66,53 |
| 0028-- | आय तथा व्यय पर अन्य कर-- | |
| 107-- | व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर | 1,72,51,05 |
| 901-- | राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | -22,00(x) |
| योग-- | 0028 | 1,72,29,05 |
| योग--(क)-- | आय तथा व्यय पर कर | 59,29,58,58 |
| (ख) | सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर-- | |
| 0029-- | भू-राजस्व-- | |
| 101-- | भू-राजस्व/कर | 2,97,42,63 |
| 102-- | बागानों पर कर | 31,16 |
| 103-- | भूमि पर पौरकर और उपकर | 3,64,36 |
| 104-- | जमींदारी रहित संपदाओं के प्रबंध से प्राप्तियां | 22,36 |
| 105-- | सरकारी संपदाओं की बिक्री से प्राप्तियां | 12,82 |
| 106-- | सर्वेक्षण और व्यवस्थापन कार्रवाई की बावत प्राप्तियां | 2,82,79 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 34,27,82 |
| योग-- | 0029 | 3,38,83,94 |
| 0030-- | स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क-- | |
| 01-- | स्टाम्प--न्यायिक-- | |
| 101-- | स्टाम्पों से उगाहा गया न्यायालय शुल्क | 51,03,37 |
| 102-- | स्टाम्पों की बिक्री | 3,17,13,64 |
| योग-- | 01 | 3,68,17,01 |

(x) वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग, नई दिल्ली द्वारा वसूली के कारण।

विवरण संख्या 11--जारी

शीर्ष

2008-09 के
वास्तविक आंकड़े
(हजार रुपये में)

| | | |
|------------|--|-------------|
| क-- | कर राजस्व--जारी | |
| (ख)-- | सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर--समाप्त | |
| 0030-- | स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क--समाप्त | |
| 02-- | स्टाम्प--न्यायिकेतर-- | |
| 102-- | स्टाम्पों की बिक्री | 11,11,12,11 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 16 |
| योग-- | 02 | 11,11,12,27 |
| योग-- | 0030 | 14,79,29,28 |
| 0032-- | धन कर-- | |
| 901-- | राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 3,36,00 |
| योग-- | 0032 | 3,36,00 |
| योग--(ख)-- | सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर | 18,21,49,22 |
| (ग) | वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर-- | |
| 0037-- | सीमा शुल्क-- | |
| 901-- | राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 20,58,09,00 |
| योग-- | 0037 | 20,58,09,00 |
| 0038-- | संघ उत्पाद शुल्क-- | |
| 02-- | राज्यों को समनुदेशित शुल्क-- | |
| 901-- | राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 17,95,02,00 |
| योग-- | 02 | 17,95,02,00 |
| योग-- | 0038 | 17,95,02,00 |
| 0039-- | राज्य उत्पाद शुल्क-- | |
| 101-- | देशी स्पिरिट | 13,47,50,32 |
| 102-- | देशी किण्वित लिंकर | 11,38,85 |
| 103-- | यवरस (माल्ट लिंकर) | 14,26,00 |
| 105-- | विदेशी लिंकर तथा स्पिरिट | 5,81,22,32 |
| 107-- | अल्कोहल, अफीम आदि सहित औषधीय और प्रसाधन निर्मिति | 3,02 |
| 108-- | अफीम, गांजा और अन्य स्वापक | 7,88,06 |
| 150-- | अर्धदण्ड और समपहरण | 70,08,24 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 2,69,58,19 |
| योग-- | 0039 | 23,01,95,00 |

विवरण संख्या 11--जारी

शीर्ष

2008-09 के
वास्तविक आंकड़े
(हजार रुपये में)

| | | |
|------------|---|---------------|
| क-- | कर राजस्व--समाप्त | |
| (ग) | वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर-समाप्त | |
| 0040-- | बिक्री, व्यापार आदि पर कर-- | |
| 101-- | केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां | 5,19,77,35 |
| 102-- | राज्य बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां | 63,23,21,53 |
| योग-- | 0040 | 68,42,98,88 |
| 0041-- | वाहन कर-- | |
| 101-- | भारतीय मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां | 1,29,38,41 |
| 102-- | राज्य मोटर यान कराधान अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्तियां | 3,71,88,16 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 2,71,29,59 |
| योग-- | 0041 | 7,72,56,16 |
| 0042-- | माल तथा यात्री कर-- | |
| 106-- | माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर | 13,32,56,93 |
| योग-- | 0042 | 13,32,56,93 |
| 0043-- | विद्युत् कर तथा शुल्क-- | |
| 101-- | बिजली के उपभोग और बिक्री पर कर | 2,34,51,77 |
| 102-- | भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत फीस | 8,60,11 |
| 103-- | सिनेमा के विद्युतीय निरीक्षण के लिये फीस | 2,50 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 99,91,24 |
| योग-- | 0043 | 3,43,05,62 |
| 0044-- | सेवा कर-- | |
| 901-- | राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | 11,63,04,00 |
| योग-- | 0044 | 11,63,04,00 |
| 0045-- | वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-- | |
| 101-- | मनोरंजन कर | 14,87,82 |
| 111-- | सिनेमाघरों में दिखाए जाने वाले विज्ञापनों पर कर | 39 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 5,73,04 |
| 901-- | राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा | -33,00(x) |
| योग-- | 0045 | 20,28,25 |
| योग--(ग)-- | वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर | 1,66,29,55,84 |
| योग--क-- | कर राजस्व @ | 2,43,80,63,64 |

(x) पृष्ठ 62 पर पाद टिप्पणी (X) देखें।

@ खण्ड-क कर राजस्व में वास्तविक आंकड़े वापसियों को लेखे में संबंधित लघु शीर्ष में लेने के बाद निवल राजस्व को प्रदर्शित करते हैं।

विवरण संख्या 11--जारी

शीर्ष

2008-09 के
वास्तविक आंकड़े
(हजार रुपये में)

| | | |
|------------|---|------------|
| ख-- | करेतर राजस्व-- | |
| (क) | राजकोषीय सेवाएं-- | |
| 0047-- | अन्य राजकोषीय सेवाएं - | |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 22 |
| योग-- | 0047 | 22 |
| योग-(क)-- | राजकोषीय सेवाएं | 22 |
| (ख) | ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ-- | |
| 0049-- | ब्याज प्राप्तियां-- | |
| 04-- | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियां-- | |
| 107-- | कृषकों से ब्याज | 55,06 |
| 110-- | नकद शेषों के निवेश पर उगाहा गया ब्याज | 95,95,18 |
| 190-- | सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों से ब्याज | 4,67,77 |
| 191-- | स्थानीय निकायों से ब्याज | 18,18,24 |
| 195-- | सहकारी समितियों से ब्याज | 2,62,78 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 41,29,67 |
| 900-- | घटाएं-वापसियां | -20 |
| योग-- | 04 | 1,63,28,50 |
| योग-- | 0049 | 1,63,28,50 |
| 0050-- | लाभांश तथा लाभ-- | |
| 101-- | सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश | 68,89,09 |
| 200-- | अन्य निवेशों से लाभांश | 16,13 |
| योग-- | 0050 | 69,05,22 |
| योग--(ख)-- | ब्याज प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ | 2,32,33,72 |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व-- | |
| (i) | सामान्य सेवाएं-- | |
| 0051-- | लोक सेवा आयोग-- | |
| 105-- | राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा शुल्क | 3,00,62 |
| योग-- | 0051 | 3,00,62 |
| 0055-- | पुलिस-- | |
| 101-- | अन्य सरकारों को भेजी गई पुलिस | 2,14,10 |
| 102-- | अन्य दलों को भेजी गई पुलिस | 5,37,32 |
| 103-- | फीस, अर्थदण्ड और समपहरण | 1,34,01 |
| 104-- | शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां | 3,36,41 |
| 105-- | राज्य पुलिस मुख्यालयों से प्राप्तियां | 10,72 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 11,37,26 |
| 900-- | घटाएं - वापसियां | -7,25 |
| योग-- | 0055 | 23,62,57 |

विवरण संख्या 11--जारी

शीर्ष

2008-09 के
वास्तविक आंकड़े
(हजार रुपये में)

| | | |
|--------|-----------------------------|----------|
| ख-- | करेतर राजस्व--जारी | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व--जारी | |
| (i) | सामान्य सेवाएं--जारी | |
| 0056-- | जेल-- | |
| 102-- | जेल उत्पादों की बिक्री | 1,02,08 |
| 501-- | सेवाएं एवं सेवा शुल्क | 8 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 1,52,34 |
| योग-- | 0056 | 2,54,50 |
| 0058-- | लेखन सामग्री तथा मुद्रण-- | |
| 101-- | लेखन सामग्री प्राप्तियां | 6,52,68 |
| 200-- | अन्य मुद्रणालय प्राप्तियां | 5,07,28 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 1,23,47 |
| योग-- | 0058 | 12,83,43 |
| 0059-- | लोक निर्माण कार्य-- | |
| 01-- | कार्यालय भवन-- | |
| 011-- | किराया | 5,39 |
| 102-- | मशीन और उपस्कर का भाड़ा | 7,76 |
| 103-- | प्रतिशतता प्रभारों की वसूली | 5,10,79 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 7,74,00 |
| योग-- | 01 | 12,97,94 |
| 60-- | अन्य भवन - | |
| 103-- | प्रतिशतता प्रभारों की वसूली | 2,78,21 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 2,18 |
| योग -- | 60 | 2,80,39 |
| 80-- | सामान्य-- | |
| 011-- | किराया | 48,54 |
| 102-- | मशीन और उपस्कर का भाड़ा | 16,49 |
| 103-- | प्रतिशतता प्रभारों की वसूली | 1,07,27 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 4,27,87 |
| 900-- | घटाएं-वापसियां | -4,14 |
| योग-- | 80 | 5,96,03 |
| योग-- | 0059 | 21,74,36 |

विवरण संख्या 11--जारी

शीर्ष

2008-09 के
वास्तविक आंकड़े
(हजार रुपये में)

| | | |
|--------|--|----------|
| ख-- | करेतर राजस्व--जारी | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व--जारी | |
| (i) | सामान्य सेवाएं--जारी | |
| 0070-- | अन्य प्रशासनिक सेवाएं-- | |
| 01-- | न्याय प्रशासन-- | |
| 102-- | अर्थदण्ड और समपहरण | 35,41,83 |
| 501-- | सेवाएं और सेवा शुल्क | 22,51 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 3,82,98 |
| योग-- | 01 | 39,47,32 |
| 02-- | चुनाव-- | |
| 104-- | शुल्क, अर्थदण्ड और समपहरण | 35,50 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 5,30 |
| योग-- | 02 | 40,80 |
| 60-- | अन्य सेवाएं-- | |
| 105-- | होमगार्ड | 10 |
| 108-- | विवाह शुल्क | 1 |
| 110-- | सरकारी लेखा परीक्षा के लिये शुल्क | 2,53,91 |
| 114-- | मोटर गैरेज आदि से प्राप्तियां | 1,40,41 |
| 116-- | पारपत्र शुल्क | 3 |
| 118-- | सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियां | 33 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 14,75,42 |
| 900-- | घटाएं-वापसियां | -2,99,99 |
| योग-- | 60 | 15,70,22 |
| योग-- | 0070 | 55,58,34 |
| 0071-- | पेंशन तथा अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली-- | |
| 01-- | सिविल-- | |
| 101-- | अभिदान और अंशदान | 3,52,21 |
| 106-- | उच्च न्यायालय के जजों के मामले में राज्य सरकारों से वसूल किए गए पेंशन का प्रभार | 75 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 4,50,50 |
| योग-- | 01 | 8,03,46 |
| योग-- | 0071 | 8,03,46 |

विवरण संख्या 11--जारी

शीर्ष

2008-09 के
वास्तविक आंकड़े
(हजार रुपये में)

| | | |
|----------|---|---------------|
| ख-- | करेतर राजस्व--जारी | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व--जारी | |
| (i) | सामान्य सेवाएं--समाप्त | |
| 0075-- | विविध सामान्य सेवाएं-- | |
| 101-- | अदावाकृत जमा राशि | 14,41,41 |
| 102-- | विभाजन- पूर्व प्राप्तिर्यो | 3 |
| 103-- | राज्य लॉटरियों | 37 |
| 105-- | भूमि और संपत्ति की बिक्री | 29,40 |
| 108-- | गारंटी फीस | 1,23,96 |
| 791-- | विनिमय में अर्जन (लाभ) | 8 |
| 800-- | अन्य प्राप्तिर्यां | 3,65,49,08(x) |
| 900-- | घटाएं-वापसियां | -1,27,49 |
| योग-- | 0075 | 3,80,16,84 |
| योग--(i) | सामान्य सेवाएं | 5,07,54,12 |
| (ii) | सामाजिक सेवाएं-- | |
| 0202-- | शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति-- | |
| 01-- | सामान्य शिक्षा-- | |
| 103-- | विश्व-विद्यालय और उच्चतर शिक्षा | 3,86,22 |
| 600-- | सामान्य | 2,57,70,66 |
| 800-- | अन्य प्राप्तिर्यां | 56,13,89 |
| 900-- | घटाएं-वापसियां | -6,96 |
| योग-- | 01 | 3,17,63,81 |
| 02-- | तकनीकी शिक्षा -- | |
| 101-- | शिक्षण और अन्य शुल्क | 66,37 |
| योग-- | 02 | 66,37 |
| 03-- | खेलकूद और युवा सेवाएं-- | |
| 900-- | घटाएं-वापसियां | -22,97 |
| योग-- | 03 | -22,97 |
| 04-- | कला और संस्कृति-- | |
| 101-- | अभिलेखागार और संग्रहालय | 14 |
| 800-- | अन्य प्राप्तिर्यां | 89,52 |
| योग-- | 04 | 89,66 |
| योग-- | 0202 | 3,18,96,87 |
| (x) | भारत सरकार से बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अधीन राज्य को ऋण समेकितकरण तथा राहत सुविधा के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त 3,63,05,97 हजार रुपये सम्मिलित हैं। | |

विवरण संख्या 11--जारी

शीर्ष

2008-09 के
वास्तविक आंकड़े
(हजार रुपये में)

| | | |
|--------|--|----------|
| ख-- | करेतर राजस्व--जारी | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व--जारी | |
| (ii) | सामाजिक सेवाएं--जारी | |
| 0210-- | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-- | |
| 01-- | शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-- | |
| 020-- | अस्पतालों और औषधालय सेवाओं के लिए रोगियों से प्राप्तियां | 4,22,70 |
| 101-- | कर्मचारी राज्य बीमा योजना से प्राप्तियां | 51,41 |
| 104-- | चिकित्सा भण्डार डिपो | 3,34,99 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 95,88 |
| 900-- | घटाएं-वापसियां | -1,88 |
| योग-- | 01 | 9,03,10 |
| 04-- | लोक स्वास्थ्य-- | |
| 104-- | फीस और अर्थदण्ड आदि | 11,85,16 |
| योग-- | 04 | 11,85,16 |
| योग-- | 0210 | 20,88,26 |
| 0211-- | परिवार कल्याण-- | |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 55,65 |
| योग-- | 0211 | 55,65 |
| 0215-- | जलपूर्ति तथा सफाई-- | |
| 01-- | जलपूर्ति-- | |
| 102-- | ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं से प्राप्तियां | 7,31 |
| 103-- | शहरी जलपूर्ति योजनाओं से प्राप्तियां | 6,36 |
| 501-- | सेवाएं और सेवा शुल्क | 2,32,03 |
| 900-- | घटाएं-वापसियां | -7, |
| योग-- | 01 | 2,45,63 |
| 02-- | मल जल और सफाई-- | |
| 103-- | मल जल योजनाओं से प्राप्तियां | 18,36 |
| 104-- | शुल्क, अर्थ दण्ड आदि | 13 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 3,49,42 |
| योग-- | 02 | 3,67,91 |
| योग-- | 0215 | 6,13,54 |

विवरण संख्या 11--जारी

शीर्ष

2008-09 के
वास्तविक आंकड़े
(हजार रुपये में)

| | | |
|--------|---|----------|
| ख-- | करेतर राजस्व--जारी | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व--जारी | |
| (ii) | सामाजिक सेवाएं--जारी | |
| 0216-- | आवास-- | |
| 01-- | सरकारी रिहायशी भवन-- | |
| 106-- | साधारण पूल आवास | 14,40,75 |
| योग-- | 01 | 14,40,75 |
| योग-- | 0216 | 14,40,75 |
| 0217-- | शहरी विकास-- | |
| 02-- | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-- | |
| 191-- | नगरपालिकाओं/निगमों आदि से प्राप्तियां | 2,22 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 5,27 |
| योग-- | 02 | 7,49 |
| 03-- | छोटे और मध्यम नगरों का समेकित विकास-- | |
| 191-- | नगरपालिकाओं से प्राप्तियां | 1,46 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 5,59 |
| योग-- | 03 | 7,05 |
| 04-- | गंदी बस्तियों का सुधार-- | |
| 191-- | नगरपालिकाओं आदि से प्राप्तियां | 16 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 1,06,23 |
| योग-- | 04 | 1,06,39 |
| 60-- | अन्य शहरी विकास योजनाएं-- | |
| 191-- | नगरपालिकाओं आदि से प्राप्तियां | 72 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 2,16,86 |
| योग-- | 60 | 2,17,58 |
| योग-- | 0217 | 3,38,51 |
| 0220-- | सूचना तथा प्रचार-- | |
| 01-- | फिल्म-- | |
| 102-- | विभाग द्वारा निर्मित फिल्मों से प्राप्तियां | 10,35 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 17,08 |
| योग-- | 01 | 27,43 |

विवरण संख्या 11--जारी

| शीर्ष | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े (हजार रुपये में) |
|---|---|
| ख-- करेतर राजस्व--जारी | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व--जारी | |
| (ii) सामाजिक सेवाएं--समाप्त | |
| 0220-- सूचना तथा प्रचार--समाप्त | |
| 60-- अन्य -- | |
| 105-- सामुदायिक रेडियो और दूरदर्शन सेटों से प्राप्तियां | 3 |
| 106-- विज्ञापन और दृश्य प्रचार से प्राप्तियां | 2,58 |
| 800-- अन्य प्राप्तियां | 5,25 |
| योग-- 60 | 7,86 |
| योग-- 0220 | 35,29 |
| 0230-- श्रम तथा रोजगार-- | |
| 101-- श्रम विधि से प्राप्तियां | 8,94,00 |
| 102-- व्यवसाय संघ के पंजीकरण के लिये शुल्क | 1,77,80 |
| 103-- वाष्प बायलरों के निरीक्षण के लिए शुल्क | 16,14 |
| 104-- फेक्ट्री अधिनियम के अन्तर्गत उगाहा गया शुल्क | 36,67 |
| 105-- खान अधिनियम के अंतर्गत परीक्षण शुल्क | 2,29 |
| 800-- अन्य प्राप्तियां | 2,38 |
| 900-- घटाएं-वापसियां | -87 |
| योग-- 0230 | 11,28,41 |
| 0235-- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-- | |
| 01-- पुनर्वास-- | |
| 800-- अन्य प्राप्तियां | 39,11,42 |
| योग-- 01 | 39,11,42 |
| योग-- 0235 | 39,11,42 |
| 0250-- अन्य सामाजिक सेवाएं-- | |
| 102-- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 31,53,65 |
| 800-- अन्य प्राप्तियां | 64,31 |
| योग-- 0250 | 32,17,96 |
| योग--(ii) सामाजिक सेवाएं | 4,47,26,66 |

विवरण संख्या 11--जारी

| शीर्ष | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े (हजार रुपये में) |
|--|---|
| ख-- करेतर राजस्व--जारी | |
| (ग) अन्य करेतर राजस्व--जारी | |
| (iii) आर्थिक सेवाएं-- | |
| 0401-- फसल कृषि- कर्म-- | |
| 103-- बीज | 96,19 |
| 104-- कृषि फार्मों, खेतों से प्राप्तियां | 3,07,39 |
| 105-- खाद और उर्वरक की बिक्री | 4,43 |
| 107-- वनस्पति रक्षण सेवाओं से प्राप्तियां | 95 |
| 108-- वाणिज्यिक फसलों से प्राप्तियां | 5,20 |
| 110-- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से अनुदान | 4,15 |
| 119-- बागवानी और वनस्पति फसलों से प्राप्तियां | 3,51,39 |
| 120-- कृषि औजारों और ट्रेक्टर सहित मशीनों की बिक्री, भाड़ा और सेवाएं | 93,67 |
| 800-- अन्य प्राप्तियां | 6,88,55 |
| 900-- घटाएं-वापसियां | -85 |
| योग-- 0401 | 15,51,07 |
| 0403-- पशुपालन-- | |
| 102-- मवेशी और भैंस पालन के विकास से प्राप्तियां | 65,77 |
| 103-- मुर्गी पालन के विकास से प्राप्तियां | 63,30 |
| 104-- भेड़ पालन और ऊन के विकास से प्राप्तियां | 1,70 |
| 105-- सुअर पालन के विकास से प्राप्तियां | 2,27 |
| 108-- अन्य पशुधन के विकास से प्राप्तियां | 1,96 |
| 501-- सेवाएं और सेवा शुल्क | 6,63 |
| 800-- अन्य प्राप्तियां | 1,67,64 |
| 900-- घटाएं-वापसियां | -96 |
| योग-- 0403 | 3,08,31 |
| 0404-- डेरी विकास- | |
| 800-- अन्य प्राप्तियां | 21 |
| योग-- 0404 | 21 |
| 0405-- मछली पालन -- | |
| 103-- मछली, मछली बीज आदि की बिक्री | 1,93,03 |
| योग-- 0405 | 1,93,03 |

विवरण संख्या 11--जारी

शीर्ष

2008-09 के
वास्तविक आंकड़े
(हजार रुपये में)

| | | |
|--------|--|------------|
| ख-- | करेतर राजस्व--जारी | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व--जारी | |
| (iii) | आर्थिक सेवाएं-- जारी | |
| 0406-- | वानिकी तथा वन्य प्राणी-- | |
| 01-- | वानिकी-- | |
| 101-- | लकड़ी और अन्य वन उत्पाद की बिक्री | 18,98,98 |
| 102-- | सामाजिक और फार्म वानिकी से प्राप्तियां | 2,99,27 |
| 103-- | पर्यावरणीय वानिकी से प्राप्तियां | 5,98 |
| 201-- | तैदूपत्ता का राजकीय व्यापार | 44,56,61 |
| 202-- | लघु वनोपज का राजकीय व्यापार | 3,68 |
| 203-- | इमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार | 4,79,33,29 |
| 204-- | बांसों का राजकीय व्यापार | 27,14,98 |
| 206-- | खैर का राजकीय व्यापार | 19,81 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 1,12,27,95 |
| 900-- | घटाएं-वापसियां | -16 |
| योग-- | 01 | 6,85,60,39 |
| 02-- | पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन | |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 1 |
| योग-- | 02 | 1 |
| योग-- | 0406 | 6,85,60,40 |
| 0408-- | खाद्य भंडारण तथा भांडागार-- | |
| 102-- | भंडारण और भांडागार | 75,28 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 76 |
| 900-- | घटाएं-वापसियां | -1,37 |
| योग-- | 0408 | 74,67 |
| 0425-- | सहकारिता-- | |
| 101-- | लेखा परीक्षा शुल्क | 12,37,67 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 87,03 |
| योग-- | 0425 | 13,24,70 |
| 0435-- | अन्य कृषि कार्यक्रम-- | |
| 102-- | कृषि उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण को श्रेणीबद्ध करने का शुल्क | 7,80 |
| 104-- | मृदा और जल संरक्षण | 1,26,36 |
| 501-- | सेवाएं एवं सेवा शुल्क | 18 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 3,32,53 |
| योग-- | 0435 | 4,66,87 |
| 0515-- | अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-- | |
| 102-- | सामुदायिक विकास परियोजनाओं से प्राप्तियां | 3,76,72 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 76 |
| 900-- | घटाएं-वापसियां | -25 |
| योग-- | 0515 | 3,77,23 |

विवरण संख्या 11--जारी

शीर्ष

2008-09 के
वास्तविक आंकड़े
(हजार रुपये में)

| | | |
|--------|--------------------------------------|---------|
| ख-- | करेतर राजस्व--जारी | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व--जारी | |
| (iii) | आर्थिक सेवाएं--जारी | |
| 0700-- | मुख्य सिंचाई-- | |
| 11-- | चंबल परियोजना-- | |
| 101-- | सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 71,39 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 55,68 |
| योग-- | 11 | 1,27,07 |
| 13-- | बारना परियोजना-- | |
| 101-- | सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 5,95 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 2,67 |
| योग-- | 13 | 8,62 |
| 14-- | तवा परियोजना-- | |
| 101-- | सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 1,98,52 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 4,62 |
| योग-- | 14 | 2,03,14 |
| 16-- | कोलार परियोजना-- | |
| 101-- | सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 10,37 |
| 102-- | घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 13 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 36,55 |
| योग-- | 16 | 47,05 |
| 20-- | बाण सागर परियोजना, रीवा-- | |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 5,53 |
| योग-- | 20 | 5,53 |
| 24-- | थावर परियोजना-- | |
| 101-- | सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 25,36 |
| योग-- | 24 | 25,36 |
| 26-- | सिंध परियोजना, द्वितीय चरण -- | |
| 101-- | सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 24,74 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 11,56 |
| योग-- | 26 | 36,30 |
| 31-- | भांडेर नहर-- | |
| 101-- | सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 8,99 |
| योग-- | 31 | 8,99 |

विवरण संख्या 11--जारी

शीर्ष

2008-09 के
वास्तविक आंकड़े
(हजार रुपये में)

| | | |
|--------|--------------------------------------|----------|
| ख-- | करेतर राजस्व--जारी | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व--जारी | |
| (iii) | आर्थिक सेवाएं--जारी | |
| 0700-- | मुख्य सिंचाई--समाप्त | |
| 80-- | सामान्य-- | |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 8,52,87 |
| योग-- | 80 | 8,52,87 |
| योग-- | 0700 | 13,14,93 |
| 0701-- | मध्यम सिंचाई-- | |
| 11-- | चम्बल बेतवा कछार -- | |
| 101-- | सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 1,09,12 |
| 102-- | घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 55,60 |
| 103-- | अन्य प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 2,44,97 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 3,43,68 |
| योग-- | 11 | 7,53,37 |
| 12-- | गंगा कछार -- | |
| 101-- | सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 8,08,91 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 8,29 |
| योग-- | 12 | 8,17,20 |
| 13-- | नर्मदा ताप्ती कछार -- | |
| 101-- | सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 57,95 |
| 102-- | घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 6,29 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 22,92 |
| योग-- | 13 | 87,16 |
| 14-- | बान गंगा कछार , सिवनी-- | |
| 101-- | सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 2,58,67 |
| 102-- | घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 15 |
| 103-- | अन्य प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 67 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 33,11 |
| योग-- | 14 | 2,92,60 |

विवरण संख्या 11--जारी

शीर्षः

2008-09 के
वास्तविक आंकड़े
(हजार रुपये में)

| | | |
|--------|--|----------|
| ख-- | करेतर राजस्व--जारी | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व--जारी | |
| (iii) | आर्थिक सेवाएं--जारी | |
| 0701-- | मध्यम सिंचाई--समाप्त | |
| 15-- | यमुना कछार, ग्वालियर -- | |
| 101-- | सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 23,53 |
| 102-- | घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 1 |
| 104-- | नहर बागानों से विक्रय आगम | 1,01 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 23,32 |
| योग-- | 15 | 47,87 |
| 16-- | चालान और रखरखाव, भोपाल -- | |
| 101-- | सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 18,25 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 1,04,31 |
| योग-- | 16 | 1,22,56 |
| 17-- | धसान केन कछार, सागर -- | |
| 101-- | सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री | 9 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 14,51 |
| योग-- | 17 | 14,60 |
| 19-- | विद्युत/यांत्रिकी मशीनों से प्राप्तियां -- | |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 1,04,62 |
| योग-- | 19 | 1,04,62 |
| 80-- | सामान्य-- | |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 1,52,75 |
| योग-- | 80 | 1,52,75 |
| योग-- | 0701 | 23,92,73 |
| 0702-- | लघु सिंचाई-- | |
| 01-- | सतह जल-- | |
| 101-- | जल टैंकों से प्राप्तियां | 5,11 |
| 102-- | उत्पादक सिंचाई योजनाओं से प्राप्तियां | 87 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 8,00,56 |
| योग -- | 01 | 8,06,54 |
| योग-- | 0702 | 8,06,54 |

विवरण संख्या 11--जारी

शीर्ष

2008-09 के
वास्तविक आंकड़े
(हजार रुपये में)

| | | |
|--------|--|---------|
| ख-- | करेतर राजस्व--जारी | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व--जारी | |
| (iii) | आर्थिक सेवाएं--जारी | |
| 0801-- | बिजली -- | |
| 01-- | जल विद्युत उत्पादन- | |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 4 |
| योग-- | 01 | 4 |
| 80-- | सामान्य-- | |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 2,24 |
| योग-- | 80 | 2,24 |
| योग-- | 0801 | 2,28 |
| 0802-- | पेट्रोलियम-- | |
| 104-- | पेट्रोलियम अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियां | 18 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 28 |
| योग-- | 0802 | 46 |
| 0851-- | ग्राम तथा लघु उद्योग-- | |
| 101-- | औद्योगिक क्षेत्र | 3,40 |
| 102-- | लघु उद्योग | 14,56 |
| 103-- | हथकरघा उद्योग | 23,09 |
| 105-- | खादी एवं ग्राम उद्योग | 5 |
| 107-- | रेशम उत्पाद उद्योग | 13,03 |
| 200-- | अन्य ग्राम उद्योग | 57 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 29,18 |
| 900-- | घटाएं-वापसियां | -5,64 |
| योग-- | 0851 | 78,24 |
| 0852-- | उद्योग-- | |
| 08-- | उपभोक्ता उद्योग- | |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 6,53,23 |
| 900-- | घटाएं-वापसियां | -1 |
| योग-- | 08 | 6,53,22 |
| 80-- | सामान्य-- | |
| 900-- | घटाएं-वापसियां | -2,31 |
| योग-- | 80 | -2,31 |
| योग-- | 0852 | 6,50,91 |

विवरण संख्या 11--जारी

शीर्ष

2008-09 के
वास्तविक आंकड़े
(हजार रुपये में)

| | | |
|------------|---|-------------|
| ख-- | करेतर राजस्व--समाप्त | |
| (ग) | अन्य करेतर राजस्व--समाप्त | |
| (iii) | आर्थिक सेवाएं--समाप्त | |
| 0853-- | अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-- | |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 13,62,67,92 |
| 900-- | घटाएं-वापसियां | -1,60,02 |
| योग-- | 0853 | 13,61,07,90 |
| 0875-- | अन्य उद्योग | |
| 60-- | अन्य- | |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 21 |
| योग-- | 60 | 21 |
| योग-- | 0875 | 21 |
| 1054-- | सड़क तथा सेतु-- | |
| 102-- | सड़कों पर पथकर | 4,48,77 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 12,56 |
| योग-- | 1054 | 4,61,33 |
| 1452-- | पर्यटन -- | |
| 105-- | किराया तथा खान पान प्राप्तियां | 24 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 1 |
| योग-- | 1452 | 25 |
| 1475-- | अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं-- | |
| 012-- | सांख्यिकी | 24,10 |
| 101-- | एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अंतर्गत उगाहा गया शुल्क | 46,54 |
| 102-- | एकस्व शुल्क | 14,68 |
| 103-- | ट्रेड मार्क के पंजीकरण के लिए शुल्क | 1,40 |
| 104-- | प्रमाणन, मार्किंग तथा परीक्षण शुल्क से प्राप्तियां | 2,57 |
| 105-- | संयुक्त स्टॉक कम्पनियों के विनियम | 77 |
| 106-- | बाटों और मापों के मुद्रांकन के लिए शुल्क | 4,03,54 |
| 107-- | जनगणना | 1,86 |
| 108-- | व्यापार प्रदर्शन तथा प्रचार | 1,10 |
| 200-- | अन्य कारबार उपक्रमों के विनियम | 3,41,19 |
| 800-- | अन्य प्राप्तियां | 61,63 |
| योग-- | 1475 | 8,99,38 |
| योग--(iii) | आर्थिक सेवाएं | 21,55,71,65 |
| योग--(ग) | अन्य करेतर राजस्व | 31,10,52,43 |
| योग--ख -- | करेतर राजस्व | 33,42,86,37 |

विवरण संख्या 11--जारी

| शीर्ष | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े (हजार रुपये में) |
|--|---|
| ग-- सहायता अनुदान तथा अंशदान-- | |
| 1601-- केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-- | |
| 01-- योजनेतर अनुदान-- | |
| 104-- संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान | 9,77,96,00 |
| 800-- अन्य अनुदान-- | |
| न्याय प्रशासन-- | |
| अन्य अनुदान | 3,65,00 |
| पुलिस-- | |
| पुलिस बल का आधुनिकीकरण | 12,76,88 |
| आंतरिक सुरक्षा | 6,92,86 |
| जेल- | |
| अन्य अनुदान | 9,54,50 |
| अन्य प्रशासनिक सेवाएं-- | |
| अन्य अनुदान | 82,02 |
| सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण -- | |
| पुनर्वास- | |
| अन्य अनुदान | 2,98,42 |
| सामाजिक कल्याण -- | |
| अन्य अनुदान | 1,25 |
| ग्राम तथा लघु उद्योग-- | |
| लघु उद्योग | 11,73 |
| योग-800 | 36,82,66 |
| योग--01 | 10,14,78,66 |
| 02-- राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिये अनुदान-- | |
| 101-- एक मुश्त (ब्लॉक) अनुदान | 21,55,66,44 |
| 102-- प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत के लिये अग्रिम | 9,18 |
| 104-- संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान | 1,66,14,43 |
| 800-- अन्य अनुदान-- | |
| अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा | |
| अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-- | |
| अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-- | |
| जनजातीय उपयोजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता | 89,99,12 |
| अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-- | |
| पंचायती राज | 3,24,44,00 |

विवरण संख्या 11--जारी

शीर्ष

2008-09 के
वास्तविक आंकड़े
(हजार रुपये में)

| | | |
|--------|---|-------------|
| ग-- | सहायता अनुदान तथा अंशदान--जारी | |
| 1601-- | केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान--जारी | |
| 02-- | राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिये अनुदान--समाप्त | |
| 800-- | अन्य अनुदान--समाप्त | |
| | सड़क तथा सेतु-- | |
| | राजकीय राजमार्ग-- | |
| | सड़क निर्माण कार्य | 87,45,00 |
| योग-- | 800 | 5,01,88,12 |
| योग-- | 02 | 28,23,78,17 |
| 03-- | केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिये अनुदान-- | |
| 800-- | अन्य अनुदान-- | |
| | तकनीकी शिक्षा-- | |
| | बहुशिल्प | 10,60,00 |
| | खेल कूद तथा युवा सेवाएं-- | |
| | विद्यार्थियों के लिये युवा कल्याण कार्यक्रम | 11,88,27 |
| | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य -- | |
| | लोक स्वास्थ्य - | |
| | रोगों का निवारण तथा नियंत्रण | 13,00 |
| | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा | |
| | अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-- | |
| | अनुसूचित जातियों का कल्याण-- | |
| | अनुसूचित जाति घटक योजना के लिये | |
| | विशेष केन्द्रीय सहायता | 48,06,42 |
| | अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-- | |
| | शिक्षा | 37,54,90 |
| | फसल कृषि कर्म-- | |
| | बीज | 3,94,86 |
| | कृषि अर्थ-व्यवस्था तथा सांख्यिकी | 9,34,04 |
| | कृषि इंजीनियरी | 36,31 |
| | अन्य अनुदान | 60,03,00 |

विवरण संख्या 11--जारी

शीर्ष

2008-09 के
वास्तविक आंकड़े
(हजार रुपये में)

| | | |
|--------|---|------------|
| ग-- | सहायता अनुदान तथा अंशदान--जारी | |
| 1601-- | केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान--जारी | |
| 03-- | केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिये अनुदान--समाप्त | |
| 800-- | अन्य अनुदान--समाप्त | |
| | पशुपालन-- | |
| | पशु तथा भैंस विकास | 9,40,00 |
| | वानिकी तथा वन्य प्राणी-- | |
| | वानिकी-- | |
| | वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण | 5,65,50 |
| | पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-- | |
| | अन्य अनुदान | 77,38 |
| | ग्राम तथा लघु उद्योग-- | |
| | हथकरघा उद्योग | 1,03,00 |
| | नागरिक आपूर्ति -- | |
| | अन्य अनुदान | 1,82,88 |
| योग -- | 800 | 2,00,59,56 |
| योग -- | 03 | 2,00,59,56 |
| 04-- | केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिये अनुदान-- | |
| 800- | अन्य अनुदान- | |
| | सामान्य शिक्षा-- | |
| | प्रारंभिक शिक्षा-- | |
| | अन्य अनुदान | 5,14,21,49 |
| | माध्यमिक शिक्षा-- | |
| | अध्यापक प्रशिक्षण | 7,65,71 |
| | अन्य अनुदान | 7,10,75 |
| | परिवार कल्याण-- | |
| | शहरी परिवार कल्याण सेवाएं | 1,94,90,81 |
| | जलपूर्ति तथा सफाई-- | |
| | जलपूर्ति-- | |
| | शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम | 3,88,81,36 |

विवरण संख्या 11--जारी

शीर्ष

2008-09 के
वास्तविक आंकड़े
(हजार रुपये में)

| | | |
|--------|---|------------|
| ग-- | सहायता अनुदान तथा अंशदान--जारी | |
| 1601-- | केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान--जारी | |
| 04-- | केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिये अनुदान--जारी | |
| 800- | अन्य अनुदान-जारी | |
| | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा | |
| | अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-- | |
| | अनुसूचित जातियों का कल्याण-- | |
| | शिक्षा | 40,24,15 |
| | अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-- | |
| | शिक्षा | 21,06,80 |
| | पिछड़े वर्गों का कल्याण-- | |
| | शिक्षा | 16,81,23 |
| | श्रम तथा रोजगार-- | |
| | श्रम-- | |
| | बीड़ी कर्मकार कल्याण | 33,00 |
| | बंधुआ मजदूर का पुनर्वास | 16,60 |
| | प्रशिक्षण-- | |
| | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान | 22,84,29 |
| | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-- | |
| | समाज कल्याण-- | |
| | बाल कल्याण | 3,82,29,24 |
| | फसल कृषि -कर्म-- | |
| | वाणिज्यिक फसलें | 1,42,60 |
| | कृषि अर्थ व्यवस्था तथा सांख्यिकी | 52,04,64 |
| | तिलहन विकास | 35,00,00 |
| | पशुपालन-- | |
| | पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य | 4,84,00 |
| | पशु तथा भैंस विकास | 1,40,00 |
| | डेरी विकास-- | |
| | डेरी विकास परियोजनाएं | 43,51 |

विवरण संख्या 11-समाप्त

| शीर्ष | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े (हजार रुपये में) |
|--|---|
| ग-- सहायता अनुदान तथा अंशदान--समाप्त | |
| 1601-- केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान--समाप्त | |
| 04-- केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत स्कीमों के लिये अनुदान--समाप्त | |
| 800- अन्य अनुदान-समाप्त | |
| मछली पालन-- | |
| अंतर्देशीय मछली पालन | 1,00,00 |
| अन्य अनुदान | 33,03 |
| वानिकी तथा वन्य प्राणी-- | |
| पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-- | |
| वन्य जीव परिरक्षण | 69,98,54 |
| चिड़ियाघर | 6,06,82 |
| भूमि सुधार-- | |
| भू-अभिलेखों का रख-रखाव | 12,66,33 |
| लघु सिंचाई-- | |
| सतही जल-- | |
| अन्य अनुदान | 10,55 |
| ग्राम तथा लघु उद्योग-- | |
| हथकरघा उद्योग | 2,78,10 |
| पर्यटन-- | |
| पर्यटक अवसंरचना-- | |
| अन्य अनुदान | 30,00,68 |
| योग-- 800 | 18,14,54,23 |
| योग-- 04 | 18,14,54,23 |
| योग-- 1601 | 58,53,70,62 |
| योग-- ग--सहायता अनुदान तथा अंशदान | 58,53,70,62 |
| योग-- (प्राप्ति शीर्ष-राजस्व लेखा) | 3,35,77,20,63 |
| प्राप्ति शीर्ष (पूँजीगत लेखा) | |
| 4000-- विविध पूँजीगत प्राप्तियां-- | |
| 01-- सिविल-- | |
| 105-- सहकारी संस्थाओं/बैंकों की पूँजी की निवृत्ति/विनिवेश | 24,00,02 |
| योग-- 4000 | 24,00,02 |
| महायोग-- (राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियां) | 3,36,01,20,65 |

विवरण संख्या 12--लघु शीर्षवार राजस्व व्यय और मुख्य शीर्षवार पूंजी व्यय का ब्यौरेवार लेखा

(इस विवरण में तिरछे अंक प्रभाषित व्यय को दर्शाते हैं)

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|---|----------|---------|----------------------------|--------------------------|----------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| (हजार रुपये में) | | | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| क-- सामान्य सेवाएं-- | | | | | |
| (क) राज्य के अंग-- | | | | | |
| 2011--संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-- | | | | | |
| 02-- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल- | | | | | |
| | 13,85 | | | | |
| 101-- विधान सभा | 16,50,30 | .. | .. | .. | 16,64,15 |
| 103-- विधान मंडल सचिवालय | 10,38,00 | .. | .. | .. | 10,38,00 |
| | 13,85 | | | | |
| योग--02 | 26,88,30 | .. | .. | .. | 27,02,15 |
| | 13,85 | | | | |
| योग--2011 | 26,88,30 | .. | .. | .. | 27,02,15 |
| 2012--राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-- | | | | | |
| 03-- राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-- | | | | | |
| 090-- सचिवालय | 1,46,54 | .. | .. | .. | 1,46,54 |
| 101-- राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों की परिलब्धियां तथा भत्ते | 31,54 | .. | .. | .. | 31,54 |
| 102-- विवेकाधीन अनुदान | 1,83 | .. | .. | .. | 1,83 |
| 103-- पारिवारिक स्थापना | 1,60,33 | .. | .. | .. | 1,60,33 |
| 104-- आतिथ्य भत्ता | 2,56 | .. | .. | .. | 2,56 |
| 105-- चिकित्सा सुविधाएं | 1,21 | .. | .. | .. | 1,21 |
| | 53 | | | | |
| 106-- मनोरंजन खर्च | 10,67 | .. | .. | .. | 11,20 |
| 107-- संविदा भत्ते से व्यय | 14,87 | .. | .. | .. | 14,87 |
| 108-- दौरा खर्च | 15,28 | .. | .. | .. | 15,28 |
| 800-- अन्य व्यय | 16,91 | .. | .. | .. | 16,91 |
| | 3,89,77 | | | | |
| योग-03 | 12,50 | .. | .. | .. | 4,02,27 |
| | 3,89,77 | | | | |
| योग-2012 | 12,50 | .. | .. | .. | 4,02,27 |
| 2013--मंत्रि परिषद-- | | | | | |
| 101-- मंत्रियों तथा उप मंत्रियों का वेतन | 36,29 | .. | .. | .. | 36,29 |
| 102-- आतिथ्य तथा अन्य भत्ते | 1,27,04 | .. | .. | .. | 1,27,04 |
| 105-- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान | 17,11,08 | .. | .. | .. | 17,11,08 |
| 108-- दौरा खर्च | 1,21,35 | .. | .. | .. | 1,21,35 |
| 800-- अन्य व्यय | 7,73,61 | .. | .. | .. | 7,73,61 |
| योग--2013 | 27,69,37 | .. | .. | .. | 27,69,37 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|---|----------------|---------|---|--------------------------|------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| क-- सामान्य सेवाएं--जारी | | | | | |
| (क) राज्य के अंग--समाप्त | | | | | |
| 2014--न्याय प्रशासन-- | | | | | |
| | 29,99,18 | | | | |
| 102-- उच्च न्यायालय | 3,35,22 | .. | .. | .. | 33,34,40 |
| 105-- सिविल और सेशन न्यायालय | 1,36,78,12 | .. | .. | .. | 1,36,78,12 |
| 108-- दण्ड न्यायालय | 16,21 | .. | .. | .. | 16,21 |
| 114-- विधि सलाहकार तथा परामर्शदाता (काउंसिल) | 14,00,15 | .. | .. | .. | 14,00,15 |
| 800-- अन्य व्यय | 3,29,52 | .. | .. | .. | 3,29,52 |
| | 29,99,18 | | | | |
| योग--2014 | 1,57,59,22 | .. | .. | .. | 1,87,58,40 |
| 2015--निर्वाचन-- | | | | | |
| 101-- निर्वाचन आयोग | 3,85,96 | .. | .. | .. | 3,85,96 |
| 102-- निर्वाचन अधिकारी | -26,07(क) | .. | .. | .. | -26,07 |
| 103-- निर्वाचक नामावली तैयार करना तथा मुद्रण | -5,44,85(ख) | .. | .. | .. | -5,44,85 |
| 105-- संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार | 1,73,94 | .. | .. | .. | 1,73,94 |
| 106-- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार | 10 25,82,56 | .. | .. | .. | 25,82,66 |
| 108-- मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना | 7,96,52(ग) | .. | .. | .. | 7,96,52 |
| 800-- अन्य व्यय | 55,49 | .. | .. | .. | 55,49 |
| | 10 | | | | |
| योग-2015 | 34,23,55 | .. | .. | .. | 34,23,65 |
| | 34,02,90 | | | | |
| योग-(क) राज्य के अंग | 2,46,52,94 | .. | .. | .. | 2,80,55,84 |
| (ख) राजकोषीय सेवाएं-- | | | | | |
| (i) आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण-- | | | | | |
| 2020--आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण-- | | | | | |
| 105-- संग्रहण प्रभार-वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा रोजगार पर कर | 32,98 | .. | .. | .. | 32,98 |
| योग-2020 | 32,98 | .. | .. | .. | 32,98 |
| योग--(i) आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण | 32,98 | .. | .. | .. | 32,98 |

(क) ऋणात्मक व्यय भारत सरकार से प्राप्त प्रतिपूर्ति रुपये 6,28,64 हजार के कारण है।

(ख) ऋणात्मक व्यय भारत सरकार से प्राप्त प्रतिपूर्ति रुपये 24,98,84 हजार के कारण है।

(ग) भारत सरकार से प्राप्त प्रतिपूर्ति रुपये 5,85,32 हजार सम्मिलित है।

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|---|----------------|---------|---|--------------------------|------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| क-- सामान्य सेवाएं--जारी | | | | | |
| (ख) राजकोषीय सेवाएं--जारी | | | | | |
| (ii) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण- | | | | | |
| 2029--भू- राजस्व-- | | | | | |
| 001-- निदेशन तथा प्रशासन | 30,03,96 | .. | .. | .. | 30,03,96 |
| 102-- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य | 20,01,37 | .. | .. | .. | 20,01,37 |
| 103-- भू अभिलेख | 1,51,64,87 | 2,60,93 | .. | 6,34,77 | 1,60,60,57 |
| 789-- अनुसूचित जनजातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 48,90 | .. | .. | 48,90 |
| 796-- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | .. | 35,93 | .. | .. | 35,93 |
| योग--2029 | 2,01,70,20 | 3,45,76 | .. | 6,34,77 | 2,11,50,73 |
| 2030--स्टाम्प पंजीकरण -- | | | | | |
| 01-- स्टाम्प--न्यायिक-- | | | | | |
| 001-- निदेशन तथा प्रशासन | 2,59,91 | .. | .. | .. | 2,59,91 |
| 101-- स्टाम्पों की लागत | 2,80,87 | .. | .. | .. | 2,80,87 |
| 102-- स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय | 71,52 | .. | .. | .. | 71,52 |
| योग--"01" | 6,12,30 | .. | .. | .. | 6,12,30 |
| 02-- स्टाम्प--न्यायिकेतर-- | | | | | |
| 101-- स्टाम्पों की लागत | 6,32,32 | .. | .. | .. | 6,32,32 |
| 102-- स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय | 18,36,80 | .. | .. | .. | 18,36,80 |
| 797-- आरक्षित निधियों तथा जमा लेखाओं को/से अंतरण | 1,16,34,35 (क) | .. | .. | .. | 1,16,34,35 |
| | 37,58,35 (ख) | .. | .. | .. | 1,53,92,70 |
| योग--"02" | 62,27,47 | .. | .. | .. | 1,78,61,82 |
| 03-- पंजीकरण-- | | | | | |
| 001-- निदेशन तथा प्रशासन | 11,14,34 | .. | .. | .. | 11,14,34 |
| योग--"03" | 11,14,34 | .. | .. | .. | 11,14,34 |
| योग--2030 | 79,54,11 | .. | .. | .. | 1,95,88,46 |
| योग--(ii) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण | 1,16,34,35 | 3,45,76 | .. | 6,34,77 | 4,07,39,19 |

(क) 8229-200-पंचायत भू राजस्व उपकर तथा मुद्रांक शुल्क निधि को अंतरित। पृष्ठ 387देखें।

(ख) 8229-200- मध्यप्रदेश ग्रामीण विकास निधि को अंतरित। पृष्ठ 387 देखें।

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|--|--|-----------|---|--------------------------|-------------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| क-- सामान्य सेवाएं--जारी | | | | | |
| (ख) राजकोषीय सेवाएं--जारी | | | | | |
| (iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण-- | | | | | |
| 2039--राज्य उत्पाद शुल्क-- | | | | | |
| 001-- निदेशन तथा प्रशासन | 4,42,74,13 | .. | .. | .. | 4,42,74,13 |
| 102-- अफीम आदि का क्रय | 50,56 | .. | .. | .. | 50,56 |
| 104-- लिंकर तथा स्पिरिट का क्रय | 62,20,19 | .. | .. | .. | 62,20,19 |
| 800-- अन्य व्यय | 6,46 | .. | .. | .. | 6,46 |
| योग--2039 | 5,05,51,34 | .. | .. | .. | 5,05,51,34 |
| 2040--बिक्री, व्यापार आदि पर कर-- | | | | | |
| 001-- निदेशन तथा प्रशासन | 29,56,92 | .. | .. | .. | 29,56,92 |
| 101-- संग्रहण प्रभार | 59,90,13 | .. | .. | .. | 59,90,13 |
| योग--2040 | 89,47,05 | .. | .. | .. | 89,47,05 |
| 2041--वाहन कर-- | | | | | |
| 001-- निदेशन तथा प्रशासन | 16,88,51 | .. | .. | .. | 16,88,51 |
| | 39 | | | | |
| 101-- संग्रहण प्रभार | 9,20,29 | .. | .. | .. | 9,20,68 |
| 102-- मोटर वाहनों का निरीक्षण | 5,88,97 | .. | .. | .. | 5,88,97 |
| | 39 | | | | |
| योग--2041 | 31,97,77 | .. | .. | .. | 31,98,16 |
| 2045--वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-- | | | | | |
| 101-- संग्रहण प्रभार-- मनोरंजन कर | 2,48 | .. | .. | .. | 2,48 |
| 103-- संग्रहण प्रभार-- विद्युत शुल्क | 1,65,94,49 ^(क) 7,74,61 | .. | .. | .. | 1,73,69,10 |
| | 1,65,94,49 | | | | |
| योग-2045 | 7,77,09 | .. | .. | .. | 1,73,71,58 |
| योग-(iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण | 1,65,94,88 6,34,73,25 | .. | .. | .. | 8,00,68,13 |

(क) 8229-110-विद्युत विकास निधि को अन्तरित। पृष्ठ 335देखें।

विवरण संख्या 12--जारी

2008-09 के वास्तविक आंकड़े
केन्द्र प्रवर्तित केन्द्र आयोजनागत
योजनाएं योजनाएं
(हजार रुपये में)

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | योग |
|--|-------------|---------|--|-----------------------------|---------------------------|
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| क--सामान्य सेवाएं--जारी | | | | | |
| (ख) राजकोषीय सेवाएं--समाप्त | | | | | |
| (iv) अन्य राजकोषीय सेवाएं-- | | | | | |
| 2047--अन्य राजकोषीय सेवाएं-- | | | | | |
| 103--अल्प बचतों की अभिवृद्धि | 2,17,92 | .. | .. | .. | 2,17,92 |
| योग-2047 | 2,17,92 | .. | .. | .. | 2,17,92 |
| योग-(iv) अन्य राजकोषीय सेवाएं | 2,17,92 | .. | .. | .. | 2,17,92 |
| | 2,82,29,23 | | | | |
| योग-(ख) राजकोषीय सेवाएं | 9,18,48,46 | 3,45,76 | .. | 6,34,77 | 12,10,58,22 |
| (ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन-- | | | | | |
| 2049--ब्याज अदायगियां -- | | | | | |
| 01--आंतरिक ऋण पर ब्याज-- | | | | | |
| 101--बाजार कर्जों पर ब्याज | 10,09,14,54 | .. | .. | .. | 10,09,14,54 |
| 123--राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज | 13,95,57,37 | .. | .. | .. | 13,95,57,37 |
| 200--अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज | 5,54,72,77 | .. | .. | .. | 5,54,72,77 ^(X) |
| 305--ऋण प्रबंध | 1,91,73 | .. | .. | .. | 1,91,73 |
| योग--"01" | 29,61,36,41 | .. | .. | .. | 29,61,36,41 |
| 03--अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज-- | | | | | |
| 104--राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज | 5,37,51,67 | .. | .. | .. | 5,37,51,67 |
| 108-- बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज | 1 | .. | .. | .. | 1 |
| योग--"03" | 5,37,51,68 | .. | .. | .. | 5,37,51,68 |

(X) इसमें अर्थोपाय पेशगियों पर ब्याज अदायगी के 80 हजार रुपये सम्मिलित हैं ।

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|--|-------------|---------|---|--------------------------|-------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| क--सामान्य सेवाएं--जारी | | | | | |
| (ग)--ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन --समाप्त | | | | | |
| 2049--ब्याज की अदायगियां -- समाप्त | | | | | |
| 04--केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज-- | | | | | |
| 101-- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिये कर्जों पर ब्याज | 6,68,57,46 | .. | .. | .. | 6,68,57,46 |
| 102--केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिये कर्जों पर ब्याज | 3,19,26 | .. | .. | .. | 3,19,26 |
| 103--केन्द्र द्वारा चलाई जा रही योजनागत योजनाओं के लिये कर्जों पर ब्याज | 13,05,33 | .. | .. | .. | 13,05,33 |
| 104--योजनेतर योजनाओं के लिये कर्जों पर ब्याज | 8,09,07 | .. | .. | .. | 8,09,07 |
| योग--"04" | 6,92,91,12 | .. | .. | .. | 6,92,91,12 |
| 60--अन्य दायित्वों पर ब्याज-- | | | | | |
| 701--विविध | 20,01 | .. | .. | .. | 20,01 |
| योग-"60" | 20,01 | .. | .. | .. | 20,01 |
| योग-2049 | 41,91,99,22 | .. | .. | .. | 41,91,99,22 |
| योग-(ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन | 41,91,99,22 | .. | .. | .. | 41,91,99,22 |
| (घ) प्रशासनिक सेवाएं-- | | | | | |
| 2051--लोक सेवा आयोग-- | | | | | |
| | 7,24,53 | | | | |
| 102--राज्य लोक सेवा आयोग | 46,00 | .. | .. | .. | 7,70,53 |
| योग-2051 | 7,24,53 | .. | .. | .. | 7,70,53 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|---|------------|----------|--|-----------------------------|------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| क--सामान्य सेवाएं--जारी | | | | | |
| (घ) प्रशासनिक सेवाएं--जारी | | | | | |
| 2052--सचिवालय -सामान्य सेवाएं-- | | | | | |
| 090--सचिवालय | 36,83,04 | 1,00,00 | .. | .. | 37,83,04 |
| 091--संलग्न कार्यालय | 21,90,08 | 11,00,42 | .. | .. | 32,90,50 |
| 092--अन्य कार्यालय | 2,43,00 | .. | .. | .. | 2,43,00 |
| | 35,39 | | | | |
| 099--राजस्व बोर्ड | 1,99,95 | .. | .. | .. | 2,35,34 |
| 789-- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 10,00,00 | .. | .. | 10,00,00 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 5,00,00 | .. | .. | 5,00,00 |
| | 35,39 | | | | |
| योग-2052 | 63,16,07 | 27,00,42 | .. | .. | 90,51,88 |
| 2053--जिला प्रशासन-- | | | | | |
| | 6,64 | | | | |
| 093--जिला स्थापनाएं | 68,75,58 | .. | .. | .. | 68,82,22 |
| 094--अन्य स्थापनाएं | 1,21,65,68 | .. | .. | .. | 1,21,65,68 |
| 101--आयुक्त | 7,20,33 | .. | .. | .. | 7,20,33 |
| 800--अन्य व्यय | 2,97,99 | .. | .. | .. | 2,97,99 |
| | 6,64 | | | | |
| योग-2053 | 2,00,59,58 | .. | .. | .. | 2,00,66,22 |
| 2054--खजाना तथा लेखा प्रशासन-- | | | | | |
| 003--प्रशिक्षण | 55,47 | .. | .. | .. | 55,47 |
| 095-- लेखा तथा खजाना निदेशालय | 9,47,83 | .. | .. | .. | 9,47,83 |
| 097-- खजाना स्थापना | 26,30,66 | .. | .. | .. | 26,30,66 |
| 098--स्थानीय निधि लेखा परीक्षा | 17,90,49 | .. | .. | .. | 17,90,49 |
| 800--अन्य व्यय | 7,81 | .. | .. | .. | 7,81 |
| योग-2054 | 54,32,26 | .. | .. | .. | 54,32,26 |
| 2055--पुलिस-- | | | | | |
| 001--निदेशन और प्रशासन | 19,06,09 | .. | .. | .. | 19,06,09 |
| 003--शिक्षा और प्रशिक्षण | 26,52,01 | .. | .. | .. | 26,52,01 |
| | 25 | | | | |
| 101--आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता | 54,26,13 | 58,50 | .. | .. | 54,84,88 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|--|-------------------------|---------|---|--------------------------|-------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| क--सामान्य सेवाएं--जारी | | | | | |
| (घ) प्रशासनिक सेवाएं--जारी | | | | | |
| 2055--पुलिस--समाप्त | | | | | |
| 104--विशेष पुलिस | 2,78,53,62 | 3,01,41 | .. | .. | 2,81,55,03 |
| | 70,00 | | | | |
| 109--जिला पुलिस | 8,01,81,88 | 1,47,73 | .. | .. | 8,03,99,61 |
| 110--ग्राम पुलिस | 75,61 | .. | .. | .. | 75,61 |
| 111--रेल पुलिस | 30,80,60 | .. | .. | .. | 30,80,60 |
| 113--पुलिस कार्मिकों का कल्याण | 6,34,01 | .. | .. | .. | 6,34,01 |
| 114--बेतार और कम्प्यूटर | 35,87,49 | .. | .. | .. | 35,87,49 |
| 115-- पुलिस बल का आधुनिकीकरण | 20,64,96 | .. | .. | .. | 20,64,96 |
| 116-- न्यायालयिक विज्ञान | 5,20,99 | .. | .. | .. | 5,20,99 |
| 789-- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | .. | 16,16,46 | .. | 16,16,46 |
| 800-- अन्य व्यय | 1,25,95 | .. | .. | .. | 1,25,95 |
| | 70,25 | | | | |
| योग-2055 | 12,81,09,34 | 5,07,64 | 16,16,46 | .. | 13,03,03,69 |
| 2056--जेल-- | | | | | |
| 001--निदेशन और प्रशासन | 1,57,98 | .. | .. | .. | 1,57,98 |
| 101--जेल | 94,07,72 | 1,74,84 | .. | .. | 95,82,56 |
| 102--जेल उत्पाद | 1,59,95 | .. | .. | .. | 1,59,95 |
| योग-2056 | 97,25,65 | 1,74,84 | .. | .. | 99,00,49 |
| 2058--लेखन सामग्री तथा मुद्रण-- | | | | | |
| 001--निदेशन और प्रशासन | 83,20 | .. | .. | .. | 83,20 |
| 101--लेखन सामग्री भण्डार क्रय तथा पूर्ति | 2,31,58 | .. | .. | .. | 2,31,58 |
| 103--सरकारी मुद्रणालय | 24,45,26 ^(क) | .. | .. | .. | 24,45,26 |
| 104--अन्य साधनों से मुद्रण की लागत | 1,76,34 | .. | .. | .. | 1,76,34 |
| 800--अन्य व्यय | 15,39 | .. | .. | .. | 15,39 |
| योग-2058 | 29,51,77 | .. | .. | .. | 29,51,77 |

(क) 8226-102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्य हास आरक्षित निधि को अन्तरित रुपये 25,86 हजार सम्मिलित हैं। पृष्ठ 334 देखें।

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|-------------------------------------|-------------|--------------|---|--------------------------|-------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| क--सामान्य सेवाएं--जारी | | | | | |
| (घ) प्रशासनिक सेवाएं--समाप्त | | | | | |
| 2059--लोक निर्माण कार्य-- | | | | | |
| 01--कार्यालय भवन-- | | | | | |
| 053--रख-रखाव तथा मरम्मत | 1,05,00,78 | .. | .. | .. | 1,05,00,78 |
| योग--01 | 1,05,00,78 | .. | .. | .. | 1,05,00,78 |
| 60--अन्य भवन- | | | | | |
| 103--साज-सामान | 11,67 | .. | .. | .. | 11,67 |
| योग--60 | 11,67 | .. | .. | .. | 11,67 |
| 80--सामान्य-- | | | | | |
| 001--निदेशन और प्रशासन | 78,97,25 | -23,61,79(x) | .. | .. | 55,35,46 |
| 052--मशीनरी तथा उपस्कर | -3,74,37(x) | .. | .. | .. | -3,74,37 |
| 799--उर्ध्व | 1,40,63 | .. | .. | .. | 1,40,63 |
| 800--अन्य व्यय | 66,89 | .. | .. | .. | 66,89 |
| | 66,89 | .. | .. | .. | 66,89 |
| योग--80 | 76,63,51 | -23,61,79 | .. | .. | 53,68,61 |
| | 66,89 | .. | .. | .. | 66,89 |
| योग--2059 | 1,81,75,96 | -23,61,79 | .. | .. | 1,58,81,06 |
| 2070--अन्य प्रशासनिक सेवाएं-- | | | | | |
| 003--प्रशिक्षण | 2,62,17 | .. | .. | .. | 2,62,17 |
| 104--सतर्कता | 9,12,35 | .. | .. | .. | 9,12,35 |
| 105--विशेष जांच आयोग | 35,24 | .. | .. | .. | 35,24 |
| 106--सिविल रक्षा | 13,41 | .. | .. | .. | 13,41 |
| 107--होमगार्ड | 77,48,12 | .. | .. | .. | 77,48,12 |
| 108--अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण | 4,18,68 | .. | .. | .. | 4,18,68 |
| | 1 | .. | .. | .. | 1 |
| 114--वाहन का क्रय तथा रख-रखाव | 4,25,11 | .. | .. | .. | 4,25,12 |
| 800--अन्य व्यय | 3,57,09 | .. | .. | .. | 3,57,09 |
| | 1 | .. | .. | .. | 1 |
| योग--2070 | 1,01,72,17 | .. | .. | .. | 1,01,72,18 |
| | 9,03,71 | .. | .. | .. | 9,03,71 |
| योग--(घ) प्रशासनिक सेवाएं | 20,09,88,80 | 10,21,11 | 16,16,46 | .. | 20,45,30,08 |

(x) ऋणात्मक व्यय अधिक प्राप्तियों तथा वसूलियों के कारण है।

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|--|----------------|----------|---|--------------------------|---------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| क--सामान्य सेवाएं--समाप्त | | | | | |
| (ड.)-पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं-- | | | | | |
| 2071--पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ-- | | | | | |
| 01--सिविल-- | | | | | |
| | 1,61,67 | | | | |
| 101--अधिवाषिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते | 16,77,11,08 | .. | .. | .. | 16,78,72,75 |
| | 35,07 | | | | |
| 102--पेंशन का सारांशिकृत मूल्य | 3,54,86 | .. | .. | .. | 3,89,93 |
| 103-- क्षतिपूरक भत्ता | 37 | .. | .. | .. | 37 |
| 104--उपदान | 3,18,60,78 | .. | .. | .. | 3,18,60,78 |
| 105--परिवार पेंशन | 2,95,72,36 | .. | .. | .. | 2,95,72,36 |
| 106--उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार | 6,89 | .. | .. | .. | 6,89 |
| 111--विधायकों को पेंशन | 4,37,91 | .. | .. | .. | 4,37,91 |
| 115--छुट्टी नकदीकरण हित लाभ | 1,06,69,94 | .. | .. | .. | 1,06,69,94 |
| 117-- निर्धारित अंशदान पेंशन योजना के लिये शासकीय अंशदान | 15,90,88 | .. | .. | .. | 15,90,88 |
| 800--अन्य व्यय | 9,03,03 | .. | .. | .. | 9,03,03 |
| योग--2071 | 24,31,01,21(र) | .. | .. | .. | 24,33,04,84 |
| 2075--विविध सामान्य सेवाएं-- | | | | | |
| 102--विभाजन पूर्व अदायगियां | 8,99 | .. | .. | .. | 8,99 |
| 103--राज्य लाटरियां | 24 | .. | .. | .. | 24 |
| 800--अन्य व्यय | 75,72 | .. | .. | .. | 75,72 |
| योग--2075 | 84,95 | .. | .. | .. | 84,95 |
| योग--(ड.) पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं | 24,31,86,16 | .. | .. | .. | 24,33,89,79 |
| | 45,19,38,69 | | | | |
| योग --क--सामान्य सेवाएं | 56,06,76,36 | 13,66,87 | 16,16,46 | 6,34,77 | 1,01,62,33,15 |

(र) पेंशन संचालनालय, मध्यप्रदेश के अ.शा.पत्र क्रमांक संपें/2042/2009 दिनांक 04-07-2009 के द्वारा प्रेषित जानकारी के अनुसार अधिवाषिकी पर सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों, परिवार पेंशन भोगियों, विधायकों तथा अन्य की संख्या क्रमशः 228439, 95435, 818 तथा 3648 है।

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|--|-------------|------------|---|--------------------------|-------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाएं-- | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति-- | | | | | |
| 2202--सामान्य शिक्षा-- | | | | | |
| 01--प्रारंभिक शिक्षा-- | | | | | |
| 001--निदेशन और प्रशासन | 43,57,50 | .. | .. | .. | 43,57,50 |
| | | | 25 | | |
| 101--राजकीय प्राथमिक विद्यालय | 18,18,47,82 | 8,16,00 | 3,11,15,87 | .. | 21,37,79,94 |
| 102--अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता | 10,02,77 | .. | .. | 11,48,18 | 21,50,95 |
| 103--प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों को सहायता | 4,96,99,12 | .. | .. | .. | 4,96,99,12 |
| 107--अध्यापक प्रशिक्षण | 38,31 | .. | .. | .. | 38,31 |
| 108--पाठ्य पुस्तकें | .. | 57,70,00 | .. | .. | 57,70,00 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 19,17,99 | 92,86,83 | .. | 1,12,04,82 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 1,82,71,42 | 1,11,98,47 | .. | 2,94,69,89 |
| 800-- अन्य व्यय | 10,95,38 | .. | .. | .. | 10,95,38 |
| | | | 25 | | |
| योग--"01" | 23,80,40,90 | 2,67,75,41 | 5,16,01,17 | 11,48,18 | 31,75,65,91 |
| 02--माध्यमिक शिक्षा- | | | | | |
| 001--निदेशन और प्रशासन | 4,67,26 | 3,01,63 | .. | .. | 7,68,89 |
| 103--अनौपचारिक शिक्षा | .. | .. | .. | 4,69 | 4,69 |
| | 74 | | | | |
| 105--अध्यापक प्रशिक्षण | 4,58,38 | .. | .. | 5,70,94 | 10,30,06 |
| 109--राजकीय माध्यमिक विद्यालय | 7,01,18,23 | 61,29,54 | .. | .. | 7,62,47,77 |
| 110--अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता | 9,39,95 | .. | .. | .. | 9,39,95 |
| 191--माध्यमिक शिक्षा के लिये स्थानीय निकायों को सहायता | 1,34,76,82 | 11,58,89 | .. | .. | 1,46,35,71 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|--|------------|------------|---|--------------------------|-------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाएं--जारी | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति --जारी | | | | | |
| 2202--सामान्य शिक्षा--जारी | | | | | |
| 02--माध्यमिक शिक्षा-समाप्त | | | | | |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 19,70,82 | .. | .. | 19,70,82 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 78,64,86 | .. | .. | 78,64,86 |
| 800--अन्य व्यय | .. | .. | 3,75,07 | .. | 3,75,07 |
| योग--"02" | 74 | | | | |
| | 8,54,60,64 | 1,74,25,74 | 3,75,07 | 5,75,63 | 10,38,37,82 |
| 03--विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-- | | | | | |
| 001--निदेशन तथा प्रशासन | 5,29,80 | 4,86 | 2,98,92 | .. | 8,33,58 |
| 102--विश्वविद्यालयों को सहायता | 52,07,89 | 4,27,63 | 30,00 | .. | 56,65,52 |
| | 19,68 | | | | |
| 103--राजकीय कालेज तथा संस्थान | 2,93,20,36 | 26,04,44 | .. | .. | 3,19,44,48 |
| 104--अराजकीय कालेजों तथा संस्थानों को सहायता | 37,61,54 | 69,49 | .. | .. | 38,31,03 |
| 106--पाठ्य-पुस्तक विकास | 27,90 | .. | .. | .. | 27,90 |
| 107--छात्रवृत्तियां | 13,92 | 27,22 | .. | 29 | 41,43 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 11,06,51 | 22,08 | .. | 11,28,59 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 9,06,55 | .. | .. | 9,06,55 |
| | 19,68 | | | | |
| योग--"03" | 3,88,61,41 | 51,46,70 | 3,51,00 | 29 | 4,43,79,08 |
| 04-- वयस्क शिक्षा-- | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | 29,91 | 29,91 |
| योग-- " 04 " | .. | .. | .. | 29,91 | 29,91 |

विवरण संख्या-12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|---|-------------|------------|---|--------------------------|-------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाएं--जारी | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति-जारी | | | | | |
| 2202--सामान्य शिक्षा--समाप्त | | | | | |
| 05--भाषा विकास-- | | | | | |
| 102--आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन | 4,42 | .. | .. | .. | 4,42 |
| 103--संस्कृत शिक्षा | 3,63,55 | .. | .. | .. | 3,63,55 |
| 200--अन्य भाषाओं की शिक्षा | 3,74 | .. | .. | .. | 3,74 |
| योग--"05" | 3,71,71 | .. | .. | .. | 3,71,71 |
| 80--सामान्य-- | | | | | |
| | 4,90 | | | | |
| 001--निदेशन और प्रशासन | 7,34,21 | 31,95,26 | .. | .. | 39,34,37 |
| 107--छात्रवृत्तियां | 12,16 | .. | .. | .. | 12,16 |
| 800--अन्य व्यय | 1,77,66 | 1,69,27 | .. | .. | 3,46,93 |
| योग--"80" | 9,24,03 | 33,64,53 | .. | .. | 42,93,46 |
| योग--"2202" | 36,36,58,69 | 5,27,12,38 | 5,23,27,24 | 17,54,01 | 47,04,77,89 |
| 2203--तकनीकी शिक्षा-- | | | | | |
| 001--निदेशन और प्रशासन | 3,01,57 | 40,19 | .. | .. | 3,41,76 |
| 104--अराजकीय तकनीकी कालेजों तथा संस्थानों को सहायता | 16,29,00 | 4,09,75 | .. | .. | 20,38,75 |
| 105--बहुशिल्प (पॉलिटेक्नीक) विद्यालय | 41,30,99 | 4,31,13 | 3,65,00 | .. | 49,27,12 |
| 107--छात्रवृत्तियां | 3,66 | .. | .. | .. | 3,66 |
| 112--इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान | 11,45,51 | 58,42 | .. | .. | 12,03,93 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|--|-------------|------------|---|--------------------------|-------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाएं--जारी | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति--समाप्त | | | | | |
| 2203--तकनीकी शिक्षा--समाप्त | | | | | |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष | | | | | |
| घटक योजना | .. | 7,40,70 | .. | .. | 7,40,70 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 9,78,34 | .. | .. | 9,78,34 |
| 800--अन्य व्यय | 64,99 | 51,06 | .. | .. | 1,16,05 |
| योग--2203 | 72,75,72 | 27,09,59 | 3,65,00 | .. | 1,03,50,31 |
| 2204--खेलकूद तथा युवा सेवाएं-- | | | | | |
| 101--व्यायाम शिक्षा | | | | | |
| 102--विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम | 15,37,39 | .. | .. | 5,34 | 15,42,73 |
| 103--गैर-विद्यार्थियों के लिये युवा कल्याण कार्यक्रम | | | | | |
| घटक योजना | 2,87,93 | .. | .. | .. | 2,87,93 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष | | | | | |
| घटक योजना | .. | 5,21,78 | .. | .. | 5,21,78 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 4,11,27 | .. | .. | 4,11,27 |
| 800--अन्य व्यय | 1,67,34 | 13,84,28 | 57,97 | .. | 16,09,59 |
| योग--2204 | 20,37,79 | 23,17,33 | 57,97 | 5,34 | 44,18,43 |
| 2205--कला एवं संस्कृति-- | | | | | |
| 001--निदेशन और प्रशासन | | | | | |
| 101--ललित कला शिक्षा | 71,00 | .. | .. | .. | 71,00 |
| 102--कला एवं संस्कृति का संवर्धन | 1,38,00 | .. | .. | .. | 1,38,00 |
| 103--पुरातत्व विज्ञान | 3,87,36 | 3,20,85 | .. | .. | 7,08,21 |
| 104--अभिलेखागार | 4,19,19 | 2,27,16 | .. | .. | 6,46,35 |
| 105--सार्वजनिक पुस्तकालय | 71,91 | 11,09 | .. | .. | 83,00 |
| 107--संग्रहालय | 2,72,33 | 2,42 | .. | .. | 2,74,75 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | 2,80,82 | 54,48 | .. | .. | 3,35,30 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 1,72,66 | .. | .. | 1,72,66 |
| 800--अन्य व्यय | .. | 2,50,48 | .. | .. | 2,50,48 |
| योग--2205 | 5,83,51 | 9,55,22 | .. | .. | 15,38,73 |
| योग--(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति | 22,24,12 | 19,94,36 | .. | .. | 42,18,48 |
| | 25,32 | | 25 | | |
| | 37,51,96,32 | 5,97,33,66 | 5,27,50,21 | 17,59,35 | 48,94,65,11 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|---|------------|----------|---|--------------------------|------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाएं--जारी | | | | | |
| (ख)--स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण-- जारी | | | | | |
| 2210--चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- जारी | | | | | |
| 01--शहरी स्वास्थ्य सेवाएं--एलोपैथी- समाप्त | | | | | |
| 001--निदेशन और प्रशासन | 44,03,95 | .. | .. | .. | 44,03,95 |
| | 1,00 | .. | .. | .. | .. |
| 102--कर्मचारी राज्य बीमा योजना | 32,26,88 | .. | .. | 78,30 | 33,06,18 |
| 104--चिकित्सा भण्डार डिपो | 36,86 | .. | .. | .. | 36,86 |
| | 21,32 | .. | .. | .. | .. |
| 110--अस्पताल तथा औषधालय | 3,28,37,46 | 2,46,70 | 45,00,00 | 15,66 | 3,76,21,14 |
| 200--अन्य स्वास्थ्य योजनाएं | 15,16,20 | .. | .. | 12,42 | 15,28,62 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 17,04,45 | .. | .. | 17,04,45 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 31,15,33 | .. | 3,53 | 31,18,86 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 7,43,15 | .. | .. | 7,43,15 |
| | 22,32 | .. | .. | .. | .. |
| योग--"01" | 4,20,21,35 | 58,09,63 | 45,00,00 | 1,09,91 | 5,24,63,21 |
| 02--शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-- | | | | | |
| अन्य चिकित्सा पद्धतियां-- | | | | | |
| 101--आयुर्वेद | 74,44,12 | 1,26,75 | .. | .. | 75,70,87 |
| 102--होम्योपैथी | 5,85,34 | .. | .. | .. | 5,85,34 |
| 103--यूनानी | 3,51,28 | 51,06 | .. | .. | 4,02,34 |
| योग--"02" | 83,80,74 | 1,77,81 | .. | .. | 85,58,55 |
| 03--ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं--एलोपैथी-- | | | | | |
| 103--प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | 2,40,48,83 | 4,24,60 | .. | .. | 2,44,73,43 |
| 789-- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 3,17,75 | .. | .. | 3,17,75 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 2,85,80 | .. | .. | 2,85,80 |
| योग--"03" | 2,40,48,83 | 10,28,15 | .. | .. | 2,50,76,98 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|---|------------|---------|---|--------------------------|------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाएं--जारी | | | | | |
| (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण - जारी | | | | | |
| 2210--चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-- जारी | | | | | |
| 04--ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-- | | | | | |
| अन्य चिकित्सा पद्धतियां -- | | | | | |
| 101--आयुर्वेद | .. | 1,70,12 | .. | .. | 1,70,12 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 30,96 | .. | .. | 30,96 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 92,73 | .. | .. | 92,73 |
| योग--"04" | .. | 2,93,81 | .. | .. | 2,93,81 |
| 05--चिकित्सा शिक्षा - | | | | | |
| प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-- | | | | | |
| 101--आयुर्वेद | 9,70,83 | 1,22,11 | .. | .. | 10,92,94 |
| 102--होम्योपैथी | 1,78,00 | 15,00 | .. | .. | 1,93,00 |
| 105--एलोपैथी | 75,84,42 | 6,78 | .. | .. | 75,91,20 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 3,03,71 | .. | .. | 3,03,71 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 2,24,55 | .. | .. | 2,24,55 |
| योग--"05" | 87,33,25 | 6,72,15 | .. | .. | 94,05,40 |
| 06--लोक स्वास्थ्य-- | | | | | |
| 003--प्रशिक्षण | 2,40,55 | .. | .. | .. | 2,40,55 |
| 101--रोगों का निवारण तथा नियंत्रण | 1,27,92,37 | 60,00 | 1,11,90 | 27,43 | 1,29,91,70 |
| 102--खाद्य अपमिश्रण का निवारण | 2,98,74 | 2,07 | .. | 27,34 | 3,28,15 |
| 104--औषध नियंत्रण | 2,65,38 | 1,13 | .. | .. | 2,66,51 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | .. | 3,58,16 | .. | 3,58,16 |
| योग--"06" | 1,35,97,04 | 63,20 | 4,70,06 | 54,77 | 1,41,85,07 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|---|------------|------------|---|--------------------------|-------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाएं--जारी | | | | | |
| (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण --समाप्त | | | | | |
| 2210--चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य--समाप्त | | | | | |
| 80--सामान्य-- | | | | | |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 4,90,20 | .. | .. | 4,90,20 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 12,44,18 | .. | .. | 12,44,18 |
| 800--अन्य व्यय | 1,53,02 | 29,25,15 | .. | .. | 30,78,17 |
| योग--"80" | 1,53,02 | 46,59,53 | .. | .. | 48,12,55 |
| | 22,32 | | | | |
| योग--2210 | 9,69,34,23 | 1,27,04,28 | 49,70,06 | 1,64,68 | 11,47,95,57 |
| 2211--परिवार कल्याण-- | | | | | |
| | | | | 2,79 | |
| 001--निदेशन और प्रशासन | .. | .. | .. | 23,35,06 | 23,37,85 |
| 003--प्रशिक्षण | .. | .. | .. | 12,41,43 | 12,41,43 |
| 101--ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं | .. | .. | .. | 1,11,58,34 | 1,11,58,34 |
| 102--शहरी परिवार कल्याण सेवाएं | .. | .. | .. | 10,69,24 | 10,69,24 |
| 106--सार्वजनिक शिक्षा | 2,12,15 | .. | .. | .. | 2,12,15 |
| | | | | 2,79 | |
| योग--2211 | 2,12,15 | .. | .. | 1,58,04,07 | 1,60,19,01 |
| | 22,32 | | | 2,79 | |
| योग--(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण | 9,71,46,38 | 1,27,04,28 | 49,70,06 | 1,59,68,75 | 13,08,14,58 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|---|------------|----------|---|--------------------------|------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाएं--जारी | | | | | |
| (ग)-जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास-- | | | | | |
| 2215--जलपूर्ति तथा सफाई-- | | | | | |
| 01--जलपूर्ति -- | | | | | |
| | 22,74 | | | | |
| 001--निदेशन और प्रशासन | 78,39,15 | .. | .. | .. | 78,61,89 |
| 005--सर्वेक्षण तथा जांच-पड़ताल | .. | 15,94 | .. | .. | 15,94 |
| 052--मशीनरी तथा उपस्कर | 83,09 | .. | .. | .. | 83,09 |
| 101--शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम | 93,85,75 | .. | .. | .. | 93,85,75 |
| 102--ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम | 69,42,18 | .. | 25,04,14 | .. | 94,46,32 |
| 191--स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं आदि को सहायता | .. | 11,50,11 | .. | .. | 11,50,11 |
| 192--नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता | .. | 4,69,44 | 86,80 | .. | 5,56,24 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 5,18,90 | 12,08,99 | .. | 17,27,89 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | .. | 53,40,54 | .. | 53,40,54 |
| 800--अन्य व्यय | 2,34,42 | .. | 42,34 | .. | 2,76,76 |
| | 22,74 | | | | |
| योग--"01" | 2,44,84,59 | 21,54,39 | 91,82,81 | .. | 3,58,44,53 |
| 02--मल-जल तथा सफाई-- | | | | | |
| 001-- निदेशन और प्रशासन | .. | .. | 10,71 | .. | 10,71 |
| 106--वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण | .. | 64,00 | 3,64,18 | .. | 4,28,18 |
| 107--मल-जल सेवाएं | 12,50,41 | .. | 17,82,45 | .. | 30,32,86 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | .. | 10,84,43 | .. | 10,84,43 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | .. | 11,57,88 | .. | 11,57,88 |
| 800--अन्य व्यय | .. | 1,08,74 | .. | .. | 1,08,74 |
| योग--"02" | 12,50,41 | 1,72,74 | 43,99,65 | .. | 58,22,80 |
| | 22,74 | | | | |
| योग--2215 | 2,57,35,00 | 23,27,13 | 1,35,82,46 | .. | 4,16,67,33 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|---|----------|----------|---|--------------------------|------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाएं--जारी | | | | | |
| (ग)--जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास--जारी | | | | | |
| 2216--आवास- | | | | | |
| 03--ग्रामीण आवास-- | | | | | |
| 102--भूमिहीनों के लिए आवास स्थल की व्यवस्था | .. | .. | 30,32,49 | .. | 30,32,49 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 16,90,81 | 18,96,41 | .. | 35,87,22 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 10,95,19 | 25,83,03 | .. | 36,78,22 |
| योग--"03" | .. | 27,86,00 | 75,11,93 | .. | 1,02,97,93 |
| 05-- सामान्य पूल आवास-- | | | | | |
| 053-- मरम्मत एवं अनुरक्षण | 33,42,76 | 8,98 | .. | .. | 33,51,74 |
| योग--"05" | 33,42,76 | 8,98 | .. | .. | 33,51,74 |
| 80--सामान्य-- | | | | | |
| 001--निर्देशन तथा प्रशासन | 37,53 | .. | .. | .. | 37,53 |
| 800--अन्य व्यय | 31,03,40 | .. | .. | .. | 31,03,40 |
| योग--"80" | 31,40,93 | .. | .. | .. | 31,40,93 |
| योग--2216 | 64,83,69 | 27,94,98 | 75,11,93 | .. | 1,67,90,60 |
| 2217--शहरी विकास-- | | | | | |
| 01--राज्य की राजधानी का विकास-- | | | | | |
| 001--निर्देशन तथा प्रशासन | 46,04 | 52,06,03 | 95,86,77 | .. | 1,48,38,84 |
| 800--अन्य व्यय | 17,00 | .. | .. | .. | 17,00 |
| योग--"01" | 63,04 | 52,06,03 | 95,86,77 | .. | 1,48,55,84 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|--|---------------------|------------|---|--------------------------|-------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाएं--जारी | | | | | |
| (ग)-जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास -समाप्त | | | | | |
| 2217--शहरी विकास--समाप्त | | | | | |
| 04--गंदी बस्तियों का विकास -- | | | | | |
| 191--नगर निगमों को सहायता | .. | .. | 15,43,33 | .. | 15,43,33 |
| योग--04 | .. | .. | 15,43,33 | .. | 15,43,33 |
| 05--अन्य शहरी विकास योजनाएं-- | | | | | |
| 001--निर्देशन तथा प्रशासन | 7,03,88 | 1,58,59 | .. | .. | 8,62,47 |
| 191-- नगर निगमों को सहायता | .. | 3,80,20 | 1,71,56 | .. | 5,51,76 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 47,78,16 | 3,26,80 | .. | 51,04,96 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 9,94,00 | .. | .. | 9,94,00 |
| 800--अन्य व्यय | 3,78,18 | 2,56,32,39 | 33,30 | .. | 2,60,43,87 |
| योग--"05" | 10,82,06 | 3,19,43,34 | 5,31,66 | .. | 3,35,57,06 |
| 80--सामान्य-- | | | | | |
| 191-- नगर निगमों को सहायता | .. | 7,69,06 | .. | .. | 7,69,06 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | .. | 57,18 | .. | 57,18 |
| 800--अन्य व्यय | 4,16 | 3,48 | .. | .. | 7,64 |
| योग--80 | 4,16 | 7,72,54 | 57,18 | .. | 8,33,88 |
| योग--2217 | 11,49,26 | 3,79,21,91 | 1,17,18,94 | .. | 5,07,90,11 |
| योग--(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास | 22,74 3,33,67,95 | 4,30,44,02 | 3,28,13,33 | .. | 10,92,48,04 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|---|----------|------------|---|--------------------------|------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाएं--जारी | | | | | |
| (घ) सूचना तथा प्रसारण-- | | | | | |
| 2220--सूचना तथा प्रचार- | | | | | |
| 01--फिल्म- | | | | | |
| 001--निर्देशन और प्रशासन | 39,38,29 | .. | .. | .. | 39,38,29 |
| 105--फिल्मों का निर्माण | 2,88,67 | .. | .. | .. | 2,88,67 |
| योग--"01" | 42,26,96 | .. | .. | .. | 42,26,96 |
| 60-- अन्य-- | | | | | |
| 106--क्षेत्र प्रचार | 9,62,09 | 91,83 | .. | .. | 10,53,92 |
| 110--प्रकाशन | 3,15,37 | .. | .. | .. | 3,15,37 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 54,74 | .. | .. | 54,74 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 65,42 | .. | .. | 65,42 |
| योग--"60" | 12,77,46 | 2,11,99 | .. | .. | 14,89,45 |
| योग--2220 | 55,04,42 | 2,11,99 | .. | .. | 57,16,41 |
| योग--(घ)--सूचना तथा प्रसारण | 55,04,42 | 2,11,99 | .. | .. | 57,16,41 |
| (ड.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-- | | | | | |
| 2225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण- | | | | | |
| 01--अनुसूचित जातियों का कल्याण-- | | | | | |
| 001--निर्देशन तथा प्रशासन | 7,02,15 | .. | .. | .. | 7,02,15 |
| 102--आर्थिक विकास | 57,70 | .. | .. | .. | 57,70 |
| 277--शिक्षा | 46,57,76 | .. | .. | .. | 46,57,76 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 2,59,09,73 | 20,85,66 | 18,44,52 | 2,98,39,91 |
| 793--अनुसूचित जातियों की घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | .. | .. | .. | 43,08,53 | 43,08,53 |
| 800--अन्य व्यय | 44,47 | .. | .. | .. | 44,47 |
| योग--"01" | 54,62,08 | 2,59,09,73 | 20,85,66 | 61,53,05 | 3,96,10,52 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|--|------------|------------|---|--------------------------|-------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाएं--जारी | | | | | |
| (ड.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण--समाप्त | | | | | |
| 2225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण--समाप्त | | | | | |
| 02--अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-- | | | | | |
| | 4,91 | | | | |
| 001--निवेशन और प्रशासन | 31,30,73 | .. | .. | .. | 31,35,64 |
| 102--आर्थिक विकास | 77,00 | .. | .. | .. | 77,00 |
| 277--शिक्षा | 1,12,59,07 | .. | .. | .. | 1,12,59,07 |
| 794--जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | .. | .. | 96,34,61 | .. | 96,34,61 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 2,04,25,51 | 4,28,13 | 50,55,97 | 2,59,09,61 |
| 800--अन्य व्यय | 2,66,56 | .. | .. | .. | 2,66,56 |
| | 4,91 | | | | |
| योग--"02" | 1,47,33,36 | 2,04,25,51 | 1,00,62,74 | 50,55,97 | 5,02,82,49 |
| 03--पिछड़े वर्गों का कल्याण-- | | | | | |
| 001--निवेशन और प्रशासन | 3,11,45 | .. | .. | .. | 3,11,45 |
| 277--शिक्षा | 19,55,40 | 1,71,65,75 | .. | 4,88,48 | 1,96,09,63 |
| 800--अन्य व्यय | 3,94,21 | 2,68,95 | 1,66,50 | 3,05,98 | 11,35,64 |
| योग--"03" | 26,61,06 | 1,74,34,70 | 1,66,50 | 7,94,46 | 2,10,56,72 |
| | 4,91 | | | | |
| योग--2225 | 2,28,56,50 | 6,37,69,94 | 1,23,14,90 | 1,20,03,48 | 11,09,49,73 |
| योग-(ड.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 4,91 | 2,28,56,50 | 6,37,69,94 | 1,23,14,90 | 1,20,03,48 |
| | 2,28,56,50 | 6,37,69,94 | 1,23,14,90 | 1,20,03,48 | 11,09,49,73 |
| (च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण-- | | | | | |
| 2230--श्रम तथा रोजगार -- | | | | | |
| 01--श्रम-- | | | | | |
| 001--निवेशन और प्रशासन | 1,43,60 | .. | .. | .. | 1,43,60 |
| 101--औद्योगिक संबंध | 11,19,29 | 1,30 | .. | .. | 11,20,59 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|---|-----------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाएं--जारी | | | | | |
| (च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण - समाप्त | | | | | |
| 2230--श्रम तथा रोजगार --समाप्त | | | | | |
| 01--श्रम--समाप्त | | | | | |
| 102--कार्य की परिस्थितियां तथा सुरक्षा | 2,91,11 | 1,00 | .. | .. | 2,92,11 |
| 103--सामान्य श्रम कल्याण | 54,68 | .. | .. | .. | 54,68 |
| 112--बंधुआ मजदूर का पुनर्वास | .. | 63 | 3,69 | .. | 4,32 |
| योग--"01" | 16,08,68 | 2,93 | 3,69 | .. | 16,15,30 |
| 02--रोजगार सेवाएं -- | | | | | |
| 001--निदेशन और प्रशासन | 97,90 | .. | .. | .. | 97,90 |
| 101--रोजगार सेवाएं | 7,11,15 | 93,65 | .. | .. | 8,04,80 |
| 800--अन्य व्यय | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| योग--"02" | 8,09,05 | 93,73 | .. | .. | 9,02,78 |
| 03--प्रशिक्षण-- | | | | | |
| 001--निदेशन और प्रशासन | 1,05,26 | 28,33 | .. | .. | 1,33,59 |
| 003--शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण | 39,50,82 | 8,46,78 | 12,73,64 | .. | 60,71,24 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 5,12,52 | .. | .. | 5,12,52 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 6,73,43 | .. | .. | 6,73,43 |
| योग--"03" | 40,56,08 | 20,61,06 | 12,73,64 | .. | 73,90,78 |
| योग--2230 | 64,73,81 | 21,57,72 | 12,77,33 | .. | 99,08,86 |
| योग--(च)-श्रमिक तथा श्रम कल्याण | 64,73,81 | 21,57,72 | 12,77,33 | .. | 99,08,86 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|--|-----------------|-------------------|--|-----------------------------|-------------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाएं--जारी | | | | | |
| (छ) समाज कल्याण तथा पोषण -- | | | | | |
| 2235--सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-- | | | | | |
| 01--पुनर्वास- | | | | | |
| 001--निदेशन और प्रशासन | 31,58 | .. | .. | .. | 31,58 |
| 103--पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति | 4,74 | .. | .. | .. | 4,74 |
| योग--"01" | 36,32 | .. | .. | .. | 36,32 |
| 02--समाज कल्याण-- | | | | | |
| | 6,37 | | | | |
| 001--निदेशन और प्रशासन | 20,52,86 | 62,67 | .. | .. | 21,21,90 |
| 101--विकलांग व्यक्तियों का कल्याण | 5,44,06 | 1,24,70 | .. | .. | 6,68,76 |
| 102-- बाल कल्याण | 76,02 | 30,79,38 | .. | 2,27,78,15 | 2,59,33,55 |
| 103--महिला कल्याण | 2,71,22 | 91,03,26 | .. | .. | 93,74,48 |
| 104--वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण | 15,40 | .. | .. | .. | 15,40 |
| 106--सुधारक सेवाएं | 5,57,30 | 25,49 | .. | .. | 5,82,79 |
| 107--स्वैच्छिक संगठनों को सहायता | .. | 1,00,51 | .. | .. | 1,00,51 |
| 200--अन्य कार्यक्रम | 3,54,53 | .. | .. | .. | 3,54,53 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 30,63,50 | .. | .. | 30,63,50 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 47,26,46 | .. | .. | 47,26,46 |
| 800--अन्य व्यय | 19,06 | 21,89,43 | .. | .. | 22,08,49 |
| | 6,37 | | | | |
| योग--"02" | 38,90,45 | 2,24,75,40 | .. | 2,27,78,15 | 4,91,50,37 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|--|---------------|------------|---|--------------------------|------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाएं--जारी | | | | | |
| (छ) समाज कल्याण तथा पोषण--जारी | | | | | |
| 2235--सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण--समाप्त | | | | | |
| 60--अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-- | | | | | |
| 101--निर्धन परिवारों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना | 26,39 | 1,16,26 | .. | .. | 1,42,65 |
| 102--समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन | 2,30,57,32 | 1,64,79 | .. | 1,49,81,71 | 3,82,03,82 |
| 105--सरकारी कर्मचारी बीमा योजना | 12,72 | .. | .. | .. | 12,72 |
| 107--स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना | 8,51,82 | .. | .. | .. | 8,51,82 |
| 200--अन्य कार्यक्रम | 16,91,14 | 83,00 | .. | .. | 17,74,14 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 44,75,99 | .. | .. | 44,75,99 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 51,96,65 | .. | .. | 51,96,65 |
| 800--अन्य व्यय | 77,07 | .. | .. | .. | 77,07 |
| योग--"60" | 2,57,16,46 | 1,00,36,69 | .. | 1,49,81,71 | 5,07,34,86 |
| | 6,37 | | | | |
| योग--2235 | 2,96,43,23(य) | 3,25,12,09 | .. | 3,77,59,86 | 9,99,21,55 |
| 2236--पोषण- | | | | | |
| 02-- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण-- | | | | | |
| 101--विशेष पोषण कार्यक्रम | 2,08,86 | 1,41,32 | 1,91,26,38 | .. | 1,94,76,56 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 23,26,98 | .. | .. | 23,26,98 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 60,24,22 | 6,16,98 | .. | 66,41,20 |
| योग--"02" | 2,08,86 | 84,92,52 | 1,97,43,36 | .. | 2,84,44,74 |
| योग--2236 | 2,08,86 | 84,92,52 | 1,97,43,36 | .. | 2,84,44,74 |

(य) पेंशन संचालनालय, मध्यप्रदेश के अ.शा.पत्र क्रमांक संपें/2042/2009 दिनांक 04-07-2009 के द्वारा प्रेषित जानकारी के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सैनानी पेंशन भोगियों की संख्या 2566 है।

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|--|---------------|-------------|---|--------------------------|---------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाएं-- समाप्त | | | | | |
| (छ) समाज कल्याण तथा पोषण--समाप्त | | | | | |
| 2245--प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-- | | | | | |
| 02--बाढ़, चक्रवात आदि- | | | | | |
| 193-- नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों को सहायता | 31 | .. | .. | .. | 31 |
| योग -- 02 | 31 | .. | .. | .. | 31 |
| 05--आपदा राहत निधि - | | | | | |
| 101--आरक्षित निधि और जमा लेखों को अन्तरण | | | | | |
| आपदा राहत निधि | 2,77,90,50(क) | .. | .. | .. | 2,77,90,50 |
| योग -05 | 2,77,90,50 | .. | .. | .. | 2,77,90,50 |
| 80--सामान्य-- | | | | | |
| 001--निदेशन और प्रशासन | 87,84 | .. | .. | .. | 87,84 |
| 800-अन्य व्यय | 4,43 | 20,00 | .. | .. | 24,43 |
| योग--"80" | 92,27 | 20,00 | .. | .. | 1,12,27 |
| योग--2245 | 2,78,83,08 | 20,00 | .. | .. | 2,79,03,08 |
| योग--(छ) समाज कल्याण तथा पोषण | 6,37 | 4,10,24,61 | 1,97,43,36 | 3,77,59,86 | 15,62,69,37 |
| (ज)--अन्य-- | | | | | |
| 2250--अन्य सामाजिक सेवाएं-- | | | | | |
| 103--पवित्र स्थानों, मन्दिरों आदि का रख-रखाव | 43 | .. | .. | .. | 43 |
| 800--अन्य व्यय | 10,63,60 | .. | .. | .. | 10,63,60 |
| योग--2250 | 10,64,03 | .. | .. | .. | 10,64,03 |
| 2251--सचिवालय-सामाजिक सेवाएं-- | | | | | |
| 090--सचिवालय | 11,47,06 | .. | .. | .. | 11,47,06 |
| 091--संलग्न कार्यालय | 11,11 | .. | .. | .. | 11,11 |
| योग--2251 | 11,58,17 | .. | .. | .. | 11,58,17 |
| योग--(ज)-अन्य | 22,22,20 | .. | .. | .. | 22,22,20 |
| | 81,66 | | 25 | 2,79 | |
| योग--ख--सामाजिक सेवाएं | 60,05,02,75 | 22,26,46,22 | 12,38,69,19 | 6,74,91,44 | 1,01,45,94,30 |

(क) रुपये 2,77,80,50 हजार 8235-111-आपदा राहत निधि को अंतरित (पृष्ठ 335) तथा रुपये 10,00 हजार 8223-101-अकाल राहत निधि को अंतरित (पृष्ठ 334)।

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|---|------------|------------|---|--------------------------|------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाएं-- | | | | | |
| (क) कृषि तथा संबद्ध क्रिया कलाप-- | | | | | |
| 2401--फसल कृषि कर्म - | | | | | |
| | 3,71 | | | | |
| 001--निदेशन और प्रशासन | 1,10,25,86 | 37,48,68 | .. | .. | 1,47,78,25 |
| 102--खाद्यान्न फसलें | .. | 5,78,35 | 6,17,60 | .. | 11,95,95 |
| 103--बीज | 6,08,24 | .. | .. | 2,74,38 | 8,82,62 |
| 105--खाद तथा उर्वरक | 40,83,95 | 3,40,44 | .. | .. | 44,24,39 |
| 107--वनस्पति रक्षण | 6,59 | .. | .. | .. | 6,59 |
| 108--वाणिज्यिक फसलें | 87,23 | 37,05 | 29,09,40 | .. | 30,33,68 |
| 109--विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण | 3,75,57 | 30,65,28 | .. | .. | 34,40,85 |
| 110--फसल बीमा | .. | 68,49,36 | .. | .. | 68,49,36 |
| 113--कृषि इंजीनियरी | 13,00,16 | 99,92 | 2,59,86 | 45,59 | 17,05,53 |
| | 6,03 | | | | |
| 119--बागवानी तथा वनस्पति फसलें | 32,58,14 | 21,79,37 | 34,25,64 | 79,00 | 89,48,18 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 32,26,96 | 27,60,92 | .. | 59,87,88 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 58,84,57 | 28,77,03 | .. | 87,61,60 |
| 800--अन्य व्यय | .. | 34,62,00 | 40,27,06 | .. | 74,89,06 |
| | 9,74 | | | | |
| योग--2401 | 2,07,45,74 | 2,94,71,98 | 1,68,77,51 | 3,98,97 | 6,75,03,94 |
| 2402--मृदा तथा जल संरक्षण-- | | | | | |
| 001--निदेशन और प्रशासन | 1,72 | .. | .. | .. | 1,72 |
| 101--मृदा सर्वेक्षण तथा परीक्षण | 3,62,88 | 4 | .. | .. | 3,62,92 |
| 102--मृदा संरक्षण | 28,18,55 | 47,31 | 6,66,43 | .. | 35,32,29 |
| 109--विस्तार तथा प्रशिक्षण | 18,84 | .. | .. | .. | 18,84 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 1,52,85 | .. | .. | 1,52,85 |
| योग--2402 | 32,01,99 | 2,00,20 | 6,66,43 | .. | 40,68,62 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|---|------------|----------|---|--------------------------|------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाएं--जारी | | | | | |
| (क) कृषि तथा संबद्ध क्रिया कलाप --जारी | | | | | |
| 2403--पशु पालन-- | | | | | |
| | 1,31 | | | | |
| 001--निवेशन और प्रशासन | 12,07,97 | 7,10,61 | 18,80 | .. | 19,38,69 |
| 101--पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य | 1,08,59,09 | 5,69,92 | 95,77 | .. | 1,15,24,78 |
| 102--पशु तथा भैंस विकास | 53,44,67 | 12,36,43 | .. | 6,34,33 | 72,15,43 |
| 103--कुक्कुट विकास | 5,34,41 | .. | .. | .. | 5,34,41 |
| 104--भेड़ तथा ऊन विकास | 1,96,04 | .. | .. | .. | 1,96,04 |
| 107-- चारा तथा चारागाह विकास | .. | .. | .. | 1,10,00 | 1,10,00 |
| 109--विस्तार तथा प्रशिक्षण | 7,15,20 | 1,13,91 | .. | .. | 8,29,11 |
| 113--प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी | 1,68,76 | .. | 5,24,87 | .. | 6,93,63 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना केन्द्रीय सहायता | .. | 9,58,22 | .. | .. | 9,58,22 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 8,34,44 | 7,34 | .. | 8,41,78 |
| 800--अन्य व्यय | 5,05,66 | 1,25,92 | .. | 43,51 | 6,75,09 |
| | 1,31 | | | | |
| योग--2403 | 1,95,31,80 | 45,49,45 | 6,46,78 | 7,87,84 | 2,55,17,18 |
| 2405--मछली पालन -- | | | | | |
| 001--निवेशन और प्रशासन | 1,93,45 | .. | .. | .. | 1,93,45 |
| | 21 | | | | |
| 101--अन्तर्देशीय मछली पालन | 11,62,97 | 1,81,82 | 2,21,55 | .. | 15,66,55 |
| 109--विस्तार तथा प्रशिक्षण | 18,86 | 24,47 | 9,66 | .. | 52,99 |
| 120--मछली पालन-सहकारी समितियां | .. | 14,71 | 41,88 | .. | 56,59 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 1,02,68 | 25,93 | .. | 1,28,61 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 1,40,76 | 56,08 | .. | 1,96,84 |
| 800--अन्य व्यय | 34,53 | 1,87 | .. | 5,98 | 42,38 |
| | 21 | | | | |
| योग--2405 | 14,09,81 | 4,66,31 | 3,55,10 | 5,98 | 22,37,41 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|---|------------|------------|---|--------------------------|------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ग--आधिक सेवाएं-- जारी | | | | | |
| (क) कृषि तथा संबद्ध क्रिया कलाप --जारी | | | | | |
| 2406--वानिकी तथा वन्य प्राणी-- | | | | | |
| 01--वानिकी-- | | | | | |
| 001--निदेशन और प्रशासन | 15,73,16 | 3,12,68 | .. | .. | 18,85,84 |
| 003--शिक्षा तथा प्रशिक्षण | 3,38,02 | 58,22 | .. | .. | 3,96,24 |
| 004--अनुसंधान | 2,95,00 | .. | .. | .. | 2,95,00 |
| 101--वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण | 3,58,53,35 | 1,07,65,96 | .. | .. | 4,66,19,31 |
| 102--समाज तथा फार्म वानिकी | 36,84,05 | 4,33,75 | 4,53,26 | 19,72 | 45,90,78 |
| 203--इमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार | 64,99,03 | .. | .. | .. | 64,99,03 |
| 204--बांसों का राजकीय व्यापार | 18,21,46 | .. | .. | .. | 18,21,46 |
| 206--खैर का राजकीय व्यापार | 2,16 | .. | .. | .. | 2,16 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 9,32,81 | .. | .. | 9,32,81 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 1,01,10,61 | .. | 63,83,56 | 1,64,94,17 |
| | 13,58 | | | | |
| 800--अन्य व्यय | 3,53,89 | 4,41,56 | .. | .. | 8,09,03 |
| | 13,58 | | | | |
| योग--"01" | 5,04,20,12 | 2,30,55,59 | 4,53,26 | 64,03,28 | 8,03,45,83 |
| 02--पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-- | | | | | |
| 110--वन्य जीव परिरक्षण | 24,77,78 | 60,34 | 61,27,94 | .. | 86,66,06 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | .. | 5,42,21 | .. | 5,42,21 |
| योग--"02" | 24,77,78 | 60,34 | 66,70,15 | .. | 92,08,27 |
| | 13,58 | | | | |
| योग--2406 | 5,28,97,90 | 2,31,15,93 | 71,23,41 | 64,03,28 | 8,95,54,10 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|---|------------|----------|---|--------------------------|------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ग--आधिक सेवाएं--जारी | | | | | |
| (क) कृषि तथा संबद्ध क्रिया कलाप --जारी | | | | | |
| 2408--खाद्य भण्डारण तथा भांडागार -- | | | | | |
| 01--खाद्य-- | 72 | | | | |
| 001--निदेशन और प्रशासन | 16,96,39 | .. | .. | 18,00 | 17,15,11 |
| 102--खाद्य सहायता | 5,21,03,61 | 1,71,96 | .. | .. | 5,22,75,57 |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकर्मों को सहायता | 4,37 | .. | .. | .. | 4,37 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 31,00 | .. | .. | 31,00 |
| योग --"01" | 72 | | | | |
| | 5,38,04,37 | 2,02,96 | .. | 18,00 | 5,40,26,05 |
| योग--2408 | 72 | | | | |
| | 5,38,04,37 | 2,02,96 | .. | 18,00 | 5,40,26,05 |
| 2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा -- | | | | | |
| 01-- फसल कृषि कर्म -- | | | | | |
| 120--अन्य संस्थाओं को सहायता | 38,00,00 | 13,69,64 | .. | .. | 51,69,64 |
| योग --"01" | 38,00,00 | 13,69,64 | .. | .. | 51,69,64 |
| 05-- मछली पालन-- | | | | | |
| 004--अनुसंधान | 15,95 | 2,28 | .. | .. | 18,23 |
| योग--"05" | 15,95 | 2,28 | .. | .. | 18,23 |
| 80--सामान्य -- | | | | | |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 7,53,40 | .. | .. | 7,53,40 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 8,68,60 | .. | .. | 8,68,60 |
| योग --"80" | .. | 16,22,00 | .. | .. | 16,22,00 |
| योग--2415 | 38,15,95 | 29,93,92 | .. | .. | 68,09,87 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|---|-------------|------------|--|-----------------------------|-------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाएं--जारी | | | | | |
| (क) कृषि तथा संबद्ध क्रिया कलाप --समाप्त | | | | | |
| 2425--सहकारिता-- | | | | | |
| 001--निदेशन और प्रशासन | 20,19,98 | .. | .. | .. | 20,19,98 |
| 003--प्रशिक्षण | .. | 35,00 | .. | .. | 35,00 |
| 101--सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा | 19,10,32 | .. | .. | .. | 19,10,32 |
| 107--क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता | .. | 21,57,51 | .. | .. | 21,57,51 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 3,53,00 | .. | .. | 3,53,00 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 5,42,91 | .. | .. | 5,42,91 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | 4,00,00 | .. | 4,00,00 |
| योग--2425 | 39,30,30 | 30,88,42 | 4,00,00 | .. | 74,18,72 |
| | 25,56 | | | | |
| योग--(क) कृषि तथा संबद्ध क्रिया कलाप | 15,93,37,86 | 6,40,89,17 | 2,60,69,23 | 76,14,07 | 25,71,35,89 |
| (ख)--ग्राम विकास-- | | | | | |
| 2501--ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम- | | | | | |
| 02--सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम-- | | | | | |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | .. | 95,00 | 3,13,56 | .. | 4,08,56 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 1,15,00 | 8,17,75 | .. | 9,32,75 |
| 800--अन्य व्यय | .. | 4,92,00 | 11,90,11 | .. | 16,82,11 |
| योग--"02" | .. | 7,02,00 | 23,21,42 | .. | 30,23,42 |
| 03--मरुस्थल विकास कार्यक्रम-- | | | | | |
| 800--अन्य व्यय | .. | .. | 3,73,05 | .. | 3,73,05 |
| योग--"03" | .. | .. | 3,73,05 | .. | 3,73,05 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|---|------------|------------|---|--------------------------|-------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाएं --जारी | | | | | |
| (ख)--ग्राम विकास--समाप्त | | | | | |
| 2501--ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-समाप्त | | | | | |
| 06-- स्वरोजगार कार्यक्रम-- | | | | | |
| 101-- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना | .. | .. | 5,69,67 | .. | 5,69,67 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 83,30,18 | 9,31,34 | .. | 92,61,52 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 1,17,45,90 | 11,24,69 | .. | 1,28,70,59 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 1,82,83,31 | 24,28,03 | .. | 2,07,11,34 |
| योग--"06" | .. | 3,83,59,39 | 50,53,73 | .. | 4,34,13,12 |
| योग--2501 | .. | 3,90,61,39 | 77,48,20 | .. | 4,68,09,59 |
| 2505--ग्राम रोजगार - | | | | | |
| 01--राष्ट्रीय कार्यक्रम-- | | | | | |
| 702--जवाहर ग्राम समृद्धि योजना | .. | 14,00,00 | 2,02,74,87 | .. | 2,16,74,87 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | .. | 1,13,71,24 | .. | 1,13,71,24 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | .. | 1,96,09,37 | .. | 1,96,09,37 |
| योग--"01" | .. | 14,00,00 | 5,12,55,48 | .. | 5,26,55,48 |
| योग--2505 | .. | 14,00,00 | 5,12,55,48 | .. | 5,26,55,48 |
| 2515--अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-- | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 001--निदेशन और प्रशासन | 35,81,42 | 18,22,63 | .. | .. | 54,04,18 |
| 003--प्रशिक्षण | 25,04 | 3,10,00 | .. | .. | 3,35,04 |
| 101--पंचायती राज | 1,10,58,29 | 1,07,66,24 | .. | .. | 2,18,24,53 |
| 102--सामुदायिक विकास | 7,66,30 | 24,36 | .. | .. | 7,90,66 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 45,72,69 | .. | 56,00,00 | 1,01,72,69 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 49,29,15 | .. | .. | 49,29,15 |
| 800--अन्य व्यय | 25,52,68 | 72,68,05 | .. | 4,48,36,69 | 5,46,57,42 |
| 13 | | | | | |
| योग--2515 | 1,79,83,73 | 2,96,93,12 | .. | 5,04,36,69 | 9,81,13,67 |
| 13 | | | | | |
| योग--(ख) ग्राम विकास | 1,79,83,73 | 7,01,54,51 | 5,90,03,68 | 5,04,36,69 | 19,75,78,74 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|--------------------------------------|----------|---------|---|--------------------------|----------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाएं --जारी | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण- | | | | | |
| 2700-- मुख्य सिंचाई- | | | | | |
| 11-- चम्बल परियोजना-- | | | | | |
| 101-- रख-रखाव और मरम्मत | 28,66,11 | .. | .. | .. | 28,66,11 |
| योग--"11" | 28,66,11 | .. | .. | .. | 28,66,11 |
| 13-- तवा परियोजना-- | | | | | |
| 101-- रख-रखाव और मरम्मत | 11,21,57 | .. | .. | .. | 11,21,57 |
| योग--"13" | 11,21,57 | .. | .. | .. | 11,21,57 |
| 15-- अपर बाण गंगा परियोजना-- | | | | | |
| 101-- रख-रखाव और मरम्मत | 5,67,29 | .. | .. | .. | 5,67,29 |
| योग--"15" | 5,67,29 | .. | .. | .. | 5,67,29 |
| 16-- थावर परियोजना-- | | | | | |
| 101-- रख-रखाव और मरम्मत | 92,10 | .. | .. | .. | 92,10 |
| योग--"16" | 92,10 | .. | .. | .. | 92,10 |
| 17-- कोलार परियोजना-- | | | | | |
| 101-- रख-रखाव और मरम्मत | 5,40,77 | .. | .. | .. | 5,40,77 |
| योग--"17" | 5,40,77 | .. | .. | .. | 5,40,77 |
| 18-- बारना परियोजना-- | | | | | |
| 101-- रख-रखाव और मरम्मत | 3,31,24 | .. | .. | .. | 3,31,24 |
| योग--"18" | 3,31,24 | .. | .. | .. | 3,31,24 |
| 19-- हलाली परियोजना-- | | | | | |
| 101-- रख-रखाव और मरम्मत | 1,39,38 | .. | .. | .. | 1,39,38 |
| योग--"19" | 1,39,38 | .. | .. | .. | 1,39,38 |
| 20-- भांडेर परियोजना-- | | | | | |
| 101-- रख-रखाव और मरम्मत | 17,85 | .. | .. | .. | 17,85 |
| योग--"20" | 17,85 | .. | .. | .. | 17,85 |
| 21-- सिंध परियोजना फेस-II-- | | | | | |
| 101-- रख-रखाव और मरम्मत | 22,12 | .. | .. | .. | 22,12 |
| योग--"21" | 22,12 | .. | .. | .. | 22,12 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|--|----------|---------|---|--------------------------|----------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाएं --जारी | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण-जारी | | | | | |
| 2700-- मुख्य सिंचाई-समाप्त | | | | | |
| 27-- सुक्ता परियोजना-- | | | | | |
| 101-- रख-रखाव और मरम्मत | 57,11 | .. | .. | .. | 57,11 |
| योग--"27" | 57,11 | .. | .. | .. | 57,11 |
| 28--उर्मिल परियोजना-- | | | | | |
| 101-- रख-रखाव और मरम्मत | 21,11 | .. | .. | .. | 21,11 |
| योग--"28" | 21,11 | .. | .. | .. | 21,11 |
| 29-- सिंध परियोजना - फेस-I-- | | | | | |
| 101-- रख-रखाव और मरम्मत | 31,99 | .. | .. | .. | 31,99 |
| योग--"29" | 31,99 | .. | .. | .. | 31,99 |
| 30-- रंगवान परियोजना-- | | | | | |
| 101-- रख-रखाव और मरम्मत | 18,14 | .. | .. | .. | 18,14 |
| योग--"30" | 18,14 | .. | .. | .. | 18,14 |
| 31-- हाइड्रोलोजी परियोजना -- | | | | | |
| 101-- रख-रखाव और मरम्मत | 1,50,40 | .. | .. | .. | 1,50,40 |
| योग--"31" | 1,50,40 | .. | .. | .. | 1,50,40 |
| 32-- राजघाट परियोजना -- | | | | | |
| 101-- रख-रखाव और मरम्मत | 5,15,15 | .. | .. | .. | 5,15,15 |
| योग--"32" | 5,15,15 | .. | .. | .. | 5,15,15 |
| 80-- सामान्य-- | | | | | |
| 005-- सर्वेक्षण तथा अन्वेषण | .. | 6,95,34 | .. | .. | 6,95,34 |
| 800-- अन्य व्यय | 6,22,34 | .. | .. | .. | 6,22,34 |
| योग--"80" | 6,22,34 | 6,95,34 | .. | .. | 13,17,68 |
| योग-- 2700 | 71,14,67 | 6,95,34 | .. | .. | 78,10,01 |
| 2701-- मध्यम सिंचाई- | | | | | |
| 01--मुख्य सिंचाई--वाणिज्यिक-- | | | | | |
| 799--उंचंत | -50,66 @ | .. | .. | .. | -50,66 |
| योग--"01" | -50,66 | .. | .. | .. | 50,66 |

@ ऋणात्मक लेन-देन वर्ष के दौरान अधिक जमा के कारण है।

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|--|------------|----------|---|--------------------------|------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाएं --जारी | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण-जारी | | | | | |
| 2701--मध्यम सिंचाई-समाप्त | | | | | |
| 80--सामान्य-- | | | | | |
| 001--निदेशन तथा प्रशासन | 1,51,31,78 | 69,79,20 | .. | .. | 2,21,10,98 |
| 052--मशीनरी तथा उपस्कर | .. | 18,17,87 | .. | .. | 18,17,87 |
| 799--उचंत | 1,85,76 | 2,62,34 | .. | .. | 4,48,10 |
| | 5,68 | | | | |
| 800--अन्य व्यय | 40,39,98 | .. | .. | .. | 40,45,66 |
| | 5,68 | | | | |
| योग--"80" | 1,93,57,52 | 90,59,41 | .. | .. | 2,84,22,61 |
| | 5,68 | | | | |
| योग--2701 | 1,93,06,86 | 90,59,41 | .. | .. | 2,83,71,95 |
| 2702--लघु सिंचाई- | | | | | |
| 02- भू-जल | | | | | |
| 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 2,62,52 | .. | .. | 2,62,52 |
| योग-- --"02" | .. | 2,62,52 | .. | .. | 2,62,52 |
| 03-- रख-रखाव-- | | | | | |
| 796-- जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 1,89,70 | .. | .. | 1,89,70 |
| योग--"03" | .. | 1,89,70 | .. | .. | 1,89,70 |
| 80--सामान्य-- | | | | | |
| 001--निदेशन तथा प्रशासन | 6,82 | .. | .. | .. | 6,82 |
| 800--अन्य व्यय | 60,69,92 | .. | .. | .. | 60,69,92 |
| योग--"80" | 60,76,74 | .. | .. | .. | 60,76,74 |
| योग--2702 | 60,76,74 | 4,52,22 | .. | .. | 65,28,96 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|---|-------------|------------|---|--------------------------|-------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाएं--जारी | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण--समाप्त | | | | | |
| 2705--कमान क्षेत्र विकास-- | | | | | |
| 201--तवा कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण | .. | .. | 19,51 | .. | 19,51 |
| 202--बारना-हलाली कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण | .. | .. | 6,45 | .. | 6,45 |
| 203--अपर बैन गंगा कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण | .. | .. | 22,02 | .. | 22,02 |
| 205--ग्वालियर कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण | .. | .. | 16,12 | .. | 16,12 |
| 207--बरगी कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण | .. | .. | 14,72 | .. | 14,72 |
| 800--अन्य व्यय | .. | .. | 40,68 | .. | 40,68 |
| योग--2705 | .. | .. | 1,19,50 | .. | 1,19,50 |
| | | | 5,68 | | |
| योग--(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण | 3,24,98,27 | 1,02,06,97 | 1,19,50 | .. | 4,28,30,42 |
| (ड.) ऊर्जा-- | | | | | |
| 2801--बिजली -- | | | | | |
| 01- हाइडल उत्पादन-- | | | | | |
| 001-- निदेशन तथा प्रशासन | .. | 11,36,99 | .. | .. | 11,36,99 |
| योग-01 | .. | 11,36,99 | .. | .. | 11,36,99 |
| 06--ग्रामीण विद्युतीकरण-- | | | | | |
| 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 12,68,90 | .. | .. | 12,68,90 |
| 793--अनुसूचित जाति घटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता | .. | .. | .. | 9,80,25 | 9,80,25 |
| 796-- जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 34,10,18 | .. | .. | 34,10,18 |
| योग--"06" | .. | 46,79,08 | .. | 9,80,25 | 56,59,33 |
| 80--सामान्य -- | | | | | |
| 101--विद्युत बोर्डों को सहायता | 76,27,33 | 1,91,31 | .. | .. | 78,18,64 |
| 800--अन्य व्यय | 12,42,18,22 | 48,88,69 | .. | .. | 12,91,06,91 |
| योग--80 | 13,18,45,55 | 50,80,00 | .. | .. | 13,69,25,55 |
| योग--2801 | 13,18,45,55 | 1,08,96,07 | .. | 9,80,25 | 14,37,21,87 |
| 2810-- अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत-- | | | | | |
| 60--अन्य-- | | | | | |
| 796-- जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 2,91,50 | .. | .. | 2,91,50 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 3,36,00 | .. | .. | 3,36,00 |
| योग-2810 | .. | 6,27,50 | .. | .. | 6,27,50 |
| योग--(ड.) ऊर्जा | 13,18,45,55 | 1,15,23,57 | .. | 9,80,25 | 14,43,49,37 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|---|----------|----------|---|--------------------------|------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाएं --जारी | | | | | |
| (च) उद्योग तथा खनिज -- | | | | | |
| 2851--ग्राम तथा लघु उद्योग-- | | | | | |
| 101--औद्योगिक क्षेत्र | 3,95,38 | .. | .. | .. | 3,95,38 |
| 102--लघु उद्योग | .. | 54,57 | .. | .. | 54,57 |
| 103--हथकरघा उद्योग | 5,80,86 | 2,87,14 | 6,21,72 | 6,54 | 14,96,26 |
| 104--हस्तशिल्प उद्योग | .. | 3,28,60 | .. | .. | 3,28,60 |
| 105--खादी ग्रामोद्योग | 2,45,48 | 4,35,84 | 75,00 | .. | 7,56,32 |
| 107--रेशम उत्पादन उद्योग | 10,28,27 | 9,09,96 | .. | .. | 19,38,23 |
| 108-- बिजली करघा उद्योग | .. | 7,50,13 | .. | .. | 7,50,13 |
| 110--सम्मिश्र ग्राम एवं लघु उद्योग तथा सहकारी समितियां | .. | 1,73,11 | 10,27 | .. | 1,83,38 |
| | 1,04 | | | | |
| 200--अन्य ग्राम उद्योग | 19,45,32 | 36,98 | .. | .. | 19,83,34 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 21,51,30 | 18,69 | .. | 21,69,99 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 23,78,92 | 62,75 | .. | 24,41,67 |
| 800--अन्य व्यय | 3,50 | .. | .. | 1,13,35 | 1,16,85 |
| | 1,04 | | | | |
| योग--2851 | 41,98,81 | 75,06,55 | 7,88,43 | 1,19,89 | 1,26,14,72 |
| 2852--उद्योग- | | | | | |
| 80--सामान्य-- | | | | | |
| 001--निदेशन तथा प्रशासन | 4,55,36 | .. | .. | .. | 4,55,36 |
| 003--औद्योगिक शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण | .. | 8,84 | .. | .. | 8,84 |
| 800--अन्य व्यय | 1,36,71 | 52,36,17 | .. | 8 | 53,72,96 |
| योग--80 | 5,92,07 | 52,45,01 | .. | 8 | 58,37,16 |
| योग--2852 | 5,92,07 | 52,45,01 | .. | 8 | 58,37,16 |

विवरण संख्या 12--जारी

2008-09 के वास्तविक आंकड़े

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित | | योग |
|---|------------|------------|---|--------------------------|------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाएं --जारी | | | | | |
| (च) उद्योग तथा खनिज--समाप्त | | | | | |
| 2853--अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग-- | | | | | |
| 02--खानों का विनियमन तथा विकास-- | | | | | |
| | 1,22 | | | | |
| 001--निदेशन तथा प्रशासन | 5,27,85 | 83,62 | .. | .. | 6,12,69 |
| 004--अनुसंधान तथा विकास | .. | 19,13 | .. | .. | 19,13 |
| 101--सर्वेक्षण तथा मानचित्रण | .. | 78,75 | .. | .. | 78,75 |
| 102--खनिज खोज (समन्वेषण) | .. | 3,41,11 | .. | .. | 3,41,11 |
| 800-- अन्य व्यय | 94,68,81 | .. | .. | .. | 94,68,81 |
| | 1,22 | | | | |
| योग--"02" | 99,96,66 | 5,22,61 | .. | .. | 1,05,20,49 |
| | 1,22 | | | | |
| योग--2853 | 99,96,66 | 5,22,61 | .. | .. | 1,05,20,49 |
| | 2,26 | | | | |
| योग--(च) उद्योग तथा खनिज | 1,47,87,54 | 1,32,74,17 | 7,88,43 | 1,19,97 | 2,89,72,37 |
| (छ) परिवहन-- | | | | | |
| 3053--नागर विमानन-- | | | | | |
| 60--अन्य वैमानिक सेवाएं- | | | | | |
| 102--नौ परिवहन तथा हवाई मार्ग सेवाएं | 34,00 | .. | .. | .. | 34,00 |
| योग--60 | 34,00 | .. | .. | .. | 34,00 |
| 80-- सामान्य-- | | | | | |
| 003-- प्रशिक्षण तथा शिक्षा | 1,90 | .. | .. | .. | 1,90 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 25,50 | .. | .. | 25,50 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 25,35 | .. | .. | 25,35 |
| योग--80 | 1,90 | 50,85 | .. | .. | 52,75 |
| योग--3053 | 35,90 | 50,85 | .. | .. | 86,75 |
| 3054--सड़क तथा सेतु -- | | | | | |
| 01--राष्ट्रीय राजमार्ग-- | | | | | |
| 337--सड़क निर्माण कार्य | 16,55,02 | .. | .. | .. | 16,55,02 |
| योग--"01" | 16,55,02 | .. | .. | .. | 16,55,02 |
| 03--राजकीय राजमार्ग -- | | | | | |
| 337--सड़क निर्माण कार्य | 34,14,37 | .. | .. | .. | 34,14,37 |
| योग--"03" | 34,14,37 | .. | .. | .. | 34,14,37 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|--|------------|----------|---|--------------------------|------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाएं --जारी | | | | | |
| (छ) परिवहन --समाप्त | | | | | |
| 3054--सड़क तथा सेतु --समाप्त | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें-- | | | | | |
| 337--सड़क निर्माण कार्य | 2,34,86,32 | .. | .. | .. | 2,34,86,32 |
| 800-- अन्य व्यय | 2,77,89,28 | .. | .. | .. | 2,77,89,28 |
| योग--"04" | 5,12,75,60 | .. | .. | .. | 5,12,75,60 |
| 80--सामान्य-- | | | | | |
| 001--निदेशन तथा प्रशासन | 43,68,71 | .. | .. | .. | 43,68,71 |
| 800--अन्य व्यय | 71,00 | .. | .. | .. | 71,00 |
| योग--"80" | 43,68,71 | .. | .. | .. | 44,39,71 |
| योग--3054 | 6,07,13,70 | .. | .. | .. | 6,07,84,70 |
| योग-- (छ) - परिवहन | 6,07,49,60 | 50,85 | .. | .. | 6,08,71,45 |
| (झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण-- | | | | | |
| 3425--अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान- | | | | | |
| 60--अन्य-- | | | | | |
| 001--निदेशन तथा प्रशासन | 36,99 | .. | .. | .. | 36,99 |
| 200--अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता | 2,50,00 | 9,68,50 | .. | .. | 12,18,50 |
| 600--अन्य योजनाएं | 21,60 | 5,28,03 | 27,92,02 | .. | 33,41,65 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 1,68,50 | .. | .. | 1,68,50 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 2,98,00 | .. | .. | 2,98,00 |
| योग--60 | 3,08,59 | 19,63,03 | 27,92,02 | .. | 50,63,64 |
| योग--3425 | 3,08,59 | 19,63,03 | 27,92,02 | .. | 50,63,64 |
| योग--(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण | 3,08,59 | 19,63,03 | 27,92,02 | .. | 50,63,64 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|---|----------|----------|---|--------------------------|----------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाएं --जारी | | | | | |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं- | | | | | |
| 3451--सचिवालय- आर्थिक सेवाएं-- | | | | | |
| 090--सचिवालय | 8,48,67 | .. | .. | .. | 8,48,67 |
| 101--योजना आयोग/योजना बोर्ड | 1,59,90 | 8,28 | .. | .. | 1,68,18 |
| योग--3451 | 10,08,57 | 8,28 | .. | .. | 10,16,85 |
| 3452--पर्यटन-- | | | | | |
| 01--पर्यटक अवसंरचना -- | | | | | |
| 101--पर्यटक केन्द्र | .. | 6,78,71 | .. | .. | 6,78,71 |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता | .. | 10,05,00 | .. | .. | 10,05,00 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 2,00,00 | .. | .. | 2,00,00 |
| 800--अन्य व्यय | 1,95 | .. | .. | .. | 1,95 |
| योग--01 | 1,95 | 18,83,71 | .. | .. | 18,85,66 |
| 80--सामान्य-- | | | | | |
| 001--निदेशन तथा प्रशासन | 19,83 | 59,90 | .. | .. | 79,73 |
| योग--"80" | 19,83 | 59,90 | .. | .. | 79,73 |
| योग--3452 | 21,78 | 19,43,61 | .. | .. | 19,65,39 |
| 3454--जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी- | | | | | |
| 02--सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-- | | | | | |
| 001--निदेशन तथा प्रशासन | 16,84,01 | .. | .. | .. | 16,84,01 |
| 110--राज्य विवरणिका तथा सांख्यिकी संस्मरण | 12 | 14,52 | .. | .. | 14,64 |
| 111-- जन्म-मृत्यु सांख्यिकी | 1,40,86 | 59,76 | .. | .. | 2,00,62 |
| 201--राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन | 75,24 | .. | .. | .. | 75,24 |
| 203--कम्प्यूटर सेवाएं | .. | 6,64 | .. | .. | 6,64 |
| 800--अन्य व्यय | .. | 7,00,00 | .. | .. | 7,00,00 |
| योग--"02" | 19,00,23 | 7,80,92 | .. | .. | 26,81,15 |
| योग--3454 | 19,00,23 | 7,80,92 | .. | .. | 26,81,15 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|--|-------------|-------------|---|--------------------------|---------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाएं --समाप्त | | | | | |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं-समाप्त | | | | | |
| 3475--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं-- | | | | | |
| 106-- भार और माप का विनियमन | 4,88,95 | 14,35 | .. | .. | 5,03,30 |
| 200--अन्य कारोबार उपक्रमों का विनियमन | 1,46,43 | .. | .. | .. | 1,46,43 |
| 800--अन्य व्यय | 95 | .. | .. | .. | 95 |
| योग--3475 | 6,36,33 | 14,35 | .. | .. | 6,50,68 |
| योग--(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं | 35,66,91 | 27,47,16 | .. | .. | 63,14,07 |
| | 1,04,63 | | | | |
| योग--ग--आर्थिक सेवाएं | 42,10,78,05 | 17,40,09,43 | 8,87,72,86 | 5,91,50,98 | 74,31,15,95 |
| घ- सहायता अनुदान तथा अंशदान - | | | | | |
| 3604--स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-- | | | | | |
| 102--स्टाम्प शुल्क | 13,20,73 | .. | .. | .. | 13,20,73 |
| 106--वाहन कर | 66,23,71 | .. | .. | .. | 66,23,71 |
| 107--स्थानीय क्षेत्रों में माल आने पर कर | 8,95,89,60 | .. | .. | .. | 8,95,89,60 |
| 108-- वृत्ति, व्यापार, व्यवसाय और रोजगार पर कर | 3,03,73,53 | .. | .. | .. | 3,03,73,53 |
| 200--अन्य विविध क्षतिपूर्तियां और समनुदेशन | 67,52,42 | 1,16,41,36 | .. | .. | 3,85,80,64 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 37,66,00 | .. | .. | 37,66,00 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना | .. | 71,90,00 | .. | .. | 71,90,00 |
| | 67,52,42 | | | | |
| योग--3604 | 14,80,94,43 | 2,25,97,36 | .. | .. | 17,74,44,21 |
| योग--घ--सहायता अनुदान तथा अंशदान | 14,80,94,43 | 2,25,97,36 | .. | .. | 17,74,44,21 |
| योग--व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) | 45,88,77,40 | 42,06,19,88 | 21,42,58,51 | 2,79 | 2,95,13,87,61 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|---|-----------------|-------------------|---|--------------------------|-------------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-(X) | | | | | |
| क--सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा-- | | | | | |
| 4055--पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय | 23,70,33 | .. | .. | .. | 23,70,33 |
| 4059--लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय | .. | 68,83,98 | 32,33,94 | .. | 1,01,17,92 |
| योग--क--सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा | 23,70,33 | 68,83,98 | 32,33,94 | .. | 1,24,88,25 |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा- | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूँजीगत लेखा- | | | | | |
| 4202--शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय | .. | 2,24,99,43 | 18,94,41 | 2,59,92 | 2,46,53,76 |
| योग--(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूँजीगत लेखा | .. | 2,24,99,43 | 18,94,41 | 2,59,92 | 2,46,53,76 |
| (ख)--स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा-- | | | | | |
| 4210--चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय | 26,64 | 67,83,44 | .. | .. | 68,10,08 |
| 4211--परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय | .. | .. | .. | 9,52 | 9,52 |
| योग--(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा | 26,64 | 67,83,44 | .. | 9,52 | 68,19,60 |
| (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-- | | | | | |
| 4215--जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय | .. | 10,35,52 | 5,38,53,76 | 11,72,79 | 5,60,62,07 |
| 4216--आवास पर पूँजीगत परिव्यय | 2,94 | 22,73,61 | 7,43,87 | .. | 30,20,42 |
| 4217--शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय | .. | 52,06,08 | .. | .. | 52,06,08 |
| योग--(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूँजीगत लेखा | 2,94 | 85,15,21 | 5,45,97,63 | 11,72,79 | 6,42,88,57 |

(X) लघु शीर्षवार विवरण के लिये विवरण संख्या-13 देखें।

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|--|---------|------------|---|--------------------------|-------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)- | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--समाप्त | | | | | |
| (ड.)- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूँजीगत लेखा-- | | | | | |
| 4225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय | .. | 1,27,02,80 | 65,87,89 | 83,01,97 | 2,75,92,66 |
| योग--(ड.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूँजीगत लेखा | .. | 1,27,02,80 | 65,87,89 | 83,01,97 | 2,75,92,66 |
| (च) समाज कल्याण तथा पोषण का पूँजीगत लेखा-- | | | | | |
| 4235--सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय | 2,00,00 | 53,02,59 | 34,75 | .. | 55,37,34 |
| योग--(च) समाज कल्याण तथा पोषण का पूँजीगत लेखा | 2,00,00 | 53,02,59 | 34,75 | .. | 55,37,34 |
| (छ) अन्य समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-- | | | | | |
| 4250--अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय | .. | 6,15,70 | .. | .. | 6,15,70 |
| योग--(छ) अन्य समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा | .. | 6,15,70 | .. | .. | 6,15,70 |
| योग--(ख) सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा | 2,29,58 | 5,64,19,17 | 6,31,14,68 | 97,44,20 | 12,95,07,63 |

विवरण संख्या 12--जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|--|----------------|--------------------|---|--------------------------|--------------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा -- | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूँजीगत लेखा - | | | | | |
| 4403--पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय | .. | 85,90 | .. | .. | 85,90 |
| 4405--मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय | .. | 33,76 | .. | .. | 33,76 |
| 4406--वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूँजीगत परिव्यय | .. | 24,51,00 | .. | .. | 24,51,00 |
| 4408--खाद्य, भंडारण और भाण्डागार पर पूँजीगत परिव्यय | 6,79,32 | .. | .. | 70,76 | 7,50,08 |
| 4425--सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय | .. | 9,95,28 | .. | .. | 9,95,28 |
| योग--(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूँजीगत लेखा | 6,79,32 | 35,65,94 | .. | 70,76 | 43,16,02 |
| (ख) ग्राम विकास का पूँजीगत लेखा -- | | | | | |
| 4515--अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय | .. | 3,58,74,77 | 73,40,00 | 28,66,00 | 4,60,80,77 |
| योग--(ख)-ग्राम विकास का पूँजीगत लेखा | .. | 3,58,74,77 | 73,40,00 | 28,66,00 | 4,60,80,77 |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-- | | | | | |
| | | 20,00 | | | |
| 4700-- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय | .. | 15,08,05,34 | 4,41,91 | .. | 15,12,67,25 |
| | | 38,51 | | | |
| 4701-- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय | .. | 1,45,06,38 | .. | .. | 1,45,44,89 |
| | | 15,14 | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय | .. | 4,59,60,03 | .. | .. | 4,59,75,17 |
| 4705--कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय | .. | .. | 11,46,65 | .. | 11,46,65 |
| 4711--बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय | .. | 12,64,94 | .. | .. | 12,64,94 |
| योग--(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा | .. | 21,25,36,69 | 15,88,56 | .. | 21,41,98,90 |

विवरण संख्या 12--समाप्त

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|--|------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा) -- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--समाप्त | | | | | |
| (ड.) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा -- | | | | | |
| 4801--बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय | 1,60,00,00 | 8,26 7,46,92,77 | .. | .. | 9,07,01,03 |
| योग--(ड.)--ऊर्जा का पूँजीगत लेखा | 1,60,00,00 | 8,26 7,46,92,77 | .. | .. | 9,07,01,03 |
| (च) उद्योग तथा खनिजों का पूँजीगत लेखा-- | | | | | |
| 4851--ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय | .. | 10,00 8,43,45 | .. | .. | 8,53,45 |
| 4853--अलौह खनिज तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय | .. | 4,76 | .. | .. | 4,76 |
| 4875--अन्य उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय | .. | 1,40,00 | .. | .. | 1,40,00 |
| 4885--उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय | 16,91,13 [@] | 5,00,00 | .. | .. | 21,91,13 |
| योग--(च) उद्योग तथा खनिजों का पूँजीगत लेखा | 16,91,13 | 10,00 14,88,21 | .. | .. | 31,89,34 |
| (छ) परिवहन का पूँजीगत लेखा-- | | | | | |
| 5053-- नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय | .. | 11,63,77 | .. | .. | 11,63,77 |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय | .. | 32,63,14 15,87,28,25 | 17,45,71 | .. | 16,37,37,10 |
| योग--(छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा | .. | 32,63,14 15,98,92,02 | 17,45,71 | .. | 16,49,00,87 |
| (झ) विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूँजीगत लेखा-- | | | | | |
| 5425--अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय | .. | 8,00,00 | .. | .. | 8,00,00 |
| योग--(झ) विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूँजीगत लेखा | .. | 8,00,00 | .. | .. | 8,00,00 |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-- | | | | | |
| 5452--पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय | .. | 21,31,55 | 30,00,68 | .. | 51,32,23 |
| योग--(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा | .. | 21,31,55 | 30,00,68 | .. | 51,32,23 |
| योग-ग-आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा | 1,83,70,45 | 33,55,05 49,09,81,95 | 1,36,74,95 | 29,36,76 | 52,93,19,16 |
| योग-व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा) | 2,09,70,36 | 33,55,05 55,42,85,10 | 8,00,23,57 | 1,26,80,96 | 67,13,15,04 |
| कुल योग--व्यय शीर्ष | 45,88,77,40 1,75,13,21,95 | 33,55,05 97,49,04,98 | 25 29,42,82,08 | 2,79 13,99,58,15 | 3,62,27,02,65 |

@ पृष्ठ 290 पर पाद टिप्पणी@देखें ।

टिप्पणी:- (i) स्थानीय निकायों को दिये गए सहायता अनुदान में से सृजित परिसम्पत्तियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण राज्य सरकार से प्रतीक्षित है (संदर्भ परिशिष्ट V)
(ii) वेतन से संबंधित जानकारी परिशिष्ट VI में दी गई है।
(iii) राजसहायता से संबंधित जानकारी परिशिष्ट VII में दी गई है।

विवरण संख्या 13--वर्ष 2008-09 के दौरान तथा उसके अंत में पूंजी व्यय का ब्यौरेवार विवरण

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|----------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| क--सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा-- | | | | | | |
| 4055--पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 211--पुलिस आवास-- | | | | | | |
| पुलिस बल का नवीनीकरण | 23,70,33 | .. | .. | .. | 23,70,33 | 1,28,55,65 |
| योग--4055 | 23,70,33 | .. | .. | .. | 23,70,33 | 1,28,55,65 |
| 4058--लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 103--सरकारी मुद्रणालय-- | | | | | | |
| मशीने एवं उपकरण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,71,89 |
| | | | | | | 9,55,40 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोगना- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 20,97 |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 34,41 |
| योग--4058 | .. | .. | .. | .. | .. | 1,71,89 |
| | | | | | | 10,10,78 |
| 4059--लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 01--कार्यालय भवन-- | | | | | | |
| 051--निर्माण-- | | | | | | |
| केन्द्रीय जेल भोपाल के लिए क्वार्टरों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 7,49,35 |
| टीकमगढ़ में जिला कार्यालय भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,72,37 |
| नई दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,47,26 |
| सतना में संयुक्त जिला कार्यालय भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,35,28 |
| मुख्य चुनाव कार्यालय का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 97,63 |
| ग्वालियर में नये उच्च न्यायालय भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 9,67,61 |
| मुरैना में 14 कमरों के भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 91,89 |
| नरसिंहपुर में संयुक्त कार्यालय भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 20,41 |
| देवास में नये न्यायालय भवन का निर्माण | .. | 50,50 | .. | .. | 50,50 | 2,34,27 |
| भोपाल में जिला न्यायालय भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 6,82,23 |
| विधि विभाग परिसर में 8 अतिरिक्त कमरों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,33,64 |
| राजगढ़ में संयुक्त कार्यालय भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 3,94,74 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | योग | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा) -- | | | | | | |
| क--सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4059--लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 01--कार्यालय भवन--जारी | | | | | | |
| 051--निर्माण--समाप्त | | | | | | |
| अरेरा हिल्स में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 13,91 |
| जबलपुर उच्च न्यायालय में प्रशासनिक भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,88,11 |
| डिंडोरी में कार्यालय भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 4,86,20 |
| सागर में नया न्यायालय भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 31,12 |
| टीकमगढ़ में नया न्यायालय भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 99,98 |
| उच्च न्यायालय शाखा, ग्वालियर में एम-1 ई तथा 5 जी के आवासीय क्वार्टरों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 12,32 |
| हरदा में जिला भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,40,47 |
| उमरिया में जिला भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 83,86 |
| श्योपुर में जिलाधीश भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 2,20,70 |
| कटनी में जिलाधीश भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,16,84 |
| कटनी में जिलाधीश भवन के द्वितीय चरण का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,19,66 |
| बड़वानी में जिलाधीश भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,78,56 |
| श्योपुर कलाँ में नवीन न्यायालय भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,06,28 |
| पन्ना में नवीन न्यायालय भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,28,14 |
| श्योपुर में नवीन न्यायालय भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,52,09 |
| केन्द्रीय जेल ग्वालियर में 50 क्वार्टरों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 3,30,49 |
| सतना में संयुक्त जिला भवन का निर्माण कार्य | .. | .. | .. | .. | .. | 1,27,61 |
| केन्द्रीय जेल, जबलपुर में 50 बैरकों का निर्माण | .. | .. | 10,40 | .. | 10,40 | 3,72,00 |
| जेल सुधार योजना के अधीन निर्माण कार्य | .. | .. | .. | .. | .. | 10,30,00 |
| न्यायिक अधिकारियों के लिये हॉस्टल सुविधा का निर्माण | .. | .. | 97,01 | .. | 97,01 | 97,01 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | 25,02,04 | 28,10,44 | .. | 53,12,48 | 2,25,19,61 |
| योग--05। | .. | 25,52,54 | 29,17,85 | .. | 54,70,39 | 3,03,81,64 |
| | | | | | | 1,44,36,90 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|----------|---------------------------|--------------------------|----------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | योग | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा) -- | | | | | | |
| क--सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4059--लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 01-- कार्यालय भवन--समाप्त | | | | | | |
| 201--भूमि का अर्जन -- | | | | | | |
| वाणिज्यिक कर विभाग हेतु कार्यालय भवन का क्रय | .. | .. | .. | .. | .. | 3,77,00 |
| 789-- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-- | | | | | | |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | 5,06,39 | 1,10,00 | .. | 6,16,39 | 22,45,89 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोग- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | 6,90,89 | 1,58,00 | .. | 8,48,89 | 16,32,35 |
| | | | | | | 1,35,26 |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 12,39 |
| | | | | | | 2,85 |
| योग-- 01 | .. | 37,49,82 | 31,85,85 | .. | 69,35,67 | 3,42,72,27 |
| | | | | | | 1,49,52,01 |
| 60--अन्य भवन-- | | | | | | |
| 051--निर्माण-- | | | | | | |
| पुलिस स्टेशन भवन | .. | .. | .. | .. | .. | 3,42,88 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 6,98,56 |
| | | | | | | 80,80,43 |
| योग--051 | .. | .. | .. | .. | .. | 10,41,44 |
| | | | | | | 80,80,43 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-- | | | | | | |
| नये पुलिस स्टेशनों की स्थापना | .. | .. | .. | .. | .. | 1,61,06 |
| | | | | | | 3,46,00 |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 1,11,00 |
| योग--60 | .. | .. | .. | .. | .. | 12,02,50 |
| | | | | | | 85,37,43 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|----------|---------------------------|--------------------------|------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा) -- | | | | | | |
| क--सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4059--लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय--समाप्त | | | | | | |
| 80--सामान्य-- | | | | | | |
| 001--निदेशन तथा प्रशासन- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 82,11 |
| | | | | | | 41,81 |
| 051-निर्माण- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 46,84,74 |
| 052--मशीनरी तथा उपस्कर-अन्य कार्य/योजनाएं | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9,13 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- | | | | | | |
| जल सुधार योजना | .. | .. | 48,09 | .. | 48,09 | 48,09 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप-योजना- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 1,60,28 |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | | |
| जेल सुधार योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य | .. | .. | .. | .. | .. | 7,34,49 |
| केन्द्रीय जेल सतना में 60 टाईप-I कमरों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 23,47 |
| केन्द्रीय जेल भोपाल में 13 अतिरिक्त कमरों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 2,16,00 |
| केन्द्रीय जेल उज्जैन में 12 अतिरिक्त बैरकों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 41,93 |
| केन्द्रीय जेल उज्जैन में प्रस्तावित बैरकों का कम्पाउण्ड दीवार सहित निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 8,51 |
| केन्द्रीय जेल भोपाल में मल निकास लाइन का नवीनीकरण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,49,27 |
| राजगढ़ में संयुक्त जिला कार्यालय भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 2,39 |
| नया जिला जेल भवन, आवासीय चिकित्सालय, वर्क शोड स्टोर तथा प्रशासनिक भवन-मानस भवन | .. | .. | .. | .. | .. | 5,74,38 |
| जिला जेल, इंदौर में बाहरी दीवाल, आंतरिक दीवाल तथा क्रॉस दीवाल का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 78,28 |
| केन्द्रीय जेल, जबलपुर में 75 टाईप I क्वार्टरों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 2,19 |
| केन्द्रीय जेल, जबलपुर में 13 बैरकों का निर्माण | .. | 1,36,38 | .. | .. | 1,36,38 | 1,36,38 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | 29,97,78 | .. | .. | 29,97,78 | 86,77,49 |
| | | | | | | 5,91,57 |
| योग--800 | .. | 31,34,16 | .. | .. | 31,34,16 | 1,06,44,78 |
| | | | | | | 5,91,57 |
| योग--80 | .. | 31,34,16 | 48,09 | .. | 31,82,25 | 1,54,59,72 |
| | | | | | | 8,02,79 |
| योग--4059 | .. | 68,83,98 | 32,33,94 | .. | 1,01,17,92 | 5,09,34,49 |
| | | | | | | 2,42,92,23 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|----------|---|--------------------------|------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा) -- | | | | | | |
| क--सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा--समाप्त | | | | | | |
| 4070--अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 003-प्रशिक्षण- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 50,00 |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | | |
| सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य | .. | .. | .. | .. | .. | 3,76,62 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 15,09,84 |
| | | | | | | 18,84 |
| योग--4070 | .. | .. | .. | .. | .. | 19,36,46 |
| | | | | | | 18,84 |
| योग--क--सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा | 23,70,33 | 68,83,98 | 32,33,94 | .. | 1,24,88,25 | 6,58,98,49 |
| | | | | | | 2,53,21,85 |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-- | | | | | | |
| (क)-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूँजीगत लेखा-- | | | | | | |
| 4202--शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 01--सामान्य शिक्षा-- | | | | | | |
| 052--मशीनरी तथा उपस्कर- | | | | | | |
| लोक शिक्षण संचालनालय | .. | .. | .. | .. | .. | 20,70 |
| 201--प्रारंभिक शिक्षा- | | | | | | |
| सर्व शिक्षा अभियान | .. | 11,25,00 | .. | .. | 11,25,00 | 11,25,00 |
| प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना | .. | .. | .. | .. | .. | 10,04,97 |
| शासकीय महाविद्यालयों में अतिरिक्त निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 6,71,82 |
| नवीन विद्यालयों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 3,00,00 |
| नवीन डाइट भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 5,89,14 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 26,26,60 |
| | | | | | | 2,04,97,81 |
| योग--201 | .. | 11,25,00 | .. | .. | 11,25,00 | 63,17,53 |
| | | | | | | 2,04,97,81 |
| 202--माध्यमिक शिक्षा-- | | | | | | |
| आवास मण्डल द्वारा किराया खरीद आधार पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 11,60,33 |
| माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 14,66,78 |
| उत्कृष्ट विद्यालयों का प्रबंधन | .. | .. | .. | .. | .. | 9,82,51 |
| उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण | .. | 48,18,00 | .. | .. | 48,18,00 | 1,16,35,88 |
| शारीरिक शिक्षा तथा खेलों का सुदृढीकरण | .. | 2,20,00 | .. | .. | 2,20,00 | 2,20,00 |
| उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण | .. | 20,00,00 | .. | .. | 20,00,00 | 20,00,00 |
| विकास खंड स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रबन्धन हेतु सहायता | .. | 3,80,00 | .. | .. | 3,80,00 | 3,80,00 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 2,73,00 |
| | | | | | | 74,23,62 |
| योग--202 | .. | 74,18,00 | .. | .. | 74,18,00 | 1,69,58,17 |
| | | | | | | 85,83,95 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| (हजार रुपये में) | | | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (क)--शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4202--शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 01--सामान्य शिक्षा--समाप्त | | | | | | |
| 203--विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-- | | | | | | |
| जबलपुर में गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना | .. | .. | .. | .. | .. | 51,58 |
| महाकौशल महाविद्यालय जबलपुर के लिये भूमि एवं भवन का अधिग्रहण | .. | .. | .. | .. | .. | 15,87,65 |
| शासकीय महाविद्यालय भवन का निर्माण | .. | 24,37,10 | .. | .. | 24,37,10 | 50,53,99 |
| महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा का विकास | .. | .. | .. | .. | .. | 2,58,14 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपए और कम लागत के | .. | 7,76 | .. | .. | 7,76 | 5,98,76 |
| | | | | | | 76,95,97 |
| योग--203 | .. | 24,44,86 | .. | .. | 24,44,86 | 75,50,12 |
| | | | | | | 76,95,97 |
| 600--सामान्य-- | | | | | | |
| भवन निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 4,84,71 |
| 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- | | | | | | |
| सर्वशिक्षा अभियान | .. | 1,50,00 | .. | .. | 1,50,00 | 1,50,00 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| महाविद्यालय भवनों का निर्माण | .. | 3,00,00 | .. | .. | 3,00,00 | 7,45,67 |
| माध्यमिक शिक्षा- | | | | | | |
| उच्चतर माध्यमिक एवं हाई स्कूलों में लघु निर्माण कार्य | .. | 17,49,81 | .. | .. | 17,49,81 | 55,80,81 |
| सर्वशिक्षा अभियान | .. | 2,25,00 | .. | .. | 2,25,00 | 2,25,00 |
| उच्चतर माध्यमिक तथा हाईस्कूलों के लिये भवन निर्माण | .. | .. | .. | 2,59,92 | 2,59,92 | 2,59,92 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 3,03,95 |
| | | | | | | 27,64,77 |
| योग--796 | .. | 22,74,81 | .. | 2,59,92 | 25,34,73 | 71,15,35 |
| | | | | | | 27,64,77 |
| 797--आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | -45,27 |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | | |
| खेल अकादमी की स्थापना | .. | 3,75,86 | .. | .. | 3,75,86 | 7,09,46 |
| स्टेडियम का निर्माण | .. | 5,94,54 | .. | .. | 5,94,54 | 14,35,74 |
| पंचायत युवा केंद्र और खेल अभियान | .. | .. | 11,53,13 | .. | 11,53,13 | 11,53,13 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | 10,38 | .. | .. | 10,38 | 3,94,14 |
| योग--01 | .. | 1,43,93,45 | 11,53,13 | 2,59,92 | 1,58,06,50 | 4,18,04,34 |
| | | | | | | 3,99,81,94 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|----------|---|--------------------------|----------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | योग | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (क)-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4202--शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 02--तकनीकी शिक्षा-- | | | | | | |
| 001--निदेशन तथा प्रशासन-- | | | | | | |
| लोक निर्माण विभाग द्वारा भवनों का निर्माण एवं अनुरक्षण | .. | .. | .. | .. | .. | 38,64,48 |
| लोक निर्माण विभाग द्वारा भवनों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 31,13,78 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 45,68 |
| योग--001 | .. | .. | .. | .. | .. | 70,23,94 |
| 104--बहुशिल्प-- | | | | | | |
| पोलीटेक्निक संस्थान | .. | .. | 6,00,00 | .. | 6,00,00 | 6,00,00 |
| पोलीटेक्निक भवनों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 12,20,76 |
| | | | | | | 24,02,91 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | 42,00 | .. | .. | 42,00 | 2,60,41 |
| योग--104 | .. | 42,00 | 6,00,00 | .. | 6,42,00 | 20,81,17 |
| | | | | | | 24,50,94 |
| 105--इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-- | | | | | | |
| जबलपुर में यांत्रिकी महाविद्यालय हेतु भूमि एवं भवन.. | .. | .. | .. | .. | .. | 65,66 |
| यांत्रिकी महाविद्यालय, उज्जैन | .. | .. | .. | .. | .. | 9,05 |
| यांत्रिकी/तकनीकी महाविद्यालयों तथा संस्थानों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 2,28,64 |
| औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए भवन निर्माण | .. | 6,98,57 | .. | .. | 6,98,57 | 6,98,57 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 2,25,53 |
| योग--105 | .. | 6,98,57 | .. | .. | 6,98,57 | 12,27,45 |
| | | | | | | 33,92,12 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- | | | | | | |
| तकनीकी शिक्षा हेतु भवन निर्माण | .. | 1,85,22 | 1,41,28 | .. | 3,26,50 | 15,99,25 |
| डा. बाबा साहब अम्बेडकर पॉलीटेक्निक संस्थान | .. | 3,59,74 | .. | .. | 3,59,74 | 8,59,74 |
| उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण | .. | 7,20,00 | .. | .. | 7,20,00 | 12,60,00 |
| उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला का सुदृढीकरण | .. | 5,00,00 | .. | .. | 5,00,00 | 5,00,00 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 78,38 |
| योग--789 | .. | 17,64,96 | 1,41,28 | .. | 19,06,24 | 42,97,37 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोगना- | | | | | | |
| तकनीकी शिक्षा हेतु भवन निर्माण | .. | 2,28,00 | .. | .. | 2,28,00 | 3,63,00 |
| एकलव्य पॉलीटेक्निक संस्थान | .. | 1,49,20 | .. | .. | 1,49,20 | 6,42,20 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 2,41,93 |
| योग--796 | .. | 3,77,20 | .. | .. | 3,77,20 | 12,47,13 |
| | | | | | | 8,77,90 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|----------|---------------------------|--------------------------|----------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (क)-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4202--शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 02--तकनीकी शिक्षा-समाप्त | | | | | | |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 9,18 |
| योग--02 | .. | 28,82,73 | 7,41,28 | .. | 36,24,01 | 88,53,12 |
| | | | | | | 1,37,54,08 |
| 03--खेलकूद तथा युवा सेवाएं-- | | | | | | |
| 003--खेलकूद एवं युवा कल्याण-- | | | | | | |
| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का भवन निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 3,11,25 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- | | | | | | |
| स्टेडियम तथा खेलकूद अधोसंरचना का निर्माण | .. | 2,84,47 | .. | .. | 2,84,47 | 5,18,83 |
| खेलकूद अकादमी की स्थापना | .. | 1,62,80 | .. | .. | 1,62,80 | 1,62,80 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 83,54 |
| योग--789 | .. | 4,47,27 | .. | .. | 4,47,27 | 7,65,17 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोगना- | | | | | | |
| खेलकूद अकादमी की स्थापना | .. | 1,40,20 | .. | .. | 1,40,20 | 3,33,70 |
| स्टेडियम तथा खेलकूद अधोसंरचना का निर्माण | .. | 2,93,54 | .. | .. | 2,93,54 | 5,74,39 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 4,59,21 |
| योग--796 | .. | 4,33,74 | .. | .. | 4,33,74 | 9,08,09 |
| | | | | | | 4,59,21 |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | | |
| स्टेडियम तथा खेलकूद अधोसंरचना का निर्माण | .. | 4,22,24 | .. | .. | 4,22,24 | 4,22,24 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 62,49 |
| | | | | | | 34,36 |
| योग--03 | .. | 13,03,25 | .. | .. | 13,03,25 | 24,69,24 |
| | | | | | | 4,93,57 |
| 04--कला तथा संस्कृति-- | | | | | | |
| 104--अभिलेखागार- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 4,19 |
| 106--संग्रहालय- | | | | | | |
| राज्य संग्रहालय भोपाल के लिये भवन निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 10,45,68 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | 30,00 | .. | .. | 30,00 | 47,04 |
| | | | | | | 92,76 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|------------|---|--------------------------|------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (क)-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूँजीगत लेखा--समाप्त | | | | | | |
| 4202--शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय--समाप्त | | | | | | |
| 04--कला तथा संस्कृति-- समाप्त | | | | | | |
| 796--जनजाति क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| संग्रहालय | .. | .. | .. | .. | .. | 5,91,63 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 71,06 |
| 800--अन्य व्यय-- | | | | | | |
| भारत भवन ट्रस्ट में स्थायी निधि का निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 1,00,00 |
| छात्रावास भवनों का निर्माण | .. | 35,20,00 | .. | .. | 35,20,00 | 35,20,00 |
| मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 1,03,84 |
| म.प्र.सांस्कृतिक कमेटी का विकास | .. | 3,01,00 | .. | .. | 3,01,00 | 5,61,00 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | 69,00 | .. | .. | 69,00 | 3,05,10 |
| | | | | | | 2,84,43 |
| योग--800 | .. | 38,90,00 | .. | .. | 38,90,00 | 43,86,10 |
| | | | | | | 4,88,27 |
| योग--04 | .. | 39,20,00 | .. | .. | 39,20,00 | 61,41,51 |
| | | | | | | 5,85,22 |
| योग--4202 | .. | 2,24,99,43 | 18,94,41 | 2,59,92 | 2,46,53,76 | 5,92,68,21 |
| | | | | | | 5,48,14,81 |
| योग--(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूँजीगत लेखा | .. | 2,24,99,43 | 18,94,41 | 2,59,92 | 2,46,53,76 | 5,92,68,21 |
| | | | | | | 5,48,14,81 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है ।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|-----|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (ख)--स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा-- | | | | | | |
| 4210--चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 01--शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-- | | | | | | |
| 110--अस्पताल तथा औषधालय-- | | | | | | |
| भोपाल में 100 पलंगों वाले सुल्तानिया महिला चिकित्सालय का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 2,54,43 |
| महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय, इन्दौर का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 75,18 |
| रीवा चिकित्सा महाविद्यालय में बाह्य रोगी विभाग भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 31,65 |
| झाबुआ में 100 पलंगों वाला अस्पताल | .. | .. | .. | .. | .. | 10,17 |
| बाल चिकित्सालय इन्दौर का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 6,67 |
| खरगोन में 100 पलंगों वाले अस्पताल का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 42,72 |
| रीवा में 800 पलंगों वाले संजय गांधी चिकित्सालय का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 43,33,47 |
| हातोद में पी0एच0सी0 चिकित्सालय तथा गेरेज का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 3 |
| सिरोंज में 100 पलंगों वाले चिकित्सालय का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,75,08 |
| जहांगीराबाद में 30 पलंगों वाले चिकित्सालय का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 81,47 |
| हमीदिया चिकित्सालय भवन में मरम्मत कार्य | .. | .. | .. | .. | .. | 1,24,45 |
| हमीदिया चिकित्सालय में गैस पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए 650 बिस्तरों वाले कमला नेहरू अस्पताल के शेष भाग का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 13,85,45 |
| गुना छावनी क्षेत्र में 30 बिस्तरों वाले चिकित्सालय भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 3,90 |
| हमीदिया चिकित्सालय परिसर, भोपाल में कमला नेहरू अस्पताल के लिये सेवा खण्ड का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 72,63 |
| जे.ए.चिकित्सालय, ग्वालियर से सम्बन्धित 600 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 9 |
| जी.आर.चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर में जन्तु विज्ञान विभाग का विस्तार | .. | .. | .. | .. | .. | 11,93 |
| खान शाकिर अली खान चिकित्सालय में बाह्य रोगी वार्ड का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 28,03 |
| करेली में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 13,78 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|----------|---|--|----------|------------------------|
| | योजनागत | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं (हजार रुपये में) | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (ख)--स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4210--चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 01--शहरी स्वास्थ्य सेवाएं--समाप्त | | | | | | |
| 110--अस्पताल तथा औषधालय--समाप्त | | | | | | |
| हमीदिया अस्पताल भवन, भोपाल में 4 नये शल्य क्रिया कक्षों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 6,13 |
| गंज बासोदा (विदिशा) में 50 से 100 बिस्तर वाले अस्पताल भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 93,90 |
| सरावला में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (नया कार्य) का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 55,38 |
| जलेश्वर (नरसिंहपुर) में 100 बिस्तर वाले चिकित्सालय भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 2,80,72 |
| अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा) में 100 बिस्तर वाले चिकित्सालय भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 10,28 |
| चन्दूमेला ग्राम छिन्दवाड़ा में 30 बिस्तर वाले चिकित्सालय भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 9 |
| बुरहानपुर में 100 बिस्तर वाले चिकित्सालय भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 30,39 |
| प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना चिकित्सालयों तथा औषधालयों हेतु भवनों का निर्माण.. | .. | 8,02,67 | .. | .. | 8,02,67 | 64,49,79 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | 26,64 | .. | .. | .. | 26,64 | 15,94,45 |
| | | | | | | 89,39,41 |
| योग--110 | 26,64 | 8,02,67 | .. | .. | 8,29,31 | 1,53,49,16 |
| | | | | | | 89,39,41 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- | | | | | | |
| चिकित्सालयों एवं औषधालयों के लिये भवनों का निर्माण | .. | 5,89,36 | .. | .. | 5,89,36 | 14,27,40 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 2,42,06 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोगना- | | | | | | |
| प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना चिकित्सालयों तथा औषधालयों हेतु भवनों का निर्माण.. | .. | 1,05,42 | .. | .. | 1,05,42 | 14,01,55 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 84,14 |
| | | | | | | 4,23,72 |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 5,02 |
| योग--01 | 26,64 | 14,97,45 | .. | .. | 15,24,09 | 1,87,93,50 |
| | | | | | | 93,68,15 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|----------|---------------------------|--------------------------|----------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (ख)--स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4210--चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 02--ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-- | | | | | | |
| 101-- स्वास्थ्य उप केन्द्र-- | | | | | | |
| चित्रकूट अनुदान | .. | .. | .. | .. | .. | 7,50,00 |
| 103--प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- | | | | | | |
| मूलभूत सेवाओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 24,27,47 |
| मूलभूत सेवाओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप-स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण | .. | 15,65,75 | .. | .. | 15,65,75 | 51,42,04 |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये भवनों का निर्माण- नाबार्ड सहायता | .. | 4,50,90 | .. | .. | 4,50,90 | 16,99,97 |
| उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये भवनों का निर्माण- नाबार्ड सहायता | .. | .. | .. | .. | .. | 12,82,50 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 20,17,75 |
| | | | | | | 20,27,53 |
| योग--103 | .. | 20,16,65 | .. | .. | 20,16,65 | 1,25,69,73 |
| | | | | | | 20,27,53 |
| 104--सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 1,70,33 |
| | | | | | | 44,74 |
| 110--अस्पताल तथा औषधालय- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 9,16 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- | | | | | | |
| सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये भवन निर्माण | .. | 9,35,63 | .. | .. | 9,35,63 | 27,90,72 |
| सामुदायिक स्वास्थ्य / उप स्वास्थ्य /प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण(नाबार्ड) | .. | 2,54,55 | .. | .. | 2,54,55 | 14,12,21 |
| प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना | .. | .. | .. | .. | .. | 2,16,42 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 2,30,19 |
| | | | | | | 1,39,49 |
| योग--789 | .. | 11,90,18 | .. | .. | 11,90,18 | 46,49,54 |
| | | | | | | 1,39,49 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है ।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|----------|---------------------------|--------------------------|----------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (ख)--स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4210--चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 02--ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-- समाप्त | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| ग्रामीण योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | 27,65,84 | |
| .. | 11,40,93 | .. | .. | 11,40,93 | 22,63,38 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | 6,17,75 | |
| सामुदायिक स्वास्थ्य/ उप स्वास्थ्य/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये भवनों का निर्माण(नाबार्ड) | | | | | | |
| .. | 1,01,79 | .. | .. | 1,01,79 | 9,28,26 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | 4,36,60 | |
| 8,29,48 | | | | | | |
| योग--02 | .. | 44,49,55 | .. | .. | 44,49,55 | 2,51,60,59 |
| 30,41,24 | | | | | | |
| 03--चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान- | | | | | | |
| 101--आयुर्वेद- | | | | | | |
| आयुर्वेदिक महाविद्यालय | | | | | | |
| .. | 2,00,00 | .. | .. | 2,00,00 | 8,30,00 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | 63,23 | |
| 3,00,28 | | | | | | |
| 102--होम्योपैथी- | | | | | | |
| होम्योपैथी महाविद्यालय की स्थापना | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | 1,35,00 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | 46,45 | |
| 103--यूनानी- | | | | | | |
| मूलभूत न्यूनतम कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | 6,43,96 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | 1,00,00 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | 63,88 | |
| 105--एलोपैथी-- | | | | | | |
| जबलपुर में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना | | | | | | |
| .. | 2,05,04 | .. | .. | 2,05,04 | 10,45,33 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | 1,10,06 | |
| .. | 4,31,40 | .. | .. | 4,31,40 | 11,02,21 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | 39,06,00 | |
| .. | .. | .. | .. | .. | 88,08 | |
| 12,16,50 | | | | | | |
| योग--105 | .. | 6,36,44 | .. | .. | 6,36,44 | 62,51,68 |
| 12,16,50 | | | | | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|----------|---|--------------------------|----------|--------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (ख)--स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा--समाप्त | | | | | | |
| 4210--चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय--समाप्त | | | | | | |
| 03--चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-समाप्त | | | | | | |
| 200--अन्य पद्धतियां- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 2,37,44 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- | | | | | | |
| नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना | .. | .. | .. | .. | .. | 50,00,00 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 9,15,31 |
| योग--03 | .. | 8,36,44 | .. | .. | 8,36,44 | 1,30,87,75 27,15,98 |
| 04--लोक स्वास्थ्य-- | | | | | | |
| 107--लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं- | | | | | | |
| लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी प्रयोगशाला | .. | .. | .. | .. | .. | 1,19,94 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 16,89 |
| 200--अन्य कार्यक्रम- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 1,95,55 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 6,00 |
| योग--04 | .. | .. | .. | .. | .. | 1,36,83 2,01,55 |
| 80--सामान्य-- | | | | | | |
| 800--अन्य व्यय-- | | | | | | |
| सिंहस्थ मेला की व्यवस्था | .. | .. | .. | .. | .. | 30,00 |
| योग--80 | .. | .. | .. | .. | .. | 30,00 |
| योग--4210 | 26,64 | 67,83,44 | .. | .. | 68,10,08 | 5,72,08,67 1,53,26,92 |
| 4211--परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 101--ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं- | | | | | | |
| ग्रामीण क्षेत्र परिवार कल्याण केन्द्रों का विस्तार | .. | .. | .. | 9,52 | 9,52 | 1,69,22 |
| ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा केन्द्र का रखरखाव | .. | .. | .. | .. | .. | 1,85,90 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 5,07,62 |
| | | | | | | 37,46,26 |
| 800--अन्य व्यय-- | | | | | | |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपए और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 23,79,55 |
| योग--4211 | .. | .. | .. | 9,52 | 9,52 | 8,62,74 61,25,81 |
| योग--(ख)--स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूँजीगत लेखा | 26,64 | 67,83,44 | .. | 9,52 | 68,19,60 | 5,80,71,41 2,14,52,73 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (ग)--जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूँजीगत लेखा-- | | | | | | |
| 4215--जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 01--जलपूर्ति -- | | | | | | |
| 001-- निदेशन तथा प्रशासन-- | | | | | | |
| लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी प्रयोगशालायें | .. | .. | 1,44,25 | .. | 1,44,25 | 4,44,88 |
| 101--शहरी जलपूर्ति -- | | | | | | |
| ग्वालियर जल प्रदाय योजना | .. | .. | .. | .. | .. | 1,78,23 |
| मंडीदीप में जल प्रदाय योजना | .. | .. | .. | .. | .. | 29,37 |
| पंचवेली जल प्रदाय योजना | .. | 1,48,70 | .. | .. | 1,48,70 | 22,12,56 |
| चिरमिरी जल प्रदाय योजना | .. | .. | .. | .. | .. | 12,09,64 |
| जल प्रदाय (कोलार डेम) | .. | .. | .. | .. | .. | 3,54,00 |
| जामई जुन्नारदेव जल प्रदाय योजना | .. | .. | .. | .. | .. | 1,81,08 |
| जल प्रदाय योजना, आधारताल, जबलपुर | .. | .. | .. | .. | .. | 1,70 |
| पर्यावरण बचाव कार्य एवं प्रदूषण नियंत्रण | .. | 29,97 | .. | .. | 29,97 | 2,58,05 |
| | | | | | | 27,91 |
| रतलाम जल प्रदाय योजना | .. | .. | .. | .. | .. | 1,22 |
| शिवपुरी जल प्रदाय योजना | .. | .. | .. | .. | .. | 7,48 |
| स्थापना का आनुपातिक अंशलेखा | .. | .. | .. | .. | .. | 16,93 |
| | | | | | | 30 |
| यंत्र एवं संयंत्र व्यय का आनुपातिक अंश लेखा | .. | .. | .. | .. | .. | 9,74 |
| अन्य योजनाएं, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | -62,09 |
| | | | | | | 22,07,73 |
| योग--101 | .. | 1,78,67 | .. | .. | 1,78,67 | 43,97,91 |
| | | | | | | 22,35,94 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (ग)--जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4215--जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 01--जलपूर्ति --जारी | | | | | | |
| 102--ग्रामीण जलपूर्ति -- | | | | | | |
| भू-जल स्रोतों का पुनर्भरण | .. | .. | .. | .. | .. | 3,46,26 |
| जल प्रदाय योजनाओं (ग्रामीण) को सहायता अनुदान.. | .. | .. | .. | .. | .. | 6,09,58 |
| गतिवर्धित ग्रामीण जलपूर्ति योजना | .. | .. | .. | 8,89,15 | 8,89,15 | 2,78,77,42 |
| प्रधानमंत्री ग्रामोदय ग्रामीण जलपूर्ति योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 39,61,52 |
| मेलाओं के लिए आरक्षित जल प्रदाय | .. | .. | 79,86 | .. | 79,86 | 2,97,56 |
| समस्याग्रस्त ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था | .. | .. | 94,65,59 | .. | 94,65,59 | 4,75,75,16 |
| उज्जैन, भिण्ड एवं नीमच जिलों में खारे पानी से प्रभावित ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था | .. | .. | 7,41,49 | .. | 7,41,49 | 15,84,64 |
| सिवनी जिले में फ्लोराइड प्रभावित ग्रामों में पेय जल प्रदाय | .. | .. | .. | .. | .. | 26,51,20 |
| कम्प्यूटरों का लगाना | .. | .. | .. | .. | .. | 2,64,89 |
| राज्य में फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम | .. | .. | 19,11,91 | .. | 19,11,91 | 38,98,67 |
| ग्रामीण नल जल पूर्ति योजना पानी की गुणवत्ता से संबंधित कार्य (एच.आर.डी. कार्यक्रम) | .. | .. | 1,18,13,09 | .. | 1,18,13,09 | 3,04,84,51 |
| योग--102 | .. | .. | 2,40,11,94 | 8,89,15 | 2,49,01,09 | 11,90,82,76 |
| | | | | | | 6,09,58 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- | | | | | | |
| ग्रामीण नल जल प्रदाय योजना | .. | .. | 36,10,66 | .. | 36,10,66 | 1,27,84,02 |
| समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी का प्रदाय | .. | .. | 39,27,90 | .. | 39,27,90 | 2,50,13,84 |
| प्रधानमंत्री ग्रामोदय ग्रामीण जल प्रदाय योजना | .. | .. | .. | .. | .. | 8,65,35 |
| भू-जल स्रोतों का पुनर्भरण | .. | .. | 17,14,39 | .. | 17,14,39 | 57,14,59 |
| ग्रामोद्योग ग्रामीण जल आपूर्ति योजना | .. | .. | .. | .. | .. | 1,62,75 |
| राज्य में फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम | .. | .. | 43,55,45 | .. | 43,55,45 | 65,62,39 |
| अधिक लोह जल प्रदाय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,40,31 |
| खारा जल प्रभावित ग्रामों में पेय जल व्यवस्था | .. | .. | 7,21,99 | .. | 7,21,99 | 9,81,02 |
| हॉस्टल/आश्रमों में पीने के पानी की व्यवस्था तथा सेनेट्री कार्य | .. | 3,32,37 | .. | .. | 3,32,37 | 3,32,37 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 43,55,63 |
| योग--789 | .. | 3,32,37 | 1,43,30,39 | .. | 1,46,62,76 | 5,69,12,27 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|----------|---|--------------------------|------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (ग)--जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4215--जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 01--जलपूर्ति --समाप्त | | | | | | |
| 794--जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता-- | | | | | | |
| समस्याग्रस्त ग्रामों में जलपूर्ति | .. | .. | .. | .. | .. | 73,21 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| छात्रावास/आश्रम में जल प्रबन्ध | .. | 5,24,48 | .. | .. | 5,24,48 | 9,44,64 |
| समस्याग्रस्त ग्रामों में जल प्रदाय योजना | .. | .. | .. | .. | .. | 27,12,60 |
| झाबुआ के फ्लोराइड ग्रस्त गांवों में पीने का पानी | .. | .. | .. | .. | .. | 9,56,38 |
| प्रधानमंत्री ग्रामोदय ग्रामीण जल प्रदाय योजना | .. | .. | .. | .. | .. | 8,90,71 |
| 250 जनसंख्या से कम के गांवों एवं झोंपड़ियों में नलकूपों की खुदाई | .. | .. | 65,53,15 | .. | 65,53,15 | 1,91,91,00 |
| समस्याग्रस्त ग्रामों में पीने के पानी का प्रदाय | .. | .. | 5,40,90 | .. | 5,40,90 | 60,31,82 |
| पाताल गंगा परियोजना | .. | .. | .. | .. | .. | 2,85,39 |
| भू जल स्रोतों का पुनर्भरण | .. | .. | 18,37,93 | .. | 18,37,93 | 40,70,67 |
| ग्रामीण सर्वेक्षण एवं अनुसंधान | .. | .. | 62,03 | .. | 62,03 | 1,68,14 |
| माइक्रो योजना में जल प्रदाय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,54,53 |
| यन्त्र एवं उपकरण | .. | .. | 2,01,01 | .. | 2,01,01 | 8,90,66 |
| राज्य में फ्लोरोसिस नियंत्रण | .. | .. | 28,59,57 | .. | 28,59,57 | 58,39,01 |
| पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना | .. | .. | .. | .. | .. | 13,82,68 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 30,25,90 |
| | | | | | | 1,69,64 |
| योग--796 | .. | 5,24,48 | 1,20,54,59 | .. | 1,25,79,07 | 4,65,44,13 |
| | | | | | | 1,69,64 |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | | |
| भू जल स्रोतों का पुनर्भरण | .. | .. | 31,39,22 | .. | 31,39,22 | 58,94,98 |
| यंत्र एवं उपकरण | .. | .. | 1,73,37 | .. | 1,73,37 | 12,62,88 |
| जल गुणवत्ता से संबंधित कार्य | .. | .. | .. | 2,83,64 | 2,83,64 | 12,89,51 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 5,09,65 |
| | | | | | | 1,36,83 |
| योग--800 | .. | .. | 33,12,59 | 2,83,64 | 35,96,23 | 89,57,02 |
| | | | | | | 1,36,83 |
| योग--01 | .. | 10,35,52 | 5,38,53,76 | 11,72,79 | 5,60,62,07 | 23,64,12,18 |
| | | | | | | 31,51,99 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|----------|---|--------------------------|------------|-------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | योग | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (ग)--जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4215--जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय--समाप्त | | | | | | |
| 02--मल-जल तथा सफाई-- | | | | | | |
| 101--शहरी सफाई सेवाएं- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 4,72 |
| 106--मल-जल सेवाएं- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 1,17,77 |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 91,16 |
| योग--02 | .. | .. | .. | .. | .. | 2,13,65 |
| योग--4215 | .. | 10,35,52 | 5,38,53,76 | 11,72,79 | 5,60,62,07 | 23,64,12,18 33,65,64 |
| 4216--आवास पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 01--सरकारी रिहायसी भवन-- | | | | | | |
| 106-- साधारण पूल आवास-- | | | | | | |
| साधारण पूल आवास | .. | .. | .. | .. | .. | 2,55,26 85,64,72 |
| स्टॉफ क्वार्टर्स का निर्माण | .. | .. | 7,43,87 | .. | 7,43,87 | 9,69,33 |
| नवगठित जिलों के लिये आवासीय भवनों का निर्माण.. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,03,40 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपए और उनसे कम लागत के | .. | 23,63 | .. | .. | 23,63 | 2,49,76 2,23,77 |
| योग--106 | .. | 23,63 | 7,43,87 | .. | 7,67,50 | 16,77,75 87,88,49 |
| 107--पुलिस गृह निर्माण-- | | | | | | |
| मध्यप्रदेश पुलिस आवास निगम की अंशपूँजी में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 1,75,00 |
| पुलिस आवास योजना | .. | .. | .. | .. | .. | 5,32,25 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपए और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 19,43,26 |
| योग--107 | .. | .. | .. | .. | .. | 26,50,51 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है ।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | योग | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (ग)--जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा | | | | | | |
| शहरी विकास का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4216--आवास पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 01-- सरकारी रिहायसी भवन--समाप्त | | | | | | |
| 700--अन्य आवास-- | | | | | | |
| सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 6,63,85 |
| जेल आवास योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 10,10 |
| छत्तीसगढ़ के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय गृहों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 4,00,00 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपए और उससे कम लागत के | 2,94 | .. | .. | .. | 2,94 | 2,94 |
| योग--700 | 2,94 | .. | .. | .. | 2,94 | 4,02,94 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- अन्य कार्य/योजनाएं | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6,03,14 |
| 800--अन्य व्यय- अन्य कार्य/योजनाएं | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | 15,12 |
| योग--01 | 2,94 | 23,63 | 7,43,87 | .. | 7,70,44 | 20,95,81 |
| | | | | | | 1,40,28,30 |
| 02--शहरी आवास-- | | | | | | |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश- किराये हेतु आवास | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | 27,16 |
| अन्य निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 2,01,77 |
| | | | | | | 1,33,49 |
| 191--नगर निगमों को सहायता- म.प्र. राज्य कर्मचारी आवास निगम में निवेश | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | 45,00 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 50 |
| 195--सहकारिताओं में निवेश- म.प्र. राज्य कर्मचारी आवास निगम | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | 50,00 |
| अन्य निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 7,41,86 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- अन्य कार्य/योजनाएं | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,00 |
| 800--अन्य व्यय-- अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपए और उससे कम लागत के | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | 17,47 |
| योग--02 | .. | .. | .. | .. | .. | 3,24,43 |
| | | | | | | 8,96,82 |
| 03-- ग्रामीण आवास-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय- अन्य कार्य /योजनाएं | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | 9,95,28 |
| 80--सामान्य-- | | | | | | |
| 001--निर्देशन तथा प्रशासन- अन्य कार्य/योजनाएं | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | 38,67 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|----------|---|--------------------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| (ग)--जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| 4216--आवास पर पूँजीगत परिव्यय--समाप्त | | | | | |
| 80--सामान्य--समाप्त | | | | | |
| 052--मशीनरी तथा उपस्कर | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | 18,00 |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | |
| अन्य निवेश | .. | .. | .. | .. | 1,64,61 |
| 201--गृह निर्माण मंडलों में निवेश-- | | | | | |
| आवासीय गृहों एवं भवनों का निर्माण | .. | 19,20,06 | .. | .. | 34,04,62 |
| समन्वित प्रशिक्षण कॉम्प्लेक्स | .. | 2,50,00 | .. | .. | 2,50,00 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-- | | | | | |
| आवास सहकारिताओं में निवेश | .. | .. | .. | .. | 14,10 |
| अन्य योजनायें, प्रत्येक एक करोड़ रुपए और उससे कम लागत की | .. | 79,92 | .. | .. | 79,92 |
| | | | | | 5,87,61 |
| 800--अन्य व्यय-- | | | | | |
| अन्य योजनायें, प्रत्येक एक करोड़ रुपए और उससे कम लागत की | .. | .. | .. | .. | 3,20,40 |
| | | | | | 49,66 |
| योग--80 | .. | 22,49,98 | .. | .. | 40,54,94 |
| | | | | | 8,72,65 |
| योग--4216 | 2,94 | 22,73,61 | 7,43,87 | .. | 30,20,42 |
| | | | | | 64,75,18 |
| | | | | | 1,67,93,05 |
| 4217--शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | |
| 01--राज्य की राजधानी का विकास-- | | | | | |
| 001--निर्देशन तथा प्रशासन- | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | 30,00 |
| | | | | | 1,51,50 |
| 050--भूमि- | | | | | |
| न्यायालयीन प्रकरणों में जमा राशि | .. | .. | .. | .. | 5,24,77 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | 8,01 |
| | | | | | 4,88,42 |
| 051--निर्माण-- | | | | | |
| 1000 क्वार्टरों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | 1,11,07 |
| 2000 क्वार्टरों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | 2,21,45 |
| 1250 क्वार्टरों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | 1,92,78 |
| 1464 क्वार्टरों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | 2,66,17 |
| 1400 क्वार्टरों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | 1,53,05 |
| 1100 क्वार्टरों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | 2,99,74 |
| विधान सभा सदस्यों के विश्राम गृह का निर्माण | .. | .. | .. | .. | 1,05,20 |
| 400 क्वार्टरों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | 2,66,97 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-----|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (ग)--जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4217--शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 01--राज्य की राजधानी का विकास--जारी | | | | | | |
| 051--निर्माण--जारी | | | | | | |
| विभागाध्यक्षों हेतु भवनों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 9,33,07 |
| विधायकों के लिये 24 नये पारिवारिक सूट्स का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 78,36 |
| भारत भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,67,59 |
| कोटरा सुल्तानाबाद में सड़कों का निर्माण एवं भूमि विकास | .. | .. | .. | .. | .. | 2,18,72 |
| मध्यप्रदेश आवास मण्डल के भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,28,15 |
| सरकारी कर्मचारियों के लिए टाइप "एच" के 300 और टाइप "आई" के 425 क्वार्टरों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 5,79,81 |
| सरकारी कर्मचारियों के लिए टाइप "एफ" के 200 और टाइप "जी" के 200 क्वार्टरों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 5,08,66 |
| हबीबगंज पुल का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,31,54 |
| नये विधानसभा भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 34,28,58 |
| प्रदूषण एवं रोकथाम मण्डल कार्यालय के एम.पी.कोआपरेटिव काम्पलेक्स का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,08,90 |
| प्रियदर्शिनी पार्क का निर्माण कार्य | .. | .. | .. | .. | .. | 2,05,40 |
| 197 "ई" एवं "डी" टाइप गृहों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 6,03,84 |
| अरेरा हिल, भोपाल में स्थित झोपड़ियों का स्थापन | .. | .. | .. | .. | .. | 2,50,25 |
| शाहपुरा सेक्टर से कोलार तक नगर सड़क का निर्माण.. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,65,21 |
| उद्यानों का निर्माण तथा अनुसूक्षण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,68,99 |
| भोपाल बायपास मार्ग का इकहरी लाइन से दोहरी लाइन में परिवर्तन | .. | .. | .. | .. | .. | 3,23,51 |
| बाबेली क्षेत्र में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,83,36 |
| रेतघाट पुल से सड़क का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 2,43,97 |
| मुख्य सड़क क्र. 3 पर पर्यावरण गार्डन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 2,67,23 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|----------|---|--------------------------|----------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (ग)--जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4217--शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 01--राज्य की राजधानी का विकास--समाप्त | | | | | | |
| 051--निर्माण--समाप्त | | | | | | |
| उच्च विश्रान्ति गृह (अति विशिष्ट विश्राम गृह) का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 35,57 |
| नये विधान सभा भवन का अतिरिक्त सौंदर्यीकरण | .. | .. | .. | .. | .. | 16,80,41 |
| बड़े तालाब की क्षमता बढ़ाना | .. | .. | .. | .. | .. | 1,07,93 |
| सड़क क्रमांक 3 का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,60,24 |
| भू-दृष्य एवं पार्को का निर्माण-भूमि का सौंदर्यीकरण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,95,14 |
| गैर-आवासीय भवन | .. | 2,62,67 | .. | .. | 2,62,67 | 20,12,95 |
| आवासीय भवन | .. | 1,38,69 | .. | .. | 1,38,69 | 13,20,61 |
| सड़कें तथा सेतु | .. | 19,99,34 | .. | .. | 19,99,34 | 87,20,97 |
| भोपाल गैस त्रासदी स्मारक का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 10,00,00 |
| राजधानी में मूलभूत सुविधाओं का विकास | .. | 1,56,13 | .. | .. | 1,56,13 | 5,81,13 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपए और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 2,61,12 |
| | | | | | | 74,64,18 |
| योग--051 | .. | 25,56,83 | .. | .. | 25,56,83 | 2,66,87,64 |
| | | | | | | 74,64,18 |
| 052--मशीनरी तथा उपस्कर- | | | | | | |
| क्षेत्रों आदि का सौंदर्यीकरण | .. | 2,06,24 | .. | .. | 2,06,24 | 29,16,77 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | 2,00 | .. | .. | 2,00 | 26,25,31 |
| | | | | | | 20,09,75 |
| योग--052 | .. | 2,08,24 | .. | .. | 2,08,24 | 55,42,08 |
| | | | | | | 20,09,75 |
| 190-- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | | |
| भोजवेट लैंड संरक्षण हेतु सहायता | .. | .. | .. | .. | .. | 45,63,03 |
| 191--स्थानीय संस्थाओं/निगमों आदि को सहायता- | | | | | | |
| भोजवेट लैंड संरक्षण हेतु सहायता | .. | .. | .. | .. | .. | 78,02,26 |
| 789-- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | 45,00 | .. | .. | 45,00 | 70,40 |
| 799--उच्चत- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 1,83 |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 7,93,78 |
| योग--01 | .. | 28,10,07 | .. | .. | 28,10,07 | 4,52,28,19 |
| | | | | | | 1,09,09,46 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|----------|---------------------------|--------------------------|----------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | योग | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (ग)--जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4217--शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 03--छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-- | | | | | | |
| 191--स्थानीय संस्थाओं, निगमों आदि को सहायता-- | | | | | | |
| अग्नि शमन सेवाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 14,27,23 |
| वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए एक मुश्त सहायता | .. | .. | .. | .. | .. | 5,00,00 |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | | |
| देवास जिले के शहरी क्षेत्रों का विकास | .. | 7,81,25 | .. | .. | 7,81,25 | 18,75,00 |
| सिंहस्थ मेला हेतु व्यवस्था | .. | .. | .. | .. | .. | 1,04,40,91 |
| योग--03 | .. | 7,81,25 | .. | .. | 7,81,25 | 1,42,43,14 |
| 60--अन्य शहरी विकास योजनाएं-- | | | | | | |
| 001--निदेशन तथा प्रशासन-- | | | | | | |
| सुधार एवं संशोधन कक्ष विकास योजना | .. | .. | .. | .. | .. | 8,07 |
| वृहद आर्थिक नीति निर्धारण के लिए राज्य आर्थिक विकास मंडल का गठन | .. | .. | .. | .. | .. | 10,00 |
| पचमढ़ी जैव मंडल प्रबंध योजना | .. | .. | .. | .. | .. | 23,40 |
| योग-001 | .. | .. | .. | .. | .. | 41,47 |
| 051--निर्माण-- | | | | | | |
| नगर निगमों में मूलभूत सुविधाओं का विकास | .. | 11,02,32 | .. | .. | 11,02,32 | 27,68,45 |
| भोजवेट लैंड प्रोजेक्ट | .. | .. | .. | .. | .. | 16,73,61 |
| राज्य शहरी सफाई मिशन | .. | 1,50,00 | .. | .. | 1,50,00 | 1,50,00 |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-- | | | | | | |
| मध्यप्रदेश नगर विकास वित्त निगम में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 2,19 |
| 191--स्थानीय संस्थाओं, निगमों आदि को सहायता-- | | | | | | |
| भोपाल नगर निगम सीमा से मवेशियों को अन्यत्र अवस्थित करने हेतु भूमि का विकास, सड़कों, मकानों और शेडों आदि का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 29,00 |
| अकाल प्रबंधन संस्थान को अनुदान | .. | .. | .. | .. | .. | 17,20 |
| 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों को मूलभूत सुविधाओं के लिए एक मुश्त अनुदान | .. | .. | .. | .. | .. | 51,81,11 |
| योग-191 | .. | .. | .. | .. | .. | 52,27,31 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|----------|---------------------------|--------------------------|------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (ग)--जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूँजीगत लेखा--समाप्त | | | | | | |
| 4217--शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-समाप्त | | | | | | |
| 60--अन्य शहरी विकास योजनायें--समाप्त | | | | | | |
| 789-- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- | | | | | | |
| नगर निगमों में मूलभूत सुविधाओं का विकास | .. | 2,75,60 | .. | .. | 2,75,60 | 5,01,58 |
| राज्य शहरी सफाई मिशन | .. | 1,00,00 | .. | .. | 1,00,00 | 1,00,00 |
| 793--अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता-- | | | | | | |
| भारत सरकार द्वारा विशेष घटक योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा वित्त पोषित योजनाएं | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | 16,78 |
| 800--अन्य व्यय-- | | | | | | |
| सिंहस्थ मेला | .. | -13,16@ | .. | .. | -13,16 | 1,11,47,29 |
| योग--60 | .. | 16,14,76 | .. | .. | 16,14,76 | 2,16,09,71 |
| | | | | | | 18,97 |
| योग--4217 | .. | 52,06,08 | .. | .. | 52,06,08 | 8,10,81,04 |
| | | | | | | 1,09,28,43 |
| योग--(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूँजीगत लेखा | 2,94 | 85,15,21 | 5,45,97,63 | 11,72,79 | 6,42,88,57 | 32,39,68,40 |
| | | | | | | 3,10,87,12 |
| (घ) सूचना तथा प्रसारण का पूँजीगत लेखा-- | | | | | | |
| 4220--सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 60--अन्य-- | | | | | | |
| 101--भवन- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 13,46 |
| | | | | | | 3,05,49 |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्रों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में निवेश-- | | | | | | |
| समाचार भारती के अंशों में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 9,00 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपए और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 3,80 |
| योग--60 | .. | .. | .. | .. | .. | 13,46 |
| | | | | | | 3,18,29 |
| योग--4220 | .. | .. | .. | .. | .. | 13,46 |
| | | | | | | 3,18,29 |
| योग--(घ)--सूचना तथा प्रसारण का पूँजीगत लेखा | .. | .. | .. | .. | .. | 13,46 |
| | | | | | | 3,18,29 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

@ ऋणात्मक लेन-देन सिंहस्थ मेला के अव्ययित शेष की वापसी के कारण है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|----------|---|--------------------------|----------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (ड.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूँजीगत लेखा-- | | | | | | |
| 4225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 01--अनुसूचित जातियों का कल्याण-- | | | | | | |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-- | | | | | | |
| मध्यप्रदेश अन्त्यवसायी विकास निगम की अंशपूँजी में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 10,88,53 |
| 195--सहकारिताओं में निवेश-- | | | | | | |
| ग्रामीण/विपणन/वृहद् गोदामों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,03,65 |
| 277--शिक्षा-- | | | | | | |
| छात्रावास भवन एवं आश्रम का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 27,03,97 |
| 283--आवास-- | | | | | | |
| हरिजन कन्याओं के लिये छात्रावास का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 6,30,49 |
| मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये कल्याण आयोग भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 10,62 |
| शैक्षणिक संस्थाओं हेतु भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 69,42 |
| आवासीय क्वार्टर्स का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 5,43,34 |
| चयनित ग्रामों में मूलभूत सुविधाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 2,81,25 |
| योग--283 | .. | .. | .. | .. | .. | 15,35,12 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- | | | | | | |
| मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम में निवेश | .. | 1,00,00 | .. | .. | 1,00,00 | 5,90,00 |
| आश्रम एवं छात्रावास | .. | 13,56,65 | 4,99,24 | .. | 18,55,89 | 1,51,74,59 |
| प्रशिक्षण केन्द्र हेतु भवन | .. | .. | .. | .. | .. | 40,83 |
| जगजीवन छात्रावास योजना | .. | .. | .. | 6,95,28 | 6,95,28 | 6,95,28 |
| ब्लॉक कार्यालय भवन का विद्युतीकरण | .. | 95,30 | .. | .. | 95,30 | 2,73,02 |
| अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों हेतु आवासीय विद्यालय | .. | 2,50,86 | .. | .. | 2,50,86 | 21,37,87 |
| अनुसूचित जाति/जनजाति कॉलोनियों का विकास | .. | 19,78,15 | .. | .. | 19,78,15 | 19,78,15 |
| अनुसूचित जाति विकास निदेशालय | .. | .. | .. | .. | .. | 4,00 |
| डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 40,00 |
| विशेष घटक योजना हेतु एक मुश्त प्रावधान | .. | 3,92,93 | .. | .. | 3,92,93 | 1,11,29,55 |
| छात्रावास भवनों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 28,24,87 |
| अन्य निर्माण कार्य प्रत्येक रुपये एक करोड़ एवं उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 12,01 |
| योग--789 | .. | 41,73,89 | 4,99,24 | 6,95,28 | 53,68,41 | 3,49,00,17 |
| | | | | | | 44,72,86 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|----------|---|--------------------------|----------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (ड.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 01--अनुसूचित जातियों का कल्याण--समाप्त | | | | | | |
| 793--अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता-- | | | | | | |
| क्षेत्रीय विकास के लिये अनाबद्ध राशि | .. | .. | .. | .. | .. | 16,59,05 |
| | | | | | | 8,23,04 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपए और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 37,69 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोगना- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 44,22 |
| 800--अन्य व्यय-- | | | | | | |
| छात्रावास भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 41,26,50 |
| प्रशिक्षण केन्द्र हेतु भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,94,87 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपए और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 9,18,89 |
| योग--01 | .. | 41,73,89 | 4,99,24 | 6,95,28 | 53,68,41 | 3,65,59,22 |
| | | | | | | 1,60,49,34 |
| 02--अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-- | | | | | | |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | | |
| अन्य निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 1,46 |
| 195--सहकारिताओं में निवेश-- | | | | | | |
| ग्रामीण/विपणन/वृहद गोदामों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 57,18 |
| 277--शिक्षा- | | | | | | |
| निर्माण कार्य-अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 13,91,02 |
| 283--आवास-- | | | | | | |
| अनुसूचित जनजातियों के लिये भवनों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 2,42,24 |
| 794--जनजातीय उपयोगना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता-- | | | | | | |
| मेट्रिक-पूर्व बालक छात्रावास भवन | .. | .. | .. | .. | .. | 2,34,60 |
| शिक्षण संस्थाओं हेतु भवनों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 11,85,36 |
| क्रीड़ा परिसर छात्रावास भवन | .. | .. | .. | .. | .. | 8,30,87 |
| औद्योगिक प्रशिक्षण छात्रावास भवन | .. | .. | .. | .. | .. | 89,41 |
| अपूर्ण निर्माण कार्य | .. | .. | .. | .. | .. | 11,15,83 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है ।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|----------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (ड.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 02--अनुसूचित जनजातियों का कल्याण--जारी | | | | | | |
| 794--जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता--समाप्त | | | | | | |
| आश्रम भवन का निर्माण कार्य | .. | .. | .. | .. | .. | 20,85,87 |
| | | | | | | 42,91,76 |
| विकास प्राधिकरणों की निर्बाद निधि | .. | .. | .. | .. | .. | 43,35,68 |
| जनजाति विकास एवं वित्त निगम में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 1,00,00 |
| | | | | | | 6,00,00 |
| मध्यप्रदेश अन्त्यवसायी विकास निगम की अंशपूँजी में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 74,20 |
| मॉडल विद्यालय भवन | .. | .. | .. | .. | .. | 3,31,36 |
| आदिवासी अंचलों में स्थानीय विकास कार्यक्रम | .. | .. | 33,31 | .. | 33,31 | 15,99,14 |
| | | | | | | 11,68,67 |
| एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम | .. | .. | 29,48,44 | .. | 29,48,44 | 92,86,70 |
| निर्बाद आदिवासी विकास परियोजना में स्थानीय कार्यक्रम | .. | .. | .. | .. | .. | 62,54,85 |
| | | | | | | 81,14,06 |
| माड़ा क्षेत्रों में स्थानीय विकास कार्यक्रम | .. | .. | 1,69,50 | .. | 1,69,50 | 16,82,50 |
| | | | | | | 7,25,00 |
| बड़ी सिंचाई योजनाओं को लागू करना | .. | .. | .. | .. | .. | 1,23,99 |
| अन्य कार्य /योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 12,96 |
| | | | | | | 3,11,32 |
| योग--794 | .. | .. | 31,51,25 | .. | 31,51,25 | 2,13,53,38 |
| | | | | | | 2,32,00,75 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-- | | | | | | |
| मध्यप्रदेश अन्त्यवसायी विकास निगम की अंशपूँजी में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 6,46,00 |
| शिक्षक आवास | .. | .. | .. | .. | .. | 53,67 |
| प्री-मेट्रिक छात्रावास भवन | .. | .. | .. | .. | .. | 21,54 |
| मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल के जरिये शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भवन निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 34,71,73 |
| | | | | | | 6,67,51 |
| विभागीय एजेन्सी के जरिये निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 8,00 |
| | | | | | | 9,74,43 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है ।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|----------|---|--------------------------|------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (ड.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 02--अनुसूचित जनजातियों का कल्याण--जारी | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोगना--समाप्त | | | | | | |
| विज्ञान प्रयोगशाला भवनों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,30,00 |
| | | | | | | 17,19,22 |
| प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवनों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 15,46,93 |
| | | | | | | 16,01,74 |
| जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर का उन्नयन | .. | .. | .. | .. | .. | 1,81,16 |
| अन्य व्यय--भवन | .. | .. | .. | .. | .. | 1,76,57 |
| अधूरे निर्माण कार्य | .. | .. | .. | .. | .. | 20 |
| | | | | | | 3,28,13 |
| जनजाति विकास एवं वित्त निगम में निवेश | .. | 2,00,00 | .. | .. | 2,00,00 | 11,12,00 |
| | | | | | | 1,90,00 |
| आश्रम एवं छात्रावास के लिए भवन निर्माण | .. | 15,54,80 | 6,00,00 | .. | 21,54,80 | 1,22,90,20 |
| | | | | | | 12,10,30 |
| आदिवासी क्षेत्रों में सीमेन्ट सड़क का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 6,57,99 |
| क्रीडा क्षेत्र का निर्माण | .. | 2,05,50 | .. | .. | 2,05,50 | 4,08,84 |
| अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों की बस्तियों का विकास | .. | 28,40,74 | .. | .. | 28,40,74 | 65,72,65 |
| अनुसूचित जनजाति क्षेत्र योजनाओं हेतु एक मुश्त प्रावधान | .. | 18,76,62 | .. | .. | 18,76,62 | 29,59,53 |
| कार्यालय भवनों का निर्माण/विद्युतीकरण | .. | 8,96,93 | .. | .. | 8,96,93 | 8,96,93 |
| पर्वतपुरा के लिए सघन विकास योजना | .. | .. | .. | .. | .. | 85,27 |
| जनजाति म्यूजियम भवन | .. | .. | 6,22,44 | .. | 6,22,44 | 17,88,74 |
| रीती ब्लॉक विकास में पिछड़े ग्रामों के लिए विकास योजना | .. | .. | .. | .. | .. | 1,86,97 |
| मंडला जिले में शॉपिंग काम्पलेक्स का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 2,50,00 |
| आदिवासी क्षेत्र में स्थानीय विकास कार्यक्रम | .. | .. | .. | .. | .. | 84,62,78 |
| उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 14,90,39 |
| छात्रावास भवनों का निर्माण | .. | 9,04,32 | 11,56,81 | .. | 20,61,13 | 94,82,64 |
| विद्यालय भवनों एवं आश्रम का विकास | .. | .. | .. | .. | .. | 2,34,82 |
| आदिवासी उपक्षेत्र योजना में विविध विकास कार्य | .. | .. | .. | 76,06,69 | 76,06,69 | 1,16,88,04 |
| अन्य निर्माण कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 74,82 |
| | | | | | | 26,33,16 |
| योग--796 | .. | 84,78,91 | 23,79,25 | 76,06,69 | 1,84,64,85 | 6,37,99,47 |
| | | | | | | 1,04,03,43 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | योग | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (ड.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूँजीगत लेखा--समाप्त | | | | | | |
| 4225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय--समाप्त | | | | | | |
| 02--अनुसूचित जनजातियों का कल्याण--समाप्त | | | | | | |
| 800--अन्य व्यय-- | | | | | | |
| जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर का उन्नयन | .. | .. | .. | .. | .. | 7,96,97 |
| चयनित ग्रामों में मूलभूत सुविधाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 9,13,05 |
| आवासीय क्वार्टर्स | .. | .. | .. | .. | .. | 2,66,54 |
| वाणिज्यिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु भवन निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 67,16 |
| योग--800 | .. | .. | .. | .. | .. | 20,43,72 |
| योग--02 | .. | 84,78,91 | 55,30,50 | 76,06,69 | 2,16,16,10 | 8,51,52,85 |
| | | | | | | 3,73,39,80 |
| 03--पिछड़े वर्गों का कल्याण-- | | | | | | |
| 800--अन्य व्यय-- | | | | | | |
| छात्रावास भवनों का निर्माण | .. | .. | 59,34 | .. | 59,34 | 7,59,53 |
| पूर्व परीक्षा केन्द्र के भवनों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 61,21 |
| मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं वित्त विकास निगम में निवेश | .. | 50,00 | .. | .. | 50,00 | 4,09,04 |
| जिला स्तरीय कन्या छात्रावास भवनों का निर्माण | .. | .. | 4,98,81 | .. | 4,98,81 | 21,02,56 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 62,75 |
| | | | | | | 52,20 |
| योग--03 | .. | 50,00 | 5,58,15 | .. | 6,08,15 | 33,33,88 |
| | | | | | | 7,48,12 |
| 80--सामान्य-- | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-- | | | | | | |
| छात्रावास भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 22,00 |
| योग--4225 | .. | 1,27,02,80 | 65,87,89 | 83,01,97 | 2,75,92,66 | 12,50,45,95 |
| | | | | | | 5,41,59,26 |
| योग--(ड.)--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूँजीगत लेखा | | | | | | |
| | .. | 1,27,02,80 | 65,87,89 | 83,01,97 | 2,75,92,66 | 12,50,45,95 |
| | | | | | | 5,41,59,26 |
| (च)--समाज कल्याण तथा पोषण का पूँजीगत लेखा-- | | | | | | |
| 4235--सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 01--पुनर्वास-- | | | | | | |
| 201--अन्य पुनर्वास योजनाएं-- | | | | | | |
| रोजगार सुलभ कराने हेतु कर्मशालाओं का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 56,10 |
| अन्य पुनर्वास-- | | | | | | |
| निर्माण कार्य | .. | .. | .. | .. | .. | 11,87 |
| | | | | | | 1,67,02 |
| गैस प्रभावित क्षेत्रों में जल प्रदाय योजना | 2,00,00 | .. | .. | .. | 2,00,00 | 7,87,00 |
| योग--201 | 2,00,00 | .. | .. | .. | 2,00,00 | 7,98,87 |
| | | | | | | 2,23,12 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|----------|------------------------------|---|----------|--------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं (हजार रुपये में) | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (च)--समाज कल्याण तथा पोषण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4235--सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 01-- पुनर्वास--समाप्त | | | | | | |
| 800--अन्य व्यय-- | | | | | | |
| पुनर्वास के लिये गृहों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 27,23,11 |
| मोहल्लों में पर्यावरण का सुधार | .. | .. | .. | .. | .. | 5,36,31 |
| वर्कशेड का निर्माण एवं रख रखाव | .. | .. | .. | .. | .. | 4,12,83 |
| प्रशिक्षण परिसर का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 3,31,64 |
| भवन का रख रखाव | .. | .. | .. | .. | .. | 64,33 |
| उप आयुक्त न्यायालय का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,02,42 |
| गैस पीड़ित क्षेत्रों में जल प्रदाय योजना | .. | .. | .. | .. | .. | 3,56,36 |
| अन्य योजनाएं, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत की | .. | .. | .. | .. | .. | 1,73,35 |
| योग--800 | .. | .. | .. | .. | .. | 47,00,35 |
| योग--01 | 2,00,00 | .. | .. | .. | 2,00,00 | 7,98,87 |
| | | | | | | 49,23,47 |
| 02--समाज कल्याण-- | | | | | | |
| 101--विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-- | | | | | | |
| अंधे, बहरे एवं गूंगों के लिये विद्यालय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,00 |
| | | | | | | 13,05 |
| योग--101 | .. | .. | .. | .. | .. | 1,00 |
| | | | | | | 13,05 |
| 102--बाल कल्याण- | | | | | | |
| सी.डी.पी.ओ. कार्यालय सह गोदाम का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 6,50,79 |
| आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु भवन निर्माण | .. | 23,86,80 | .. | .. | 23,86,80 | 48,45,99 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | -3,01(x) |
| | | | | | | 1,35,61,74 |
| योग--102 | .. | 23,86,80 | .. | .. | 23,86,80 | 54,93,77 |
| | | | | | | 1,35,61,74 |
| 106--सुधारक सेवाएं- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | 1,84 | 12,50 | .. | 14,34 | 1,61,59 |
| | | | | | | 83,15 |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | | |
| अन्य निवेश -म.प्र.महिला वित्तीय निगम | .. | .. | .. | .. | .. | 51,00 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- | | | | | | |
| बाल न्याय अधिनियम का क्रियान्वयन- युवा | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| बालिका गृह की स्थापना | .. | .. | 12,50 | .. | 12,50 | 55,50 |
| आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवनों का निर्माण | .. | 9,47,20 | .. | .. | 9,47,20 | 15,71,04 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 87,04 |
| | | | | | | 35,66 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

(x) ऋणात्मक शेष पूँजीगत लेखे में प्राप्तियों और वसूलियों के कारण हैं।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|----------|---------------------------|--------------------------|----------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | योग | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (च)--समाज कल्याण तथा पोषण का पूँजीगत लेखा--समाप्त | | | | | | |
| 4235--सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय--समाप्त | | | | | | |
| 02--समाज कल्याण--समाप्त | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवनों का निर्माण | .. | 15,77,20 | .. | .. | 15,77,20 | 20,55,00 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | 9,75 | .. | 9,75 | 1,23,90 |
| | | | | | | 4,34,36 |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | | |
| मध्यप्रदेश महिला वित्तीय निगम में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 1,36,00 |
| महिला एवं बाल विकास | .. | 1,39,55 | .. | .. | 1,39,55 | 3,39,55 |
| महिला विश्रामगृह के लिये भवन निर्माण | .. | 50,00 | .. | .. | 50,00 | 50,00 |
| म.प्र.वित्त निगम की अंशपूँजी में निवेश | .. | 2,00,00 | .. | .. | 2,00,00 | 2,00,00 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 1,59,64 |
| | | | | | | 6,04,46 |
| योग--02 | .. | 53,02,59 | 34,75 | .. | 53,37,34 | 1,04,34,03 |
| | | | | | | 1,47,83,42 |
| 60--अन्य समाज सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-- | | | | | | |
| 800--अन्य व्यय-- | | | | | | |
| सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण | .. | .. | .. | .. | .. | 34,37,15 |
| अन्य निर्माण कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 29,80 |
| | | | | | | 41,31 |
| योग--60 | .. | .. | .. | .. | .. | 29,80 |
| | | | | | | 34,78,46 |
| योग--4235 | 2,00,00 | 53,02,59 | 34,75 | .. | 55,37,34 | 1,12,62,70 |
| | | | | | | 2,31,85,35 |
| योग--(च)--समाज कल्याण तथा पोषण का पूँजीगत लेखा | 2,00,00 | 53,02,59 | 34,75 | .. | 55,37,34 | 1,12,62,70 |
| | | | | | | 2,31,85,35 |
| (छ)--अन्य समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा-- | | | | | | |
| 4250--अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 191--श्रम सहकारिता-- | | | | | | |
| वन एवं अन्य श्रम सहकारी समितियों में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 2,77 |
| अन्य योजनाएं, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत की | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| योग--191 | .. | .. | .. | .. | .. | 2,78 |
| 203--रोजगार- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 76,66 |
| | | | | | | 10,89,97 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- | | | | | | |
| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, झाबुआ हेतु भवन निर्माण | .. | 2,54,50 | .. | .. | 2,54,50 | 5,75,32 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-- | | | | | | |
| श्रम सहकारिताओं में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 1,59 |
| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, झाबुआ हेतु भवन निर्माण | .. | 3,61,20 | .. | .. | 3,61,20 | 11,11,04 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 50,00 |
| | | | | | | 1,85,06 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|------------|---------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | योग | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--समाप्त | | | | | | |
| (छ)--अन्य समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा--समाप्त | | | | | | |
| 4250--अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय--समाप्त | | | | | | |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 15,00 |
| | | | | | | 1,18,90 |
| योग--4250 | .. | 6,15,70 | .. | .. | 6,15,70 | 18,28,02 |
| | | | | | | 13,98,30 |
| योग--(छ)--अन्य समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा | .. | 6,15,70 | .. | .. | 6,15,70 | 18,28,02 |
| | | | | | | 13,98,30 |
| योग--ख--सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा | 2,29,58 | 5,64,19,17 | 6,31,14,68 | 97,44,20 | 12,95,07,63 | 57,94,58,15 |
| | | | | | | 18,64,15,86 |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-- | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूँजीगत लेखा-- | | | | | | |
| 4401--फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 001-निदेशन तथा प्रशासन- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 91,56 |
| 101--कृषि सहकारिता-- | | | | | | |
| कृषि सहकारी समितियों में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 20,86 |
| अन्य योजनाएं, प्रत्येक एक करोड़ रुपए और उससे कम लागत की | .. | .. | .. | .. | .. | 5,12 |
| योग--101 | .. | .. | .. | .. | .. | 25,98 |
| 103--बीज-- | | | | | | |
| अन्य विविध योजनाएं-- | | | | | | |
| कपास विस्तार योजना-- | | | | | | |
| सकल व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 11,11,50 |
| घटायें--पूँजीगत परिव्यय पर प्राप्तियां एवं वसूलियां | .. | .. | .. | .. | .. | -5,19,40 |
| निवल व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 5,92,10 |
| सामान्य बीजों के क्रय एवं वितरण हेतु योजनाएं-- | | | | | | |
| सकल व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 59,96,19 |
| घटायें--पूँजीगत परिव्यय पर प्राप्तियां एवं वसूलियां | .. | .. | .. | .. | .. | -13,42@ |
| | | | | | | -70,43,71@ |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

@ पृष्ठ 158 पर पाद टिप्पणी (x) देखें।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-----|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4401--फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 103--बीज--समाप्त | | | | | | |
| निवल व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | -13,42 |
| | | | | | | -10,47,52 |
| बीज गुणांक एवं वितरण | .. | .. | .. | .. | .. | 5,68,09 |
| | | | | | | 8,62,54 |
| मध्यप्रदेश कृषि औद्योगिक विकास निगम में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 90,00 |
| मध्यप्रदेश राज्य बीज तथा फार्म निगम में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 7,33,87 |
| अकाल ग्रस्त जिलों में गेहूँ के बीज की व्यवस्था | .. | .. | .. | .. | .. | 96,98 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपए और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 13,12 |
| योग--103 | .. | .. | .. | .. | .. | 6,44,67 |
| | | | | | | 12,51,09 |
| 104--कृषि फार्म -- | | | | | | |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपए और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 52,83 |
| | | | | | | 3,63,23 |
| 105--खाद तथा उर्वरक-- | | | | | | |
| खाद का क्रय एवं वितरण-- | | | | | | |
| सकल व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,06,03,22 |
| घटायें--प्राप्तियां/वसूलियां | .. | .. | .. | .. | .. | -1,02,12,69 |
| निवल व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 3,90,53 |
| खाद एवं उर्वरक | .. | .. | .. | .. | .. | 6,73 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपए और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 2,37 |
| योग--105 | .. | .. | .. | .. | .. | 3,99,63 |
| 107-- वनस्पति संरक्षण- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 2,57,44 |
| 113--कृषि इंजीनियरी -- | | | | | | |
| मध्यप्रदेश कृषि औद्योगिक विकास निगम में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 1,32,10 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपए और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 13,46 |
| | | | | | | 1,58 |
| योग--113 | .. | .. | .. | .. | .. | 13,46 |
| | | | | | | 1,33,68 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|-----|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4401--फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय--समाप्त | | | | | | |
| 119--बागवानी तथा वनस्पति फसलें-- | | | | | | |
| गन्ना एवं बागवानी विकास | .. | .. | .. | .. | .. | 16,08 |
| | | | | | | 3,48,44 |
| वनस्पति उत्पादन के विकास की योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 9,64 |
| केला एवं फल विकास निगम, मद्रास में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 1,00 |
| सूचना तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य | .. | .. | .. | .. | .. | 22,83 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 85,57 |
| | | | | | | 62,08 |
| योग--119 | .. | .. | .. | .. | .. | 1,24,48 |
| | | | | | | 4,21,16 |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-- | | | | | | |
| मध्यप्रदेश राज्य कृषि विकास निगम की अंशपूँजी में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 14,28 |
| मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम की अंशपूँजी में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 10,00 |
| योग--190 | .. | .. | .. | .. | .. | 24,28 |
| 794--जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 40,25 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-- | | | | | | |
| म.प्र.कृषि औद्योगिक निगम में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 2,00 |
| मध्यप्रदेश बीज एवं प्रक्षेत्र विकास निगम में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 40,23 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 4,33,11 |
| योग--796 | .. | .. | .. | .. | .. | 4,75,34 |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 2,39,97 |
| योग--4401 | .. | .. | .. | .. | .. | 9,27,00 |
| | | | | | | 36,32,05 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-----|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4402--मृदा तथा जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 102--मृदा संरक्षण- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 6,38 |
| | | | | | | 32,49,97 |
| 203--भूमि सुधार तथा विकास-- | | | | | | |
| मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 2,08,33 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 10,55 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- | | | | | | |
| वृहद लघु सिंचाई योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 14,00,92 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 8,09,46 |
| | | | | | | 2,22,12 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| लघु सिंचाई /सूक्ष्म लघु सिंचाई योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 15,03,84 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 11,88,93 |
| | | | | | | 30,62,64 |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | | |
| सूक्ष्म लघु सिंचाई योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 34,68,45 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 18,20,70 |
| | | | | | | 52,79,08 |
| योग--4402 | .. | .. | .. | .. | .. | 1,04,07,01 |
| | | | | | | 1,18,24,36 |
| 4403--पशु पालन पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 101--पशु चिकित्सा सेवा तथा पशु स्वास्थ्य- | | | | | | |
| पशु बीमारियों की रोकथाम हेतु टीका उत्पादन पर व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 8,00,00 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 2,07,45 |
| | | | | | | 4,36,10 |
| योग--101 | .. | .. | .. | .. | .. | 10,07,45 |
| | | | | | | 4,36,10 |
| 102--पशु तथा भैंस विकास-- | | | | | | |
| म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 15,45 |
| भैंस विकास केंद्र का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 7,78 |
| अन्य योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 99,56 |
| योग--102 | .. | .. | .. | .. | .. | 1,22,79 |
| 103--कुक्कुट विकास-- | | | | | | |
| मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 29,22 |
| अन्य योजनाएँ, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 40,27 |
| | | | | | | 65,38 |
| योग--103 | .. | .. | .. | .. | .. | 40,27 |
| | | | | | | 94,60 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|-------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4403--पशु पालन पर पूँजीगत परिव्यय--समाप्त | | | | | | |
| 104--भेड़ तथा ऊन विकास- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 10,39 |
| 105--सूअर-बाड़ा विकास- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 48 |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | | |
| अन्य निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 50,00 |
| | | | | | | 46,00 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-- | | | | | | |
| मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 44,90 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | 26,00 | .. | .. | 26,00 | 59,26 |
| | | | | | | 2,14,06 |
| योग--796 | .. | 26,00 | .. | .. | 26,00 | 59,26 |
| | | | | | | 2,58,96 |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | 59,90 | .. | .. | 59,90 | 74,65 |
| | | | | | | 11 |
| योग--4403 | .. | 85,90 | .. | .. | 85,90 | 12,31,63 |
| | | | | | | 9,69,43 |
| 4404--डेरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 102--डेरी विकास परियोजनाएं-- | | | | | | |
| अन्य योजनाएं, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत की | .. | .. | .. | .. | .. | 1,33,64 |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-- | | | | | | |
| मध्यप्रदेश डेरी विकास निगम में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 3,31,20 |
| दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 4,94 |
| ग्वालियर डेरी मर्यादित, ग्वालियर में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 9 |
| योग--190 | .. | .. | .. | .. | .. | 9 |
| | | | | | | 3,36,14 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 1,08,26 |
| 800--अन्य व्यय-- | | | | | | |
| डेरी सम्पदा का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 44,31 |
| दुग्ध प्रदाय योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 1,26,38 |
| योग--800 | .. | .. | .. | .. | .. | 1,70,69 |
| योग--4404 | .. | .. | .. | .. | .. | 9 |
| | | | | | | 7,48,73 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|----------|---------------------------|--------------------------|----------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4405--मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 101--अन्तर्देशीय मछली पालन -- | | | | | | |
| मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य महासंघ (सहकारी) | | | | | | |
| मर्यादित में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 56,68 |
| मत्स्य बीज उत्पादन | .. | 14,94 | .. | .. | 14,94 | 5,21,25 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपए और उससे कम लागत के | .. | 5,00 | .. | .. | 5,00 | 62,39 |
| | | | | | | 52,17 |
| योग--101 | .. | 19,94 | .. | .. | 19,94 | 6,40,32 |
| | | | | | | 52,17 |
| 109--विस्तार तथा प्रशिक्षण- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 10,05 |
| | | | | | | 16,20 |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-- | | | | | | |
| मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य महासंघ (सहकारी) | | | | | | |
| मर्यादित में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 51,31 |
| 191--मछुआ सहकारी समितियां-- | | | | | | |
| मछुआ सहकारी संघों में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 83 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-- | | | | | | |
| मत्स्य बीज फार्म में विकास कार्य | .. | .. | .. | .. | .. | 30,05 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | 6,66 | .. | .. | 6,66 | 95,68 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोगना- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | 7,16 | .. | .. | 7,16 | 44,48 |
| | | | | | | 67,93 |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 15,65 |
| योग--4405 | .. | 33,76 | .. | .. | 33,76 | 8,71,89 |
| | | | | | | 1,52,78 |
| 4406--वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 01--वानिकी-- | | | | | | |
| 070--संचार तथा भवन-- | | | | | | |
| जबलपुर वन अनुसंधान संस्थान हेतु भवन का निर्माण | | | | | | |
| भवन का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 17,45,38 |
| सड़कों तथा भवनों का निर्माण कार्य | .. | 23,47,12 | .. | .. | 23,47,12 | 36,30,69 |
| वन सुधार चौक पोस्ट की स्थापना | .. | .. | .. | .. | .. | 4,01,15 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 2,32,08 |
| | | | | | | 65,33,20 |
| योग--070 | .. | 23,47,12 | .. | .. | 23,47,12 | 60,09,30 |
| | | | | | | 65,33,20 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय | |
|--|--------------------|----------|---|--------------------------|------------------------|-------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | योग |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4406--वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय--समाप्त | | | | | | |
| 01--वानिकी--समाप्त | | | | | | |
| 101--वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण -- | | | | | | |
| वन संरक्षण हेतु वन विकास अनुदान | .. | 1,03,88 | .. | .. | 1,03,88 | 1,03,88 |
| वन सुरक्षा हेतु अनुदान | .. | .. | .. | .. | .. | 7,15,39 |
| संगठन, सुधार एवं वनों का विस्तार | .. | .. | .. | .. | .. | 11,47 |
| वन विकास निगम में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 80,00 |
| योग--101 | .. | 1,03,88 | .. | .. | 1,03,88 | 8,19,27 |
| 102--समाज तथा फार्म वानिकी-- | | | | | | |
| पौधशाला का विकेन्द्रीकरण-वृहद् निर्माण कार्य | .. | .. | .. | .. | .. | 3,97,44 |
| योग--102 | .. | .. | .. | .. | .. | 3,97,44 |
| 105-- वन उत्पाद-- | | | | | | |
| ओंकारेश्वर निधि से व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 4,68,53 |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-- | | | | | | |
| वन विकास निगम की अंश पूंजी में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 5,71,77 |
| मध्यप्रदेश राज्य वनोपज व्यापार एवं विपणन संघ की अंशपूंजी में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 31,98,31 |
| योग--190 | .. | .. | .. | .. | .. | 37,70,08 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-- | | | | | | |
| वन विकास निगम में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 4,08,11 |
| मध्यप्रदेश राज्य वनोपज एवं व्यापार संघ (मर्यादित) में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 3,72,00 |
| सड़कों एवं भवनों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 13,14,28 |
| योग--796 | .. | .. | .. | .. | .. | 20,94,39 |
| 800--अन्य व्यय-- | | | | | | |
| ग्रामीण वन गोदामों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 31,12,00 |
| मोटर वाहनों की खरीद | .. | .. | .. | .. | .. | 3,75,45 |
| योग--800 | .. | .. | .. | .. | .. | 34,87,45 |
| योग--01 | .. | 24,51,00 | .. | .. | 24,51,00 | 72,97,10 |
| योग--4406 | .. | 24,51,00 | .. | .. | 24,51,00 | 72,97,10 |
| | | | | | | 1,63,74,03 |
| | | | | | | 1,63,74,03 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4408--खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 01--खाद्य-- | | | | | | |
| 101--अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-- | | | | | | |
| अन्नपूर्ति योजनाएं-- | | | | | | |
| मध्यप्रदेश राज्य वस्तु व्यापार निगम मर्यादित, | | | | | | |
| भोपाल में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 50,00 |
| अन्न आपूर्ति योजनाओं से संबंधित | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| अन्य व्यय (सकल) | .. | .. | .. | .. | .. | 3,18,69,47 |
| घटाएं--पूँजीगत लेखे से प्राप्तियां और वसूलियां | .. | .. | .. | .. | .. | -3,20,17,27 |
| अन्न आपूर्ति योजना से संबन्धित अन्य व्यय (निवल) | .. | .. | .. | .. | .. | -1,47,80 |
| योग--101 | .. | .. | .. | .. | .. | 50,00 |
| | | | | | | -1,47,80 |
| 103--खाद्य संसाधन-- | | | | | | |
| देवास बिस्कट एवं उत्पादन मर्यादित, देवास में निवेश.. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,50 |
| 195--सहकारी समितियों में निवेश - | | | | | | |
| राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम | .. | .. | .. | .. | .. | 1,10,67 |
| 800--अन्य व्यय-- | | | | | | |
| 7 नवीन स्थापित जिला फोरम में भवनों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,61,04 |
| राज्य उपभोक्ता आयोग तथा फोरमों के लिये | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| अधोसंरचना विकास | .. | .. | .. | 70,76 | 70,76 | 1,41,65 |
| योग--01 | .. | .. | .. | 70,76 | 70,76 | 3,54,19 |
| | | | | | | -37,13 |
| 02--भण्डारण तथा भाण्डागार-- | | | | | | |
| 101--ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम-- | | | | | | |
| ग्रामीण गोदामों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,31,00 |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-- | | | | | | |
| मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 7,97,44 |
| भाण्डागार एवं विपणन सहकारी | .. | .. | .. | .. | .. | 17,93,90 |
| समितियों में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 68,81,83 |
| घटाएं--पूँजीगत लेखे पर प्राप्तियां एवं वसूलियां | .. | .. | .. | .. | .. | -36,19,36 |
| | | | | | | -24,42,44 |
| मध्य प्रदेश उपस्कर निगम की अंशपूँजी में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 1,00,00 |
| अन्य निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 21,19,25 |
| | | | | | | 3,01,00 |
| खाद्यानों का क्रय | 6,79,32 | .. | .. | .. | 6,79,32 | 32,34,17 |
| ग्रिड गोदाम हेतु सहायता अनुदान | .. | .. | .. | .. | .. | 1,50,88 |
| अन्य योजनाएं, प्रत्येक एक करोड़ रुपए | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| और उससे कम लागत की | .. | .. | .. | .. | .. | 14,69 |
| | | | | | | -44,48 |
| योग--190 | 6,79,32 | .. | .. | .. | 6,79,32 | 45,90,97 |
| | | | | | | 46,95,91 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4408--खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय--समाप्त | | | | | | |
| 02--भण्डारण तथा भाण्डागार--समाप्त | | | | | | |
| 195--सहकारिता में निवेश-- | | | | | | |
| भाण्डागार एवं विपणन सहकारिताएं | .. | .. | .. | .. | .. | 3,22,46 |
| | | | | | | 19,76,17 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-- | | | | | | |
| भाण्डागार एवं विपणन सहकारिताओं में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 4,57,14 |
| मध्यप्रदेश राज्य भाण्डागार निगम, इंदौर में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 24,40 |
| योग--796 | .. | .. | .. | .. | .. | 4,81,54 |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 6,94,92 |
| योग--02 | 6,79,32 | .. | .. | .. | 6,79,32 | 49,13,43 |
| | | | | | | 79,79,54 |
| योग--4408 | 6,79,32 | .. | .. | 70,76 | 7,50,08 | 52,67,62 |
| | | | | | | 79,42,41 |
| 4415--कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 01--फसल कृषि कर्म -- | | | | | | |
| 004--अनुसंधान-- | | | | | | |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 38,96 |
| 277--शिक्षा-- | | | | | | |
| जबलपुर में कृषि महाविद्यालय एवं एक मंजिल छात्रावास का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 48,98 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 1,17,96 |
| योग--277 | .. | .. | .. | .. | .. | 48,98 |
| | | | | | | 1,17,96 |
| योग--01 | .. | .. | .. | .. | .. | 48,98 |
| | | | | | | 1,56,92 |
| 03--पशुपालन-- | | | | | | |
| 004--अनुसंधान- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 34,52 |
| 277--शिक्षा- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| योग--03 | .. | .. | .. | .. | .. | 34,53 |
| योग--4415 | .. | .. | .. | .. | .. | 48,98 |
| | | | | | | 1,91,45 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4425--सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 107--क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश-- | | | | | | |
| साख सहकारी बैंक एवं अन्य सहकारी संस्थाओं में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | -15,07,95 ^(क) |
| कृषक सहकारी संस्थाओं को मार्जिन मनी सहायता-निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 1,14,26,28 |
| एकीकृत सहकारी विकास, खरगौन को वित्तीय सहायता-निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 4,50 |
| एकीकृत सहकारी विकास, गुना को वित्तीय सहायता-निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 1,46,75 |
| एकीकृत सहकारी विकास, जबलपुर को वित्तीय सहायता-निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 63,00 |
| एकीकृत सहकारी विकास, रतलाम को वित्तीय सहायता-निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 2,10,00 |
| एकीकृत सहकारी विकास, राजगढ़ को वित्तीय सहायता-निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 4,31,63 |
| एकीकृत सहकारी विकास, भिण्ड को वित्तीय सहायता-निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 6,71,22 |
| एकीकृत सहकारी विकास, छिंदवाड़ा को वित्तीय सहायता-निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 3,96,01 |
| सहकारी केन्द्रीय बैंकों की अंशपूँजी में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 2,42,60 |
| ग्रामीण बैंकों की अंशपूँजी में निवेश | .. | 4,98,79 | .. | .. | 4,98,79 | 10,20,61 |
| प्राथमिक भूमि विकास बैंक की अंश पूँजी में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 22,97,34 |
| प्राथमिक कृषि साख कृषक सेवा-- बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की अंशपूँजी में बड़े पैमाने पर निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 1,32,12 |
| एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (12 जिले)-निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 15,54,02 |
| अन्य योजनाएं, प्रत्येक एक करोड़ रुपए और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 33,70,35 |
| | .. | .. | .. | .. | .. | 39 |
| | .. | .. | .. | .. | .. | 3,33 |
| योग--107 | -- | 4,98,79 | .. | .. | 4,98,79 | 90,28,09 ^(क) |
| | | | | | | 1,14,34,11 |
| 108--अन्य सहकारी समितियों में निवेश-- | | | | | | |
| संसाधन सहकारी समितियों में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 58,54,96 |
| सहकारी शक्कर कारखानों में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 1,53,33 |
| | | | | | | 32,87,63 |
| सहकारी कताई मिलों में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 9,22,41 |
| प्राथमिक एवं थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डारों में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 50,24 |
| | | | | | | 13,98,78 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

(क) सहकारी बैंकों द्वारा पूँजी निवृत्ति/विनिवेश के कारण रुपये 24,00,02 हजार की प्रोफार्मा कमी की गई।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4425--सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 108--अन्य सहकारी समितियों में निवेश-समाप्त | | | | | | |
| मध्य प्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ मर्यादित भोपाल की पुनर्जीवन योजना में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 32,59,41 |
| अन्य सहकारी समितियों एवं संस्थाओं में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 2,60 |
| | | | | | | 16,19,53 |
| जवाहर लाल नेहरु कृषि सहकारी समिति मर्यादित, जिला खरगौन -निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 17,68,06 |
| उपभोक्ता संघ को अंश पूँजी सहायता-निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 35,65 |
| | | | | | | 10,00 |
| एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु वित्तीय सहायता-निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 3,24,30 |
| मालवा सहकारी शक्कर कारखाना, बरलाई जिला इंदौर की अंश पूँजी में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | -3,24,30 |
| सहकारी शक्कर कारखाना, कैलारस की अंश पूँजी में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 70,92 |
| अन्य निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 40,12 |
| अंश पूँजी में निवेश | .. | 15,00 | .. | .. | 15,00 | 60,00 |
| अन्य निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 10,00 |
| | | | | | | 5,73,27 |
| उपभोक्ता सामग्री का वितरण -निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 50,00 |
| सुविधा स्वसेवा केन्द्र - निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 24,00 |
| उपभोक्ता संघ को अंशपूँजी- निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 24,00 |
| अन्य योजनाएं, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत की | .. | .. | .. | .. | .. | 6,19 |
| योग--108 | .. | 15,00 | .. | .. | 15,00 | 25,73,10 |
| | | | | | | 1,66,48,00 |
| 200--अन्य निवेश-- | | | | | | |
| एक करोड़ रुपये एवं उससे कम लागत के अन्य निवेश.. | .. | .. | .. | .. | .. | -54,64 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-- | | | | | | |
| लैम्पस की अंश पूँजी में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 6,03,62 |
| अन्य निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 4,54,55 |
| | | | | | | 84,00 |
| योग- 789 | .. | .. | .. | .. | .. | 10,58,17 |
| | | | | | | 84,00 |
| 794--जनजातीय उपयोगना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता-- | | | | | | |
| बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 1,00,00 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-- | | | | | | |
| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अंशपूँजी में निवेश | .. | 4,81,49 | .. | .. | 4,81,49 | 4,81,49 |
| साख सहकारिताओं में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 72,93 |
| | | | | | | 40,82,29 |
| संसाधन सहकारिताओं में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 93,09 |
| उपभोक्ता सहकारिताओं में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 34,60 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | योग | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|----------|---|--------------------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूँजीगत लेखा--समाप्त | | | | | |
| 4425--सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय--समाप्त | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोगना--समाप्त | | | | | |
| आदिवासी सेवा सहकारी समितियों की अंशपूँजी में निवेश | .. | .. | .. | .. | 5,00 |
| बहुउद्देशीय प्राथमिक/कृषि सेवा सहकारी समितियों की अंशपूँजी में निवेश | .. | .. | .. | .. | 2,48,50 |
| अन्य निवेश | .. | .. | .. | .. | 59,34 |
| | | | | | 8,34,36 |
| योग--796 | .. | 4,81,49 | .. | 4,81,49 | 8,67,26 |
| | | | | | 50,44,34 |
| योग--4425 | .. | 9,95,28 | .. | 9,95,28 | 1,35,26,62(क) |
| | | | | | 3,32,55,81 |
| 4435--अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | |
| 01--विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण-- | | | | | |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-- | | | | | |
| म.प्र.राज्य भण्डागार निगम, इन्दौर में निवेश | .. | .. | .. | .. | 2,25,14 |
| कृषि औद्योगिक निगम में निवेश | .. | .. | .. | .. | 48,38 |
| योग--190 | .. | .. | .. | .. | 2,73,52 |
| 60--अन्य-- | | | | | |
| अधिक अन्न उपजाओ योजना (भोपाल एवं मध्यभारत क्षेत्र) | .. | .. | .. | .. | 1,83,38 |
| राज्य मशीन ट्रेक्टर केन्द्र | .. | .. | .. | .. | 4,51,03 |
| योग--60 | .. | .. | .. | .. | 1,83,38 |
| | | | | | 4,51,03 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-- | | | | | |
| राज्य मशीन ट्रेक्टर केन्द्र | .. | .. | .. | .. | 1,11,00 |
| अन्य योजनाएं, प्रत्येक एक करोड़ रुपए और उससे कम लागत की | .. | .. | .. | .. | 6,04 |
| योग--796 | .. | .. | .. | .. | 1,17,04 |
| योग--4435 | .. | .. | .. | .. | 1,83,38 |
| | | | | | 8,41,59 |
| योग--(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूँजीगत लेखा | 6,79,32 | 35,65,94 | .. | 70,76 | 43,16,02 |
| | | | | | 3,97,61,32(क) |
| | | | | | 7,59,32,64 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

(क) पृष्ठ 169 पर पाद टिप्पणी (क) देखें।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|----------|---------------------------|--------------------------|----------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| (हजार रुपये में) | | | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (ख)--ग्राम विकास का पूँजीगत लेखा-- | | | | | | |
| 4515--अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 101--पंचायती राज-- | | | | | | |
| नवाचार हेतु प्रोत्साहन | .. | 6,30 | .. | .. | 6,30 | 6,30 |
| पंचायती राज संचालनालय का गठन | .. | .. | .. | .. | .. | 1,50,00 |
| तालाबों का चौड़ीकरण एवं गहरीकरण | .. | .. | .. | .. | .. | 20,82,80 |
| पंचायती राज वित्त निगम में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 28,00 |
| राष्ट्रीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना | .. | .. | .. | .. | .. | 1,50,00 |
| योग-- 101 | .. | 6,30 | .. | .. | 6,30 | 23,89,10 |
| | | | | | | 28,00 |
| 102--सामुदायिक विकास-- | | | | | | |
| सामुदायिक विकास | .. | .. | .. | .. | .. | 67 |
| | | | | | | 2,92,57 |
| सामुदायिक विकास परियोजना (सकल) | .. | .. | .. | .. | .. | 2,11,75 |
| घटायें--पूँजीगत लेखे की प्राप्तियां और वसूलियां | .. | .. | .. | .. | .. | -55,82 |
| निवल व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,55,93 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 18,79 |
| | | | | | | 24,01 |
| योग--102 | .. | .. | .. | .. | .. | 19,46 |
| | | | | | | 4,72,51 |
| 103--ग्राम विकास-- | | | | | | |
| मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र विकास योजना | .. | -- | .. | .. | .. | 32,44,35 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- | | | | | | |
| बुंदेलखण्ड विकास प्राधिकरण | .. | 67,50 | -- | .. | 67,50 | 1,27,50 |
| म.प्र. विधान सभा चुनाव क्षेत्र विकास योजना | .. | .. | -- | .. | .. | 13,38,77 |
| जन भागीदारी योजना | .. | .. | -- | .. | .. | 19,69,94 |
| ग्रामीण सड़कों का निर्माण | .. | .. | -- | .. | .. | 15,00,00 |
| मध्य प्रदेश विधान सभा क्षेत्र विकास योजना | .. | 26,69,10 | -- | .. | 26,69,10 | 1,13,32,21 |
| राज्य ग्रामीण सड़क का संयोजन | .. | 95,00 | -- | .. | 95,00 | 5,70,00 |
| डी.पी.आई.पी. योजना | .. | 6,82,00 | -- | .. | 6,82,00 | 94,91,10 |
| लोक भागीदारी योजना | .. | 14,39,18 | -- | .. | 14,39,18 | 23,28,20 |
| विकास प्राधिकरण | .. | 23,70,00 | .. | .. | 23,70,00 | 23,70,00 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | -- | .. | .. | 35,43,41 |
| | | | | | | 21,43,71 |
| योग--789 | .. | 73,22,78 | .. | .. | 73,22,78 | 3,45,71,13 |
| | | | | | | 21,43,71 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|------------|---|--------------------------|------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (ख)--ग्राम विकास का पूँजीगत लेखा-- समाप्त | | | | | | |
| 4515--अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-- समाप्त | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| राज्य ग्रामीण सड़क का संयोजन | .. | 1,15,00 | .. | .. | 1,15,00 | 6,90,00 |
| म.प्र.विधान सभा चुनाव क्षेत्र विकास योजना | .. | .. | .. | .. | .. | 16,40,09 |
| जन भागीदारी योजना | .. | .. | .. | .. | .. | 51,84,74 |
| मध्य प्रदेश विधान सभा क्षेत्र विकास योजना | .. | 31,55,25 | .. | .. | 31,55,25 | 1,37,36,93 |
| डी.पी.आई.पी. योजना | .. | 9,36,00 | .. | .. | 9,36,00 | 95,81,90 |
| लोक भागीदारी योजना | .. | 29,01,00 | .. | .. | 29,01,00 | 53,83,31 |
| ग्रामीण सड़कों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 20,00,00 |
| मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को अनुदान | .. | 27,90,00 | .. | .. | 27,90,00 | 27,90,00 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 46,48,69 |
| | | | | | | 1,77,71,04 |
| योग--796 | .. | 98,97,25 | .. | .. | 98,97,25 | 4,56,55,66 |
| | | | | | | 1,77,71,04 |
| 800--अन्य व्यय-- | | | | | | |
| स्वजल धारा | .. | .. | .. | 28,66,00 | 28,66,00 | 28,66,00 |
| बुंदेलखण्ड विकास प्राधिकरण | .. | 1,44,26 | .. | .. | 1,44,26 | 2,73,26 |
| जन भागीदारी द्वारा क्रियान्वित जिला योजनाओं में शासकीय अंशदान | .. | 38,17,41 | .. | .. | 38,17,41 | 1,73,38,35 |
| राज्य ग्रामीण सड़क का संयोजन | .. | 2,90,00 | .. | .. | 2,90,00 | 17,40,00 |
| म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को सहायता | .. | .. | 73,40,00 | .. | 73,40,00 | 3,63,53,10 |
| म.प्र. विधान सभा क्षेत्र विकास योजनाएं | .. | 1,20,14,77 | .. | .. | 1,20,14,77 | 5,83,33,81 |
| डी.पी.आई.पी. योजनाएं | .. | 23,82,00 | .. | .. | 23,82,00 | 3,35,37,86 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 3,10,80,43 |
| | | | | | | 4,77,35,54 |
| योग--800 | .. | 1,86,48,44 | 73,40,00 | 28,66,00 | 2,88,54,44 | 18,15,22,81 |
| | | | | | | 4,77,35,54 |
| योग--4515 | .. | 3,58,74,77 | 73,40,00 | 28,66,00 | 4,60,80,77 | 26,41,58,16 |
| | | | | | | 7,13,95,15 |
| योग--(ख)--ग्राम विकास का पूँजीगत लेखा | .. | 3,58,74,77 | 73,40,00 | 28,66,00 | 4,60,80,77 | 26,41,58,16 |
| | | | | | | 7,13,95,15 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|------------|---|--------------------------|------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा-- | | | | | | |
| 4700-- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 11-- चम्बल परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 4,95 | 91,95 | .. | 96,90 | 1,93,44,86 |
| 12-- बाण सागर परियोजना-- | | | | | | |
| 001-- निवेशन एवं प्रशासन | .. | 10,04,42 | .. | .. | 10,04,42 | 4,12,45 |
| 799-- उचन्त | .. | .. | .. | .. | .. | 11,21 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 30,03,77 | .. | .. | 30,03,77 | 8,79,85,55 |
| योग- 12 | .. | 40,08,19 | .. | .. | 40,08,19 | 8,84,09,21 |
| 13--बाण सागर परियोजना-यूनिट II | | | | | | |
| 001-- निवेशन एवं प्रशासन | .. | 10,19,66 | .. | .. | 10,19,66 | 25,11,58 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 4,64,71 | .. | .. | 4,64,71 | 43,29,72 |
| 799-- उचन्त | .. | .. | .. | .. | .. | 1,06,49 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 1,28,14,11 | .. | .. | 1,28,14,11 | 6,87,82,09 |
| योग--13 | .. | 1,42,98,48 | .. | .. | 1,42,98,48 | 7,57,29,88 |
| 17-- कोलार परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 5,67,24 |
| 18-- बारना परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 29,76,26 |
| 19-- तवा परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,33,53,03 |
| 20-- अपर वानगंगा परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 18,11 | .. | .. | 18,11 | 2,82,81,44 |
| 21-- राजघाट परियोजना-- | | | | | | |
| 001-- निवेशन तथा प्रशासन | .. | 7,04,57 | .. | .. | 7,04,57 | 22,61,27 |
| 052--मशीनरी तथा उपस्कर | .. | 68 | .. | .. | 68 | 68 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 10,95,72 | .. | .. | 10,95,72 | 10,95,72 |
| 799-- उचन्त | .. | 4,23 | .. | .. | 4,23 | 7,63 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 1,27,87 | .. | .. | 1,27,87 | 9,79,76,34 |
| योग--21 | .. | 19,33,07 | .. | .. | 19,33,07 | 10,13,41,64 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|------------|---|--------------------------|------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4700-- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 22-- बरियारपुर परियोजना-- | | | | | | |
| 001-- निदेशन तथा प्रशासन | .. | 4,00,00 | .. | .. | 4,00,00 | 10,40,58 |
| 052-- मशीनरी तथा उपस्कर | .. | 49 | .. | .. | 49 | 49 |
| 799-- उचन्त | .. | 5,00 | .. | .. | 5,00 | 5,00 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 28,25,13 | .. | .. | 28,25,13 | 2,75,08,29 |
| योग-- 22 | .. | 32,30,62 | .. | .. | 32,30,62 | 2,85,54,36 |
| 24-- बावन थड़ी परियोजना-- | | | | | | |
| 001-- निदेशन तथा प्रशासन | .. | 3,28,81 | .. | .. | 3,28,81 | 8,78,33 |
| 052--मशीनरी तथा उपस्कर | .. | 50 | .. | .. | 50 | 99 |
| 799-- उचन्त | .. | 7,53 | .. | .. | 7,53 | 25,92 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 17,46,17 | .. | .. | 17,46,17 | 2,42,71,79 |
| योग-- 24 | .. | 20,83,01 | .. | .. | 20,83,01 | 2,51,77,03 |
| 25-- सिन्ध परियोजना-प्रथम चरण-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 99,68 | .. | .. | 99,68 | 82,66,08 |
| 26-- सिन्ध परियोजना-द्वितीय चरण-- | | | | | | |
| 001-- निदेशन तथा प्रशासन | .. | 10,45,10 | .. | .. | 10,45,10 | 26,53,34 |
| 799-- उचन्त | .. | 61,98 | .. | .. | 61,98 | 87,19 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 1,70,19,75 | .. | .. | 1,70,19,75 | 9,02,70,02 |
| योग-- 26 | .. | 1,81,26,83 | .. | .. | 1,81,26,83 | 9,30,10,55 |
| 33-- चम्बल सिंचाई योजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 13,62,41 | .. | .. | 13,62,41 | 18,33,51 |
| 41-- बरगी नहर व्यपवर्तन परियोजना-- | | | | | | |
| 001-- निदेशन तथा प्रशासन | .. | 1,37,25 | .. | .. | 1,37,25 | 3,74,97 |
| 052--मशीनरी तथा उपस्कर | .. | .. | .. | .. | .. | 70 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | .. | .. | .. | .. | 20,19,59 |
| 799-- उचन्त | .. | .. | .. | .. | .. | 13,51 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 1,61,37,40 | .. | .. | 1,61,37,40 | 9,37,50,38 |
| योग-- 41 | .. | 1,62,74,65 | .. | .. | 1,62,74,65 | 9,61,59,15 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|------------|---|--------------------------|------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4700-- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 43-- इंदिरा सागर परियोजना यूनिट I और II-- | | | | | | |
| 001-- निदेशन तथा प्रशासन | .. | 15,79,06 | .. | .. | 15,79,06 | 43,60,46 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 1,00,00 | .. | .. | 1,00,00 | 12,97,88 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 1,61,88,25 | .. | .. | 1,61,88,25 | 14,44,75,44 |
| योग-- 43 | .. | 1,78,67,31 | .. | .. | 1,78,67,31 | 15,01,33,78 |
| 45-- ओंकारेश्वर परियोजना-- | | | | | | |
| 001 निदेशन तथा प्रशासन | .. | 4,53,52 | .. | .. | 4,53,52 | 4,53,52 |
| 789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 4,78,60 | .. | .. | 4,78,60 | 4,78,60 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | .. | 36,07,41 | .. | .. | 36,07,41 | 4,84,53,14 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 1,45,16,90 | .. | .. | 1,45,16,90 | 1,45,16,90 |
| योग--45 | .. | 1,90,56,43 | .. | .. | 1,90,56,43 | 6,39,02,16 |
| 49-- हाइड्रो मैट्रोलोजिकल नेटवर्क-- | | | | | | |
| 001-- निदेशन तथा प्रशासन | .. | 2,42,03 | .. | .. | 2,42,03 | 6,13,13 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 95,13 | .. | .. | 95,13 | 10,84,99 |
| योग-- 49 | .. | 3,37,16 | .. | .. | 3,37,16 | 16,98,12 |
| 51-- रानी अवंति बाई सागर परियोजना यूनिट I और II-- | | | | | | |
| 001-- निदेशन तथा प्रशासन | .. | 17,93,78 | .. | .. | 17,93,78 | 49,48,95 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 60,14,32 | .. | .. | 60,14,32 | 12,05,17,39 |
| योग-- 51 | .. | 78,08,10 | .. | .. | 78,08,10 | 12,54,66,34 |
| 57-- राष्ट्रीय हाइड्रोलोजिकल परियोजना-- | | | | | | |
| 001-- निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | .. | 19,23,56 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 4,33 | .. | .. | 4,33 | 10,29 |
| योग--57 | .. | 4,33 | .. | .. | 4,33 | 30,89,10 |
| योग--57 | .. | 4,33 | .. | .. | 4,33 | 19,33,85 |
| | | | | | | 30,89,10 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है ।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | योग | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| श--आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4700-- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 61-- सम्राट अशोक सागर परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 11,29,64 | .. | .. | 11,29,64 | 16,39,54 |
| 63-- पेंच व्यपवर्तन परियोजना-- | | | | | | |
| 001-- निदेशन तथा प्रशासन | .. | .. | .. | .. | .. | -9,04 ^(x) |
| 052-- मशीन तथा उपस्कर | -- | 4,80 | .. | .. | 4,80 | 4,80 |
| 799-- उचन्त | .. | -1,58 ^(x) | .. | .. | -1,58 | 12,21 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 18,48,98 | .. | .. | 18,48,98 | 48,69,96 |
| योग-- 63 | .. | 18,52,20 | .. | .. | 18,52,20 | 48,77,93 |
| 64--मध्यप्रदेश वाटर रीस्ट्रक्चरिंग-- | | | | | | |
| 001-- निदेशन तथा प्रशासन | .. | 19,65,06 | .. | .. | 19,65,06 | 63,08,28 |
| 052--मशीनरी तथा उपस्कर | .. | 69,90 | .. | .. | 69,90 | 5,64,27 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 2,18,66,96 | .. | .. | 2,18,66,96 | 3,57,36,48 |
| योग--64 | .. | 2,39,01,92 | .. | .. | 2,39,01,92 | 4,26,09,03 |
| 65-- अपर वेदा परियोजना-- | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | .. | 35,08,84 | .. | .. | 35,08,84 | 92,75,07 |
| 66-- लोअर गोही परियोजना-- | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोगना | .. | 37,01,95 | .. | .. | 37,01,95 | 40,14,77 |
| 67-- मनपुरा नहर परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 2,26 |
| ओंकारेश्वर जल विद्युत योजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 5,39,28 |
| बरगी हायडल योजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 20,02,66 |
| बहुउद्देशीय नदी परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 11,97,21 |
| सरदार सरोवर परियोजना (भूमि अधिग्रहण)-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,30,20 |
| तवा जल निकासी कार्य-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 2,69,18 |
| उर्मिल परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 29,09,86 |
| सिंध मोहिनी परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 30,70,01 |
| माही परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,88,51 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

(x) ऋणात्मक व्यय/शेष पूंजीगत लेखे में प्राप्तियों और वसूलियों के कारण है जो उचन्त से संबंधित है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|-------------|---|--------------------------|-------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4700-- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--समाप्त | | | | | | |
| भाण्डेर नहर-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 4,97,25 |
| हलाली परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 10,03,86 |
| रंगवान परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 4,99,43 |
| सरदार सरोवर परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 41,11,35 |
| थानवान परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 21,26,07 |
| सिंध रमौआ लिंक-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 2,68,96 |
| बारना हलाली आयकट विकास परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 49,16 |
| हरसी सिंचाई योजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 13,42,02 |
| रुठियाई परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 22,12,32 |
| राष्ट्रीय जल व्यवस्थापन-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 52,45,88 |
| बांध सुरक्षा एवं पुनर्वास योजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,40,57,86 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,63,40 |
| एन.एच.डी.सी. को भुगतान-निवेश-- | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,61,81,00 |
| 80-- सामान्य-- | | | | | | |
| 001-- निदेशन तथा प्रशासन | .. | 19,31,02 | .. | .. | 19,31,02 | 49,86,99 |
| 052--मशीनरी तथा उपस्कर | .. | .. | .. | .. | .. | 19,03,64 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोग | .. | .. | .. | .. | .. | 45,25,61 |
| | | | | | | 21,60,41 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 82,86,44 | 3,49,96 | .. | 86,36,40 | 1,59,87,79 |
| योग-- 80 | .. | 1,02,17,46 | 3,49,96 | .. | 1,05,67,42 | 2,55,00,39 |
| | | | | | | 40,64,05 |
| योग-- 4700 | .. | 15,08,25,34 | 4,41,91 | .. | 15,12,67,25 | 1,05,14,58,60 |
| | | | | | | 2,87,76,78 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|----------|---|--------------------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| 4701--मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | |
| 01-- मुख्य सिंचाई-- | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 13,48,45 | .. | 13,48,45 | 32,61,96 |
| 11-- मान परियोजना-- | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | .. | 5,18,98 | .. | 5,18,98 | 71,68,88 |
| 12-- जोबट परियोजना-- | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | .. | 5,79,94 | .. | 5,79,94 | 1,55,90,81 |
| 15-- कालिया स्रोत-- | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 39,82 | .. | 39,82 | 57,14,13 |
| 25-- माही परियोजना-- | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | .. | 24,11,43 | .. | 24,11,43 | 1,01,49,13 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | 76,22,74 |
| योग--25 | .. | 24,11,43 | .. | 24,11,43 | 1,77,71,87 |
| 36-- तवा परियोजना-- | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 77,96 | .. | 77,96 | 46,06,47 |
| 39-- करके की माहू-- | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | 1,47 |
| 40-- कुशलपुरा तालाब योजना-- | | | | | |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 2,48,27 | .. | 2,48,27 | 2,63,27 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 1,99,16 | .. | 1,99,16 | 10,58,47 |
| योग--40 | .. | 4,47,43 | .. | 4,47,43 | 13,21,74 |
| 41-- कुंवर चैन सागर परियोजना-- | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 5,00 | .. | 5,00 | 79,25 |
| 42-- बंदिवा नाला-- | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 59,59 | .. | 59,59 | 1,38,36 |
| 43-- संजय सागर-- | | | | | |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | .. | 3,11,01 | .. | 3,11,01 | 11,79,99 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 15,86,32 | .. | 15,86,32 | 86,62,15 |
| योग-- 43 | .. | 18,97,33 | .. | 18,97,33 | 98,42,14 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4701--मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-- जारी | | | | | | |
| 44-- महुअर-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 2,77,50 | .. | .. | 2,77,50 | 21,23,32 |
| 45-- हलोन परियोजना-- | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | .. | 1,00,61 | .. | .. | 1,00,61 | 14,79,32 |
| 46-- अपर नर्मदा परियोजना-- | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | .. | 14,83 | .. | .. | 14,83 | 1,22,15 |
| 47-- सिन्ध रामौआ | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 1,04,99 | .. | .. | 1,04,99 | 2,56,79 |
| 48-- गोपद परियोजना-- | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | .. | 34,87 | .. | .. | 34,87 | 4,39,52 |
| 49-- बरचार परियोजना-- | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | .. | 1,02,58 | .. | .. | 1,02,58 | 6,36,62 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,90,85 |
| योग-- 49 | .. | 1,02,58 | .. | .. | 1,02,58 | 8,27,47 |
| 50-- काटजू गार्डन-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 34 |
| 51-- मोदी मन्दिर | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,00 |
| 52-- बेनीसागर नहर व्यपर्तन-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | 5,00 | .. | .. | 5,00 | 2,24,83 |
| 53-- रंगवान कैनल व्यपर्तन-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 3,95,09 |
| अखीझिरी तालाब-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 92,04 |
| अमकी बहादुर -- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 78,64 |
| अरनिया बहादुरपुर तालाब-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,01,90 |
| बैजना परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,23,61 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|-----|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4701--मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| बरनोदिया तालाब | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 42,32 |
| बेनीगंज परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 79,95 |
| भेंसवार नहर-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,29,89 |
| भमीसाखेड़ी तालाब परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 95,15 |
| बुधन नाला-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 14,85,68 |
| बिजना जलाशय-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,15,03 |
| बिला नदी परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 2,97,98 |
| विन्ध्या तालाब-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,64,11 |
| भानेरखेड़ी-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 75,36 |
| भीमगढ़ दायीं तट नहर (सिवनी)-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 2,25,43 |
| बारद विकास परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,46,33 |
| बुंदाला-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 10,02,96 |
| बारना हलाली-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 51,58 |
| चन्द्र केशर तालाब परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 4,41,86 |
| चिल्लर नदी तालाब परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 3,55,90 |
| चौरल तालाब-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 28,67,25 |
| भाण्डेर नहर का निर्माण-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,58,02 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-----|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखां)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखां--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखां--जारी | | | | | | |
| 4701--मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| बाघ नदी के दाएं तट पर नहर का निर्माण-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,62,45 |
| चंदोरा-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 11,24,22 |
| धोलवड़ तालाब-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 3,48,86 |
| दोराहा तालाब-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 2,38,49 |
| दुधी तालाब-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 10,84,04 |
| देजला देवदा-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 11,86,70 |
| गांगुलपारा तालाब परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 2,29,95 |
| गोमुख परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 23,26,01 |
| हलाली परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 7,45,25 |
| जामिनी दायीं तट प्रणाली-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 80,20 |
| जारमोरा-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,18,55 |
| जसिया तालाब परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 2,12,18 |
| झिरीगिरी परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,50,38 |
| जोहिला तालाब-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,54,08 |
| काजीखेडा-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,38,42 |
| कनबारी नाला-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,22,74 |
| कन्हार गांव-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 67,80 |
| कटरा जलाशय-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 2,59,35 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|-----|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4701--मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| कंवरपुर (सुतिया नाला) परियोजना-- | | | | | | 1,25,97 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | |
| केदार नाला परियोजना-- | | | | | | 1,10,02 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | |
| केरवान परियोजना-- | | | | | | 1,79,02 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | |
| खेतान परियोजना-- | | | | | | 1,08,32 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | |
| कोलार परियोजना-- | | | | | | 1,32,64,19 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | |
| कुलघरी परियोजना-- | | | | | | 70,62 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | |
| कम्हार गांव-- | | | | | | 12,65,91 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | |
| लखुन्दर-- | | | | | | 18,04,69 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | |
| मकरोदा-- | | | | | | 3,55,26 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | |
| मन्सूरवारी-- | | | | | | 1,52,52 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | |
| माथना तालाब परियोजना-- | | | | | | 57,77 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | |
| मोरवान तालाब परियोजना-- | | | | | | 79,99 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | |
| नागदा नाला परियोजना-- | | | | | | 87,62 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | |
| नहलेसरा तालाब परियोजना-- | | | | | | 2,42,19 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | |
| नरेन परियोजना-- | | | | | | 1,47,96 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | |
| पम्पावती तालाब-- | | | | | | 1,02,38 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | |
| पारस-- | | | | | | 63,75 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | |
| पिपलिया कुमार तालाब-- | | | | | | 81,76 |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|-----|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4701--मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| पुकता नाला परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,08,84 |
| रामपुरा खुर्द-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 3,26,49 |
| रुसी तालाब-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,07,62 |
| सागर नदी परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 2,03,68 |
| साहिबखेड़ी तालाब-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 2,97,99 |
| सांपना तालाब परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,03,12 |
| सरोदा तालाब-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 2,09,65 |
| सुक्ता नदी परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 4,57,40 |
| तिल्लेर परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 27,06,31 |
| तिल्लोन-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 3,52,43 |
| उमरार नाला-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 2,14,51 |
| बधिया नाला परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 98,39 |
| वेनगंगा परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 2,21,88 |
| कालीसागर योजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 2,97,04 |
| कमालपुरा तालाब परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | 9,56,50 |
| महान परियोजना-- | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोग | .. | .. | .. | .. | .. | 62,68,91 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|------------|---|--------------------------|------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4701--मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--समाप्त | | | | | | |
| सागद परियोजना-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय-- | .. | .. | .. | .. | .. | 20,10,49 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 17,66 |
| | | | | | | 1,55,26,25 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना- | | | | | | |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 1,30,99,40 |
| | | | | | | 4,75,95,94 |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | | |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 29,82,01 |
| | | | | | | 1,97,39,89 |
| 80--सामान्य-- | | | | | | |
| 001--निर्देशन तथा प्रशासन | .. | 57,46,81 | .. | .. | 57,46,81 | 1,07,81,93 |
| | | | | | | 92,16 |
| 005--सर्वेक्षण तथा अन्वेषण | .. | 1,91,48 | .. | .. | 1,91,48 | 54,69,29 |
| | | | | | | 77,49,28 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये | | | | | | |
| विशेष घटक योजना | .. | 2,82,78 | .. | .. | 2,82,78 | 9,69,55 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | .. | 20,89 | .. | .. | 20,89 | 2,39,45 |
| | | | | | | 39,26,89 |
| 800--अन्य व्यय | .. | 2,76,62 | .. | .. | 2,76,62 | 1,28,31,21 |
| | | | | | | 98,44,56 |
| योग--80 | .. | 65,18,58 | .. | .. | 65,18,58 | 3,02,91,43 |
| | | | | | | 2,16,12,89 |
| योग--4701 | .. | 1,45,44,89 | .. | .. | 1,45,44,89 | 16,78,79,26 |
| | | | | | | 10,44,74,97 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | |
| 101--सतही जल-- | | | | | |
| बुरहा नाला योजना | .. | .. | .. | .. | 70,39 |
| बनीबोरी तालाब | .. | .. | .. | .. | 61,58 |
| बारना तालाब | .. | .. | .. | .. | 65,80 |
| भलभदा तालाब | .. | .. | .. | .. | 4,01,93 |
| बेनीगंज फीडर | .. | .. | .. | .. | 96,87 |
| बनाधी तालाब | .. | .. | .. | .. | 77,23 |
| दतला तालाब परियोजना | .. | .. | .. | .. | 73,12 |
| घोड़ा कछार तालाब | .. | .. | .. | .. | 1,16,61 |
| गिरी तालाब | .. | .. | .. | .. | 82,02 |
| जिरिया तालाब | .. | .. | .. | .. | 94,76 |
| खरखरा तालाब | .. | .. | .. | .. | 2,55,95 |
| खार तालाब | .. | .. | .. | .. | 75,88 |
| मदियम तालाब | .. | .. | .. | .. | 74,98 |
| मोतीपुरा तालाब | .. | 12,89 | .. | 12,89 | 1,10,30 |
| माही तालाब | .. | .. | .. | .. | 1,01,46 |
| लघु सिंचाई योजनाएं | .. | .. | .. | .. | 7,14,96 |
| | | | | | 62,25,88 |
| लघुत्तम सिंचाई योजनाएं | .. | .. | .. | .. | 1,14,91,93 |
| मोधा तालाब | .. | .. | .. | .. | 2,64,62 |
| नोगांव तालाब परियोजना | .. | .. | .. | .. | 91,65 |
| धाली तालाब | .. | .. | .. | .. | 57,38 |
| पड़लिया तालाब | .. | .. | .. | .. | 66,71 |
| पिपलोदा तालाब | .. | .. | .. | .. | 88,54 |
| सटक तालाब | .. | .. | .. | .. | 1,05,51 |
| सेमल्दा तालाब | .. | .. | .. | .. | 39,43 |
| सिलखेड़ा तालाब | .. | .. | .. | .. | 93,71 |
| सगुना जलाशय | .. | .. | .. | .. | 2,10,92 |
| सिमरिया तालाब | .. | .. | .. | .. | 54,81 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है ।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 101--सतही जल--जारी | | | | | | |
| संजय जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 3,55,97 |
| सुरही तालाब परियोजना | .. | .. | .. | .. | .. | 1,11,42 |
| सिरोंज तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 2,45,90 |
| तेजगढ़ तालाब परियोजना | .. | .. | .. | .. | .. | 96,45 |
| अपर पाल्कामती तालाब | .. | 77,43 | .. | .. | 77,43 | 9,92,59 |
| भैंसा टोरी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 3,32,25 |
| उमरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 2,00,43 |
| सलखेड़ा (नाबार्ड) | .. | .. | .. | .. | .. | 1,16,75 |
| गोगटपुर तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 4,69,82 |
| बंसाखेड़ा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 2,61,45 |
| पिपलिया कला | .. | .. | .. | .. | .. | 5,37,29 |
| थांडी खुर्द तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 2,02,33 |
| ब्योरा मांड एल.आई.एस. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,01,56 |
| मुसराली | .. | .. | .. | .. | .. | 38,55 |
| राजीव सागर, मकसूदनगढ़ | .. | .. | .. | .. | .. | 26,95,91 |
| दसानी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,45,52 |
| मुंदादी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,73,53 |
| इन्द्रगढ़ तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 7,11,54 |
| चम्बलेश्वर तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 7,94,70 |
| सगोनी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 2,57,33 |
| सेमरी कला तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,58,63 |
| गरेटिया तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,54,97 |
| फुदेरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 2,85,56 |
| मोगाहा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 6,93,60 |
| खुर्सी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 77,15 |
| संगोना तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,41,56 |
| रामपुरा | .. | .. | .. | .. | .. | 1,29,14 |
| हमरी एल.आई.एस. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,36,95 |
| जल ज्योति तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,53,47 |
| धायन मैना तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 2,96,67 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 101--सतही जल--जारी | | | | | | |
| ओरनी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 2,32,17 |
| कुदाली तालाब | .. | 5,50 | .. | .. | 5,50 | 1,60,12 |
| तुलसीपुरा तालाब | .. | 9,99 | .. | .. | 9,99 | 2,96,68 |
| आमन नाला | .. | .. | .. | .. | .. | 1,02,75 |
| मोहखेड़ी तालाब | .. | 32,81 | .. | .. | 32,81 | 5,14,84 |
| लोहरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 3,52,71 |
| सकरवाड़ा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 5,13,71 |
| शक्ति नाला तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 4,96,92 |
| घोघरा तालाब | .. | 2,15 | .. | .. | 2,15 | 2,31,27 |
| कामठी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,05,31 |
| अरमा तालाब | .. | 37 | .. | .. | 37 | 61,46 |
| झिरलिंगा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 2,10,32 |
| बांका नागनपुर तालाब | .. | 8,80 | .. | .. | 8,80 | 1,91,92 |
| पिपरिया गुमानी तालाब | .. | 33,75 | .. | .. | 33,75 | 2,09,12 |
| केकड़ा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 3,98,31 |
| ढोकदोह तालाब | .. | 1,56,54 | .. | .. | 1,56,54 | 6,91,87 |
| स्वामी सागर तालाब | .. | 39,37 | .. | .. | 39,37 | 2,11,60 |
| लीदरी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 22,36 |
| परमहंसी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 59,91 |
| रिछाई तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 3,66,92 |
| रामगढ़ी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 37,07 |
| बोरगांव तालाब (सौंसर) | .. | .. | .. | .. | .. | 61,30 |
| मानोरी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,99,85 |
| बरेलीपार तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 92,53 |
| पागनेश्वर एल.आई.एस. | .. | 23,12 | .. | .. | 23,12 | 33,71 |
| नंदखोह तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 15,42 |
| लिंगोरा जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,57,65 |
| गणेशपुरा तालाब राजगढ़ | .. | .. | .. | .. | .. | 2,57,64 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|-----|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 101--सतही जल--जारी | | | | | | |
| झकोड़ा जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 3,94,50 |
| कोलवाखेड़ी जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 3,97,73 |
| मांडवी तालाब (आडनेर) | .. | .. | .. | .. | .. | 2,03,88 |
| बोरगांव तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,13,60 |
| जगधर तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 2,06,16 |
| गोपीनाथपुर तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,75,54 |
| येन पिपरिया | .. | .. | .. | .. | .. | 11,48 |
| मांडवी जलाशय, पांडुरना | .. | .. | .. | .. | .. | 23,50 |
| कान्हा सागर तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 88,14 |
| शिवलाल धाना | .. | .. | .. | .. | .. | 2,56,75 |
| उमरिया दलोल | .. | .. | .. | .. | .. | 2,99,11 |
| सिप्टान डायवर्सन | .. | .. | .. | .. | .. | 9,22,27 |
| अमरपुरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 4,10,08 |
| पड़दा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 3,50,47 |
| जमुन झिरी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 41,83 |
| निम्ब तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,67,35 |
| चंदू तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 9,79,56 |
| नया राजनाल | .. | .. | .. | .. | .. | 2,59,48 |
| शाजापुर गणेशपुर तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 5,41,74 |
| निपानिया तालाब | .. | 59 | .. | .. | 59 | 6,34,59 |
| बिजनाखेड़ी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 6,39,46 |
| हिरन खेड़ी | .. | .. | .. | .. | .. | 52,19 |
| हिनोती तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 66,93 |
| मनकी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 72,62 |
| सिकरी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,99,78 |
| बागवाड़ा | .. | .. | .. | .. | .. | 1,60,54 |
| पगरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,53,52 |
| गुवाडिया एल.आई.एस. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,15,31 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|-------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 101--सतही जल--जारी | | | | | | |
| चैनपुरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 3,43,87 |
| आधरोही | .. | .. | .. | .. | .. | 1,23,53 |
| परसोरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,07,83 |
| आरी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,44,28 |
| भरतेन्दु एल.आई.एस. | .. | .. | .. | .. | .. | 3,24,44 |
| तेजा खेड़ी | .. | .. | .. | .. | .. | 97,54 |
| मलोनी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,25,32 |
| देहरी | .. | .. | .. | .. | .. | 2,26,55 |
| मूंगापुरा | .. | .. | .. | .. | .. | 1,11,21 |
| सुमेरी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 3,34,74 |
| अकवरपुरा | .. | .. | .. | .. | .. | 93,39 |
| भगवतपुरा | .. | .. | .. | .. | .. | 1,06,24 |
| चंपाखेड़ी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,10,93 |
| श्याम नगर तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 14,55 |
| पड़री तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,02,49 |
| देवरी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 3,31,65 |
| भीतरी उदवहन | .. | .. | .. | .. | .. | 2,44,78 |
| नंदनवारा | .. | .. | .. | .. | .. | 42,80 |
| मगरा नाला दिल्ली तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 6,89 |
| हरपुरा मादिया उदवहन | .. | .. | .. | .. | .. | 3,43 |
| ओवरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 2,57 |
| बिहर एल.आई.एस. | .. | .. | .. | .. | .. | 83,99 |
| नंदनीमपुर एल.आई.एस. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,20,46 |
| नैया नाला एल.आई.एस. | .. | 18,15 | .. | .. | 18,15 | 1,72,62 |
| नंदनपुर तालाब | .. | 75,51 | .. | .. | 75,51 | 1,60,54 |
| बेलहा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,74,69 |
| कठोतिया तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 9,47 |
| खड्डा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 49,35 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|--|-----------------------------|-------|---------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 101--सतही जल--जारी | | | | | | |
| महुआ खेड़ा | .. | .. | .. | .. | .. | 3,57 |
| नरेन्द्रपुर | .. | .. | .. | .. | .. | 1,27,97 |
| अम्बक नाला तालाब | .. | 39,67 | .. | .. | 39,67 | 1,13,29 |
| मटेरी | .. | .. | .. | .. | .. | 56,82 |
| गगरा खुर्द | .. | .. | .. | .. | .. | 11 |
| हिनोता खरमऊ | .. | .. | .. | .. | .. | 20,92 |
| बबिर भाटिया | .. | .. | .. | .. | .. | 5,82,04 |
| खैराना | .. | .. | .. | .. | .. | 35,43 |
| अमदा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 5,52,74 |
| ककरहाई एल.आई.एस. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,03,59 |
| सुजारा उदवहन | .. | .. | .. | .. | .. | 26,79 |
| गोगा फीडर | .. | .. | .. | .. | .. | 45,22 |
| रुपनाथ तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 16,24 |
| पौड़ी पड़रिया | .. | .. | .. | .. | .. | 32,35 |
| बरहेड़ी एल.आई.एस. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,26,45 |
| गोपाल दास तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 63,58 |
| गंजरी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 25,10 |
| मझगवां | .. | .. | .. | .. | .. | 32,49 |
| रजली | .. | .. | .. | .. | .. | 1,04,50 |
| पटरा | .. | .. | .. | .. | .. | 2,65,31 |
| मगरोरा | .. | .. | .. | .. | .. | 20,64 |
| महमूदपुर एल.आई.एस. | .. | .. | .. | .. | .. | 40,05 |
| मदरावल तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 72,39 |
| सिंगोड़ी | .. | .. | .. | .. | .. | 58,87 |
| भैंसा खेड़ी | .. | .. | .. | .. | .. | 6,36,83 |
| पड़रिया तालाब रायसेन | .. | .. | .. | .. | .. | 7,56,45 |
| पड़रिया एल.आई.एस. | .. | .. | .. | .. | .. | 47,05 |
| पड़रिया तालाब, नौगांव | .. | .. | .. | .. | .. | 1,50,36 |
| मड़हर तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 5,42,35 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 101--सतही जल--जारी | | | | | | |
| बिजनोरी एल.आई.एस. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,21,29 |
| पडारखेड़ा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,08,35 |
| सरवन खेड़ा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 2,68,27 |
| ऊमरी कलॉ | .. | .. | .. | .. | .. | 10,47 |
| कोड़िया झा | .. | .. | .. | .. | .. | 5,20 |
| परागढ़ तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 13,15 |
| झिरिया तृतीय चरण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,01,45 |
| सीमारोल तालाब | .. | 9,25 | .. | .. | 9,25 | 4,12,03 |
| सुवागांव तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,58,23 |
| शंकरपुरा तालाब | .. | 3,72 | .. | .. | 3,72 | 3,30,79 |
| बरगोलिया तालाब | .. | 46,60 | .. | .. | 46,60 | 6,12,67 |
| मोहनपुरा तालाब | .. | 10,85 | .. | .. | 10,85 | 1,78,94 |
| मुड़िया खेड़ा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 3,57,03 |
| तेजाखेड़ी उद्वहन | .. | .. | .. | .. | .. | 1,54,50 |
| उकाबाद तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,22,61 |
| दानमनि तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 4,82,93 |
| अलपुर तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,28,86 |
| लिघोरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 8,93 |
| भानखेड़ी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,43,59 |
| रुदाखेड़ा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 4,62,11 |
| मोरिया तालाब | .. | 14,94 | .. | .. | 14,94 | 2,56,03 |
| माधव जलाशय, पिपरिया | .. | .. | .. | .. | .. | 4,60,50 |
| काका साहेब गाडगिल तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 18,19,62 |
| हनुमंतिया तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,58,69 |
| देहरी तालाब क्र.2 | .. | 8,13 | .. | .. | 8,13 | 4,90,67 |
| गोबलान तालाब | .. | 11,86 | .. | .. | 11,86 | 6,30,02 |
| कल्छा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 42,73 |
| बहादुरपुरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 90,76 |
| बलिया तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 13,35 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 101--सतही जल--जारी | | | | | | |
| चन्दनपुरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 4,18,34 |
| बंधी जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,48,76 |
| धवासी जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 23,78 |
| सरोंथ जलाशय | .. | 5,16 | .. | .. | 5,16 | 8,66,18 |
| पीली धकान तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 40,28 |
| चोरवार उद्वहन | .. | .. | .. | .. | .. | 1,16 |
| गोधना तालाब, भैंसदेही | .. | .. | .. | .. | .. | 5,37 |
| बाकुद जलाशय, मसोद | .. | 1,26 | .. | .. | 1,26 | 3,30 |
| पारस खानी, बैतूल | .. | .. | .. | .. | .. | 1,47,88 |
| दहुआ जलाशय, मुल्ताई | .. | .. | .. | .. | .. | 61,65 |
| सांदिया जलाशय, मुल्ताई | .. | .. | .. | .. | .. | 1,80,02 |
| सूखाखेड़ी जलाशय, मुल्ताई | .. | .. | .. | .. | .. | 5 |
| रिछा तालाब | .. | 7,98 | .. | .. | 7,98 | 2,11,82 |
| भागोर उद्वहन | .. | .. | .. | .. | .. | 3,28 |
| बसाई उद्वहन | .. | .. | .. | .. | .. | 8,00 |
| इन्द्रगढ़ तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 8,35 |
| झिरनिया तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,33,81 |
| रामकुंड तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 6,13,21 |
| कोटवा बुजुर्ग क्र.2 | .. | .. | .. | .. | .. | 1,64,36 |
| दवलामनोहर तालाब | .. | 6 | .. | .. | 6 | 1,63,84 |
| खाम खरेलिया तालाब, केवलारी | .. | .. | .. | .. | .. | 55,14 |
| तोल पिपरिया, केवलारी | .. | .. | .. | .. | .. | 6,12 |
| हिवरासानी तालाब, अमरवाड़ा | .. | .. | .. | .. | .. | 1,40,20 |
| पलटवारा तालाब, चौराई | .. | .. | .. | .. | .. | 77,11 |
| डोला पंजय, सौसर | .. | .. | .. | .. | .. | 1,02,44 |
| करेली नलकूप, नरसिंहपुर | .. | 1,54 | .. | .. | 1,54 | 12,90 |
| चावरपाटा | .. | .. | .. | .. | .. | 9,78 |
| चिचली बहोनी | .. | 67 | .. | .. | 67 | 14,15 |
| रामपुरिया बुजुर्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,29,97 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|-------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 101--सतही जल--जारी | | | | | | |
| खेड़ी सिहोद | .. | 55 | .. | .. | 55 | 1,19,91 |
| जनकपुरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 2,32,70 |
| पिपल्या सिहोरा | .. | .. | .. | .. | .. | 5,20,32 |
| सिंगोडी जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,59,18 |
| थावरी जलाशय | .. | 15,58 | .. | .. | 15,58 | 4,51,10 |
| मोहरा तालाब, एल.आई.एस. | .. | .. | .. | .. | .. | 87,90 |
| दोहा | .. | .. | .. | .. | .. | 47,86 |
| सुर्मा | .. | .. | .. | .. | .. | 90,17 |
| राजपुरा | .. | .. | .. | .. | .. | 1,18,86 |
| बीरसिंहपुरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 68,90 |
| रंगोली तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 65,22 |
| कटरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 84,78 |
| खनोरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 40 |
| म्याना मुडकी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,19 |
| बिरहई जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 7,00 |
| मोतीपुरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 26 |
| नारायणपुरा तालाब | .. | 14,58 | .. | .. | 14,58 | 15,44 |
| पातालपानी तालाब | .. | 5,35 | .. | .. | 5,35 | 5,37 |
| झरखेड़ा तालाब | .. | 8,93 | .. | .. | 8,93 | 10,45 |
| निपालिया खेड़ी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 15 |
| संग्रामपुर | .. | 5 | .. | .. | 5 | 5,78 |
| बेतवा बेरत | .. | 11,70 | .. | .. | 11,70 | 8,37,80 |
| काला झोरा तालाब | .. | 5,07 | .. | .. | 5,07 | 3,94,67 |
| अरजनी एल.आई.एस. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,11,15 |
| भीम वाटिका तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 30,61 |
| सिलावटी तालाब | .. | 15,52 | .. | .. | 15,52 | 1,53,64 |
| मुमरिया तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 51 |
| बिलोडा तालाब | .. | 1,50 | .. | .. | 1,50 | 4,10 |
| मोटा खोयरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 4,22 |
| बालपुरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 32,48 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 101--सतही जल--जारी | | | | | | |
| डांडी बाबड़ी खेड़ा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 27,69 |
| बमलाबे तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,91 |
| तावलीखुर्द तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 69 |
| भीकनपुर तालाब | .. | 36,76 | .. | .. | 36,76 | 1,33,12 |
| मुंडला लोढ़ा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,40,59 |
| भान्यापुरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 15,34 |
| सुलावता तालाब | .. | 1,14,81 | .. | .. | 1,14,81 | 2,97,09 |
| चांदपुरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 21,48 |
| खैराई-I | .. | .. | .. | .. | .. | 6,35 |
| येहमदाबाद खिल्ली बालान | .. | .. | .. | .. | .. | 2,09,77 |
| समरखेड़ी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,02,18 |
| पडरिया एल.आई.एस. | .. | .. | .. | .. | .. | 7,03 |
| डोगर तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 3,26 |
| घेंघी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 2,49,17 |
| पंगारा तालाब | .. | 4,31 | .. | .. | 4,31 | 2,21,89 |
| केवलारी तालाब | .. | 87 | .. | .. | 87 | 5,49,94 |
| धनवास कलाँ तालाब | .. | 30 | .. | .. | 30 | 1,86,38 |
| धोबीपुरा तालाब | .. | 64 | .. | .. | 64 | 1,64,85 |
| सिरोंजी तालाब | .. | 42,71 | .. | .. | 42,71 | 1,92,56 |
| सुमेरी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 5,36,21 |
| जतेरी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,42,44 |
| अम्बेह तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,38,12 |
| रुसिआ तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 2,46,74 |
| रुसल्लीसाहू तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,26,75 |
| झडलोडा एल.आई.एस. टिमरनी, हरदा | .. | .. | .. | .. | .. | 2,09,22 |
| ऊमरी कलाँ तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 10,47 |
| शंकरपुरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,93,33 |
| सुराखेड़ी तालाब | .. | 14,61 | .. | .. | 14,61 | 1,13,09 |
| पवखंडा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,43,48 |
| चेतिअन तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 42,42 |
| रुपारेल तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 7,25 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 101--सतही जल--जारी | | | | | | |
| मेंगांव गुवाडी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,79,26 |
| महावीर पवित्र सरोवर | .. | .. | .. | .. | .. | 99,85 |
| गोवन्दिपुरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 2,26,56 |
| सकरिया तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 6 |
| किला तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,28 |
| अपर चांदिया | .. | .. | .. | .. | .. | 9,96,20 |
| अजसिरस | .. | .. | .. | .. | .. | 6,95 |
| जुनिया तालाब | .. | 2,18 | .. | .. | 2,18 | 1,14,55 |
| समनापुर तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,70,72 |
| जगधर तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 92,75 |
| नीमखेड़ी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 55 |
| पंदरी तालाब, राधोगढ़ | .. | .. | .. | .. | .. | 1,24 |
| बरोदा तालाब, राधोगढ़ | .. | .. | .. | .. | .. | 51 |
| खेराई-II | .. | .. | .. | .. | .. | 50 |
| मोरखा | .. | 7,80 | .. | .. | 7,80 | 45,75 |
| रमली सावरिया | .. | 94 | .. | .. | 94 | 2,99 |
| रवरिया तालाब | .. | 48,38 | .. | .. | 48,38 | 50,23 |
| मारु तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 7,03 |
| तुराबोरगांव तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 54,26 |
| केवलारी | .. | 12,23 | .. | .. | 12,23 | 66,11 |
| बरन्दवा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 27,40 |
| चापना उद्यान | .. | .. | .. | .. | .. | 2,62,88 |
| हिनीती तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,47,61 |
| जानी तालाब, इन्दौर | .. | 2,14 | .. | .. | 2,14 | 1,39,46 |
| धर्मा राजेश्वर तालाब | .. | 78,19 | .. | .. | 78,19 | 99,57 |
| चांद वासन तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 26 |
| अजयपुरा तालाब | .. | 1,12,18 | .. | .. | 1,12,18 | 2,35,56 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 101--सतही जल--जारी | | | | | | |
| रैताम बैराज तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 12,04 |
| कुम्हारी यू.एस.ओ. तालाब | .. | 1,00 | .. | .. | 1,00 | 1,83 |
| कुरलारी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 20,14 |
| मोतीपुरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,27 |
| नारायनपुरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 89,60 |
| पतला पानी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 2,22 |
| झरखेडा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,30,40 |
| पुन्दी खेड़ी तालाब | .. | 2,78 | .. | .. | 2,78 | 54,14 |
| बदलावदा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 3,33 |
| झिरवहता तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 10 |
| झम झीरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,03 |
| खेड़ी तालाब | .. | 27,99 | .. | .. | 27,99 | 56,49 |
| मेसको परियोजना | .. | 1,77,43 | .. | .. | 1,77,43 | 1,83,67 |
| मोरवान तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 45,00 |
| संग्राम पुर तालाब | .. | 36,30 | .. | .. | 36,30 | 3,24,56 |
| बानेत तालाब | .. | 63,37 | .. | .. | 63,37 | 2,61,40 |
| कंचन मंडी तालाब | .. | 3,98 | .. | .. | 3,98 | 67,69 |
| भरतार बाबा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 51 |
| कंडीपुर तालाब | .. | 13,97 | .. | .. | 13,97 | 57,68 |
| काछी बुधवारा तालाब | .. | 5,20 | .. | .. | 5,20 | 42,50 |
| सालीवदा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 31,57 |
| विनायकपुरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,02,74 |
| कुदवाया पोषक नहर | .. | .. | .. | .. | .. | 1,05,06 |
| जेयेश्वर तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 85,09 |
| दुलहा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 6,04 |
| पहाड़गांव | .. | .. | .. | .. | .. | 1,26,66 |
| केलहारी यू.एस.ओ. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,49,27 |
| उमरखोह तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 2,77,39 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | |
| 101--सतही जल--जारी | | | | | |
| खमरिया चन्दोरा | .. | .. | .. | .. | 3,00,38 |
| आशापुरी | .. | 35 | .. | 35 | 3,37,47 |
| खरखेड़ा तालाब | .. | .. | .. | .. | 41,07 |
| भूमरिया तालाब | .. | 14 | .. | 14 | 77,50 |
| चांदपुरा तालाब | .. | .. | .. | .. | 1,45,15 |
| मान्यापुरा तालाब | .. | 19,31 | .. | 19,31 | 1,88,98 |
| मोटा खोपरा तालाब | .. | .. | .. | .. | 1,44,64 |
| देवी तालाब | .. | 14,22 | .. | 14,22 | 1,48,71 |
| घवली खुर्द तालाब | .. | 36,45 | .. | 36,45 | 1,76,41 |
| बमलारे तालाब | .. | 5,16 | .. | 5,16 | 1,68,28 |
| बाजपुरा तालाब | .. | 35,70 | .. | 35,70 | 1,33,95 |
| खनौता तालाब | .. | .. | .. | .. | 95,50 |
| बिरगौद तालाब | .. | .. | .. | .. | 1,30,21 |
| अधयारी सागर | .. | .. | .. | .. | 6,30 |
| ईटमा कोठार | .. | .. | .. | .. | 11,24 |
| अमिलिया तालाब | .. | .. | .. | .. | 6 |
| गजानन्द तालाब | .. | 73 | .. | 73 | 11,42 |
| बन्दर चूहा तालाब | .. | 15,26 | .. | 15,26 | 45,34 |
| बरेली | .. | 48 | .. | 48 | 28,15 |
| शांतीनगर | .. | .. | .. | .. | 81,03 |
| सीमराहा | .. | .. | .. | .. | 65,96 |
| शक्ति सागर तालाब | .. | .. | .. | .. | 15,37 |
| फतेहपुर तालाब | .. | 55,10 | .. | 55,10 | 68,07 |
| सगौनी तालाब | .. | 1,68,34 | .. | 1,68,34 | 1,81,45 |
| बहेला | .. | 1,09,74 | .. | 1,09,74 | 1,85,36 |
| तीन मोहरा | .. | .. | .. | .. | 19 |
| चकदेही | .. | .. | .. | .. | 2 |
| धन्धार | .. | .. | .. | .. | 69 |
| भादर व्यपवर्तन | .. | 12,64 | .. | 12,64 | 1,55,68 |
| करौदा | .. | 28,76 | .. | 28,76 | 91,63 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|-------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 101-- सतही जल-- जारी | | | | | | |
| गहेरा पीपरा | .. | 18,68 | .. | .. | 18,68 | 47,55 |
| बिदैनिया | .. | 20,78 | .. | .. | 20,78 | 84,35 |
| शंकर | .. | 2,40 | .. | .. | 2,40 | 4,53 |
| रजिया नाला | .. | 42,24 | .. | .. | 42,24 | 1,64,08 |
| गोची | .. | 22 | .. | .. | 22 | 4,20 |
| भगरार | .. | 59,59 | .. | .. | 59,59 | 82,14 |
| खिरिया बुजुर्ग | .. | 89 | .. | .. | 89 | 4,12 |
| भैरा | .. | 1,39 | .. | .. | 1,39 | 5,16 |
| मामोन | .. | 99 | .. | .. | 99 | 5,05 |
| पिठवा कलॉ | .. | 1,26 | .. | .. | 1,26 | 1,68 |
| नंदुआ नाला | .. | 37,38 | .. | .. | 37,38 | 40,71 |
| खैरो नाला | .. | 71,41 | .. | .. | 71,41 | 1,68,99 |
| छोटी बम्होरी | .. | .. | .. | .. | .. | 83 |
| पाली तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 91 |
| कुशमांड | .. | .. | .. | .. | .. | 1,20 |
| बमीठा | .. | 53 | .. | .. | 53 | 76,53 |
| पाटा | .. | .. | .. | .. | .. | 47 |
| कहरा | .. | .. | .. | .. | .. | 1,03 |
| लिपारी | .. | .. | .. | .. | .. | 3,32,46 |
| सूरजपुर | .. | .. | .. | .. | .. | 6,60 |
| भोकलपुर | .. | .. | .. | .. | .. | 4,27 |
| ठीकरी | .. | .. | .. | .. | .. | 2,81 |
| कल्लूमर | .. | 6,88 | .. | .. | 6,88 | 1,17,76 |
| राजनगर | .. | .. | .. | .. | .. | 33 |
| गोरखपुर | .. | 4,38 | .. | .. | 4,38 | 66,28 |
| पारखेड़ी | .. | .. | .. | .. | .. | 31,21 |
| पाटी | .. | .. | .. | .. | .. | 5,14 |
| बासादेही | .. | .. | .. | .. | .. | 7,24 |
| अमरपुरा | .. | .. | .. | .. | .. | 25,16 |
| गंगा बावड़ी | .. | 3 | .. | .. | 3 | 1,66 |
| सलिया खेड़ी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,75 |
| रेवा जलाशय | .. | 1,78 | .. | .. | 1,78 | 61,80 |
| कीरतपुर | .. | 22,40 | .. | .. | 22,40 | 2,82,28 |
| इमालिख | .. | 26,01 | .. | .. | 26,01 | 93,89 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 101-- सतही जल-- जारी | | | | | | |
| रावतपुरा | .. | 5,51 | .. | .. | 5,51 | 92,04 |
| छोटियन | .. | .. | .. | .. | .. | 53,78 |
| महेशपुरा | .. | 20,50 | .. | .. | 20,50 | 50,48 |
| गोधना | .. | .. | .. | .. | .. | 2,78,22 |
| बाकड़ | .. | .. | .. | .. | .. | 4,88,73 |
| तुम्दा | .. | .. | .. | .. | .. | 2,79 |
| परसोम | .. | 24,42 | .. | .. | 24,42 | 26,61 |
| मझला | .. | 63,35 | .. | .. | 63,35 | 63,72 |
| चमेरी | .. | 39 | .. | .. | 39 | 2,74 |
| हिनोता | .. | .. | .. | .. | .. | 1,29 |
| हसलाखेड़ी | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| हीरापुर तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 2,35,24 |
| चोपड़ा | .. | 23,34 | .. | .. | 23,34 | 1,52,09 |
| सुकलिया | .. | 54,36 | .. | .. | 54,36 | 96,27 |
| भोजपुर | .. | .. | .. | .. | .. | 1,65 |
| इदेही | .. | .. | .. | .. | .. | 22,40 |
| कटिया खेड़ी | .. | 1,09,50 | .. | .. | 1,09,50 | 1,22,27 |
| जुपरा बावड़िया | .. | 66,80 | .. | .. | 66,80 | 1,21,92 |
| खादी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 87 |
| ओसरा | .. | .. | .. | .. | .. | 76 |
| बड़ी दिया तांलाब | .. | .. | .. | .. | .. | 94 |
| गंगा नाला | .. | .. | .. | .. | .. | 6,59 |
| खरेला | .. | .. | .. | .. | .. | 30,74 |
| मनी रामपुरा | .. | 2,00,57 | .. | .. | 2,00,57 | 2,48,70 |
| मिदाना बड़ेकी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,46,10 |
| तुम्दा नाला | .. | .. | .. | .. | .. | 64,89 |
| बिर्री तालाब | .. | 55,82 | .. | .. | 55,82 | 5,70,22 |
| भोलोट | .. | 6,78 | .. | .. | 6,78 | 1,06,39 |
| गंजा खेड़ी | .. | 1,26 | .. | .. | 1,26 | 1,14,52 |
| परोनिया तालाब | .. | 30,89 | .. | .. | 30,89 | 87,66 |
| जुगनी तालाब | .. | 39,10 | .. | .. | 39,10 | 1,50,62 |
| रातापाटा | .. | 5,08 | .. | .. | 5,08 | 46,99 |
| नवली | .. | 14 | .. | .. | 14 | 2,58,27 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 101-- सतही जल-- जारी | | | | | | |
| चनवासा | .. | 35 | .. | .. | 35 | 3,55,07 |
| सामत खेड़ी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,56,54 |
| समतालपुर | .. | 15 | .. | .. | 15 | 1,63,82 |
| गोवर्धनपुरा | .. | 86 | .. | .. | 86 | 30,74 |
| लसूड़िया | .. | .. | .. | .. | .. | 1,13,86 |
| गरिया खेड़ी | .. | 1,03 | .. | .. | 1,03 | 72,61 |
| दामतला | .. | .. | .. | .. | .. | 73,59 |
| भदोरिया | .. | 35 | .. | .. | 35 | 98,89 |
| खेरखेड़ी | .. | 1,48 | .. | .. | 1,48 | 1,07,54 |
| खाम खरेली | .. | 40,92 | .. | .. | 40,92 | 76,24 |
| कुडीपार | .. | .. | .. | .. | .. | 1,11,51 |
| चिरकुटा गोदी | .. | 22,47 | .. | .. | 22,47 | 1,17,43 |
| ढोलन खापा | .. | 6,73 | .. | .. | 6,73 | 1,26,28 |
| हिरवा सेंडनेट | .. | 22,38 | .. | .. | 22,38 | 2,34,74 |
| जमलापानी | .. | .. | .. | .. | .. | 62,06 |
| खोरी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,22,41 |
| पलटवाड़ा | .. | .. | .. | .. | .. | 72,28 |
| भण्डार गोदी | .. | 9,27 | .. | .. | 9,27 | 1,33,99 |
| बीजेपानी | .. | 26,84 | .. | .. | 26,84 | 43,08 |
| पालामऊ | .. | 3,50 | .. | .. | 3,50 | 18,88 |
| चारगांव करवाल | .. | .. | .. | .. | .. | 17,61 |
| सिलोटा | .. | 19,06 | .. | .. | 19,06 | 1,10,84 |
| तिवड़ा कामदा | .. | 43,70 | .. | .. | 43,70 | 1,46,11 |
| दिलावर मोहगांव | .. | 23,88 | .. | .. | 23,88 | 2,00,76 |
| भाजीपानी खुर्द | .. | 48,68 | .. | .. | 48,68 | 2,63,94 |
| छोटी रंगीर | .. | .. | .. | .. | .. | 36,73 |
| परारिया | .. | 4,67 | .. | .. | 4,67 | 39,18 |
| केवलारी | .. | .. | .. | .. | .. | 49,05 |
| अपरचीपवद | .. | 70 | .. | .. | 70 | 1,91 |
| कटोले | .. | 3,25 | .. | .. | 3,25 | 4,98 |
| पांडीवाडा | .. | 40 | .. | .. | 40 | 2,05 |
| वाकल | .. | 1,24 | .. | .. | 1,24 | 2,86 |
| ठरका | .. | 98 | .. | .. | 98 | 3,85 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | योग | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 101-- सतही जल-- जारी | | | | | | |
| दलालनाला | .. | 3,54 | .. | .. | 3,54 | 6,40 |
| गुरैया | .. | .. | .. | .. | .. | 18 |
| वागला | .. | .. | .. | .. | .. | 17 |
| सरसावरी | .. | .. | .. | .. | .. | 5 |
| रामपुरी दाबफिट | .. | 12,49 | .. | .. | 12,49 | 96,44 |
| पिपलया | .. | .. | .. | .. | .. | 1,76 |
| समनापुर | .. | .. | .. | .. | .. | 10 |
| गड़रिया जलाशय | .. | 61 | .. | .. | 61 | 67,91 |
| गुर्रा | .. | 16,81 | .. | .. | 16,81 | 43,62 |
| गाडरवारा खेडा | .. | .. | .. | .. | .. | 18,99 |
| बगदरी तालाब | .. | 7,73 | .. | .. | 7,73 | 10,26 |
| नवलगांव तीनकाटा | .. | 22,53 | .. | .. | 22,53 | 1,86,75 |
| लिखड़ी | .. | 15,31 | .. | .. | 15,31 | 39,42 |
| वोहना नाला | .. | .. | .. | .. | .. | 1,39,65 |
| बम्हनीपुरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,96 |
| जमुनिया जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 34,19 |
| गंगाई जलाशय | .. | 5,37 | .. | .. | 5,37 | 50,15 |
| सिगोड़ी टोला जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 18,57 |
| पलामऊ तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,00,77 |
| झावरी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,35 |
| तिवड़ा कामथ | .. | .. | .. | .. | .. | 2,00 |
| भाजीपानी खुर्द | .. | .. | .. | .. | .. | 9,83 |
| बीजेपानी | .. | .. | .. | .. | .. | 22,06 |
| पडरिया राड | .. | .. | .. | .. | .. | 8 |
| साहबा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 10 |
| गामाखार तालाब | .. | 1,53 | .. | .. | 1,53 | 3,51 |
| रतनखेड़ी तालाब | .. | 13 | .. | .. | 13 | 2,50 |
| दाउद बसौदा तालाब | .. | 3,00 | .. | .. | 3,00 | 4,61 |
| रामपुर तालाब | .. | 2,06 | .. | .. | 2,06 | 10,27 |
| सुन्दरपुरा तालाब | .. | 3,32 | .. | .. | 3,32 | 8,04 |
| धनियाखेड़ी | .. | 5,17 | .. | .. | 5,17 | 58,42 |
| बजारी तालाब | .. | 2,66 | .. | .. | 2,66 | 76,01 |
| पिपलिया गोली | .. | 45,19 | .. | .. | 45,19 | 2,33,32 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 101-- सतही जल-- जारी | | | | | | |
| खुरियावे तालाब | .. | 31,86 | .. | .. | 31,86 | 45,63 |
| भागलिया तालाब | .. | 5,49 | .. | .. | 5,49 | 7,89 |
| सिप्टान डायवर्सन | .. | .. | .. | .. | .. | 3,48 |
| वागदा तालाब | .. | 3,42 | .. | .. | 3,42 | 7,43 |
| गुजाली नदी पर 8 वियर | .. | 2,40,58 | .. | .. | 2,40,58 | 3,86,04 |
| बखतुनी वियर | .. | .. | .. | .. | .. | 30 |
| हैमरिया | .. | .. | .. | .. | .. | 3,93 |
| कलिया खाँ तालाब | .. | 34 | .. | .. | 34 | 1,31 |
| नया भालोहैड़ा तालाब | .. | 71 | .. | .. | 71 | 93 |
| हनोती तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 40,00 |
| बीजानगरी तालाब | .. | 51,05 | .. | .. | 51,05 | 51,51 |
| कानाखेड़ी वरखड़ी तालाब | .. | 1,40,22 | .. | .. | 1,40,22 | 2,34,03 |
| विसनखेड़ी तालाब | .. | 5,00 | .. | .. | 5,00 | 62,32 |
| जोड़किया तालाब | .. | 20,67 | .. | .. | 20,67 | 67,38 |
| बगईमाता तालाब | .. | 7,00 | .. | .. | 7,00 | 17,47 |
| टेमला तालाब | .. | 25,50 | .. | .. | 25,50 | 1,44,69 |
| धिरहा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 11,98 |
| मोहरा | .. | 69 | .. | .. | 69 | 31,83 |
| राजापुर | .. | 12,89 | .. | .. | 12,89 | 26,10 |
| पीताम्बर गढ | .. | 31,32 | .. | .. | 31,32 | 37,58 |
| चकेरा | .. | .. | .. | .. | .. | 45 |
| चोरगढी | .. | .. | .. | .. | .. | 10 |
| बिजोरा | .. | .. | .. | .. | .. | 21,39 |
| गुरेहा नाला | .. | .. | .. | .. | .. | 1,52 |
| देवरा हटाई जलाशय | .. | 33,32 | .. | .. | 33,32 | 74,91 |
| अलीपुर | .. | .. | .. | .. | .. | 3 |
| सुखनाला जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 5,43 |
| विजयपुरा | .. | .. | .. | .. | .. | 1 |
| तिन्सीमारपानी जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,29,75 |
| बदौना जलाशय | .. | 15 | .. | .. | 15 | 38 |
| गढ़ोली जलाशय | .. | 1,97 | .. | .. | 1,97 | 11,65 |
| मैसा बियर मो. | .. | 41,87 | .. | .. | 41,87 | 44,44 |
| झिरिया जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 88 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 101-- सतही जल-- जारी | | | | | | |
| पासा जलाशय | .. | 2,43 | .. | .. | 2,43 | 5,50 |
| मढ़ा जलाशय | .. | 19,41 | .. | .. | 19,41 | 1,13,17 |
| सिग्रामपुर जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 4,24 |
| थानामेली जलाशय | .. | 47,57 | .. | .. | 47,57 | 58,10 |
| पतीमहाराज सिंग | .. | 14,50 | .. | .. | 14,50 | 14,92 |
| मगरई जलाशय | .. | 31,86 | .. | .. | 31,86 | 38,91 |
| करारिया जलाशय | .. | 2 | .. | .. | 2 | 9 |
| दैवहरि जलाशय | .. | 6,58 | .. | .. | 6,58 | 16,99 |
| झिरवा भगरिया जलाशय | .. | 22 | .. | .. | 22 | 5,56 |
| कुम्हारनाला जलाशय | .. | 1,25,59 | .. | .. | 1,25,59 | 1,49,07 |
| निम्ना जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 27,23 |
| इच्छादेवी जलाशय | .. | 85,73 | .. | .. | 85,73 | 88,61 |
| मढी कानुनगो शादोरा | .. | .. | .. | .. | .. | 32,17 |
| नरसुखेड़ा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 19,22 |
| कोवा एडीशनल | .. | 4 | .. | .. | 4 | 6,67 |
| करान डायवर्सन | .. | .. | .. | .. | .. | 83,09 |
| प्यासी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,09 |
| सोनद स्टाप डैम | .. | .. | .. | .. | .. | 6,50 |
| काकड़ा स्टाप डैम | .. | .. | .. | .. | .. | 24 |
| शाहपुर ध्यानपुर | .. | .. | .. | .. | .. | 5,17 |
| वमनावर | .. | .. | .. | .. | .. | 2 |
| ईमली थाना | .. | .. | .. | .. | .. | 2,34 |
| सोडिया जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 79,47 |
| खलला जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 76,14 |
| कवालिया जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 91,05 |
| सगारी जलाशय | .. | 43 | .. | .. | 43 | 19,83 |
| भाईखग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,65 |
| भीकापुर बैराज | .. | 33 | .. | .. | 33 | 1,10,47 |
| वुदासा तालाब | .. | 4 | .. | .. | 4 | 90 |
| विजा नगरी | .. | .. | .. | .. | .. | 16,78 |
| कानाखेड़ी बरखेड़ी | .. | .. | .. | .. | .. | 40,09 |
| वाजपा जायर | .. | 19,12 | .. | .. | 19,12 | 73,53 |
| विजना खेड़ी | .. | 3,01 | .. | .. | 3,01 | 6,43 |
| कोटरी तालाब | .. | 5,24 | .. | .. | 5,24 | 5,96 |
| खेजडिया | .. | 25,53 | .. | .. | 25,53 | 99,22 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 101-- सतही जल-- जारी | | | | | | |
| धामनिया तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 29,57 |
| मुगलिया कोट | .. | .. | .. | .. | .. | 5 |
| सतपोन तालाब | .. | 1,37,60 | .. | .. | 1,37,60 | 1,42,88 |
| गावाखेड़ी तालाब | .. | 22,44 | .. | .. | 22,44 | 1,26,09 |
| टिटोरिया तालाब | .. | 1,11,45 | .. | .. | 1,11,45 | 1,54,62 |
| वलोदा करोना तालाब | .. | 4,46 | .. | .. | 4,46 | 4,90 |
| कमेरी तालाब | .. | 1,64,89 | .. | .. | 1,64,89 | 1,64,95 |
| पलादरी तालाब | .. | 85 | .. | .. | 85 | 96 |
| सखनी जागीर | .. | 48,40 | .. | .. | 48,40 | 88,76 |
| इडोको तालाब | .. | 14,83 | .. | .. | 14,83 | 15,14 |
| जालखेड़ी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 20 |
| पिपलोडा लालगंज तालाब | .. | 70,10 | .. | .. | 70,10 | 1,10,40 |
| कवारपुरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 2,73 |
| कचलिया तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,30 |
| केलाशपुरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 8 |
| श्रीनगर तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 5 |
| पनवाड़ी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 5 |
| वोसगांव तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 17,18 |
| पिपलिया खात | .. | .. | .. | .. | .. | 2,79,02 |
| रुलेका तालाब | .. | 37,55 | .. | .. | 37,55 | 1,72,95 |
| नीमखेड़ा तालाब | .. | 1,30,00 | .. | .. | 1,30,00 | 2,96,23 |
| बमसी तालाब | .. | 46,61 | .. | .. | 46,61 | 98,84 |
| हिम्मतपुर तालाब | .. | 18,29 | .. | .. | 18,29 | 28,12 |
| झारखंड गोवा एल.टी.एस | .. | 8,96 | .. | .. | 8,96 | 83,36 |
| कालापीपल तालाब | .. | 30,57 | .. | .. | 30,57 | 94,00 |
| हलीयाखेड़ी तालाब | .. | 10,95 | .. | .. | 10,95 | 19,08 |
| पचापुरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 10,26 |
| झारखेड़ा तालाब | .. | 2,15 | .. | .. | 2,15 | 12,35 |
| कावता तालाब | .. | 36,24 | .. | .. | 36,24 | 55,45 |
| पराबाली तालाब | .. | 84,60 | .. | .. | 84,60 | 4,50,04 |
| लेडी तालाब | .. | 4,57 | .. | .. | 4,57 | 79,03 |
| सजनी तालाब | .. | 2,73,79 | .. | .. | 2,73,79 | 2,73,79 |
| रामपुरा मनमोडिया | .. | 38,56 | .. | .. | 38,56 | 38,56 |
| थूबोन अशोकनगर | .. | 34,82 | .. | .. | 34,82 | 34,82 |
| जमूडी | .. | 87 | .. | .. | 87 | 87 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (पूजीगत लेखा)-- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूजीगत परिव्यय--जारी | | | | | |
| 101-- सतही जल-- जारी | | | | | |
| बाकाखेड़ी दुग्ध | .. | 1,47,34 | .. | .. | 1,47,34 |
| अवंतीपुर बडोडिया | .. | 36,48 | .. | .. | 36,48 |
| खजूरिया मकोड़ी | .. | 8,48 | .. | .. | 8,48 |
| जेंदा तालाब | .. | 8,20 | .. | .. | 8,20 |
| कालापीपल | .. | 25,05 | .. | .. | 25,05 |
| पेपलिया | .. | 20,00 | .. | .. | 20,00 |
| भुकमई जलाशय | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| भयाना मुदखी | .. | 23,84 | .. | .. | 23,84 |
| पेपलिया खल | .. | 3,96,09 | .. | .. | 3,96,09 |
| जूना पानी | .. | 1,52,01 | .. | .. | 1,52,01 |
| डाबिया गोविन्द | .. | 43 | .. | .. | 43 |
| डोंगर गाँव इन्दौर | .. | 1,07,39 | .. | .. | 1,07,39 |
| खेरेला | .. | 49,02 | .. | .. | 49,02 |
| रामनगर | .. | 6,30 | .. | .. | 6,30 |
| हाडोखां | .. | 1,48 | .. | .. | 1,48 |
| जालखेडी | .. | 51,72 | .. | .. | 51,72 |
| वासगोन | .. | 14,04 | .. | .. | 14,04 |
| पनवाडी | .. | 53,05 | .. | .. | 53,05 |
| भाऊखेडा तालाब | .. | 1,45,19 | .. | .. | 1,45,19 |
| कांदराबाद | .. | 6,03 | .. | .. | 6,03 |
| देवली बैराज | .. | 6,97 | .. | .. | 6,97 |
| भीमपुर | .. | 5,73 | .. | .. | 5,73 |
| सेमली कला | .. | 2,24 | .. | .. | 2,24 |
| गनाखेडा | .. | 2,18 | .. | .. | 2,18 |
| घाट पलासी | .. | 11,33 | .. | .. | 11,33 |
| पारागढ़ शिवपुरी | .. | 2,21 | .. | .. | 2,21 |
| उमरीकला | .. | 3 | .. | .. | 3 |
| लोडिया दाह | .. | 5 | .. | .. | 5 |
| पारसेन तालाब (ग्वालियर) | .. | 36,25 | .. | .. | 36,25 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | |
| 101-- सतही जल-- जारी | | | | | |
| करई पाटई | .. | 34,80 | .. | .. | 34,80 |
| बरका गाँव | .. | 8,81 | .. | .. | 8,81 |
| ढीबेल तालाब | .. | 21,58 | .. | .. | 21,58 |
| मेहन्दी | .. | 12,49 | .. | .. | 12,49 |
| माण्डवी | .. | 1,27 | .. | .. | 1,27 |
| तम्बोलिया | .. | 1,98 | .. | .. | 1,98 |
| बुगालिया तालाब | .. | 26 | .. | .. | 26 |
| सोमिया | .. | 6 | .. | .. | 6 |
| चौसला | .. | 1,86 | .. | .. | 1,86 |
| जूरा तालाब | .. | 32 | .. | .. | 32 |
| पतनारी तालाब | .. | 34 | .. | .. | 34 |
| कटुआवन तालाब | .. | 24 | .. | .. | 24 |
| गोवर्धा तालाब | .. | 24 | .. | .. | 24 |
| अगरौठा | .. | 26,99 | .. | .. | 26,99 |
| कदौहा | .. | 1,19 | .. | .. | 1,19 |
| वक्सवाहा | .. | 15 | .. | .. | 15 |
| देवपुर | .. | 17 | .. | .. | 17 |
| सुनवाराह | .. | 8 | .. | .. | 8 |
| जुझार धारकाजबे | .. | 22 | .. | .. | 22 |
| साखा | .. | 2,67 | .. | .. | 2,67 |
| करई पाटई | .. | 7,10 | .. | .. | 7,10 |
| बिलगौना बैराज | .. | 7,11 | .. | .. | 7,11 |
| मोहम्मदगढ़ | .. | 12 | .. | .. | 12 |
| केमोरा बैराज | .. | 51,16 | .. | .. | 51,16 |
| चंपाखेड़ी | .. | 1,40 | .. | .. | 1,40 |
| सीका | .. | 20 | .. | .. | 20 |
| लशकरपुर | .. | 10 | .. | .. | 10 |
| घोट पिपलिया | .. | 77,67 | .. | .. | 77,67 |
| लोअर संग्रामपुर | .. | 26,24 | .. | .. | 26,24 |
| मंझगवा बैराज | .. | 1,82,90 | .. | .. | 1,82,90 |
| सिमाकुण्ड | .. | 1,51,27 | .. | .. | 1,51,27 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय | |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|------------------------|---------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | योग |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 101-- सतही जल-- जारी | | | | | | |
| बोहर तालाब | .. | 3,90 | .. | .. | 3,90 | 3,90 |
| खमरिया निमावर | .. | 5,18 | .. | .. | 5,18 | 5,18 |
| सागर तालाब | .. | 39,70 | .. | .. | 39,70 | 39,70 |
| बकानिया नाला | .. | 2,78 | .. | .. | 2,78 | 2,78 |
| अमौदा | .. | 3,25 | .. | .. | 3,25 | 3,25 |
| रावतपुरा | .. | 4 | .. | .. | 4 | 4 |
| अलहेड तालाब | .. | 43 | .. | .. | 43 | 43 |
| ब्रह्माजी नदी पर 8 स्टाप डेम | .. | 3,89 | .. | .. | 3,89 | 3,89 |
| गम्भीर नदी पर स्टाप डेम | .. | 17,22 | .. | .. | 17,22 | 17,22 |
| तिलसोई नदी पर 5 स्टाप डेम | .. | 71,92 | .. | .. | 71,92 | 71,92 |
| कीटखेड़ी | .. | 10,29 | .. | .. | 10,29 | 10,29 |
| पाहुजा नदी बैराज | .. | 91,82 | .. | .. | 91,82 | 91,82 |
| शाहबाद तिलेदी | .. | 8,02 | .. | .. | 8,02 | 8,02 |
| नयापुरा | .. | 24,92 | .. | .. | 24,92 | 24,92 |
| खैरासी | .. | 27,53 | .. | .. | 27,53 | 27,53 |
| अताई खेड़ा | .. | 1,34,97 | .. | .. | 1,34,97 | 1,34,97 |
| गोकुलपुरा | .. | 2,48,26 | .. | .. | 2,48,26 | 2,48,26 |
| सूरजपुर | .. | 1,49,08 | .. | .. | 1,49,08 | 1,49,08 |
| केवटपुरा | .. | 1,11,99 | .. | .. | 1,11,99 | 1,11,99 |
| कलालपुरा | .. | 89,55 | .. | .. | 89,55 | 89,55 |
| बडलावदा | .. | 1,51,15 | .. | .. | 1,51,15 | 1,51,15 |
| वासखेड़ी | .. | 29,58 | .. | .. | 29,58 | 29,58 |
| पाडलिया | .. | 2,78,33 | .. | .. | 2,78,33 | 2,78,33 |
| कानबे | .. | 4,85 | .. | .. | 4,85 | 4,85 |
| रघुनाथपुरा | .. | 2,11 | .. | .. | 2,11 | 2,11 |
| कुकरा | .. | 2,52,32 | .. | .. | 2,52,32 | 2,52,32 |
| मकनापुर | .. | 62,48 | .. | .. | 62,48 | 62,48 |
| ऊँचाखेड़ा | .. | 87,10 | .. | .. | 87,10 | 87,10 |
| बरखन्दा | .. | 2,16,85 | .. | .. | 2,16,85 | 2,16,85 |
| गोमाई नदी परियोजना | .. | 22,66 | .. | .. | 22,66 | 22,66 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| (हजार रुपये में) | | | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 101-- सतही जल-- समाप्त | | | | | | |
| नन्दगाँव | .. | 45,35 | .. | .. | 45,35 | 45,35 |
| रंजूर | .. | 70,78 | .. | .. | 70,78 | 70,78 |
| कुन्दन नदी पर -कृसलावद | .. | 3,84,56 | .. | .. | 3,84,56 | 3,84,56 |
| शिवना | .. | 69,07 | .. | .. | 69,07 | 69,07 |
| वामनखेड़ी | .. | 1,16,80 | .. | .. | 1,16,80 | 1,16,80 |
| मैलानी तालाब | .. | 32,73 | .. | .. | 32,73 | 32,73 |
| समधन | .. | 73,35 | .. | .. | 73,35 | 73,35 |
| कचौरा | .. | 92,48 | .. | .. | 92,48 | 92,48 |
| बराना | .. | 1,31,36 | .. | .. | 1,31,36 | 1,31,36 |
| कनौरा | .. | 1,30,70 | .. | .. | 1,30,70 | 1,30,70 |
| नईबांधी | .. | 1,14,66 | .. | .. | 1,14,66 | 1,14,66 |
| पवैरैया | .. | 1,00,28 | .. | .. | 1,00,28 | 1,00,28 |
| कुसमी | .. | 1,07,47 | .. | .. | 1,07,47 | 1,07,47 |
| भैसवाही | .. | 3,70 | .. | .. | 3,70 | 3,70 |
| बिरुहली | .. | 2,83 | .. | .. | 2,83 | 2,83 |
| कैना उजियारपुर | .. | 3,60 | .. | .. | 3,60 | 3,60 |
| नयाटोला | .. | 2,57 | .. | .. | 2,57 | 2,57 |
| बरही | .. | 14,35 | .. | .. | 14,35 | 14,35 |
| धरमपुरा | .. | 3,41 | .. | .. | 3,41 | 3,41 |
| पहारुआ | .. | 12,58 | .. | .. | 12,58 | 12,58 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | 1,64,50,63 | .. | .. | 1,64,50,63 | 6,22,90,32 |
| | | | | | | 2,32,03,34 |
| योग--101 | .. | 2,79,39,21 | .. | .. | 2,79,39,21 | 14,93,29,72 |
| | | | | | | 4,09,21,15 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 102--भूजल-- | | | | | | |
| होशंगाबाद एवं नरसिंहपुर जिलों में नलकूपों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 14,43,16 |
| छिद्रण एवं विस्फोट से कुएं गहरे करना | .. | .. | .. | .. | .. | 2,75,65 |
| 90 गहरे नलकूपों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 4,10,95 |
| 62 जमा नलकूपों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 72,58 |
| मध्यप्रदेश उद्वहन सिंचाई निगम, भोपाल में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 5,85,83 |
| 1000 उथले नलकूपों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 25,73,47 |
| सिंचाई, भूमि संरक्षण तथा क्षेत्र विकास (अनुरक्षण एवं मरम्मत) | .. | .. | .. | .. | .. | 56,50 |
| ग्वालियर में नलकूप का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,12,68 |
| जंबलपुर में नलकूप का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 7,46,92 |
| अन्य परियोजनाएं, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत की | .. | 2,57,99 | .. | .. | 2,57,99 | 21,08,15 |
| योग--102 | .. | 2,57,99 | .. | .. | 2,57,99 | 44,10,91 |
| | | | | | | 5,71,26,04 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-- | | | | | | |
| बेंदूला नाला परियोजना का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 3,26,04 |
| जूनापानी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,76,61 |
| धुरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,70,52 |
| बगला तालाब, उज्जैन | .. | .. | .. | .. | .. | 2,17,35 |
| बरखेड़ा बरामद तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 3,37,33 |
| बांदा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 2,15,79 |
| रामपुरिया तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,13,13 |
| कहिजरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 80,65 |
| पांडा जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 95,94 |
| अपर चांदिया | .. | 70,78 | .. | .. | 70,78 | 88,91 |
| कालिया | .. | 4,33 | .. | .. | 4,33 | 10,43 |
| पारसिन | .. | .. | .. | .. | .. | 43,15 |
| चनारी | .. | .. | .. | .. | .. | 30,73 |
| तोलन खापा | .. | .. | .. | .. | .. | 9,92 |
| हिरवा सेडनेट | .. | .. | .. | .. | .. | 29,24 |
| जमलापानी | .. | .. | .. | .. | .. | 19,56 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|----------|---|--------------------------|----------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना--समाप्त | | | | | | |
| खोरी जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 53,25 |
| भण्डारगोदी | .. | .. | .. | .. | .. | 15,51 |
| बीजेपानी | .. | .. | .. | .. | .. | 35,70 |
| पालामऊ | .. | .. | .. | .. | .. | 20,45 |
| चारगांव करवाल | .. | .. | .. | .. | .. | 87 |
| सिलोटा जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 31,54 |
| तिवड़ा कामथ | .. | .. | .. | .. | .. | 98,98 |
| दिलावर मोहगांव | .. | .. | .. | .. | .. | 26,58 |
| भाजीपानी खुर्द | .. | .. | .. | .. | .. | 1,12,02 |
| बोरखेड़ा बरामद | .. | .. | .. | .. | .. | 4,28 |
| अन्य निर्माण कार्य | .. | 20,11,54 | .. | .. | 20,11,54 | 1,01,18,95 |
| | | | | | | 5,68,17 |
| योग--789 | .. | 20,86,65 | .. | .. | 20,86,65 | 1,24,83,43 |
| | | | | | | 5,68,17 |
| 794--जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष | | | | | | |
| केन्द्रीय सहायता- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30,94 |
| | | | | | | 9,01,40 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | | | | | | |
| बैगा पिपड़िया | .. | 1,06,45 | .. | .. | 1,06,45 | 1,39,38 |
| बाम होड़ी | .. | 1,24 | .. | .. | 1,24 | 4,17,42 |
| माहीगांव तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 4,07,81 |
| भैंसाटोरी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 7,18,46 |
| झिरी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,20,77 |
| वानुजखेड़ी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,32,95 |
| नाहरखेड़ी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 3,34,81 |
| जीतू ठाना | .. | .. | .. | .. | .. | 1,41,20 |
| जलियापानी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 5,41,06 |
| जामापाटी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,73,25 |
| डोकरवानी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,39,82 |
| कलपोंडा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 72,22 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना--जारी | | | | | | |
| बड़ी बाबड़ी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,07,63 |
| दौलतपुर तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,01,98 |
| रुपगढ़ तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 3,85,43 |
| इंदिरा गांधी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 4,01,74 |
| कारम व्यपवर्तन | .. | .. | .. | .. | .. | 4,37,79 |
| मान सरोवर तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 5,51,88 |
| फुलेदी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 2,60,40 |
| ग्वारा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 2,13,57 |
| लालपुर तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 82,01 |
| डुगरिया तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,44,25 |
| मालीवाड़ा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 45,07 |
| कधारी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,74,49 |
| जुझारी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,05,67 |
| मटगांव तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,13,18 |
| जतरनाला तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,91,92 |
| चखला तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 3,70,97 |
| घुटना तालाब | .. | 3 | .. | .. | 3 | 48,04 |
| अटरिया तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,88,20 |
| राजडोंगरी | .. | 27,66 | .. | .. | 27,66 | 2,83,87 |
| धनौरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,29,12 |
| बंधन तालाब | .. | 1,03,26 | .. | .. | 1,03,26 | 1,28,35 |
| कुटमेली तालाब | .. | 4,17 | .. | .. | 4,17 | 1,36,00 |
| खैरी पेका तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,36,92 |
| सिलवानी तालाब | .. | 26,49 | .. | .. | 26,49 | 83,67 |
| बरधा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 25,34 |
| शिवसागर तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 5,96,69 |
| बंसपुरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,25,04 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)--जारी | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना--जारी | | | | | | |
| नवलपुरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 7,09,64 |
| गड़ी गलवार तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 13,93 |
| गोरखपुर तालाब | .. | 24,45 | .. | .. | 24,45 | 1,46,48 |
| मालवाधर तालाब | .. | 11,00 | .. | .. | 11,00 | 23,10 |
| लावर तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 45,88 |
| चिरवाली तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 17,29 |
| रछो तालाब | .. | 41,71 | .. | .. | 41,71 | 43,56 |
| घटका तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 29,89 |
| मनादेही तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 34,54 |
| नरगी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 90,22 |
| रामनगर तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,83,38 |
| किशनपुर तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 3,40 |
| चुटकीघर तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 78,67 |
| बरका तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,72,69 |
| लहसुना तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 91,67 |
| बसंतपुरा तालाब | .. | 4,57 | .. | .. | 4,57 | 2,61,20 |
| सेहरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,18,03 |
| सिमरिया तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 47,63 |
| झापी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 75,07 |
| मालहन तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,03,81 |
| पोंडी जेतगढ़ तालाब | .. | 99,60 | .. | .. | 99,60 | 3,48,96 |
| पहड़िया तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 10,07 |
| इमरती तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 5,88 |
| मुदरिया तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 10,24 |
| डोंगरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 8,69 |
| श्यामगिरी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 53,43 |
| छर्च तालाब (शिवपुरी) | .. | 59,49 | .. | .. | 59,49 | 4,22,16 |
| हरदुआ उद्वहन | .. | .. | .. | .. | .. | 88,06 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|--|-----------------------------|---------|---------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना--जारी | | | | | | |
| रगड़ गांव तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,27,49 |
| मोरई तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 73,99 |
| कलपुर तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 28,93 |
| डाबरी तालाब | .. | 10,96 | .. | .. | 10,96 | 14,98 |
| गलावती तालाब | .. | 1,51,01 | .. | .. | 1,51,01 | 14,81,55 |
| जूनापानी तालाब | .. | 4,92 | .. | .. | 4,92 | 2,51,19 |
| अम्बादंड तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,34,96 |
| नामदाद तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 50,59 |
| बिलीदाद तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,26,27 |
| छापरी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 92,42 |
| गोगड़ी तालाब | .. | 32,28 | .. | .. | 32,28 | 15,10,92 |
| अब्दुल्लापुरा तालाब | .. | 63,60 | .. | .. | 63,60 | 1,48,00 |
| उकाला तालाब | .. | 49 | .. | .. | 49 | 2,61 |
| जामुनझिरी तालाब-1 | .. | .. | .. | .. | .. | 53,07 |
| आमघाट तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 5,41 |
| किराडिया तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 2,16,55 |
| मदावती तालाब | .. | 1,03,14 | .. | .. | 1,03,14 | 9,83,01 |
| इमलाई तालाब | .. | 1 | .. | .. | 1 | 11,23 |
| सरोली जलाशय | .. | 22 | .. | .. | 22 | 73,18 |
| डोली तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,64,88 |
| हरी टिकुर तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 40 |
| पथरिया जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 44,47 |
| जूनेवानी | .. | .. | .. | .. | .. | 12,95 |
| मुर्गी टोला जलाशय | .. | 1,04,42 | .. | .. | 1,04,42 | 2,22,56 |
| कारी डोंगरी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,24,55 |
| सिलोटा जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 2,39 |
| पाथरखोक | .. | .. | .. | .. | .. | 1,99 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोगना--जारी | | | | | | |
| परमहंशी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,53,76 |
| स्वामी सागर तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 21,15 |
| लिधारी उद्वहन | .. | .. | .. | .. | .. | 22,36 |
| रालावती तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,00,00 |
| काल्दा | .. | .. | .. | .. | .. | 1,98,56 |
| रुपदी रुपदा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 42 |
| पिपल्या खुशाल तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,05,41 |
| उमरधाना तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 34,31 |
| बनखेड़ी ब्लॉक में 10 सफल नलकूप | .. | .. | .. | .. | .. | 6,66 |
| मानकपुरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 45 |
| सेमलखेड़ी तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 49 |
| होलीमल तालाब | .. | 2,15 | .. | .. | 2,15 | 1,52,32 |
| खारम जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 18,36 |
| मामदिया तालाब | .. | 45,25 | .. | .. | 45,25 | 1,53,08 |
| ढोखरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 47 |
| ताम्बेलिया तालाब | .. | 1,19,69 | .. | .. | 1,19,69 | 1,95,35 |
| चामपुरा तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,26 |
| बेड़िया तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 41 |
| दिलवारा तालाब | .. | 93,08 | .. | .. | 93,08 | 4,26,99 |
| किरमान तालाब | .. | 1,98,61 | .. | .. | 1,98,61 | 3,72,89 |
| शेरगढ़ तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 1,12,54 |
| जुमनिया जलाशय | .. | 1,01 | .. | .. | 1,01 | 87,91 |
| येरमा एल.आई.एस. | .. | .. | .. | .. | .. | 5,15 |
| रुमरिया जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 5,63 |
| कोपरिया तालाब | .. | .. | .. | .. | .. | 16 |
| पिटकोटी जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 72 |
| चेरईपानी जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 1,28,96 |
| मशीनी नाले में रॉक कटिंग कार्य | .. | .. | .. | .. | .. | 87 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना--जारी | | | | | |
| कश्मीरी नाला | .. | .. | .. | .. | 1,82 |
| लुद जलाशय | .. | 51,36 | .. | .. | 2,19,02 |
| कोलपुर तालाब | .. | .. | .. | .. | 17,05 |
| बरगी जलाशय | .. | .. | .. | .. | 93,02 |
| मदिया गोद तालाब | .. | .. | .. | .. | 22,22 |
| सलैया तालाब | .. | .. | .. | .. | 55,27 |
| महासजपुर तालाब | .. | .. | .. | .. | 17,56 |
| पटना तालाब | .. | .. | .. | .. | 27,17 |
| चरखारी तालाब | .. | .. | .. | .. | 8,54 |
| पाथरपानी तालाब | .. | .. | .. | .. | 92 |
| कीट तालाब | .. | .. | .. | .. | 1,10 |
| मिठोरी तालाब | .. | .. | .. | .. | 12,05 |
| हरदी तालाब | .. | .. | .. | .. | 25,68 |
| देवरी यू.एस.ओ. | .. | .. | .. | .. | 50 |
| वरदा उद्वहन | .. | .. | .. | .. | 46,91 |
| निशाना जलाशय | .. | .. | .. | .. | 36,14 |
| मोर डोंगरी तालाब | .. | .. | .. | .. | 3,34 |
| गुनघाटी तालाब | .. | .. | .. | .. | 29,66 |
| हाथी कुंड तालाब | .. | .. | .. | .. | 25,58 |
| खानी अम्बा तालाब | .. | .. | .. | .. | 14,40 |
| आसार कुंड तालाब | .. | .. | .. | .. | 3,74 |
| पद्दी कोना तालाब | .. | .. | .. | .. | 42 |
| मान मोदिया तालाब | .. | .. | .. | .. | 2,10 |
| संतापुर तालाब | .. | 4,53 | .. | .. | 4,53 |
| गोरिया खेड़ी | .. | 78,66 | .. | .. | 78,66 |
| गुलारदाना | .. | .. | .. | .. | 65,11 |
| कलमोदा | .. | .. | .. | .. | 12 |
| उरका उद्वहन | .. | 7,57 | .. | .. | 7,57 |
| | | | | | 77,80 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| (हजार रुपये में) | | | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना--जारी | | | | | | |
| सियारिया | .. | .. | .. | .. | .. | 30,29 |
| कहारी | .. | .. | .. | .. | .. | 71,54 |
| लुद | .. | .. | .. | .. | .. | 88 |
| इनारकुंड | .. | .. | .. | .. | .. | 18,65 |
| उदार | .. | 61,24 | .. | .. | 61,24 | 63,26 |
| जवा डोंगरी | .. | 2,16 | .. | .. | 2,16 | 3,58 |
| खारगहना | .. | 1,83 | .. | .. | 1,83 | 6,02 |
| भगवान | .. | 7,23 | .. | .. | 7,23 | 7,93 |
| केवलारी | .. | 26,89 | .. | .. | 26,89 | 27,78 |
| सरई | .. | 2,34 | .. | .. | 2,34 | 3,26 |
| सिल्हाटी | .. | 69 | .. | .. | 69 | 89 |
| करोँदा | .. | 81,35 | .. | .. | 81,35 | 81,58 |
| बिलाईखार | .. | 50,47 | .. | .. | 50,47 | 50,64 |
| कवेली | .. | .. | .. | .. | .. | 1,95 |
| गाय मुख | .. | 6,50 | .. | .. | 6,50 | 7,66 |
| बापू टोला | .. | .. | .. | .. | .. | 1,58 |
| पडरी खापा | .. | 60,04 | .. | .. | 60,04 | 1,93,13 |
| कोकन पिपरिया | .. | 80,69 | .. | .. | 80,69 | 2,47,38 |
| बंजर टोला | .. | 66,97 | .. | .. | 66,97 | 1,50,30 |
| डुगरिया जलाशय | .. | 61 | .. | .. | 61 | 7,98 |
| कुण्डा जलाशय | .. | 95 | .. | .. | 95 | 36,12 |
| बम्हणी जलाशय | .. | 1,96 | .. | .. | 1,96 | 33,21 |
| दनदना जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 10,74 |
| विलावर काला जलाशय | .. | 29 | .. | .. | 29 | 2,87 |
| पीपर ताल | .. | .. | .. | .. | .. | 83,43 |
| डोगल्या पानी तालाब | .. | 5,74 | .. | .. | 5,74 | 24,85 |
| हंसापुर जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 2,79 |
| खनीअरवा | .. | 1,06,57 | .. | .. | 1,06,57 | 1,90,24 |
| हरदी तालाब | .. | 6,03 | .. | .. | 6,03 | 10,78 |
| बिनेका जलाशय | .. | .. | .. | .. | .. | 7,57 |
| बधंवा जलाशय | .. | 15,14 | .. | .. | 15,14 | 1,25,70 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | व्यय के दौरान व्यय | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय | |
|--|--------------------|---------|-----|------------------------|---|
| | योजनेतर | योजनागत | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोगना--जारी | | | | | |
| बधवाटोला जलाशय | .. | 1,32,38 | .. | 1,32,38 | 1,38,11 |
| किशनपुरा तालाब | .. | 56,58 | .. | 56,58 | 57,24 |
| जानेलपुर जलाशय | .. | .. | .. | .. | 72 |
| लखनपुर जलाशय | .. | .. | .. | .. | 5,78 |
| करपा जलाशय | .. | .. | .. | .. | 8,92 |
| पिचरवाही जलाशय | .. | .. | .. | .. | 8,39 |
| नानघाटी जलाशय | .. | .. | .. | .. | 13,10 |
| चुलियाकाट जलाशय | .. | .. | .. | .. | 15,48 |
| घुलकारी जलाशय | .. | .. | .. | .. | 4,00 |
| पाली तालाब | .. | .. | .. | .. | 4,66 |
| लडियाखेड़ी तालाब | .. | .. | .. | .. | 5,07 |
| मनकपुरा तालाब | .. | .. | .. | .. | 1,01 |
| पाताल पानी | .. | 6,26 | .. | 6,26 | 6,61 |
| पीसनहरी की टोकरी | .. | 22,85 | .. | 22,85 | 36,66 |
| डेहरी त्रिवेणी तालाब | .. | 1,89,98 | .. | 1,89,98 | 7,87,36 |
| गढ़ावारिया | .. | 5,16 | .. | 5,16 | 5,16 |
| सेमलखेड़ा | .. | 22,36 | .. | 22,36 | 22,36 |
| माकनपुरा | .. | 14 | .. | 14 | 14 |
| गेहरो | .. | 14 | .. | 14 | 14 |
| बरगवा | .. | 10 | .. | 10 | 10 |
| पडमानिया | .. | 29,11 | .. | 29,11 | 29,11 |
| करही | .. | 62,31 | .. | 62,31 | 62,31 |
| जमुनिया | .. | 19 | .. | 19 | 19 |
| मोहतरा | .. | 52 | .. | 52 | 52 |
| मगरेहता | .. | 9,35 | .. | 9,35 | 9,35 |
| जुझारी कलहैया | .. | 22,35 | .. | 22,35 | 22,35 |
| उंचेहरा | .. | 2,35 | .. | 2,35 | 2,35 |
| पटीखुर्द | .. | 4,17 | .. | 4,17 | 4,17 |
| खम्हरिया | .. | 2,21 | .. | 2,21 | 2,21 |
| जामुन चुआ | .. | 10,84 | .. | 10,84 | 10,84 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय | |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|------------------------|---------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना--जारी | | | | | | |
| गोरा | .. | 2,21 | .. | .. | 2,21 | 2,21 |
| चुल्हियावार तालाब | .. | 9,27 | .. | .. | 9,27 | 9,27 |
| कोलका तालाब | .. | 1,90 | .. | .. | 1,90 | 1,90 |
| पालाडोगरी तालाब | .. | 2,06 | .. | .. | 2,06 | 2,06 |
| गोदी | .. | 2,06 | .. | .. | 2,06 | 2,06 |
| मसनी नाला | .. | 58 | .. | .. | 58 | 58 |
| पचामा | .. | 82 | .. | .. | 82 | 82 |
| काटेगांव | .. | 1,32 | .. | .. | 1,32 | 1,32 |
| तिन्सा | .. | 1,07 | .. | .. | 1,07 | 1,07 |
| भजिया तालाब | .. | 79 | .. | .. | 79 | 79 |
| खाम खेरली | .. | 65,87 | .. | .. | 65,87 | 65,87 |
| आलोद | .. | 46 | .. | .. | 46 | 46 |
| मेहगांव | .. | 54 | .. | .. | 54 | 54 |
| डोम (डोभी) | .. | 5 | .. | .. | 5 | 5 |
| डोगरखाया तालाब | .. | 2,08 | .. | .. | 2,08 | 2,08 |
| पापडा | .. | 94,63 | .. | .. | 94,63 | 94,63 |
| हरस दिवारी | .. | 1,51,21 | .. | .. | 1,51,21 | 1,51,21 |
| कागला | .. | 5,54,90 | .. | .. | 5,54,90 | 5,54,90 |
| पीपलखेडा | .. | 1,60 | .. | .. | 1,60 | 1,60 |
| जलगोन | .. | 1,31 | .. | .. | 1,31 | 1,31 |
| छोटा नागनबाडी | .. | 1,53 | .. | .. | 1,53 | 1,53 |
| डण्डीखली तालाब | .. | 36,87 | .. | .. | 36,87 | 36,87 |
| पटेल का नाका | .. | 1,20 | .. | .. | 1,20 | 1,20 |
| बेकल्दा | .. | 1,61 | .. | .. | 1,61 | 1,61 |
| पोखा | .. | 14,71 | .. | .. | 14,71 | 14,71 |
| खटाबला | .. | 1,08 | .. | .. | 1,08 | 1,08 |
| झिरी जामली | .. | 93,09 | .. | .. | 93,09 | 93,09 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|------------|---|--------------------------|------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय..समाप्त | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-- समाप्त | | | | | | |
| पिसनावल | .. | 1,83,09 | .. | .. | 1,83,09 | 1,83,09 |
| बडगांव | .. | 41,69 | .. | .. | 41,69 | 41,69 |
| हर्षनगर | .. | 39,34 | .. | .. | 39,34 | 39,34 |
| पलसिया पानी | .. | 54,82 | .. | .. | 54,82 | 54,82 |
| बुचा डुगरी | .. | 69,18 | .. | .. | 69,18 | 69,18 |
| बजरंग सागर | .. | 10,31 | .. | .. | 10,31 | 10,31 |
| अन्य निर्माण कार्य | .. | 1,14,55,95 | .. | .. | 1,14,55,95 | 4,40,23,01 |
| | | | | | | 6,66,55,35 |
| योग--796 | .. | 1,56,47,32 | .. | .. | 1,56,47,32 | 6,96,46,26 |
| | | | | | | 6,66,55,35 |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | 44,00 | .. | .. | 44,00 | 21,06,21 |
| | | | | | | 1,94,39,48 |
| योग--800 | .. | 44,00 | .. | .. | 44,00 | 21,06,21 |
| | | | | | | 1,94,39,48 |
| योग--4702 | .. | 4,59,75,17 | .. | .. | 4,59,75,17 | 23,80,07,47 |
| | | | | | | 18,56,11,59 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है ।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| 4705--कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-- | | | | | |
| कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम भोपाल में निवेश .. | .. | .. | .. | .. | 15,00 |
| मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम की अंशपूँजी में निवेश.. | .. | .. | .. | .. | 5,34,04 |
| 201-तवा परियोजना-- | | | | | |
| मैदानी जलमार्गों का निर्माण .. | .. | .. | .. | .. | 1,20,46 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के .. | .. | .. | .. | .. | 17,15 |
| योग-201 | .. | .. | .. | .. | 1,37,61 |
| 202-बारना हलाली आयकट-- | | | | | |
| मैदानी जलमार्गों का निर्माण .. | .. | .. | 33,69 | .. | 33,69 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के .. | .. | .. | .. | .. | 1,65,68 |
| योग-202 | .. | .. | 33,69 | .. | 33,69 |
| 203-अपर बैनगंगा आयकट-- | | | | | |
| मैदानी जलमार्गों का निर्माण .. | .. | .. | 8,98,17 | .. | 8,98,17 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के .. | .. | .. | .. | .. | 94,34 |
| योग-203 | .. | .. | 8,98,17 | .. | 8,98,17 |
| 205-ग्वालियर आयकट-- | | | | | |
| मैदानी जलमार्गों का निर्माण .. | .. | .. | 1,99,47 | .. | 1,99,47 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के .. | .. | .. | .. | .. | 2,55 |
| योग-205 | .. | .. | 1,99,47 | .. | 1,99,47 |
| 207-बरगी आयकट-- | | | | | |
| मैदानी जलमार्गों का निर्माण .. | .. | .. | 15,32 | .. | 15,32 |
| 208-चम्बल आयकट-- | | | | | |
| चम्बल आयकट में उथले नलकूपों का निर्माण .. | .. | .. | .. | .. | 7,97,59 |
| मैदानी जलमार्गों का निर्माण .. | .. | .. | .. | .. | 1,55,35 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के .. | .. | .. | .. | .. | 34,41,99 |
| योग-208 | .. | .. | .. | .. | 43,94,93 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | योग | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा--समाप्त | | | | | | |
| 4705--कमान क्षेत्र विकास पर पूँजीगत परिव्यय--समाप्त | | | | | | |
| 210-मध्यप्रदेश समन्वित योजना- | | | | | | |
| मैदानी जलमार्गों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 2,09 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोगना- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 24,55 |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 79 |
| योग--4705 | .. | .. | 11,46,65 | .. | 11,46,65 | 1,29,15,82 40,34 |
| 4711--बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 01--बाढ़ नियंत्रण-- | | | | | | |
| 103--सिविल निर्माण कार्य-- | | | | | | |
| बाढ़ नियंत्रण योजना, गुना | .. | .. | .. | .. | .. | 65,65 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपए और उससे कम लागत के | .. | 2,88,54 | .. | .. | 2,88,54 | 6,79,19 10,03,46 |
| 800--अन्य व्यय-- | | | | | | |
| स्वर्ण रेखा बाढ़ नियंत्रण योजना-II चरण | .. | 3,99,21 | .. | .. | 3,99,21 | 21,24,40 |
| सीहोर जिले की बाढ़ नियंत्रण योजना | .. | 54,48 | .. | .. | 54,48 | 2,12,10 |
| निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपए और उससे कम लागत के | .. | 5,22,71 | .. | .. | 5,22,71 | 14,11,63 7,58,76 |
| योग--4711 | .. | 12,64,94 | .. | .. | 12,64,94 | 44,92,97 17,62,22 |
| योग--(घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा | .. | 21,26,10,34 | 15,88,56 | .. | 21,41,98,90 | 1,47,47,54,12 32,06,65,90 |
| (ड.) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-- | | | | | | |
| 4801--बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 01--हाइड्रल उत्पादन -- | | | | | | |
| 001-- निदेशन तथा प्रशासन- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | 17,35 | .. | .. | 17,35 | 25,85 |
| निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 60,00 |
| 052--मशीनरी तथा उपस्कर- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | -31 ^(खा) |
| अधिग्रहीत भूमि पर व्यय | .. | .. | .. | .. | .. | -44,23 ^(खा) |
| बोधघाट परियोजना | .. | .. | .. | .. | .. | 8,02 |
| बाण सागर परियोजना द्वितीय चरण | .. | .. | .. | .. | .. | -3,97,55 ^(खा) |

(खा) मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।
ऋणात्मक शेष परीक्षाधीन हैं।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|----------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)-- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| (ड.) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| 4801--बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय--जारी | | | | | |
| 01--हाइड्रल उत्पादन --समाप्त | | | | | |
| सूक्ष्म जल विद्युत् योजनाओं का सर्वेक्षण | .. | .. | .. | .. | 32,55 |
| ओंकारेश्वर सूक्ष्म जल विद्युत् योजना | .. | .. | .. | .. | 10,02,16 |
| महेश्वर सूक्ष्म जल विद्युत् योजना | .. | 3,88,77 | .. | 3,88,77 | 16,93,38 |
| मोरंड एक्युडस्ट जल विद्युत् योजना | .. | .. | .. | .. | 12,41 |
| इंदिरा सागर परियोजना | .. | 9,00,89 | .. | 9,00,89 | -2,52,63,89(x) |
| सरदार सरोवर परियोजना | .. | .. | .. | .. | 16,19,87,35 |
| पेंच व्यपवर्तन | .. | .. | .. | .. | 12,46,09 |
| नर्मदा घाटी में उपलब्ध ऊर्जा क्षमता का दोहन | .. | 24,30,38 | .. | 24,30,38 | 50,40,78 |
| नर्मदा, क्षिप्रा एवं सोन नदियों में प्रदूषण की रोकथाम | .. | .. | .. | .. | 7,07,38,31 |
| नर्मदा सागर परियोजना | .. | .. | .. | .. | 9,33,00 |
| इंदिरा सागर परियोजना यूनिट I एवं III- एन.एच.डी.सी. की अंशपूंजी में निवेश | .. | .. | .. | .. | 6,60,00,00 |
| पर्यावरण कार्य योजना (जमा कार्य) | .. | 1,19,58 | .. | 1,19,58 | 28,04,53 |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-- | | | | | |
| विद्युत् आपूर्ति कम्पनियों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 13,19 |
| मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम भोपाल में निवेश | .. | .. | .. | .. | 68,92 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोगना- | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | 74,74 |
| | | | | | 17,56,73 |
| 800--अन्य व्यय-- | | | | | |
| राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम मर्यादित, नई दिल्ली में निवेश | .. | .. | .. | .. | 10,00 |
| नर्मदा घाटी के जल स्रोतों के विकास के लिये वृहद् परियोजनाओं का सर्वेक्षण | .. | .. | .. | .. | 4,07,47 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | 57,05 | .. | 57,05 | 1,00,02 |
| योग--01 | .. | 39,14,02 | .. | 39,14,02 | 28,64,72,36 |
| | | | | | 18,37,16 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

(X) ऋणात्मक शेष वर्ष 2004-05 में पूंजीगत लेखों में अधिक प्राप्तियों और वसूलियों के कारण है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | योग | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (ड.) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4801--बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 02--ताप विद्युत शक्ति उत्पादन-- | | | | | | |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | | |
| अमरकंटक थर्मल पावर विस्तार इकाई के लिये निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 58,67,00 |
| सतपुडा थर्मल पावर विस्तार इकाई के लिये निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 1,56,00,00 |
| मालवा थर्मल पावर परियोजना के लिये निवेश | .. | 64,61,00 | .. | .. | 64,61,00 | 1,99,80,00 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-- | | | | | | |
| बोध घाट परियोजना | .. | .. | .. | .. | .. | 14,15 |
| 797-- आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों से अंतरण | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | -1,69,26,00 |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 2,09 |
| योग--02 | .. | 64,61,00 | .. | .. | 64,61,00 | 2,45,35,15 |
| | | | | | | 2,09 |
| 05--संचरण एवं वितरण-- | | | | | | |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | | |
| म.प्र. विद्युत मंडल द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त परियोजना सहायता का भुगतान--निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 2,18,37,18 |
| कृषि संबंधी उपयोग हेतु स्वतंत्र फीडरों के प्रबंध के लिये निवेश | .. | 1,00,00,00 | .. | .. | 1,00,00,00 | 1,00,00,00 |
| उप-संचरण तथा वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण-निवेश | .. | 2,02,45,00 | .. | .. | 2,02,45,00 | 8,64,29,00 |
| राज्य सरकार द्वारा म.प्र. विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कम्पनियों में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 32,89,00,00 |
| म.प्र. विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती पारेषण प्रणाली कार्य हेतु निवेश | .. | 56,00,00 | .. | .. | 56,00,00 | 3,36,71,67 |
| मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित की अंशपूजी में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 20,00,00 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-- | | | | | | |
| उप संचरण तथा वितरण प्रणाली में वृद्धि-निवेश | .. | 36,27,00 | .. | .. | 36,27,00 | 77,07,00 |
| म.प्र.वि.म. की उत्तरवर्ती कंपनियों में संचरण प्रणाली कार्य के लिए निवेश | .. | 81,24,00 | .. | .. | 81,24,00 | 1,17,44,00 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-- | | | | | | |
| पारेषण सिस्टम कार्य हेतु निवेश | .. | 38,16,00 | .. | .. | 38,16,00 | 65,96,00 |
| उप पारेषण तथा वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण-निवेश | .. | 41,37,00 | .. | .. | 41,37,00 | 81,57,00 |
| 797--आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों से अन्तरण | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | -3,09,95,00 |
| योग--05 | .. | 5,55,49,00 | .. | .. | 5,55,49,00 | 48,60,46,85 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (ड.) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा--समाप्त | | | | | | |
| 4801--बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय--समाप्त | | | | | | |
| 06--ग्रामीण विद्युतीकरण-- | | | | | | |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-अन्य निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | -5,39,64,00 |
| | | | | | | 2,21,80,00 |
| अमरकंटक तापविद्युत गृह यूनिट क्र.5 के विस्तार हेतु निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 1,11,73,00 |
| ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को देय राशि के समायोजन हेतु म.प्र. राज्य विद्युत मंडल/उत्तरवर्तीय कंपनियों को सहायता--निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 1,00,02,00 |
| वीरसिंहपुर परियोजना के लिये निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 4,75,92,00 |
| योग--06 | .. | .. | .. | .. | .. | 1,48,03,00 |
| | | | | | | 2,21,80,00 |
| 80--सामान्य-- | | | | | | |
| 001--निदेशन तथा प्रशासन- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | 81,41 | .. | .. | 81,41 | 85,86 |
| | | | | | | 42,93 |
| 101--राज्य विद्युत मंडलों में निवेश-- | | | | | | |
| प्रत्याभूत कर्जों के समायोजन हेतु प्रावधान-निवेश | 1,60,00,00 | .. | .. | 1,60,00,00 | 13,71,95,39 | |
| अहलूवालिया कमेटी की सिफारिशों के अनुसार देयताओं के भुगतान के लिये बोर्ड को सहायता-निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 39,91,00 |
| योग--101 | 1,60,00,00 | .. | .. | 1,60,00,00 | 14,11,86,39 | |
| 800--अन्य व्यय-- | | | | | | |
| मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल की अंशपूँजी में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 10,00,00 |
| अन्य कार्य | .. | 86,95,60 | .. | .. | 86,95,60 | 6,06,43,79 |
| | | | | | | 62,16,25 |
| योग--800 | .. | 86,95,60 | .. | .. | 86,95,60 | 6,06,43,79 |
| | | | | | | 72,16,25 |
| योग-- 80 | 1,60,00,00 | 87,77,01 | .. | .. | 2,47,77,01 | 20,19,16,04 |
| | | | | | | 72,59,18 |
| योग--4801 | 1,60,00,00 | 7,47,01,03 | .. | .. | 9,07,01,03 | 1,01,37,73,40 |
| | | | | | | 3,12,78,43 |
| योग--(ड.) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा | 1,60,00,00 | 7,47,01,03 | .. | .. | 9,07,01,03 | 1,01,37,73,40 |
| | | | | | | 3,12,78,43 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (च)--उद्योग तथा खनिजों का पूँजीगत लेखा-- | | | | | | |
| 4851--ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 101--औद्योगिक क्षेत्र-- | | | | | | |
| औद्योगिक प्रक्षेत्र हेतु भूमि का अधिग्रहण और विकास तथा भवनों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 8,10,28 |
| औद्योगिक क्षेत्रों/संस्थानों में सड़कों, नालियों आदि का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 76,39,63 |
| इन्डो-जरमन औजार कक्ष की स्थापना | .. | .. | .. | .. | .. | 2,43,35 |
| ग्रामीण वर्क शोडों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 3,09,31 |
| इलेक्ट्रोनिक्स जांच और विकास केन्द्र में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 22,38,89 |
| सर्वेक्षण एवं सीमांकन -निवेश | .. | 3,71,44 | .. | .. | 3,71,44 | 14,00 |
| भूमि अधिग्रहण, सर्वेक्षण एवं सीमांकन | .. | 10,00 | .. | .. | 10,00 | 19,42,72 |
| अधोसंरचना विकास | .. | 3,41,76 | .. | .. | 3,41,76 | 22,02 |
| विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु भूमि का अधिग्रहण-निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 11,73,50 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपए और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 31,61,00 |
| योग--101 | .. | 7,23,20 | .. | .. | 7,23,20 | 10,00,53 |
| | | | | | | 22,97,07 |
| | | | | | | 83,53,40 |
| | | | | | | 1,24,98,90 |
| 102--लघु उद्योग-- | | | | | | |
| प्रोवीडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 33,94 |
| शासकीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 4,90 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपए और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 33,46,24 |
| योग--102 | .. | .. | .. | .. | .. | 89,60 |
| | | | | | | 5,74,27 |
| | | | | | | 1,28,44 |
| | | | | | | 39,20,51 |
| 103--हथकरघा उद्योग- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 18,13 |
| 104--हस्तशिल्प उद्योग- | | | | | | |
| मध्य प्रदेश एच.एस.वी. मुख्यालय भवन का विस्तार | .. | .. | .. | .. | .. | 11,00 |
| 105--खादी तथा ग्राम उद्योग-- | | | | | | |
| चमड़ा विकास निगम की अंशपूँजी में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 50,00 |
| 107--रेशम उत्पादन उद्योग-- | | | | | | |
| रेशम उद्योग | .. | .. | .. | .. | .. | 17,35 |
| सिल्क केन्द्रों पर सिंचाई सुविधायें एवं अन्य निर्माण कार्य | .. | 1,08,10 | .. | .. | 1,08,10 | 2,24,91 |
| सूचना प्रौद्योगिकी | .. | 5,94 | .. | .. | 5,94 | 2,93,95 |
| ई.आर.आई. सिल्क विकास एवं विस्तार | .. | .. | .. | .. | .. | 12,90 |
| मध्यप्रदेश सिल्क के वित्तीय आधार के सुदृढ़ीकरण में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 2,04,00 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 75,00 |
| | | | | | | 1,15,95 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|-------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (च)--उद्योग तथा खनिजों का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4851--ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 108--बिजली करघा उद्योग- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 39,75 |
| 109--संमिश्रण ग्राम तथा लघु उद्योग सहकारी समितियां- | | | | | | |
| औद्योगिक सहकारी संस्थानों में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 1,42,52 |
| | | | | | | 13,46,70 |
| अन्य निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 12,37 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपए और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 1,76 |
| | | | | | | 5,61,02 |
| योग--109 | .. | .. | .. | .. | .. | 1,56,65 |
| | | | | | | 19,07,72 |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-- | | | | | | |
| मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 35,00 |
| मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 55,00(ख) |
| योग--190 | .. | .. | .. | .. | .. | 90,00 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-- | | | | | | |
| मध्य प्रदेश चमड़ा विकास निगम में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 10,00 |
| औद्योगिक सहकारिताओं में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 47 |
| हथकरघा सहकारिताओं में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 2,05 |
| | | | | | | 4,04 |
| रेशम उद्योगों हेतु विकास कार्य | .. | 16,21 | .. | .. | 16,21 | 1,98,49 |
| | | | | | | 52,93 |
| सहकारी समिति को अनुदान | .. | .. | .. | .. | .. | 2,86 |
| | | | | | | 13,20 |
| अन्य योजनाएं प्रत्येक एक करोड़ रुपये एवं कम लागत की | .. | .. | .. | .. | .. | 6,05 |
| | | | | | | 31,17 |
| योग--789 | .. | 16,21 | .. | .. | 16,21 | 2,09,45 |
| | | | | | | 1,11,81 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-- | | | | | | |
| शासकीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 1,55 |
| | | | | | | 5,21,31 |
| रेशम संघ में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 1,35,00 |
| औद्योगिक क्षेत्रों/प्रक्षेत्रों में सड़कों का निर्माण एवं विकास कार्य | .. | .. | .. | .. | .. | 12,65,51 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपए और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 5,21,10 |
| योग--796 | .. | .. | .. | .. | .. | 1,55 |
| | | | | | | 24,42,92 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

(ख) पृष्ठ 299 पर पाद टिप्पणी (ख) देखें।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (च)--उद्योग तथा खनिजों का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4851--ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-समाप्त | | | | | | |
| 800--अन्य व्यय-- | .. | .. | .. | .. | .. | 13,08 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | | | | | | 1,74,10 |
| योग--4851 | .. | 8,53,45 | .. | .. | 8,53,45 | 95,35,85 |
| | | | | | | 2,15,35,62 |
| 4852--लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 01--खनन-- | | | | | | |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | | |
| टाटा लोहा एवं स्टील कम्पनी मर्यादित, बम्बई में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 35,04 |
| योग--4852 | .. | .. | .. | .. | .. | 35,04 |
| 4853--अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 01--खनिज अन्वेषण तथा विकास-- | | | | | | |
| 004--अनुसंधान तथा विकास- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 55,33 |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश- | | | | | | |
| अन्य निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 12,58 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-- | | | | | | |
| लोक उपक्रमों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 4 |
| अन्य निर्माण कार्य | .. | .. | .. | .. | .. | 39 |
| 800--अन्य व्यय- | .. | .. | .. | .. | .. | 18,09 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 18,09 |
| योग--01 | .. | .. | .. | .. | .. | 86,43 |
| 02--अलौह धातु-- | | | | | | |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश -- | | | | | | |
| मैंगनीज एवं अन्य अलौह धातु उद्योगों में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 1,51,65(क) |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | | |
| सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य | .. | 4,76 | .. | .. | 4,76 | 19,30 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 1,03,25 |
| | | | | | | 59,35 |
| योग--02 | .. | 4,76 | .. | .. | 4,76 | 1,22,55 |
| | | | | | | 2,11,00 |

मोटे अंक एकिकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

(क) पृष्ठ 297 पर पाद टिप्पणी (क) देखें।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (च)--उद्योग तथा खनिजों का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4853--अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय--समाप्त | | | | | | |
| 60--अन्य खनन तथा धातु कर्म उद्योग-- | | | | | | |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-- | | | | | | (क) |
| राज्य खनिज निगम में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 51,98 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-- | | | | | | (क) |
| राज्य खनिज निगम में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 1,52,84 |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 16,45 |
| योग--60 | .. | .. | .. | .. | .. | 2,21,27 |
| योग--4853 | .. | 4,76 | .. | .. | 4,76 | 1,22,55 |
| | | | | | | 5,18,70 |
| 4854--सीमेंट तथा धातु रहित खनिज उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 01--सीमेंट-- | | | | | | |
| 190-- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-- | | | | | | |
| सीमेंट उत्पादन कम्पनियों में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 3,33 |
| योग--4854 | .. | .. | .. | .. | .. | 3,33 |
| 4858--इंजीनियरी उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 60--अन्य इंजीनियरी उद्योग-- | | | | | | |
| 190-- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-- | | | | | | |
| संयुक्त स्टॉक मशीनों एवं इंजीनियरिंग औद्योगिक कम्पनियों में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 9,43 |
| योग--4858 | .. | .. | .. | .. | .. | 9,43 |
| | | | | | | 5,39 |
| 4860--उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 01--वस्त्रोद्योग- | | | | | | |
| 004--अनुसंधान तथा विकास- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 50,00 |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-- | | | | | | |
| टेक्सटाइल्स मिलों/निगम आदि में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 5,34,53 |
| योग--01 | .. | .. | .. | .. | .. | 5,84,53 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है ।
(क) पृष्ठ 297 पर पाद टिप्पणी (क) देखें ।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| (च)--उद्योग तथा खनिजों का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| 4860--उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय--समाप्त | | | | | |
| 03--चमड़ा-- | | | | | |
| 190-- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-- | | | | | |
| लेदर फैक्ट्रियों/निगम में निवेश | .. | .. | .. | .. | 1,03,31 |
| 04--चीनी-- | | | | | |
| 190-- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-- | | | | | |
| चीनी मिलों/कम्पनियों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 1,59,18 |
| 05--कागज तथा अखबारी कागज-- | | | | | |
| 190-- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-- | | | | | |
| पेपर निर्मात्री मिलों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 1,69,73 |
| 60--अन्य-- | | | | | |
| 600--अन्य-- | | | | | |
| रेशम उद्योग का विकास | .. | .. | .. | .. | 12,00 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-- | | | | | |
| टेक्सटाइल्स मिलों/निगम आदि में निवेश | .. | .. | .. | .. | 1,66,76 |
| योग--60 | .. | .. | .. | .. | 1,78,76 |
| योग--4860 | .. | .. | .. | .. | 11,95,51 |
| 4875--अन्य उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | |
| 60--अन्य उद्योग-- | | | | | |
| 004--अनुसंधान तथा विकास-- | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | 2,14,98 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-- | | | | | |
| मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड की अंशपूँजी में निवेश | .. | .. | .. | .. | 2,00 |
| औद्योगिक विकास निगम की अंशपूँजी में निवेश | .. | .. | .. | .. | 5,82,63 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | 23 |
| योग--796 | .. | .. | .. | .. | 5,84,86 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|----------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (च)--उद्योग तथा खनिजों का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 4875--अन्य उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय--समाप्त | | | | | | |
| 800--अन्य व्यय-- | | | | | | |
| दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कारीडोर निगम में निवेश .. | | 40,00 | .. | .. | 40,00 | 40,00 |
| मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित, भोपाल में निवेश .. | | .. | .. | .. | .. | 34,58,63 |
| मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड की अंशपूँजी में निवेश .. | | .. | .. | .. | .. | 31,25 |
| शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के लिये वाणिज्यिक सह आवासीय शोडों का निर्माण .. | | .. | .. | .. | .. | 91,32 |
| शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार सुलभ कराने हेतु औद्योगिक शोडों का निर्माण .. | | .. | .. | .. | .. | 64,92 |
| औद्योगिक क्षेत्र का विकास, भू अधिग्रहण सेवा प्रभार .. | | .. | .. | .. | .. | 1,70,60 |
| क्लस्टर की स्थापना-निवेश .. | | .. | .. | .. | .. | 7,50,00 |
| आटोमोबाइल टेस्टिंग ट्रैक के लिए भू -अधिग्रहण .. | | .. | .. | .. | .. | 1,82,82,01 |
| मिनी टूल रूम की स्थापना .. | | .. | .. | .. | .. | 21,07 |
| विशेष आर्थिक जोन में एपरेल पार्क की स्थापना .. | | 1,00,00 | .. | .. | 1,00,00 | 3,01,00 |
| इंदौर हवाई अड्डा से औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर तक सड़क निर्माण .. | | .. | .. | .. | .. | 25,00 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के .. | | .. | .. | .. | .. | 1,12,79 |
| योग--800 .. | | 1,40,00 | .. | .. | 1,40,00 | 1,95,89,68 |
| | | | | | | 37,58,91 |
| योग--4875 .. | | 1,40,00 | .. | .. | 1,40,00 | 1,95,89,68 |
| | | | | | | 45,58,75 |
| 4885--उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 01--औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश-- | | | | | | |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-- | | | | | | |
| म.प्र.वित्त निगम में निवेश .. | | .. | .. | .. | .. | 34,52,72(क) |
| राज्य वित्त निगम में निवेश .. | 16,91,13@ | 5,00,00 | .. | .. | 21,91,13 | 2,82,75,13 |
| | | | | | | 15,61,72 |
| 200--अन्य निवेश-- | | | | | | |
| प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी में निवेश .. | | .. | .. | .. | .. | 2,00 |
| अन्य औद्योगिक संस्थाओं में निवेश .. | | .. | .. | .. | .. | 10,92,74 |
| म.प्र. वित्तीय निगम की परिसम्पत्तियों का क्रय .. | | .. | .. | .. | .. | 85,12,00 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-- | | | | | | |
| औद्योगिक सहकारिताओं में निवेश .. | | .. | .. | .. | .. | 13,16,72 |
| योग--01 .. | 16,91,13 | 5,00,00 | .. | .. | 21,91,13 | 4,02,41,85(क) |
| | | | | | | 39,71,18 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

@ कर्ज का निवेश में परिवर्तन को दर्शाता है।

(क) पृष्ठ 322 पर पाद टिप्पणी (ब) देखें।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|----------|---|--------------------------|---------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)--जारी | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| (च)--उद्योग तथा खनिजों का पूँजीगत लेखा--समाप्त | | | | | |
| 4885--उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय--समाप्त | | | | | |
| 02--पिछड़े क्षेत्रों का विकास-- | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-- | | | | | |
| राज्य वित्तीय निगम में निवेश | .. | .. | .. | .. | 70,00 |
| औद्योगिक निगमों में निवेश | .. | .. | .. | .. | 92,91(क) |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | 16 |
| योग--796 | .. | .. | .. | .. | 1,63,07(क) |
| योग--02 | .. | .. | .. | .. | 1,63,07(क) |
| 60--अन्य-- | | | | | |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | 15,13(ख) |
| योग--4885 | 16,91,13 | 5,00,00 | .. | 21,91,13@ | 4,02,41,85(र) 41,49,38 |
| योग--(च)--उद्योग तथा खनिजों का पूँजीगत लेखा | 16,91,13 | 14,98,21 | .. | 31,89,34 | 6,94,99,36 3,20,01,72 |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-- | | | | | |
| 5053--नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | |
| 01--हवाई सेवाएं-- | | | | | |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | 27,84,35 |
| 02--विमानपत्तन -- | | | | | |
| 001--निर्देशन तथा प्रशासन- | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | 25,47 |
| 102--हवाई अड्डा- | | | | | |
| हवाई पट्टी का निर्माण एवं विस्तार | .. | 11,63,77 | .. | 11,63,77 | 81,22,25 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | 4,57,14 5,13,78 |
| 60--अन्य वैमानिक सेवाएं-- | | | | | |
| 052--मशीनरी तथा उपस्कर- | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | 1 |
| 102--नौसंचालन तथा वायुमार्ग सेवा- | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | 1,22,57 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोगना- | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | 8,12 |
| योग--5053 | .. | 11,63,77 | .. | 11,63,77 | 1,13,63,74 6,69,95 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

(र) पृष्ठ 322 पर पाद टिप्पणी (बा) देखें।

@ पृष्ठ 290 पर पाद टिप्पणी @ देखें।

(क) पूर्णांकन के कारण रुपये। हजार की वृद्धि की गई।

(ख) पूर्णांकन के कारण रुपये। हजार की कमी की गई।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|-----|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 01--राष्ट्रीय राजमार्ग-- | | | | | | |
| 337--सड़क निर्माण कार्य-- | | | | | | |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 6 |
| 03--राज्य राजमार्ग-- | | | | | | |
| 001--निदेशन तथा प्रशासन- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 7,14,49 |
| 052--मशीनरी तथा उपस्कर- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 2,70,26 |
| 101-- सेतु -- | | | | | | |
| होशंगाबाद-भोपाल मार्ग पर नर्मदा नदी के ऊपर पुल तथा पहुंच मार्ग का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,03,74 |
| भिण्ड-भाण्डेर मार्ग पर सिन्ध नदी पर पुल का निर्माण.. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,45,22 |
| भोपाल-सागर सड़क क्र.13 पर पुल एवं पुलियों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 23,81 |
| देवगढ़-गिजोरा सड़क (15 कि.मी. मध्यम पुल क्र.32) पर पुल का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 38,16 |
| जवरसितला मार्ग पर टोन पुल का निर्माण | .. | -- | .. | .. | -- | 3,68,61 |
| जदना अतरौला सड़क पर उखमा नाला | .. | .. | .. | .. | .. | 1,09,23 |
| बारदी-पिपरिया सड़क पर नर्मदा नदी पर पुल का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 5,19,89 |
| विदिशा-बालाघाट /बेतवा सड़क 5/4 | .. | .. | .. | .. | .. | 1,15,46 |
| सागर-गनहाकोटा सड़क किमी 6/8 सुनार नदी | .. | .. | .. | .. | -- | 1,25,82 |
| पन्ना कोन/किसनगंजगढ़ अमनगंज | .. | .. | .. | .. | .. | 1,46,97 |
| बरबरी महानगढ़ सड़क | .. | .. | .. | .. | .. | 58 |
| टीकमगढ़ तालबेहट-ब्योहरा-घनजोशघाट | .. | .. | .. | .. | .. | 1,48,85 |
| राजगढ़ काली सिंध सोयव मचलपुर सड़क किमी 6/4.. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,58,01 |
| नलखेड़ा-छप्पीखेड़ा सड़क किमी 13/8 पर पुल का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,34,79 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विबरण संख्या--13-जारी

वर्ष के दौरान व्यय

| वर्ष के दौरान व्यय | योग | योगनाम | योगनाम | योगनाम | योगनाम |
|---|------------|--------|-------------------|------------------|------------------|
| अंत तक व्यय | 2008-09 के | योगनाम | केन्द्र प्रवर्तित | केन्द्र आयोजनागत | योग |
| | | | | | (हजार रुपये में) |
| व्यय शीर्ष (पूजागत लेखा)-- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूजागत लेखा--जारी | | | | | |
| (ख)--परिवहन का पूजागत लेखा--जारी | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूजागत परियोजना--जारी | | | | | |
| 03--राज्य राजमार्ग--जारी | | | | | |
| 101--सेतु--जारी | | | | | |
| नेवाज नदी के आर पार राजमार्ग तालन | 42,83 | | | | |
| सोमाली खावा गांव पर पुल सह बांध | 29,38 | | | | |
| मूरेना सुमावली मार्ग पर आसन नदी पर पुल का निर्माण | 1,47,41 | | | | |
| बरेली मार्ग पर कोरनी नदी पर पुल का निर्माण 139/6 | 91,32 | | | | |
| छतरपुर केल/बादला सोनगाई मार्ग 31/4 कि०मी० | 1,16,26 | | | | |
| बोनिथा भजावा सड़क 1/8 - बंदी नदी पर पुल निर्माण | 1,63,74 | | | | |
| सतना अमरपटन मार्ग पर टोन पुल 17/6 कि०मी० | 26,36 | | | | |
| कोल नदी पर चांदला-सरवाई-माटीगाई सड़क पर कि.मी.9/4 पर पुल का निर्माण | 29,73 | | | | |
| चकसीनाटी-ककराई मुख्य खोला सड़क के 33/6 कि.मी. पर नैना नदी, पीवा पर पुल का निर्माण | 80,88 | | | | |
| सगर-वीना-खुरई-पठारी सड़क के 9/6 कि.मी. पर पुल का निर्माण | 97,95 | | | | |
| समरबाग गांव मुख्य सड़क पर स्थित नाले पर पुल का निर्माण | 94,38 | | | | |
| बैरागा नदी 5/2 कि.मी. पर पुल का निर्माण | 1,34,30 | | | | |
| खरभौरा राजमार्ग सड़क 22-60 कि.मी. पर पुल तथा पुलिया | 56,91 | | | | |
| अहिराव-रायगाई-मुकन्दपुर सड़क 29-60 कि.मी. इंटरस्टी-गोपाल खण्ड पर ओवर ब्रिज का निर्माण | 56,07 | | | | |
| बूंदेल-पटनाईखिलिया-मिलियाली मार्ग कि.मी.5/10 | 7,82 | | | | |
| पर वधा नदी पर पुल का निर्माण | 1,12,63 | | | | |
| बूंदेल में बूंदेल रेलवे स्थिरपथ पुल का निर्माण | 2,28,08 | | | | |
| बूंदेल-धौला-धामडा मार्ग पर तवा नदी पर पुल निर्माण | 48,54 | | | | |
| सागरखंड-वृद्धमान कि.मी.2/4 पर तवा नदी पर पुल का निर्माण | 8,23,70 | | | | |
| सागर-तिरली-सनई मार्ग, मण्डौ बायौरा कि.मी.11/8 पर नैना नदी पर पुल का निर्माण | 86,27 | | | | |
| सागर शहर में कल्पना भवन के पास आर.सी.बी. का निर्माण | 29,90 | | | | |
| | 2,06,85 | | | | |

व्यय का प्रकार

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|-------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 03--राज्य राजमार्ग--जारी | | | | | | |
| 101-- सेतु --जारी | | | | | | |
| किसनगढ़-नरखेड़ा परेठा मार्ग के कि.मी.4/8 में सुनार नदी के कजरेठी घाट पर रपटा निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,01,23 |
| दमोह-तिरियागढ़ मार्ग के कि.मी. 10/4 पर ओवर ब्रिज का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 4,41,47 |
| खरमसेरा-किरवाई रामगढ़ मार्ग पर पुल/पुलिया का निर्माण | .. | -- | .. | .. | -- | 31,54 |
| अहिरगांव-रामगढ़-मुकुंद मार्ग-लम्बाई 29.60 कि.मी. पर पुलिया का निर्माण | .. | -- | .. | .. | -- | 3,04,19 |
| बेरसिया-हिलोदा-अमरहठ-कवकोड मार्ग का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 32,86 |
| होशंगाबाद में आर.ओ.बी. का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 37,93 |
| इंदौर में राजकुमार मिल के पास आर.ओ.बी का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 3,76,74 |
| झाबुआ- मेघनगर मार्ग पर अनास नदी पर पुल का निर्माण | .. | -- | .. | .. | -- | 1,58,75 |
| खण्डवा में आर.ओ.बी. का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 83,24 |
| खण्डवा-निकेला के कि.मी. 73/6 के पास ओवर ब्रिज का निर्माण | .. | 15,67 | .. | .. | 15,67 | 1,42,42 |
| नागदा में ओवर ब्रिज का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 4,12 |
| जावरा फाटक, रतलाम में आर.ओ.बी. का निर्माण | .. | 7,79 | .. | .. | 7,79 | 5,25,49 |
| देवास में आर.ओ.बी. निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 3,72,97 |
| नलखेड़ा-चापी खेड़ा सड़क के कि.मी. 13/8 पर काली सिंध पुल का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 16,23 |
| देवला बिहार-केथलाई मार्ग पर काली सिंध नदी पर पुल का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,41,89 |
| कालापीपल-खमलाम सड़क के कि.मी. 22/8 पर पर्वत नदी पर पुल का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 87,73 |
| साथल-माचलपुर मार्ग के कि.मी. 3/10 पर केठाला नदी पर पुल का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 77,64 |
| खासापुरा-कदलावदा मार्ग के कि.मी. 7/6 पर बियाबरा मार्ग के पास काई नदी पर पुल का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 26,16 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | |
| 03--राज्य राजमार्ग--जारी | | | | | |
| 101-- सेतु --जारी | | | | | |
| बड़ोनी-अरोना मार्ग के कि.मी. 17/10 पर महुअर नदी पर पुल का निर्माण | .. | .. | .. | .. | 29 |
| लहार-अमायन मार्ग के कि.मी. 15/6 पर परेचगांव के पास सिंध नदी पर पुल का निर्माण | .. | 2,03 | .. | 2,03 | 5,74,73 |
| डिन्डोरी-मुडकी-मुसरघाट मार्ग के कि.मी. 1/4 पर नर्मदा नदी पर पुल का निर्माण | .. | .. | .. | .. | 75,29 |
| काली सिंध नदी पर पुल 19/8 डगजीरापुरा (छठवां चरण) | .. | .. | .. | .. | 3,59 |
| चाटू खेड़ा से बामलेवा मार्ग पर नेवज नदी पर पुल निर्माण | .. | 12,25 | .. | 12,25 | 76,20 |
| गोगापुर महीदपुर घोटाला मार्ग के कि.मी.20/4 में पिलियाखाल नाले पर पुल निर्माण | .. | 99,94 | .. | 99,94 | 3,11,98 |
| आलोट बड़ोट मार्ग कि.मी.10/2 छोटी काली सिंध नदी पर पुल निर्माण एवं 9/10 में कछाल नदी पर पुल निर्माण | .. | 6,99 | .. | 6,99 | 1,80,76 |
| नीमच सकलखेड़ी मार्ग पर काली सिंध नदी पर पुल निर्माण | .. | -- | .. | -- | 1,07,69 |
| घरबोरी घोटियादेव में कि.मी.6/6 में बाधरी नदी पर पुल निर्माण लम्बाई 100 मी. | .. | .. | .. | .. | 32,27 |
| बुरहानपुर डेहलवाई मार्ग कि.मी. 22/2 उतावली नदी पर पुल निर्माण | .. | 7,73 | .. | 7,73 | 85,26 |
| खंडवा बड़ोदा मार्ग कि.मी.88/8 डालकी नदी पर पुल निर्माण | .. | .. | .. | .. | 55,83 |
| मनगवा पोरख मार्ग के कि.मी. 1/8 में स्टाप डेम सहित वेदा सेतु का निर्माण | .. | .. | .. | .. | 75 |
| मानपुर बगदिया मार्ग के कि.मी. 92.15, 1/2-4 में सिराये नदी पर पुल निर्माण | .. | .. | .. | .. | 4,78 |
| ऊमरी फूफ मार्ग के कि.मी. 6/12 में कराये नदी पर पुल निर्माण कार्य | .. | 13,07 | .. | 13,07 | 1,64,06 |
| रामपुर गोवरा मार्ग के कि.मी. 3/4 में क्वारी नदी पर पुल निर्माण कार्य | .. | -- | .. | -- | 3,21 |
| करिआवटी बड़गौर मार्ग के कि.मी. 12/2 में धूमेश्वर मंदिर के पास सिंध नदी पर पुल निर्माण | .. | .. | .. | .. | 9,89 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|-------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 03--राज्य राजमार्ग--जारी | | | | | | |
| 101-- सेतु --जारी | | | | | | |
| खारी/देवरी खामधार मार्ग के कि.मी. 2/8 में सराठी नदी पर पुल निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 95,58 |
| अतरी खैरलाली कटंगी मार्ग के कि.मी. 7/2-4 में चंदन नदी पर पुल निर्माण कार्य | .. | 20 | .. | .. | 20 | 85,70 |
| बारा सिवनी/कटंगी मार्ग के कि.मी. 1/8 पर टोड़िया नाले पर पुल निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 64,89 |
| हटवा सारदपुरी पाला मार्ग के कि.मी. 7/10 में देव नदी पर पुल निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,17,56 |
| नरसिंहपुर और रायसेन जिलों में नर्मदा सेतु और सैनखेड़ा के बीच झिकोली घाट पर पुल निर्माण (पांचवां चरण) | .. | 30,69 | .. | .. | 30,69 | 9,12,13 |
| उगली नगरबाड़ा मार्ग कि.मी. 5/2 पर स्थित वेनगंगा नदी पर पुल निर्माण | .. | 1,61 | .. | .. | 1,61 | 1,22,36 |
| दिधोरी से कावलखेड़ी मार्ग के कि.मी. 11/4 में वेनगंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,08,45 |
| ग्राम ओढ़नी (जिला सीधी) में सोन नदी पर पुल निर्माण | .. | -- | .. | .. | -- | 1,07,42 |
| मदनपुरा मदूरा मार्ग (19.40 कि.मी.) | .. | -- | .. | .. | -- | 62,88 |
| जैतवारा-डंगडीहा-सोहास मार्ग 13.92 कि.मी. | .. | -- | .. | .. | -- | 73,95 |
| सूरजपुर लोखण्डताई टेकना मार्ग में मोरन नदी पर पुल | .. | 1,15 | .. | .. | 1,15 | 27,40 |
| बिछुआ-ओरापानी सड़क पर कनेरा पुल का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 39,97 |
| रींवा-बकिया-सेमरिया सड़क पर टोन पुल का निर्माण.. | .. | .. | .. | .. | .. | 78,16 |
| शहडोल-लुहार-केशवाही मार्ग के कि.मी. 9/2 में सेन नदी पर पुल का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,65,37 |
| शहडोल-जैतहरी-राजेन्द्रग्राम के कि.मी. 3/8 पर तिपान नदी पर पुल का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 32,52 |
| नरसिंहपुर एवं रायपुर जिलों के मध्य सिपोली घाट पर पुल निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 2,04,96 |
| खरेलाली नुमासर मार्ग पर तनवाड़ी नदी पर पुल निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 5,65 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 03--राज्य राजमार्ग--जारी | | | | | | |
| 101-- सेतु --जारी | | | | | | |
| सिवनी मुगवानी मार्ग क्र.14/10, बेनगंगा नदी पर पुल निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 90,21 |
| महाराजपुर-रोड़ी मार्ग कि.मी.31/4 में उर्मिल नदी पर पुल का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 7,87,35 |
| कालीसिंध नदी पर उमापान के पास पुल निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 2,19,64 |
| भानपुर-भगदिया मार्ग के कि.मी. 1/2-4 में सरारी नदी पर पुल निर्माण कार्य | .. | .. | .. | .. | .. | 69,88 |
| हल्दी टोला से बड़गवामोर, मालवा मार्ग के कि.मी. 10-4/6 पर देव नदी पर पुल निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 2,26,25 |
| सिलवानी-सुल्तानगंज मार्ग 30 किमी. पुल सहित | .. | -- | .. | .. | -- | 55,05 |
| ग्राम सुकलिया इलेक्टर काम्पलेक्स पुल का निर्माण | .. | 13,08 | .. | .. | 13,08 | 13,16 |
| चांदवाग गांव पोनिया मार्ग में पेंच नदी पर पुल | .. | 21,32 | .. | .. | 21,32 | 1,24,89 |
| सतना/ सोनपुल (नौधरा) बुडयासरिया भरतपुर मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,21,67 |
| झिरिया नाला पुल बरनई-नागपुर मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 37,00 |
| छक्करपुर-पलकुंआ-किशनगढ़ मार्ग श्यामरी नदी पर पुल | .. | .. | .. | .. | .. | 14 |
| नादनेरढाना-नसीराबाद के बीच नर्मदा नदी पर पुल निर्माण | .. | 1,56,78 | .. | .. | 1,56,78 | 8,21,87 |
| इटारसी-दोलरिया-टिगरिया मार्ग पर हथेड़ नदी पर पुल | .. | 7,76 | .. | .. | 7,76 | 45,74 |
| सावेर-उज्जैन मार्ग खान नदी पर पुल | .. | 10,68 | .. | .. | 10,68 | 41,80 |
| कुन्हन जाफर सूर्यधाम पार्वती नदी पर पुल | .. | -- | .. | .. | -- | 67,75 |
| अभाना तेंदूखेड़ा -जबलपुर मार्ग पर त्यारमा नदी पर पुल | .. | 7,31 | .. | .. | 7,31 | 2,00,73 |
| चौवारा हीरा बरखड़ी पटारिया ताल ग्राम के समीप काली नदी पर पुल निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 2,25,68 |
| सेपड-चौमेला मार्ग पर चंबल नदी पर पुल निर्माण | .. | 1,15,16 | .. | .. | 1,15,16 | 2,06,99 |
| चाक सैनोरी ककरहा मार्ग पर नैना पुल, कि.मी. 35/06 | .. | .. | .. | .. | .. | 23,38 |
| चितरंगी ओग्नी धोड़ावल मार्ग पर सोनपुल, कि.मी. 8/4 | .. | .. | .. | .. | .. | 1,72 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 03--राज्य राजमार्ग--जारी | | | | | | |
| 101-- सेतु --समाप्त | | | | | | |
| सागर जिन्हा मार्ग पर बांकरी पुल, कि.मी. 5/8 | .. | .. | .. | .. | .. | 4,30 |
| सागर रहेली जबलपुर मार्ग पर सुनार पुल, कि.मी. 42/8 | .. | 16,80 | .. | .. | 16,80 | 1,08,79 |
| लोहारी जैतवारा मार्ग पर धसान पुल, कि.मी. 1/2 | .. | -- | .. | .. | -- | 65,14 |
| धीरखेड़ी नीमखेड़ा मार्ग पर वर्स नदी पर पुल कि.मी.3/2 | .. | 19,54 | .. | .. | 19,54 | 21,34 |
| तरंग जलाशय पर कालीसिंध पुल | .. | -- | .. | .. | -- | 7 |
| तिलवार कचनोरिया पर कालीसिंध पुल | .. | 26,63 | .. | .. | 26,63 | 26,67 |
| पशुपतिनाथ मंदिर के पास मंदसौर पर सिवना पुल | .. | 7 | .. | .. | 7 | 1,55 |
| इन्दरगढ़ पिछोर मार्ग पर सिंध नदी पर पुल कि.मी. 10/4-6 | .. | 5,05 | .. | .. | 5,05 | 5,32 |
| भोनपुरा सिंहोनिया मार्ग पर आसन नदी पर पुल कि.मी. 2/4 | .. | 1,51,64 | .. | .. | 1,51,64 | 1,51,85 |
| बरसत पटोदी मार्ग पर पार्वती नदी पर पुल | .. | 52,27 | .. | .. | 52,27 | 52,51 |
| टॉप भास्कर रोड पर एच.एल.पुल का निर्माण | .. | 2,10 | .. | .. | 2,10 | 2,25 |
| सोनखीघाट चौरस बुदोर पर धवन नदी पर पुल का निर्माण | .. | 19,29 | .. | .. | 19,29 | 43,39 |
| अन्य निर्माण कार्य एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | 94,89,47 | .. | .. | 94,89,47 | 2,12,35,64 |
| | | | | | | 65,34,44 |
| योग--101 | .. | 1,05,03,06 | .. | .. | 1,05,03,06 | 3,68,74,40 |
| | | | | | | 65,34,44 |

337--सड़क निर्माण कार्य--

| | | | | | | |
|--|----|-------|----|----|-------|----------|
| इन्दौर-इछावर मार्ग का चौड़ीकरण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,07,36 |
| हरदा-छिपानेर मार्ग का चौड़ीकरण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,36,56 |
| शयोपुर-बागवा-पालमपुर मार्ग, (जिला मुरैना)-35 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 28,16 |
| ग्वालियर-रनगवा-सुन्हार-देवगढ़-जजनैया सड़क (25 कि.मी.) | .. | 22,69 | .. | .. | 22,69 | 1,77,18 |
| भोपाल बाईपास रोड़, कि.मी. 22.6 | .. | -- | .. | .. | -- | 94,77,53 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-----|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 03--राज्य राजमार्ग--जारी | | | | | | |
| 337--सड़क निर्माण कार्य--जारी | | | | | | |
| अशोक नगर से ईसागढ़ वाया सरसखेड़ी-ढकोली सड़क-लम्बाई 31 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,30,20 |
| बक्तर डोनी-शाहगंज मार्ग-लम्बाई 24.60 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,28,46 |
| बुधनी-रेहती-नसरुल्लागंज मार्ग-लम्बाई 20 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,63,53 |
| सीहोर-नरसिंहगढ़ मार्ग-लम्बाई 28.20 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,30,59 |
| दोराहा-अहमदपुर मार्ग-लम्बाई 16 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,83,96 |
| अहमदपुरा-भोजपुर मार्ग-लम्बाई 11.80 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,90,38 |
| विदिशा-अशोकनगर मार्ग पर पुल/पुलियों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 20,85 |
| विदिशा-अशोकनगर मार्ग का सुदृढीकरण 12/13.35 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 27,00 |
| पनागर-सिंहलदीप-मसौली मार्ग-लम्बाई 30 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,88,60 |
| समीमनाबाद-उमरिया-ढीमरखेड़ा-खमतरा विलायत कलमा मार्ग, 75.6 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 11,93,81 |
| सिटोरी-मंझो-कटंगी मार्ग-लम्बाई 32 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,04,75 |
| सिहोरा-बहोरीबंद-सलैया मार्ग, 19 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 3,20,84 |
| चाका विजय शाहबगढ़ केमोर मार्ग, लम्बाई 32 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 6,41,78 |
| नस्मीधरी मार्ग, लम्बाई 25 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,46,89 |
| कटंगी-तुमसर मार्ग, लम्बाई 23.60 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,58,54 |
| रीवा-बिदसिमरिया मार्ग, लम्बाई 10 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,29,57 |
| टीकमगढ़-जतारा मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 3,38,56 |
| सुवासरा-पारासली मार्ग, 7.60 कि.मी. | .. | -- | .. | .. | -- | 2,94,15 |
| रतलाम-झाबुआ मार्ग (ओ.डी.आर.) 29 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 67,07 |
| जाबरानाल-महिरपुर 52.4 कि.मी. पुलिया | .. | .. | .. | .. | .. | 6,96,10 |
| उन्हेल-उज्जैन मार्ग, लम्बाई 26.6 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,83,46 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 03--राज्य राजमार्ग--जारी | | | | | | |
| 337--सड़क निर्माण कार्य--जारी | | | | | | |
| नालपुर-नगरपुर मार्ग, लम्बाई 20 कि.मी.- 147.9 कि.मी. पुलिया 39 नग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,83,83 |
| नागदा-छिनोदा मार्ग, लम्बाई 12 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,43,49 |
| छिंदवाड़ा-पिपरिया-बरेली मार्ग, लम्बाई 482 कि.मी... | .. | .. | .. | .. | .. | 17,77 |
| सिलवानी-सुल्तानगंज मार्ग, लम्बाई 30 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 8,61,67 |
| छिंदवाड़ा-बरेली मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 10,50,99 |
| हटा-फतेपुर-बाजना मार्ग, लम्बाई 46 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,65,26 |
| सिहोरा-मझगांव-सिलोड़ी मार्ग, लम्बाई 89.2 कि.मी... | .. | .. | .. | .. | .. | 10,42,61 |
| इंदौर नगर में मांगलिया से राऊ तथा नौलखा चौराहे से रिंग रोड तक मार्ग का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 6,93,20 |
| लुन्हेरा माण्डव मार्ग, लम्बाई 24.60 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,03,31 |
| कटी हासलपुर फफूंद मार्ग, लम्बाई 18.00 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,07,77 |
| सावेर क्षिप्रा मार्ग 20.00 कि.मी. (ओ.डी.आर.) | .. | .. | .. | .. | .. | 22,62 |
| अटाहेड़ा आगरा अटावदा रंगवासा मार्ग लम्बाई 30.60 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 24,22 |
| बागली पूजापुरा किसनगढ़ मार्ग, लम्बाई 30.60 कि.मी. | .. | -- | .. | .. | -- | 3,58,99 |
| बटेरा बम्होरी मार्ग, 13.50 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 10,30 |
| रायसेन होशंगाबाद छिंदवाड़ा बरेली मार्ग, लम्बाई 45.20 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,66,81 |
| भोपाल बेरसिया मार्ग, 29.20 कि.मी. | .. | -- | .. | .. | -- | 5,66,47 |
| बेरसिया नजीराबाद मकसूदनगढ़ मार्ग, लम्बाई 41.30 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,49,88 |
| चन्देरी पिछोर मार्ग, 46 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,14,21 |
| देहरदा ईसागढ़ मार्ग, लम्बाई 33 कि.मी. | .. | 22,30 | .. | .. | 22,30 | 1,20,53 |
| सागर बरेली सुल्तानगंज मार्ग, लम्बाई 42.20 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 7,37,66 |
| पाटन अमाना तेंदूखेड़ा मार्ग, लम्बाई 51 कि.मी. | .. | 6,92,81 | .. | .. | 6,92,81 | 7,02,59 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 03--राज्य राजमार्ग--जारी | | | | | | |
| 337--सड़क निर्माण कार्य--जारी | | | | | | |
| बिनती मड़ियादो मार्ग, लम्बाई 14.20 कि.मी. | .. | 12,00 | .. | .. | 12,00 | 2,17,80 |
| हटा बरियागढ़ मार्ग, लम्बाई 18 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,55,89 |
| कटनी अमानगंज किसनगढ़ मार्ग, लम्बाई 13.80 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,03,59 |
| अजनोर डुंडा बड़ागांव, लम्बाई 12 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,40,95 |
| बड़ागांव कक्तर स्वाहा मार्ग, लम्बाई 13.80 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,21,92 |
| सिवनी कटंगी मार्ग, लम्बाई 39 कि.मी. | .. | 38,06 | .. | .. | 38,06 | 3,71,19 |
| परसिया इकलहेरा मार्ग 37 कि.मी. दमुआ | .. | 90,78 | .. | .. | 90,78 | 7,50,15 |
| बालाघाट समनापुर लामटा/बेहर | | | | | | |
| सालटेकरी मार्ग, 70 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 26,49 |
| इटारसी जमानी धरमकुंडी मार्ग, 30.60 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,81,36 |
| मुल्ताई छिंदवाड़ा मार्ग, लम्बाई 31.60 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,56,20 |
| गुना फतेहगढ़ पाडौन नरसिंहगढ़ मार्ग, लम्बाई 80.20 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 2,48 |
| नरवर चितौरी से अमोला रोड़ का उन्नयन 26 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 56,06 |
| रन्नाद पचावली मार्ग किमी 1 से 23 का उन्नयन | .. | .. | .. | .. | .. | 39,89 |
| टीकमगढ़ धुवारा मलहेरा मार्ग लं.27.20 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,79,65 |
| पन्ना अमानगंज सिमरिया गौशाबाद दमोह मार्ग, लम्बाई 10.60 किमी | .. | -- | .. | .. | -- | 2,00,64 |
| बेरसिया सिरोंज मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण, लम्बाई 18.2 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 5,88,67 |
| भोजपुर अहमदपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण, लम्बाई 11 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,99,46 |
| इटारसी धमनी धरमपुरी मार्ग, लम्बाई 30.60 किमी | .. | -- | .. | .. | -- | 48,24 |
| पगडाल शिवपुरा बिलादिया मार्ग, लम्बाई 13.6 किमी | .. | -- | .. | .. | -- | 2,10,97 |
| आदमगढ़ से नंदवान मार्ग, लम्बाई 11.20 किमी | .. | 15,62 | .. | .. | 15,62 | 4,44,30 |
| सिरोंज बेरसिया मार्ग - 1 से 10 किमी | .. | 11,05 | .. | .. | 11,05 | 1,44,90 |
| द्वितीय चरण | .. | 11,05 | .. | .. | 11,05 | 1,44,90 |
| पमरिया से कालू आमखेड़ा मार्ग, लम्बाई 19 किमी | .. | 57,53 | .. | .. | 57,53 | 4,98,32 |
| हैदरगढ़ से बेगमगंज मार्ग, लम्बाई 22 किमी | .. | 66,51 | .. | .. | 66,51 | 2,01,69 |
| लटेरी से मुंजला नजीरानंद मार्ग, लम्बाई 23.8 किमी | .. | -- | .. | .. | -- | 6,81,68 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 03--राज्य राजमार्ग--जारी | | | | | | |
| 337--सड़क निर्माण कार्य--जारी | | | | | | |
| डूंगर सिंह जरेनी नगर मार्ग- शेष भाग लम्बाई 76 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 2,06,89 |
| सिलवानी सुल्तान नगर मार्ग, लम्बाई 30 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 13,08 |
| ब्याबरा शहरी क्षेत्र की आंतरिक सड़क, लम्बाई 10.12 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 50,29 |
| बोडा पचोर मार्ग का आंतरिक कार्य लम्बाई 9.4 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 3,11,39 |
| मुल्ताई छिंदवाड़ा मार्ग, लम्बाई 31 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 28,37 |
| बालाघाट समनापुर लामटा पोर्टीगंज मार्ग सावेर क्षिप्रा मार्ग किमी 20 ओ.डी.आर. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,57,17 |
| सावेर चंद्रावतीगंज गौतमपुरा मार्ग, लम्बाई 19.8 किमी(1/2 से 20/8 तक) | .. | .. | .. | .. | .. | 5,32 |
| तथा 021 रेलवे | .. | -- | .. | .. | -- | 2,83,33 |
| देपालपुर बेमटा मार्ग, लम्बाई 20 किमी | .. | 10,65 | .. | .. | 10,65 | 2,99,14 |
| पीपरी उदयनगर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण, किमी 1 से 21 | .. | -- | .. | .. | -- | 87,12 |
| देवास मेंडको चाल देवरी मार्ग का चौड़ीकरण, लम्बाई 19.40 किमी (1 से 20/4) | .. | 1,16,50 | .. | .. | 1,16,50 | 2,63,15 |
| टोटकलॉ टोकखुर्द देवाली मार्ग का चौड़ीकरण, लम्बाई 15.2 किमी | .. | 11,75 | .. | .. | 11,75 | 2,16,83 |
| जावराताल महदपुर बोगापुर मार्ग, लम्बाई 19.4 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 36,63 |
| जावरा रिंगनोद सीतामऊ मार्ग का उन्नतीकरण एवं सुदृढीकरण, लम्बाई 35 किमी | .. | 1,43,40 | .. | .. | 1,43,40 | 3,62,27 |
| ताल अलोट एवं अलोट उनहिल मार्ग का बायपास रोड सहित उन्नतीकरण तथा चौड़ीकरण, लम्बाई 23.1 किमी | .. | 1,25,66 | .. | .. | 1,25,66 | 4,17,49 |
| मंदसौर संजीत मार्ग किमी 1 से 34 | .. | 1,28,79 | .. | .. | 1,28,79 | 4,75,37 |
| श्यामगढ़ परसाई मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण, लम्बाई 23.60 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 2,26,45 |
| शाजापुर दोपद्रा कनाद मार्ग, लम्बाई 23.6 किमी | .. | 16,21 | .. | .. | 16,21 | 2,43,38 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 03--राज्य राजमार्ग--जारी | | | | | | |
| 337--सड़क निर्माण कार्य--जारी | | | | | | |
| अरनिया कला कोठारी कला का उन्नतीकरण, लम्बाई 14.2 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,36,06 |
| बड़ोद से अलोट मार्ग, लम्बाई 13.8 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 91,53 |
| आगर बड़ोद डाग मार्ग, लम्बाई 24 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 2,61,48 |
| खनियाधाना ईशागढ़ मार्ग का चौड़ीकरण, लम्बाई 28 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,53,20 |
| नरवर चिटोरी से अमोला मार्ग का उन्नतीकरण किमी 1 से 26 | .. | 3 | .. | .. | 3 | 96,37 |
| पढ़ावली रन्नोद मार्ग का उन्नतीकरण किमी 1 से 23 | .. | 2,02 | .. | .. | 2,02 | 1,88,28 |
| देहरदा ईशागढ़ मार्ग का कुतवारा तक निर्माण, लम्बाई 10.6 किमी पुलियां 10 | .. | .. | .. | .. | .. | 32,00 |
| मांडा इंदौर मार्ग का निर्माण किमी 1 से 13/5, पुलियां 9 | .. | 10,59 | .. | .. | 10,59 | 27,22 |
| पदोना से फतेहगढ़ मार्ग, लम्बाई 80 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 4,78 |
| पचोर चंदेरी मुंगावली मार्ग का परिवर्तन, लम्बाई 82 किमी | .. | 3,03,64 | .. | .. | 3,03,64 | 18,40,86 |
| घुटलिया बमोरिया बगुरिया मार्ग का निर्माण, लम्बाई 19.6 किमी | .. | -- | .. | .. | -- | 3,30,20 |
| समनपुर बिल्हेरा मार्ग का उन्नतीकरण एवं सुदृढीकरण, लम्बाई 13.4 किमी | .. | 88,55 | .. | .. | 88,55 | 3,73,41 |
| सागर करेली सुल्तानगंज मार्ग का निर्माण, लम्बाई 42.2 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 6,86,35 |
| टीकमगढ़ धुवारा मल्हेरा मार्ग, लम्बाई 27.2 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 3,82,07 |
| पन्ना अमानगंज सेमरिया गंसाबाद दमोह मार्ग, लम्बाई 13.8 किमी | .. | -- | .. | .. | -- | 2,01,34 |
| महाराजपुरा हवाई अड्डे से शनीचरा मंदिर तक के मार्ग का चौड़ीकरण एवं मरम्मत, लम्बाई 17 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 98,41 |
| नूराबाद सठोरा मार्ग का निर्माण, लम्बाई 4.4 किमी | .. | -- | .. | .. | -- | 42,33 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 03--राज्य राजमार्ग--जारी | | | | | | |
| 337--सड़क निर्माण कार्य--समाप्त | | | | | | |
| उनीटोला उमरिया पान मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण | .. | -- | .. | .. | -- | 69,88 |
| नवागांव बिन्दराई बरदाई मार्ग | .. | 45,27 | .. | .. | 45,27 | 68,43 |
| छिन्दवाड़ा चांद मार्ग, कि.मी. 25 | .. | 1,46,91 | .. | .. | 1,46,91 | 2,36,30 |
| समासबादा सांच हिरारी खामरा | .. | 1,10,67 | .. | .. | 1,10,67 | 1,12,14 |
| देवारी सोनापुर मार्ग | .. | 44,51 | .. | .. | 44,51 | 44,78 |
| मोवद बोनकाटा मार्ग | .. | -- | .. | .. | -- | 38,54 |
| रामप्याली गरारा चौकी मार्ग का उन्नतीकरण | .. | -- | .. | .. | -- | 48,07 |
| वारासियोनी रामपायल तुमसर मार्ग का उन्नतीकरण | .. | 1,99,99 | .. | .. | 1,99,99 | 3,06,07 |
| मुरार छितौरा मार्ग का निर्माण | .. | 41,01 | .. | .. | 41,01 | 2,13,87 |
| भितवार हरसी मार्ग | .. | 1,35,64 | .. | .. | 1,35,64 | 5,25,32 |
| महाराजपुरा हवाई अड्डा से शनिचरा मंदिर | | | | | | |
| मार्ग का मरम्मत एवं सुदृढीकरण | .. | 49,89 | .. | .. | 49,89 | 3,11,12 |
| चाचोड़ा मृगवास मार्ग का निर्माण | .. | 1,18,94 | .. | .. | 1,18,94 | 4,59,12 |
| मैयना नैसराई खोखेर मार्ग का निर्माण | .. | 1,46,14 | .. | .. | 1,46,14 | 3,93,21 |
| लोहादरी से गालुरी मार्ग | .. | 41,81 | .. | .. | 41,81 | 1,94,63 |
| तिल्ला से धरमसिरोइ पलाहना मार्ग | .. | 36,64 | .. | .. | 36,64 | 1,67,44 |
| भोपाल जयश्री नगर मार्ग | .. | 17,24 | .. | .. | 17,24 | 2,02,89 |
| पनागर बेलखडू मार्ग का उन्नतीकरण | .. | 2,10,00 | .. | .. | 2,10,00 | 2,10,00 |
| खिटोला उमरिया पान मार्ग (1 से 10 किमी) | .. | 1,87,63 | .. | .. | 1,87,63 | 1,87,63 |
| लालपुर उसारी गोरखपुर मार्ग | .. | 79,95 | .. | .. | 79,95 | 79,95 |
| नुनसर बेलखडू मार्ग | .. | 89,36 | .. | .. | 89,36 | 89,36 |
| खम्हरिया रेहुटा का निर्माण | .. | 17,35 | .. | .. | 17,35 | 17,35 |
| अन्य निर्माण कार्य प्रत्येक एक करोड़ रुपये एवं उससे कम लागत के | .. | 4,33,70,90 | .. | .. | 4,33,70,90 | 18,09,73,63 |
| | | | | | | 29,51,79 |
| योग--337 | .. | 4,70,76,99 | .. | .. | 4,70,76,99 | 22,47,11,84 |
| | | | | | | 29,51,79 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|------------|---|--------------------------|------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 03--राज्य राजमार्ग--जारी | | | | | | |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- | | | | | | |
| पछांना निहालबाड़ी मार्ग पर गोगांवा पुल का निर्माण कि.मी. 2/6 | .. | 76 | .. | .. | 76 | 60,33 |
| धावाखेड़ी धुलकोट असीर मार्ग पर कारंज नाले पर पुल, कि.मी. 6/4 | .. | 38,31 | .. | .. | 38,31 | 65,84 |
| बॉण्ड राशि का पुनर्भुगतान | .. | .. | .. | .. | .. | 38,22,40 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | 1,74,12,87 | .. | .. | 1,74,12,87 | 4,57,04,60 |
| योग--789 | .. | 1,74,51,94 | .. | .. | 1,74,51,94 | 4,96,53,17 |
| 794--जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता-- | | | | | | |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 1,74,89 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-- | | | | | | |
| रीवा-गोविंदगढ़-सीधी-सिंगरौली-बेड़न मार्ग का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण (101.6 कि.मी.) | .. | .. | .. | .. | .. | 87,18 |
| हीतरखेड़ी-देसाली मार्ग का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 27,96 |
| गुना-ऊमरी-सिरसी सड़क तथा पुल और पुलियों का निर्माण | .. | 1,67,57 | .. | .. | 1,67,57 | 2,77,90 |
| बुधार केसवाली सड़क पर बतरघाट कि.मी. 9/2 | .. | .. | .. | .. | .. | 14,61 |
| सीधी ब्योहारी सड़क किमी 54/10 | .. | .. | .. | .. | .. | 20,86 |
| जयधरी राजेन्द्र मार्ग पर टीपन पुल | .. | .. | .. | .. | .. | 51,56 |
| बेतवा सुहागपुर पचपेड़ी सड़क सोना पुल | .. | .. | .. | .. | .. | 34,43 |
| अंजोरियाव बम्हारी सड़क पर बंजर पर पुल का निर्माण | .. | 48,69 | .. | .. | 48,69 | 1,59,88 |
| लोधीखेड़ा पर कन्हान पुल किमी 4/6 | .. | 28,52 | .. | .. | 28,52 | 1,14,37 |
| बालाघाट लामटा पर नेहरां पुल | .. | 1,21,65 | .. | .. | 1,21,65 | 1,33,45 |
| बैहर कुंदेही पर बंजरपुल 11/4 | .. | .. | .. | .. | .. | 36,68 |
| चुचारी सलवाह सड़क पर पुल का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 14,57 |
| रीवा चुरहट सिंगरौली सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण यू.पी.सीमा | .. | .. | .. | .. | .. | 64,53 |
| सोन नदी पर पोंडी-चोलना सड़क पुल | .. | .. | .. | .. | .. | 48,94 |
| जमुना पोरसी ध्रुवासी मार्ग पर सोन पुल | .. | .. | .. | .. | .. | 90,70 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|-------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 03--राज्य राजमार्ग--जारी | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना--जारी | | | | | | |
| जेठानी-उमरी-सिवनी मार्ग पर टीपन पुल | .. | .. | .. | .. | .. | 54,06 |
| जियावन-डोंगरा मार्ग पर मोहन पुल | .. | .. | .. | .. | .. | 86,69 |
| शिखरगंज-चंमराडोल सड़क 7/8 पर सोन पुल | .. | 43,41 | .. | .. | 43,41 | 9,56,41 |
| जबलपुर-मंडला-बिछिया-बिलासपुर सड़क (95 कि.मी.) का पुलियों सहित चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण | .. | .. | .. | .. | .. | 40,32 |
| मंडला जिले में मंडला-बम्हारी सड़क पर 26 पुलियों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 81 |
| जबलपुर-मंडला-बिछिया-बिलासपुर मार्ग (23 से 48 कि.मी. एवम 90.6 से 94 कि.मी.) का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण | .. | .. | .. | .. | .. | 33,31 |
| सेवानी-सिंगौसी वाया देवलगांव-खवासी-लडसा सड़क 17.8 कि.मी. का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 79,48 |
| रेंगासेला-चंगेरावेनी सड़क 22.6 कि.मी. का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,20,06 |
| जाट ग्वालियर कला-सुखनंद सड़क (22.10 कि.मी.) एवम 40 पुलियों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 90,58 |
| सिरली-चलाला सड़क (17.20 कि.मी.) एवम 25 पुलियों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 41,16 |
| महाराजपुर-झागरा सड़क (20 कि.मी.) का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 51,63 |
| चांदपुर-देवरी सड़क (20.40 कि.मी.), 30 पुलियों एवम 05 मध्यम पुलों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 58,37 |
| देवरीकला-सहजपुर सड़क (21.2 कि.मी.), 24 पुलियों एवं 03 मध्यम पुलों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 37,54 |
| महाराजपुर-सहजपुर सड़क (25 कि.मी.), 24 पुलियों तथा 02 मध्यम पुलों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 83,86 |
| नंदवाड़ी -मोहगांव सड़क (22.8 कि.मी.) एवम 30 पुलियों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 94,89 |
| गोरखपुर-गोपालपुर सड़क एवम पंडोरिया-बाजव बंजारीघाट (20 कि.मी.) को जोड़ने का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,66,59 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|-------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 03--राज्य राजमार्ग--जारी | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना--जारी | | | | | | |
| राजेन्द्रग्राम से डोंगरी तक सड़क का डम्बरीकरण | .. | .. | .. | .. | .. | 39,83 |
| नंधारी से दमचारी सड़क का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 22,72 |
| राजपुर-खेतिया मार्ग के कि.मी.23/80 पर स्थित क्षतिग्रस्त गोई नदी पर पुल का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,20,45 |
| बीजापुर-चिलकी मार्ग पर गोई नदी पर पुल का निर्माण.. | .. | 1,11 | .. | .. | 1,11 | 2,52,59 |
| राजगढ़-कुक्षी मार्ग के कि.मी. 61/6 सेकुली नदी पर पुल निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 82,86 |
| ब्रिस्टान सिखेल मार्ग पर कुंदा नदी पर पुल निर्माण | .. | 19,33 | .. | .. | 19,33 | 2,03,45 |
| डिन्डोरी अमरकंटक मार्ग पर चाडामेतुरातु नदी पर कि.मी. 202/2 पर पुल निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 5,93 |
| घुघरी सलवाह मार्ग के कि.मी. 4/4 पर बुडनेर नदी पर पुल निर्माण | .. | 17,11 | .. | .. | 17,11 | 1,93,28 |
| मेहदवानी शाहपुरा मार्ग के कि.मी. 13/8 में सिलगी नदी पर पुल निर्माण | .. | -- | .. | .. | -- | 89,65 |
| जबलपुर-नर्मदा-धुंआधार-भेड़ाघाट पर नर्मदा नदी पर पुल निर्माण | .. | 5,00 | .. | .. | 5,00 | 66,86 |
| बनासपुल सीधी ब्योहारी मार्ग के कि.मी. 54/10 में पुल निर्माण | .. | -- | .. | .. | -- | 2,02,43 |
| राजपुर खजूरी मार्ग पर देवनदी पर पुल निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 68,00 |
| पाटी भाटकी मार्ग मलगांव नदी पर पुल | .. | .. | .. | .. | .. | 48,31 |
| रामनगर पटपरा डिंड़ोरी मार्ग नर्मदा नदी पर पुल | .. | 9,67 | .. | .. | 9,67 | 2,60,59 |
| बालाघाट बैहर सुखारगढ़ी तन्नोर नदी पर पुल | .. | 46,25 | .. | .. | 46,25 | 1,86,86 |
| जोहिला नदी पर पुल निर्माण सुहागपुर-मानपुर | .. | .. | .. | .. | .. | 5,04 |
| खरगोन गोगवा लोहारी मार्ग के किमी 10/4 पर कुंदा नदी पर पुल | .. | .. | .. | .. | .. | 97,98 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय | |
|---|--------------------|------------|---|--------------------------|------------------------|-------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 03--राज्य राजमार्ग--समाप्त | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना--समाप्त | | | | | | |
| मंडला पुरवा मार्ग में रंगरेज घाट पर नर्मदा सेतु का निर्माण | .. | 2,09,96 | .. | .. | 2,09,96 | 2,89,55 |
| रामनगर पटरा मार्ग पर नर्मदा सेतु | .. | 5,25 | .. | .. | 5,25 | 16,10 |
| सोहागपुर मानपुर मार्ग के किमी 42/6 पर जिनार पुल | .. | -- | .. | .. | -- | 40,64 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | 1,90,06,57 | .. | .. | 1,90,06,57 | 6,13,45,28 |
| | | | | | | 93,92,01 |
| योग--796 | .. | 1,97,30,09 | .. | .. | 1,97,30,09 | 6,68,11,78 |
| | | | | | | 93,92,01 |
| योग--03 | .. | 9,47,62,08 | .. | .. | 9,47,62,08 | 37,80,51,19 |
| | | | | | | 2,00,37,88 |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें-- | | | | | | |
| 337--सड़क निर्माण कार्य-- | | | | | | |
| तिवारी हरदी मार्ग, लम्बाई 54 किमी | .. | 2,81,50 | .. | .. | 2,81,50 | 2,86,93 |
| बैसर शाला टेकरी गडई मार्ग, लम्बाई 32 किमी (12 वां वित्त अयोग) | .. | 3,23,45 | .. | .. | 3,23,45 | 3,29,00 |
| गरोट बोलिया पिडवा (राजस्थान सीमा तक) लम्बाई 21 किमी (12 वां वित्त आयोग) | .. | 2,98,60 | .. | .. | 2,98,60 | 3,01,59 |
| नीमच सिंगोली चित्तौड़गढ़ मार्ग (राजस्थान सीमा तक) लम्बाई 95 किमी (12 वां वित्त आयोग) | .. | 23,18,39 | .. | .. | 23,18,39 | 35,49,62 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | 41,14,40 | .. | .. | 41,14,40 | 98,94,65 |
| | | | | | | 24,16,99 |
| योग--337 | .. | 73,36,34 | .. | .. | 73,36,34 | 1,43,61,79 |
| | | | | | | 24,16,99 |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना -- | | | | | | |
| रानापदखेड़ा से चौदान मार्ग कि.मी. 15.60 | .. | .. | .. | .. | .. | 91,35 |
| शोभापुर से पच्चलवाड़ा गाथा होते हुए- लम्बाई 12 कि.मी. पुलियां 17 | .. | .. | .. | .. | .. | 2,32,93 |
| दलौदा-डीडगांव-माली मार्ग, लम्बाई 11 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 84,25 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-----|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें-- जारी | | | | | | |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना --जारी | | | | | | |
| मण्डल राम-रियावल-रनालरा मार्ग, भाटखेड़ा- बालूखेड़ा मार्ग, लम्बाई 50 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,49,89 |
| कुड्डम-रामपेट-जोगिनी मार्ग, लम्बाई 12.20 कि.मी.. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,62,90 |
| दतिया सेवड़ा मार्ग, लम्बाई 64/61 | .. | .. | .. | .. | .. | 2,16,18 |
| बगरोदा से बरखेड़ा पटानी मार्ग का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 33 |
| टोंक खुर्द से अमोना सेकली देवली चोबारधीरा, इकलेरा सुरजना, मुरम्मा मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 66,89 |
| मुण्डलाराम रियावल रनायरा मार्ग, भावखेड़ा कालूखेड़ा मार्ग, लम्बाई 50.00 कि.मी. पुलिया 18 नग | .. | .. | .. | .. | .. | 14,81 |
| बबला मोहन खटावदा मार्ग, लम्बाई 8.80 कि.मी. 30 पुलिया | .. | .. | .. | .. | .. | 7,01 |
| नागोद कलिंजर मार्ग का उन्नतीकरण | .. | .. | .. | .. | .. | 76,34 |
| नागोद जसौ सलेहा मार्ग, लम्बाई 27.80 | .. | .. | .. | .. | .. | 70,71 |
| अरिनिया सुवासरा मार्ग (एम.डी.आर.) | .. | .. | .. | .. | .. | 54,85 |
| रतनगढ़-ग्वालियर कलॉ मार्ग, लम्बाई 47.60 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 48,14 |
| मुंदी पुनासा सुतगांव सनावद मार्ग का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,47,10 |
| खण्डवा मोघट अहमदपुर कालमुखी मोहना कलवां मार्ग का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,33,42 |
| छेगांव खण्डवा राज्य मार्ग क्र.26 का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 40,88 |
| मकोड़ किला से अवंतिपुर बड़दिया से अरनिया कलॉ मार्ग, लम्बाई 33.20 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,46 |
| सुजालपुर-आष्टा मार्ग, लम्बाई 25.60 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 62,92 |
| खरगोन-देसगांव-खण्डवा-आशापुर-बैतूल मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 2,36,68 |
| उईपुर बाबूपुर पडरिया सिकन्दर मार्ग लं. 17 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 73,25 |
| छिटाटी चांदपुर पहुंच मार्ग, लम्बाई 7.00 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 94 |
| जूना निवारी विजयपुर पहुंच मार्ग, लम्बाई 10 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 47,12 |
| खेमरा मोहरी परसोरियां मार्ग, लम्बाई 10 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 2,09 |
| लागरसेमार मार्ग लोधी परसोन मढ़ैया रोड़ 16 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 33 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|-------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | | |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना --जारी | | | | | | |
| चनाटोरिया करटानुर मार्ग, लम्बाई 8 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 8,04 |
| खुरई पठारी मार्ग, लम्बाई 6.60 किमी | .. | 60,21 | .. | .. | 60,21 | 89,87 |
| रानीगर पहुंच मार्ग, लम्बाई 11 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 50,87 |
| नागौद कालिंजर मार्ग का उन्नतीकरण | .. | .. | .. | .. | .. | 2,43,40 |
| नागौद जसौ सलैहा मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 23,51 |
| बिसनखेड़ा से पानौद मार्ग, लम्बाई 6 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 98,01 |
| टोंकखुर्द से भौरासा मुख्य जिला मार्ग, लम्बाई 13.40 किमी | .. | 56,71 | .. | .. | 56,71 | 2,85,98 |
| भिंड भारौली अमायन मौं मार्ग 31.20 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 28,81 |
| जवासा सुनारपुरा गोरमी गोहद मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 18,74 |
| मिहोना गोपालपुरा भिंड अटेर मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 27,20 |
| गोटास पाटौन मार्ग(जी.पी. रोड़) | .. | .. | .. | .. | .. | 43,18 |
| गंजदेवरा मार्ग, लम्बाई 30 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 14,25 |
| टीलाखेड़ी से घाटखेड़ी रसूदिया घाट से पिपलया घाफडखेड़ी मार्ग, लम्बाई 17 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,10,49 |
| कोठार से गांधीनगर तक मार्ग, लम्बाई 23 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,18 |
| कुशालपुरा से बैरागढ़ चीचली मार्ग, लम्बाई 11.45 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,17,22 |
| इनायतपुरा से लालरिया बिलखिरिया मार्ग, लम्बाई 10.97 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,58,52 |
| टीलाखेड़ी से देहरीकला झगोरिया सरवर मार्ग, लम्बाई 11.4 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,68,22 |
| बैरसिया मोरासा अरविली बरखेड़ा बरामद मार्ग, लम्बाई 16.6 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 2,29,28 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|-------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | | |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना --जारी | | | | | | |
| लहारपुरा से खेजड़ा परिहार मार्ग, लम्बाई 13.8 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 3,32,12 |
| बकतरा भरकछा मार्ग, | .. | .. | .. | .. | .. | 1,57 |
| सिमरिया से गुनोड़ा मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 38,30 |
| खासपुरा से कड़वाबत व्हाया ब्यावरा काजू मार्ग, लम्बाई 27 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 17,87 |
| अर्जुन नाला मानेगांव टेकादी निगापोनार सीता पाठोर मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 91 |
| अमरी सवांगी बाहकल अर्जुनी मार्ग | .. | 43,98 | .. | .. | 43,98 | 44,47 |
| जराह मोहगांव से जाम नाले तक मार्ग | .. | 45,70 | .. | .. | 45,70 | 46,28 |
| लखनवाड़ा सिरपुर चौकी मार्ग | .. | 23,34 | .. | .. | 23,34 | 38,33 |
| सीता पाठोर महकेपार गोरघाट मार्ग का उन्नतीकरण | .. | 69,30 | .. | .. | 69,30 | 3,54,69 |
| बगरोदा से बरखेड़ा पठानी मार्ग का निर्माण, लम्बाई 9.6 किमी | .. | 46 | .. | .. | 46 | 95,37 |
| आलोट से जोवन मार्ग (नाबार्ड योजना) | .. | .. | .. | .. | .. | 1,26,79 |
| नाटाराम पहुंच मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 14,63 |
| दलोदा डिंगांव माली मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 8,65 |
| भीकमगांव ढकलगांव सनावद मार्ग, लम्बाई 40.6 किमी | .. | 31,03 | .. | .. | 31,03 | 4,26,97 |
| अहमदपुरा मालगांव भोनाखेड़ी मार्ग, लम्बाई 11 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,84,84 |
| गलाईपुर बैसकलरी मार्ग का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,42,05 |
| उदयपुरा बरपुरा मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,00,74 |
| बदवारा सुनपुर परका मार्ग का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,02,01 |
| गरका दैयोपुरा गुंगुर मार्ग का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,83,02 |
| रोएर सतना च्योर मार्ग का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,08,91 |
| तिदारे कौसिया पटना मार्ग का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,44,80 |
| चंदेर मेडवक से जीवस मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,41,90 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|-------------------|---|--------------------------|------------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना --जारी | | | | | |
| पडुआ मतवारी मुरावल मार्ग (नाबार्ड) का निर्माण | .. | 55,00 | .. | .. | 55,00 4,07,32 |
| धमन सोनकल मार्ग का निर्माण | .. | 22,46 | .. | .. | 22,46 75,31 |
| नंदी सुंदर मोगांव मार्ग का उन्नतीकरण | .. | 67,35 | .. | .. | 67,35 1,87,95 |
| काटेदहरा तिरोदी ख्वासा मार्ग का उन्नतीकरण | .. | .. | .. | .. | .. 95,16 |
| हाटखेडा से तरावली मार्ग | .. | 31,95 | .. | .. | 31,95 95,57 |
| जावती से सडावता मार्ग | .. | 11,85 | .. | .. | 11,85 65,01 |
| नागौर नगदा किशनपुर बुधौर मार्ग | .. | 11,82 | .. | .. | 11,82 71,51 |
| फूलबाग से बेरखेड़ी परासी गुजर मार्ग | .. | 52,30 | .. | .. | 52,30 1,53,20 |
| सुनखेर से जावती मार्ग | .. | 36,83 | .. | .. | 36,83 1,02,10 |
| इमलानी से ऐचदा व्हाया करीखेड़ी लखार मार्ग | .. | 21,92 | .. | .. | 21,92 82,55 |
| खामबाबा पलोह जीवाजीपुर गजार मार्ग | .. | 19,00 | .. | .. | 19,00 1,73,36 |
| विदिशा टीलाखेड़ी गुरारिया पठारी हवेली धनोरा देवराजपुर खरबई से रायसेन जिले की सीमा तक | .. | 27,00 | .. | .. | 27,00 1,64,42 |
| मलखीपुर सावनखेड़ा जमालपुर से रुसिया मार्ग | .. | 33,32 | .. | .. | 33,32 1,23,28 |
| पिपलियाहाट से सरेखो सूरनताल मार्ग | .. | 51,81 | .. | .. | 51,81 96,58 |
| चमर उमरिया से सडावता मार्ग | .. | 42,16 | .. | .. | 42,16 1,22,81 |
| तखरिया से छापूटपरा मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. 10,52 |
| महावन भटोली से चन्देरी मार्ग | .. | 67,14 | .. | .. | 67,14 2,03,64 |
| मनई से दानखेड़ी मार्ग | .. | 19,16 | .. | .. | 19,16 45,97 |
| प्रधानमंत्री सड़क पडरिया जागीर से गजनहार्ड चम्पाखेड़ी सोमवारा मार्ग | .. | 18,75 | .. | .. | 18,75 73,69 |
| धूगरखेड़ी जूनापानी मार्ग का निर्माण | .. | 27,41 | .. | .. | 27,41 27,41 |
| बड़चिचली सेमरा पिपला नारायणवर मार्ग | .. | 1,09 | .. | .. | 1,09 1,09 |
| बनवारी पिपरिया कलां मार्ग | .. | 11,27 | .. | .. | 11,27 11,27 |
| बड़पानी भोंडली मार्ग | .. | 40,61 | .. | .. | 40,61 40,61 |
| तिरोड़ी चक हिरजी बम्हानी मार्ग | .. | 69,62 | .. | .. | 69,62 69,62 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | 92,53,44 | .. | .. | 92,53,44 2,77,55,74 |
| योग-789 | .. | 1,03,23,99 | .. | .. | 1,03,23,99 3,66,53,45 |
| | | | | | 14,09,59 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|-----|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | | |
| 794--जनजातीय क्षेत्र उपयोजनान्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता- अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 83,83,70 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-- | | | | | | |
| जबलपुर-बिछिया-बिलासपुर मार्ग का सुधार | .. | .. | .. | .. | .. | 1,46,95 |
| आशापुर-बैतूल मार्ग (57 कि.मी.) | .. | .. | .. | .. | .. | 1,09,50 |
| गर्वा-चित्रांजी सड़क का सुदृढ़ीकरण | .. | .. | .. | .. | .. | 17,92 |
| बरेली-बामोरे-सिलवानी-सुल्तानगंज सड़क का निर्माण - 65.5 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 3,38,97 |
| सोन-शिकारगंज-चमरदीन सड़क का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,60,72 |
| शहडोल जिले के गौड जनजाति एवम अन्य के लिये सड़क, पुल तथा पुलियों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 45,71 |
| कन्ताफोड़ से पूजापुर मार्ग 21 कि.मी. का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,14,51 |
| केसली-सहजपुर पहुँच मार्ग 14.5 कि.मी. का निर्माण-25 पुलियां एवम 02 मध्यम पुल | .. | .. | .. | .. | .. | 40,74 |
| झाबुआ जिले के दत्तीघाट सड़क का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,00,70 |
| रतलाम-छनासुना मार्ग, लम्बाई 32 कि.मी. (पुलियां 48 एवं 8) | .. | .. | .. | .. | .. | 65,39 |
| झाबुआ जिले में दत्तीघाट सड़क पर 30 पुलियों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 79,13 |
| बकझर-लोअर मार्ग, लम्बाई 15 कि.मी. में पुलिया | .. | .. | .. | .. | .. | 56,24 |
| महुआगांव-सरई-रजमिलान मार्ग का उन्नतीकरण | .. | .. | .. | .. | .. | 29,43 |
| ग्राम कुसमानिया-हरजगांव सड़क का निर्माण, लम्बाई 51 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,75,63 |
| सेदवा-निवली खेतिया मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 4,41,42 |
| बलवाड़ी-देवली-दावली मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,93,91 |
| सेलवाड़ा-भोसाघाट से तेंदूखेड़ा मार्ग, लम्बाई 27.6 कि.मी. पांचवां चरण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,00,30 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-----|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना--जारी | | | | | | |
| भैंसदेही-नादा-भीमपुर मार्ग, लम्बाई | | | | | | |
| 48.4 कि.मी. पुलिया | .. | .. | .. | .. | .. | 1,64,85 |
| सतनेर-देहगुर मार्ग का निर्माण | .. | -- | .. | .. | -- | 99,73 |
| बघऊ-उमिलिया मार्ग 35-10 | .. | .. | .. | .. | .. | 4,60,20 |
| खेरा-मिनरगवा वाया सिवपुर निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,75,30 |
| चित्तारगी-गठवा मार्ग का उन्नयन | .. | .. | .. | .. | .. | 7,17,42 |
| चिरिया से बिस्टान मार्ग, लम्बाई | | | | | | |
| 33.40 कि.मी. पुलिया 43 नग | .. | .. | .. | .. | .. | 36,65 |
| झिरन्या पाडन्या मार्ग, लम्बाई 33 कि.मी. पुल 47 नग.. | .. | .. | .. | .. | .. | 5,69 |
| खालवा बेडतलाई मार्ग, लम्बाई 33.50 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 8,32 |
| पाटी पोकराता-खेतिया मार्ग पर निर्माण, उन्नयन एवं घाट कटिंग | .. | .. | .. | .. | .. | 90,93 |
| बिजोरी छिन्दी खापा हटाई (डी.सी.के.एच) मार्ग लम्बाई 66.00 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,95,30 |
| बालाघाट बैहर टोपाला सुपाखार निजाली मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 64,97 |
| बैहर सलताकरी मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 65,05 |
| लौन्जी दुर्ग मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,57,70 |
| चाबी महेन्दवानी शाहपुरा मार्ग, 25 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 30,82 |
| सीधी टीकरी मार्ग, लम्बाई 33.00 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 50,13 |
| बिस्टनपाल व्हाया चिरिया मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 20,95 |
| खण्डवा बड़ोदा मार्ग, लम्बाई 38.20 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,85,40 |
| थांदला लिमिडी मार्ग, लम्बाई 29.00 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,96,17 |
| खण्डवा बड़ोदा मार्ग, लम्बाई 44.20 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,68,08 |
| खंडा कज्जेवाड़ा-माकरा ऊदवगढ़ सोटी टान्डा मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 97,70 |
| सिमरिया महेन्द्रा रैपुरा मार्ग-जल निकास, नालियां बनाना-छोटी पुलियां 53 नग, लम्बाई 56 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,13,63 |
| नौनघाटी से दमेहरी मार्ग लं. 26 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,14,65 |
| जैतहरी सिवनी सेमखार मार्ग, लम्बाई 13 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 56,02 |
| गौरैला सुलादी झायीताल अजन्ती मानिकपुर मार्ग, लम्बाई 10 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 58 |
| विजयपुरा निवारी जूना मार्ग, लम्बाई 10 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,92 |
| भौरा सतनेदी चोपन मार्ग, लम्बाई 25 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 2,62,18 |
| चुनाहजुरी आलमपुर रतनपुर से नसीराबाद मार्ग, लम्बाई 19 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 74,55 |
| मसोदा से जामगांव व्हाया मडली तिवखेड, लम्बाई 19 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 2,20,57 |
| परकजल से सराहेटी खतेड़ी व्हाया तेनझिरा खेडंबंजर मार्ग, लम्बाई 17 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 2,18,84 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना--जारी | | | | | | |
| बैतूल शहर के मार्ग का चौड़ीकरण, लम्बाई 22.60 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 24,64 |
| निराली चारुआ मार्ग का निर्माण, लम्बाई 17.2 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,75,11 |
| नकायस लोआर मार्ग, लम्बाई 15 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 85,34 |
| हरफारी घानीखेरा मिगिया मार्ग, लम्बाई 27 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,91,59 |
| बालपुर घनोरा मार्ग, लम्बाई 16 किमी, पुलियां 26 | .. | 55,93 | .. | .. | 55,93 | 1,32,64 |
| पारसवाड़ा नक्सी मुडेसरा पिड़कीटोला बम्हनगांव किरनापुर मार्ग, लम्बाई 16 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 3,89,72 |
| बिछिया दानीटोला घुगारी मार्ग का निर्माण, लम्बाई 26.6 किमी | .. | 52,64 | .. | .. | 52,64 | 3,16,49 |
| नैनपुर पिडरई मंडलां मार्ग का निर्माण, लम्बाई 35 किमी | .. | 38,44 | .. | .. | 38,44 | 3,49,20 |
| शाहपुरा बलेधा दोहनिया विक्रमपुर मार्ग, लम्बाई 49.6 किमी | .. | 2,62,07 | .. | .. | 2,62,07 | 4,50,09 |
| सईमालपुर दुगरिया मार्ग लम्बाई, 24.28 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,01,67 |
| उदयनगर से कनाड़ मार्ग लम्बाई, 13.1 किमी | .. | 20,80 | .. | .. | 20,80 | 59,15 |
| मुदडी से सतसूदा व्हाया छती मार्ग (नाबाई) | .. | 83,82 | .. | .. | 83,82 | 3,34,30 |
| महेश्वर महंतवाड़ा बडताई पिपल्या मार्ग (11 वां चरण) | .. | 52,70 | .. | .. | 52,70 | 2,55,73 |
| राजपुर पिपरी खनसी बडसलाई मार्ग (10 वां चरण) का निर्माण एवं उन्नतीकरण | .. | 40,89 | .. | .. | 40,89 | 5,81,88 |
| सेधवा पलसूद सिलावद मार्ग का उन्नतीकरण (10 वां चरण) | .. | 8,82 | .. | .. | 8,82 | 1,92,69 |
| विटाल सिखेल लेन माली मुख्य जिला मार्ग, लम्बाई 48.8 किमी, पुलियां 105 | .. | .. | .. | .. | .. | 75,09 |
| मिसरपुर पदियाल अलीहट्टी मार्ग, लम्बाई 48.60 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 5,52,66 |
| अमरकोट तारखेडी रामपुरा मार्ग का डामरीकरण, लम्बाई 28.8 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,62,70 |
| मालापुर बरभर मार्ग का डामरीकरण, लम्बाई 12 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 45,69 |
| जोवर गोटीपारा मार्ग, लम्बाई 10.4 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 6,26,67 |
| अम्बारी सोखा मार्ग, लम्बाई 10.2 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 11,13 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | योग | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना--जारी | | | | | | |
| भातखेडी सतपापरी पलासो साईंखेड़ा मार्ग का डामरीकरण, लम्बाई 11.4 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 2,03,56 |
| बरी सदापुर मार्ग, लम्बाई 9.6 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,25,18 |
| कुसुमी सहपुर धवला मार्ग | .. | 36,20 | .. | .. | 36,20 | 2,69,76 |
| हतपुरी मगरधा वसुधा मोहास मार्ग का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 3,59,97 |
| मोहेगांव एल्कापर मार्ग का निर्माण | .. | 1,38,10 | .. | .. | 1,38,10 | 3,78,80 |
| बरेड़ी लोधीखेड़ा मार्ग का निर्माण | .. | 43,88 | .. | .. | 43,88 | 1,46,22 |
| रेमण्ड चौक से लोधीखेड़ा मार्ग का निर्माण | .. | 51 | .. | .. | 51 | 1,65,14 |
| झाझनगर मनीगांव घाटरखेड़ा समनापुर देहरा घाटीघाट मार्ग का निर्माण | .. | 1,30,60 | .. | .. | 1,30,60 | 3,00,67 |
| चिरई डोंगरी डिंडोरी मार्ग का निर्माण | .. | 5,31 | .. | .. | 5,31 | 1,14,17 |
| धनवाही मनेरी जमठार मार्ग का निर्माण | .. | 75,65 | .. | .. | 75,65 | 2,65,36 |
| छोटा छप्पर ताला भाड़ा भडंगी गेतरा मार्ग का डामरीकरण | .. | 83,45 | .. | .. | 83,45 | 1,37,20 |
| दानीटोला कटंगी मार्ग का निर्माण | .. | 67,25 | .. | .. | 67,25 | 1,60,19 |
| पौड़ी बकोरी मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण, लम्बाई 13.2 किमी एवं पुलिया | .. | .. | .. | .. | .. | 1,09,95 |
| रामनगर अजनिया मार्ग का उन्नतीकरण, 12 किमी | .. | 4,57 | .. | .. | 4,57 | 1,10,51 |
| कालपी से छिंदगाव पिपरिया मार्ग का उन्नतीकरण, 24 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,72,81 |
| अमरपुर से बसनिया मार्ग, लम्बाई 12 किमी एवं पुलियां | .. | .. | .. | .. | .. | 1,44,38 |
| जोगी तिवरिया पडरिया कला म्योसा पोड़ी मार्ग, लम्बाई 9 किमी, पुलियां 29 | .. | .. | .. | .. | .. | 1,93,33 |
| शाहपुरा मानिकपुर मार्ग, लम्बाई 14 किमी पुलियां 16, मध्यम पुल 1 | .. | 24,33 | .. | .. | 24,33 | 67,27 |
| गोड़ा सरई बछरगांव मार्ग, लम्बाई 94 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 64 |
| रुसा बरनई मेडाखार मार्ग, लम्बाई 10 किमी सोडवा से सफारी, उमरठा से बतलागढ़ मार्ग का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 98 |
| मसावनी पहुंच मार्ग का उन्नतीकरण | .. | .. | .. | .. | .. | 44,61 |
| इमलाई जवगांव मार्ग | .. | 54,29 | .. | .. | 54,29 | 2,71,04 |
| कुन्दम चिरईपानी मार्ग | .. | 26,21 | .. | .. | 26,21 | 2,53,99 |
| कुआसलैया बारांमेहगना मार्ग | .. | 68,97 | .. | .. | 68,97 | 2,04,40 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-- जारी | | | | | | |
| रामकोना सीतापुर पंगडी मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 25,91 |
| पतलोन जमतारा मार्ग | .. | 79,50 | .. | .. | 79,50 | 80,01 |
| लिडोरी गडमाऊ मार्ग | .. | 17,48 | .. | .. | 17,48 | 88,26 |
| बडेगांव खेदीकलन मार्ग | .. | 28,94 | .. | .. | 28,94 | 77,45 |
| मोहगांव मुंगापुर मार्ग | .. | 14,59 | .. | .. | 14,59 | 82,61 |
| अम्बदा रायबसा मार्ग | .. | 24 | .. | .. | 24 | 42,05 |
| काकराघाट कमिथी गोरेघाट मार्ग | .. | 12 | .. | .. | 12 | 65,14 |
| रायबसा भाजीपानी मार्ग | .. | 86,42 | .. | .. | 86,42 | 1,55,11 |
| पंजारा टाप मार्ग | .. | 72,05 | .. | .. | 72,05 | 91,60 |
| वडेगांव कालमगांव मार्ग | .. | 28,94 | .. | .. | 28,94 | 29,63 |
| खजोरी मोथर चितरी धुहतारा सिरगोरा शिवपुरी | .. | 2,45,50 | .. | .. | 2,45,50 | 5,29,25 |
| बाईपास रोड ग्राउंड के लिये डी.पी.आर. का निर्माण-सर्वेक्षण एवं अन्वेषण | .. | .. | .. | .. | .. | 2,52,21 |
| रामप्याली गरारा चाउफोन का उन्नतीकरण | .. | 1,11,91 | .. | .. | 1,11,91 | 1,29,11 |
| भांडी जोटकलन मार्ग का निर्माण | .. | 20,35 | .. | .. | 20,35 | 96,24 |
| बिन्दारी से नगदेर का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| लम्बाई 8 कि.मी. | .. | 40,03 | .. | .. | 40,03 | 2,05,35 |
| धनोरा लावागेहरी मार्ग | .. | 1,54,20 | .. | .. | 1,54,20 | 1,56,88 |
| नारायणगंज तिकरिया मार्ग, लम्बाई 2.60 कि.मी. | .. | 61,08 | .. | .. | 61,08 | 70,17 |
| निवारी माखाटोला मार्ग | .. | 76,02 | .. | .. | 76,02 | 2,31,17 |
| राता से अरोली मार्ग | .. | 23,60 | .. | .. | 23,60 | 1,00,43 |
| गोदराई से पिंडराई मार्ग | .. | 44,82 | .. | .. | 44,82 | 62,24 |
| मनिकसेरा से संगी मार्ग | .. | 63,33 | .. | .. | 63,33 | 1,53,70 |
| तिकरिया पडमी खेडी बम्हनी पटरोला | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| सिंगनपुरी मार्ग, लम्बाई 42.6 कि.मी. | .. | 1,43,52 | .. | .. | 1,43,52 | 2,76,01 ^(x) |
| कुदा चन्दरानी मार्ग | .. | 35,98 | .. | .. | 35,98 | 1,91,72 |
| डिडोरी बाईपास मार्ग | .. | 95,73 | .. | .. | 95,73 | 1,55,90 |
| गुना उमरी सिरसी से पटना मार्ग का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 2,78,60 |
| नोविया राजोह मार्ग का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,29,64 |
| खरोली से देयोरी पुनसा मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,23,02 |
| तेजगढपुरा जालोन वेसवाखेडी तारादेही मार्ग | .. | 1,99,99 | .. | .. | 1,99,99 | 3,60,85 |
| कुसुमी सिंगापोरे भगाई मार्ग का निर्माण | .. | 36,20 | .. | .. | 36,20 | 1,42,10 |
| शेरपुर रुसल्ली अहमदनगर मार्ग | .. | 49,12 | .. | .. | 49,12 | 66,69 |
| सिमरिया दादरगावन मार्ग | .. | 2,99,89 | .. | .. | 2,99,89 | 2,99,89 |
| धनपुरी पडवार इमलाई मार्ग | .. | 1,51,56 | .. | .. | 1,51,56 | 1,51,56 |
| बागहराजी वालवा पाटनकला | .. | 70,89 | .. | .. | 70,89 | 70,89 |

(x) इसमें 2007-08 में पृथक से दर्शाए रुपये 1,00 हजार शामिल हैं ।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-- समाप्त | | | | | | |
| अमझार पडवार मार्ग | .. | 95,61 | .. | .. | 95,61 | 95,61 |
| अमझार लोहकरी मार्ग | .. | 36,73 | .. | .. | 36,73 | 36,73 |
| इमलिया खम्हरिया बाकी मार्ग | .. | 1,27,32 | .. | .. | 1,27,32 | 1,27,32 |
| क्योमोक्स भाकरा मार्ग | .. | 68,68 | .. | .. | 68,68 | 68,68 |
| कुदा इथुवार मार्ग | .. | 1,41,00 | .. | .. | 1,41,00 | 1,41,00 |
| भावरा बांधी-जमुआनी कला मार्ग | .. | 81,07 | .. | .. | 81,07 | 81,07 |
| कोआ सलैया बरांग महागमा मार्ग | .. | 56,27 | .. | .. | 56,27 | 56,27 |
| स्लीमनाबाद बहोरीबंद मार्ग | .. | 10,33 | .. | .. | 10,33 | 10,33 |
| कुण्डम चिराइपानी मार्ग | .. | 65,76 | .. | .. | 65,76 | 65,76 |
| पांढुर्ना गुजरखेडी मार्ग | .. | 33,99 | .. | .. | 33,99 | 33,99 |
| चिचखेड नंदनवाडी मार्ग | .. | 42,18 | .. | .. | 42,18 | 42,18 |
| उमरीकलां हिरवा पृथ्वीराज मार्ग | .. | 32,81 | .. | .. | 32,81 | 32,81 |
| करन पिपरिया गुड्डम मार्ग | .. | 5,13 | .. | .. | 5,13 | 5,13 |
| कन्हारगांव मेहगवा कलां अडेगांव मार्ग | .. | 71,01 | .. | .. | 71,01 | 71,01 |
| टिकरिया सिरगोधा मार्ग | .. | 89,29 | .. | .. | 89,29 | 89,29 |
| रैगांव रामनगर मार्ग | .. | 2,25,46 | .. | .. | 2,25,46 | 2,25,46 |
| राय मालपुर मार्ग | .. | 1,43,48 | .. | .. | 1,43,48 | 1,43,48 |
| सक्का अमरपुर मार्ग | .. | 59,16 | .. | .. | 59,16 | 59,16 |
| धमना संकल मार्ग | .. | 39,03 | .. | .. | 39,03 | 39,03 |
| बनवारी पिपरिया कलां मार्ग | .. | 41,56 | .. | .. | 41,56 | 41,56 |
| उचेंहरा पारसमनिया दुरेहा मार्ग का निर्माण | .. | 96,22 | .. | .. | 96,22 | 96,22 |
| उचेंहरा पारसमनिया चोरहटा मार्ग का निर्माण | .. | 20,00 | .. | .. | 20,00 | 20,00 |
| ससतरा कथरिया मार्ग का निर्माण | .. | 24,55 | .. | .. | 24,55 | 24,55 |
| बुरही सिंगरौली मार्ग का निर्माण | .. | 2,90 | .. | .. | 2,90 | 2,90 |
| खुमरौध सरई अहिरगवा मार्ग | .. | 82,31 | .. | .. | 82,31 | 82,31 |
| लीला टोला मेडाखर मार्ग | .. | 22,37 | .. | .. | 22,37 | 22,37 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | 93,14,27 | .. | .. | 93,14,27 | 4,05,83,11 |
| योग--796 | .. | 1,46,55,92 | .. | .. | 1,46,55,92 | 1,34,44,18 |
| | | | | | | 6,32,54,74 |
| | | | | | | 1,34,44,18 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | | |
| 800--अन्य व्यय-- | | | | | | |
| सागर जिले के डाकू ग्रस्त क्षेत्रों में कुछ सड़कों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,20,75 |
| मध्यप्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 4,50,00 |
| अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में अन्य निर्माण कार्य | .. | .. | .. | .. | .. | 25,67,34 |
| बारोली-अमागांव मार्ग का डामरीकरण (18.2 कि.मी.) | .. | .. | .. | .. | .. | 2,46,18 |
| राजपुरा सुलापुर बाजना पथ सकरा (12.6 कि.मी.) | .. | .. | .. | .. | .. | 39,78 |
| बेगमगंज-सुलतानगंज सड़क (25.4 कि.मी.) | .. | 82,41 | .. | .. | 82,41 | 1,80,62 |
| शमसाबाद लटेरी मार्ग | .. | 73,76 | .. | .. | 73,76 | 5,68,10 |
| दमोह-खजूरी सड़क का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 90,31 |
| सिरोंज-बेरसिया मार्ग का सुधार (45.6 कि.मी.) | .. | .. | .. | .. | .. | 1,62,68 |
| रेंला-गोविंदगढ़-सीधी सिंगरोली सीमा तक राजकीय मार्ग क्र.8 | .. | .. | .. | .. | .. | 1,83,55 |
| प्रथम श्रेणी की पुलियों में 47 सड़कों का निर्माण (लम्बाई 37.4 कि.मी. चिचली रेगाखान सलेवारा मार्ग में) | .. | .. | .. | .. | .. | 2,21,07 |
| भोपाल-सागर मार्ग में पुलियों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 32,64 |
| रीवा-गोविन्दगढ़-सीधी-सिंगरौली-बैढ़न सड़क का उत्तर प्रदेश तक सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण - लम्बाई 27.5 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,03,25 |
| राजगढ़ में बोरा से बरखेड़ा मार्ग (24 कि.मी.) | .. | .. | .. | .. | .. | 2,76,73 |
| होशंगाबाद में बनखंडी से डोंगरगढ़ तक सड़क का निर्माण 18 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 47,82 |
| बमोरी-बिशनवाडा मार्ग का निर्माण 27 कि.मी. क्रमांक 32 | .. | .. | .. | .. | .. | 20,81 |
| इकलेरा-कुशवार सड़क का निर्माण 27.78 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,26,03 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है ।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|-----|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | | |
| 800--अन्य व्यय--जारी | | | | | | |
| बड़नगर-नागदा सड़क वाया खरगोंद-खूजा 34.60 कि.मी.मार्ग का 37 पुलियों सहित निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,60,25 |
| पथबुडोरा-किशनपुर सड़क 43.2 कि.मी. का 49 पुलियों सहित निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,27,21 |
| मजोना पालेश सड़क 55.2 कि.मी. का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,98,58 |
| बामलिया पहुँच मार्ग 9 कि.मी. का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 95,05 |
| पहाडगंज-निरारा सड़क 28 कि.मी.का 44 पुलियों सहित निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 83 |
| राजपुरा-सिलापुरी-वाजना सड़क-लम्बाई 12.6 कि.मी. भाग-1-2 का 16 पुलियों सहित निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 63 |
| सेवंधां पन्ड्री-तेहनपुर सेन्डोज सड़क - लम्बाई 27 कि.मी.का निर्माण- 92 पुलियां एवम 03 मध्यम पुल | .. | .. | .. | .. | .. | 6,57 |
| दबोह-खजूरी सड़क लम्बाई 17.4 कि.मी. का 47 पुलियों एवम 02 मध्यम पुलों सहित निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,71 |
| आरोन-राघोगढ़ मार्ग लम्बाई 29 कि.मी. का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 2,32 |
| सुरालोरी-चाटूखेडा सड़क 17.60 कि.मी. का निर्माण.. .. . | .. | .. | .. | .. | .. | 1,26,58 |
| हरदा नगर में 05 कि.मी. बाईपास सड़क का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 9 |
| आदियाकला-पचयामा सड़क-लम्बाई 12.20 कि.मी.का 21 पुलियों सहित निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 2,02,04 |
| बुरहानपुर से देदलाई मार्ग का निर्माण (बुरहानपुर-अमरावती सड़क) | .. | .. | .. | .. | .. | 66,07 |
| सेमरा दागी से झारखेडा सड़क - लम्बाई 8.4 कि.मी. का पुलियों सहित निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 49,17 |
| आनंदपुर से भगवानपुर सड़क-लम्बाई 10 कि.मी. का 05पुलियों एवम 01 मध्यम पुल सहित निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,08,60 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-----|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| (हजार रुपये में) | | | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | | |
| 800--अन्य व्यय--जारी | | | | | | |
| सिरोंज से अशोक नगर-गरेठा-मुगलसराय सड़क-लम्बाई 17 कि०मी० का 20 पुलियों सहित निर्माण .. | .. | .. | .. | .. | .. | 70,94 |
| संगाखेड़ा से फुर्तवा-सिखाड़ा मार्ग-लम्बाई 11 कि.मी... | .. | .. | .. | .. | .. | 73,04 |
| पागली से मुरमखेड़ी-लम्बाई 12 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,49,08 |
| शोजपुर से रीवा-पनखेड़ी-मुरारी मार्ग 14.63 कि.मी... | .. | .. | .. | .. | .. | 76,64 |
| सोना सनवारी-रावतखेड़ा मार्ग-लम्बाई 11 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,02,43 |
| जवारा-सीतामऊ मार्ग लम्बाई 22.80 कि.मी. (पुल 5 पुलियां 30) | .. | .. | .. | .. | .. | 80,78 |
| सुसनेर से पड़पड़ा मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 52,66 |
| दीपगांव से हरडगांव सड़क का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 3,69,11 |
| बनेदिया से ग्रोटा मार्ग पर सड़क का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 2,07,02 |
| न्योडा पठारी-खुराई मार्ग 24.20 कि.मी. मध्यम पुल 5 | .. | .. | .. | .. | .. | 1,32,75 |
| मनावर डेहरी मार्ग लम्बाई 19.22 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,39,13 |
| धरमपुरी तारापुर मांडव मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 2,37,57 |
| गिट्टीकृत सड़कों का डामरीकरण | .. | .. | .. | .. | .. | 44,87 |
| खनिजा परासली मार्ग लम्बाई 9.80 कि.मी. पुलिया 9 नग | .. | .. | .. | .. | .. | 9,32 |
| सालाखेड़ी से भारपचलाना मार्ग 28 कि.मी. मुख्य पुलिया नग 36 | .. | .. | .. | .. | .. | 2,00,47 |
| रतलाम नागदा मार्ग लम्बाई 27.80 कि.मी. रतलाम संभाग में 14.80 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 34,67 |
| धिसी उकट केसवाई पाड़िया-छापरा मार्ग, लम्बाई 25.6 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,44,90 |
| रामकोना सावरी मार्ग ,लम्बाई 19.50 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 95,14 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|-----|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | | |
| 800--अन्य व्यय--जारी | | | | | | |
| दमेगांव गोदाम राजना बिछुआ मार्ग 10.60 कि.मी. .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,85,51 |
| बिछुआ खमारपानी सावरानी 48.60 कि.मी. .. | .. | .. | .. | .. | .. | 59,00 |
| नोरिसा मलहनबाड़ा कोटरनटी उमरठ मार्ग 13.40 कि.मी. .. | .. | .. | .. | .. | .. | 58,27 |
| आरोन-अशोक नगर 15 कि.मी.: | .. | .. | .. | .. | .. | 26,63 |
| सारस खेड़ी-नई सराय मार्ग 24 कि.मी. .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,14,23 |
| मुंगावाली से पीपरिया मार्ग 17.60 कि.मी. .. | .. | .. | .. | .. | .. | 60,42 |
| विदिसा अशोक नगर मार्ग से आरोन 25.60 कि.मी. .. | .. | .. | .. | .. | .. | 47,93 |
| बैतूल खंडारा बरसाली अमला पहुंच मार्ग का निर्माण 25 कि.मी. पुलिया 19 नग .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,18,18 |
| आरोन पनवाड़ी हाट मार्ग के 10/8 कि.मी. सिंध नदी पर पुल का निर्माण .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,42 |
| आरोन-अशोक नगर मार्ग से पनवाड़ी हाट पहुंच मार्ग, लम्बाई 15 कि.मी. .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12 |
| चाचौड़ा से सुबासरा मार्ग व्हाया काला पीपल आमा सरे मुरेला, 17 कि.मी. .. | .. | .. | .. | .. | .. | 78,41 |
| कुम्भराज-मृगवास-सिंगनपुर मार्ग, लम्बाई 15.60 कि.मी. .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,25,54 |
| नसीरपुर-उकावट मार्ग को सुठालिया सड़क तक पक्का करना 12 कि.मी. .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,08,47 |
| भौरा कोहन मार्ग, लम्बाई 15.60 कि.मी. .. | .. | .. | .. | .. | .. | 41,48 |
| गौरा पिछोर मार्ग, लम्बाई 51.52 कि.मी. .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,38,68 |
| सिंह निवास कोरई मार्ग, लम्बाई 38.40 कि.मी. .. | .. | .. | .. | .. | .. | 50,62 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|-------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | | |
| 800--अन्य व्यय--जारी | | | | | | |
| मोहना पोहरी से आगरा बॉम्बे वाया भोपालपुर लम्बाई 24 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 90,44 |
| लिंगा कठोलिया मार्ग, लम्बाई 11.60 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,74,78 |
| गाडरवारा बारह मार्ग, लम्बाई 17.60 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 77,37 |
| आमला बोरदही मार्ग के 1 1/2 पर मध्यम पुल का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,11,03 |
| भैंसदेही खमला मार्ग 21 कि.मी. मुख्य जिला मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,57,36 |
| गुना उमरी सिरसी मार्ग का निर्माण पुलिया सहित लम्बाई 52 कि.मी. | .. | 8,27 | .. | .. | 8,27 | 36,30 |
| परौदी वाया बकीज मार्ग, 15.70 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 11,73 |
| पटारिया धकड़ से बुडनपुर पहुंच मार्ग 12 कि.मी. | .. | 71,79 | .. | .. | 71,79 | 1,73,38 |
| खासपुर से कड़लावर वाया व्यावरा मार्ग, लम्बाई 27 कि.मी. | .. | 78,20 | .. | .. | 78,20 | 2,10,52 |
| मोहास लामपुर पाली मार्ग का निर्माण, लम्बाई 17 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 38,56 |
| खजूरी ईटाखेड़ी मुगलिया छाप मार्ग का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 91,37 |
| बंगारसिया-बगरोदा-अमझरा-जामुलिया से साकल मार्ग का निर्माण 16.70 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 30,14 |
| अमराबद मारकच्छ मार्ग का निर्माण, लम्बाई 19.50 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,17,12 |
| गुगलवाड़ा देहरी कलॉ एनखेड़ा मार्ग 80 कि.मी. का निर्माण 8.60 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 82,03 |
| गरही अहमदपुर मार्ग का निर्माण 17 कि.मी. दो मध्यम पुल एवं दो वृहद पुल का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 39,72 |
| बटेरा बम्होरी बरेली सिलवानी सुल्तानगंज मार्ग 66.5 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 60,75 |
| देहगाव बम्होरी मार्ग 27 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,63,26 |
| ईटखेड़ी से अजित नगर मार्ग का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 27,73 |
| मगरोल से बगनवाड़ा तक द्वितीय श्रेणी मार्ग तथा छोटी पुलियों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 2,05,77 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | | |
| 800--अन्य व्यय--जारी | | | | | | |
| सिरोज-सेमलखेड़ी से बरेदा मार्ग का निर्माण 5.50 कि.मी. छोटी पुलिया | .. | .. | .. | .. | .. | 33,98 |
| सिरोज से अशोक नगर गरेठा वाया मुगलसराय मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 77,00 |
| देवपुर से मुगलसराय मार्ग का निर्माण 21.60 कि.मी... | .. | .. | .. | .. | .. | 2,00,35 |
| आनंदपुर अनार सबला मार्ग पुलिया 13 नग पुल 7 नग.. | .. | .. | .. | .. | .. | 3,27,58 |
| भैरासा मलहारगढ़ मार्ग का उन्नतीकरण 19.60 कि.मी... | .. | .. | .. | .. | .. | 1,50,85 |
| केसरी सहजपुर मार्ग का निर्माण लम्बाई 14.5 कि.मी... | .. | .. | .. | .. | .. | 41,01 |
| हिड़ोरिया बिलाई मार्ग, लम्बाई 10 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 19,44 |
| हथली झापाहा मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,84,43 |
| बकामा फुटेरा मगरोन मार्ग, 18.20 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 52,33 |
| फतेहपुर मिलौनी मडियादेव मार्ग, 19.40 कि.मी. | .. | 1,59,04 | .. | .. | 1,59,04 | 2,32,35 |
| पथरिया केरबना मार्ग 15 कि.मी. | .. | 87,94 | .. | .. | 87,94 | 1,22,94 |
| परेस स्नेह मार्ग लम्बाई 14.40 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 29,83 |
| देवाद खजुरी मार्ग, 17.40 कि.मी. 18 पुलियों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 2,74 |
| जावा अतरिला सड़क का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 48,18 |
| मनासा गांधी नगर सड़क की चंदापुरा भदोना सड़क 29.54 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,18,04 |
| रनगवा-देवगढ़ जिगलिया मार्ग लम्बाई 25 कि.मी. पुलिया 28 नग पुल 4 नग | .. | 65,40 | .. | .. | 65,40 | 2,69,37 |
| डांडाखिरक-तिगरा मार्ग लम्बाई 34.4 पुलिया 71 नग.. | .. | 2,13,19 | .. | .. | 2,13,19 | 6,16,52 |
| पहाड़गढ़-निरारा मार्ग 25 कि.मी. पुलिया 44 नग का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 44,28 |
| जोटोन से बासमान मार्ग का निर्माण 32.40 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 77,01 |
| उमरधा से मायनी मार्ग-लम्बाई 10.40 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 5,04 |
| चाटूखेड़ा-बामलाबे मार्ग का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 71,20 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| (हजार रुपये में) | | | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | | |
| 800--अन्य व्यय-जारी | | | | | | |
| सुठालिया-नरसिंहगढ़ मार्ग 1.5 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 34,71 |
| भीलखेड़ी-कुवर कोठरी ढावला पहुँच मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,17,72 |
| ओरा फोपल्या मार्ग का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 2,96,84 |
| बैतूल-बरेठा-घोड़ा डोंगरी-रानीपुर मार्ग 23.40 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 95,81 |
| रोलगांव-मगरघा मार्ग 17.20 कि.मी. का शेष कार्य | .. | .. | .. | .. | .. | 2,12,86 |
| हरदा-मगरधा मार्ग-लम्बाई 24.00 कि.मी. भाग I एवं II | .. | .. | .. | .. | .. | 74,11 |
| राजा सलैया-बाकुल बिहोराबंद सलीमनाबाद मार्ग 21.21 एवं 48.67 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 51,09 |
| केवलवाड़ी से खापा बाजार वाया मरकाबाद चिरचिराखंडी-गुआटी-डुगरिया मार्ग 24.60 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,62,43 |
| घन्सौर-केदारपुर-धनवारी मार्ग 27.2 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 31,06 |
| बालपुर-काछी-बुधवारा-अंगरिया-देवरी सर्प-घोघरी मार्ग 13 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,36,52 |
| घोघरी माल से खमरिया बाजार-तुआ घोघरा मुधदेवरी मार्ग 18 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,31,38 |
| नटका खापा से ओझालधाना-चिलक मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 53,21 |
| कोसमी कोपावाड़ी मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 2,02,24 |
| मारुड से इटावा मार्ग 9 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,34,18 |
| ढोलपांजरा-गुमतरा मार्ग 13 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,37,01 |
| समरबोई-सुरेजी-सरेवानी-खमरपानी 16 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,55,31 |
| गाडरवाड़ा-तेंदूखेड़ा-कोकराघाट 13.60 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,13,35 |
| मानपुर-कटंगी-लालबर्ग मार्ग का डामरीकरण | .. | .. | .. | .. | .. | 97,37 |
| तिरोड़ी-खवास मार्ग 16 कि.मी. | .. | 71,02 | .. | .. | 71,02 | 2,75,96 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|-----|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | | |
| 800--अन्य व्यय-जारी | | | | | | |
| महाराजपुर-ढाढा मार्ग का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 33,44 |
| गगेव-लोटोर मार्ग का निर्माण-लम्बाई 19.40 कि.मी... | .. | .. | .. | .. | .. | 1,34,98 |
| हरफरी-धानीखेरा-मिसरगयान-लम्बाई 27 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,75,24 |
| राजेन्द्रग्राम से गोधरा मार्ग-लम्बाई 5.00 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 64,56 |
| दुवहारा-पिपरिया कासा पगना मार्ग लम्बाई 15 कि.मी... | .. | .. | .. | .. | .. | 29,17 |
| लाघाटोला से पहनाकरपा-सराई मार्ग 39 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 14,30 |
| नोनघाटी से दुमेड़ी मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 40,23 |
| जेठारी-सिवनी-भौखाट मार्ग 13 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 74,06 |
| झोटेला-खुलाड़ी साईवाल-अंजनी मानिकपुर मार्ग का निर्माण 10 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,19,82 |
| लहार-सेंवड़ा मार्ग लम्बाई 18 कि.मी.-पुलियां 23 | .. | .. | .. | .. | .. | 54 |
| ढोचरा-गोपालपुर मार्ग-लम्बाई 24 कि.मी.-पुलियां 45.. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,47,69 |
| सिहोनिया-पोरसा वाया सगोली मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 59,32 |
| सेमई-विजयपुर मार्ग-लम्बाई 38.20 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,74 |
| अम्बाह-आरोली मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,43,54 |
| पहाड़गढ़-सहसराम मार्ग-लम्बाई 42 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 9,92 |
| अशोकनगर-मुंगावली मार्ग से पिपरई 23 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 80,55 |
| पारसेन से सिरानी इंदौर-कटवाया मार्ग 18 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,38,92 |
| शाहडोरा से माघी कानूनगो मार्ग 22 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,10,21 |
| आगरा-बॉम्बे मार्ग से पहोड़ी वाया बरसात मार्ग 15.70 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,06,04 |
| बक्सवाहा-बाजना मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 26,84 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)-- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूंजीगत लेखा-जारी | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-जारी | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | |
| 800--अन्य व्यय-जारी | | | | | |
| बीजावत-बाजना मार्ग | .. | .. | .. | .. | 86,69 |
| बक्सवाहा-दलपतपुरा मार्ग, गुगवारा नैनगिरी मार्ग का शेष भाग | .. | .. | .. | .. | 73,29 |
| किसनगट-पलाकोट मार्ग-पुलिया | .. | .. | .. | .. | 54,98 |
| मकरगंज-हरदिही मार्ग-पुलियां 26 | .. | .. | .. | .. | 52,68 |
| शहनगट-झुकेही मार्ग-लम्बाई 10.8 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | 29,73 |
| सालेह-पवई-मोहेन्द्रा मार्ग लम्बाई 66.00 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | 2,24,63 |
| शहनगट-हरदुआ वाया धोपा बौरी | .. | .. | .. | .. | 3,79,96 |
| विसानी से श्यामगिरी-कालदा सलेहा वाया मेन्हा मार्ग | .. | .. | .. | .. | 93,81 |
| सिमरिया महेन्द्रा ताईपुरा मार्ग पर नाली का निर्माण | .. | .. | .. | .. | 2,28,79 |
| हल्दीजूना-जामघाट मार्ग, लम्बाई 15 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | 1,79,57 |
| छिरारीगुड़ा-बलेह मार्ग, लम्बाई 10.64 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | 1,05,86 |
| दमोह-पथरिया मार्ग, लम्बाई 26.4 कि.मी. | .. | 1,59,04 | .. | 1,59,04 | 5,04,18 |
| पथरिया-किंदरोह-जैरठ मार्ग को पूर्ण कर डामरीकरण एवं 27 पुल निर्माण | .. | .. | .. | .. | 1,66,32 |
| गिजोरा-देवगढ़ मार्ग, लम्बाई 15 कि.मी. | .. | 8,32 | .. | 8,32 | 2,03,64 |
| केतवाना-बम्होरी मार्ग का निर्माण | .. | 5,29 | .. | 5,29 | 7,06 |
| पिपलिया नगर से रेल्वे स्टेशन मण्डी-मादरी मार्ग | .. | .. | .. | .. | 1,22,94 |
| भारिया-खजुरिया से फंद मार्ग का निर्माण, 6.5 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | 1,19,41 |
| शाजापुर से दिजनाचौका मार्ग, लम्बाई 14 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | 4,75,96 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|-------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | | |
| 800--अन्य व्यय-जारी | | | | | | |
| कुकड़ेश्वर-नामोती-आनंद मार्ग, लम्बाई 16.60 कि.मी. पुलिया 16 नग | .. | 48,35 | .. | .. | 48,35 | 2,20,74 |
| नीमच में गांधी नगर मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 5,68,66 |
| जोनतलाई-नांदनेर मार्ग का निर्माण, लम्बाई 78 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 35,31 |
| ब्योदा पठारी-खुरई मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,97,99 |
| जीराम-कनगही मार्ग, लम्बाई 12.5 कि.मी., भाग-II 14 कि.मी. पुलियों सहित | .. | .. | .. | .. | .. | 77,08 |
| बेहपुर-नाहगौल मार्ग, लम्बाई 10 कि.मी., 18 पुलियां लम्बाई 14 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,44,96 |
| मोडी से सोहम खुर्द तक 16 कि.मी. सड़क का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 49,52 |
| काला पीपल-रुमलाला मार्ग का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,40,01 |
| आमासेर-मुरैला, लम्बाई 14.6 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 57,56 |
| झांसी मार्ग को कानपुर मार्ग से जोड़ना, लम्बाई 12 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 22,84 |
| खुरई-रजवास मार्ग, लम्बाई 32.2 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,47,43 |
| मण्डी बामौरा-सनई येरम मार्ग, लम्बाई 16.8 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 96,50 |
| बीना-आगासोद-कंजिया-मुंगावली मार्ग, लम्बाई 256 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,36,97 |
| बरखेड़ा-सिकन्दर मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,06,93 |
| रोनछुलां-बलेह मार्ग, लम्बाई 11.65 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,49,12 |
| तरादेही-बांसी सर्रा मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 4,37 |
| लोहारगांव से अमनगंज वाया मुनीर मार्ग का डामरीकरण | .. | .. | .. | .. | .. | 71,62 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | | |
| 800--अन्य व्यय-जारी | | | | | | |
| पनिहार-पगारा मार्ग, लम्बाई 28.8 कि.मी. | | | | | | |
| पुलिया 48 | .. | 2,68 | .. | .. | 2,68 | 1,49,23 |
| मेहगांव से गौना पहुंच मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 3,80 |
| नवेगांव-मोरडोंगरी मार्ग, लम्बाई 20 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 10,84 |
| बुरहानपुर अमरावती मार्ग का चौड़ीकरण/डामरीकरण .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,09,91 |
| कटनी-बराही पनपला मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,00,14 |
| सिवनी मंडला मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,55,55 |
| केवलारी-उगली सरखा मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 86,03 |
| छिंदवाड़ा-नरसिंहपुर मार्ग-लम्बाई 90 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 4,32,57 |
| चोरई अमरबाग मार्ग 19.50 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,78 |
| इकलहेरा-दमुआ मार्ग-लम्बाई 27.40 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 12,03 |
| चोरई अमरबाग मार्ग-लम्बाई 6 कि.मी., वास्तविक लम्बाई 40.50 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 21,45 |
| बालाघाट-लामटा पांडरीगंज मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 30,47 |
| बालाघाट-बिक्रीगंज रामपैली तुमसर मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 2,42,21 |
| भदभदा-बिकारिगंज मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,03,29 |
| विदिशा-अशोक नगर मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 87,87 |
| बासोदा-व्योदा बागरोद मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 78,58 |
| मुल्ताई अठनेर-चिल्कापुर मार्ग, लम्बाई 51.00 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,04,00 |
| भोपाल-सीहोर-देवास मार्ग-शहरी क्षेत्र 1 कि.मी. 26/6से 43/4 तक | .. | .. | .. | .. | .. | 46,62 |
| नसरुल्लागंज-गोपालपुर मार्ग, लम्बाई 21.40 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 84,49 |
| आष्टा-कन्नोद मार्ग, लम्बाई 24 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,50,81 |
| सीहोर-विल्किसगंज भदभदा मार्ग, लम्बाई 24 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 88,11 |
| इछावर नादान नसरुल्लागंज मार्ग, लम्बाई 31.00 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,42,58 |
| रीवा बीड़ा सेमरिया मार्ग, लम्बाई 26.00 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,70,05 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|-------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | | |
| 800--अन्य व्यय-जारी | | | | | | |
| रीवा सिरमौर डमोरा मार्ग, लम्बाई 64.40 कि.मी. .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,46,98 |
| बरिगवा से बैदहन मार्ग, लम्बाई 27.20 कि.मी. .. | .. | .. | .. | .. | .. | 26,59 |
| बेला गोविन्दगढ़ चुरहट मार्ग, लम्बाई 24.80 कि.मी... .. | .. | .. | .. | .. | .. | 30,28 |
| रीवा शहडोल अमरकंटक मार्ग, लम्बाई 24.20 कि.मी. .. | .. | .. | .. | .. | .. | 8,34 |
| सुहागी व्योथर मनवार मार्ग, लम्बाई 37.60 कि.मी. .. | .. | .. | .. | .. | .. | 12,29 |
| कन्नोद आष्टा मार्ग, लम्बाई 21.40 कि.मी. .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5,51 |
| देवास बरोठा नेवरी मार्ग, लम्बाई 27.60 कि.मी. .. | .. | .. | .. | .. | .. | 44,50 |
| बैटमा चंबल इगोरिया उन्हेल मार्ग, लम्बाई 38.80 कि.मी. .. | .. | .. | .. | .. | .. | 97,87 |
| मन्दसौर सीतामऊ मार्ग .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7,01 |
| गांधीनगर भानपुर झालावाड़ मार्ग .. | .. | .. | .. | .. | .. | 37,87 |
| नीमच गांधीनगर झालावाड़ मार्ग, लम्बाई 62.60 कि.मी. .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,19,13 |
| कसरावद मण्डलेश्वर मार्ग .. | .. | .. | .. | .. | .. | 89,64 |
| बड़वानी खेतिया पाटी मार्ग, लम्बाई 64.00 कि.मी... .. | .. | .. | .. | .. | .. | 68,54 |
| आशापुर खालवा सिंगोट मार्ग .. | .. | .. | .. | .. | .. | 73,66 |
| बामनिया पेटलाबाद रायपुरिया मार्ग, लम्बाई 18.00 कि.मी. .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,13,07 |
| आगरा मुम्बई मार्ग का नवीनीकरण, लम्बाई 14.20 कि.मी. .. | .. | 33,07 | .. | .. | 33,07 | 3,84,40 |
| भिण्ड भाण्डेर-चिरगांव मार्ग, लम्बाई 42 कि.मी. .. | .. | .. | .. | .. | .. | 87,65 |
| शिवपुरी-शयोपुर मार्ग का नवीनीकरण .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,99,83 |
| शयोपुर-पाली मार्ग का नवीनीकरण .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,05,79 |
| मोहना-पोहरी मार्ग, लम्बाई 52.00 कि.मी. .. | .. | .. | .. | .. | .. | 76,88 |
| पिछोर-दिनारा मार्ग, लम्बाई 28.40 कि.मी. .. | .. | .. | .. | .. | .. | 22,01 |
| जतारा-लछोरा ज्योटा मार्ग, लम्बाई 28.90 कि.मी. .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,24,62 |
| इंदौर देपालपुर चंचल मार्ग .. | .. | 60,75 | .. | .. | 60,75 | 2,67,12 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|-----|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | | |
| 800--अन्य व्यय-जारी | | | | | | |
| टाण्डा पीराबाद मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,11,43 |
| नजीराबाद, मजीगढ़ देवपुरा मार्ग का निर्माण, लम्बाई 22.20 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,06,57 |
| टीलाखेड़ी से रातीनड़ मार्ग का निर्माण, लम्बाई 11.00 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 69,07 |
| तवापुल से इटारसी मण्डी मार्ग का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,49 |
| गप्पूखेड़ी भोरवड़ी सौसरखेड़ा, लम्बाई 11.60 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 10 |
| केवटी कटरा लावगांव, लम्बाई 26.00 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 74,40 |
| बैकुण्ठपुर पूल देवास मार्ग, लम्बाई 16.60 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 71,61 |
| बनोदिया अजनोद मार्ग, लम्बाई 17.50 कि.मी., पुलिया 18 नग | .. | .. | .. | .. | .. | 53,70 |
| अट्ठादेहा से पाडीलया मार्ग का डामरीकरण, लम्बाई 11.00 कि.मी., पुलिया 12 नग | .. | .. | .. | .. | .. | 17,56 |
| कटनी पोला मझोली अमाना बचैया मार्ग 3.20 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,50,56 |
| स्योदा पाण्डरी टेहनगुर संडोस मार्ग, लम्बाई 29.00 कि.मी.पुलिया 12 नग, मध्यम पुलिया 3 नग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,76,26 |
| देवास कल्लोद से डबल चौकी मार्ग का निर्माण 16.00 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 3,86 |
| मानपुरा भैसोदा मण्डी मार्ग, लम्बाई 13.80 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 28,41 |
| सीतामऊ जावरा मार्ग, लम्बाई 22 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 3,86 |
| गरोठ रेल्वे स्टेशन से बड़चियामरा मार्ग, लम्बाई 7 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 24,44 |
| रामगढ़ खजूरीपथ मार्ग, लम्बाई 9.90 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 2,14 |
| बोडिया आमरा से बालोद मार्ग, लम्बाई 35.15 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,63,27 |
| सुनेरा से खोटिथासमा मार्ग, लम्बाई 8.00 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 17,93 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-जारी | | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | | |
| 800--अन्य व्यय--जारी | | | | | | |
| रहेली सलवार गोरझामरा मार्ग का निर्माण (द्वितीय श्रेणी) लम्बाई 18.6 कि.मी. 7 नग पुल पुलिया सहित, लम्बाई 17 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 31,36 |
| हथनी झापन मार्ग, लम्बाई 35.40 कि.मी. (आर.आई.डी.एफ-4) | .. | .. | .. | .. | .. | 1,30,05 |
| लोहार गांव से अमानगंज व्हाया मुनीर मार्ग का डामरीकरण, लम्बाई 23.40 कि.मी. | .. | 1,44 | .. | .. | 1,44 | 47,76 |
| मकरगंज हरदीही गुनोर मार्ग-पुलियां 26 नग, मध्यम पुल 1 नग-20.2 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 16,11 |
| शाहनगर झुकेही मार्ग, लम्बाई 10.8 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 20,15 |
| सलेहा पवई मोहेन्द्रा मार्ग, लम्बाई 66 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 28,41 |
| मंजना पलेरा मार्ग का निर्माण, लम्बाई 55.2 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 64,30 |
| रहेली शौलवारा गौरझामर मार्ग लम्बाई 11 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 78 |
| मसुरहाई तोड़ा मार्ग 12.08 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 2,10,84 |
| अमरपाटन शहपुरा मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 19,67 |
| 'डुंगासरा कालानाग रुसल्ला बडा मार्ग लं. 8 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 68,06 |
| चंदेरी से वाईपास मार्ग लम्बाई 5 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,17,35 |
| महत्वपूर्ण एवं रजत जंयती कार्यों तक पहुंच छापरी गाजर नगरी से पड़हावरा मार्ग 13.5 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 26,06 |
| ग्राम आदवन से अवारमाता लम्बाई 5.6 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 6,49 |
| सिरोजा से पामाखेड़ी मार्ग लम्बाई 8 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 46,90 |
| अंजन से भीकनगांव वाया रहेगांव शंकरगांव मार्ग लम्बाई 19 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 67,14 |
| बेसरकुड़ से भलतार वाया सिनगुन हथेला मार्ग लम्बाई 12.5 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 3,03,10 |
| मेहगांव से गौना पहुंच मार्ग 12 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 21,15 |
| मोहना पोहरी से आगरा बाम्बे वाया भोपालपुर मार्ग, लम्बाई 24 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 25,06 |
| इन्दरगढ कामद मार्ग 30.2 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 86,00 |
| घनौरा बेलई भानगढ मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,02,11 |
| चौरई मंडिया अग्रसेन हर्षा छापरा मार्ग लम्बाई 7.40 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,37,87 |
| बिलहरा पनारी चांदोनी मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 79,95 |
| बंडा शाहपुर गनेशगंज मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 2,19,69 |
| ग्वालियर मुरार बेहट मार्ग लम्बाई 41.20 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 4,01 |
| देहरदा राजघाट मार्ग 59.20 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 13,20 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-जारी | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | |
| 800--अन्य व्यय--जारी | | | | | |
| कटनी अमानगंज किशनगढ़ मार्ग 40 किमी | .. | .. | .. | .. | 92,25 |
| सिमरिया अमानगंज पन्ना चित्रकूट मार्ग 44 किमी | .. | .. | .. | .. | 43,76 |
| पन्ना फरीखेड़ा मार्ग 38.4 किमी. | .. | .. | .. | .. | 1,42,21 |
| टीकमगढ़ ललितपुर मार्ग | .. | .. | .. | .. | 3,39,41 |
| परिघाट सिमलासा कंजीया मार्ग 38.5 किमी | .. | .. | .. | .. | 62,33 |
| गढ़पैरा घामौनी मार्ग 35 किमी | .. | .. | .. | .. | 12,25 |
| बन्डा बहरौल बांधरी मार्ग 36 किमी | .. | .. | .. | .. | 14,41 |
| बन्डा बरायठा मार्ग 32 किमी | .. | .. | .. | .. | 39,17 |
| बन्डा बरा मार्ग 29 किमी | .. | .. | .. | .. | 39,43 |
| खुरई राहतगढ़ मार्ग 29.60 किमी | .. | .. | .. | .. | 51,24 |
| भानपुर कठोतिया मार्ग का उन्नतीकरण लम्बाई 5 किमी | .. | .. | .. | .. | 52 |
| छतवई पटासी मार्ग, लम्बाई 10 किमी | .. | .. | .. | .. | 44,40 |
| ब्योहारी बनसुकली सीधी मार्ग, लम्बाई 56 किमी | .. | .. | .. | .. | 4,70,93 |
| चुहरी लफवा भेका मार्ग, लम्बाई 19 किमी ट्रांसपोर्ट नगर (कोकटा) से भानपुर चौराहा तक लम्बाई 15 किमी | .. | 98,22 | .. | 98,22 | 99,02 |
| डी-फोर केनाल कोलिया से बर्रीघाट, रमोला से गुलाबगंज मुख्य मार्ग का निर्माण, लम्बाई 14 किमी | .. | 64,32 | .. | 64,32 | 2,58,06 |
| एन.एच.12 से बम्होरी बलीराम तक मार्ग का निर्माण | .. | 1,06,84 | .. | 1,06,84 | 1,09,47 |
| टेकापार कला पहुंच मार्ग का निर्माण | .. | 22,10 | .. | 22,10 | 40,15 |
| गाहेयार बरुआ पहलवा गुदारे मार्ग लम्बाई 17 किमी | .. | .. | .. | .. | 1,83,64 |
| मझगवां पटना पहाड़ीखेड़ा मार्ग लम्बाई 33 किमी | .. | .. | .. | .. | 3,46 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | |
| 800--अन्य व्यय--जारी | | | | | |
| नजीराबार माजीगढ़ देवापुरा मार्ग का निर्माण, लम्बाई 22.2 किमी | .. | .. | .. | .. | 1,65,40 |
| होशंगाबाद के शहरी क्षेत्र का नवीनीकरण, लम्बाई 16.75 किमी | .. | .. | .. | .. | 1,34 |
| हबीबगंज नाका से रायसेन चौराहे तक मार्ग का उन्नतीकरण लम्बाई 4.4 किमी | .. | 19,95 | .. | 19,95 | 3,78,57 |
| दुर्गानगर से विदिशा रेल्वे स्टेशन मार्ग | .. | .. | .. | .. | 97,84 |
| गुडहट छिनावर मार्ग, लम्बाई 9.3 किमी | .. | .. | .. | .. | 75,82 |
| रीवा सेमरिया मार्ग, लम्बाई 33.6 किमी | .. | .. | .. | .. | 2,13,15 |
| वनवारी पिपरिया कला मार्ग का निर्माण, लम्बाई 10.4 किमी | .. | 67,11 | .. | 67,11 | 3,10,63 |
| बनेदिया गिरोटा मार्ग का निर्माण, लम्बाई 28.2 किमी | .. | .. | .. | .. | 27,73 |
| गुनगा से मनीखेड़ी दिलोत मार्ग, लम्बाई 7.5 किमी | .. | .. | .. | .. | 39,75 |
| गोल से अमराबाद कला मार्ग, लम्बाई 7.85 किमी | .. | .. | .. | .. | 92,34 |
| सूखी सेवनिया मुगलियाखोट चाचेत अगरिया मार्ग, लम्बाई 12.32 किमी | .. | .. | .. | .. | 70,47 |
| बागली सेकलरा बरई झगरिया अमझरा मार्ग, लम्बाई 11.7 किमी | .. | 18,21 | .. | 18,21 | 71,99 |
| अमला अमरपुर समसापुरा मार्ग, लम्बाई 17.5 किमी | .. | .. | .. | .. | 1,12,91 |
| इटारसी डोलरिया तिगरिया मार्ग, लम्बाई 7.6 किमी | .. | .. | .. | .. | 59,34 |
| इटारसी डमडम मरोड़ा मार्ग का शेष कार्य, लम्बाई 17.4 किमी | .. | .. | .. | .. | 9,82 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | | |
| 800--अन्य व्यय--जारी | | | | | | |
| वनखेड़ी उमरधा मार्ग, लम्बाई 5 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 83,20 |
| सिवनी मालवा बाबरीघाट मार्ग, लम्बाई 22 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,58,52 |
| चोरहेट से फुरलता मार्ग, लम्बाई 6.2 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 13,60 |
| सलकनपुर मरदानुर मार्ग, लम्बाई 11.6 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 77,68 |
| इटारसी छीपानेर मुख्य जिला सड़क, लम्बाई 8 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 59,90 |
| सुल्तालिया पीपखेड़ा सलेयो मार्ग, लम्बाई 12.8 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 17,98 |
| बासोदा बरेठ उदयपुरा मार्ग, लम्बाई 16.8 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,27,65 |
| सेमरखेड़ी से बरेड़ा मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 33,92 |
| अनदपुर से अनासी कला मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,42,53 |
| तरकपुरा धामंदी खेरुआ मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 33,52 |
| छापरखेड़ा कोलाधा अजिया मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 87,28 |
| करारिया समशाबाद से बचनपुर करैया खेड़ी शेरपुरा मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 4,00,01 |
| नटेऊ खरई मूदरा पीताम्बर निपनिया नागेर मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,48,41 |
| बेसनगर टीला से बिछिया भीरखेड़ा मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 68,19 |
| खामखेड़ा लोघाटी गंधवाड़ा पीपलखेड़ा मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,47,12 |
| शेरु नटेरु से विदिशा अशोकनगर मार्ग, लम्बाई 8.1 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 89,42 |
| मूदरा बजल आसखेड़ी से बगरोधा सिरोंज मार्ग | .. | 5,75 | .. | .. | 5,75 | 1,30,72 |
| संतोषपुर से भोरिया मार्ग, लम्बाई 12 किमी | .. | 1,09,35 | .. | .. | 1,09,35 | 2,92,63 |
| सीमरमऊ पिपरिया मार्ग, लम्बाई 8 किमी | .. | 16,12 | .. | .. | 16,12 | 45,90 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---|--------------------------|-------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | | |
| 800--अन्य व्यय--जारी | | | | | | |
| मगरधा महेश्वर मार्ग, लम्बाई 4 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 21,18 |
| सेमली से रामगढ़ मार्ग, लम्बाई 15 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 39,03 |
| कमताड़ा सिराली मुकदाई मार्ग, लम्बाई 164.53 किमी | .. | 52,97 | .. | .. | 52,97 | 62,73 |
| छिंदगांव टेमगांव मार्ग, लम्बाई 11.6 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,35,52 |
| रघुनाथपुर मुरतला मार्ग, लम्बाई 8.2 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 2,45,23 |
| लहचुआ भरतपुर शिकारगंज मार्ग, लम्बाई 12.6 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,70,37 |
| झुरई सरई मार्ग, लम्बाई 33.4 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,15,48 |
| बरका पुरेल मार्ग, लम्बाई 18 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 72,42 |
| बनखेड़ी पोनिया ककरहटा मुरगांवा मार्ग, लम्बाई 10.7 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 2,92,05 |
| सिहोरा मंगतजाल गोरा हरदुआ बांध नावघाट मार्ग का निर्माण, लम्बाई 15.6 किमी | .. | 36,74 | .. | .. | 36,74 | 2,65,59 |
| इन्द्राना दनियाचारी मुरई मार्ग, लम्बाई 10 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 3,00,08 |
| रानीताल रुपनाद बहोरीबंद मार्ग, लम्बाई 21.1 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 7,12,15 |
| इमलिया खमरिया कुडावाकल मार्ग, लम्बाई 12.8 किमी | .. | 41,00 | .. | .. | 41,00 | 3,33,95 |
| कटनी केलवारा खरखड़ी हतपुरी मार्ग का निर्माण, लम्बाई 22.2 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 4,58,86 |
| बरतरी पाकर मनसदा मार्ग का निर्माण, लम्बाई 20.4 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 4,97,57 |
| केवलारी से खापा बाजार व्हाया मरकावाड़ा चिरचिराखेड़ी ग्वारी कामा दुगरिया मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 22,55 |
| उभयगांव बोधरा राजबिछुआ मार्ग, लम्बाई 10.6 किमी पुलियां 31 | .. | .. | .. | .. | .. | 24,54 |
| तेदूखेड़ा गाडरवारा मार्ग, लम्बाई 18 किमी | .. | 25,41 | .. | .. | 25,41 | 75,35 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|-------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | | |
| 800--अन्य व्यय--जारी | | | | | | |
| देपालपुर केसूर मार्ग, लम्बाई 17.4 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,08,88 |
| पानखेड़ी बिस्तान सगाड़ी मार्ग, लम्बाई 22 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 96,97 |
| भूरिया खजुरिया से बरेछा पातर मार्ग का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 23,71 |
| उनाव बसवाहा मार्ग, लम्बाई 18.5 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,82,23 |
| पडोरा गोरा मार्ग, लम्बाई 12 किमी पुलियां 10 | .. | .. | .. | .. | .. | 99,25 |
| गिरवानी गाजीगढ़ मार्ग, लम्बाई 6.4 किमी पुलियां 6 | .. | .. | .. | .. | .. | 74,98 |
| भादोर से बरखेड़ा गिर्घ मार्ग, लम्बाई 10 किमी | .. | 5,16 | .. | .. | 5,16 | 2,10,36 |
| दम्होलावाली मंगरह मार्ग; लम्बाई 14 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,44,30 |
| मंडी बामोरा सरई एरन मार्ग, लम्बाई 16.8 किमी पुलियां 18 | .. | .. | .. | .. | .. | 1,44 |
| राजनगर बछाने बडाला मार्ग, लम्बाई 24 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 2,59,96 |
| बम्होरी मोहनगढ़ मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,56,94 |
| गंजाखजारी मार्ग | .. | 19,02 | .. | .. | 19,02 | 1,12,74 |
| फूलपुर मगराई पालीचरी प्रचेरघाट मार्ग | .. | 38,76 | .. | .. | 38,76 | 4,77,93 |
| खरमापुर कुटिला पचोर मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 2,89,81 |
| दिगोदा बखार जनारा मार्ग | .. | 26,75 | .. | .. | 26,75 | 1,29,59 |
| प्रसिवपुर टेहरका घुगसी मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 2,02,45 |
| बसादेवरान भरोसा मार्ग, लम्बाई 6.5 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 66,37 |
| लाहुरी कंदीपुर चैनपुरा हिडोरिया मार्ग, लम्बाई 9.6 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,87,28 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय | |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|------------------------|---------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | योग |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | | |
| 800--अन्य व्यय--जारी | | | | | | |
| हिडोरिया पिपरिया साडा मार्ग, लम्बाई 10 किमी | .. | 16,43 | .. | .. | 16,43 | 2,38,02 |
| हडिनी श्रापन मार्ग का उन्नतीकरण, लम्बाई 18 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 83,38 |
| राजगढ़ दिनारी मार्ग, लम्बाई 13.2 किमी | .. | 46,93 | .. | .. | 46,93 | 1,78,45 |
| बादकपुर बनवार मार्ग, लम्बाई 12.4 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 2,09,87 |
| बासा इमलिया धानमोर मार्ग, लम्बाई 9.2 किमी | .. | 49,27 | .. | .. | 49,27 | 1,90,71 |
| अजयगढ़ कोरिया बरियापुर मार्ग, लम्बाई 24 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 3,30,52 |
| कोतार बिरसिंहपुर मार्ग, लम्बाई 11.65 किमी | .. | .. | .. | .. | .. | 1,27,59 |
| झरकुआ रहगांव करसरा मार्ग, लम्बाई 24.2 किमी | .. | 41,36 | .. | .. | 41,36 | 2,75,45 |
| भाटिया चोरहटा मार्ग, लम्बाई 16.2 किमी | .. | 5,52 | .. | .. | 5,52 | 1,39,15 |
| शीतला माता चीनोर मार्ग | .. | 1,47,60 | .. | .. | 1,47,60 | 2,64,89 |
| चरोखरा पिया बसई मालिक से रतनगढ़ माता मंडी रोड तक का निर्माण | .. | 58,59 | .. | .. | 58,59 | 2,60,09 |
| गोहद धामरा मार्ग (नाबाड) | .. | 24,95 | .. | .. | 24,95 | 2,35,64 |
| राय किसपलाई हरीक्षा मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,16,97 |
| खुर्द महेदीपुरा मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,14,76 |
| बेलाई करीला माता मंदिर मार्ग | .. | 1,05,33 | .. | .. | 1,05,33 | 2,34,31 |
| अशोकनगर पिपरोधथुरा मार्ग | .. | 2,61 | .. | .. | 2,61 | 2,49,35 |
| मथना कुटवारा मार्ग का निर्माण | .. | 83,86 | .. | .. | 83,86 | 1,86,88 |
| बीना टाउन से सीरोड निर्माण | .. | 13,24 | .. | .. | 13,24 | 1,13,62 |
| हिन्दोरिया बन्द कापर मार्ग | .. | 4,41 | .. | .. | 4,41 | 24,87 |
| दमोह हिन्दोरिक पलोरी मार्ग का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 3,80,17 |
| चेवला मडिया हुवाज पड़ी पटेरा रोड | .. | 19,79 | .. | .. | 19,79 | 1,69,18 |
| बमेथा खजरेहा मार्ग का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 3,29,30 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय | |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|------------------------|---------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | योग |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | | |
| 800--अन्य व्यय--जारी | | | | | | |
| महेबा निर्माण, लम्बाई 10.5 कि.मी. | .. | 59,37 | .. | .. | 59,37 | 1,78,79 |
| मकसुदनगढ मार्ग का निर्माण | .. | 29,34 | .. | .. | 29,34 | 1,30,63 |
| सेहरारी एकोलगढ मार्ग | .. | 37,84 | .. | .. | 37,84 | 1,86,08 |
| हर्ष से बेरीयारपुर वाया भगोही मार्ग का निर्माण | .. | 30,00 | .. | .. | 30,00 | 1,96,51 |
| कंजई सकरी अंडुआ किंग अलदीप मार्ग लम्बाई 4.56 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,03,77 |
| बंकेरी मुरथ लोमकाना पोडीखेडा मार्ग लम्बाई 25.30 कि.मी. | .. | 59,65 | .. | .. | 59,65 | 5,88,30 |
| अमरपुर पठोरा पिपरिया मार्ग | .. | 61,89 | .. | .. | 61,89 | 1,77,25 |
| दमना जबलपुर मार्ग का निर्माण | .. | 1,32,57 | .. | .. | 1,32,57 | 3,05,38 |
| सेलवाडा भंडोरा कच्छगांव मार्ग लम्बाई 20 कि.मी. | .. | 60,17 | .. | .. | 60,17 | 78,67 |
| स्लीमनबाद बहोरी बंद मार्ग | .. | 11,95 | .. | .. | 11,95 | 1,77,90 |
| जिंजारी बिल्हारी देवगांव मार्ग लम्बाई 24.8 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,23,68 |
| विजयराघवगढ पडरखेड़ी सलेनियां मार्ग | .. | 97,20 | .. | .. | 97,20 | 2,64,01 |
| बरतारा सिंगुडी सलैया मार्ग लम्बाई 20 कि.मी. | .. | .. | .. | .. | .. | 1,11,22 |
| पोण्डा बच्छाविस मार्ग, लम्बाई 15 कि.मी. | .. | 1,26,51 | .. | .. | 1,26,51 | 2,27,91 |
| विलायत कलोन गनेशपुर सलाहन मार्ग | .. | 34,79 | .. | .. | 34,79 | 1,75,06 |
| भटुरा जमुनी बंधी मार्ग | .. | 38,02 | .. | .. | 38,02 | 1,08,66 |
| हरदा बिरहुली धनोरा बिल्हारी मार्ग | .. | 99,27 | .. | .. | 99,27 | 2,00,50 |
| माधवनगर कैंप कटनी में पुल तथा पुलिया का निर्माण | .. | .. | .. | .. | .. | 1,79,44 |
| भोमा चीथापुरा खाम खादी मार्ग | .. | 8,30 | .. | .. | 8,30 | 3,74,12 |
| माली टिकोरी प्रतापपुर मार्ग | .. | 24,42 | .. | .. | 24,42 | 1,16,88 |
| पनोर से गुधराकाला खुर्द तक निर्माण, 10 कि.मी. | .. | 31,27 | .. | .. | 31,27 | 1,22,58 |
| उमरनाला मोखद साओरी मार्ग लम्बाई 19 कि.मी. | .. | 1,12,65 | .. | .. | 1,12,65 | 1,63,27 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|---------|---------------------------|--------------------------|---------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | | |
| 800--अन्य व्यय--जारी | | | | | | |
| चौराई संखखोमत पानी मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 18,49 |
| लावागोरी बिजगोरा मार्ग | .. | 29,80 | .. | .. | 29,80 | 97,08 |
| पटपटा मोरादडोंगरी मार्ग | .. | 26,11 | .. | .. | 26,11 | 1,20,85 |
| पोदार सलाईचोका मार्ग का निर्माण | .. | 89,66 | .. | .. | 89,66 | 1,75,53 |
| खेरीनाका तक बाईपास का निर्माण | .. | 1,61,30 | .. | .. | 1,61,30 | 2,71,66 |
| दोफी फिलतारी मार्ग का निर्माण | .. | 39,57 | .. | .. | 39,57 | 1,30,53 |
| चिची लिंक मार्ग का निर्माण | .. | 22,60 | .. | .. | 22,60 | 1,34,39 |
| नरसिंहपुर देवकछार मार्ग का निर्माण | .. | 47,38 | .. | .. | 47,38 | 3,25,86 |
| नैनपुर सारा चिचोली पाठा सिहोरा घुगरवाड़ा लम्बाई 18.4 कि.मी. | .. | 1,29,99 | .. | .. | 1,29,99 | 1,72,56 |
| राथगाव रामनगर मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 3,62,14 |
| बैहर लामटा मार्ग | .. | 4,56 | .. | .. | 4,56 | 60,56 |
| कटंगी नन्दोरा मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 97,27 |
| बालाघाट बेही मार्ग | .. | 1,83,70 | .. | .. | 1,83,70 | 2,46,97 |
| हलबीतुला बडेगांव दहेड़ी भलवा रोड़ | .. | 13,98 | .. | .. | 13,98 | 43,98 |
| मड़िया धामनोद बर्री धामनोद बगरोद मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 89,27 |
| पठारी त्योदा बरोद मार्ग | .. | 62,50 | .. | .. | 62,50 | 74,37 |
| मल-बमोरा से बमोरा मार्ग | .. | 54,75 | .. | .. | 54,75 | 1,68,93 |
| रुसललीदामा, गुलाबगंज, रफसोल हवाई खेड़ा ऐंचनवाड़ा बूदीगढ़ बरेज मार्ग | .. | 60,74 | .. | .. | 60,74 | 1,92,67 |
| सोमबारा से चम्पाखेड़ी, नानकपुर, महुआ खेड़ा रमपुरा बासौदा देवली से सतपाड़ा मार्ग | .. | 1,18,16 | .. | .. | 1,18,16 | 2,33,77 |
| मूड़रा मुशारिया से बरखेड़ा जागीर मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,29,33 |
| बूडरामाता से सतगुरु नगर मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 8,40 |
| दुधावरी से छपारा तहसील कुरबाई व्याहा मनेशा मार्ग | .. | 4,19 | .. | .. | 4,19 | 59,08 |
| बामोरीशाला तहसील सिरोंज से करीला मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,92,53 |
| कुरवाई से बरुवल व्हाया केमोरा नाही मार्ग | .. | 44,04 | .. | .. | 44,04 | 1,59,91 |
| ग्यारसपुर से इन्द्रवास मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 96,87 |
| मानौरा एन.एच.86 से पिपरिया धोखेड़ा मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 1,23,61 |
| इकलौद उदयरामपुर सफदलपुर से पियोली महेरा से विदिशा अशोकनगर मार्ग | .. | .. | .. | .. | .. | 51,81 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|---------|---|--------------------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--जारी | | | | | |
| 800--अन्य व्यय--जारी | | | | | |
| रायसेन जिलान्तर्गत तथा विदिशा के सांची, उदयगिरी, गयारसपुर, गुलाबगंज, बासौदा, बरेठ, उदयपुर मालादेवी मार्ग | .. | 1,56,42 | .. | 1,56,42 | 4,16,79 |
| बैरसिया मार्ग से बागरीजबार छीटखेड़ा मार्ग | .. | .. | .. | .. | 27,69 |
| बबचिया से मूडराचन्द पीपलखेड़ा मार्ग | .. | .. | .. | .. | 62,28 |
| लहारपुर से खैरखेड़ी धोनीखेड़ी तिनसियाई मार्ग | .. | .. | .. | .. | 50,18 |
| हसुआ से कटसारा मार्ग रायसेन जिले की सीमा तक | .. | .. | .. | .. | 63,53 |
| दयानदपुर से बदनपुर भिमाखेड़ी गंगरवाड़ा मार्ग | .. | .. | .. | .. | 19,80 |
| गजार से गुलाबगंज मार्ग | .. | 56,95 | .. | 56,95 | 1,68,65 |
| शमशाबाद मंडी कांक्रीट पहुंच मार्ग | .. | .. | .. | .. | 9,28 |
| बासौदा व्यौदा बागरोद मार्ग के कि.मी. 14/2 गयारसपुर एन.एच.86 से विदवांसन दुसैरी देलांखेड़ी गुलाबरी मार्ग | .. | .. | .. | .. | 62,06 |
| सूखानीमखेड़ी परासिया गुजर करैया बोरिया पिपरिया कोटा खेजडा सुलतान मार्ग | .. | .. | .. | .. | 82,46 |
| पौवानाला से चटुवा मार्ग | .. | 67,55 | .. | 67,55 | 1,05,82 |
| सिरोंज शहरी क्षेत्र छत्री चौराहा से कस्टम मार्ग सीमेन्ट कांक्रीट मार्ग | .. | .. | .. | .. | 32 |
| मझगवां बागहराजी मार्ग का निर्माण | .. | 1,13,05 | .. | 1,13,05 | 1,13,05 |
| घट सिमरिया अगरिया प्रतापपुर मार्ग 17.5 किमी | .. | 1,58,64 | .. | 1,58,64 | 1,58,64 |
| गारेहा खांदरा मार्ग 5.5 किमी | .. | 97,24 | .. | 97,24 | 97,24 |
| पोडी भीता खैथरा खटोली मार्ग | .. | 1,13,74 | .. | 1,13,74 | 1,13,74 |
| तिलसानी बागहराजी मार्ग | .. | 2,70,00 | .. | 2,70,00 | 2,70,00 |
| माधवनगर सीमेन्ट कांक्रीट मार्ग का निर्माण | .. | 71,82 | .. | 71,82 | 71,82 |
| कुदा हथवार मार्ग | .. | 18,11 | .. | 18,11 | 18,11 |
| सुददी राजरबण्डा बरखटा मार्ग | .. | 11,34 | .. | 11,34 | 11,34 |
| स्लीमनाबाद विलायतकलां मार्ग (एसआरआईपी) | .. | 10,21 | .. | 10,21 | 10,21 |
| कैमोर भटीरा मार्ग | .. | 14,57 | .. | 14,57 | 14,57 |
| उमरेल नाला मोह खेड मार्ग | .. | 27,18 | .. | 27,18 | 27,18 |
| छोटा महादेव पहुंच मार्ग | .. | 9,22 | .. | 9,22 | 9,22 |

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|--|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| (हजार रुपये में) | | | | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-जारी | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय--जारी | | | | | |
| 04--जिला तथा अन्य सड़कें--समाप्त | | | | | |
| 800--अन्य व्यय--समाप्त | | | | | |
| उमरिया इसरा मार्ग | .. | 13,12 | .. | .. | 13,12 |
| पिपरिया लालु अंधोरी मार्ग | .. | 14,29 | .. | .. | 14,29 |
| बांका नागनपुर मार्ग | .. | 1,12 | .. | .. | 1,12 |
| भगोरा लोधीखेड़ा मार्ग | .. | 58,20 | .. | .. | 58,20 |
| बामला उभागॉव मार्ग | .. | 17,81 | .. | .. | 17,81 |
| रेंगाटोला चेंजीरा बेनी मार्ग | .. | 1,06,22 | .. | .. | 1,06,22 |
| खामसडा किरहाई रामगढ़ मुकुंदपुर मार्ग का निर्माण | .. | 3,12,60 | .. | .. | 3,12,60 |
| नागौद कालिंजर मार्ग का निर्माण | .. | 6,00,80 | .. | .. | 6,00,80 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | 2,10,57,85 | 1,29,04 | .. | 2,11,86,89 |
| | | | | | 9,44,78,07 |
| | | | | | 5,48,50,23 |
| योग--800 | .. | 2,81,49,92 | 1,29,04 | .. | 2,82,78,96 |
| | | | | | 15,24,51,42 |
| | | | | | 5,78,67,57 |
| योग--04 | .. | 6,04,66,17 | 1,29,04 | .. | 6,05,95,21 |
| | | | | | 26,67,21,40 |
| | | | | | 8,35,22,03 |
| 05- सड़कें- | | | | | |
| 337-सड़क निर्माण कार्य-- | | | | | |
| नीमच-गांधी सागर मार्ग का उन्नतीकरण एवं महत्व | .. | .. | .. | .. | 2,33,13 |
| अन्तर्राज्यीय आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | 18,23,96 |
| म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण | .. | .. | .. | .. | 1,19,74,35 |
| शाला टेकरी बैहर मार्ग लम्बाई 20 किमी | .. | .. | 2,25,00 | .. | 2,25,00 |
| पांहुर्ना वर्धा नदी मार्ग | .. | .. | 2,88,95 | .. | 2,88,95 |
| बडचोचली सावर गांव मार्ग | .. | .. | 35,76 | .. | 35,76 |
| सिवनी खारीपकाका लांधा मार्ग | .. | .. | 49,26 | .. | 49,26 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | 34,00,00 | 10,17,70 | .. | 44,17,70 |
| | | | | | 3,56,20,24 |
| योग--337 | .. | 34,00,00 | 16,16,67 | .. | 50,16,67 |
| | | | | | 5,04,38,49 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|-------------|---|--------------------------|-------------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | योग | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा-समाप्त | | | | | | |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-समाप्त | | | | | | |
| 05- सड़कें-- समाप्त | | | | | | |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | -- | 2,91,67 |
| 800--अन्य व्यय-- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | -- | 40,00,00 |
| योग-- 05 | .. | 34,00,00 | 16,16,67 | .. | 50,16,67 | 5,47,30,16 |
| 80--सामान्य-- | | | | | | |
| 190-- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-- | | | | | | |
| मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की अंशपूँजी में निवेश | .. | 1,00,00 | .. | .. | 1,00,00 | 18,00,00 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-- | | | | | | |
| मध्य प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 60,00 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 1,05,64,59 |
| योग--796 | .. | .. | .. | .. | .. | 1,06,24,59 |
| 797--आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अंतरण- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | -10,42 |
| 800--अन्य व्यय- | | | | | | |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | 32,63,14 | .. | .. | 32,63,14 | 46,19,28 |
| योग--80 | .. | 33,63,14 | .. | .. | 33,63,14 | 64,19,28 |
| योग--5054 | .. | 16,19,91,39 | 17,45,71 | .. | 16,37,37,10 | 70,59,22,09 |
| | | | | | | 11,65,07,21 |
| 5055--सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-- | | | | | | (क) |
| शासकीय एवं अन्य सड़क परिवहन प्रतिष्ठानों में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 1,35,35,68 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-- | | | | | | (क) |
| लोक उपक्रम एवं अन्य प्रतिष्ठानों में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 6,62,00 |
| 800--अन्य व्यय-- | | | | | | |
| मोटर परिवहन सेवाएं | .. | .. | .. | .. | .. | -31,88 |
| म.प्र. सड़क परिवहन निगम को मार्गों के अराष्ट्रीयकरण करने के बदले सहायता-निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 6,50,00 |
| योग--5055 | .. | .. | .. | .. | .. | 6,50,00 |
| | | | | | | 1,41,65,80 |
| योग--(छ)--परिवहन का पूँजीगत लेखा | .. | 16,31,55,16 | 17,45,71 | .. | 16,49,00,87 | 71,79,35,83 |
| | | | | | | 13,13,42,96 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है ।

(क) पृष्ठ 292 पर पाद टिप्पणी (क) देखें ।

विवरण संख्या--13-जारी

व्यय का प्रकार

वर्ष के दौरान व्यय

| | योजनागत | | केन्द्र प्रवर्तित | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|---------|----------|-------------------|--------------------------|----------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| भ--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूँजीगत लेखा-- | | | | | | |
| 5425--अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 800-- अन्य व्यय-- | | | | | | |
| परिषद के लिये भवन का निर्माण | .. | 3,00,00 | .. | .. | 3,00,00 | 5,00,00 |
| विज्ञान पार्क की परिषद स्थापना हेतु भवन निर्माण | .. | 5,00,00 | .. | .. | 5,00,00 | 5,00,00 |
| योग--5425 | .. | 8,00,00 | .. | .. | 8,00,00 | 10,00,00 |
| योग-- (झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूँजीगत लेखा | .. | 8,00,00 | .. | .. | 8,00,00 | 10,00,00 |
| (ज)--सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-- | | | | | | |
| 5452--पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय-- | | | | | | |
| 01--पर्यटक अवसंरचना-- | | | | | | |
| 101--पर्यटक केन्द्र- | | | | | | |
| केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्र का भाग | .. | .. | 30,00,68 | .. | 30,00,68 | 40,79,27 |
| पर्यटन की ईकाइयों का उन्नयन | .. | .. | .. | .. | .. | 20,00 |
| म.प्र. पर्यटन विकास निगम को पर्यटन विकास हेतु सहायता | .. | .. | .. | .. | .. | 50,31,48 |
| केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में राज्य का अंश | .. | 1,71,55 | .. | .. | 1,71,55 | 6,90,64 |
| ग्रामीण पर्यटन के अंतर्गत अधोसंरचना का विकास | .. | 2,00,00 | .. | .. | 2,00,00 | 4,00,50 |
| पर्यटन अधोसंरचना का विकास | .. | 5,00,00 | .. | .. | 5,00,00 | 10,30,00 |
| साहसिक पर्यटन एवं जल क्रीड़ा का विकास | .. | 2,90,00 | .. | .. | 2,90,00 | 4,60,00 |
| ग्रामीण विरासत पर्यटन का विकास | .. | 20,00 | .. | .. | 20,00 | 20,00 |
| पर्यटन अधोसंरचना के अधीन पारिस्थितिकी तथा वानिकी क्षेत्र का विकास | .. | 50,00 | .. | .. | 50,00 | 50,00 |
| अन्य कार्य/योजनाएं | .. | .. | .. | .. | .. | 4,89,23 |
| | | | | | | 3,25,12 |
| योग--101 | .. | 12,31,55 | 30,00,68 | .. | 42,32,23 | 1,22,71,12 |
| | | | | | | 3,25,12 |
| 103-- पर्यटक परिवहन-- | | | | | | |
| पर्यटन मार्गों का विकास | .. | 85,00 | .. | .. | 85,00 | 2,50,00 |
| 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-- | | | | | | |
| मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम भोपाल में निवेश | .. | .. | .. | .. | .. | 1,50,00 |
| | | | | | | 20,12,21 |
| होटल प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर (भवन निर्माण) | .. | .. | .. | .. | .. | 1,76,92 |
| | | | | | | 25,00 |
| पर्यटन निगम की इकाइयों का उन्नयन | .. | .. | .. | .. | .. | 5,58,45 |
| पर्यटन विकास हेतु म.प्र. पर्यटन विकास निगम को सहायता | .. | .. | .. | .. | .. | 5,00,00 |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 1,27,85 |
| योग--190 | .. | .. | .. | .. | .. | 13,85,37 |
| | | | | | | 21,65,06 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

| व्यय का प्रकार | वर्ष के दौरान व्यय | | | | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---|--------------------|----------|---|--------------------------|----------|------------------------|
| | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | | |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--जारी | | | | | | |
| (ज)--सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-- जारी | | | | | | |
| 5452--पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय--समाप्त | | | | | | |
| 01--पर्यटक अवसंरचना--समाप्त | | | | | | |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-- | | | | | | |
| ग्रामीण पर्यटन के अंतर्गत अधोसंरचना | | | | | | |
| का विकास | .. | .. | .. | .. | .. | 24,50 |
| पर्यटन अधोसंरचना का विकास | .. | .. | .. | .. | .. | 2,80,00 |
| योग--789 | .. | .. | .. | .. | .. | 3,04,50 |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-- | | | | | | |
| मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल में निवेश | | | | | | |
| अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक एक करोड़ रुपये और उससे कम लागत के | .. | .. | .. | .. | .. | 3,25,16 |
| योग--796 | .. | .. | .. | .. | .. | 5,42,98 |
| 800-- अन्य व्यय-- | | | | | | |
| ग्रामीण पर्यटन हेरीटेज का विकास | .. | 1,05,00 | .. | .. | 1,05,00 | 6,05,00 |
| पर्यटन अधोसंरचना के अंतर्गत ईको एवं वन क्षेत्र का विकास | .. | 2,35,00 | .. | .. | 2,35,00 | 5,80,00 |
| योग-- 800 | .. | 3,40,00 | .. | .. | 3,40,00 | 11,85,00 |
| योग--01 | .. | 16,56,55 | 30,00,68 | .. | 46,57,23 | 1,53,95,99 |
| 80-- सामान्य-- | | | | | | |
| 104-- संवर्धन तथा प्रचार-- | | | | | | |
| प्रसार एवं प्रचार | .. | 4,75,00 | .. | .. | 4,75,00 | 13,25,00 |
| योग--80 | .. | 4,75,00 | .. | .. | 4,75,00 | 13,25,00 |
| योग -- 5452 | .. | 21,31,55 | 30,00,68 | .. | 51,32,23 | 1,67,20,99 |
| 30,33,16 | | | | | | |
| 5465--सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश-- | | | | | | |
| 01--सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश-- | | | | | | |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों, बैंक आदि में निवेश -- | | | | | | |
| बैंक, शासकीय एवं अन्य सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश | | | | | | |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3,69 |
| योग--5465 | .. | .. | .. | .. | .. | 3,69 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या--13-जारी

व्यय का प्रकार

वर्ष के दौरान व्यय

| योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | योग | 2008-09 के अंत तक व्यय |
|---------|---------|------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------|
|---------|---------|------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------|

(हजार रुपये में)

व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)--

ग--आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--समाप्त

(ज)--सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा--समाप्त

5475--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय--

101--भूमि सीमा (कृषि भूमि को छोड़कर)--

मध्यप्रदेश सीलिंग कृषि जोत अधिनियम 1960 के

अन्तर्गत अधिक भूमि को समर्पित करने के

फलस्वरूप क्षतिपूर्ति का भुगतान

..

60,64

नगरीय भूमि सीमा अधिनियम 1976 के

अन्तर्गत भूमि धारकों को मुआवजे का भुगतान-बान्ड्स

योग-101

..

17,67

13,93

17,67

74,57

202--जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन हो जाने पर

भूमि धारियों को क्षतिपूर्ति प्राप्त कर--

जमींदारी प्रथा उन्मूलन पर भू-स्वामियों को

क्षतिपूर्ति का भुगतान

..

5,93,51

जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन पर भू-स्वामियों को

क्षतिपूर्ति का भुगतान

..

4,21,13

लघु स्वामियों को पुनर्वास अनुदान

..

2,34,17

भू-स्वामियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान एवं लघु

स्वामियों को मध्यस्थता उन्मूलन के परिणाम स्वरूप

पुनर्वास अनुदान

..

1,59,70

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के

अनुच्छेद 251 के अन्तर्गत शासन में निहित

जलाशयों हेतु जमींदारों, जागीरदारों आदि को

क्षतिपूर्ति का भुगतान

..

9

योग--202 14,08,60

योग--5475 17,67

योग-(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा .. 21,31,55 30,00,68 .. 51,32,23 1,67,38,66

का पूँजीगत लेखा 45,20,02

योग-ग- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा 1,83,70,45 49,43,37,00 1,36,74,95 29,36,76 52,93,19,16 3,59,76,20,85

का पूँजीगत लेखा 66,71,36,82

महायोग 2,09,70,36 55,76,40,15 8,00,23,57 1,26,80,96 67,13,15,04 4,24,29,77,49

.. 87,88,74,53

.. (*) (क)

.. (*) (क)

.. 87,88,74,53

..

..

..

..

..

..

..

..

..

(*) मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है। सरकार द्वारा निवेश हेतु किया गया व्यय, जो कि वर्ष के दौरान एवं अंत तक हुए सकल पूँजीगत परिव्यय में सम्मिलित है, के मुख्य शीर्षवार ब्यौरे इस विवरण के अनुलग्नक में दर्शाये गये हैं, पृष्ठ संख्या 288 से 290।

(क) पृष्ठ 169 पर पाद टिप्पणी (क) तथा पृष्ठ 322 पर पाद टिप्पणी (बा) देखें।

विवरण संख्या 13--जारी

विवरण संख्या 13 -- का अनुलग्नक
पृष्ठ 287 पर पाद टिप्पणी (*) के संदर्भ में

| मुख्य शीर्ष | वर्ष के दौरान व्यय | | 2008-09 के अंत तक प्रगामी व्यय | |
|--|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | निवेश | अन्य पूंजीगत व्यय (हजार रुपये में) | निवेश | अन्य पूंजीगत व्यय (हजार रुपये में) |
| 4055--पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 23,70,33 | .. | 1,28,55,65 |
| 4058--लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय | .. | .. | .. | 1,71,89 |
| | | | | 10,10,78 |
| 4059--लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 1,01,17,92 | .. | 5,09,34,49 |
| | | | | 2,42,92,23 |
| 4070--अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | .. | .. | .. | 19,36,46 |
| | | | | 18,84 |
| 4202--शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 2,46,53,76 | .. | 5,92,68,21 |
| | | | 2,03,84 | 5,46,10,97 |
| 4210--चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 68,10,08 | .. | 5,72,08,67 |
| | | | | 1,53,26,92 |
| 4211--परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 9,52 | .. | 8,62,74 |
| | | | | 61,25,81 |
| 4215--जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 5,60,62,07 | .. | 23,64,12,18 |
| | | | | 33,65,64 |
| 4216--आवास पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 30,20,42 | 2,96,77 | 61,78,41 |
| | | | 12,29,06 | 1,55,63,99 |
| 4217--शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 52,06,08 | .. | 8,10,81,04 |
| | | | 2,19 | 1,09,26,24 |
| 4220--सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय | .. | .. | .. | 13,46 |
| | | | 9,00 | 3,09,29 |
| 4225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 3,50,00 | 2,72,42,66 | 22,11,04 | 12,28,34,91 |
| | | | 35,75,73 | 5,05,83,53 |
| 4235--सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय | 2,00,00 | 53,37,34 | 3,36,00 | 1,09,26,70 |
| | | | 51,00 | 2,31,34,35 |
| 4250--अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 6,15,70 | .. | 18,28,02 |
| | | | 4,36 | 13,93,94 |
| 4401--फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय | .. | .. | 90,00 | 8,37,00 |
| | | | 9,54,34 | 26,77,71 |
| 4402--मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय | .. | .. | 2,08,33 | 1,01,98,68 |
| | | | | 1,18,24,36 |
| 4403--पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 85,90 | 50,00 | 11,81,63 |
| | | | 1,35,57 | 8,33,86 |
| 4404--डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय | .. | .. | 9 | .. |
| | | | 3,36,14 | 4,12,59 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या 13--जारी

| मुख्य शीर्ष | वर्ष के दौरान व्यय | | 2008-09 के अंत तक प्रगामी व्यय | |
|---|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | निवेश | अन्य पूंजीगत व्यय (हजार रुपये में) | निवेश | अन्य पूंजीगत व्यय (हजार रुपये में) |
| 4405--मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 33,76 | 1,07,99 83 | 7,63,90 1,51,95 |
| 4406--वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 24,51,00 | .. 46,30,19 | 72,97,10 1,17,43,84 |
| 4408--खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 7,50,08 | 15,65,19 73,08,77 | 37,02,43 6,33,64 |
| 4415--कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय | .. | .. | .. | 48,98 1,91,45 |
| 4425--सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय | 9,95,28 | .. | 1,35,26,23 (क) 3,32,46,29 | 39 9,52 |
| 4435--अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | .. | .. | .. 2,73,52 | 1,83,38 5,68,07 |
| 4515--अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 4,60,80,77 | .. 28,00 | 26,41,58,16 7,13,67,15 |
| 4700-- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 15,12,67,25 | 1,61,81,00 | 1,03,52,77,60 2,87,76,78 |
| 4701-- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 1,45,44,89 | | 16,78,79,26 10,44,74,97 |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 4,59,75,17 | .. 5,85,83 | 23,80,07,47 18,50,25,76 |
| 4705--कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 11,46,65 | 5,34,04 15,00 | 1,23,81,78 25,34 |
| 4711--बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 12,64,94 | .. | 44,92,97 17,62,22 |
| 4801--बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय | 7,80,10,00 | 1,26,91,03 | 78,05,38,24 2,32,72,11 | 23,32,35,16 80,06,32 |
| 4851--ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | 3,71,44 | 4,82,01 | 53,01,05 55,92,76 | 42,34,80 1,59,42,86 |
| 4852--लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | .. | .. | .. 35,04 | |
| 4853--अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 4,76 | .. 3,69,09 | 1,22,55 1,49,61 |

(क) मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है। पृष्ठ 169 पर पाद टिप्पणी (क) देखें।

विवरण संख्या 13--समाप्त

| मुख्य शीर्ष | वर्ष के दौरान व्यय | | 2008-09 के अंत तक प्रगामी व्यय | |
|---|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| | निवेश | अन्य पूंजीगत व्यय (हजार रुपये में) | निवेश | अन्य पूंजीगत व्यय (हजार रुपये में) |
| 4854--सीमेन्ट तथा धातु रहित खनिज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | .. | .. | 3,33 | .. |
| 4858--इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | .. | .. | 9,43 | .. |
| 4860--उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | .. | .. | 5,39 | .. |
| 4875--अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय | 40,00 | 1,00,00 | 11,33,51 | 62,00 |
| 4885--उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय | 21,91,13@ | .. | 7,90,00 | 1,87,99,68 |
| 5053--नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 11,63,77 | 40,74,51 | 4,84,24 |
| 5054--सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय | 1,00,00 | 16,36,37,10 | 3,17,29,85(क) | 85,12,00 |
| 5055--सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय | .. | .. | 41,34,09 | 15,29 |
| 5425-- अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 8,00,00 | 1,13,63,74 | 6,69,95 |
| 5452--पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय | .. | 51,32,23 | 18,00,00 | 70,41,22,09 |
| 5465--सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश | .. | .. | 5,10,00 | 11,59,97,21 |
| 5475--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | .. | .. | 6,50,00 | .. |
| योग | 8,22,57,85 | 58,90,57,19 | 1,41,97,68 | -31,88 |
| महायोग | 67,13,15,04 | .. | 23,37,37 | 6,95,79 |
| | | | 3,69 | .. |
| | | | .. | 17,67 |
| | | | 10,82,58,23 | 14,83,17 |
| | | | 85,60,75,25(क) | 3,38,69,02,24 |
| | | | 77,06,16,30 | |
| | | | 4,24,29,77,49 | |
| | | | 87,88,74,53 | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

(क) पृष्ठ 169 पर पाद टिप्पणी (क) तथा पृष्ठ 322 पर (बा) तथा @ देखें।

(स) पृष्ठ 322 पर पाद टिप्पणी (बा) देखें।

@ इसमें कर्ज को निवेश में परिवर्तन से संबंधित 16,91,13 हजार रुपये सम्मिलित है।

विवरण संख्या 14 -- वर्ष 2008-09 के अंत में सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी बैंकों और संस्थाओं आदि में सरकारी निवेशों को दर्शाने वाला विवरण

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य रुपये | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि (हजार रुपये में) | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|----------------------------|---|-----------------------------|------------------------|---|-----------------------------------|--|--|--|
| I--सांविधिक निगम -- | | | | | | | | |
| 1. | मध्यप्रदेश राज्य भाण्डागार निगम, भोपाल (लोजिस्टिक निगम) | 1957-58 से 1990-91 | साधारण | 249540 | 100 | 7,31,58 | | |
| | | 1991-92 | साधारण | | | -4,63,60 | | |
| | | 1992-93 | साधारण | 17020 (50%) | 100 | 17,02 | | |
| | | 1994-95 से 2002-03 | .. | .. | .. | 1,00,00 | | |
| | | | | | | 2,10,24 | | |
| योग | | | | | | 1,00,00 | | (क) 4,95,24 |
| 2. | मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर | 1955-56 से 1983-84 | साधारण विशेष | * | 100 | 4,86,67 | | |
| | | 1989-90 | साधारण | * | 100 | ..(०) | | |
| | | 1990-91 से 2003-04 | साधारण | 134000 | 100 | 1,34,00 | | |
| | | | | | | 40,76,11 | | |
| | | 2004-05 से 2005-06 | साधारण | 550000 | 100 | 5,50,00 | | |
| | | 2006-07 | साधारण | 18900000 | 100 | 1,89,00,00 | | |
| | | 2007-08 | साधारण | 6500000 | 100 | 65,00,00 | | (व) छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम को आवंटित रुपये 22,19 हजार सम्मिलित हैं। |
| | | 2008-09 | | | | 23,91,13(३) | | |
| | | छत्तीसगढ़ को अंशों का आवंटन | | | | -11,10,06 ^(३) | | |
| योग | | | | | | 3,19,27,85 | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

(*) यह चिन्ह विभाग से जानकारी प्रतीक्षित होना दर्शाता है।

(क) निगम की पुस्तकों के अनुसार तदनुसारी निवेश 8,80.00 लाख रुपये है। विसंगति समाधानाधीन है।

(०) निगम की पुस्तकों के अनुसार तदनुसारी निवेश रुपये 4.50 करोड़ है। विसंगति समाधानाधीन है।

(३) मुख्य शीर्ष 6885 से शीर्ष 4885-01-190 के अंतर्गत कर्ज के निवेश में परिवर्तन से संबंधित 16,91,13 हजार रुपये सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|--------------------------------|--|---|------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | रुपये | (हजार रुपये में) | | |
| I--सांविधिक निगम --जारी | | | | | | | | |
| 3. | मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल | 1962-63 से 2005-06 | | * | * | 6,50,00 1,41,86,49 | | (क) विवरण संख्या 13 में मुख्य शीर्ष 5055-190 एवं 796 के अंतर्गत दर्शाये गये निवेश से रु.11,19 हजार से भिन्न है जो वर्ष 1974-75 की समयावधि से पहले से संबंधित है विवरण उपलब्ध नहीं है। |
| योग | | | | | | 6,50,00(ग) 1,41,86,49(क) | | |
| 4. | मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित | 1978-79 से 1997-98 | | * | * | 1,07,99 | (घ) | |
| 5. | मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, भोपाल | 1982-83 से 1999-2000 | | * | * | 1,35,57 | | |
| 6. | मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम, भोपाल | 1977-78 एवं 1978-79 से 1979-80 1980-81 से 1983-84 | इक्विटी | 750 | 10000 | 75,00 | | |
| | | | * | * | * | 1,96,19 | | |
| | | | साधारण | 3,590 | 10000 | 4,71,18 | | |
| योग | | | | | | (च) 7,42,37 | | |
| 7. | मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल | 1980-81 से 1989-90 1993-94 से 1999-2000 | इक्विटी | 2,073 | 10000 | 2,03,58 | | (ज) निगम की पुस्तकों में तदनुसूची निवेश 2,14.71 लाख रुपये है। विसंगति समाधानाधीन है। |
| | | | | * | * | 5,71,00 | | |
| योग | | | | | | (झ) 7,74,58 | | |
| 8. | कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम, बम्बई | 1978-79 एवं 1979-80 | | * | * | 15,00 | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

(ग) यह राशि सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 23 (1) के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा दिये गये पूंजीगत अंशदान की सूचक है। निगम की पुस्तकों में तदनुसूची निवेश रुपये 1,41.40 करोड़ है।

(घ) 1994-95 के अंत तक निगम के अनुसार निवेश 1,06.42 लाख रुपये है। विसंगति समाधानाधीन है।

(च) निगम की पुस्तकों में तदनुसूची निवेश 9,79.57 लाख रुपये है। विसंगति समाधानाधीन है।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|--------------------------------|--|--|------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | रुपये | (हजार रुपये में) | | |
| I--सांविधिक निगम --जारी | | | | | | | | |
| 9. | मध्यप्रदेश महिला वित्तीय निगम | 1991-92 से 2005-06 | | * | * | 10,00 51,00 | | |
| | | 2006-07 | | * | * | 1,26,00 | | |
| | | | | | | 1,36,00 | | |
| | योग | | | | | 51,00 | | |
| 10. | आदिवासी वित्तीय एवं विकास निगम | 1994-95 से 1995-96 से 2002-03 | | * | * | 1,46 | | (घ) निगम की पुस्तकों में तदनुसूची निवेश 9.00 करोड़ रुपये है। विसंगति समाधानाधीन है। |
| | | 2003-04 | | * | * | 90,00 | | |
| | | 2005-06 | 1,00,00 (100%) | * | * | 1,00,00 | | |
| | | 2006-07 | | * | * | 4,45,00 | | |
| | | 2008-09 | | * | * | 2,00,00 | | |
| | योग | | | | | (ख) 12,12,00 12,91,46 | | |
| 11. | मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी गृह निर्माण निगम | 1994-95 से 2000-2001 (अक्टूबर 2000 तक) 2002-03 से 2003-04 | | * | * | 4,00,65 | | |
| | | | * | * | * | 95,00 | | |
| | | | | | | 95,00 | | |
| | योग | | | | | 4,00,65 | | |
| 12. | मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल, जबलपुर | 1996-97 से 1997-98 | | * | * | 2,31,15,00 | | |
| | | 2004-05 से 2005-06 | | * | * | 10,30,02,18 | | |
| | | 2006-07 | | * | * | 3,19,46,44 | | |
| | | 2007-08 | | * | * | 5,87,55,67 | | |
| | | 2008-09 | | * | * | 3,18,25,00 | | |
| | | | | | | 22,55,29,29 | | |
| | योग | | | | | 2,31,15,00(ख) | | |
| 13. | सतपुडा थर्मल पावर विस्तार इकाई | 2006-07 2007-08 | | * | * | 6,00,00 1,50,00,00 | | |
| | योग | | | | | 1,56,00,00 | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

(ख) रुपये 61.58 करोड़ छत्तीसगढ़ को आवंटन की प्रक्रिया प्रगति में है।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|---------|
| | | | | | रुपये | (हजार रुपये में) | | |
| I--सांविधिक निगम --समाप्त | | | | | | | | |
| 14. | मालवा थर्मल पावर परियोजना | 2006-07 | | * | * | 40,00,00 | | |
| | | 2007-08 | | * | * | 95,19,00 | | |
| | | 2008-09 | | * | * | 64,61,00 | | |
| | योग | | | | | 1,99,80,00 | | |
| 15. | अमरकंटक थर्मल पावर विस्तार इकाई-5 | 2006-07 | | * | * | 45,22,00 | | |
| | | 2007-08 | | * | * | 58,67,00 | | |
| | योग | | | | | 1,03,89,00 | | |
| 16. | वीरसिंहपुर परियोजना | 2006-07 | | * | * | 1,65,00,00 | | |
| | | 2007-08 | | * | * | -30,00,00 | | |
| | योग | | | | | 20,77,00 | | |
| 17. | गारंटीकृत ऋणों के व्यवस्थापन के लिये प्रावधान | 2006-07 | | * | * | 2,98,38,95 | | |
| | | 2007-08 | | * | * | 1,60,00,00 | | |
| | | 2008-09 | | * | * | 1,60,00,00 | | |
| | योग | | | * | * | 6,18,38,95 | | |
| 18. | मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, भोपाल | 1995-96 से 1999-2000 नवम्बर 2000 से | | * | * | 6,34,71 | | |
| | | 2005-06 | | * | * | 3,59,04 | | |
| | | 2008-09 | | * | * | 50,00 | | |
| | योग | | | | | 4,09,04 | | |
| | | | | | | 6,34,71 | | |
| 19. | मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम | 2004-05 से | | | | | | |
| | | 2005-06 | इक्विटी | * | 10 | 15,00,00 | | |
| | | 2006-07 | इक्विटी | * | 10 | 1,00,00 | | |
| | | 2007-08 | इक्विटी | * | 10 | 1,00,00 | | |
| | | 2008-09 | इक्विटी | * | 10 | 1,00,00 | | |
| | योग | | | | | 18,00,00(ख) | | |
| 20. | नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक विकास निगम, मर्यादित (एन.एच.डी.सी.) यूनिट I एवं II | 2004-05 | | * | * | 8,21,81,00 | | |
| 21- | दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कारीडोर निगम | 2008-09 | | * | * | 40,00 | | |
| | योग-I--सांविधिक निगम | | | | | 46,83,15,49 | | |
| | | | | | | 4,10,99,70 | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है। (ख) निगम की सूचना अनुसार 2007-08 तक निवेशित 11.50 करोड़ रुपये तथा 5.50 करोड़ रुपये अंश आवेदन पत्र के रूप में रखे गये हैं।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|-------------------------------|---|---|--|---|--|---|--|---------|
| | | | | | रुपये | (हजार रुपये में) | | |
| II--सरकारी कम्पनियां-- | | | | | | | | |
| 1. | प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी मर्यादित, बम्बई | 1948 से पहले 1967-68 1971-72 1972-73 1976-77 छत्तीसगढ़ को अंशों का आवंटन | साधारण साधारण साधारण साधारण साधारण | 4662 10(98%) 24(झ) 60 200 | 1000 1000 1000 1000 1000 | 46,62 10 48 60 2,00 -12,81 @ | (छ)(ज) @ म.प्र.सरकार वित्त विभाग के पत्र क. 1139/4818/2007/E/iv भोपाल दिनांक 31-03-2008 के अनुसार 25.72% अंश छत्तीसगढ़ को आवंटित किये गये हैं। | |
| योग | | | | | | 36,99 | | |
| 2. | मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल | 1968-69 से 1984-85 1994-95से 2002-03 | | 18,20,00 * * | 100 * * | 1,82,00 90,00 10,00 | | |
| योग | | | | | | 90,00 (ज) 1,92,00 | | |
| 3. | केला तथा फल विकास निगम, मद्रास | 1976-77 | इक्विटी | 1000 | 100 | 1,00 | | |
| 4. | मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल | 1974-75 1990-91से 1993-94 छत्तीसगढ़ को अंशों का आवंटन | साधारण | 5000 115000 | 1000 1000 | 50,00 11,50,00 -3,52,56(x) | | |
| योग | | | | | | 8,47,44 | 53,91,21 | |
| 5. | मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम मर्यादित, भोपाल | 1975-76 से 1990-91 | इक्विटी | 477000 | 100 | (घ)10,59,88 | 76,01 | |
| 6. | मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित | 1965-66 से 1985-86 1986-87 से 1990-91 1991-92 1992-93 से 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 | इक्विटी साधारण इक्विटी इक्विटी * | 175600 170000 639917 75800 (100 %) * | 1000 1000 1000 1000 * * * * | 17,56,00 17,90,00 32,69,91 7,58,00 13,76,28 3,88,63 16,00,00 17,50,00 3,71,44 | घाटे में चल रही है। | |
| योग | | | | | | 50,97,72 (घ) 79,62,54 | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

(घ) 8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां - मध्य प्रदेश सरकार की अन्य निधियों के अंतर्गत वर्गीकृत पूर्व ग्वालियर राज्य की निधियों से निवेशित 105000 रुपये सम्मिलित हैं।

(ज) यह निवेश पूर्व में भूतपूर्व ग्वालियर और होल्कर रियासतों की कतिपय निधियों में वर्गीकृत किये अंशों के 31 मार्च 1964 को बाजार मूल्य के प्रोफार्मा अंगीकरण को प्रदर्शित करता है।

(झ) प्रत्येक अंश का क्रय मूल्य 2,000 रुपये है।

(ञ) निगम की पुस्तकों में तदनुसूची निवेश 2,09.48 लाख रुपये है। विसंगति समाधानाधीन है।

(टा) निगम की पुस्तकों में तदनुसूची निवेश 14,03.77 लाख रुपये है। विसंगति समाधानाधीन है।

(थ) निगम की पुस्तकों के अनुसार कुल निवेश 81,09.18 लाख रुपये है। विसंगति समाधानाधीन है।

(ख) म.प्र. सरकार के पत्र दिनांक 06.12.2005 के अनुसार 29.38% अंश छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित को आवंटित किये गये हैं।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|-----------------------------------|--|---|-------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|---------|
| | | | | | रुपये | (हजार रुपये में) | | |
| II- सरकारी कम्पनियां--जारी | | | | | | | | |
| 7. | मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड | 1976-77 से 1987-88 | इक्विटी | 45250 | 100 | (₹)45,25 | | |
| 8. | मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल | 1961-62 से 1988-89 1992-93 एवं 1993-94 | इक्विटी | 248582 | 1000 | 21,33,39 | | |
| | | | * | * | * | 2,96,94 | | |
| योग | | | | | | (₹) 24,30,33 | | |
| 9. | मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल | 1961-62 से 1974-75 | इक्विटी | 267753 | 100 | 2,67,75(x) | 1,22,94 | |
| 10. | मध्यप्रदेश राज्य टेक्सटाइल निगम, भोपाल | 1970-71 से 1990-91 1991-92 | इक्विटी | 660640 | 100 | 6,65,64 | सरकार द्वारा 31.10.2000को बंद की गई। 2006-07तक संचयी हानि 1,07,90.39 लाख रुपये है। | |
| | | | इक्विटी | 620950 (100%) | 100 | 35,00 | | |
| योग | | | | | | (₹) 7,00,64 | | |
| 11. | नेशनल न्यूज प्रिन्ट तथा पेपर मिल्स मर्यादित, नेपानगर | 1947-48 से 1958-59 | साधारण | 1697290 (1.58 %) | 10 | 1,69,73 | | |
| 12. | मैंगनीज अयस्क (इंडिया) मर्यादित | 1962-63 1963-64 1977-78 1977-78 1982-83 से 1990-91 1991-92 और 1992-93 | इक्विटी अधिमान इक्विटी अधिमान | 24418 12209 (17 %) 10772 5386 (24.5 %) 27100 | 100 100 60 75 | 24,42 12,21 6,46 4,04 | | |
| | | | * | * | * | 38,64 | | |
| योग | | | | | | (₹) 1,47,01 | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

(ख) निगम की पुस्तकों के अनुसार कुल निवेश 80.25 लाख रुपये है। विसंगति समाधानाधीन है।

(घ) निगम की पुस्तकों में तदनुसूची निवेश 1511.67 लाख रुपये है। विसंगति समाधानाधीन है।

(ङ) निगम की पुस्तकों में तदनुसूची निवेश 1995-96 तक 685.95 लाख रुपये है। विसंगति समाधानाधीन है।

(च) 1994-95 तक तदनुसूची निवेश 135.07 लाख रुपये है। विसंगति समाधानाधीन है।

(ख) निगम के लेखों के अनुसार भारत सरकार, वस्त्र विभाग से 2002-03 में अंशपूजी प्राप्त न होने के कारण 15.00 लाख रुपये भिन्न है।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य रुपये | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि (हजार रुपये में) | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|-----------------------------------|--|---|---------------------------|---|---|---|---|---------|
| II- सरकारी कम्पनियां--जारी | | | | | | | | |
| 13. | मध्यप्रदेश राज्य खनन निगम मर्यादित, भोपाल | 1961-62 से 1990-91 1991-92 इक्विटी | इक्विटी | 203740 15850 (100 %) | 100 100 | 2,03,74 15,85 | | |
| योग | | | | | | 2,19,59(क) | 12,98,93 | |
| 14. | राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम मर्यादित, नई दिल्ली | 1957-58 | इक्विटी | 1000 | 1000 | 10,00 | | |
| 15. | धार परिवहन कम्पनी मर्यादित, धार | 1948 से पहले | साधारण | 599 | 250 | (घ) 1,50 | | |
| 16. | मध्यप्रदेश उद्वहन सिंचाई निगम मर्यादित, भोपाल | 1976-77 से 1981-82 | इक्विटी | 190000 | 100 | (ब) 5,85,83 | | |
| 17. | मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, मर्यादित भोपाल | 1977-78 से 1990-91 1991-92 इक्विटी 1992-93 से 2001-02 | इक्विटी इक्विटी | 1239980 174330 (100 %) 150000 932980 | 100 100 100 100 | 11,92,75 1,74,62 1,50,00 9,70,00 | संस्थान द्वारा 31.03.2007 तक सूचित संचयी हानि 5.40 करोड़ रुपये थी। | |
| योग | | | | | | 1,50,00 (घ) 23,37,37 | | |
| 18. | मध्यप्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित, भोपाल | 1978-79 और 1979-80 | इक्विटी | 510000 | 100 | (ग) 5,10,00 | | |

- मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।
- (क) विवरण संख्या 13 में दर्शित मुख्य शीर्ष 4853-60-190 तथा 796 के अंतर्गत रु. 14,77 हजार के निवेश का अंतर है जो 1987-88 एवं 1991-92 से संबंधित है तथा मुख्य शीर्ष 4853-02-190 में सम्मिलित कर लिया गया है।
- (घ) कम्पनियों के पंजीयक ने इस कम्पनी को 27 मार्च, 1965 से निष्क्रिय घोषित कर दिया। 1956-57 के और आगे के लेखा, लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के अंतिम निराकरण के साथ ही परिसमापक की नियुक्ति के बारे में सूचना प्रतीक्षित है।
- (ब) निगम अगस्त 1992 से विघटन की स्थिति में है। निगम की पुस्तकों में तदनुरूपी निवेश 5,92.29 लाख रुपये है। विसंगति समाधानाधीन है।
- (घ) निगम की पुस्तकों में तदनुरूपी निवेश 2447.29 लाख रुपये है। विसंगति समाधानाधीन है।
- (ग) निगम की पुस्तकों में तदनुरूपी निवेश 5,00.00 लाख रुपये है। विसंगति समाधानाधीन है।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|-----------------------------------|---|---------------------|------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|
| | | | | | रुपये | (हजार रुपये में) | | |
| II- सरकारी कम्पनियां--जारी | | | | | | | | |
| 19. | मध्यप्रदेश पंचायती राज वित्त और ग्रामीण विकास निगम, भोपाल | 1980-81 से 1988-89 | इक्विटी | 28000 | 100 | 28,00 | (ब) | |
| 20. | मध्यप्रदेश पुलिस आवास निगम | 1980-81 से 1986-87 | इक्विटी | 17500 | 1000 | 1,75,00 | (र) | लाभ में चल रहा है । |
| 21. | मध्यप्रदेश चमड़ा विकास निगम, भोपाल | 1981-82 से 1985-86 | इक्विटी | 10331 | 1000 | 1,03,31 | | |
| | | 1995-96 | इक्विटी | 100% | 1000 | 25,00 | | |
| | | 1996-97 से 1998-99 | इक्विटी | | | 35,00 | | |
| योग | | | | | | 1,63,31(x) | | |
| 22. | मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम, भोपाल | 1981-82 से 1987-88 | इक्विटी | 103690 | 100 | 95,00 | | घाटे में चल रहा है । |
| | | 1988-89 | | * | * | 4,25 | | |
| | | 1989-90 | इक्विटी | 800 | 100 | 80 | | |
| | | | | (100 %) | | | | |
| | | 1990-91 | * | * | * | 85 | | |
| | | 1991-92 | इक्विटी | .. | 100 | 84 | | |
| | | 1992-93 एवं 1993-94 | * | * | * | 2,10 | | |
| योग | | | | | | 1,03,84 | | |
| 23. | रामाचार भारती समाचार एजेन्सी, नई दिल्ली | 1981-82 से 1984-85 | इक्विटी | 9000 | 100 | 9,00 | | @ |
| 24. | मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, भोपाल | 1982-83 और 1983-84 | इक्विटी | 68920 | 100 | 68,92 | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है ।

(ब) निगम की पुस्तकों में तदनुसूची निवेश 27.25 लाख रुपये है। निगम विघटन की स्थिति में है।

(र) निगम की पुस्तकों में कुल निवेश 200.00 लाख रुपये है।

(ख) निगम की पुस्तकों में तदनुसूची निवेश 131.29 लाख रुपये है जिसमें से 31.52 लाख रुपये ट-निक्षेप के अधीन रखे गए हैं। विसंगति समाधानाधीन है।

@ चूँकि समाचार भारती, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन पंजीकृत कम्पनी है, इसके द्वारा कोई लाभांश देय नहीं है।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य रुपये | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि (हजार रुपये में) | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|-----------------------------------|--|--|---------|
| II- सरकारी कम्पनियां --समाप्त | | | | | | | | |
| 25. | मध्यप्रदेश इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम, भोपाल | 1984-85 से 1990-91 | इक्विटी | * | 100 | 14,08,26 | | |
| | | 1991-92 | इक्विटी | 50000 (100 %) | 100 | 50,00 | | |
| | | 1992-93 एवं 1994-95 | * | * | 100 | 55,00 | | |
| योग | | | | | | (ब)15,13,26(ख) | | |
| 26. | मध्यप्रदेश शहरी विकास वित्त निगम | 1980-81 से 1988-89 | * | * | * | 2,19 | | |
| 27. | मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादक कम्पनी मर्यादित | 2005-06 | * | * | * | 12,78,00,00 | | |
| 28. | मध्यप्रदेश विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित | 2005-06 | * | * | * | 8,45,00,00 | | |
| 28अ. | म.प्र.वि.मं. की उत्तरवर्ती कम्पनियों का पारेषण प्रणाली कार्य | 2006-07 | * | * | * | 1,10,00,00 | | |
| | | 2008-09 | * | * | * | 1,37,24,00 | | |
| योग-- | | | | | | 2,47,24,00 | | |
| 29. | मध्यप्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित | 2005-06 | * | * | * | 3,17,00,00 | | |
| 30. | मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित | 2005-06 | * | * | * | 3,16,00,00 | | |
| 31. | मध्यप्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित | 2005-06 | * | * | * | 5,33,00,00 | | |
| 32- | मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित | 2006-07 | * | * | * | 20,00,00 | | |
| 33- | कृषि संबंधी उपयोग हेतु स्वतंत्र फीडरों का प्रबंध | 2008-09 | * | * | * | 1,00,00,00 | | |
| | | | | | | 37,18,46,15 | 68,89,09 | |
| योग--II--सरकारी कम्पनियां | | | | | | 1,87,03,94 | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

(ब) निगम की पुस्तकों में तदनुसूची निवेश रुपये 1268.92 लाख है। विसंगति समाधानाधीन है।

(ख) विवरण संख्या 13 मुख्य शीर्ष 4851-190 के अंतर्गत दर्शित निवेश से रुपये 14,58,26 हजार भिन्न है जो वर्ष 1984-85, 1986-87, 1987-88, 1989-90, 1990-91 तथा 1992-93 से संबंधित है तथा मुख्य शीर्ष 4851-102 में सम्मिलित किये गये हैं।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूँजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य रुपये | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि (हजार रुपये में) | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|---------|-------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|---|---|---------|
|---------|-------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|---|---|---------|

III--संयुक्त पूंजी कम्पनियां--

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------|---|----------------------|------------------|--------------------------|--|------|
| 1. | भारतीय निवेश निगम मर्यादित, बम्बई | 1948 से पहले | साधारण (7 ³ / ₄ %) अधिमान (2.34 %) | 550 500 | 100 1000 | 47 3,07 | | |
| योग | | | | | | (ज) 3,54 | | |
| 2. | देवास बिस्कुट और फूड प्रोडक्ट्स मर्यादित, देवास | 1948 से पहले | साधारण | 15000 | 10 | 1,50 | | (\$) |
| 3. | ग्वालियर डेरी मर्यादित, ग्वालियर | * | साधारण (2 %) | 175 | 50 | 9 | | |
| 4. | सेन्ट्रल इण्डिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी मर्यादित ग्वालियर (पूर्व में टैक्समेको, ग्वालियर के नाम से प्रसिद्ध) | 1948 से पहले | अधिमान (5 %) साधारण अधिमान संचयी मोच्य | 2025 8000 7000 | 100 10 100 | 1,38 (ज) 1,05 7,00 | | |
| योग | | | | | | 9,43 | | |
| 5. | मेसर्स शमा इंजन वाल्व्स मर्यादित, नई दिल्ली | 1961-62 और 1962-63 | अधिमान इक्विटी | 2435 10000 | 100 10 | 2,43 1,00 | | |
| योग | | | | | | 3,43 | | |
| 6. | मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग निगम मर्यादित, बम्बई | 1948 से पहले | साधारण (4 %) अधिमान (1.7 %) | 6200 1000 | 10 100 | 1,41 55 | | |
| योग | | | | | | (ज) 1,96 | | |
| 7. | जीवाजीराव शक्कर कम्पनी मर्यादित, दलोदा, जिला मन्दासौर | 1948 से पहले | साधारण (31.9 %) | 7000 | 100 | 7,00 | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

(ज) यह निवेश पूर्व में भूतपूर्व ग्वालियर तथा होल्कर रियासतों की कतिपय निधियों में वर्गीकृत किये अंशों के 31 मार्च 1964 को बाजार मूल्य के प्रोफार्मा अंगीकरण को प्रदर्शित करता है।

(\$) 30 सितम्बर 1959 से कंपनी का स्वेच्छा से परिसमापन हो गया है, अंश सरकार के नाम अंतरित कर दिये गए हैं।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|---|---|--------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | रुपये | (हजार रुपये में) | | |
| III--संयुक्त पूंजी कम्पनियां--जारी | | | | | | | | |
| 8. | महारानी पार्वतीबाई शक्कर कारखाना मर्यादित, सारंगपुर | 1948 से पहले | साधारण (31.9 %) | 4000 | 100 | 4,00 | | |
| 9. | विक्रम शक्कर कारखाना मर्यादित, आलोट | 1948 से पहले | साधारण अधिमान | 750 250 | 100 100 | 75 25 | | |
| योग | | | | | | 1,00 | # | |
| 10. | केशर शक्कर कारखाना मर्यादित, बम्बई | 1948 से पहले | 5-1/2 % अधिमान | 2000 | 100 | (ज) 1,50 | | |
| 11. | ग्वालियर शक्कर कारखाना, डबरा | 1979-80 1991-92 | संचयी मोच्य * | 1500 | 100 | 1,50 65,15 | | |
| योग | | | | | | (क) 66,65 | | |
| 12. | बेंगाल-नागपुर सूती कारखाना मर्यादित, राजनंदगांव | 1955-56 | साधारण (1.46 %) | 4378 | 10 | 44(क) | | |
| 13. | दि कल्याणमल मिल्स मर्यादित, इन्दौर | 1948 से पहले | साधारण (7 %) अधिमान (5.1 %) | 25 290 | 100 100 | 2 19 | | |
| योग | | | | | | 21 | | |
| 14. | एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी मर्यादित, बम्बई | 1948 से पहले | साधारण (1 % से कम) | 2790 @ | 100 | 3,33 | 10,95 | |
| 15. | हिन्द एल्को मर्यादित, बम्बई (भारतीय राष्ट्रीय अल्युमीनियम कम्पनी मर्यादित का प्रबंध एजेन्ट) | 1947-48 और 1948-49 | साधारण | 2450 | 100 | 2,45(त) | | टैक्स के बाद संचयी निवल लाभ 14,27.34 करोड़ रुपये है। |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

कम्पनी 1953 से परिसमापन में है, शेयरों का अंतरण सरकार को अभी तक नहीं किया गया है और अभी भी देवास के भूतपूर्व शासक के नाम है।

(ज) पृष्ठ 286 पर पाद टिप्पणी (ज) देखें।

(ब) कम्पनी की पुस्तकों के अनुसार निवेश रुपये 1.50 लाख है। विसंगति समाधानाधीन है।

@ इसमें 547 बोनस शेयर सम्मिलित हैं।

(त) सरकार ने कम्पनी के समस्त अंशधारियों से अंश संबंधी हितों का क्रय कर लिया था। कम्पनी का परिसमापन किया जाना उचित नहीं समझा गया, क्योंकि कंपनी के पास परिसम्पत्तियां नहीं थी। महाराष्ट्र सरकार ने कम्पनी के अंशों में अपने हिस्सों का दावा किया था और भारत सरकार ने यह अवार्ड दिया कि मध्यप्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार में 64.20 और 35.80 के अनुपात में वितरित किये जायें। राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को अंश अभी भी अंतरित किये जाने हैं।

(क) एस.आई.सी.अधिनियम 1985 के अधीन प्रकरण क्र.501/93 में बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृत पुनर्वास योजना अनुसार आई.डी. अधिनियम की धारा 25(0) के अंतर्गत 31.10.2002 से इकाई बंद घोषित की जा चुकी है।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य रुपये | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि (हजार रुपये में) | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|---|--|--------------------|------------------------|---|-----------------------------------|--|--|---------------------|
| III--संयुक्त पूंजी कम्पनियों--समाप्त | | | | | | | | |
| 16. | टाटा आयरन और स्टील कम्पनी मर्यादित, बम्बई | 1948 से पहले | साधारण | (x)120 | 75 | 18 | (x) बोनस शेयर्स | |
| | | * | साधारण | 120 | 75 | 18 | | |
| | | * | अधिमान | 123 | 150 | 18 | | |
| | | | (7¾ %) | | | | | |
| | | 1948 से पहले | द्वितीय अधिमान | 33365 | 100 | 34,20 | | |
| | | * | द्वितीय अधिमान | 300 | 100 | 30 | | |
| योग | | | | | | 35,04 | 80 | |
| 17. | इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मर्यादित, बम्बई | 1948 से पहले | साधारण | 230 | 100 | 18 | | |
| | | | (1 % से कम) | | | | | |
| 18. | देवास (सीनियर) इलेक्ट्रिक सप्लाय कम्पनी (निजी) मर्यादित, देवास | 1948 से पहले | साधारण | 30 | 500 | 15 | | |
| | | | (9 %) | | | | | |
| 19. | दि.सूरत इलेक्ट्रीसिटी कम्पनी मर्यादित, बम्बई | 1948 से पहले | साधारण | 8 | 100 | 1 | | |
| | | | अधिमान (1 % से कम) | | | | | |
| 20. | दि टाटा पावर कम्पनी मर्यादित, बम्बई | 1948 से पहले | 7½ प्रतिशत | 1169 | 1000 | 12,93 | 8 | |
| | | | अधिमान (2 %) | | | | | |
| 21. | दि सेन्ट्रल प्रॉविन्सेज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मर्यादित, नागपुर | 1945-46 से 1948-49 | साधारण | 9980 | 100 | @ 9,68 | | |
| 22. | पीपुल्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी मर्यादित, राजगढ़ | 1925 | साधारण | 18 | 40 | 1 | | घाटे में चल रही है। |
| | | | (1 % से कम) | | | | | |
| 23. | आन्ध्रा वेली पॉवर सप्लाय कम्पनी मर्यादित, बम्बई | 1986-87 | इक्विटी | 251 | 100 | .. | (xx) | |
| योग--III--संयुक्त पूंजी कम्पनियों | | | | | | 11,02 1,53,51 | 11,83 | |
| IV--बैंक-- | | | | | | | | |
| 1. | दि बैंक ऑफ देवास मर्यादित, देवास | 1948 से पहले | साधारण | 1717 | 25 | 16 | | |
| योग--IV--बैंक | | | | | | 16 | .. | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

@ सेन्ट्रल प्रॉविन्सेज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के प्रबंधन प्रतिनिधि एफ.एम.चिनाय एण्ड कंपनी मर्यादित से 2310 अंश 150000 के मूल्य पर खरीदे गये इसके अतिरिक्त 2060 साधारण अंशों की प्रतिअंश 25 रुपये की दर से अंतिम मांग पर 51500 रुपये की अदायगी की गई।

(xx) निगम की पुस्तकों में तदनुरूपी निवेश 0.25 लाख रुपये है। विसंगति समाधानाधीन है।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य रुपये | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि (हजार रुपये में) | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|---|---|---------|
| V-सहकारी बैंक और समितियां-- | | | | | | | | |
| (i) उधार सहकारी समितियां-- | | | | | | | | |
| (का) सहकारी बैंक-- | | | | | | | | |
| 1. | केन्द्रीय सहकारी बैंक (69) | 1948 से पहले | साधारण | * प्रति अंश रु.10 से लेकर रु.1000 तक | | 1,95,89 | | |
| | | * | "ख" वर्ग | 1000 | 100 | 1,00 | | |
| | | * | * | 120 | 25 | 3 | | |
| | | 1964-65 से | साधारण | 304890 | प्रति अंश रु. 10 से लेकर रु.1000 तक | 1,99,90 | | |
| | | 1968-69 | | | | | | |
| | | 1967-68 | * | * | * | 43,00 | | |
| | | 1969-70 से | साधारण | * | | 4,96,42 | | |
| | | 1979-80 | | | | (पू.नि) -3,91 | | |
| | | 1980-81 | * | 20000 | 100 | 20,00 | | |
| | | | | | | (पू.नि) -1 | | |
| | | 1981-82 से | | | | | | |
| | | 2005-06 | * | * | * | 17,52,92 | | |
| | | | | | | 23,17,21 | | |
| योग | | | | | | -6,47,10[@] | 4,08 | |
| | | | | | | 32,69,53 | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।
(पू.नि.) यह पूंजी की निवृत्ति का प्रतीक है।

@ पृष्ठ 304 पर पाद टिप्पणी @ देखें।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|--|---|-------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|---------|
| | | | | | रुपये | (हजार रुपये में) | | |
| V-सहकारी बैंक और समितियां--जारी | | | | | | | | |
| (i) उधार सहकारी समितियां--जारी | | | | | | | | |
| (का) सहकारी बैंक--समाप्त | | | | | | | | |
| 2. | मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक | 1965-66 से 1972-73 | साधारण | 11400 | 500 | 78,37 | (म) | |
| 3. | प्राथमिक भूमि विकास बैंक मर्यादित, मध्यप्रदेश | 1970-71 से 1971-72 से 2005-06 | साधारण | 3750 | 100 | 3,75 | | |
| | | 2006-07 | * | * | * | 20,33,91 | | |
| | | | | | | 19,14,77 | | |
| | | | | | | 2,48,98 | | |
| योग | | | | | | 2,57,12 | | |
| | | | | | | 19,18,52 | | |
| 4. | मध्यप्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, भोपाल | 1966-67 से 1971-72 | साधारण | 63000 | 100 | 63,00 | | |
| | | 1967-68 से 1983-84 | * | * | * | 9,41,78 | | |
| | | 1976-77 | साधारण | * | * | (पू.नि)-5,35,94 | | |
| | | 1980-81 | * | 112364 | 100 | 25,00 | | |
| | | 1984-85 से 1997-98 | * | * | * | 1,12,36 | | |
| | | | | | | (पू.नि)-1,11,52 | | |
| | | | | | | -98,34 | | |
| योग | | | | | | 3,96,34 | | |
| 5. | मन्दासौर वाणिज्यिक सहकारी बैंक मर्यादित, मन्दासौर | 1975-76 से 1977-78 | * | * | * | (x)1,50 | | |
| 6. | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद, बिलासपुर, रायपुर, रीवा, सीधी, टीकमगढ़, छतरपुर और सतना में (8) | 1975-76 से 2004-05 | * | * | * | 18,73,55 | | |
| | | 2008-09 | * | * | * | 27,55,03 | | |
| | | | | | | 9,80,28 | | |
| योग | | | | | | 28,53,83 | | |
| | | | | | | 27,55,03 | | |
| 7. | नगर सहकारी बैंक, शिवपुरी, रायपुर, बैतूल (3) | 1977-78 से 1979-80 | * | * | * | 3,00 | | |
| योग--(का)--सहकारी बैंक | | | | | | 24,63,85 [@] | 4,08 | |
| | | | | | | 84,22,29 | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र.पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

(म) बैंक द्वारा 1972-73 के अंत तक अंतिम लेखाओं में निवेशित राशि 185.60 लाख रुपये दर्शायी गयी थी। विसंगति समाधानाधीन है।

@ सहकारी बैंकों द्वारा पूंजी निवृत्ति/विनिवेश के कारण मुख्य शीर्ष 4425 के अंतर्गत 24,00,02 हजार रुपये की प्रोफार्मा कमी की गई।

(x) बैंक की पुस्तकों के अनुसार वर्ष 1994-95 तक संचयी हानि 138.50 लाख रुपये है।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|---|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|---|---|---------|
| | | | | | रुपये | (हजार रुपये में) | | |
| V-सहकारी बैंक और समितियां-- जारी | | | | | | | | |
| (i) उधार सहकारी समितियां-- समाप्त | | | | | | | | |
| (खा)सहकारी समितियां-- | | | | | | | | |
| 1. | ग्राम सेवा सहकारी समितियां (4,638) | 1961-62 से 1999-2000 | साधारण | * | * | 8,47,10 | 8 | |
| 2. | प्राथमिक कृषि साख समितियां (1,548) | 1971-72 से 2005-06 | | * | * | 13,26,94 | | |
| | | 2006-07 | | * | * | 4,77,39 | | |
| | | | | | | 18,04,33 | 14 | |
| | योग | | | | | 37,75,50 | | |
| 3. | जन सहकारी बैंक, खिलचीपुर | * | | * | * | 1 | | |
| 4. | जंनजाति सेवा सहकारी समितियां (128) | 1975-76 से 2001-02 | | * | * | 5,00 | | |
| | | | | | | 13,66,45 | | |
| | | | | | | 5,00 | | |
| | योग | | | | | 13,66,45 | | |
| | | | | | | 18,09,33 | 22 | |
| | योग--(खा)--सहकारी समितियां | | | | | 59,89,06 | | |
| | योग--(1)--उधार सहकारी समितियां | | | | | 42,73,18@ | 4,30 | |
| | | | | | | 1,44,11,35 | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

@ पृष्ठ 304 पर पाद टिप्पणी @ देखें।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|--|--|--|------------------------|---|--------------------------------------|--|--|---------|
| | | | | | रुपये | (हजार रुपये में) | | |
| V-सहकारी बैंक और समितियां--जारी | | | | | | | | |
| (ii) आवास सहकारितायें-- | | | | | | | | |
| 1. | एपेक्स आवास संघ | 1971-72 से 1996-97 | * | * | * | 2,09,80 | | |
| 2. | मध्यप्रदेश आवास संघ, भोपाल | 1970-71 से 1978-79 1972-73 से 1975-76 1980-81 1979-80 से मार्च 2001 तक | साधारण * | 30900 * | 100 * | 30,90 4,25 20,00 2,01,77 3,37,46 | | |
| योग | | | | | | 2,01,77 3,92,61 | | |
| 3. | मध्यप्रदेश राज्य आवास वित्त प्रबन्ध सहकारी समितियां | 1988-89 से 2000-01(अक्टूबर 2000 तक) | * | * | * | 2,44,70 | | |
| योग--(ii)--आवास सहकारितायें | | | | | | 2,01,77 8,47,11 | | |
| (iii) श्रम सहकारितायें-- | | | | | | | | |
| 1. | वन श्रमिक सहकारी समितियां (31) | 1961-62 से 1966-67 | साधारण | 10290 | प्रति अंश रु.10 से लेकर रु.100 तक | 1,18 (पू.नि).. | | |
| योग | | | | | | 1,18 | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य रुपये | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि (हजार रुपये में) | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|---|---|--|---------------------------|---|---|---|---|---------|
| V--सहकारी बैंक और समितियां--जारी | | | | | | | | |
| (iii) श्रम सहकारितायें--समाप्त | | | | | | | | |
| 2. | श्रम सहकारी समितियां (3) | 1972-73 1974-75 से 1985-86 1980-81 1993-94 | साधारण * * * | 1500 * 800 * | 10 * 100 * | 15 2,04 80 21 | | |
| योग | | | | | | 3,20 | | |
| योग--(iii)--श्रम सहकारितायें | | | | | | 4,38 | | |
| (iv) खेतिहर सहकारितायें-- | | | | | | | | |
| 1. | खेतिहर सहकारी समितियां (499) | 1958-59 से 1961-62 1970-71 से 2000-01 (अक्टूबर 2000 तक) | साधारण * * | 58474 * * | प्रति अंश रु.5 से लेकर रु.300 तक * * | 9,53 61,76 | | |
| योग | | | | | | 71,29 | | |
| 2. | भूमिहीन खेतिहर सहकारी समितियां (43) | 1971-72 और 1972-73 | * * | * * | * * | 11,31 | | |
| 3. | संयुक्त खेतिहर समितियां और प्रशिक्षण केन्द्र (482) | 1960-61 से 1966-67 1967-68 से 1982-83 | साधारण * * | 12828 * * | प्रति अंश रु. 10 से लेकर रु.100 तक * * | 6,70 (पू.नि) -5,04 | | |
| योग | | | | | | 1,66 | | |
| योग--(iv)--खेतिहर सहकारितायें | | | | | | 84,26 | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य रुपये | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि (हजार रुपये में) | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---------|
| V--सहकारी बैंक और समितियां--जारी | | | | | | | | |
| (V) भाण्डागार एवं विपणन सहकारी समितियां-- | | | | | | | | |
| 1. | क्षेत्रीय विपणन समितियां(217) | * | साधारण | * | प्रति अंश रु.10 से लेकर रु.100 तक | 42,02 | | |
| | | * | विशेष | * | | 55 | | |
| | | * | "ख" श्रेणी | 400 | 100 | 40 | | |
| | | 1964-65 | साधारण | 4400 | 100 | 4,40 | | |
| | | 1964-65 | साधारण | 75 | 2000 | 1,50 | | |
| | | 1970-71 से | | | | | | |
| | | 1973-74 | साधारण | * | * | (पू.नि)-3,04 | | |
| योग | | | | | | 45,83 | | |
| 2. | विपणन समितियां (240) | 1965-66 से | साधारण | 42450 | प्रति अंश रु.10 से लेकर रु.100 तक | 34,05 | | |
| | | 1967-68 | | | | | | |
| | | 1968-69 | साधारण | 3500 | प्रति अंश रु.5 से लेकर रु.100 तक | 3,00 | | |
| | | 1967-68 से | | | | | | |
| | | 2001-02 | | * | * | 2,15,27 | | |
| | | | | | | 5,85,05 | | |
| योग | | | | | | 2,15,27 | | |
| योग | | | | | | 6,22,10 | | |
| 3. | मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल | 1966-67 से | साधारण | 59590 | 100 | 59,59 | | |
| | | 1971-72 | | | | | | |
| | | 1967-68 से | | | | | | |
| | | 2000-2001 | | * | * | 93,37 | | |
| | | | | | | 7,67,65 | | |
| योग | | | | | | 93,37 | | |
| | | | | | | 8,27,24 | | |
| 4. | प्राथमिक विपणन समितियां (24) | 1970-71 और | साधारण | 14500 | 100 | 14,50 | | |
| | | 1971-72 | | | | | | |
| | | 1972-73 से | | | | | | |
| | | 1986-87 | | * | * | 4,05,46 | | |
| | | 1978-79 | साधारण | 26000 | * | 25,82 | | |
| | | 1980-81 | * | 20400 | 100 | 17,89 | | |
| | | 1988-89 से | | | | | | |
| | | 2000-2001 (अक्टूबर 2000 तक) | | | | 3,26,76 | | |
| योग | | | | | | 7,90,43 | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|--|---|---------------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|---------|
| | | | | | रुपये | (हजार रुपये में) | | |
| V--सहकारी बैंक और समितियां--जारी | | | | | | | | |
| (V) भाण्डागार एवं विपणन सहकारी समितियां--समाप्त | | | | | | | | |
| 5. | मध्य प्रदेश सहकारी विपणन समिति मर्यादित, नागपुर | * | साधारण | * | * | 4,96 | | |
| 6. | मध्य प्रदेश सहकारी विपणन समिति मर्यादित, जबलपुर | 1964-65 | साधारण | 4250 | 100 | 4,25 | | |
| 7. | क्षेत्रीय सहकारी विपणन समिति, जबलपुर | 1975-76 और 1976-77 | * | * | * | 20,00 | | |
| 8. | क्षेत्रीय जनजाति सहकारी विपणन समितियां (4) | 1977-78 से 1979-80 | * | * | * | 57,07 | | |
| 9. | भांडागार समितियां | 1980-81 से 2002-03 | * | * | * | 3,67,81 16,00,50 | | |
| योग | | | | | | 3,67,81 16,00,50 | | |
| 10. | एपेक्स विपणन संघ की ब्याज और पूंजी को केन्द्रीय उर्वरक अंश पूंजी में परिवर्तन हेतु देय राशि | 1985-86 से 1992-93 | * | * | * | 8,47,19 | | |
| 11. | अतिरिक्त गोदामों का निर्माण | 1986-87 से 1992-93 | * | * | * | 14,44,12 | | |
| योग-(V)-भांडागार एवं विपणन सहकारी समितियां | | | | | | 6,76,45 62,63,69 | | |
| (VI) संसाधन सहकारी समितियां-- | | | | | | | | |
| 1. | सहकारी चावल मिल | 1965-66 से 1967-68 1968-69 से 1997-98 | साधारण | 159000 | 100 | 1,59,00 1,41,45 | | |
| योग | | | | | | 3,00,45 | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|--|--|--|---------------------------|--|--------------------------------|---|---|---------|
| | | | | | रुपये | (हजार रुपये में) | | |
| V--सहकारी बैंक और समितियां--जारी | | | | | | | | |
| (vi) संसाधन सहकारी समितियां--जारी | | | | | | | | |
| 2. | चावल चोकर तेल इकाई, दुर्ग | 1966-67 से 1969-70 1983-84 और * 1984-85 | साधारण | 48000 | 100 | 48,00 | | |
| | | | | * | * | 10,42 | | |
| योग | | | | | | 58,42 | | |
| 3. | संसाधन समितियां (84) | * 1964-65 1967-68 से 1991-92 | साधारण | * प्रति अंश रु.10 से लेकर रु.100 तक 41225 प्रति अंश रु.25 से लेकर रु.200 तक | | 40,55 35,15 3,22,96 | | |
| योग | | | | | | 3,98,66 | | |
| 4. | शीत भंडार गृह संयंत्र सहकारी समितियां (5) | 1970-71 1971-72 से 1979-80 1980-81 1982-83 से 1998-99 | साधारण | 2000 | 100 | 2,00 16,24 5,72 5,84,89 | | |
| योग | | | | | | 6,08,85 | | |
| 5. | साईजिंग और कलेण्डरिंग संयंत्र, बुरहानपुर | 1971-72 से 1981-82 | * | * | * | 6,13 | | |
| 6. | सोलवेंट एक्सट्रैक्शन संयंत्र, दुर्ग | 1977-78 और * 1978-79 1980-81 | * | * | * | 38,00 11,20 | | |
| योग | | | | | | 49,20 | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|---------|-------------------|--------------------|------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|---------|
| | | | | | रुपये | (हजार रुपये में) | | |

V--सहकारी बैंक और समितियां--जारी

(vi) संसाधन सहकारी समितियां-- समाप्त

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|----------|--|--|
| 7. | सोयाबीन संमिश्र स्थापना | 1981-82 से 1993-94 | * | * | * | 27,31,33 | | |
| 8. | सोलवेंट एक्सट्रैक्शन स्थापना | 1982-83 | * | * | * | 1,17 | | |
| 9. | मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ, भोपाल | 1982-83 से 1999-2000 | * | * | * | 38,05,76 | | |
| योग | | | | | | 38,05,76 | | |
| 10. | मध्यप्रदेश राज्य विपणन संघ भोपाल द्वारा साबुन फैक्ट्री, दुर्ग की स्थापना | 1983-84 और 1984-85 | * | * | * | 13,44 | | |
| 11. | वनस्पति संमिश्र स्थापना | 1986-87 | * | * | * | 82,55 | | |
| 12. | सोयाबीन संमिश्र संयंत्र, छिन्दवाड़ा की स्थापना | 1987-88 से 1992-93 | * | * | * | 7,21,94 | | |
| 13. | मुरैना मस्टर्ड संमिश्र | 1988-89 और 1989-90 | * | * | * | 2,31,00 | | |
| 14. | सीहोर में तेल शोधक कारखाने की स्थापना | 1990-91 से 1992-93 | * | * | * | 3,16,33 | | |
| 15. | महाकाल सहकारी शीत-गृह, उज्जैन एवं माँ चामुंडा सहकारी शीत-गृह | 1999-2000 | * | * | * | 1,76,00 | | |
| 16. | माँ तुलजा भवानी सहकारी शीत गृह समिति, देवास को शीत गृह की स्थापना हेतु सहायता | 2000-2001 (नवम्बर 2000 से मार्च 2001 तक) | * | * | * | 62,50 | | |
| योग (vi)--संसाधन सहकारी समितियां | | | | | | 62,50 | | |
| | | | | | | 95,01,23 | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|---|--|---|---------------------------|---|--------------------------------|---|---|---------|
| | | | | | रुपये | (हजार रुपये में) | | |
| V--सहकारी बैंक और समितियां--जारी | | | | | | | | |
| (vii) दुग्ध सहकारितायें-- | | | | | | | | |
| 1. | दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां (67) | 1971-72 से 1983-84 | * | * | * | 3,26 | | |
| 2. | दुग्ध संघ, इन्दौर | 1966-67 | साधारण (50 %) | 1660 | 100 | 1,66 | | |
| योग--(vii)-दुग्ध सहकारितायें | | | | | | 4,92 | | |
| (viii) मछुआरा सहकारी समितियां-- | | | | | | | | |
| 1. | मछुआरा सहकारी संघ | 1970-71 1986-87 | साधारण * | 60 * | 100 * | 6 77 | | |
| योग | | | | | | 83 | | |
| (ix) सहकारी शक्कर कारखाने-- | | | | | | | | |
| 1. | सहकारी शक्कर कारखाना (मुरैना मण्डल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, कैलारस) | 1965-66 से 1971-72 1973-74 से 2005-06 | साधारण * | 8470 * | 1000 * | 84,70 1,68,33 7,85,26 | | |
| | | 2006-07 | * | * | * | 15,00 | | |
| | | 2007-08 | * | * | * | 15,00 | | |
| | | 2008-09 | * | * | * | 15,00 | | |
| योग | | | | | | 2,13,33 | | |
| योग | | | | | | 8,69,96 | | |
| 2. | मालवा सहकारी शक्कर कारखाना, बरलाई, जिला इन्दौर | 1975-76 से 1979-80 1980-81 1985-86 से 2000-2001 | * * * | * 1000 * | * 1000 * | 1,45,00 10,00 70,92 3,86,94 | | |
| योग | | | | | | 70,92 | | |
| योग | | | | | | 5,41,94 | | |
| 3. | नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना, बुरहानपुर | 1981-82 से 1993-94 | * * | * * | * * | (x) 4,80,94 | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।
(x) मिल की पुस्तकों में तदनुसारी निवेश 5.93 लाख रुपये है। विसंगति समाधानाधीन है।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य रुपये | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि (हजार रुपये में) | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|---|---|-------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---------|
| V--सहकारी बैंक और समितियां--जारी | | | | | | | | |
| (ix) सहकारी शक्कर कारखाने-समाप्त | | | | | | | | |
| 4. | मध्यप्रदेश सहकारी शक्कर महासंघ मर्यादित, भोपाल | 1986-87 | * | * | | 2,00 | | |
| 5. | कृषक सहकारी शक्कर कारखाना नारायणपुर, गुना | 1998-99 और 1999-2000 | * | * | | 14,08,92 | घाटे में चल रहा है। | |
| योग (ix)--सहकारी शक्कर कारखाने | | | | | | 2,84,25 | | |
| | | | | | | 33,03,76 | | |
| (X) सहकारी कताई कारखाने-- | | | | | | | | |
| 1. | भारत सहकारी कताई कारखाना मर्यादित, जबलपुर | 1964-65 | अपरिभाषित | 1020 | 1000 | 10,20 | | |
| 2. | श्रमिक सहकारी सूती कारखाना मर्यादित, उज्जैन | 1964-65 1973-74 | अपरिभाषित * | 1020 * | 1000 | 10,20 (पू.नि.)-2,53 | | |
| योग | | | | | | 7,67 | | |
| 3. | रतलाम सहकारी जवाहर स्मारक कताई कारखाना मर्यादित, रतलाम | 1964-65 1973-74 | अपरिभाषित * | 1020 * | 1000 | 10,20 (पू.नि.).. | | |
| 4. | सहकारी कताई कारखाना मर्यादित, बुरहानपुर | 1964-65 से 2000-2001 | | | * | 3,95,56 42,34 | | |
| योग | | | | | | 3,95,56 42,34 | | |
| 5. | सहकारी कताई मिल, खरगौन | 1983-84 से 1990-91 | * | | * | 5,41,00 | | |
| 6. | सहकारी सूती मिलों की स्थापना | 1994-95 और 1995-96 | * | * | * | 2,92,90 | | |
| योग--(X) सहकारी कताई कारखाने | | | | | | 3,95,56 9,04,31 | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|---|---|--|--|--|---|--|---|---------|
| | | | | | रुपये | (हजार रुपये में) | | |
| V--सहकारी बैंक और समितियां--जारी | | | | | | | | |
| (xi)--औद्योगिक सहकारी समितियां-- | | | | | | | | |
| 1. | मध्यप्रदेश हथकरघा बुनकर केन्द्रीय सहकारी समिति, जबलपुर | 1959-60 से 1964-65 1970-71 से 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 1982-83 से 1989-90 | * * * * * * * * | 1083 * 750 * 20525 * * | 100 * 100 * 100 * * | 1,08 34,09 75 2,03 20,52 2,21,00 | | |
| योग | | | | | | 2,79,47 | | |
| 2. | औद्योगिक सहकारी समितियां (144) | 1964-65 1965-66 और अपरिभाषित 1966-67 1972-73 1978-79 1968-69 से 2004-05 | साधारण 1880 साधारण साधारण * * | 1421 प्रति अंश रु.10 से लेकर रु.100 तक 1880 प्रति अंश रु.25 से लेकर रु.100 तक * प्रति अंश रु.5 से लेकर 100 तक 5509 प्रति अंश रु.5 से लेकर रु.100 तक * * | | 50 90 1,23 3,59 (पू.नि.) -5 28,49 5,42,63 | | |
| योग | | | | | | 28,49 5,48,80 | | |
| 3. | मध्यप्रदेश हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां | 1968-69 से 1975-76 1972-73 1976-77 और 1977-78 1978-79 1979-80 से 2004-05 | * साधारण * * * * | * 4250 * 976 प्रति अंश रु.25 से लेकर रु.125 तक * * | * 25 * * * * | 5,41 1,06 13,43 3,99 (पू.नि.)-21 30,12 1,45,50 | | |
| योग | | | | | | 30,12 1,69,18 | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|--|--|---|------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|---------|
| | | | | | रुपये | (हजार रुपये में) | | |
| V--सहकारी बैंक और समितियां--जारी | | | | | | | | |
| (Xi)--औद्योगिक सहकारी समितियां-- जारी | | | | | | | | |
| 4. | विद्युत सहकारी समितियां | 1972-73 और * 1973-74 1980-81 * 1981-82 से 2004-05 * | * | 10 | 1000 | 2,04 10 79,99 27,19 | | |
| योग | | | | | | 79,99 29,33 | | |
| 5. | बुनकर सहकारी समिति, चन्देरी | 1966-67 और * 1967-68 | * | * | * | 1,90 | | |
| 6. | अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति मर्यादित, बम्बई | 1955-56 | "ग" श्रेणी | 10 | 1000 (1.55 %) | 10 | | |
| 7. | सहकारी कताई कारखाना मर्यादित, बुरहानपुर | 1979-80 * 1980-81 * 1984-85 से * 1989-90 | * | * 225 | * 1000 | 83,48 2,25 75,00 | | |
| योग | | | | | | 1,60,73 | | |
| 8. | मध्यप्रदेश राज्य विद्युत करघा वस्त्र विपणन संघ, बुरहानपुर | 1981-82 से * 1986-87 | * | * | * | 50,90 | | |
| 9. | प्राथमिक विद्युत करघा बुनकर सहकारी समितियों की स्थापना | 1984-85 से * 1987-88 | * | * | * | 9,87 | | |
| 10. | विद्युत करघा कर्मशाला | 1984-85 से * 1986-87 | * | * | * | 2,60 | | |
| 11. | प्राथमिक हथकरघा बुनकर समितियां | 1984-85 से * 1989-90 | * | * | * | 73,68 | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|--|--|---|------------------------|---|---|---------------------------------------|--|---------|
| | | | | | रुपये | (हजार रुपये में) | | |
| V--सहकारी बैंक और समितियां--जारी | | | | | | | | |
| (xi)--औद्योगिक सहकारी समितियां-- समाप्त | | | | | | | | |
| 12. | विद्युत करघा संमिश्र | 1986-87 से 1999-2000 | * | * | * | 51,90 | | |
| 13. | आकार संयंत्र की स्थापना | 1986-87 और 1987-88 | * | * | * | 8,00 | | |
| 14. | नवभारत पावरलूम बुनकर सहकारी संघ, बुरहानपुर | 2004-05 | * | * | * | 30,79 | | |
| 15. | क्लस्टर्स की स्थापना | 2005-06 2007-08 | * | * | * | 20,00 7,30,00 | | |
| योग | | | | | | 7,50,00 | | |
| योग--(xi)--औद्योगिक सहकारी समितियां | | | | | | 9,19,39 | | |
| | | | | | | 13,86,46 | | |
| (xii) उपभोक्ता सहकारी समितियां-- | | | | | | | | |
| 1. | प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार (367) | 1961-62 से 1966-67 1967-68 से 1978-79 1980-81 | साधारण * | 35692 * | प्रति अंश रु.5 से लेकर रु.100 तक * | 39,53 1,15,67 65 (पू.नि.)-18 | | |
| | | 1984-85 से 1999-2000 | * | * | * | 74,85 | | |
| योग | | | | | | 2,30,52 | | |
| 2. | थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार (37) | 1962-63 से 1965-66 1978-79 से 2001-02 | साधारण * | 5900 * | प्रति अंश रु.100 से से लेकर रु.1000 तक * | 14,00 1,00 4,70,67 | | |
| योग | | | | | | 1,00 | | |
| | | | | | | 4,84,67 | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|--|---|---|------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|---------|
| | | | | | रुपये | (हजार रुपये में) | | |
| V--सहकारी बैंक और समितियां--जारी | | | | | | | | |
| (Xii) उपभोक्ता सहकारी समितियां-- जारी | | | | | | | | |
| 3. | मध्यप्रदेश थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार संघ, भोपाल | 1964-65 से 1973-74 से 1983-84 1980-81 से 1984-85 से 2005-06 2006-07 | साधारण * * * * | 100 * 500 * * | 1000 * 1000 * * | 1,00 32,89 5,00 3,34 44,19 10,00 | | |
| | योग | | | | | 13,34 83,08 | | |
| 4. | विभागीय भण्डार, उज्जैन | 1975-76 | * | * | * | 1,50 | | |
| 5. | विभागीय भण्डार, शिवपुरी | 1976-77 | * | * | * | 1,50 | | |
| 6. | थोक उपभोक्ता भंडार, उज्जैन | 1982-83 से 1987-88 | * * | * * | * * | 1,20 | | |
| 7. | विश्वविद्यालय/उपाधि महाविद्यालय उपभोक्ता भंडार | 1982-83 से 1984-85 | * * | * * | * * | 30 | | |
| 8. | उपभोक्ता भंडारों द्वारा सहकारी बाजारों की स्थापना | 1984-85 से 1991-92 | * * | * * | * * | 22,82 | | |
| 9. | सामूहिक रसोईघर | 1984-85 | * | * | * | 15 | | |
| 10. | उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण | 1987-88 से 2001-02 | * * | * * | * * | 50,00 7,64,88 | | |
| | योग | | | | | 50,00 7,64,88 | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य रुपये | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि (हजार रुपये में) | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|---|--|---|---------------------------|---|---|---|---|---------|
| V--सहकारी बैंक और समितियां--जारी | | | | | | | | |
| (xii) उपभोक्ता सहकारी समितियां--समाप्त | | | | | | | | |
| 11. | विभागीय भण्डार का स्वसेवा केन्द्र | 1992-93 से 2000-2001 | * | * | | 10,00 79,82 | | |
| योग | | | | | | 10,00 79,82 | | |
| 12. | सहकारी भण्डारों का विकास | 1992-93 से 1995-96 | * | * | * | 5,62 | | |
| 13. | विद्यार्थी सहकारी स्टोर | 1997-98 | * | * | * | 34 | | |
| योग--(xii) उपभोक्ता सहकारी समितियां | | | | | | 74,34 16,76,40 | | |
| (xiii) अन्य सहकारी समितियां-- | | | | | | | | |
| 1. | मध्यप्रदेश राज्य जनजाति सहकारी विकास निगम | 1967-68 और 1968-69 | साधारण | 16500 | 100 | 16,50 | | |
| 2. | बागवानी सहकारी समिति | 1970-71 | साधारण | 80 | 100 | 8 | | |
| 3. | साईजिंग और कलेण्डरिंग संयंत्र, जबलपुर | 1976-77 | * | * | * | 25 | | |
| 4. | बड़ी बहुदेशीय समितियां (622) | * 1958-59 से 1960-61 1971-72 से 2003-04 | साधारण | 65590 | प्रति अंश रु.10 से लेकर रु.850 तक * प्रति अंश रु.10 से लेकर रु. 100 तक (पू.नि.)-46,25 | 29,05 16,32 3,57,65 2,34,80 | | |
| योग | | | | | | 3,57,65 2,33,92 | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|---|--|---|------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|---------|
| | | | | | रुपये | (हजार रुपये में) | | |
| V--सहकारी बैंक और समितियां--जारी | | | | | | | | |
| (Xiii) अन्य सहकारी समितियां--जारी | | | | | | | | |
| 5. | सहकारी मुद्रणालय (6) | 1962-63 से 1964-65 1982-83 | साधारण * * | 44 400 | 1000 100 | 44 40 | | |
| | | | | | | (पू.नि.)-31 | | |
| योग | | | | | | 53 | | |
| 6. | महू रेल्वे सहकारी संघ | * | * | * | * | .. | | |
| 7. | मराठा सहकारी समिति | * | * | * | * | .. | | |
| 8. | कृषि विपणन सहकारी समितियां, भोपाल के लिये सर्विसिंग तथा मरम्मत | 1970-71 और 1971-72 1973-74 और 1974-75 | साधारण * * | 2740 * | 100 * | 2,74 1,66 | | |
| योग | | | | | | 4,40 | | |
| 9. | सहकारी सिंचाई समितियां (2) | 1971-72 से 1977-78 | * * | * * | * * | 5,91 | | |
| 10. | इंजीनियरों और डिप्लोमा- धारियों के लिये सहकारी समिति, भोपाल | 1972-73 | * | * | * | 36 | | |
| 11. | लौह अयस्क खान श्रमिक सहकारी समिति, दुर्ग | 1973-74 से 1990-91 | * * | * * | * * | 14 | | |
| 12. | ग्वालियर साईंजिंग संयंत्र | 1974-75 | * | * | * | 20 | | |
| 13. | ग्रामीण विद्युत् सहकारी समितियां, पांडुरना तथा मनावर | 1975-76 से 1983-84 1980-81 1984-85 से 1994-95 | * * * * | * * 15000 * | * * 100 * | 2,63,44 13,00 3,95,00 | | |
| योग | | | | | | 6,71,44 | | |
| 14. | सायकल-रिक्शा चालक सहकारी समितियां | 1982-83 और 1983-84 | * * | * * | * * | 12 | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्रं.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|--|--|---------------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|---------|
| | | | | | रुपये | (हजार रुपये में) | | |
| V--सहकारी बैंक और समितियां--जारी | | | | | | | | |
| (Xiii) अन्य सहकारी समितियां--जारी | | | | | | | | |
| 15. | पंचायती राज मुद्रणालय, उज्जैन | 1982-83 | * | * | * | (X) 4,14 | | |
| 16. | साइजिंग और कलेण्डरिंग सहकारी समिति, बुरहानपुर | 1982-83 से 1986-87 | * | * | * | 18,50 | | |
| 17. | मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र विपणन संघ, बुरहानपुर | 1982-83 | * | * | * | 7,50 | | |
| 18. | ग्रामीण विपणन हेतु बड़े आकार के गोदामों की स्थापना | 1984-85 से 1992-93 | * | * | * | 2,68,83 | | |
| 19. | मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ (सहकारी) मर्यादित, भोपाल | 1975-76 से 2001-02 | * | * | * | 50,00 | | |
| | | | | | | 3,31,20 | | |
| | | | | | | 50,00 | | |
| योग | | | | | | (XX)3,31,20 | | |
| 20. | मध्यप्रदेश अन्त्यावसायी विकास निगम (मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम) | 1978-79 से 1986-87 1988-89 से 2005-06 | साधारण * | 570250 * | 100 * | 5,70,25 | | |
| | | 2006-07 | * | * | * | 3,40,00 | | |
| | | 2007-08 | * | * | * | 9,18,48 | | |
| | | 2008-09 | * | * | * | 50,00 | | |
| योग | | | | | | 1,00,00 | | |
| | | | | | | 1,00,00 | | |
| | | | | | | 5,90,00 | | |
| | | | | | | 14,88,73 | | |
| 21. | मध्यप्रदेश राज्य वन उपज एवं व्यापार संघ मर्यादित, भोपाल | 1983-84 से 1984-85 1988-89 से 1996-97 | * | 27500 * | 1000 * | 2,75,00 | | |
| योग | | | | | | 32,95,31 | | |
| | | | | | | 35,70,31 | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

(X) मुद्रणालय की पुस्तकों में तदनुसूची निवेश 10.00 लाख रुपये हैं तथा 1994-95 तक संचयी हानि 11.62 लाख रुपये हैं।

(XX) महासंघ की पुस्तकों में तदनुसूची निवेश 3,04.80 लाख रुपये हैं। विसंगति समाधानाधीन है।

विवरण संख्या 14--जारी

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य रुपये | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि (हजार रुपये में) | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|--|---|---|---------------------------|---|---|---|---|---------|
| V-- सहकारी बैंक और समितियां--जारी | | | | | | | | |
| (xiii) अन्य सहकारी समितियां--जारी | | | | | | | | |
| 22. | भारत भवन न्यास | 1988-89 | * | * | * | 1,00,00 | | |
| 23. | वन साधन सहकारी समितियां | 1990-91 | * | * | * | 2,24 | | |
| 24. | ग्रामीण तिलहन सहकारी समिति | 1992-93 | * | * | * | 9,15,08 | | |
| 25. | कस्टम हाइरिंग केन्द्रों की स्थापना | 1992-93 | * | * | * | 6,75 | | |
| 26. | फल एवं बीज मण्डी क्षेत्र, इन्दौर | 1993-94 | * | * | * | 75,00 | | |
| 27. | इफको आंवला फर्टिलाइजर | 1993-94 | * | * | * | 8,50 | | |
| 28. | सहकारी सूती मिल | 1993-94 | * | * | * | 18,10 | | |
| 29. | अंबिका आलू उत्पादन विपणन समिति पलासिया, इन्दौर | 1993-94 | * | * | * | 51,50 | | |
| 30. | समन्वित विकास परियोजना, नरसिंहपुर, राजगढ़, रायसेन, खरगौन, बस्तर, रतलाम, छिंदवाड़ा, भिण्ड और रायपुर | 1994-95 से 2005-06 2006-07 2007-08 | * | * | * | 26,19,40 17,88,55 11,71,43 22,98,92 | | |
| योग | | | | | | 60,89,75 17,88,55 | | |
| 31. | महिला सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 1995-96 से 2000-2001 | * | * | * | 2,25 49,20 | | |
| योग | | | | | | 2,25 49,20 | | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

विवरण संख्या 14--समाप्त

| क्र.सं. | प्रतिष्ठान का नाम | निवेश का (के) वर्ष | निवेश के ब्यौरे प्रकार | अंशों की संख्या तथा कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता | प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य रुपये | 31.03.2009 के अंत तक निवेशित राशि (हजार रुपये में) | वर्ष के दौरान घोषित लाभांश की राशि/प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया ब्याज | टिप्पणी |
|---|---|---|---------------------------|---|---|---|---|---------|
| V-- सहकारी बैंक और समितियां-समाप्त | | | | | | | | |
| (xiii)अन्य सहकारी समितियां-समाप्त | | | | | | | | |
| 32. | लीड/लिक सहकारी समितियों को सहायता | 1996-97 से 1999-2000 | * | * | * | 7,50 | | |
| 33. | जवाहर लाल सहकारी कृषि उत्पादक समिति, खरगोन | 1997-98 और 1998-99 | * | * | * | 13,72,50 79,14 | | |
| योग | | | | | | 13,72,50 79,14 | | |
| 34. | मध्यप्रदेश राज्य सहकारी ग्रामीण संघ मर्यादित, जबलपुर | 1989-90 | * | * | * | 5,00 | | |
| 35. | कमजोर वर्गों की सहकारी समितियां | 1998-99 | * | * | * | 3,60 | | |
| 36. | मध्यप्रदेश राज्य रेशम संघ | 1999-2000 | * | * | * | 1,65,00 | | |
| 37. | विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर | 1999-2000 से 2000-01 (अक्टूबर 2000 तक) | | | * | 14,00 | | |
| 38. | कृषि साख समितियां | (नवम्बर 2000 से मार्च 2001 तक) | | | * | 10,21,41 (पू.नि.)-4,67,36 | | |
| योग | | | | | | 5,54,05 | | |
| योग--(Xiii)--अन्य सहकारी समितियां | | | | | | 90,16,20 99,12,22 | | |
| योग--V--सहकारी बैंक और समितियां | | | | | | 1,59,03,64(क) 4,83,00,92 | 4,30 | |
| महायोग | | | | | | 85,60,76,30 (क) @ (बा) 10,82,58,23 | 69,05,22 | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

(क) पृष्ठ 304 पर पाद टिप्पणी @ तथा पृष्ठ 291 पर (झ) देखें।

@ विवरण संख्या 13 के अनुलग्नक में दर्शाये गये प्रगामी निवेश परिव्यय 85,60,75,25 हजार रुपये में 1,05 हजार रुपये का अंतर है।

1,05 हजार रुपये के निवेश का अंतर प्रोवीडेण्ट इन्वेस्टमेंट कम्पनी मर्यादित, मुंबई में भूतपूर्व ग्वालियर रियासत की निधि से वित्त पोषित किया गया (विवरण के पृष्ठ 295 पर पाद टिप्पणी (छ) देखिये)।

(बा) छत्तीसगढ़ को अनुभाजित करने के कारण शीर्ष 4885-01-190 के अंतर्गत रुपये 22,19 हजार की कमी की गई।

विवरण संख्या 15--2008-09 के अंत तक पूंजीगत और अन्य व्यय (राजस्व लेखे के बाहर) और
जिनसे उक्त व्यय के लिए निधि प्राप्त हुई उन प्रमुख स्रोतों को दर्शाने वाला विवरण

| शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को | वर्ष 2008-09 के दौरान | 31 मार्च 2009 को |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | (करोड़ रुपये में) | | |
| पूंजीगत और अन्य व्यय-- | | | |
| पूंजीगत व्यय-- | | | |
| लोक निर्माण कार्य | 4,08.17 | 1,01.18 | 5,09.35 |
| | 2,42.92 | | 2,42.92 |
| अन्य सामान्य सेवाएं | 1,25.94 | 23.70 | 1,49.64 |
| | 10.29 | | 10.29 |
| सामाजिक सेवाएं | 44,99.50 | 12,95.08 | 57,94.58 |
| | 18,64.16 | | 18,64.16 |
| आर्थिक सेवाएं-- | | | |
| कृषि और सम्बद्ध क्रिया कलाप | 3,78.45 | 43.16 | 3,97.61 ^(र) |
| | 7,59.33 | | 7,59.33 |
| ग्रामीण विकास | 21,80.78 | 4,60.80 | 26,41.58 |
| | 7,13.95 | | 7,13.95 |
| सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 1,26,05.55 | 21,41.99 | 1,47,47.54 |
| | 32,06.66 | | 32,06.66 |
| ऊर्जा | 92,30.73 | 9,07.01 | 1,01,37.74 |
| | 3,12.79 | | 3,12.79 |
| उद्योग और खनिज | 6,63.32 | 31.90 [@] | 6,95.00 ^(घ) |
| | 3,20.01 | | 3,20.01 |
| परिवहन | 55,30.34 | 16,49.01 | 71,79.35 |
| | 13,13.53 # | | 13,13.53 |
| विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण | 2.00 | 8.00 | 10.00 |
| सामान्य आर्थिक सेवाएं | 1,16.07 | -51.32 | 1,67.39 |
| | 45.20 | | 45.20 |
| योग--पूंजीगत व्यय | 3,57,40.85 | 67,13.15 | 4,24,29.78^(घ) |
| | 87,88.84 | | 87,88.84 |
| कर्ज एवं उधार-- | | | |
| विभिन्न सेवाओं के लिये कर्ज और उधार-- | | | |
| सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज | 9,45.93 | 25.50 | 9,71.43 |
| सामाजिक सेवाएं | 13,30.61 | 2,16.80 | 15,47.41 |
| | 1,68.56 | | 1,68.56 |
| आर्थिक सेवाएं-- | | | |
| कृषि और सम्बद्ध क्रिया कलाप | 2,91.29 | (-)9.80 | 2,81.49 |
| | 81.92 | | 81.92 |
| ग्रामीण विकास | 1.60 | .. | 1.60 |
| सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण | 14.79 | .. | 14.79 |

मोटे अंक म.प्र. में रोके गये शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन होना है।

(र) पृष्ठ 27 पर पाद टिप्पणी (क) देखें।

@ पृष्ठ 290 पर पाद टिप्पणी @ देखें।

इसमें रुपये 0.10 करोड़ आरक्षित निधियों से अंशदान के सम्मिलित हैं तथा जिन्हें घटाइये अंशदान इत्यादि के रूप में पृष्ठ 324 पर दर्शाया गया है।

(घ) पृष्ठ 322 पर पाद टिप्पणी (बा) देखें।

(श) छत्तीसगढ़ को आवंटन (रुपये 0.22 करोड़) तथा निवृत्ति/विनिवेश (रुपये 24.00 करोड़) के कारण 24.22 करोड़ रुपये से भिन्न है।

विवरण संख्या 15--जारी

| शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को | वर्ष 2008-09 के दौरान | 31 मार्च 2009 को |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | (करोड़ रुपये में) | | |
| पूँजीगत और अन्य व्यय--समाप्त | | | |
| कर्ज एवं उधार--समाप्त | | | |
| ऊर्जा | 9,11.09 | 15,74.92 | 24,86.01 |
| | 18,19.17 | | 18,19.17 |
| उद्योग एवं खनिज | 1,40.51 | (-)17.12 | 1,23.39 |
| | 26.37 | | 26.37 |
| परिवहन | 35.98 | 18.84 | 54.82 |
| | 23.18 | | 23.18 |
| सामान्य आर्थिक सेवाएं | 0.12 | | 0.12 |
| सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्ज | -36.16 | (-)1.30 | (-)37.46 |
| | 68.12 | | 68.12 |
| विविध उद्देश्यों हेतु कर्ज | 0.04 | | 0.04 |
| योग--कर्ज एवं उधार | 36,35.68 | 18,07.84 | 54,43.52 |
| | 21,87.44 | | 21,87.44 |
| आकस्मिकता निधि को विनियोग-- | | | |
| समेकित निधि से आकस्मिकता निधि को | | | |
| राशि का अन्तरण | 1,00.00 | .. | 1,00.00 |
| योग--पूँजीगत और अन्य व्यय | 3,94,76.53 | 85,20.99 | 4,79,73.30 (क) |
| | 1,09,76.28 | | 1,09,76.28 |
| घटाएं--(i) विकास निधियां, आरक्षित निधियां आदि और आकस्मिकता निधि से पूँजीगत व्यय एवं कर्ज तथा उधार आदि के लिये अंशदान | 0.10 | | 0.10 |
| (ii) विविध पूँजीगत प्राप्तियों से अंशदान | 20.26 | 24.00 | 44.26 |
| | | | (क) (e) |
| निवल पूँजीगत और अन्य व्यय | 3,94,56.27 | 84,96.99 | 4,79,29.04 |
| | 1,09,76.18 | | 1,09,76.18 |
| निधियों के मुख्य स्रोत-- | | | |
| राजस्व अधिशेष | | | |
| ऋण-- | | | |
| (i) राज्य सरकार का आंतरिक ऋण | 3,32,58.49 | 38,83.14 | 3,71,41.63 |
| (ii) केन्द्र सरकार से कर्ज और उधार | 87,81.85 | 7,08.82 | 94,90.67 |
| (iii) अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि | 72,74.99 | 2,03.71 | 74,78.70 |
| | 5,61.49 | | 5,61.49 |
| योग--ऋण | 4,93,15.33 | 47,95.67 | 5,41,11.00 |
| | 5,61.49 | | 5,61.49 |

मोटे अंक म.प्र. में रोके गये शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन होना है।

(क) पृष्ठ 322 पर पाद टिप्पणी (बा) देखें।

@ पृष्ठ 27 पर पाद टिप्पणी (क) तथा पृष्ठ 29। पर (झ) देखें।

विवरण संख्या 15--समाप्त

| शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को | वर्ष 2008-09 के दौरान | 31 मार्च 2009 को |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------|
| (करोड़ रुपये में) | | | |
| निधियों के मुख्य स्रोत---समाप्त | | | |
| अन्य प्राप्तियां-- | | | |
| आकस्मिकता निधि-- | | | |
| आकस्मिकता निधि | 1,00.00 | .. | 1,00.00 |
| आरक्षित निधियां | 18,25.40(ख) | 11.81 | 18,37.21 |
| | 1,02.46 | | 1,02.46 |
| जमा एवं अग्रिम | 38,88.55 | 2,36.66 | 41,25.21 |
| | -2.38 | | -2.38 |
| उचन्त एवं विविध | 1,16.59 | (-)36.86 | 79.73 |
| | 7.94 | | 7.94 |
| प्रेषण | -3,22.55 | 61.66 | -2,60.89 |
| | 5,49,23.32(ख) | 50,68.94 | 5,99,92.26 |
| योग--ऋण एवं अन्य प्राप्तियां | 6,69.51 | | 6,69.51 |
| निवृत्ति/विनिवेश से संबंधित समायोजन-जोड़े | (-)11.07 | .. | (-)35.07(आ) |
| घटाएं--(i) रोकड़ शेष | (-)13,01.14 | 4,62.87 | (-)8,38.27 |
| (ii) निवेश | 30,76.94 | 1,69.28 | 32,46.22 |
| | -0.25 | | -0.25 |
| निधियों का निवल प्रावधान | 5,31,36.45(ख) | 44,36.79 | 5,75,49.24 |
| | 6,69.76 | | 6,69.76 |
| राजस्व आधिक्य | | 40,63.33 | |
| सरकारी लेखों को बंद राशि | | (-)3.18 | |
| अंतर्राज्यीय परिशोधन | | 0.05 | |
| निबल | | 84,96.99 | |
| वर्ष 2008-09 के अंत तक निवल पूंजीगत और अन्य व्यय एवं वर्ष 2008-09 के अंत तक निधियों के मुख्य स्रोत के योग में अंतर को नीचे वर्णित किया गया है:- | | | |
| प्रगामी निवल पूंजीगत और अन्य व्यय | | 5,89,05.22 | |
| प्रगामी निधियों के मुख्य स्रोत | | 5,82,19.00 | |
| अंतर | | 6,86.22 | |
| संचयी राजस्व आधिक्य | | 8,78.73 | |
| सरकारी लेखों को बंद राशि | | 5.25 | |
| अंतर्राज्यीय परिशोधन वर्ष 2001-02, 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 का | | (-)6.00 | |
| पूर्णांकन के कारण अंतर 2000-01 का | | (-)0.01 | |
| छत्तीसगढ़ को प्रोफार्मा अंतरण वर्ष 2001-02, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 में | | 3,87.17 | |
| 2006-07 में विनिवेश को मुख्य शीर्ष 4000-01-800 में वगीकृत करने के कारण पूंजीगत व्यय से प्रोफार्मा कमी की गई | | (-)9.19 | |
| छत्तीसगढ़ को आवंटन तथा स्वीकृति में संशोधन के कारण पूंजीगत शीर्षों में कमी की गई (पृष्ठ 322 पर पाद टिप्पणी (बा) देखें) | | -4,93.60 | |
| 8121-115 में प्रोफार्मा वृद्धि की गई (पृष्ठ 334 पर पाद टिप्पणी (का) देखें) | | -76.13 | |
| योग | | 6,86.22 | |

मोटे अंक म.प्र. में रोके गये शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन होना है।

(आ) विवरण को संतुलित करने के लिये यह राशि सम्मिलित की गई है।

(ख) पृष्ठ 334 पर पाद टिप्पणी (का) देखें।

MEMORANDUM

TO : SAC, NEW YORK

FROM : SAC, PHOENIX

SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text follows, including a list of names and dates.]

[Illegible text block containing a detailed report or list of items.]

[Illegible text block at the bottom of the page, possibly a signature or date.]

अनुभाग- ख - ऋण, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा

विवरण संख्या 16--ऋण, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे से संबंधित लेखा शीर्षों के अधीन प्राप्तियों, संवितरणों और शेषों का विवरण

| लेखे का शीर्ष | प्रारंभिक शेष | प्राप्तियां (हजार रुपये में) | संवितरण | अंतशेष |
|---|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|
| समेकित निधि-- | | | | |
| प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) (विवरण संख्या 11) | | 3,35,77,20,63 | | |
| प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा) (विवरण संख्या 11) | | 24,00,02 | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) (विवरण संख्या 12) | | | 2,95,13,87,61 | |
| व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा) (विवरण संख्या 13) | | | 67,13,15,04 | |
| ड.-- लोक ऋण- (क) | | | | |
| 6003--राज्य सरकार का आंतरिक ऋण | जमा 3,32,58,49,08 | 53,99,29,55 | 15,16,15,27 | जमा 3,71,41,63,36 |
| 6004--केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम | जमा 87,81,84,93 | 11,53,67,86 | 4,44,86,19 | जमा 94,90,66,60 |
| योग--ड.-लोक ऋण | जमा 4,20,40,34,01 | 65,52,97,41 | 19,61,01,46 | जमा 4,66,32,29,96 |
| च-- कर्ज तथा उधार- (ख) | | | | |
| (क) सामान्य सेवाएं-- | | | | |
| (ड.) पेंशन तथा विविध सामान्य उद्देश्यों के लिये कर्ज-- | | | | |
| 6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज | नामे 9,45,93,68 | 1,65,00 | 27,14,50 | नामे 9,71,43,18 |
| ख-- सामाजिक सेवाओं के लिये कर्ज-- | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिये कर्ज-- | | | | |
| 6202--शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिये कर्ज | नामे 17,49,25 | 28,60 | 4,00,00 | नामे 21,20,65 |
| (ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिये कर्ज-- | | | | |
| 6210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिए कर्ज | नामे 3,57,71 | .. | .. | नामे 3,57,71 |

- (क) विस्तृत लेखे के लिये विवरण संख्या-17 का अवलोकन करें ।
 (ख) विस्तृत लेखे के लिये विवरण संख्या-18 का अवलोकन करें ।
 (द) पृष्ठ 32 पर पाद टिप्पणी # देखें ।

विवरण संख्या-16--जारी

| लेखे का शीर्ष | प्रारंभिक शेष | प्राप्तियां (हजार रुपये में) | संवितरण | अंतशेष |
|--|------------------------|---------------------------------|------------|------------------------|
| समेकित निधि--जारी | | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं के लिये कर्ज--समाप्त | | | | |
| (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के लिए कर्ज- | | | | |
| 6215-जलपूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज | नामे 1,83,58,21 | 12,24,93 | 51,06,79 | नामे 2,22,40,07 |
| 6216-आवास के लिये कर्ज | नामे 55,09,99 | .. | .. | नामे 55,09,99 |
| | नामे 1,67,97,92 | | | नामे 1,67,97,92 |
| 6217-शहरी विकास के लिये कर्ज | नामे 10,58,27,91 | 4,84,86 | 1,79,32,16 | नामे 12,32,75,21 |
| योग-(ग)-जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के लिए कर्ज | नामे 12,96,96,11 | 17,09,79 | 2,30,38,95 | नामे 15,10,25,27 |
| | नामे 1,67,97,92 | | | नामे 1,67,97,92 |
| (ड.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये कर्ज-- | | | | |
| 6225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये कर्ज | नामे 7,57,04 | .. | .. | नामे 7,57,04 |
| | नामे 57,80 | | | नामे 57,80 |
| (छ) समाज कल्याण तथा पोषण के लिये कर्ज- | | | | |
| 6235--सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज | नामे 3,03,10 | .. | .. | नामे 3,03,10 |
| 6245--प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिये कर्ज | नामे 20,01 | 20,01 | .. | .. |
| योग--छ-समाज कल्याण तथा पोषण के लिये कर्ज | नामे 3,23,11 | 20,01 | .. | नामे 3,03,10 |
| (ज) अन्य सेवाओं के लिये कर्ज-- | | | | |
| 6250-अन्य समाज सेवाओं के लिये कर्ज | नामे 1,77,75 | .. | .. | नामे 1,77,75 |
| योग--ख--सामाजिक सेवाओं के लिये कर्ज | नामे 13,30,60,97 | 17,58,40 | 2,34,38,95 | नामे 15,47,41,52 |
| | नामे 1,68,55,72 | | | नामे 1,68,55,72 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है।

इन संख्याओं हेतु विवरण संख्या 8 की व्याख्यात्मक टिप्पणी 4 का अवलोकन करें।

विवरण संख्या-16--जारी

| लेखे का शीर्ष | प्रारंभिक शेष | प्राप्तियां (हजार रुपये में) | संवितरण | अंतशेष |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| समेकित निधि--जारी | | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज-- | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप -- | | | | |
| 6401--फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज | नामे 50,48,13 नामे 29,65,61 | 12,43 | 3,11 | नामे 50,38,81 नामे 29,65,61 |
| 6402--मृदा एवं जल संरक्षण के लिये कर्ज | नामे 21,29,07 | 6,24 | .. | नामे 21,22,83 |
| 6403--पशु पालन के लिये कर्ज | नामे 20,30,56 | .. | .. | नामे 20,30,56 |
| 6404--डेरी विकास हेतु कर्ज | नामे 44,85 | .. | .. | नामे 44,85 |
| 6405--मछली पालन के लिये कर्ज | नामे 23,54 | 1,02 | 3,29 | नामे 25,81 |
| 6406--वानिकी तथा वन्य जीवन के लिये कर्ज | नामे 13,93,18 नामे 47,88,03 | 72,35 | .. | नामे 13,20,83 नामे 47,88,03 |
| 6408--खाद्य, भण्डारण तथा भाण्डागार के लिये कर्ज | नामे 19,96,75 नामे 3,98,58 | 27,72 | .. | नामे 19,69,03 नामे 3,98,58 |
| 6425--सहकारिता के लिये कर्ज | नामे 1,64,55,32 नामे 40,20 | 14,66,85 | 6,00,00 | नामे 1,55,88,47 नामे 40,20 |
| 6435--अन्य कृषि कार्यक्रमों के लिये कर्ज | नामे 8,34 | .. | .. | नामे 8,34 |
| योग--(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप | नामे 2,91,29,74 नामे 81,92,42 | 15,86,61 | 6,06,40 | नामे 2,81,49,53 नामे 81,92,42 |
| (ख) ग्राम विकास-- | | | | |
| 6515--अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिये कर्ज | नामे 1,59,58 | .. | .. | नामे 1,59,58 |
| योग (ख)--ग्राम विकास | नामे 1,59,58 | .. | .. | नामे 1,59,58 |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण -- | | | | |
| 6702--लघु सिंचाई के लिये कर्ज | नामे 32,42 | .. | .. | नामे 32,42 |
| 6705--कमान क्षेत्र विकास के लिये कर्ज | नामे 3,96,71 | 1 | .. | नामे 3,96,70 |
| 6711--बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए कर्ज | नामे 10,49,03 | .. | .. | नामे 10,49,03 |
| योग (घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण | नामे 14,78,16 | 1 | .. | नामे 14,78,15 |
| (ड.) ऊर्जा-- | | | | |
| 6801--बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज | नामे 9,11,09,07 नामे 18,19,16,90 | .. | 15,74,91,94 | नामे 24,86,01,01 नामे 18,19,16,90 |
| योग (ड.) ऊर्जा | नामे 9,11,09,07 नामे 18,19,16,90 | .. | 15,74,91,94 | नामे 24,86,01,01 नामे 18,19,16,90 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है।

विवरण संख्या-16--जारी

| लेखे का शीर्ष | प्रारंभिक शेष | प्राप्तियां (हजार रुपये में) | संवितरण | अंतशेष |
|---|-------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|
| समेकित निधि--समाप्त | | | | |
| च-- कर्ज और उधार--समाप्त | | | | |
| ग-- आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज--समाप्त | | | | |
| (च) उद्योग तथा खनिज-- | | | | |
| 6851--ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिये कर्ज | नामे 9,27,17 | 6,57 | .. | नामे 9,20,60 |
| 6853--अलौह तथा धातुकर्म उद्योगों के लिये कर्ज | नामे 3,19 | .. | .. | नामे 3,19 |
| 6860--उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज | नामे 1,10,36,90 | .. | .. | नामे 1,10,36,90 |
| | नामे 3,69,51 | | | नामे 3,69,51 |
| 6885--उद्योग तथा खनिज पर अन्य कर्ज | नामे 20,83,67 | 17,05,36 ^(x) | .. | नामे 3,78,31 |
| | नामे 22,67,70 | | | नामे 22,67,70 |
| योग--(च)--उद्योग तथा खनिज | नामे 1,40,50,93 | 17,11,93 | .. | नामे 1,23,39,00 |
| | नामे 26,37,21 | | | नामे 26,37,21 |
| (छ) परिवहन-- | | | | |
| 7053--नागर विमानन के लिये कर्ज | नामे 50 | .. | .. | नामे 50 |
| 7055--सड़क परिवहन के लिये कर्ज | नामे 23,17,50 | | | नामे 23,17,50 |
| 7075--अन्य परिवहन सेवाओं के लिये कर्ज | नामे 35,97,51 | .. | 18,84,00 | नामे 54,81,51 |
| योग--(छ)--परिवहन | नामे 35,98,01 | .. | 18,84,00 | नामे 54,82,01 |
| | नामे 23,17,50 | | | नामे 23,17,50 |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवायें-- | | | | |
| 7452--पर्यटन के लिये कर्ज | नामे 10,16 | .. | .. | नामे 10,16 |
| 7465--सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं के लिये कर्ज | नामे 2,29 | .. | .. | नामे 2,29 |
| योग--(ज)--सामान्य आर्थिक सेवायें | नामे 12,45 | | | नामे 12,45 |
| योग--ग--आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज | नामे 13,95,25,49 | 32,98,55 | 15,99,82,34 | नामे 29,62,09,28 |
| | नामे 19,50,76,48 | | | नामे 19,50,76,48 |
| घ-- सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि-- | | | | |
| 7610--सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि | नामे -36,15,71 | 1,39,82 | 9,86 | नामे -37,45,67 |
| | नामे 68,11,89 | | | नामे 68,11,89 |
| ड--विविध-- | | | | |
| 7615--विविध कर्ज | नामे 4,46 | .. | .. | नामे 4,46 |
| योग--च--कर्ज और उधार | नामे 36,35,68,89 | 53,61,77 | 18,61,45,65 | नामे 54,43,52,77 |
| | नामे 21,87,44,09 | | | नामे 21,87,44,09 |
| छ-- अन्तर्राज्यीय परिशोधन-- | | | | |
| 7810-- अन्तर्राज्यीय परिशोधन | | 79,10 | 73,49 | |
| योग--समेकित निधि | | 4,02,08,58,93 | 4,00,50,23,25 | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है।

(x) पृष्ठ 381 पर पाद टिप्पणी (x) देखें।

(का) ऋणात्मक शेष उत्तरवर्ती राज्यों के मध्य शेषों के अनुभाजन न होने के कारण है।

विवरण संख्या-16--जारी

| लेखे का शीर्ष | प्रारंभिक शेष | प्राप्तियां (हजार रुपये में) | संवितरण | अंतशेष |
|--|---------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| आकस्मिकता निधि-- | | | | |
| 8000--आकस्मिकता निधि-- | | | | |
| 201--समेकित निधि से विनियोग | जमा | 1,00,00,00 | .. | जमा 1,00,00,00 |
| योग--8000--आकस्मिकता निधि | जमा | 1,00,00,00 | .. | जमा 1,00,00,00 |
| योग--आकस्मिकता निधि | जमा | 1,00,00,00 | .. | जमा 1,00,00,00 |
| लोक लेखा-- | | | | |
| झ--लघु बचत, भविष्य निधि आदि--(क) | | | | |
| (क) राष्ट्रीय अल्प बचत निधि-- | | | | |
| 8001--राष्ट्रीय बचत जमा-- | | | | |
| 103--राष्ट्रीय बचत सावधि तथा मियादी जमा | जमा | 17,12 | .. | जमा 17,12 |
| योग--8001--राष्ट्रीय बचत जमा | जमा | 17,12 | .. | जमा 17,12 |
| योग--(क)--राष्ट्रीय अल्प बचत निधि | जमा | 17,12 | .. | जमा 17,12 |
| (ख) राज्य भविष्य निधियां-- | | | | |
| 8009--राज्य भविष्य निधि | जमा | 58,68,66,55 | 12,64,60,15 | जमा 60,82,11,67 |
| | जमा | 5,52,10,91 | | जमा 5,52,10,91⁽¹⁾ |
| योग--(ख)--राज्य भविष्य निधियां | जमा | 58,68,66,55 | 12,64,60,15 | जमा 60,82,11,67 |
| | जमा | 5,52,10,91 | | जमा 5,52,10,91 |

(क) विस्तृत लेखे के लिये विवरण संख्या-17 देखें ।

⁽¹⁾ सरकार से कर्मचारीवार विवरण प्राप्त न होने के कारण अभी विभाजित नहीं हुए शेषों को दर्शाते हैं ।

विवरण संख्या-16--जारी

| लेखे का शीर्ष | प्रारंभिक शेष | प्राप्तियां (हजार रुपये में) | संवितरण | अंतशेष | | |
|---|---------------|---------------------------------|-------------------|-------------|---------|------------------------|
| लोक लेखा--जारी | | | | | | |
| झ--लघु बचत, भविष्य निधि आदि--समाप्त | | | | | | |
| (ग) अन्य लेखा-- | | | | | | |
| 8010--न्यास तथा अक्षय निधि -- | | | | | | |
| 101--खजाना नोट | जमा | 32 | जमा | 32 | | |
| | | | | (2) | | |
| योग-8010--न्यास तथा अक्षय निधि | जमा | 32 | जमा | 32 | | |
| 8011--बीमा तथा पेंशन निधि-- | | | | | | |
| 103--केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह | | | | | | |
| बीमा योजना | जमा | 11 | जमा | 11 | | |
| | | | | (का) | | |
| 105--राज्य सरकारी बीमा निधि | जमा | -57,18 | -8 ^(क) | जमा | -57,26 | |
| | जमा | 9,37,83 | .. | जमा | 9,37,83 | |
| 106--अन्य बीमा तथा पेंशन निधियां | जमा | 2,24,88,23 | 1,22,07,39 | 78,63,75 | जमा | 2,68,31,87 |
| 107--राज्य सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना | जमा | 11,81,83,47 | 55,73 | 53,73,24 | जमा | 11,28,65,96 |
| योग--8011--बीमा तथा पेंशन निधि | जमा | 14,06,14,52 | 1,22,63,04 | 1,32,36,99 | जमा | 13,96,40,57 |
| | जमा | 9,37,94 | | | जमा | 9,37,94 ⁽²⁾ |
| 8012--विशेष जमा तथा लेखा-- | | | | | | |
| 107--“भविष्य, अधिवार्षिता तथा उपदान निधि द्वारा विशेष निक्षेप” | | | | | | |
| | जमा | 86 | .. | .. | जमा | 86 |
| 116--भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जमा | | | | | | |
| | जमा | 9 | .. | .. | जमा | 9 |
| योग--8012--विशेष जमा तथा लेखा | जमा | 95 | .. | .. | जमा | 95 |
| योग--(ग) अन्य लेखा | जमा | 14,06,15,47 | 1,22,63,04 | 1,32,36,99 | जमा | 13,96,41,52 |
| | जमा | 9,38,26 | | | जमा | 9,38,26 |
| योग--झ- लघु बचत, भविष्य निधि आदि | | | | | | |
| | जमा | 72,74,99,14 | 13,87,23,19 | 11,83,52,02 | जमा | 74,78,70,31 |
| | जमा | 5,61,49,17 | | | जमा | 5,61,49,17 |

(का) ऋणात्मक शेष उत्तरवर्ती राज्यों के मध्य शेषों के अनुभाजन न होने के कारण है।

(क) पृष्ठ 32 पर पाद टिप्पणी (1) देखें।

(क) ऋणात्मक लेन-देन पूर्व वर्षों के समायोजन के कारण है।

विवरण संख्या-16--जारी

| लेखे का शीर्ष | प्रारंभिक शेष | प्राप्तियां (हजार रुपये में) | संवितरण | अंतशेष |
|--|---------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|
| लोक लेखा--जारी | | | | |
| ज--आरक्षित निधि-- | | | | |
| (क)--ब्याज वाली आरक्षित निधियां-- | | | | |
| 8121--सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां-- | | | | |
| 115-- प्राकृतिक विपत्ति अव्ययित | | | | |
| मार्जिनल मुद्रा निधि | जमा | 3,18,55,08 ^(क) | -1,56,00,00 ^(@) | .. जमा 1,62,55,08 |
| योग--8121--सामान्य तथा अन्य | | | | |
| आरक्षित निधियां | जमा | 3,18,55,08 ^(क) | -1,56,00,00 | .. जमा 1,62,55,08 |
| योग--(क)--ब्याज वाली आरक्षित निधियां | | | | |
| | जमा | 3,18,55,08 ^(क) | -1,56,00,00 | .. जमा 1,62,55,08 |
| (ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां-- | | | | |
| 8223--अकाल राहत निधि-- | | | | |
| 101--अकाल राहत निधि | जमा | 4,73,65 | 27,04 | .. जमा 5,00,69 |
| 102--अकाल राहत निधि-निवेश लेखा | नामे | 1,88,62 | 1,54,13 | .. नामे 34,49 |
| योग--8223--अकाल राहत निधि | | | | |
| | जमा | 2,85,03 | 1,81,17 | .. जमा 4,66,20 |
| 8226--मूल्य हास/नवीनीकरण आरक्षित निधि-- | | | | |
| 102--सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की | | | | |
| मूल्य हास आरक्षित निधि | जमा | 3,02,62 | 25,86 | .. जमा 3,28,48 |
| योग--8226--मूल्य हास /नवीनीकरण | | | | |
| आरक्षित निधि | जमा | 3,02,62 | 25,86 | .. जमा 3,28,48 |
| 8228--राजस्व आरक्षित निधि-- | | | | |
| 101--राजस्व आरक्षित निधि | जमा | 30,46,14 | 27,31 | .. जमा 30,73,45 |
| 102--राजस्व आरक्षित निधि-- | | | | |
| निवेश लेखा | नामे | 10,55,52 | .. | .. नामे 10,55,52 |
| योग--8228--राजस्व आरक्षित निधि | | | | |
| | जमा | 19,90,62 | 27,31 | .. जमा 20,17,93 |

(@) 8235-111-आपदा राहत निधि को अन्तरित ।

(क) वर्ष 2004-05 के लिये अभिवृद्धि दर्शाते हुए 76,13,00 हजार रुपये की प्रोफोर्मा वृद्धि की गई, जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी की गई थी परन्तु विलम्ब से प्राप्त होने के कारण शामिल नहीं की गई (मध्यप्रदेश सरकार वित्त विभाग के पत्र क्रं. D-149/char-95/09 दिनांक 29.05.09 सहपठित मुख्यालय का पत्र क्रमांक 367-AC-I/SP-I/46-2009 दिनांक 31.07.2009)

विवरण संख्या-16--जारी

| लेखे का शीर्ष | प्रारंभिक शेष | प्राप्तियां (हजार रुपये में) | संवितरण | अंतशेष |
|--|---------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| लोक लेखा--जारी | | | | |
| ज--आरक्षित निधि--समाप्त | | | | |
| (ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां--समाप्त | | | | |
| 8229--विकास तथा कल्याण निधि-- | | | | |
| 103--कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि-- | | | | |
| निधि लेखा | जमा | 33,86 | 1,00 | जमा 34,86 |
| निवेश लेखा | नामे | 18,23 | .. | नामे 18,23 |
| 110--विद्युत विकास निधि | जमा | 4,23,00,55 | 1,65,94,49 | जमा 5,88,95,04 |
| 200--अन्य विकास तथा कल्याण निधि | जमा | 5,86,41,79 | 1,53,92,70 | जमा 7,40,34,49 |
| योग--8229--विकास तथा कल्याण निधि | जमा | 10,09,57,97 | 3,19,88,19 | जमा 13,29,46,16 |
| 8235--सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां-- | | | | |
| 111--आपदा राहत निधि | जमा | 1,53,52,23 | 4,33,80,50 ^(*) | जमा 29,19 |
| | जमा | 1,02,46,44 | | जमा 1,02,46,44⁽³⁾ |
| 117--गारंटी मोचन निधि | जमा | 3,05,31,47 | 34,85 | जमा 3,05,66,32 |
| 120--गारंटी मोचन निधि- निवेश लेखा | नामे | 3,05,31,47 | .. | नामे 3,05,66,32 |
| 200--अन्य निधियां | जमा | 3,00 | .. | जमा 3,00 |
| 201--अन्य निधियां- | | | | |
| निवेश लेखा | नामे | 79 | .. | नामे 79 |
| योग--8235--सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां | जमा | 1,53,54,44 | 4,34,15,35 | जमा 31,40 |
| | जमा | 1,02,46,44 | | जमा 1,02,46,44 |
| योग--(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां | जमा | 11,88,90,68 | 7,56,37,88 | जमा 13,57,90,17 |
| | जमा | 1,02,46,44 | | जमा 1,02,46,44 |
| निधि लेखे | जमा | 18,25,40,39 ^(क) | 5,98,83,75 | जमा 18,37,20,60 |
| | जमा | 1,02,46,44 | | जमा 1,02,46,44 |
| योग-- ज--आरक्षित निधियां निवेश | नामे | 3,17,94,63 | 1,54,13 | नामे 3,16,75,35 |

(3) पृष्ठ 34 पर पाद टिप्पणी (3) देखें ।

(*) राज्य सरकार राजस्व विभाग की स्वीकृति दिनांक 31.03.2009 के तहत 8।2।-1।5-प्राकृतिक विपत्ति अव्ययित मार्जिनल मुद्रा निधि से अंतरित रुपये 1,56,00,00 हजार सम्मिलित हैं ।

(क) पृष्ठ 334 पर पाद टिप्पणी (क) देखें ।

विवरण संख्या-16--जारी

| लेखे का शीर्ष | प्रारंभिक शेष | प्राप्तियां (हजार रुपये में) | संवितरण | अंतशेष |
|--|---------------|---------------------------------|----------|-------------------------|
| लोक लेखा-- जारी | | | | |
| ट--जमा तथा अग्रिम-- | | | | |
| (क) ब्याज वाली जमा-- | | | | |
| 8342--अन्य जमा-- | | | | |
| 103--“सरकारी कंपनियों, निगमों आदि की जमा” | जमा | 49,99,68 | .. | जमा 49,99,68 |
| 117-- सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम | जमा | 31,13,79 | 24,16,77 | 1,16 जमा 55,29,40 |
| 120--विविध जमा | जमा | 1,62,19,93 | 39,03 | 26,00,99 जमा 1,36,57,97 |
| | जमा | -2,37,80 | | -2,37,80 |
| योग--8342--अन्य जमा | जमा | 2,43,33,40 | 24,55,80 | 26,02,15 जमा 2,41,87,05 |
| | जमा | -2,37,80 | | -2,37,80 |
| योग--(क) ब्याज वाली जमा | जमा | 2,43,33,40 | 24,55,80 | 26,02,15 जमा 2,41,87,05 |
| | जमा | -2,37,80 | | -2,37,80 |

(ख) बिना ब्याज वाली जमा--

| | | | | |
|--|-----|-------------|-------------|-------------------------------|
| 8443--सिविल जमा-- | | | | # |
| 101--राजस्व जमा | जमा | 45,73,19 | 10,99,05 | 4,34,73 जमा 52,37,51 |
| 103--प्रतिभूति जमा | जमा | 9,21,78 | 6,18,67 | 3,08,71 जमा 12,31,74 |
| 104--सिविल न्यायालय जमा | जमा | 20,01,78 | 42,31,00 | 38,40,53 जमा 23,92,25 |
| 106--व्यक्तिगत जमा | जमा | 14,28,23,56 | 7,36,83,31 | 9,48,95,75 जमा 12,16,11,12 |
| 108--लोक निर्माण कार्य जमा | जमा | 10,68,39,76 | 11,68,99,32 | 10,71,83,11 जमा 11,65,55,97 # |
| 109--वन जमा | जमा | 6,61,60 | 12,87,72 | 8,67,49 जमा 10,81,83 |
| 110--पुलिस निधि की जमा | जमा | 1,42 | .. | .. जमा 1,42 |
| 111--अन्य विभागीय जमा | जमा | 2,63,21,62 | 4,90,72,58 | 4,41,95,72 जमा 3,11,98,48 |
| 113--विदेश में क्रय आदि के लिये जमा | जमा | 2,83 | .. | .. जमा 2,83 |
| 116--विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमों के अधीन जमा | जमा | 1,71,26 | 37,11 | 6,24 जमा 2,02,13 |
| 117--सार्वजनिक निकायों या निजी व्यक्तियों के लिये किये गये कार्य के लिये जमा | जमा | 22,82 | .. | .. जमा 22,82 |

(4) पृष्ठ 34 पर पाद टिप्पणी (2) देखें।

पृष्ठ 329 पर पाद टिप्पणी # देखें।

विवरण संख्या-16--जारी

| लेखे का शीर्ष | प्रारंभिक शेष | प्राप्तियां (हजार रुपये में) | संवितरण | अंतशेष | | |
|--|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----|-------------|
| लोक लेखा-- जारी | | | | | | |
| ट--जमा तथा अग्रिम--जारी | | | | | | |
| (ख) बिना ब्याज वाली जमा--समाप्त | | | | | | |
| 8443--सिविल जमा-- समाप्त | | | | | | |
| 121--चुनावों के संबंध में जमा | जमा | 1,07,26 | 87 | 2,04 | जमा | 1,06,09 |
| 123--शैक्षणिक संस्थाओं की जमा | जमा | 50,55,47 | 27,64,33 | 23,16,16 | जमा | 55,03,64 |
| 124--सामान्य भविष्य निधि में अदावाकृत जमा | जमा | 85 | .. | .. | जमा | 85 |
| 129--शराब, गांजा तथा भांग के लागत मूल्य के कारण जमा | जमा | 6,08,48 | .. | .. | जमा | 6,08,48 |
| 800--अन्य जमा | जमा | 5,98,50,42 | 5,37,50,65 | 2,25,58,11 | जमा | 9,10,42,96 |
| योग -- 8443--सिविल जमा | जमा | 34,99,64,10 | 30,34,44,61 | 27,66,08,59 | जमा | 37,68,00,12 |
| 8448--स्थानीय निधियों की जमा-- | | | | | | |
| 101--जिला निधियां | जमा | 1,05 | .. | .. | जमा | 1,05 |
| 102--नगरपालिका संबंधी निधियां | जमा | 33 | .. | .. | जमा | 33 |
| 109--पंचायत निकाय निधियां | जमा | 5,07,24 | 1,43,74 | .. | जमा | 6,50,98 |
| 120--अन्य निधियां | जमा | 1,47,54,00 | 89,32,66 | 1,20,89,91 | जमा | 1,15,96,75 |
| योग--8448--स्थानीय निधियों की जमा | जमा | 1,52,62,62 | 90,76,40 | 1,20,89,91 | जमा | 1,22,49,11 |
| 8449--अन्य जमा-- | | | | | | |
| 103--केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान | जमा | 2,39,75 | .. | .. | जमा | 2,39,75 |
| 105--बाजार कर्ज की जमा राशि | .. | .. | 44,95,25,00 | 44,95,25,00 | .. | .. |
| 120--विविध जमा | जमा | 4,64,18 | .. | .. | जमा | 4,64,18 |
| योग--8449--अन्य जमा | जमा | 7,03,93 | 44,95,25,00 | 44,95,25,00 | जमा | 7,03,93 |
| योग--(ख)--बिना ब्याज वाली जमा | जमा | 36,59,30,65 | 76,20,46,01 | 73,82,23,50 | जमा | 38,97,53,16 |

विवरण संख्या-16--जारी

| लेखे का शीर्ष | प्रारंभिक शेष | प्राप्तियां (हजार रुपये में) | संवितरण | अंतशेष |
|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|
| लोक लेखा--जारी | | | | |
| ट--जमा तथा अग्रिम --समाप्त | | | | |
| (ग) अग्रिम-- | | | | |
| 8550--सिविल अग्रिम- | | | | |
| 101--वन अग्रिम | नामे 11,76,67 | 2,65,84,61 | 2,65,59,49 | नामे 11,51,55 |
| 102--राजस्व अग्रिम | नामे 2,64 | .. | .. | नामे 2,64 |
| 103--अन्य विभागीय अग्रिम | नामे 4,15 | .. | .. | नामे 4,15 |
| 104--अन्य अग्रिम | नामे 2,26,37 | .. | 34,90 | नामे 2,61,27 |
| योग--8550--सिविल अग्रिम | नामे 14,09,83 | 2,65,84,61 | 2,65,94,39 | नामे 14,19,61 |
| योग--(ग) अग्रिम | नामे 14,09,83 | 2,65,84,61 | 2,65,94,39 | नामे 14,19,61 |
| योग--ट--जमा तथा अग्रिम | जमा 38,88,54,22 | 79,10,86,42 | 76,74,20,04 | जमा 41,25,20,60 |
| | जमा -2,37,80 | | | जमा -2,37,80 |
| ठ--उचन्त तथा विविध-- | | | | |
| (ख) उचन्त-- | | | | |
| 8658--उचन्त लेखा-- | | | | |
| 101--वेतन तथा लेखा कार्यालय उचन्त | नामे 15,77,14 | -90,51 ⁽¹⁾ | 1,71,23 | नामे 18,38,88 |
| | | ⁽²⁾ | | |
| 102--उचन्त लेखा (सिविल) | नामे 5,80,27 | -40,84 | 36,11 | नामे 6,57,22 |
| | नामे 62,74 | | | नामे 62,74 |
| | | | ⁽³⁾ | |
| 107--नकद परिनिर्धारण उचन्त लेखा | नामे 1,12,87,99 | 69,89 | -2,66,59 | नामे 1,09,51,51 |
| 109--रिजर्व बैंक उचन्त--मुख्यालय | जमा 88,28 | 1,83,80 | 43,11 | जमा 2,28,97 |
| 110--रिजर्व बैंक उचन्त-- केन्द्रीय लेखा कार्यालय | नामे 24,77,15 | -55,63 | 37,80,90 | नामे 63,13,68 |
| | | ⁽⁴⁾ | | |
| 112--स्रोत पर कर कटौती (स्रोत) उचन्त | जमा 22,89,28 | -4,03,41 ⁽⁵⁾ | .. | जमा 18,85,87 |
| | जमा 14,34,46 | | | जमा 14,34,46 |
| 113--भविष्य निधि उचन्त | नामे 17,50,32 | -12,53 ⁽⁶⁾ | -65,17 ⁽⁷⁾ | नामे 16,97,68 |
| | नामे 5,78,21 | | | नामे 5,78,21 |
| 117--रिजर्व बैंक की ओर से लेन-देन | जमा 10 | -10 ⁽⁵⁾ | .. | .. |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है।

- (1) गत वर्षों के समाशोधन से संबंधित रुपये 1,01,39 हजार सम्मिलित हैं।
- (2) गत वर्षों के समाशोधन से संबंधित रुपये 52,64 हजार सम्मिलित हैं।
- (3) गत वर्षों के समाशोधन से संबंधित रुपये 4,76,19 हजार सम्मिलित हैं।
- (4) गत वर्षों के समाशोधन से संबंधित रुपये 56,04 हजार सम्मिलित हैं।
- (5) पृष्ठ 333 पर पाद टिप्पणी (@) देखें।
- (6) गत वर्षों के समाशोधन से संबंधित रुपये 14,68 हजार सम्मिलित हैं।
- (7) गत वर्षों के समाशोधन से संबंधित रुपये 2,93,68 हजार सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या-16--जारी

| लेखे का शीर्ष | प्रारंभिक शेष | प्राप्तियां (हजार रुपये में) | संवितरण | अंतशेष |
|--|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| लोक लेखा--जारी | | | | |
| ठ--उच्चत तथा विविध--जारी | | | | |
| (ख) उच्चत--समाप्त | | | | |
| 8658--उच्चत लेखा-समाप्त | | | | |
| 120--अतिरिक्त मंहगाई भत्ता जमा-- उच्चत लेखा (पुराना) | नामे | 13,22 | .. | नामे 13,22 |
| 121--अतिरिक्त मंहगाई भत्ता जमा-- उच्चत लेखा (नया) | जमा | 8 | .. | जमा 8 |
| 123--अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना | जमा | 1,74,12 | 24,03 | जमा 1,94,85 |
| 127--मध्यभारत रेल्वे तथा मिलिट्री निधियों के निवेश लेखे | जमा | 25,10 | | जमा 25,10 |
| 129--सामग्री क्रय परिनिर्धारण उच्चत लेखे | जमा | 2,25,76,64 | 5,59,51 | जमा 2,19,89,52 |
| 134--महालेखाकार जम्मू तथा कश्मीर और अन्य महालेखाकारों के बीच नकद परिनिर्धारण | नामे नामे | 12 24 | .. | @ नामे 7 नामे 24 |
| योग--8658--उच्चत लेखा | जमा | 74,42,29 | 2,34,21 | जमा 28,27,03 |
| | जमा | 8,18,37 | | जमा 8,18,37 |
| योग--(ख) उच्चत | जमा | 74,42,29 | 2,34,21 | जमा 28,27,03 |
| | जमा | 8,18,37 | | जमा 8,18,37 |
| (ग)--अन्य लेखा-- | | | | |
| 8670--चैक तथा बिल-- | | | | |
| 101--पूर्व लेखा परीक्षा चैक | जमा | 3,03 | .. | जमा 3,03 |
| 103--विभागीय चैक | जमा | 1,66,21 | 4,42,92,20 | जमा 4,30,51,78 |
| 104--खजाना चैक | जमा | 57,27,24 | 2,70,00,96,49 | जमा 2,70,06,57,21 |
| योग--8670--चैक तथा बिल | जमा | 58,96,48 | 2,74,43,88,69 | जमा 2,74,37,08,99 |
| 8671--विभागीय शेष-- (5) | | | | |
| 101--सिविल | नामे | 15,90,44 | 41,67,97 | नामे 39,15,78 |
| योग--8671--विभागीय शेष | नामे | 15,90,44 | 41,67,97 | नामे 39,15,78 |
| 8672--स्थाई रोकड़ अग्रदाय-- | | | | |
| 101--सिविल | नामे | 74,32 | 22 | नामे 3,10 |
| योग--8672--स्थाई रोकड़ अग्रदाय | नामे | 74,32 | 22 | नामे 3,10 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है।

@ ऋणात्मक लेन-देन पूर्व वर्षों के जमा/नामे के समायोजन के कारण हैं।

(5) अंतर की राशि रुपये 6,76,53 हजार म.प्र. में रोकी गई है, जिसका अभी समाशोधन किया जाना है।

विवरण संख्या-16--जारी

| लेखे का शीर्ष | प्रारंभिक शेष | प्राप्तियां (हजार रुपये में) | संवितरण | अंतशेष |
|--|------------------|---------------------------------|---------------|------------------|
| लोक लेखा--जारी | | | | |
| ठ--उचन्त तथा विविध--समाप्त | | | | |
| (ग)--अन्य लेखा--समाप्त | | | | |
| 8673--रोकड़ शेष निवेश लेखा-- | | | | |
| 101--रोकड़ शेष निवेश लेखा | नामे 27,59,00,00 | 5,40,83,19,82 | 5,42,53,66,06 | नामे 29,29,46,24 |
| योग--8673--रोकड़ शेष निवेश लेखा | नामे 27,59,00,00 | 5,40,83,19,82 | 5,42,53,66,06 | नामे 29,29,46,24 |
| योग--(ग)--अन्य लेखा | | | | |
| नामे | 27,16,68,28 | 8,15,68,76,70 | 8,17,29,93,93 | नामे 28,77,85,51 |
| (घ) विदेशी सरकारों के साथ खोले गए लेखे-- | | | | |
| 8679--अन्य देशों की सरकारों के साथ खोले गए लेखे-- | | | | |
| 103--बर्मा | नामे 4 | .. | .. | नामे 4 |
| 105--पाकिस्तान | नामे 15,30 | .. | .. | नामे 15,30 |
| योग--8679--अन्य देशों की सरकारों के साथ खोले गए लेखे | | | | |
| नामे | 15,34 | .. | .. | नामे 15,34 |
| योग--(घ)--विदेशी सरकारों के साथ खोले गए लेखे | | | | |
| नामे | 15,34 | .. | .. | नामे 15,34 |
| (ड)--विविध-- | | | | |
| 8680--विविध सरकारी लेखे (x)-- | | | | |
| 102--शेष संवृत करने के लिए लेखा शीर्षों से बट्टे खाते डालना | | | | |
| | | .. | 3,18,50 | |
| योग--8680--विविध सरकारी लेखे | | | | |
| | | .. | 3,18,50 | |
| योग--ड.--विविध | | | | |
| | | .. | 3,18,50 | |
| योग--ठ--उचन्त तथा विविध | | | | |
| नामे | 26,42,41,33 | 8,15,71,10,91 | 8,17,81,61,90 | नामे 28,49,73,82 |
| जमा | 8,18,37 | | (खा) | जमा 8,18,37 |
| ड.--प्रेषण-- | | | | |
| (क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण-- | | | | |
| 8782--उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन-- | | | | |
| 101--खजानों तथा मुद्रा तिजोरियों के बीच रोकड़ प्रेषण | | | | |
| | | 94,93,44 | 94,93,44 | |
| 102--लोक निर्माण प्रेषण | नामे 1,38,15,95 | 72,77,17,22 | 72,70,31,60 | नामे 1,31,30,33 |
| 103--वन प्रेषण | नामे 18,83,05 | 12,45,26,35 | 12,17,77,79 | जमा 8,65,51 |

(x) यह शीर्ष सरकारी लेखों में बंद होता है ।

(खा) शीर्ष 8680-विविध सरकारी लेखे से संबंधित रुपये 3,18,50 हजार सम्मिलित हैं जिनको अंतशेष में नहीं लिया गया है।

विवरण संख्या-16--समाप्त

| लेखे का शीर्ष | प्रारंभिक शेष | प्राप्तियां (हजार रुपये में) | संवितरण | अंतशेष |
|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| लोक लेखा--समाप्त | | | | |
| ड.--प्रेषण-समाप्त | | | | |
| (क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण--समाप्त | | | | |
| 8782--उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन-समाप्त | | | | |
| 105--भारतीय रिजर्व बैंक प्रेषण | नामे 2,39,15 | .. | .. | नामे 2,39,15 |
| 108--अन्य विभागीय प्रेषण | .. | 2,85 | 1 | जमा 2,84 |
| 110--विविध प्रेषण | नामे 1,25,69,07 | 4,97,90,07 | 4,91,14,13 | नामे 1,18,93,13 |
| योग--8782--उसी लेखा अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन | नामे 2,85,07,22 | 91,15,29,93 | 90,74,16,97 | नामे 2,43,94,26 |
| योग--(क)--धनादेश तथा अन्य प्रेषण | नामे 2,85,07,22 | 91,15,29,93 | 90,74,16,97 | नामे 2,43,94,26 |
| (ख)--अंत: सरकार समायोजन लेखा-- | | | | |
| 8786--केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच समायोजन लेखा | नामे 69,50 | .. | .. | नामे 69,50 |
| 8793--अन्तर्राज्यीय उचंत लेखा | नामे 36,77,82 | 1,80,01 | -18,73,06 | नामे 16,24,75 |
| योग--(ख)--अंत: सरकार समायोजन लेखा | नामे 37,47,32 | 1,80,01 | -18,73,06 | नामे 16,94,25 |
| योग--ड.--प्रेषण | नामे 3,22,54,54 | 91,17,09,94 | 90,55,43,91 | नामे 2,60,88,51 |
| योग--लोक लेखा | जमा 97,06,03,25 ^(क) | 10,05,86,68,34 | 10,02,78,97,76 | जमा 1,00,13,73,83 |
| | | | 3,18,50 (x) | |
| | जमा 6,69,76,18 | | | जमा 6,69,76,18 |
| योग--प्राप्तियां/संवितरण | | 14,07,95,27,27 | 14,03,32,39,51 | |
| ढ--रोकड़ शेष-- | | | | |
| 8999--रोकड़ शेष-- | | | | |
| प्रारंभिक शेष | | -13,01,14,44 | | |
| अंतिम शेष | | | -8,38,26,68 | |
| महायोग | | 13,94,94,12,83 | 13,94,94,12,83 | |

प्रारंभिक और अंतिम रोकड़ शेष का विवरण

प्रारंभिक शेष अन्तिम शेष
(हजार रुपये में)

| | | |
|-----------------------------|--------------|----------------|
| 101- खजानों में रोकड़ | .. | .. |
| 102-रिजर्व बैंक में जमा | -13,03,79,04 | -8,40,93,44 \$ |
| 104-स्थानीय मार्गस्थ प्रेषण | 2,64,60 | 2,66,76 |
| योग | -13,01,14,44 | -8,38,26,68 |

\$ पृष्ठ 46 पर पाद टिप्पणी (क) देखें ।

@ ऋणात्मक लेन-देन पूर्व वर्षों के समायोजन के कारण है।

(क) पृष्ठ 334 पर पाद टिप्पणी (क) देखें ।

(x) यह लेन-देन सरकारी लेखों को बंद होता है।

विवरण संख्या 17--सरकार के ऋण और अन्य ब्याज वाले दायित्वों का ब्यौरेवार विवरण

| कर्ज का विवरण | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां (हजार रुपये में) | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2009 को शेष |
|---|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| ड.--लोक ऋण--(*) | | | | |
| 6003--राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-- | | | | |
| | (1) | | | |
| 101--बाजार कर्ज | 1,26,46,44,13 | 44,95,25,00 | 5,37,88,95 | 1,66,03,80,18 |
| 103--भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज | 1,49,84,16 | 1,28,80 | 11,33,11 | 1,39,79,85 |
| 104--भारतीय सामान्य जीवन बीमा निगम से कर्ज | 16,56,37 | .. | 1,41,97 | 15,14,40 |
| 105--राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज | 20,38,41,72 | 7,52,21,08 | 2,27,20,77 | 25,63,42,03 |
| 106--प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र | 32,63,39,93 | .. | 4,07,86,90 | 28,55,53,03 |
| 107--भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से कर्ज | 1,21,96,23 | .. | 23,64 | 1,21,72,59 |
| 108--राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज | 32,96,73 | 36,91,56 | 12,42,33 | 57,45,96 |
| 109--अन्य संस्थाओं से कर्ज | 6,88,50,96 | 23,85,14 | 1,02,03,98 | 6,10,32,12 |
| 110--भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशागियां | .. | 19,00,97 | 19,00,97 | .. |
| 111--केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां | 1,43,00,38,85 | 70,77,00 | 1,96,72,65 | 1,41,74,43,20 |
| योग--6003--राज्य सरकार का आंतरिक ऋण | 3,32,58,49,08 | 53,99,29,55 | 15,16,15,27 | 3,71,41,63,36 |
| 6004--केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम-- | | | | |
| 01--योजनेतर कर्ज-- | | | | |
| 107--राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति के लिये कर्ज | 1,52,86 | .. | .. | 1,52,86 |
| 115--पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिये कर्ज | 67,01,62 | .. | 3,71,12 | 63,30,50 |
| 201--आवास निर्माण अग्रिम | 20,99 | .. | 7,00 | 13,99 |
| 800--अन्य कर्ज | 1,02,04 | .. | 33,50 | 68,54 |
| योग--01--योजनेतर कर्ज | 69,77,51 | .. | 4,11,62 | 65,65,89 |
| 02--राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिये कर्ज-- | | | | |
| 101--एक मुश्त कर्ज-- | | | | |
| (i) एक मुश्त कर्ज | 24,95,65,58 | 4,16,41,03 | 66,04,67 | 28,46,01,94 |
| (ii) 12 वें वित्त आयोग की अनुशांसा के अनुरूप समेकित कर्ज | 58,56,54,53 | (-58,56,54,53 | .. | .. |

(*) आगामी ब्यौरे के लिए इस विवरण का अनुलग्नक देखें।

(1) म.प्र.गृह निर्माण मंडल को पुनः ऋण के रूप में दी गई राशि रुपये 2,58,30 हजार सम्मिलित है तथा म.प्र. और छत्तीसगढ़ के मध्य परिसम्पत्तियों का विभाजन लंबित होने के कारण भारत सरकार द्वारा म.प्र. को आर्बटित की गई।

(@) लेखे के मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची की शुद्धि पत्र क्र.592 के तहत शेष को लघु शीर्ष-105 को अन्तर्गत किया गया।

विवरण संख्या 17-जारी

| कर्ज का विवरण | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2009 को शेष |
|--|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | (हजार रुपये में) | | |
| ड.--लोक ऋण-समाप्त | | | | |
| 6004--केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम-समाप्त | | | | |
| 02--राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिये कर्ज--समाप्त | | | | |
| (iii) बैंक टू बैंक आधार पर कर्ज | 2,14,65,06 | 7,37,26,83 | .. | 9,51,91,89 |
| 105-बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप समेकित कर्ज | .. | 58,56,54,53 | 3,63,05,97 ^(ख) | 54,93,48,56 |
| योग--02--राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिये कर्ज | 85,66,85,17 | 11,53,67,86 | 4,29,10,64 | 92,91,42,39 |
| 03--केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिये कर्ज-- | | | | |
| 102--मृदा एवं जल संरक्षण के लिए कर्ज | 5,62 | .. | 71 | 4,91 |
| 800--अन्य कर्ज | 25,03,08 | .. | 2,75,22 | 22,27,86 |
| योग--03--केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज | 25,08,70 | .. | 2,75,93 | 22,32,77 |
| 04--केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज-- | | | | |
| 102--मृदा एवं जल संरक्षण के लिये कर्ज | 22,88,94 | .. | 2,40,29 | 20,48,65 |
| 103--ग्राम एवं लघु उद्योगों के लिये कर्ज-- हथकरघा उद्योग के लिये कर्ज | 6,90 | .. | 2,43 | 4,47 |
| 108--अन्य सहकारिता कर्ज | 2,71 | .. | 1,83 | 88 |
| 109--कृषि साख स्थिरीकरण निधि के लिये कर्ज | 67,40 | .. | 7,40 | 60,00 |
| 205--अन्तर्राज्यीय पारेषण के लिये पारेषण एवं वितरण योजनाएं | 1,66,85 | .. | 44,33 | 1,22,52 |
| 800--अन्य कर्ज | 92,92,87 | .. | 5,91,72 | 87,01,15 |
| योग--04--केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज | 1,18,25,67 | .. | 8,88,00 | 1,09,37,67 |
| 07--1984-85 पूर्व के कर्ज-- | | | | |
| 102--राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कर्ज स्कीम | 1,87,88 | .. | .. | 1,87,88 |
| योग--07--1984-85 पूर्व के कर्ज | 1,87,88 | .. | .. | 1,87,88 |
| योग--6004--केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम | 87,81,84,93 | 11,53,67,86 | 4,44,86,19 | 94,90,66,60 |
| योग--ड.--लोक ऋण | 4,20,40,34,01 | 65,52,97,41 | 19,61,01,46 | 4,66,32,29,96 |

(ख) बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अधीन डी.सी.आर.एफ. के अधीन राज्य सरकार को प्राप्त राशि दर्शाता है।

विवरण संख्या 17-जारी

| कर्ज का विवरण | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां (हजार रुपये में) | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2009 को शेष |
|--|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| झ--अल्प बचत, भविष्य निधि आदि-- | | | | |
| (क)--राष्ट्रीय अल्प बचत निधि-- | | | | |
| 8001--राष्ट्रीय बचत जमा-- | | | | |
| 103--राष्ट्रीय बचत सावधि और मियादी जमा | 17,12 | .. | .. | 17,12 |
| योग--8001--राष्ट्रीय बचत जमा | 17,12 | .. | .. | 17,12 |
| योग--(क)--राष्ट्रीय अल्प बचत निधि | 17,12 | .. | .. | 17,12 |
| (ख)--राज्य भविष्य निधियां-- | | | | |
| 8009--राज्य भविष्य निधि-- | | | | |
| 01--सिविल-- | | | | |
| 101--सामान्य भविष्य निधि | 57,31,02,85 | 12,52,92,55 | 10,42,65,74 | 59,41,29,66 |
| | 5,52,10,33 | | | 5,52,10,33 |
| 102--अंशदायी भविष्य निधि | 92,14,16 | 3,24,35 | 4,24,23 | 91,14,28 |
| 104--अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि | 44,38,97 | 8,43,25 | 4,25,06 | 48,57,16 |
| योग--01--सिविल | 58,67,55,98 | 12,64,60,15 | 10,51,15,03 | 60,81,01,10 |
| | 5,52,10,33 | | | 5,52,10,33 |
| 60--अन्य भविष्य निधियां-- | | | | |
| 102--अंशदायी भविष्य पेंशन निधि | 1,10,58 | .. | .. | 1,10,58 |
| 103--अन्य विविध भविष्य निधियां | -1 | .. | .. | -1 ^९ |
| | 58 | | | 58 |
| योग--60--अन्य भविष्य निधियां | 1,10,57 | .. | .. | 1,10,57 |
| | 58 | | | 58 |
| योग--8009--राज्य भविष्य निधियां | 58,68,66,55 | 12,64,60,15 | 10,51,15,03 | 60,82,11,67 |
| | 5,52,10,91 (2) | | | 5,52,10,91 |
| योग--(ख)--राज्य भविष्य निधियां | 58,68,66,55 | 12,64,60,15 | 10,51,15,03 | 60,82,11,67 |
| | 5,52,10,91 | | | 5,52,10,91 |

मोटे अंक एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

९ ऋणात्मक शेष, शेषों के अनुभाजन न होने के कारण है।

(2) पृष्ठ 32 पर पाद टिप्पणी (1) देखें।

विवरण संख्या 17-समाप्त

| कर्ज का विवरण | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां (हजार रुपये में) | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2009 को शेष |
|---|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| झ--अल्प बचत, भविष्य निधि आदि--समाप्त | | | | |
| (ग)--अन्य लेखा-- | | | | |
| 8010--न्यास तथा अक्षय निधि -- | | | | |
| 101-खजाना नोट | 32 | | | 32 ⁽³⁾ |
| योग--8010--न्यास तथा अक्षय निधि | 32 | | | 32 |
| 8011--बीमा तथा पेंशन निधि- | | | | |
| 103--केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना | .. | .. | .. | .. |
| 105--राज्य सरकारी बीमा निधि | -57,18 | -8 | .. | -57,26 |
| | 9,37,83 | | | 9,37,83 |
| 106--अन्य बीमा तथा पेंशन निधि | 2,24,88,23 | 1,22,07,39 | 78,63,75 | 2,68,31,87 |
| 107--राज्य सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना | 11,81,83,47 | 55,73 | 53,73,24 | 11,28,65,96 |
| योग--8011--बीमा तथा पेंशन निधि | 14,06,14,52 | 1,22,63,04 | 1,32,36,99 | 13,96,40,57 |
| | 9,37,94 | | | 9,37,94 |
| 8012--विशेष जमा तथा लेखा-- | | | | |
| 107--"भविष्य, अधिवार्षिता तथा उपदान निधि द्वारा विशेष निक्षेप" | 86 | .. | .. | 86 |
| 116--भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जमा | 9 | .. | .. | 9 |
| योग--8012--विशेष जमा तथा लेखा | 95 | .. | .. | 95 |
| योग--(ग)--अन्य लेखा | 14,06,15,47 | 1,22,63,04 | 1,32,36,99 | 13,96,41,52 |
| | 9,38,26 | | | 9,38,26 |
| योग--झ--अल्प बचत, भविष्य निधि आदि | 72,74,99,14 | 13,87,23,19 | 11,83,52,02 | 74,78,70,31 |
| | 5,61,49,17 | | | 5,61,49,17 |
| योग--ऋण एवं अन्य ब्याज वाले दायित्व | 4,93,15,33,15 | 79,40,20,60 | 31,44,53,48 | 5,41,11,00,27 |
| | 5,61,49,17 | | | 5,61,49,17 |

मोटे अंक एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य के शेषों को दर्शाते हैं जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में आवंटन होना है।

(3) पृष्ठ 32 पर पाद टिप्पणी (1) देखें।

@ पृष्ठ 344 पर पाद टिप्पणी @ देखें।

विवरण संख्या 17 का अनुलग्नक

| कर्ज का विवरण | कब लिया गया | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां (हजार रुपये में) | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2009 को शेष |
|---|-------------|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| ड.--लोक ऋण-- | | | | | |
| 6003--राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-- | | | | | |
| 101--बाजार कर्ज- | | | | | |
| ब्याज वाले बाजार कर्ज-- | | | | | |
| 88--11-1/2 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2008 | 1988-89 | 59,32,01 | .. | 59,25,45 | 6,56 |
| 87--11-1/2 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2009 | 1989-90 | 1,05,24,96 | .. | .. | 1,05,24,96 |
| 86--11-1/2 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2010 | 1990-91 | 1,10,49,51 | .. | .. | 1,10,49,51 |
| 85--11-1/2 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2011 | 1991-92 | 48,82,98 | .. | .. | 48,82,98 |
| 84--12 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2011 | 1991-92 | 71,70,66 | .. | .. | 71,70,66 |
| 75--12.15 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2008 | 1998-99 | (1) 2,53,56,95 | .. | 2,53,56,95 | .. |
| 74--12.50 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2008 | 1998-99 | 2,24,98,84 | .. | 2,24,98,84 | .. |
| 73--12.25 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2009 | 1999-2000 | (1) 3,01,72,38 | .. | .. | 3,01,72,38 |
| 72--11.85 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2009 | 1999-2000 | 1,76,62,49 | .. | .. | 1,76,62,49 |
| 71--11 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2010 | 1999-2000 | 2,20,13,99 | .. | .. | 2,20,13,99 |
| 70--10.52 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2010 | 2000-2001 | 1,73,50,62 | .. | .. | 1,73,50,62 |
| 69--12 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2010 | 2000-2001 | 1,69,50,34 | .. | .. | 1,69,50,34 |
| 68--10.82 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2011 | 2000-2001 | 84,02,18 | .. | .. | 84,02,18 |
| 67--10.50 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2011 | 2000-2001 | 1,05,00,00 | .. | .. | 1,05,00,00 |
| 66--10.35 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2011 | 2001-2002 | 1,87,31,80 | .. | .. | 1,87,31,80 |
| 65--9.55 प्रतिशत मध्य प्रदेश सरकार स्टाक, 2011 | 2001-2002 | 1,05,00,00 | .. | .. | 1,05,00,00 |
| 64--9.45 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2011 | 2001-2002 | 87,55,00 | .. | .. | 87,55,00 |

(1) रुपये 2,58,30 हजार सम्मिलित हैं जो मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल को पुनः ऋण के रूप में दी गई तथा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य परिसंपत्तियों का विभाजन लंबित होने के कारण भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को आवंटित की गई।

विवरण संख्या 17 का अनुलग्नक-जारी

| कर्ज का विवरण | कब लिया गया | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2009 को शेष |
|---|-------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | (हजार रुपये में) | | |
| ड.--लोक ऋण-जारी | | | | | |
| 6003--राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-जारी | | | | | |
| 101--बाजार कर्ज--जारी | | | | | |
| ब्याज वाले बाजार कर्ज-जारी | | | | | |
| 63--8.50 प्रतिशत मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक, 2011 | 2001-2002 | 43,00,00 | .. | .. | 43,00,00 |
| 62--8.30 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2012 | 2001-2002 | 1,61,32,00 | .. | .. | 1,61,32,00 |
| 61--8 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2012 | 2001-2002 | 1,29,07,00 | .. | .. | 1,29,07,00 |
| 60--7.80 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2012 | 2002-2003 | 1,09,04,00 | .. | .. | 1,09,04,00 |
| 59--7.80 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2012(II सिरीज) | 2002-2003 | 3,70,17,47 | .. | .. | 3,70,17,47 |
| 58--6.94 प्रतिशत मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक, 2012 | 2002-2003 | 2,47,00,00 | .. | .. | 2,47,00,00 |
| 57--6.95 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2013 | 2002-2003 | 2,81,25,50 | .. | .. | 2,81,25,50 |
| 56--6.75 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2013 | 2002-2003 | 1,29,50,00 | .. | .. | 1,29,50,00 |
| 55--6.40 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2013 | 2003-2004 | 3,79,12,00 | .. | .. | 3,79,12,00 |
| 54--6.35 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2013 | 2003-2004 | 1,99,85,64 | .. | .. | 1,99,85,64 |
| 53--6.20 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2013 | 2003-2004 | 2,28,42,20 | .. | .. | 2,28,42,20 |
| 52--6.20 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2015 | 2003-2004 | 2,28,43,58 | .. | .. | 2,28,43,58 |
| 51--6 प्रतिशत मध्य प्रदेश शासन स्टॉक, 2013 | 2003-2004 | 2,20,00,00 | .. | .. | 2,20,00,00 |
| 50--5.85 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2015 | 2003-2004 | 2,20,01,07 | .. | .. | 2,20,01,07 |
| 49--5.85 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2015 (II सिरीज) | 2003-2004 | 7,99,95,70 | .. | .. | 7,99,95,70 |
| 48--5.90 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2017 | 2003-2004 | 1,29,01,20 | .. | .. | 1,29,01,20 |

विवरण संख्या 17 का अनुलग्नक-जारी

| कर्ज का विवरण | कब लिया गया | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां (हजार रुपये में) | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2009 को शेष |
|---|-------------|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| ड.--लोक ऋण-जारी | | | | | |
| 6003--राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-जारी | | | | | |
| 101--बाजार कर्ज--जारी | | | | | |
| ब्याज वाले बाजार कर्ज-जारी | | | | | |
| 47--5.60 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2014 | 2004-2005 | 3,49,50,00 | .. | .. | 3,49,50,00 |
| 46--5.70 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2014 | 2004-2005 | 2,47,00,00 | .. | .. | 2,47,00,00 |
| 45--6.35 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2013 (II सिरीज) | 2004-2005 | 4,00,78,00 | .. | .. | 4,00,78,00 |
| 44--7.36 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2014 | 2004-2005 | 3,42,44,10 | .. | .. | 3,42,44,10 |
| 43--7.32 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2014 | 2004-2005 | 2,90,00,70 | .. | .. | 2,90,00,70 |
| 42--7.02 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2015 | 2004-2005 | 99,96,80 | .. | .. | 99,96,80 |
| 41--7.77 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2015 | 2005-2006 | 4,18,04,10 | .. | .. | 4,18,04,10 |
| 40--7.39 प्रतिशत मध्य प्रदेश शासन स्टॉक, 2015 | 2005-2006 | 2,92,75,00 | .. | .. | 2,92,75,00 |
| 39--7.53 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2015 | 2005-2006 | 50,02,30 | .. | .. | 50,02,30 |
| 38--7.61 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज, 2016 | 2005-2006 | 3,00,00,20 | .. | .. | 3,00,00,20 |
| 37--7.65 प्रतिशत मध्य प्रदेश शासन स्टॉक, 2016 | 2005-2006 | 2,00,00,00 | .. | .. | 2,00,00,00 |
| 36--7.95 प्रतिशत मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2016 | 2006-2007 | 3,00,00,00 | .. | .. | 3,00,00,00 |
| 35--8.66 प्रतिशत मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2016 | 2006-2007 | 3,00,00,00 | .. | .. | 3,00,00,00 |
| 34--8.20 प्रतिशत मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2017 | 2006-2007 | 3,50,00,00 | .. | .. | 3,50,00,00 |
| 33--8.40 प्रतिशत मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2017 | 2006-2007 | 4,70,00,00 | .. | .. | 4,70,00,00 |
| 32--8.49 प्रतिशत मध्य प्रदेश सरकार स्टॉक 2017 | 2007-2008 | 6,25,00,00 | .. | .. | 6,25,00,00 |

विवरण संख्या 17 का अनुलग्नक-जारी

| कर्ज का विवरण | कब लिया गया | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां (हजार रुपये में) | वर्ष के दौरान उन्मीचन | 31 मार्च 2009 को शेष |
|--|-------------|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| ड.--लोक ऋण-जारी | | | | | |
| 6003--राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-जारी | | | | | |
| 101--बाजार कर्ज--जारी | | | | | |
| ब्याज वाले बाजार कर्ज-समाप्त | | | | | |
| 31-- 8.40 प्रतिशत मध्यप्रदेश सरकार स्टॉक 2017(II सीरीज) | 2007-2008 | 7,50,00,00 | .. | .. | 7,50,00,00 |
| 30-- 8.43 प्रतिशत मध्यप्रदेश सरकार स्टॉक 2017 | 2007-2008 | 5,00,00,00 | .. | .. | 5,00,00,00 |
| 29-8.30 प्रतिशत मध्य प्रदेश सरकार स्टाक, 2018 | 2008-2009 | .. | 6,25,00,00 | .. | 6,25,00,00 |
| 28-6.00 प्रतिशत मध्य प्रदेश सरकार स्टाक, 2019 | 2008-2009 | .. | 9,00,00,00 | .. | 9,00,00,00 |
| 27-7.00 प्रतिशत मध्य प्रदेश सरकार स्टाक, 2019 | 2008-2009 | .. | 8,85,00,00 | .. | 8,85,00,00 |
| 26-7.77 प्रतिशत मध्य प्रदेश सरकार स्टाक, 2019 | 2008-2009 | .. | 10,75,00,00 | .. | 10,75,00,00 |
| 25-8.40 प्रतिशत मध्य प्रदेश सरकार स्टाक, 2019 | 2008-2009 | .. | 10,10,25,00 | .. | 10,10,25,00 |
| | | (का) | | | |
| योग--ब्याज वाले बाजार कर्ज | | 1,26,45,23,27 | 44,95,25,00 | 5,37,81,24 | 1,66,02,67,03 |

बिना ब्याज वाले बाजार कर्ज-

| | | | | | |
|--|---------|-------|----|----|-------|
| 75--6-1/4 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज, 1988 | 1978-79 | 74,55 | .. | .. | 74,55 |
| 74--6-1/2 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज, 1989 | 1979-80 | 89 | .. | .. | 89 |
| 73--6-3/4 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज, 1992 | 1980-81 | 2,63 | .. | .. | 2,63 |
| 72--7 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास कर्ज, 1993 | 1981-82 | 2,86 | .. | .. | 2,86 |

(का) 13.00 प्रतिशत म.प्र. राज्य विकास कर्ज 2007, 13.05 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज 2007 तथा 12.30 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास कर्ज 2007 के कमशः रुपये 84 हजार, रुपये 5,99 हजार तथा रुपये 21 हजार के प्रारम्भिक शेष बिना ब्याज वाले हुए अतः कुल ब्याज वाले बाजार कर्ज रुपये 7,04 हजार से कम हुए।

विवरण संख्या 17 का अनुलग्नक-जारी

| कर्ज का विवरण | कब लिया गया | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां (हजार रुपये में) | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2009 को शेष |
|--|-------------|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| ड.--लोक ऋण-जारी | | | | | |
| 6003--राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-जारी | | | | | |
| 101--बाजार कर्ज--समाप्त | | | | | |
| बिना ब्याज वाले बाजार कर्ज- समाप्त | | | | | |
| 71--7.50 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य | | | | | |
| विकास कर्ज, 1997 | 1982-83 | 2 | .. | .. | 2 |
| 70- 9.75 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य | | | | | |
| विकास कर्ज 1998 | 1985-86 | 1,54 | .. | .. | 1,54 |
| 69-- 9 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य | | | | | |
| विकास कर्ज, 1999 | 1984-85 | 5,37 | .. | .. | 5,37 |
| 68-- 8.75 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य | | | | | |
| विकास कर्ज, 2000 | 1983-84 | 3 | .. | .. | 3 |
| 67--11 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य | | | | | |
| विकास कर्ज, 2001 | 1986-87 | 6,95 | .. | .. | 6,95 |
| 65--13.50 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य | | | | | |
| विकास कर्ज, 2003 | 1993-94 | 3,26 | .. | .. | 3,26 |
| 64-- 14 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास | | | | | |
| कर्ज, 2005 | 1995-96 | 10,99 | .. | 1,57 | 9,42 |
| 63-- 13.85 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास | | | | | |
| कर्ज, 2006 | 1996-97 | 1 | .. | .. | 1 |
| 62-- 13-3/4 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास | | | | | |
| कर्ज, 2007 | 1996-97 | 4,72 | .. | 37 | 4,35 |
| 61- 13 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास | | | | | |
| कर्ज, 2007 | 1992-93 | 84 ^(ख) | .. | 8 | 76 |
| 60- 13.05 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास | | | | | |
| कर्ज, 2007 | 1997-98 | 5,99 ^(ख) | .. | 5,48 | 51 |
| 59- 12.30 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास | | | | | |
| कर्ज, 2007 | 1997-98 | 21 ^(ख) | .. | 21 | .. |
| योग--बिना ब्याज वाले बाजार कर्ज | | 1,20,86 | .. | 7,71 | 1,13,15 |
| योग--101--बाजार कर्ज | | 1,26,46,44,13 | 44,95,25,00 | 5,37,88,95 | 1,66,03,80,18 |

(ख) पृष्ठ 349 पर पाद टिप्पणी (का) के अनुसार ब्याज वाले बाजार कर्ज से बिना ब्याज वाले बाजार कर्ज को अन्तरित किया गया।

विवरण संख्या 17 का अनुलग्नक-जारी

| कर्ज का विवरण | कब लिया गया | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां (हजार रुपये में) | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2009 को शेष |
|--|-------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| ड.--लोक ऋण-जारी | | | | | |
| 6003--राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-जारी | | | | | |
| स्वायत्तशासी निकायों से कर्ज-- | | | | | |
| 103--भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज | 1960-2009 | 1,49,84,16 | 1,28,80 | 11,33,11 | 1,39,79,85 |
| 104--भारतीय सामान्य जीवन बीमा निगम से कर्ज | 1960-2000 | 16,56,37 | .. | 1,41,97 | 15,14,40 |
| 105--राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज | 1962-2009 | 20,38,41,72 | 7,52,21,08 | 2,27,20,77 | 25,63,42,03 |
| 106--प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र -- शहरी भूमि सीमा तथा नियमन अधिनियम 1976 के बदले में नकद भुगतान हेतु जारी बॉण्डस | 1995-2004 | 44,73 | .. | .. | 44,73 |
| 8.50 प्रतिशत म.प्र. पावर बॉण्ड-I | 2003-2004 | 21,31,11,20 | .. | 2,66,38,90 | 18,64,72,30 |
| 8.00 प्रतिशत म.प्र. पावर बॉण्ड-II | 2004-2005 | 11,31,84,00 | .. | 1,41,48,00 | 9,90,36,00 |
| योग- 106-प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र | | 32,63,39,93 | .. | 4,07,86,90 | 28,55,53,03 |
| 107--भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से कर्ज | 2005-2006 | 1,21,96,23 | .. | 23,64 | 1,21,72,59 |
| 108--राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज | 1960-2009 | 32,96,73 | 36,91,56 | 12,42,33 | 57,45,96 |
| 109--अन्य संस्थाओं से कर्ज-- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से कर्ज | 1977-2008 | 15,08,93 | .. | 4,00 | 15,04,93 |
| राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से कर्ज | 20008-09 | .. | 23,85,14 | .. | 23,85,14 |
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना मंडल से कर्ज | 1995-2008 | 67,79,00 | .. | .. | 67,79,00 |
| हुडको से कर्ज | 2004-2005 | 6,05,63,03 | .. | 1,01,99,98 | 5,03,63,05 |
| योग--109--अन्य संस्थाओं से कर्ज | | 6,88,50,96 | 23,85,14 | 1,02,03,98 | 6,10,32,12 |
| योग--स्वायत्तशासी निकायों से कर्ज | | 63,11,66,10 | 8,14,26,58 | 7,62,52,70 | 63,63,39,98 |

- (5) दिनांक 31.10.2000 को राज्य वित्त विभाग की राशि से रुपये (-) 3,12,23 हजार भिन्न हैं, जिसका पुनर्मिलान किया जाना है, उनकी अद्यतन राशि उपलब्ध नहीं है।
- (6) दिनांक 31.10.2000 को राज्य वित्त विभाग की राशि से रुपये 3,93 हजार भिन्न हैं, जिसका पुनर्मिलान किया जाना है, उनकी अद्यतन राशि उपलब्ध नहीं है।
- (7) दिनांक 31.10.2000 को राज्य वित्त विभाग की राशि से रुपये 7,09 हजार भिन्न हैं, जिसका पुनर्मिलान किया जाना है, उनकी अद्यतन राशि उपलब्ध नहीं है।
- (8) दिनांक 31.10.2000 को राज्य वित्त विभाग की राशि से रुपये (-) 4,10,18 हजार भिन्न हैं, जिसका पुनर्मिलान किया जाना है, उनकी अद्यतन राशि उपलब्ध नहीं है।

विवरण संख्या 17 का अनुलग्नक-जारी

| कर्ज का विवरण | कब लिया गया | 1 अप्रैल 2008 को शेष (हजार रुपये में) | वर्ष के दौरान वृद्धियां | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2009 को शेष |
|---|-------------|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| ड.--लोक ऋण-जारी | | | | | |
| 6003--राज्य सरकार का आंतरिक ऋण-समाप्त | | | | | |
| 110- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियां- | | | | | |
| सामान्य अर्थोपाय पेशगियां | 2008-2009 | .. | 12,33,00 | 12,33,00 | |
| विशेष अर्थोपाय पेशगियां | 2008-2009 | .. | 6,67,00 | 6,67,00 | |
| कमी की पूर्ति पेशगियां | 2008-2009 | .. | 97 | 97 | |
| योग-110- अर्थोपाय पेशगियां | | .. | 19,00,97 | 19,00,97 | |
| 111- केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां | | | | | |
| | 1999-2009 | 1,43,00,38,85 | 70,77,00 | 1,96,72,65 | 1,41,74,43,20 |
| योग--6003--राज्य सरकार का आंतरिक ऋण | | 3,32,58,49,08 | 53,99,29,55 | 15,16,15,27 | 3,71,41,63,36 |
| 6004--केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम-- | | | | | |
| 01--योजनेतर कर्ज-- | | | | | |
| 107--राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति के लिये कर्ज | 1979-91 | 1,52,86 | .. | .. | 1,52,86 |
| 115--पुलिस बल का आधुनिकीकरण | 1984-2003 | 67,01,62 | .. | 3,71,12 | 63,30,50 |
| 201--आवास निर्माण अग्रिम-- | | | | | |
| अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को गृह निर्माण अग्रिम | 1984-2001 | 20,99 | .. | 7,00 | 13,99 |
| 800--अन्य कर्ज-- | | | | | |
| महू छावनी हेतु जल प्रदाय के लिये कर्ज | 1986-87 | 4,00 | .. | 1,00 | 3,00 |
| विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास | 1990-91 | 54 | .. | .. | 54 |
| पुलिस-अन्य कर्ज | 2005-2006 | 97,50 | .. | 32,50 | 65,00 |
| योग--800--अन्य कर्ज | | 1,02,04 | .. | 33,50 | 68,54 |
| योग--01--योजनेतर कर्ज | | 69,77,51 | .. | 4,11,62 | 65,65,89 |
| 02--राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिये कर्ज-- | | | | | |
| 101-- एक मुश्त कर्ज -- | | | | | |
| (i) एक मुश्त कर्ज | 1989-2009 | 24,95,65,58 | 4,16,41,03 | 66,04,67 | 28,46,01,94 |
| (ii) 12 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप समेकित कर्ज | 2005-2006 | 58,56,54,53 | (-)58,56,54,53 | .. | .. |
| (iii) बैंक टू बैंक आधार पर कर्ज | 2006-2009 | 2,14,65,06 | 7,37,26,83 | .. | 9,51,91,89 |
| 105- बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप समेकित कर्ज | 2005-2006 | .. | 58,56,54,53 | 3,63,05,97 | 54,93,48,56 |
| योग--02-- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिये कर्ज | | 85,66,85,17 | 11,53,67,86 | 4,29,10,64 | 92,91,42,39 |

(@) लेखे के मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची की शुद्धि पत्र क्र.592 के तहत शेष को लघु शीर्ष-105 को अन्तर्गत किया गया ।

(ख) पृष्ठ 343 पर पाद टिप्पणी (ख) देखें ।

विवरण संख्या 17 का अनुलग्नक-जारी

| कर्ज का विवरण | कब लिया गया | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान वृद्धियां (हजार रुपये में) | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2009 को शेष |
|---|-------------|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| ड.--लोक ऋण-जारी | | | | | |
| 6004--केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम--जारी | | | | | |
| 03--केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिये कर्ज-- | | | | | |
| 102--मृदा एवं जल संरक्षण के लिए कर्ज-- | | | | | |
| भू-उपयोगी मंडलों के सुदृढीकरण हेतु कर्ज | 1987-2001 | 5,62 | .. | 71 | 4,91 |
| 800--अन्य कर्ज-- | | | | | |
| पूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रवजकों के पुनर्बन्धोबस्त हेतु कर्ज | 1979-89 | 49,10 | .. | .. | 49,10 |
| विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास एवं राहत | 1987-90 | 3,04 | .. | .. | 3,04 |
| महिलाओं के लिए सहकारिता | 1994-2000 | 14,27 | .. | 4,48 | 9,79 |
| गतिवर्धित सिंचाई लाभ कार्यक्रम | 1996-97 | 24,36,67 | .. | 2,70,74 | 21,65,93 |
| योग--800--अन्य कर्ज | | 25,03,08 | .. | 2,75,22 | 22,27,86 |
| योग--03--केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिये कर्ज | | 25,08,70 | .. | 2,75,93 | 22,32,77 |
| 04--केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज-- | | | | | |
| 102--मृदा एवं जल संरक्षण के लिये कर्ज-- | | | | | |
| (i) नदी घाटी परियोजना के जल संग्रहण क्षेत्र में भू-संरक्षण कार्य हेतु कर्ज | 1984-2001 | 20,49,61 | .. | 2,08,43 | 18,41,18 |
| (ii) बाढ़ प्रणति सिंधु गंगा बेसिन के जल ग्रहण क्षेत्र-एकीकृत व्यवस्था हेतु कर्ज | 1984-97 | 2,39,33 | .. | 31,86 | 2,07,47 |
| योग--102--मृदा तथा जल संरक्षण हेतु कर्ज | | 22,88,94 | .. | 2,40,29 | 20,48,65 |
| 103--बड़े एवं मध्यम उद्योग-- | | | | | |
| (i) ग्रामीण हथकरघा उद्योगों के लिये कर्ज | 1984-95 | 3,63 | .. | 93 | 2,70 |
| (ii) हथकरघा विकास परियोजना | 1996-2005 | 3,27 | .. | 1,50 | 1,77 |
| योग--103--बड़े एवं मध्यम उद्योग | | 6,90 | .. | 2,43 | 4,47 |

विवरण संख्या 17 का अनुलग्नक- समाप्त

| कर्ज का विवरण | कब लिया गया | 1 अप्रैल 2008 को शेष (हजार रुपये में) | वर्ष के दौरान वृद्धियां | वर्ष के दौरान उन्मोचन | 31 मार्च 2009 को शेष |
|---|-------------|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| ड.--लोक ऋण--समाप्त | | | | | |
| 6004--केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम--समाप्त | | | | | |
| 04--केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज--समाप्त | | | | | |
| 108--अन्य सहकारिता कर्ज-- | | | | | |
| (i) कमजोर वर्गों के लिये सहकारिता | | | | | |
| कर्ज/अ.जा.-ज.जा. | 1997-2000 | 2,71 | .. | 1,83 | 88 |
| योग--108--अन्य सहकारिता कर्ज | | 2,71 | .. | 1,83 | 88 |
| 109--कृषि साख स्थिरीकरण निधि के लिये कर्ज | 1984-98 | 67,40 | .. | 7,40 | 60,00 |
| 205--पारेषण एवं वितरण योजनाएं-- अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनें | 1984-89 | 1,66,85 | .. | 44,33 | 1,22,52 |
| 800--अन्य कर्ज-- | | | | | |
| 001--अन्तर्राज्यीय महत्व की सड़कें | 1984-2001 | 7,16,86 | .. | 58,68 | 6,58,18 |
| 002--नागरिक आपूर्ति योजनाओं को कर्ज | 1987-2002 | 23,11 (9) | .. | .. | 23,11 |
| 003--कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु कर्ज | 1989-97 | 15,51 | .. | 7,42 | 8,09 |
| 004--छोटे एवं मध्यम शहरों के एकीकृत विकास के लिये कर्ज | 1984-2001 | 6,96,42 | .. | 73,65 | 6,22,77 |
| 005--वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास परियोजना | 1991-2001 | 16,37,58 | .. | 2,08,78 | 14,28,80 |
| 006--कृषि का वृहद प्रबंधन | 2001-2008 | 62,03,39 | .. | 2,43,19 | 59,60,20 |
| योग--800--अन्य कर्ज | | 92,92,87 | .. | 5,91,72 | 87,01,15 |
| योग--04--केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज | | 1,18,25,67 | .. | 8,88,00 | 1,09,37,67 |
| 07--1984-85 पूर्व के कर्ज-- | | | | | |
| 102--राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कर्ज स्कीम | 1948-74 | 1,87,88 | .. | .. | 1,87,88 |
| योग--07--1984-85 पूर्व के कर्ज | | 1,87,88 | .. | .. | 1,87,88 |
| योग--6004--केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम | | 87,81,84,93 | 11,53,67,86 | 4,44,86,19 | 94,90,66,60 |
| योग--ड.--लोक ऋण | | 4,20,40,34,01 | 65,52,97,41 | 19,61,01,46 | 4,66,32,29,96 |

(9) इसमें रुपये 86,88 हजार सम्मिलित हैं जिसे म.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम की परिसम्पत्तियों के, म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अधीन, म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य विभाजन लंबित होने के कारण भारत सरकार द्वारा म.प्र. को आवंटित किया गया है।

विवरण संख्या 18--सरकार द्वारा दिये गये कर्जों और उधारों का विस्तृत विवरण

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|--|-------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| | (हजार रुपये में) | | | | | |
| च--कर्ज तथा उधार-- | | | | | | |
| क--सामान्य सेवाएं-- | | | | | | |
| (ड.)--पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं-- | | | | | | |
| 6075--विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज-- | | | | | | |
| 800--अन्य कर्ज-- | | | | | | |
| अन्य विविध कर्ज | 9,45,93,68 | 27,14,50 | 9,73,08,18 | 1,65,00 | 9,71,43,18 | |
| योग--6075--विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्ज | 9,45,93,68 | 27,14,50 | 9,73,08,18 | 1,65,00 | 9,71,43,18 | 31,00,98 |
| योग--क--सामान्य सेवाएं | 9,45,93,68 | 27,14,50 | 9,73,08,18 | 1,65,00 | 9,71,43,18 | 31,00,98 |
| ख--सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज-- | | | | | | |
| (क)--शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज-- | | | | | | |
| 6202--शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज-- | | | | | | |
| 01--सामान्य शिक्षा-- | | | | | | |
| 203--विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-- | | | | | | |
| (i) विश्वविद्यालयों को कर्ज | 2,00 | .. | 2,00 | .. | 2,00 | |
| (ii) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना | 4 | .. | 4 | .. | 4 | |
| (iii) अशासकीय महाविद्यालय पेंशन भुगतान योजना | 4,00,00 | 4,00,00 | 8,00,00 | .. | 8,00,00 | |
| योग--203 | 4,02,04 | 4,00,00 | 8,02,04 | .. | 8,02,04 | |
| 600--सामान्य-- | | | | | | |
| अन्य विविध कर्ज | 53 | .. | 53 | .. | 53 | |
| योग--01--सामान्य शिक्षा | 4,02,57 | 4,00,00 | 8,02,57 | .. | 8,02,57 | |
| 02--तकनीकी शिक्षा-- | | | | | | |
| 104--बहुशिल्प- | | | | | | |
| विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम-- पोलीटेकनिक महाविद्यालय को ऋण | 94,46 | .. | 94,46 | .. | 94,46 | |
| 105--इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान- | | | | | | |
| विश्व बैंक द्वारा पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिये इंजीनियरिंग महाविद्यालयों को कर्ज | 9,98,12 | .. | 9,98,12 | .. | 9,98,12 | |
| योग--02--तकनीकी शिक्षा | 10,92,58 | .. | 10,92,58 | .. | 10,92,58 | |
| 04--कला तथा संस्कृति-- | | | | | | |
| 106--संग्रहालय | | | | | | |
| | 9,97 | .. | 9,97 | .. | 9,97 | |
| 800--अन्य कर्ज-- | | | | | | |
| राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना | 2,44,13 | .. | 2,44,13 | 28,60 | 2,15,53 | |
| योग--04--कला तथा संस्कृति | 2,54,10 | .. | 2,54,10 | 28,60 | 2,25,50 | |
| योग--6202--शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिये कर्ज | 17,49,25 | 4,00,00 | 21,49,25 | 28,60 | 21,20,65 | 26,74 |
| योग--(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिये कर्ज | 17,49,25 | 4,00,00 | 21,49,25 | 28,60 | 21,20,65 | 26,74 |

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|---|-------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| | | | (हजार रुपये में) | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज--जारी | | | | | | |
| (ख)--स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिये कर्ज- | | | | | | |
| 6210--चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिये कर्ज-- | | | | | | |
| 03--चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-- | | | | | | |
| 101--आयुर्वेद-- | | | | | | |
| आयुर्वेद आरोग्यधाम, चित्रकूट को कर्ज तथा पेशगियां | 3,49,98 | .. | 3,49,98 | .. | 3,49,98 | |
| 105--एलोपैथी-- | | | | | | |
| अन्य विविध कर्ज | 7,73 | .. | 7,73 | .. | 7,73 | |
| योग--6210--चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य हेतु कर्ज | 3,57,71 | .. | 3,57,71 | .. | 3,57,71 | |
| योग--(ख)--स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के लिये कर्ज | 3,57,71 | .. | 3,57,71 | .. | 3,57,71 | |
| (ग)--जलपूर्ति , सफाई, आवास तथा शहरी विकास के लिये कर्ज-- | | | | | | |
| 6215--जलपूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-- | | | | | | |
| 01--जलपूर्ति -- | | | | | | |
| 101--शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-- | | | | | | |
| (i) राष्ट्रीय जल प्रदाय योजना हेतु नगर निगम को कर्ज | 1,21,59 | .. | 1,21,59 | .. | 1,21,59 | |
| (ii) नवीन शहरी जल प्रदाय योजना हेतु नगर निगम को कर्ज | 63,36,69 | 4,07,52 | 67,44,21 | 12,23,31 | 55,20,90 | |
| (iii) अनुसूचित जाति हेतु हरिजन विशेषांश योजना के लिये कर्ज | 5,76,35 | .. | 5,76,35 | .. | 5,76,35 | |
| (iv) सिंहस्थ मेले के लिये कर्ज एवं पेशगियां | 2,85,43 | .. | 2,85,43 | .. | 2,85,43 | |
| (v) अन्य विविध कर्ज | 4,33,51 | .. | 4,33,51 | .. | 4,33,51 | |
| (vi) भोपाल शहर के लिये नर्मदा जल मेग्नीफिकेशन योजना | 58,00,00 | 45,50,00 | 1,03,50,00 | .. | 1,03,50,00 | |
| (vii) पुनरीक्षित जल प्रदाय योजना | 3,64,25 | 1,49,27 | 5,13,52 | 1,62 | 5,11,90 | |
| योग--101 | 1,39,17,82 | 51,06,79 | 1,90,24,61 | 12,24,93 | 1,77,99,68 | |
| 102--ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम-- | | | | | | |
| नगर निगम को कर्ज | 2,59,06 | .. | 2,59,06 | .. | 2,59,06 | |
| 191--स्थानीय संस्थाओं और नगर पालिकाओं आदि को कर्ज-- | | | | | | |
| शहरी जल प्रदाय योजना | 3,08,32 | .. | 3,08,32 | .. | 3,08,32 | |
| हरदा टाउन की जल मेग्नीफिकेशन योजना | 35,00 | .. | 35,00 | .. | 35,00 | |
| योग--191 | 3,43,32 | .. | 3,43,32 | .. | 3,43,32 | |

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|---|-------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| (हजार रुपये में) | | | | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज--जारी | | | | | | |
| (ग)--जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| 6215--जलपूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज--समाप्त | | | | | | |
| 01--जलपूर्ति --समाप्त | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना-- | | | | | | |
| जनजाति क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत कर्ज | 3,41,39 | .. | 3,41,39 | .. | 3,41,39 | |
| 800--अन्य कर्ज-- | | | | | | |
| (i) शहरी जल प्रदाय योजना | 5,03,66 | .. | 5,03,66 | .. | 5,03,66 | |
| (ii) नवीन शहरी जल प्रदाय योजना | 1,20,24 | .. | 1,20,24 | .. | 1,20,24 | |
| योग--800 | 6,23,90 | .. | 6,23,90 | .. | 6,23,90 | |
| योग--01-- जलपूर्ति | 1,54,85,49 | 51,06,79 | 2,05,92,28 | 12,24,93 | 1,93,67,35 | |
| 02--मल-जल तथा सफाई-- | | | | | | |
| 191--स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं आदि को कर्ज-- | | | | | | |
| अन्य विविध कर्ज | 27 | .. | 27 | .. | 27 | |
| 800--अन्य कर्ज-- | | | | | | |
| मल निकास योजना | 25,22,45 | .. | 25,22,45 | .. | 25,22,45 | |
| ग्वालियर मल निकास योजना के चालू तथा शेष कार्यों के लिए सहायता | 3,50,00 | .. | 3,50,00 | .. | 3,50,00 | |
| योग--02--मल-जल तथा सफाई | 28,72,72 | .. | 28,72,72 | .. | 28,72,72 | |
| योग--6215--जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज | 1,83,58,21 | 51,06,79 | 2,34,65,00 | 12,24,93 | 2,22,40,07 | # |
| 6216--आवास के लिये कर्ज-- | | | | | | |
| 02--शहरी आवास-- | | | | | | |
| 195--आवास सहकारिताओं के लिये कर्ज-- | | | | | | |
| (i) मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा भवनों के निर्माण हेतु सुदामा नगर शिक्षक कल्याण आवास समिति, इंदौर को कर्ज | 45,45 | .. | 45,45 | .. | 45,45 | |
| (ii) अन्य विविध कर्ज | 5,94 | .. | 5,94 | .. | 5,94 | |
| योग--195 | 51,39 | .. | 51,39 | .. | 51,39 | |

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| (हजार रुपये में) | | | | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज--जारी | | | | | | |
| (ग)--जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| 6216--आवास के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| 02--शहरी आवास--जारी | | | | | | |
| 201--आवास बोर्ड को कर्ज-- | | | | | | |
| (i) निम्न आय वर्गीय आवास योजना | 5,67 | .. | 5,67 | .. | 5,67 | |
| | 1,61,50 | | 1,61,50 | | 1,61,50 | |
| (ii) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्त पोषित निम्न आय वर्गीय योजना | 10,16 | .. | 10,16 | .. | 10,16 | |
| | 75,61 | | 75,61 | | 75,61 | |
| (iii) मध्यम आय वर्गीय आवास योजना | 3,44 | .. | 3,44 | .. | 3,44 | |
| | 1,50,82 | | 1,50,82 | | 1,50,82 | |
| (iv) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्त पोषित मध्यम आय वर्गीय आवास योजना | 5,23 | | 5,23 | | 5,23 | |
| (v) मध्यम आय वर्गीय आवास योजना हेतु जीवन बीमा निगम द्वारा कर्ज | 15,60,00 | | 15,60,00 | | 15,60,00 | |
| (vi) उच्च आय वर्गीय आवास योजना | 25,00 | | 25,00 | | 25,00 | |
| (vii) समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये आवास योजना | 21,70 | .. | 21,70 | .. | 21,70 | |
| | 1,48,67 | | 1,48,67 | | 1,48,67 | |
| (viii) औद्योगिक आवास योजना को सहायता | 74,47 | | 74,47 | | 74,47 | |
| (ix) मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल को चालू वर्ष के लिए बाजार कर्ज | 3,15,66 | .. | 3,15,66 | .. | 3,15,66 | |
| | 27,87,93 | | 27,87,93 | | 27,87,93 | |
| (x) समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भूमि अधिग्रहण एवं विकास के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा कर्ज | 7,40 | .. | 7,40 | .. | 7,40 | |
| | 53,11 | | 53,11 | | 53,11 | |
| (xi) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्त पोषित समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिये आवास योजना | 3,04,21 | | 3,04,21 | | 3,04,21 | |
| (xii) जी.आई.सी.द्वारा वित्त पोषित समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिये आवास योजना | 10,23,11 | | 10,23,11 | | 10,23,11 | |
| (xiii) भू-अधिग्रहण एवं आवास खण्डों का विकास | 6,00 | .. | 6,00 | .. | 6,00 | |
| | 11,00 | | 11,00 | | 11,00 | |
| (xiv) अन्य विविध कर्ज | 1,09,51 | | 1,09,51 | | 1,09,51 | |
| योग--201 | 3,70,03 | .. | 3,70,03 | .. | 3,70,03 | |
| | 64,90,17 | | 64,90,17 | | 64,90,17 | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है।

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| (हजार रुपये में) | | | | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज--जारी | | | | | | |
| (ग)--जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| 6216--आवास के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| 02--शहरी आवास--समाप्त | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना -- | | | | | | |
| जनजाति क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत कर्जे | 7,73,12 | .. | 7,73,12 | .. | 7,73,12 | |
| 800--अन्य कर्ज-- | | | | | | |
| अनुसूचित जातियों के लिये विशेषांश योजना-- | | | | | | |
| मध्यम आय समूह आवास योजना के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कर्जे | 67,89 | .. | 67,89 | .. | 67,89 | |
| योग--02--शहरी आवास | 12,62,43 | .. | 12,62,43 | .. | 12,62,43 | |
| | 64,90,17 | | 64,90,17 | | 64,90,17 | |
| 03--ग्रामीण आवास-- | | | | | | |
| 201--आवास बोर्ड को कर्ज-- | | | | | | |
| (i) ग्रामीण आवास योजना | 17,88 | | 17,88 | | 17,88 | |
| (ii) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण आवास योजना | 17,32 | | 17,32 | | 17,32 | |
| (iii) सामान्य बीमा निगम द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण आवास योजना | 9,83 | | 9,83 | | 9,83 | |
| (iv) भारतीय जीवन बीमा निगम आवास योजना | 66,11 | | 66,11 | | 66,11 | |
| (v) अन्य विविध कर्जे | 6,51 | | 6,51 | | 6,51 | |
| योग--201 | 1,17,65 | | 1,17,65 | | 1,17,65 | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना-- | | | | | | |
| जनजाति क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत कर्जे | 49,09 | .. | 49,09 | .. | 49,09 | |
| योग--03--ग्रामीण आवास | 49,09 | .. | 49,09 | .. | 49,09 | |
| | 1,17,65 | | 1,17,65 | | 1,17,65 | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है।

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|--|-------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| (हजार रुपये में) | | | | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज--जारी | | | | | | |
| (ग)--जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| 6216--आवास के लिये कर्ज--समाप्त | | | | | | |
| 80--सामान्य-- | | | | | | |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-- | | | | | | |
| अन्य विविध कर्ज | 5,25,22 | | 5,25,22 | | 5,25,22 | |
| 201--आवास बोर्ड को कर्ज- | | | | | | |
| (i) भूमि अधिग्रहण एवं विकास योजना | 1,71,52 | | 1,71,52 | | 1,71,52 | |
| (ii) मध्यप्रदेश पुलिस गृह निर्माण मंडल को कर्ज | 38,32,13 | .. | 38,32,13 | .. | 38,32,13 | |
| | 94,76,00 | | 94,76,00 | | 94,76,00 | |
| (iii) जी.आई.सी.द्वारा वित्त पोषित समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास योजना | 16,16 | | 16,16 | | 16,16 | |
| (iv) अन्य विविध कर्ज | 1,20 | | 1,20 | | 1,20 | |
| योग--201 | 38,32,13 | .. | 38,32,13 | .. | 38,32,13 | |
| | 96,64,88 | | 96,64,88 | | 96,64,88 | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना-- जनजाति क्षेत्र उप योजनांतर्गत कर्ज | | | | | | |
| | 3,66,34 | | 3,66,34 | | 3,66,34 | |
| योग--80--सामान्य | | | | | | |
| | 41,98,47 | .. | 41,98,47 | .. | 41,98,47 | |
| | 1,01,90,10 | | 1,01,90,10 | | 1,01,90,10 | |
| योग--6216--आवास के लिये कर्ज | | | | | | |
| | 55,09,99 | .. | 55,09,99 | .. | 55,09,99 | 4,67,77 |
| | 1,67,97,92 | | 1,67,97,92 | | 1,67,97,92 | |
| 6217--शहरी विकास के लिये कर्ज-- | | | | | | |
| 01- राज्य राजधानी विकास-- | | | | | | |
| 789-- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | | | | | | |
| | 12,29,00 | 2,22,16 | 14,51,16 | .. | 14,51,16 | |
| 800- अन्य कर्ज-- | | | | | | |
| राजधानी में मूलभूत सुविधाओं का विकास | 39,46,71 | 12,22,07 | 51,68,78 | 55,90 | 51,12,88 | |
| योग--01 | 51,75,71 | 14,44,23 | 66,19,94 | 55,90 | 65,64,04 | |
| 02--राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-- | | | | | | |
| 001--निर्देशन और प्रशासन- | | | | | | |
| देवास विकास प्राधिकरण को कर्ज शहरी विकास मंत्रालय द्वारा काउन्टर योजना के अंतर्गत सहायता | 10,00,00 | .. | 10,00,00 | .. | 10,00,00 | |
| | 27,99,97 | .. | 27,99,97 | .. | 27,99,97 | |
| 191--स्थानीय संस्थाओं तथा नगर पालिकाओं/ नगर निगमों आदि को कर्ज (ग्वालियर काउन्टर मेगनेट योजना) | | | | | | |
| | 50,52,68 | .. | 50,52,68 | .. | 50,52,68 | |
| 800- अन्य कर्ज-- | | | | | | |
| म.प्र. विकास प्राधिकरण को लघु तथा मध्यम शहरी अधोसंरचना विकास योजना के लिए अनुदान | 15,19,73 | .. | 15,19,73 | .. | 15,19,73 | |
| शहरी विकास मंत्रालय द्वारा काउन्टर मेगनेट योजना के अंतर्गत सहायता | 12,24,00 | .. | 12,24,00 | .. | 12,24,00 | |
| योग--02--राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र | 1,15,96,38 | .. | 1,15,96,38 | .. | 1,15,96,38 | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है।

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|--|-------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| (हजार रुपये में) | | | | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज--जारी | | | | | | |
| (ग)--जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| 6217--शहरी विकास के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| 04-- गंदे क्षेत्र का विकास-- | | | | | | |
| 191--स्थानीय निकाय, निगमों आदि को कर्ज-- | | | | | | |
| गन्दी बस्ती क्षेत्र विकास | 11,69,62 | .. | 11,69,62 | .. | 11,69,62 | |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-- | | | | | | |
| गन्दी बस्ती क्षेत्र विकास | 2,38,00 | .. | 2,38,00 | .. | 2,38,00 | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-- | | | | | | |
| गन्दी बस्ती क्षेत्र विकास | 1,95,50 | .. | 1,95,50 | .. | 1,95,50 | |
| 800--अन्य कर्ज- गन्दी बस्ती क्षेत्र विकास | 88,97,32 | .. | 88,97,32 | .. | 88,97,32 | |
| योग--04-गंदे क्षेत्र का विकास | 1,05,00,44 | .. | 1,05,00,44 | .. | 1,05,00,44 | |
| 60--अन्य शहरी विकास योजनाएं-- | | | | | | |
| 191--स्थानीय निकायों, निगमों आदि को कर्ज-- | | | | | | |
| (i) योजना क्रियान्वयन हेतु स्थानीय निकायों को कर्ज | 2,02,83,80 | .. | 2,02,83,80 | .. | 2,02,83,80 | |
| (ii) नगरपालिका कर्जों पर सरकार द्वारा दी गई गारन्टी के लागू न किए जाने पर भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान करने हेतु नगरपालिकाओं को कर्ज | 1,05,67 | .. | 1,05,67 | 1,00 | 1,04,67 | |
| (iii) नगर नियोजन हेतु नगर पालिकाओं को कर्ज | 8,91,84 | .. | 8,91,84 | .. | 8,91,84 | |
| (iv) नगरपालिकाओं को अन्य कर्ज | 1,44,27 | .. | 1,44,27 | 1,44,27 | .. | |
| (v) छोटे एवं मझोले नगरों के एकीकृत विकास के लिए कर्ज | 4,01,90 | .. | 4,01,90 | 2,76,08 | 1,25,82 | |
| (vi) विश्व बैंक योजना के लिए राज्य सरकार का तुल्य अंश | 8,50,16 | .. | 8,50,16 | .. | 8,50,16 | |
| (vii) गन्दी बस्ती सफाई हेतु नगर सुधार न्यास को कर्ज | 46,94 | .. | 46,94 | .. | 46,94 | |
| (viii) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्थानीय निकायों को फायर इंजन खरीदने के लिए कर्ज | 33,06 | .. | 33,06 | .. | 33,06 | |
| (ix) म.प्र. राज्य विद्युत मंडल को भुगतान हेतु नगर निगम इंदौर को कर्ज | 2,90,25,00 | .. | 2,90,25,00 | .. | 2,90,25,00 | |
| (x) पेयजल पूर्ति के लिये नगरीय निकायों को कर्ज | .. | 10,00,00 | 10,00,00 | .. | 10,00,00 | |
| (xi) अन्य विविध कर्ज | 8,15 | .. | 8,15 | .. | 8,15 | |
| योग--191 | 5,17,90,79 | 10,00,00 | 5,27,90,79 | 4,21,35 | 5,23,69,44 | |

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| (हजार रुपये में) | | | | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज--जारी | | | | | | |
| (ग)--जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के लिये कर्ज--समाप्त | | | | | | |
| 6217--शहरी विकास के लिये कर्ज--समाप्त | | | | | | |
| 60--अन्य शहरी विकास योजनाएं--समाप्त | | | | | | |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना | | | | | | |
| | 47,42,14 | 30,91,86 | 78,34,00 | .. | 78,34,00 | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना--जनजाति क्षेत्र उप योजनांतर्गत योजना के लिये कर्ज | | | | | | |
| | 3,39,15 | .. | 3,39,15 | .. | 3,39,15 | |
| 800--अन्य कर्ज-- | | | | | | |
| (i) हरिजन विशेषांश हेतु कर्ज | | | | | | |
| | 56,08 | .. | 56,08 | .. | 56,08 | |
| (ii) भोपाल एवं इन्दौर शहरों के एकीकृत विकास के लिये कर्ज | | | | | | |
| | 8,66,86 | .. | 8,66,86 | .. | 8,66,86 | |
| (iii) नगर पालिका ऋणों पर सरकार द्वारा दी गई गारंटी के लागू न करने के संदर्भ में भारतीय जीवन बीमा निगम के भुगतान हेतु नगर पालिकाओं को कर्ज | | | | | | |
| | 3,75,92 | .. | 3,75,92 | .. | 3,75,92 | |
| (iv) नगरपालिकाओं को अन्य कर्ज | | | | | | |
| | 1,06 | .. | 1,06 | .. | 1,06 | |
| (v) चार नगर निगमों में मूलभूत सुविधाओं का विकास | | | | | | |
| | 2,03,83,38 | 1,23,96,07 | 3,27,79,45 | 7,61 | 3,27,71,84 | |
| योग--800 | 2,16,83,30 | 1,23,96,07 | 3,40,79,37 | 7,61 | 3,40,71,76 | |
| योग--60--अन्य शहरी विकास योजनाएं | | | | | | |
| | 7,85,55,38 | 1,64,87,93 | 9,50,43,31 | 4,28,96 | 9,46,14,35 | |
| योग--6217--शहरी विकास के लिये कर्ज | | | | | | |
| | 10,58,27,91 | 1,79,32,16 | 12,37,60,07 | 4,84,86 | 12,32,75,21 | 18,18,24 |
| योग--(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के लिये कर्ज | | | | | | |
| | 12,96,96,11 | 2,30,38,95 | 15,27,35,06 | 17,09,79 | 15,10,25,27 | 22,86,01 |
| | 1,67,97,92 | | 1,67,97,92 | | 1,67,97,92 | |
| (ड.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये कर्ज-- | | | | | | |
| 6225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये कर्ज-- | | | | | | |
| 01--अनुसूचित जातियों का कल्याण-- | | | | | | |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, सफाई कामगारों के लिये मुक्ति एवं पुनर्वास योजना | | | | | | |
| | 1,55,67 | .. | 1,55,67 | .. | 1,55,67 | |
| 800--अन्य कर्ज-- | | | | | | |
| अन्य विविध कर्ज | | | | | | |
| | 5,23,83 | .. | 5,23,83 | .. | 5,23,83 | |
| योग-01--अनुसूचित जातियों का कल्याण | 6,79,50 | .. | 6,79,50 | .. | 6,79,50 | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है।

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|--|-------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| (हजार रुपये में) | | | | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज--जारी | | | | | | |
| (ड.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये कर्ज--समाप्त | | | | | | |
| 6225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये कर्ज--समाप्त | | | | | | |
| 02-- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-- | | | | | | |
| 794--जनजातीय क्षेत्र उप योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता | 11,25 | .. | 11,25 | .. | 11,25 | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना-- जनजाति क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत योजनाओं को कर्ज | 37,08 | .. | 37,08 | .. | 37,08 | |
| 800--अन्य कर्ज-- अन्य विविध कर्ज | 29,21 | .. | 29,21 | .. | 29,21 | |
| योग--02--अनुसूचित जनजातियों का कल्याण | 77,54 | .. | 77,54 | .. | 77,54 | |
| 03--पिछड़े वर्गों का कल्याण-- | | | | | | |
| 800--अन्य कर्ज-- मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को कर्ज | 57,80 | | 57,80 | | 57,80 | |
| योग--6225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कर्ज | 7,57,04 | .. | 7,57,04 | .. | 7,57,04 | |
| | 57,80 | | 57,80 | | 57,80 | |
| योग--(ड.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये कर्ज | 7,57,04 | .. | 7,57,04 | .. | 7,57,04 | |
| | 57,80 | | 57,80 | | 57,80 | |
| (छ)--समाज कल्याण तथा पोषण के लिये कर्ज-- | | | | | | |
| 6235--सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिये कर्ज-- | | | | | | |
| 01--पुनर्वास-- | | | | | | |
| 103--भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति-- अन्य विविध कर्ज | 10,68 | .. | 10,68 | .. | 10,68 | |
| योग--103 | 10,68 | .. | 10,68 | .. | 10,68 | |
| 200--अन्य राहत उपाय-- अन्य विविध कर्ज | 88 | .. | 88 | .. | 88 | |
| योग--200 | 88 | .. | 88 | .. | 88 | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है।

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|--|-------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| (हजार रुपये में) | | | | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज--जारी | | | | | | |
| (छ)--समाज कल्याण तथा पोषण के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| 6235--सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिये कर्ज--समाप्त | | | | | | |
| 01--पुनर्वास--समाप्त | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना-- | | | | | | |
| जनजाति क्षेत्र उप योजनांतर्गत योजनाओं के लिये कर्ज | 4 | .. | 4 | .. | 4 | |
| 800--अन्य कर्ज-- | | | | | | |
| (i) पूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के पुनर्वास हेतु कर्ज | 12 | .. | 12 | .. | 12 | |
| (ii) कृषि कर्ज | 9 | .. | 9 | .. | 9 | |
| योग-800 | 21 | .. | 21 | .. | 21 | |
| योग--01--पुनर्वास | 11,81 | .. | 11,81 | .. | 11,81 | |
| 02--समाज कल्याण-- | | | | | | |
| 200--अन्य कार्यक्रम-- | | | | | | |
| अन्य विविध कर्ज | 28 | .. | 28 | .. | 28 | |
| 60--अन्य समाज सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-- | | | | | | |
| 200--अन्य कार्यक्रम-- | | | | | | |
| (i) रोजगार उन्नयन कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों को कर्ज | 39,78 | .. | 39,78 | .. | 39,78 | |
| (ii) सीमांत धन के लिए शिक्षित बेरोजगारों को कर्ज | 1,82,72 | .. | 1,82,72 | .. | 1,82,72 | |
| (iii) अन्य विविध कर्ज | 8,50 | .. | 8,50 | .. | 8,50 | |
| योग--200 | 2,31,00 | .. | 2,31,00 | .. | 2,31,00 | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना-- | | | | | | |
| जनजाति क्षेत्र उप योजनांतर्गत योजनाओं के लिए कर्ज | 23,51 | .. | 23,51 | .. | 23,51 | |
| 800--अन्य कर्ज-- | | | | | | |
| अन्य विविध कर्ज | 36,50 | .. | 36,50 | .. | 36,50 | |
| योग--60--अन्य समाज सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम | 2,91,01 | .. | 2,91,01 | .. | 2,91,01 | |
| योग--6235--सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज | 3,03,10 | .. | 3,03,10 | .. | 3,03,10 | |

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| (हजार रुपये में) | | | | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | | | |
| ख--सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज-समाप्त | | | | | | |
| (छ)--समाज कल्याण तथा पोषण के लिये कर्ज-समाप्त | | | | | | |
| 6245--प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिये कर्ज-- | | | | | | |
| 01--सूखा-- | | | | | | |
| 102--पीने के पानी की पूर्ति-- | | | | | | |
| प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न जल अभाव के लिए कर्ज | 20,01 | .. | 20,01 | 20,01 | .. | |
| योग--6245--प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिये कर्ज | 20,01 | .. | 20,01 | 20,01 | .. | |
| योग--(छ) समाज कल्याण तथा पोषण के लिये कर्ज | 3,23,11 | .. | 3,23,11 | 20,01 | 3,03,10 | |
| (ज) अन्य समाज सेवाओं के लिये कर्ज-- | | | | | | |
| 6250--अन्य समाज सेवाओं के लिये कर्ज-- | | | | | | |
| 60--अन्य-- | | | | | | |
| 195--श्रम सहकारिताएं-- | | | | | | |
| अन्य विविध कर्ज | 7 | .. | 7 | .. | 7 | |
| 201--श्रम-- | | | | | | |
| अन्य विविध कर्ज | 3 | .. | 3 | .. | 3 | |
| 800--अन्य कर्ज-- | | | | | | |
| (i) शिक्षित बेरोजगारों को कर्ज | 29,55 | .. | 29,55 | .. | 29,55 | |
| (ii) रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्ज | 1,41,63 | .. | 1,41,63 | .. | 1,41,63 | |
| (iii) अन्य विविध कर्ज | 6,47 | .. | 6,47 | .. | 6,47 | |
| योग--800 | 1,77,65 | .. | 1,77,65 | .. | 1,77,65 | |
| योग-6250-अन्य समाज सेवाओं के लिये कर्ज | 1,77,75 | .. | 1,77,75 | .. | 1,77,75 | |
| योग-(ज)-अन्य समाज सेवाओं के लिये कर्ज | 1,77,75 | .. | 1,77,75 | .. | 1,77,75 | |
| योग--ख--सामाजिक सेवाओं के लिये कर्ज | 13,30,60,97 | 2,34,38,95 | 15,64,99,92 | 17,58,40 | 15,47,41,52 | 23,12,75 |
| | 1,68,55,72 | | 1,68,55,72 | | 1,68,55,72 | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है।

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|---|-------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| (हजार रुपये में) | | | | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज-- | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप के लिए कर्ज-- | | | | | | |
| 6401--फसल कृषि कर्म के लिये कर्ज -- | | | | | | |
| 105--खाद तथा उर्वरक-- | | | | | | |
| (i) स्थानीय खाद्य स्रोतों की योजना के अन्तर्गत नगर पालिकाओं और निगमों को कर्ज | 30,60 | .. | 30,60 | .. | 30,60 | |
| (ii) मोटर सायकल क्रय करने हेतु कर्ज | 5,45 | .. | 5,45 | .. | 5,45 | |
| (iii) अन्य विविध कर्ज | 10,65 | .. | 10,65 | .. | 10,65 | |
| योग--105 | 46,70 | .. | 46,70 | .. | 46,70 | |
| 109--वाणिज्यिक फसल-- | | | | | | |
| अन्य विविध कर्ज | 7 | .. | 7 | .. | 7 | |
| 110--छोटे तथा मारिजिनल कृषकों और कृषि श्रमिकों के लिये योजना-- | | | | | | |
| अन्य विविध कर्ज | 4,69 | .. | 4,69 | .. | 4,69 | |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-- | | | | | | |
| मध्यप्रदेश राज्य बीज फार्म विकास निगम को अल्पावधि कर्ज | -10 | .. | -10 | .. | -10 | (का) |
| योग--190 | 2,66,05 | .. | 2,66,05 | .. | 2,66,05 | |
| 195--कृषि सहकारिताओं को कर्ज-- | | | | | | |
| अन्य विविध कर्ज | 11,78 | .. | 11,78 | .. | 11,78 | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना-- जनजाति क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजनाओं के लिये कर्ज | | | | | | |
| | 23,58 | .. | 23,58 | .. | 23,58 | |
| 800--अन्य कर्ज-- | | | | | | |
| (i) 31-3-74 तक विभागीय एजेन्सी द्वारा स्वीकृत पेशगियां | 11,34,71 | .. | 11,34,71 | .. | 11,34,71 | |
| (ii) विभागीय एजेन्सियों द्वारा स्वीकृत कर्ज-- | | | | | | |
| (का) भूमि सुधार कर्ज अधिनियम | 3,46,29 | .. | 3,46,29 | .. | 3,46,29 | |
| (खा) कृषक ऋण अधिनियम | 25,59,54 | 3,11 | 25,62,65 | 12,43 | 25,50,22 | |
| (iii) कीटनाशकों के क्रय और वितरण हेतु म.प्र.कृषि औद्योगिकी विकास निगम को कर्ज | 8,24,91 | .. | 8,24,91 | .. | 8,24,91 | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है।

(का) ऋणात्मक शेष, शेषों के अनुभाजन न होने के कारण है।

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|--|-------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| | | | (हजार रुपये में) | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप के लिए कर्ज--जारी | | | | | | |
| 6401--फसल कृषि कर्म के लिये कर्ज--समाप्त | | | | | | |
| 800--अन्य कर्ज--समाप्त | | | | | | |
| (iv) मध्यप्रदेश बीज एवं प्रक्षेत्र निगम को कर्ज | -94,91 | .. | -94,91 | .. | -94,91 ^(का) | |
| | 26,99,56 | | 26,99,56 | | 26,99,56 | |
| (v) मोटर सायकल खरीदने हेतु कर्ज | 1,77,49 | .. | 1,77,49 | .. | 1,77,49 | |
| (vi) अन्य विविध कर्ज | 13,38 | .. | 13,38 | .. | 13,38 | |
| योग--800 | 49,61,41 | 3,11 | 49,64,52 | 12,43 | 49,52,09 | |
| | 26,99,56 | | 26,99,56 | | 26,99,56 | |
| योग--6401--फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज | 50,48,13 | 3,11 | 50,51,24 | 12,43 | 50,38,81 | 55,06 |
| | 29,65,61 | | 29,65,61 | | 29,65,61 | |
| 6402--मृदा एवं जल संरक्षण हेतु कर्ज-- | | | | | | |
| 102--मृदा संरक्षण-- | | | | | | |
| भूमि सुधार ऋण अधिनियम | 2,93,71 | .. | 2,93,71 | .. | 2,93,71 | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना-- | | | | | | |
| जनजाति क्षेत्र उप योजनांतर्गत योजना के लिये कर्ज | 9,55,35 | .. | 9,55,35 | .. | 9,55,35 | |
| 800--अन्य कर्ज-- | | | | | | |
| (i) भूमि सुधार कर्ज अधिनियम के अन्तर्गत कर्ज | 8,48,80 | .. | 8,48,80 | 6,24 | 8,42,56 | |
| (ii) अन्य विविध कर्ज | 31,21 | .. | 31,21 | .. | 31,21 | |
| योग--800 | 8,80,01 | .. | 8,80,01 | 6,24 | 8,73,77 | |
| योग--6402--मृदा एवं जल संरक्षण के लिए कर्ज | 21,29,07 | .. | 21,29,07 | 6,24 | 21,22,83 | |
| 6403--पशुपालन के लिए कर्ज-- | | | | | | |
| 102--पशु तथा भैंस विकास-- | | | | | | |
| अन्य विविध कर्ज | 3,55 | .. | 3,55 | .. | 3,55 | |
| 103--कुक्कुट विकास-- | | | | | | |
| अन्य विविध कर्ज | 67,15 | .. | 67,15 | .. | 67,15 | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है।

(का) ऋणात्मक शेष, शेषों के अनुभाजन न होने के कारण है।

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|--|-------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| (हजार रुपये में) | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप के लिए कर्ज--जारी | | | | | | |
| 6403--पशुपालन के लिए कर्ज--समाप्त | | | | | | |
| 190-- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-- | | | | | | |
| रायपुर दुग्ध महासंघ की पुनर्वासि योजना हेतु कर्ज | 10,09,89 | .. | 10,09,89 | .. | 10,09,89 | |
| दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान | 1,04,97 | .. | 1,04,97 | .. | 1,04,97 | |
| गौ सदन | 70,00 | .. | 70,00 | .. | 70,00 | |
| ग्वालियर दुग्ध महासंघ की पुनर्वासि योजना हेतु कर्ज | 2,50,00 | .. | 2,50,00 | .. | 2,50,00 | |
| जबलपुर तथा उज्जैन दुग्ध महासंघ की पुनर्वासि योजना हेतु कर्ज | 5,25,00 | .. | 5,25,00 | .. | 5,25,00 | |
| योग--190 | 19,59,86 | .. | 19,59,86 | .. | 19,59,86 | |
| योग--6403--पशुपालन के लिए कर्ज | 20,30,56 | .. | 20,30,56 | .. | 20,30,56 | |
| 6404--डेरी विकास के लिए कर्ज-- | | | | | | |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-- | | | | | | |
| मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ को सीमांत धन कर्ज | 14,16 | .. | 14,16 | .. | 14,16 | |
| 195--दुग्ध सहकारिता के लिए कर्ज-- अन्य विविध कर्ज | 6,14 | .. | 6,14 | .. | 6,14 | |
| 800--अन्य कर्ज-- दुग्ध महासंघ को कर्ज | 24,55 | .. | 24,55 | .. | 24,55 | |
| योग--6404--डेरी विकास के लिए कर्ज | 44,85 | .. | 44,85 | .. | 44,85 | |
| 6405--मछली पालन के लिये कर्ज-- | | | | | | |
| 195--मछली पालन सहकारिताओं के लिये कर्ज-- | | | | | | |
| अन्य विविध कर्ज | 23,51 | 3,29 | 26,80 | 1,02 | 25,78 | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-- | | | | | | |
| जनजाति क्षेत्र उपयोगनांतर्गत योजना को कर्ज | 3 | .. | 3 | .. | 3 | |
| योग--6405--मछली पालन के लिये कर्ज | 23,54 | 3,29 | 26,83 | 1,02 | 25,81 | |
| 6406--वानिकी तथा वन्य जीवन के लिये कर्ज-- | | | | | | |
| 104--वानिकी-- | | | | | | |
| (i) मध्यप्रदेश वन विकास निगम को कर्ज | -14 | .. | -14 | .. | -14 | (का) |
| (ii) मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ को व्यापार संचालन हेतु कर्ज | 47,88,03 | .. | 47,88,03 | .. | 47,88,03 | |
| (iii) अन्य विविध कर्ज | 18,31 | .. | 18,31 | -2 ^(@) | 18,33 | |
| योग--104 | 1,83,46 | .. | 1,83,46 | .. | 1,83,46 | |
| | 2,01,63 | .. | 2,01,63 | -2 | 2,01,65 | |
| | 47,88,03 | .. | 47,88,03 | .. | 47,88,03 | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है।

(का) ऋणात्मक शेष, शेषों के अनुभाजन न होने के कारण है।

(@) ऋणात्मक लेन-देन पूर्व वर्षों के समायोजन के कारण है।

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| (हजार रुपये में) | | | | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप के लिए कर्ज--जारी | | | | | | |
| 6406--वानिकी तथा वन्य जीवन के लिये कर्ज--समाप्त | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना-- जनजाति क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत कर्ज | 11,91,55 | .. | 11,91,55 | 72,37 | 11,19,18 | |
| योग--6406--वानिकी तथा वन्य जीवन के लिये कर्ज | 13,93,18 | .. | 13,93,18 | 72,35 | 13,20,83 | |
| | 47,88,03 | | 47,88,03 | | 47,88,03 | |
| 6408--खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिये कर्ज-- | | | | | | |
| 01--खाद्य-- | | | | | | |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-- | | | | | | |
| (i) गोदामों के निर्माण की योजना | 59,92 | .. | 59,92 | .. | 59,92 | |
| (ii) म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ को कार्यशील पूंजी कर्ज | 4,16,55 | .. | 4,16,55 | .. | 4,16,55 | |
| (iii) मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को कर्ज | 8 | .. | 8 | .. | 8 | |
| योग--190 | 4,76,55 | .. | 4,76,55 | .. | 4,76,55 | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना-- जनजाति क्षेत्र उप योजनांतर्गत योजनाओं के लिये कर्ज | 1,49,05 | .. | 1,49,05 | .. | 1,49,05 | |
| 800--अन्य कर्ज | 97,48 | .. | 97,48 | .. | 97,48 | |
| योग--01--खाद्य | 7,23,08 | .. | 7,23,08 | .. | 7,23,08 | |
| 02--भण्डारण तथा भाण्डागार-- | | | | | | |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-- मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को कर्ज | 3,06 | .. | 3,06 | .. | 3,06 | |
| 195--सहकारिताओं को कर्ज-- | | | | | | |
| (i) शीत भण्डार संयंत्र की स्थापना के लिये सहकारी समितियों को कर्ज | 16,43 | .. | 16,43 | .. | 16,43 | |
| (ii) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को कर्ज | 1,54,80 | .. | 1,54,80 | .. | 1,54,80 | |
| (iii) धान एवं तेंदू पत्ता क्रय करने के लिये मध्यप्रदेश सहकारी संघ को कर्ज | 2,52,47 | .. | 2,52,47 | .. | 2,52,47 | |
| मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है । | | | | | | |

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|---|-------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| | | | (हजार रुपये में) | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप के लिए कर्ज--जारी | | | | | | |
| 6408--खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिये कर्ज--समाप्त | | | | | | |
| 02--भण्डारण तथा भाण्डागार--समाप्त | | | | | | |
| 195--सहकारिताओं को कर्ज--समाप्त | | | | | | |
| (iv) खाद्यान्न उपार्जन हेतु मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को कर्ज | 3,76,08 | | 3,76,08 | | 3,76,08 | |
| (v) गोदामों के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश विपणन समितियों को कर्ज | 44,88 | .. | 44,88 | .. | 44,88 | |
| (vi) अन्य विविध कर्ज | 65,57 | .. | 65,57 | .. | 65,57 | |
| योग--195 | 5,34,15 | .. | 5,34,15 | .. | 5,34,15 | |
| | 3,76,08 | | 3,76,08 | | 3,76,08 | |
| 794--जनजातीय उपयोजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता-- पहाड़ी क्षेत्रों में भोजन की आपूर्ति हेतु वाहनों के क्रय के लिये राज्य आपूर्ति निगम को कर्ज | 22,50 | | 22,50 | | 22,50 | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-- जनजाति क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजनाओं हेतु कर्ज | 7,36,46 | .. | 7,36,46 | 27,72 | 7,08,74 | |
| योग--02--भण्डारण तथा भाण्डागार | 12,73,67 | .. | 12,73,67 | 27,72 | 12,45,95 | |
| | 3,98,58 | | 3,98,58 | | 3,98,58 | |
| योग--6408--खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिये कर्ज | 19,96,75 | .. | 19,96,75 | 27,72 | 19,69,03 | |
| | 3,98,58 | | 3,98,58 | | 3,98,58 | |
| 6425--सहकारिता के लिये कर्ज-- | | | | | | |
| 106--बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समितियों को कर्ज-- मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंकों को अल्पकालीन कर्जों को मध्यकालीन कर्जों में परिवर्तित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य का अंशदान | 38,20,29 | 6,00,00 | 44,20,29 | 20,75 | 43,99,54 | |
| 107--जमा सहकारी समितियों को कर्ज-- | | | | | | |
| (1) सहकारी समितियों के माध्यम से तकावी के वितरण हेतु राज्य सहकारी बैंकों को कर्ज-- | | | | | | |
| (का) कृषक कर्ज अधिनियम के अन्तर्गत | 81,52 | .. | 81,52 | .. | 81,52 | |
| (खा) सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत | 49,39 | .. | 49,39 | .. | 49,39 | |
| (2) कृषक कर्ज अधिनियम के अन्तर्गत उर्वरकों के क्रय करने के लिये एपेक्स सहकारी बैंकों को कर्ज | 8,58,49 | .. | 8,58,49 | .. | 8,58,49 | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है।

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|--|-------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| (हजार रुपये में) | | | | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप के लिए कर्ज--जारी | | | | | | |
| 6425--सहकारिता के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| 107--जमा सहकारी समितियों को कर्ज--जारी | | | | | | |
| (3) उन्नत बीजों के वितरण के लिये सहकारी समितियों को कर्ज | 47,74 | .. | 47,74 | .. | 47,74 | |
| (4) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, जबलपुर को कर्ज | 66,25 | .. | 66,25 | .. | 66,25 | |
| (5) कृषि साख स्थिरीकरण निधि के सुदृढीकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी बैंक को कर्ज | 18,82 | .. | 18,82 | .. | 18,82 | |
| (6) सूत विकास के लिये सहकारी समितियों को कर्ज | 52,14 | .. | 52,14 | .. | 52,14 | |
| (7) मध्यप्रदेश भूमि विकास बैंक को कर्ज | 26,42 | .. | 26,42 | .. | 26,42 | |
| (8) जनजाति क्षेत्रों में गतावधि कर्जों को पूरा करने के लिये कमजोर सहकारी बैंकों को दीर्घकालीन कर्ज | 2,16,48 | .. | 2,16,48 | .. | 2,16,48 | |
| (9) मध्यप्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, भोपाल द्वारा जारी ऋण-पत्रों का क्रय | 13,31,71 | .. | 13,31,71 | 29,74 | 13,01,97 | |
| (10) हरिजन कृषकों को क्षयशील कर्ज | 58,55 | .. | 58,55 | .. | 58,55 | |
| (11) म.प्र. सहकारी विकास बैंक के ऋण पत्रों का जारी किया जाना | 24,97 | .. | 24,97 | .. | 24,97 | |
| (12) हरिजन किसानों को कर्ज | 54 | .. | 54 | .. | 54 | |
| (13) प्रसंस्करण इकाइयों को कार्यशील पूंजी हेतु सीमांत धन सहायता | 7,21 | .. | 7,21 | .. | 7,21 | |
| (14) कालातीत कर्जों को आकृत करने हेतु कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों को दीर्घकालिक कर्ज | .. | .. | .. | .. | .. | |
| (15) अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान | 1,00,00 | .. | 1,00,00 | .. | 1,00,00 | |
| (16) एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, खरगौन/सीधी को वित्तीय सहायता | 1,02,90 | .. | 1,02,90 | .. | 1,02,90 | |
| (17) एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, रतलाम को वित्तीय सहायता | 2,40,31 | .. | 2,40,31 | .. | 2,40,31 | |
| (18) एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, भिण्ड को वित्तीय सहायता | 3,34,74 | .. | 3,34,74 | .. | 3,34,74 | |
| (19) एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, राजगढ़ को वित्तीय सहायता | 3,21,83 | .. | 3,21,83 | .. | 3,21,83 | |

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|---|-------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| | | | (हजार रुपये में) | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप के लिए कर्ज--जारी | | | | | | |
| 6425--सहकारिता के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| 107--जमा सहकारी समितियों को कर्ज--समाप्त | | | | | | |
| (20) एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, छिन्दवाड़ा को वित्तीय सहायता | 39,00 | .. | 39,00 | .. | 39,00 | |
| (21) एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, जबलपुर को वित्तीय सहायता | 1,00,00 | .. | 1,00,00 | .. | 1,00,00 | |
| (22) एकीकृत सहकारी विकास परियोजना, गुना को वित्तीय सहायता | 29,00 | .. | 29,00 | .. | 29,00 | |
| (23) अन्य विविध कर्ज | 36,07,19 | .. | 36,07,19 | 14,16,36 | 21,90,83 | |
| योग--107 | 77,15,20 | .. | 77,15,20 | 14,46,10 | 62,69,10 | |
| 108--अन्य सहकारी समितियों को कर्ज-- | | | | | | |
| (क) संसाधन सहकारिताओं के लिए कर्ज-- | | | | | | |
| (i) संसाधन इकाईयों की स्थापना के लिए सहकारी समितियों को कर्ज | 51,94 | .. | 51,94 | .. | 51,94 | |
| (ii) शीत भंडारों की स्थापना के लिये सहकारी समितियों को कर्ज | 71,79 | .. | 71,79 | .. | 71,79 | |
| (iii) चावल मिलों को सीमांत कर्ज | 33,06 | .. | 33,06 | .. | 33,06 | |
| (iv) सोयाबीन सम्मिश्र की स्थापना हेतु सहकारी समितियों के लिये कर्ज | 1,07,84 | .. | 1,07,84 | .. | 1,07,84 | |
| (v) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) | 9,09 | .. | 9,09 | .. | 9,09 | |
| (vi) डोंडवान जिला खरगौन में मसाला इकाई की स्थापना हेतु मैत्री महिला औद्योगिक सहकारी समिति को कर्ज | 7,00 | .. | 7,00 | .. | 7,00 | |
| (vii) माँ रेवा मिर्च क्रय विक्रय प्रक्रिया संस्था मर्यादित बेड़िया/सनावद, जिला खरगौन को शीतग्रह संयंत्र हेतु सहायता | 80,00 | .. | 80,00 | .. | 80,00 | |
| (viii) मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ भोपाल द्वारा स्थापित सब्जी बाजार, इंदौर के लिए शीतग्रह हेतु सहायता | 42,40 | .. | 42,40 | .. | 42,40 | |

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|---|-------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| | | | (हजार रुपये में) | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप के लिए कर्ज--जारी | | | | | | |
| 6425--सहकारिता के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| 108--अन्य सहकारी समितियों को कर्ज--समाप्त | | | | | | |
| (क) संसाधन सहकारिताओं के लिए कर्ज--समाप्त | | | | | | |
| (ix) एन.सी.डी.सी. के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य तिलहन उत्पादन संघ मर्यादित, भोपाल को पुनर्भुगतान हेतु कर्ज | | | | | | |
| | 6,56,60 | .. | 6,56,60 | .. | 6,56,60 | |
| (X) अन्य विविध कर्ज | 7,63,91 | .. | 7,63,91 | .. | 7,63,91 | |
| योग--(क)--संसाधन सहकारिताओं के लिये कर्ज | 18,23,63 | .. | 18,23,63 | .. | 18,23,63 | |
| (ख) उपभोक्ता सहकारिताओं को कर्ज-- | | | | | | |
| (i) उपभोक्ता वस्तुओं के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण के लिए कर्ज | | | | | | |
| | 2,70,44 | .. | 2,70,44 | .. | 2,70,44 | |
| (ii) उपभोक्ता सहकारी समितियों के गठन के लिए कर्ज | | | | | | |
| | 18,70 | .. | 18,70 | .. | 18,70 | |
| (iii) जिला थोक उपभोक्ता भंडारों में कम्प्यूटरों की स्थापना | | | | | | |
| | 4,41 | .. | 4,41 | .. | 4,41 | |
| (iv) अन्य विविध कर्ज | | | | | | |
| | 6,19,27 | .. | 6,19,27 | .. | 6,19,27 | |
| योग--(ख)--उपभोक्ता सहकारिताओं को कर्ज | 9,12,82 | .. | 9,12,82 | .. | 9,12,82 | |
| (ग) सहकारी चीनी मिलों को कर्ज-- | | | | | | |
| (i) कैलारस चीनी मिल, कैलारस को कर्ज | | | | | | |
| | 2,66,73 | .. | 2,66,73 | .. | 2,66,73 | |
| (ii) कैलारस सहकारी शक्कर कारखाना की अंशपूंजी में धनवेष्ठन-ऋण तथा अग्रिम | | | | | | |
| | 3,00,00 | .. | 3,00,00 | .. | 3,00,00 | |
| (iii) मालवा सहकारी चीनी मिल बरलाई (इन्दौर) को कर्ज | | | | | | |
| | 1,65,00 | .. | 1,65,00 | .. | 1,65,00 | |
| योग--(ग)--सहकारी चीनी मिलों को कर्ज | 7,31,73 | .. | 7,31,73 | .. | 7,31,73 | |
| (घ) सहकारी कताई मिलों को कर्ज-- | | | | | | |
| अन्य विविध कर्ज | | | | | | |
| | 7,79 | .. | 7,79 | .. | 7,79 | |
| योग--108 | 34,75,97 | .. | 34,75,97 | .. | 34,75,97 | |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- | | | | | | |
| कृषकों के लिये उपभोग कर्ज | | | | | | |
| | 3,33,42 | .. | 3,33,42 | .. | 3,33,42 | |
| म.प्र. राज्य विकास बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्डों का क्रय | | | | | | |
| | 3,69,49 | .. | 3,69,49 | .. | 3,69,49 | |
| अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को विकास बैंक के अंश क्रय करने हेतु कर्ज | | | | | | |
| | 43,13 | .. | 43,13 | .. | 43,13 | |

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|---|-------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| | | | (हजार रुपये में) | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप के लिए कर्ज-समाप्त | | | | | | |
| 6425--सहकारिता के लिये कर्ज--समाप्त | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना-- | | | | | | |
| जनजाति क्षेत्र उप योजनांतर्गत योजनाओं के लिए कर्ज | 6,62,27 | .. | 6,62,27 | .. | 6,62,27 | |
| 800--अन्य कर्ज-- | | | | | | |
| (क) मछुआरा सहकारी समितियों को कर्ज-- | | | | | | |
| अन्य विविध कर्ज | 10 | .. | 10 | .. | 10 | |
| (ख) अन्य सहकारिताओं के लिए कर्ज-- | | | | | | |
| (i) मध्यप्रदेश राज्य जनजाति सहकारी विकास निगम को कर्ज | | | | | | |
| | 40,20 | .. | 40,20 | .. | 40,20 | |
| (ii) हरिजन कृषकों को उपभोक्ता कर्ज | | | | | | |
| | 1,91 | .. | 1,91 | .. | 1,91 | |
| (iii) अन्य विविध कर्ज | | | | | | |
| | 33,54 | .. | 33,54 | .. | 33,54 | |
| योग--(ख) अन्य सहकारिताओं के लिए कर्ज | 35,45 | .. | 35,45 | .. | 35,45 | |
| | 40,20 | .. | 40,20 | .. | 40,20 | |
| योग--800 | 35,55 | .. | 35,55 | .. | 35,55 | |
| | 40,20 | .. | 40,20 | .. | 40,20 | |
| योग--6425-- सहकारिता के लिए कर्ज | 1,64,55,32 | 6,00,00 | 1,70,55,32 | 14,66,85 | 1,55,88,47 | 2,62,78 |
| | 40,20 | .. | 40,20 | .. | 40,20 | |
| 6435-- कृषि कार्यक्रमों के लिए कर्ज-- | | | | | | |
| 01--विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण-- | | | | | | |
| 101--विपणन सुविधायें-- | | | | | | |
| अन्य विविध कर्ज | 6,71 | .. | 6,71 | .. | 6,71 | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-- | | | | | | |
| जनजाति क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजनाओं के लिए कर्ज | 1,63 | .. | 1,63 | .. | 1,63 | |
| योग--01--विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण | 8,34 | .. | 8,34 | .. | 8,34 | |
| योग--6435--कृषि कार्यक्रमों के लिए कर्ज | 8,34 | .. | 8,34 | .. | 8,34 | |
| योग--(क)--कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप के लिए कर्ज | 2,91,29,74 | 6,06,40 | 2,97,36,14 | 15,86,61 | 2,81,49,53 | 3,17,84 |
| | 81,92,42 | .. | 81,92,42 | .. | 81,92,42 | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है।

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|--|-------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| (हजार रुपये में) | | | | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| (ख)ग्राम विकास के लिए कर्ज-- | | | | | | |
| 6515--अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिए कर्ज-- | | | | | | |
| 102--सामुदायिक विकास-- | | | | | | |
| (i) सामुदायिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने हेतु कर्ज | 39,49 | .. | 39,49 | .. | 39,49 | |
| (ii) अन्य विविध कर्ज | 14,40 | .. | 14,40 | .. | 14,40 | |
| योग--102 | 53,89 | .. | 53,89 | .. | 53,89 | |
| 103--ग्रामीण निर्माण कार्य कार्यक्रम-- | | | | | | |
| (i) लोकोपयोगी निर्माण कार्यों के लिये पंचायतों को कर्ज | 27,42 | .. | 27,42 | .. | 27,42 | |
| (ii) ग्रामीण जन शक्ति के उपयोग के लिए निर्माण कार्यक्रम की परियोजना के अन्तर्गत समोच्च बांध निर्माण | 25,80 | .. | 25,80 | .. | 25,80 | |
| (iii) निर्धन व्यक्तियों को अल्प कालीन कर्ज देने हेतु परिक्रामी निधि के सृजन के लिये ग्राम पंचायतों को कर्ज | 47,90 | .. | 47,90 | .. | 47,90 | |
| (iv) अन्य विविध कर्ज | 4,11 | .. | 4,11 | .. | 4,11 | |
| योग--103 | 1,05,23 | .. | 1,05,23 | .. | 1,05,23 | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना-- | | | | | | |
| जनजाति क्षेत्र उप योजनांतर्गत योजनाओं के लिए कर्ज | 46 | .. | 46 | .. | 46 | |
| योग--6515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए कर्ज | 1,59,58 | .. | 1,59,58 | .. | 1,59,58 | |
| योग--(ख) ग्राम विकास के लिए कर्ज | 1,59,58 | .. | 1,59,58 | .. | 1,59,58 | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण-- | | | | | | |
| 6702--लघु सिंचाई के लिये कर्ज-- | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना-- | | | | | | |
| जनजाति क्षेत्र उप योजनांतर्गत योजनाओं के लिये कर्ज | 19,31 | .. | 19,31 | .. | 19,31 | |
| 800--अन्य कर्ज-- | | | | | | |
| अन्य विविध कर्ज | 13,11 | .. | 13,11 | .. | 13,11 | |
| योग--6702--लघु सिंचाई के लिये कर्ज | 32,42 | .. | 32,42 | .. | 32,42 | |

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|--|-------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| | | | (हजार रुपये में) | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण--समाप्त | | | | | | |
| 6705--कमान क्षेत्र विकास के लिये कर्ज-- | | | | | | |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-- | | | | | | |
| मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम को विशेष ऋण खाते में प्राप्त ऋण की वापसी हेतु कर्ज | 3,85,47 | .. | 3,85,47 | .. | 3,85,47 | |
| 800--अन्य कर्ज-- | | | | | | |
| अन्य विविध कर्ज | 11,24 | .. | 11,24 | 1 | 11,23 | |
| योग--6705--कमान क्षेत्र विकास के लिये कर्ज | 3,96,71 | .. | 3,96,71 | 1 | 3,96,70 | |
| 6711--बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए कर्ज- | | | | | | |
| 102--बाढ़ नियंत्रण- | | | | | | |
| स्वर्ण रेखा बाढ़ नियंत्रण परियोजना फेस-II | 10,49,03 | .. | 10,49,03 | .. | 10,49,03 | |
| योग-6711--बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए कर्ज | 10,49,03 | .. | 10,49,03 | .. | 10,49,03 | |
| योग--(घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण | 14,78,16 | .. | 14,78,16 | 1 | 14,78,15 | |
| (ड.) ऊर्जा-- | | | | | | |
| 6801--बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज-- | | | | | | |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-- | | | | | | |
| मध्यप्रदेश विद्युत् मण्डल को कर्ज | 80,33,26 | | 80,33,26 | | 80,33,26 | |
| एशियाई विकास बैंक से प्राप्त परियोजना सहायता का म.प्र. विद्युत् मंडल को भुगतान | 5,24,42,92 | .. | 5,24,42,92 | .. | 5,24,42,92 | |
| पारेषण प्रणाली कार्य हेतु निवेश | 58,62,60 | 3,58,17,94 | 4,16,80,54 | .. | 4,16,80,54 | |
| उप पारेषण तथा वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण | .. | 49,88,86 | 49,88,86 | .. | 49,88,86 | |
| योग--190 | 5,83,05,52 | 4,08,06,80 | 9,91,12,32 | .. | 9,91,12,32 | |
| | 80,33,26 | | 80,33,26 | | 80,33,26 | |
| 205--संचरण तथा वितरण -- | | | | | | |
| (i) अन्तर्राज्यीय विद्युत् ग्रिड के लिये मध्यप्रदेश विद्युत् मंडल को कर्ज | 2,74,99 | | 2,74,99 | | 2,74,99 | |
| (ii) पारेषण तथा वितरण योजना हेतु मध्यप्रदेश विद्युत् मण्डल को कर्ज | -3,03,70,69 | .. | -3,03,70,69 | .. | -3,03,70,69 | (क) |
| | 3,75,77,74 | | 3,75,77,74 | | 3,75,77,74 | |
| योग--205 | -3,03,70,69 | .. | -3,03,70,69 | .. | -3,03,70,69 | |
| | 3,78,52,73 | | 3,78,52,73 | | 3,78,52,73 | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है।

(क) ऋणात्मक शेष, शेषों के अनुभाजन न होने के कारण है।

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|--|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | (हजार रुपये में) |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| (ड.) ऊर्जा--जारी | | | | | | |
| 6801--बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना-- | | | | | | |
| जनजाति क्षेत्र उप योजनान्तर्गत | 11,56,75 | .. | 11,56,75 | .. | 11,56,75 | |
| योजनाओं के लिये कर्ज | 4,01,44,39 | | 4,01,44,39 | | 4,01,44,39 | |
| 800--विद्युत बोर्डों के लिए अन्य कर्ज-- | | | | | | (का) |
| (i) ताप विद्युत् योजनाओं के लिये | -1,54,62,09 | .. | -1,54,62,09 | .. | -1,54,62,09 | |
| विद्युत् मण्डल को कर्ज | 1,54,62,09 | | 1,54,62,09 | | 1,54,62,09 | |
| (ii) मध्यप्रदेश विद्युत् मण्डल | -1,44,32,78 | .. | -1,44,32,78 | .. | -1,44,32,78 | |
| को कर्ज | 2,00,83,16 | | 2,00,83,16 | | 2,00,83,16 | |
| (iii) सामुदायिक विकास परियोजना के क्षेत्रों | | | | | | (का) |
| के ग्रामों में बिजली लगाने के लिये | -2,68,63 | .. | -2,68,63 | .. | -2,68,63 | |
| मध्यप्रदेश विद्युत् मण्डल को कर्ज | 2,68,63 | | 2,68,63 | | 2,68,63 | |
| (iv) गतिवर्धित ऊर्जा विकास हेतु म.प्र. राज्य | | | | | | |
| विद्युत मंडल को सहायता | 1,24,07,10 | .. | 1,24,07,10 | .. | 1,24,07,10 | |
| (v) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत | | | | | | |
| ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु म.प्र. राज्य | | | | | | |
| विद्युत मंडल को कर्ज | 10,36,22 | .. | 10,36,22 | .. | 10,36,22 | |
| (vi) कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत | | | | | | (का) |
| नलकूपों तथा पम्पिंग सेटों के | | | | | | |
| शक्तिकरण हेतु मध्यप्रदेश | -18,60,00 | .. | -18,60,00 | .. | -18,60,00 | |
| विद्युत् मण्डल को कर्ज | 18,60,00 | | 18,60,00 | | 18,60,00 | |
| (vii) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम | | | | | | |
| (एन.एम.पी.) | 8,92,05 | .. | 8,92,05 | .. | 8,92,05 | |
| (viii) नर्मदा घाटी में पम्पों के | | | | | | (का) |
| शक्तिकरण हेतु मध्यप्रदेश | -10,00,00 | .. | -10,00,00 | .. | -10,00,00 | |
| विद्युत् मण्डल को कर्ज | 10,00,00 | | 10,00,00 | | 10,00,00 | |
| (ix) अनुसूचित जाति विशेष राज्य | -1,33,96,12 | .. | -1,33,96,12 | .. | -1,33,96,12 | |
| आयोजना हेतु विशेष घटक योजना | 1,60,05,11 | | 1,60,05,11 | | 1,60,05,11 | |
| (X) विद्युत मण्डल को अन्य कर्ज | 16,40,52 | .. | 16,40,52 | .. | 16,40,52 | |
| | 3,81,63,82 | | 3,81,63,82 | | 3,81,63,82 | |
| (xi) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना | 15,04,93 | 23,85,14 | 38,90,07 | .. | 38,90,07 | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है।

(का) ऋणात्मक शेष, शेषों के अनुभाजन न होने के कारण हैं।

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|---|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| (हजार रुपये में) | | | | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| (ड.)--ऊर्जा--समाप्त | | | | | | |
| 6801--बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज--समाप्त | | | | | | |
| 800--विद्युत बोर्डों के लिए अन्य कर्ज--समाप्त | | | | | | |
| (xii) म.प्र. विद्युत मण्डल को कार्यशील पूंजी के लिए अल्पकालीन कर्ज | 4,94,00,00 | .. | 4,94,00,00 | .. | 4,94,00,00 | |
| (xiii) विद्युत वितरण कम्पनी को कार्यशील पूंजी हेतु ऋण | 4,46,00,00 | 11,43,00,00 | 15,89,00,00 | .. | 15,89,00,00 | |
| (xiv) अन्य विविध कर्ज | -30,43,71 | .. | -30,43,71 | .. | -30,43,71 (क) | |
| | 30,43,71 | | 30,43,71 | | 30,43,71 | |
| योग--800 | 6,20,17,49 | 11,66,85,14 | 17,87,02,63 | .. | 17,87,02,63 | |
| | 9,58,86,52 | | 9,58,86,52 | | 9,58,86,52 | |
| योग--6801--बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज | 9,11,09,07 | 15,74,91,94 | 24,86,01,01 | .. | 24,86,01,01 | |
| | 18,19,16,90 | | 18,19,16,90 | | 18,19,16,90 | |
| योग--(ड.)--ऊर्जा | 9,11,09,07 | 15,74,91,94 | 24,86,01,01 | .. | 24,86,01,01 | |
| | 18,19,16,90 | | 18,19,16,90 | | 18,19,16,90 | |

(च)--उद्योग तथा खनिज--

6851--ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिये कर्ज--

102--लघु उद्योग--

अन्य विविध कर्ज 52 .. 52 .. 52

103--हथकरघा उद्योग--

अन्य विविध कर्ज 2,08 .. 2,08 .. 2,08

105--खादी तथा ग्राम उद्योग--

अन्य विविध कर्ज 28 .. 28 .. 28

109--सम्मिश्र ग्राम तथा लघु

उद्योग सहकारी समितियां--

(i) संसाधन इकाईयों की स्थापना के लिये प्राथमिक

बुनकर सहकारी समितियों को कर्ज 10,08 .. 10,08 .. 10,08

(ii) बंद शक्ति करघा, जबलपुर को सीमांत धन कर्ज 13,67 .. 13,67 .. 13,67

(iii) शक्ति करघा सहकारिताओं को कर्ज 29,07 .. 29,07 .. 29,07

(iv) हथकरघे का शक्ति करघे में परिवर्तन 12,73 .. 12,73 6,57 6,16

(v) कार्यशालाओं की स्थापना के लिये

बुनकर सहकारी समितियों को कर्ज 1,20 .. 1,20 .. 1,20

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है।

(क) ऋणात्मक शेष, शेषों के अनुभाजन न होने के कारण है।

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|---|-------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| | | | (हजार रुपये में) | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| (च)--उद्योग तथा खनिज--जारी | | | | | | |
| 6851--ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिये कर्ज--समाप्त | | | | | | |
| 109--सम्मिश्र ग्राम तथा लघु उद्योग सहकारी समितियां--समाप्त | | | | | | |
| (vi) मध्यप्रदेश राज्य हथकरघा बुनकर संघ को सूती धागे उपलब्ध कराने हेतु परिक्रामी निधि की स्थापना | 73,38 | .. | 73,38 | .. | 73,38 | |
| (vii) अवन्ती कॉटन मिल को सूती धागे उपलब्ध कराने हेतु परिक्रामी निधि की स्थापना | 58,75 | .. | 58,75 | .. | 58,75 | |
| (viii) अन्य विविध कर्ज | 4,02,08 | .. | 4,02,08 | .. | 4,02,08 | |
| योग--109 | 6,00,96 | .. | 6,00,96 | 6,57 | 5,94,39 | |
| 200--अन्य ग्राम उद्योग-- | | | | | | |
| (i) ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिये कर्ज | 57,33 | .. | 57,33 | .. | 57,33 | |
| (ii) जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना के लिये कर्ज | 42,95 | .. | 42,95 | .. | 42,95 | |
| योग--200 | 1,00,28 | .. | 1,00,28 | .. | 1,00,28 | |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- औद्योगिक सहकारिताओं के लिये वित्तीय आधार सहायता | | | | | | |
| हथकरघा हेतु परियोजना पैकेज | 1,78 | .. | 1,78 | .. | 1,78 | |
| अधोसंरचना, उत्पादन तथा प्रोसेसिंग हेतु सहायता (औद्योगिक सहकारिता) | 3,63 | .. | 3,63 | .. | 3,63 | |
| राज्य हथकरघा विकास योजना | 4,68 | .. | 4,68 | .. | 4,68 | |
| योग--789 | 28,08 | .. | 28,08 | .. | 28,08 | |
| 793--अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | | | | | | |
| | 23,25 | .. | 23,25 | .. | 23,25 | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-- जनजाति क्षेत्र उपयोगनांतर्गत योजनाओं के लिये कर्ज | | | | | | |
| | 1,71,72 | .. | 1,71,72 | .. | 1,71,72 | |
| योग--6851--ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज | 9,27,17 | .. | 9,27,17 | 6,57 | 9,20,60 | |

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|--|-------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| (हजार रुपये में) | | | | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| (च)--उद्योग तथा खनिज--जारी | | | | | | |
| 6853--अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों के लिये कर्ज-- | | | | | | |
| 01--खनिज अन्वेषण तथा विकास-- | | | | | | |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-- | | | | | | |
| अन्य विविध कर्ज | 3,19 | .. | 3,19 | .. | 3,19 | |
| योग--01--खनिज अन्वेषण तथा विकास | 3,19 | .. | 3,19 | .. | 3,19 | |
| योग--6853--अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों के लिये कर्ज | 3,19 | .. | 3,19 | .. | 3,19 | |
| 6860--उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज-- | | | | | | |
| 01-- वस्त्र उद्योग-- | | | | | | |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-- | | | | | | |
| (i) मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम को कर्ज | 62,49 | .. | 62,49 | .. | 62,49 | |
| | 3,36,51 | | 3,36,51 | | 3,36,51 | |
| (ii) मेसर्स विनोद मिल्स, उज्जैन को कर्ज | 12,17,73 | .. | 12,17,73 | .. | 12,17,73 | |
| (iii) मेसर्स राजकुमार मिल्स, इंदौर को कर्ज | 15,66,46 | .. | 15,66,46 | .. | 15,66,46 | |
| (iv) मेसर्स सज्जन मिल्स, रतलाम को कर्ज | 15,28,13 | .. | 15,28,13 | .. | 15,28,13 | |
| (v) सहकारी टेक्सटाइल मिल्स, बुरहानपुर को कर्ज | 30,00 | .. | 30,00 | .. | 30,00 | |
| (vi) होप टेक्सटाइल मिल्स, इन्दौर को कर्ज | 1,00,00 | .. | 1,00,00 | .. | 1,00,00 | |
| (vii) विमल मिल्स को कर्ज | 42,00 | .. | 42,00 | .. | 42,00 | |
| (viii) इंदौर टेक्सटाइल मिल्स, उज्जैन को कर्ज | 13,08,00 | .. | 13,08,00 | .. | 13,08,00 | |
| (ix) बीमार सूती मिलों को कर्ज | 30,60,48 | .. | 30,60,48 | .. | 30,60,48 | |
| (x) मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक निगम को कर्ज | 33,00 | | 33,00 | | 33,00 | |
| (xi) अवंती कॉटन मिल्स, सनावद को कार्यशील पूंजी के लिये कर्ज | 1,40,32 | .. | 1,40,32 | .. | 1,40,32 | |
| (xii) अन्य विविध कर्ज | 31,73 | .. | 31,73 | .. | 31,73 | |
| | 90,87,34 | .. | 90,87,34 | .. | 90,87,34 | |
| योग--190 | 3,69,51 | | 3,69,51 | | 3,69,51 | |
| 789--अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- | | | | | | |
| लघु हथकरघा इकाइयों को सहायता | 1,20 | .. | 1,20 | .. | 1,20 | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-- | | | | | | |
| प्रोजेक्ट पैकेज के लिए कर्ज | 29,70 | .. | 29,70 | .. | 29,70 | |
| योग--01--वस्त्र उद्योग | 91,18,24 | .. | 91,18,24 | .. | 91,18,24 | |
| | 3,69,51 | | 3,69,51 | | 3,69,51 | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है।

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|---|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| (हजार रुपये में) | | | | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| (च)--उद्योग तथा खनिज--जारी | | | | | | |
| 6860--उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज-समाप्त | | | | | | |
| 03--चमड़ा-- | | | | | | |
| 800--अन्य कर्ज-- | | | | | | |
| अन्य विविध कर्ज | 6,42 | .. | 6,42 | .. | 6,42 | |
| 04--चीनी-- | | | | | | |
| 101--सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज-- | | | | | | |
| अन्य विविध कर्ज | 1,93,35 | .. | 1,93,35 | .. | 1,93,35 | |
| 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज | 14,18,62 | .. | 14,18,62 | .. | 14,18,62 | |
| योग--04--चीनी | 16,11,97 | .. | 16,11,97 | .. | 16,11,97 | |
| 60--अन्य-- | | | | | | |
| 101--खाद्य तेल- | | | | | | |
| अन्य विविध कर्ज | 27 | .. | 27 | .. | 27 | |
| 600-- अन्य-- | | | | | | |
| म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम को कर्ज | 3,00,00 | .. | 3,00,00 | .. | 3,00,00 | |
| योग--6860--उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज | 1,10,36,90 | .. | 1,10,36,90 | .. | 1,10,36,90 | |
| | 3,69,51 | | 3,69,51 | | 3,69,51 | |
| 6885--उद्योग और खनिज के लिए अन्य कर्ज- | | | | | | |
| 01--औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज-- | | | | | | |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-- | | | | | | |
| (i) मध्यप्रदेश वित्त निगम, इंदौर को कर्ज | .. | .. | .. | 14,77,19 | -14,77,19 | |
| | 14,77,19 | | 14,77,19 | | 14,77,19 | |
| (ii) मध्यप्रदेश उद्योग निगम को कर्ज | -2,86,15 | .. | -2,86,15 | 14,23 | -3,00,38 | |
| | 4,71,37 | | 4,71,37 | | 4,71,37 | |
| योग--190 | -2,86,15 | .. | -2,86,15 | 14,91,42 | -17,77,57 | |
| | 19,48,56 | | 19,48,56 | | 19,48,56 | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना-- | | | | | | |
| जनजाति क्षेत्र उप योजनागत योजनाओं के अन्तर्गत कर्ज | 5,04,48 | .. | 5,04,48 | 2,13,94 ^(x) | 2,90,54 | |
| 800--अन्य कर्ज | 46,78 | .. | 46,78 | .. | 46,78 | |
| योग--01--औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज | 2,65,11 | .. | 2,65,11 | 17,05,36 ^(x) | -14,40,25 ^(क) | |
| | 19,48,56 | | 19,48,56 | | 19,48,56 | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है।

(क) ऋणात्मक शेष, शेषों के अनुभाजन न होने के कारण हैं।

(x) म.प्र. वित्त निगम के निवेश में परिवर्तन से संबंधित 16,91,13 हजार रुपये सम्मिलित हैं।

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| (हजार रुपये में) | | | | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज--जारी | | | | | | |
| (च)--उद्योग तथा खनिज--समाप्त | | | | | | |
| 6885--उद्योग और खनिज के लिए अन्य कर्ज--समाप्त | | | | | | |
| 60--अन्य-- | | | | | | |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज | 1,65,05 | .. | 1,65,05 | .. | 1,65,05 | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना-- जनजाति क्षेत्र उप योजनागत योजनाओं के अन्तर्गत कर्ज | 1,49,08 | .. | 1,49,08 | .. | 1,49,08 | |
| 800--अन्य कर्ज-- | | | | | | |
| (i) औद्योगिक विकास निगम को कर्ज | 3,19,14 | .. | 3,19,14 | .. | 3,19,14 | |
| (ii) नये उद्योगों को विक्रय कर कर्ज | 7,54,48 | .. | 7,54,48 | .. | 7,54,48 | |
| (iii) चीनी मिलों को कर्ज | 1,36,03 | .. | 1,36,03 | .. | 1,36,03 | |
| (iv) मैसर्स विनोद मिल्स, उज्जैन को कर्ज | 3,23,27 | .. | 3,23,27 | .. | 3,23,27 | |
| (v) मेसर्स हॉप टैक्सटाइल्स मिल्स, उज्जैन को कर्ज | 85,00 | .. | 85,00 | .. | 85,00 | |
| (vi) अन्य विविध कर्ज | 2,05,65 | .. | 2,05,65 | .. | 2,05,65 | |
| योग--800 | 15,04,43 | .. | 15,04,43 | .. | 15,04,43 | |
| | 3,19,14 | | 3,19,14 | | 3,19,14 | |
| योग--60--अन्य | 18,18,56 | .. | 18,18,56 | .. | 18,18,56 | |
| | 3,19,14 | | 3,19,14 | | 3,19,14 | |
| योग--6885--उद्योग और खनिज के लिए अन्य कर्ज | 20,83,67 | .. | 20,83,67 | 17,05,36 | 3,78,31 | |
| | 22,67,70 | | 22,67,70 | | 22,67,70 | |
| योग--(च)--उद्योग तथा खनिज | 1,40,50,93 | .. | 1,40,50,93 | 17,11,93 | 1,23,39,00 | |
| | 26,37,21 | | 26,37,21 | | 26,37,21 | |
| (छ) परिवहन-- | | | | | | |
| 7053--नागर विमानन के लिए कर्ज-- | | | | | | |
| 800--अन्य कर्ज-- | | | | | | |
| अन्य विविध कर्ज | 50 | .. | 50 | .. | 50 | |
| योग--7053--नागर विमानन के लिए कर्ज | 50 | .. | 50 | .. | 50 | |
| 7055--सड़क परिवहन के लिए कर्ज-- | | | | | | |
| 101--सड़क परिवहन निगम को स्थाई ऋण -- मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को कर्ज | | | | | | |
| | 23,17,50 | | 23,17,50 | | 23,17,50 | |
| योग--7055--सड़क परिवहन के लिए कर्ज | 23,17,50 | | 23,17,50 | | 23,17,50 | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है।

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|---|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| (हजार रुपये में) | | | | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--जारी | | | | | | |
| ग--आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज--समाप्त | | | | | | |
| (छ)--परिवहन-समाप्त | | | | | | |
| 7075--अन्य परिवहन सेवाओं के लिये कर्ज-- | | | | | | |
| 01--सड़क तथा पुल-- | | | | | | |
| 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-- राजकुमार मिल इन्दौर के पास निर्माणाधीन रेल्वे ओवर ब्रिज हेतु नगर निगम, इन्दौर को कर्ज | | | | | | |
| | 1,00 | .. | 1,00 | .. | 1,00 | |
| 800--अन्य कर्ज-- | | | | | | |
| नगर निगमों को कर्ज | | | | | | |
| | 59,51 | .. | 59,51 | .. | 59,51 | |
| जन निजी भागीदारी के अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु कर्ज | | | | | | |
| | 35,37,00 | 18,84,00 | 54,21,00 | .. | 54,21,00 | |
| योग--7075--अन्य परिवहन सेवाओं के लिये कर्ज | 35,97,51 | 18,84,00 | 54,81,51 | .. | 54,81,51 | |
| योग--(छ)--परिवहन | 35,98,01 | 18,84,00 | 54,82,01 | .. | 54,82,01 | |
| | 23,17,50 | | 23,17,50 | | 23,17,50 | |
| (ज)--सामान्य आर्थिक सेवाएं-- | | | | | | |
| 7452--पर्यटन के लिये कर्ज-- | | | | | | |
| 01--पर्यटन अवसंरचना-- | | | | | | |
| 101--पर्यटक केन्द्र-- | | | | | | |
| अन्य विविध कर्ज | | | | | | |
| | 2,66 | | 2,66 | | 2,66 | |
| 796--जनजातीय क्षेत्र उप योजना-- जनजाति क्षेत्र उप योजनागत योजनाओं के अन्तर्गत कर्ज | | | | | | |
| | 7,50 | | 7,50 | | 7,50 | |
| योग--7452--पर्यटन के लिये कर्ज | 10,16 | | 10,16 | | 10,16 | |
| 7465--सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं के लिए कर्ज-- | | | | | | |
| 101--सामान्य वित्तीय संस्थायें-- अन्य विविध कर्ज | | | | | | |
| | 2,29 | | 2,29 | | 2,29 | |
| योग--7465--सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं को कर्ज | 2,29 | | 2,29 | | 2,29 | |
| योग--(ज)--सामान्य आर्थिक सेवाएं | 12,45 | | 12,45 | | 12,45 | |
| योग--ग--आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज | 13,95,25,49 | 15,99,82,34 | 29,95,07,83 | 32,98,55 | 29,62,09,28 | 3,17,84 |
| | 19,50,76,48 | | 19,50,76,48 | | 19,50,76,48 | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है ।

विवरण संख्या--18--जारी

| लेखे का शीर्ष | 1 अप्रैल 2008 को शेष | वर्ष के दौरान दी गई राशि | योग | वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि | 31 मार्च 2009 को शेष | प्राप्त तथा राजस्व में जमा किया गया ब्याज |
|---|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| | | | (हजार रुपये में) | | | |
| च--कर्ज तथा उधार--समाप्त | | | | | | |
| घ--शासकीय कर्मचारियों को कर्ज-- | | | | | | |
| 7610--सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि- | | | | | (का) | |
| 201--भवन निर्माण अग्रिम | -19,19,11 | 9,86 | -19,09,25 | 98,36 | -20,07,61 | |
| | 26,67,62 | | 26,67,62 | | 26,67,62 | |
| | | | | | (का) | |
| 202--मोटर वाहन का क्रय करने के लिये अग्रिम | -15,93,45 | .. | -15,93,45 | 23,31 | -16,16,76 | |
| | 20,41,40 | | 20,41,40 | | 20,41,40 | |
| | | | | | (का) | |
| 203--अन्य वाहनों का क्रय करने के लिये अग्रिम | -19 | .. | -19 | .. | -19 | |
| | 37 | | 37 | | 37 | |
| | | | | | (का) | |
| 204--कम्प्यूटर का क्रय करने के लिये अग्रिम | -52,96 | .. | -52,96 | 8,23 | -61,19 | |
| | 1,28,74 | | 1,28,74 | | 1,28,74 | |
| | | | | | (का) | |
| 800--अन्य अग्रिम | -50,00 | .. | -50,00 | 9,92 | -59,92 | |
| | 19,73,76 | | 19,73,76 | | 19,73,76 | |
| | | | | | (का) | |
| योग--7610--सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि | -36,15,71 | 9,86 | -36,05,85 | 1,39,82 | -37,45,67 | 7,17,25 |
| | 68,11,89 | | 68,11,89 | | 68,11,89 | |
| | | | | | (का) | |
| योग-घ--सरकारी कर्मचारियों को कर्ज | -36,15,71 | 9,86 | -36,05,85 | 1,39,82 | -37,45,67 | 7,17,25 |
| | 68,11,89 | | 68,11,89 | | 68,11,89 | |
| ड.--विविध-- | | | | | | |
| 7615--विविध कर्ज-- | | | | | | |
| 200--विविध कर्ज-- | | | | | | |
| अन्य विविध कर्ज | 4,46 | .. | 4,46 | .. | 4,46 | |
| योग--7615--विविध कर्ज | 4,46 | .. | 4,46 | .. | 4,46 | |
| योग--ड.--विविध | 4,46 | .. | 4,46 | .. | 4,46 | |
| | | | | | | |
| योग--च--कर्ज तथा उधार | 36,35,68,89 | 18,61,45,65 | 54,97,14,54 | 53,61,77 | 54,43,52,77 | 64,48,82 |
| | 21,87,44,09 | | 21,87,44,09 | | 21,87,44,09 | |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन किया जाना है।

(का) ऋणात्मक शेष, शेषों के अनुभाजन न होने के कारण हैं।

विवरण संख्या--18--समाप्त

वर्ष के दौरान योजना उद्देश्यों हेतु दिये गये कर्जों के विवरण

| लेखे का शीर्ष | राशि (हजार रुपये में) |
|--|--------------------------|
| च--कर्ज तथा उधार-- | |
| ख--सामाजिक सेवाओं के लिये कर्ज-- | |
| (ग)--जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के लिए कर्ज-- | |
| 6215--जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज | 51,06,79 |
| 6217--शहरी विकास के लिए कर्ज | 1,69,32,16 |
| योग--(ग) | 2,20,38,95 |
| योग--ख- सामाजिक सेवाओं के लिये कर्ज | 2,20,38,95 |
| ग--आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज-- | |
| (क)--कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप के लिए कर्ज-- | |
| 6405--मछली पालन के लिए कर्ज | 3,29 |
| 6425--सहकारिता के लिए कर्ज | 6,00,00 |
| योग--(क) | 6,03,29 |
| (ड.)-ऊर्जा-- | |
| 6801--बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज | 4,31,91,93 |
| योग (ड.) | 4,31,91,93 |
| (छ) परिवहन- | |
| 7075- अन्य परिवहन सेवाओं के लिए कर्ज | 18,84,00 |
| योग-(छ) | 18,84,00 |
| योग--ग--आर्थिक सेवाओं के लिये कर्ज | 4,56,79,22 |
| महायोग (ख+ग) | 6,77,18,17 |

विवरण संख्या 19--उद्दिष्ट शेषों का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण

| आरक्षित निधि या जमा लेखे का नाम | 1 अप्रैल 2008 को शेष | | | 31 मार्च 2009 को शेष | | |
|---|---------------------------|----------|---------------------------|----------------------|----------|------------|
| | रोकड़ | निवेश | योग | रोकड़ | निवेश | योग |
| | (हजार रुपये में) | | | (हजार रुपये में) | | |
| आरक्षित निधि-- | | | | | | |
| ज--आरक्षित निधि-- | | | | | | |
| (क)--ब्याज वाली आरक्षित निधियां-- | | | | | | |
| 8121--सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां-- | | | | | | |
| 115--प्राकृतिक विपत्ति अव्ययित मार्जिनल | | | | | | |
| मुद्रा निधि | 3,18,55,08 ^(क) | .. | 3,18,55,08 ^(क) | 1,62,55,08 | .. | 1,62,55,08 |
| योग--(क)--ब्याज वाली आरक्षित निधियां | 3,18,55,08 ^(क) | .. | 3,18,55,08 ^(क) | 1,62,55,08 | .. | 1,62,55,08 |
| (ख)--बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां-- | | | | | | |
| 8223--अकाल राहत निधि-- | | | | | | |
| 101--अकाल राहत निधि | 2,85,03 | 1,88,62 | 4,73,65 | 4,66,20 | 34,49 | 5,00,69 |
| योग--8223--अकाल राहत निधि | 2,85,03 | 1,88,62 | 4,73,65 | 4,66,20 | 34,49 | 5,00,69 |
| 8226--मूल्य हास /नवीनीकरण आरक्षित निधि -- | | | | | | |
| 102--सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्य हास आरक्षित निधि -- | | | | | | |
| (का) शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल | 1,75,30 | .. | 1,75,30 | 1,91,28 | .. | 1,91,28 |
| (खा) शासकीय मुद्रणालय, ग्वालियर | 41,10 | .. | 41,10 | 45,65 | .. | 45,65 |
| (गा) शासकीय मुद्रणालय, इन्दौर | 32,10 | .. | 32,10 | 35,20 | .. | 35,20 |
| (घा) शासकीय मुद्रणालय, रीवा | 21,30 | .. | 21,30 | 23,53 | .. | 23,53 |
| (ड.1) मूल्य हास आरक्षित निधि--सिंचाई | 32,82 | .. | 32,82 | 32,82 | .. | 32,82 |
| (जा) मूल्य हास आरक्षित निधि--जल प्रदाय गृह | .. ^(ख) | .. | .. ^(ख) | .. | .. | .. |
| योग--102 | 3,02,62 | .. | 3,02,62 | 3,28,48 | .. | 3,28,48 |
| योग--8226--मूल्य हास/नवीनीकरण आरक्षित निधि | 3,02,62 | .. | 3,02,62 | 3,28,48 | .. | 3,28,48 |
| 8228--राजस्व आरक्षित निधि-- | | | | | | |
| 101--राजस्व आरक्षित निधि | 19,90,62 | 10,55,52 | 30,46,14 | 20,17,93 | 10,55,52 | 30,73,45 |
| योग--8228--राजस्व आरक्षित निधि | 19,90,62 | 10,55,52 | 30,46,14 | 20,17,93 | 10,55,52 | 30,73,45 |

(X) पुनर्मिलान के कारण शेष रुपये 13,78 हजार को मूल्य हास आरक्षित निधि -सिंचाई को प्रोफोर्मा अन्तरित किया गया ।

(का) पृष्ठ 334 पर पाद टिप्पणी (का) देखें ।

विवरण संख्या 19 -- जारी

| आरक्षित निधि या जमा लेखे का नाम | 1 अप्रैल 2008 को शेष | | | 31 मार्च 2009 को शेष | | |
|---|----------------------|------------|----------------------------|----------------------|------------|---------------------------------|
| | रोकड़ | निवेश | योग | रोकड़ | निवेश | योग |
| | (हजार रुपये में) | | | (हजार रुपये में) | | |
| आरक्षित निधि--समाप्त | | | | | | |
| ज--आरक्षित निधि--समाप्त | | | | | | |
| (ख)--बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां--समाप्त | | | | | | |
| 8229--विकास तथा कल्याण निधि-- | | | | | | |
| 103--कृषि प्रयोजन के लिये विकास निधि-- | | | | | | |
| राज्य कृषि सम्बन्धी साख राहत और गारन्टी निधि | 15,63 | 18,23 | 33,86 | 16,63 | 18,23 | 34,86 |
| 110--विद्युत् विकास निधि | 4,23,00,55 | .. | 4,23,00,55 | 5,88,95,04 | .. | 5,88,95,04 |
| 200--अन्य विकास तथा कल्याण निधि-- | | | | | | |
| पंचायत भू-राजस्व उपकर तथा मुद्रांक शुल्क निधि | 3,65,09,11 | .. | 3,65,09,11 | 4,81,43,46 | .. | 4,81,43,46 |
| वन विकास निधि | 62,81,17 | .. | 62,81,17 | 62,81,17 | .. | 62,81,17 |
| मध्यप्रदेश ग्रामीण विकास निधि | 1,26,70,18 | .. | 1,26,70,18 | 1,64,28,53 | .. | 1,64,28,53 |
| क्षतिपूर्ति वानिकी निधि | 31,81,33 | .. | 31,81,33 | 31,81,33 | .. | 31,81,33 |
| योग--200 | 5,86,41,79 | .. | 5,86,41,79 | 7,40,34,49 | .. | 7,40,34,49 |
| योग--8229--विकास तथा कल्याण निधि | 10,09,57,97 | 18,23 | 10,09,76,20 | 13,29,46,16 | 18,23 | 13,29,64,39 |
| 8235--सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां-- | | | | | | |
| 111--आपदा राहत निधि | 1,53,52,23 | .. | 1,53,52,23 | 29,19 | .. | 29,19 |
| | 1,02,46,44 | | 1,02,46,44 | 1,02,46,44 | | 1,02,46,44⁽¹⁾ |
| 117- गारंटी मोचन निधि | .. | 3,05,31,47 | 3,05,31,47 | .. | 3,05,66,32 | 3,05,66,32 |
| 200--अन्य निधियां-- | | | | | | |
| मध्यप्रदेश सरकार की अन्य निधियां | 2,21 | 79 | 3,00 | 2,21 | 79 | 3,00 |
| योग--200 | 2,21 | 79 | 3,00 | 2,21 | 79 | 3,00 |
| योग--8235--सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां | 1,53,54,44 | 3,05,32,26 | 4,58,86,70 | 31,40 | 3,05,67,11 | 3,05,98,51 |
| | 1,02,46,44 | | 1,02,46,44 | 1,02,46,44 | | 1,02,46,44 |
| योग--(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां | 11,88,90,68 | 3,17,94,63 | 15,06,85,31 | 13,57,90,17 | 3,16,75,35 | 16,74,65,52 |
| | 1,02,46,44 | | 1,02,46,44 | 1,02,46,44 | | 1,02,46,44 |
| योग--ज--आरक्षित निधि | 15,07,45,76 | 3,17,94,63 | 18,25,40,39 ^(क) | 15,20,45,25 | 3,16,75,35 | 18,37,20,60 |
| | 1,02,46,44 | | 1,02,46,44 | 1,02,46,44 | | 1,02,46,44 |

(1) पृष्ठ 34 पर पाद टिप्पणी (3) देखें।

(क) पृष्ठ 334 पर पाद टिप्पणी (क) देखें।

विवरण संख्या 19 -- जारी


| आरक्षित निधि या जमा लेखे का नाम | 1 अप्रैल 2008 को शेष | | | 31 मार्च 2009 को शेष | | |
|---|----------------------|-------|---------|----------------------|-------|---------|
| | रोकड़ | निवेश | योग | रोकड़ | निवेश | योग |
| | (हजार रुपये में) | | | (हजार रुपये में) | | |
| जमा लेखे-- | | | | | | |
| ट--जमा तथा अग्रिम-- | | | | | | |
| (ख)-बिना ब्याज वाली जमा-- | | | | | | |
| 8449--अन्य जमा-- | | | | | | |
| 103--केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान-- | | | | | | |
| केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान | 2,39,75 | .. | 2,39,75 | 2,39,75 | .. | 2,39,75 |
| 120--विविध जमा-- | | | | | | |
| भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा दिये अनुदानों का जमा लेखा | 1,60 | .. | 1,60 | 1,60 | .. | 1,60 |
| रेशम उत्पादन उद्योग के लिये केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदानों का जमा लेखा | 41 | .. | 41 | 41 | .. | 41 |
| हथकरघा उद्योग के लिये केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदानों का जमा लेखा | 1,21 | .. | 1,21 | 1,21 | .. | 1,21 |
| कपास उत्पादकों के लाभ हेतु निधि से दिये गये अनुदानों का जमा लेखा | 26 | .. | 26 | 26 | .. | 26 |
| खाद्य उत्पादन योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदानों का जमा लेखा | 26,94 | .. | 26,94 | 26,94 | .. | 26,94 |
| कपास विस्तार योजना के वित्तीय पोषण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों का जमा लेखा | 1,22 | .. | 1,22 | 1,22 | .. | 1,22 |
| गहन खेती और अधिक अन्न उपजाओ योजना के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों का जमा लेखा | 2,60 | .. | 2,60 | 2,60 | .. | 2,60 |
| यूनिसेफ से प्राप्त अनुदानों का जमा लेखा | 2,33 | .. | 2,33 | 2,33 | .. | 2,33 |
| अन्य राज्यों को अनाज भेजने से प्राप्त राशियों का जमा लेखा | 4 | .. | 4 | 4 | .. | 4 |

विवरण संख्या 19--समाप्त

| आरक्षित निधि या जमा लेखे का नाम | 1 अप्रैल 2008 को शेष | | | 31 मार्च 2009 को शेष | | |
|--|----------------------|------------|----------------------------|----------------------|------------|-------------------|
| | रोकड़ | निवेश | योग | रोकड़ | निवेश | योग |
| | (हजार रुपये में) | | | (हजार रुपये में) | | |
| जमा लेखे--समाप्त | | | | | | |
| ट--जमा तथा अग्रिम--समाप्त | | | | | | |
| (ख)-बिना ब्याज वाली जमा--समाप्त | | | | | | |
| 8449--अन्य जमा--समाप्त | | | | | | |
| 120--विविध जमा--समाप्त | | | | | | |
| राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा दिए अनुदानों का जमा लेखा | 2,29,55 | .. | 2,29,55 | 2,29,55 | .. | 2,29,55 |
| शिल्पकारों को कर्ज देने के लिये फोर्ड फाउन्डेशन से प्राप्त अनुदानों का जमा लेखा | 37 | .. | 37 | 37 | .. | 37 |
| विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदानों का जमा लेखा | 2,34 | .. | 2,34 | 2,34 | .. | 2,34 |
| जनगणना कार्य 1981 के गणनाकारों को मानदेय भुगतान का जमा लेखा | 1,34,45 | .. | 1,34,45 | 1,34,45 | .. | 1,34,45 |
| जनगणना कार्य 1991 के गणनाकारों को मानदेय भुगतान का जमा लेखा | 62,39 | .. | 62,39 | 62,39 | .. | 62,39 |
| उर्वरक विक्रेताओं से प्राप्त राशियों का जमा लेखा | 2 | .. | 2 | 2 | .. | 2 |
| योग--120--"विविध जमा" के अन्तर्गत उद्दिष्ट शेष | 4,65,73 | .. | 4,65,73 | 4,65,73 | .. | 4,65,73 |
| योग--8449--अन्य जमा के अन्तर्गत उद्दिष्ट शेष | 7,05,48 | .. | 7,05,48 | 7,05,48 | .. | 7,05,48 |
| योग--जमा लेखे-(ख)-बिना ब्याज वाली जमा | 7,05,48 | .. | 7,05,48 | 7,05,48 | .. | 7,05,48 |
| महायोग--आरक्षित निधियां तथा जमा लेखे | 15,14,51,24 | 3,17,94,63 | 18,32,45,87 ^(क) | 15,27,50,73 | 3,16,75,35 | 18,44,26,08 |
| | 1,02,46,44 | | 1,02,46,44 | 1,02,46,44 | | 1,02,46,44 |

मोटे अंक म.प्र. में रोके गये शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन होना है।

(क) पृष्ठ 334 पर पाद टिप्पणी (क) देखें।



परिशिष्ट

परिशिष्ट--I

सरकार के निवेशों पर प्राप्त लाभांश/ब्याज को दर्शाने वाला विवरण

(सन्दर्भ : विवरण संख्या 2, पृष्ठ 29)

(करोड़ रुपये में)

| | | 2006-07 | | | 2007-08 | | | 2008-09 | | |
|-------|---|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | प्रतिष्ठानों की संख्या | वर्ष के अन्त तक निवेश | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/ब्याज | प्रतिष्ठानों की संख्या | वर्ष के अन्त तक निवेश | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/ब्याज | प्रतिष्ठानों की संख्या | वर्ष के अन्त तक निवेश | वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश/ब्याज |
| (i) | सांविधिक निगम | 15 | 29,39.17 9,35.48 | 0.72 | 15 | 41,12.71 4,11.00 | .. | 21 | 46,83.16 4,11.00 | .. |
| (ii) | सरकारी कम्पनियां | 32 | 34,51.16 1,99.54 | 13.56 | 33 | 34,77.51 1,87.04 | 10.83 | 34 | 37,18.46 1,87.04 | 68.89 |
| (iii) | संयुक्त पूंजी कम्पनियां, साझेदारी और बैंक (*) | 24 | 0.11 1.54 | 0.12 | 24 | 0.11 1.54 | 0.13 | 24 | 0.11 1.54 | 0.12 |
| (iv) | सहकारिताएं | 125 | 1,51.71 4,83.00 | 0.04 | 125 | 1,72.08 4,83.00 | .. | 126 | 1,59.03 (ग) 4,83.00 | 0.04 |
| | योग | 196 | 65,42.15 16,19.56 | 14.44 | 197 | 77,62.41 10,82.58 | 59.23@ | 205 | 85,60.76(ख) 10,82.58 | 69.05 |

मोटे अंक एकीकृत म.प्र. राज्य के शेषों को दर्शाते हैं, जिनका म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अनुसार म.प्र. एवं छत्तीसगढ़ के मध्य आवंटन होना है।

(*) इसमें 0.15 लाख रुपये का एक बैंक में निवेश सम्मिलित है।

(ग) पृष्ठ 27 पर पाद टिप्पणी (क) तथा पृष्ठ 291 पर (झ) देखें।

(ख) पृष्ठ 322 पर पाद टिप्पणी (बा), (क) तथा @ देखें।

@ लाभांश के विवरण प्रतीक्षित थे।

परिशिष्ट-II--आकस्मिकता निधि से सम्बन्धित ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

राशि

(हजार रुपये में)

अनुभाग-क-आकस्मिकता निधि का निकाय--

(का) 31 मार्च 2008 के अन्त तक समेकित निधि से
आकस्मिकता निधि में प्रगामी विनियोग 1,00,00,00

(खा) वर्ष के दौरान समेकित निधि से विनियोग ..

(गा) वर्ष 2008-09 के अन्त तक समेकित निधि
से आकस्मिकता निधि में प्रगामी विनियोग 1,00,00,00

अनुभाग-ख-आकस्मिकता निधि लेखा--

(का) 1 अप्रैल 2008 को शेष (विवरण संख्या 16) 1,00,00,00

(खा) 2008-09 के दौरान आकस्मिकता निधि में जमा राशियां--
समेकित निधि से विनियोजन ..

योग--(खा) ..

(गा) वर्ष 2008-09 के दौरान आकस्मिकता निधि से किया गया व्यय जो कि निधि में आपूरित नहीं किया जा सका:-

लेखा शीर्ष

किया गया व्यय स्वीकृत पेशगी स्वीकृति का दिनांक
(हजार रुपये में)

योग--(गा) ..

31 मार्च 2009 को शेष (का+खा -गा) 1,00,00,00

परिशिष्ट--III

(विवरण संख्या 8 की व्याख्यात्मक टिप्पणी 4 में पृष्ठ 51 पर संदर्भित)

विवरण संख्या 16 में और लेखा कार्यालय/विभागीय कार्यालयों में रखे गये अभिलेखों में दर्शाये गये अन्त शेषों के अन्तर के वे महत्वपूर्ण मामले जिनका समाधान नहीं हो सका

| क्र. | लेखा शीर्ष | सबसे पूर्व का वर्ष जिससे अन्तर सम्बन्धित है | अन्तर की राशि (हजार रुपये में) | विभागीय अधिकारी/ कोषालय अधिकारी जिनके पास अन्तर विचाराधीन/मिलानाधीन है | प्रलेखों, विवरण आदि का ब्यौरा जो प्रतीक्षित है |
|----------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|---|
| च--कर्ज और पेशगियां-- | | | | | |
| 1. | 6215-जलपूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज | 1973-74 | 14,46,24 | नगर पालिकायें/कोषालय अधिकारी/मुख्य अभियंता/शासन | विवरण/अनुसूचियां प्रतीक्षित |
| ट--जमा और पेशगियां-- | | | | | |
| (ख)--बिना ब्याज वाली जमा-- | | | | | |
| 2. | 8443--सिविल जमा-- | | | | |
| | (i) राजस्व जमा | 1999-2000 | 22,72 | कोषालय अधिकारी | धन एवं ऋण ज्ञापन प्रतीक्षित |
| | (ii) व्यक्तिगत जमा | 1999-2000 | 4,65,26 | कोषालय अधिकारी | धन एवं ऋण ज्ञापन प्रतीक्षित |
| | (iii) लोक निर्माण कार्य जमा | 1979-80 | 1,12,41,18 | विभागीय अधिकारी/ विभागाध्यक्ष | जमा अनुसूचियां प्रतीक्षित |
| | (iv) शैक्षणिक संस्थाओं की जमा | 1998-99 | 2,41,49 | कोषालय अधिकारी | धन एवं ऋण ज्ञापन प्रतीक्षित |

पश्चिष्ट--IV

उपापण विवरण-पूजीगत अपूर्ण निर्माण कार्या की सूची

| परियोजना का नाम | कार्य की लागत तथा स्वीकृति आदेश क्र. | प्रारंभ होने की तिथि | पूर्ण होने की तिथि | पुनरीक्षित लागत (यदि कोई हो) | अद्यतन व्यय | अभ्युक्ति |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-------------|-----------|
| | | | | | | |

(करोड़ रुपये में)

नोट: राज्य सरकार से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

परिशिष्ट--V
(विवरण संख्या-12 के संदर्भ में)

राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को दिये गए सहायता अनुदान के विवरण
(लाख रुपये में)

| शीर्ष तथा विवरण | वर्ष के वास्तविक आंकड़े | | | प्राप्तकर्ता एजेन्सी (नगर परिषद्/निगम तथा पंचायत स्थिति अनुसार) | वर्ष के दौरान प्राप्त राशि के लिये | | | परिसम्पत्तियों के पूर्ण विवरण |
|--|--------------------------|------------|------------|---|------------------------------------|--------------|------|-------------------------------|
| | योजनागत (सी.एस.एस. सहित) | योजनेतर | योग | | राजस्व व्यय | पूँजीगत व्यय | राशि | |
| 2202-02-191-माध्यमिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों को सहायता | 11,58.89 | 1,34,76.82 | 1,46,35.71 | | | | | |
| 2202-02-789-191-माध्यमिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों को सहायता | 6,75.08 | .. | 6,75.08 | | | | | |
| योग-2202 | 18,33.97 | 1,34,76.82 | 1,53,10.79 | उपलब्ध नहीं है। | | | | |
| 2215-01-191- स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं आदि को सहायता | 11,50.11 | .. | 11,50.11 | | | | | |
| 2215-01-192-नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता | 5,56.24 | .. | 5,56.24 | | | | | |
| 2215-01-789-191-स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं आदि को सहायता | 16,08.98 | .. | 16,08.98 | | | | | |
| 2215-01-789-192-नगरपालिकाओं/नगर परिषदों आदि को सहायता | 1,18.90 | .. | 1,18.90 | | | | | |
| 2215-01-796-191-स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं आदि को सहायता | 17,12.93 | .. | 17,12.93 | | | | | |
| योग-2215 | 51,47.16 | .. | 51,47.16 | उपलब्ध नहीं है। | | | | |
| 2217-04-191- नगर निगमों को सहायता | 15,43.33 | .. | 15,43.33 | | | | | |
| 2217-05-191- नगर निगमों को सहायता | 5,51.76 | .. | 5,51.76 | | | | | |
| 2217-05-789-191- नगर निगमों को सहायता | 16,32.60 | .. | 16,32.60 | | | | | |
| 2217-05-796-191- नगर निगमों को सहायता | 9,94.00 | .. | 9,94.00 | | | | | |
| 2217-80-191- नगर निगमों को सहायता | 7,69.06 | .. | 7,69.06 | | | | | |
| योग-2217 | 54,90.75 | .. | 54,90.75 | उपलब्ध नहीं है। | | | | |
| 2245-02-193- नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों को सहायता | .. | 0.31 | 0.31 | | | | | |
| योग-2245 | .. | 0.31 | 0.31 | उपलब्ध नहीं है। | | | | |
| महायोग | 1,24,71.88 | 1,34,77.13 | 2,59,49.01 | उपलब्ध नहीं है। | | | | |

यह जानकारी विवरण संख्या-12 के आधार पर तैयार की गई है। आयुक्त-सह-संचालक, बीमा तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्य प्रदेश तथा संबंधित विभागों से जानकारी/विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं।

परिशिष्ट-VI
वर्ष 2008-09 के दौरान, मुख्य शीर्ष -वार व्यवस्थित वेतन * पर व्यय
(तिरछे अंक प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|--|------------|---------|----------------------------|--------------------------|------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| (हजार रुपये में) | | | | | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-- | | | | | |
| क-- सामान्य सेवाएं-- | | | | | |
| (क) राज्य के अंग-- | | | | | |
| | 7,84 | | | | |
| 2011--संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल | 17,86,15 | .. | .. | .. | 17,93,99 |
| 2012--राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक | 2,58,49 | .. | .. | .. | 2,58,49 |
| 2013--मंत्रिपरिषद् | 1,65,43 | .. | .. | .. | 1,65,43 |
| | 22,11,20 | | | | |
| 2014--न्याय प्रशासन | 1,34,93,58 | .. | .. | .. | 1,57,04,78 |
| 2015--निर्वाचन | 9,64,85 | .. | .. | .. | 9,64,85 |
| | 24,77,53 | | | | |
| योग--(क) राज्य के अंग | 1,64,10,01 | .. | .. | .. | 1,88,87,54 |
| (ख) राजकोषीय सेवाएं-- | | | | | |
| (i) आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण-- | | | | | |
| 2020--आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण | 32,39 | .. | .. | .. | 32,39 |
| योग--(i) आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण | 32,39 | .. | .. | .. | 32,39 |
| (ii) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण-- | | | | | |
| 2029--भू राजस्व | 1,92,48,76 | .. | .. | 1,64,62 | 1,94,13,38 |
| 2030--स्टाम्प तथा पंजीकरण | 11,60,11 | .. | .. | .. | 11,60,11 |
| योग--(ii) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण | 2,04,08,87 | .. | .. | 1,64,62 | 2,05,73,49 |
| (iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण-- | | | | | |
| 2039--राज्य उत्पाद शुल्क | 20,94,16 | .. | .. | .. | 20,94,16 |
| 2040--बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 51,51,30 | .. | .. | .. | 51,51,30 |
| 2041--वाहन कर | 14,53,63 | .. | .. | .. | 14,53,63 |
| 2045--वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क | 6,97,45 | .. | .. | .. | 6,97,45 |
| योग--(iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण | 93,96,54 | .. | .. | .. | 93,96,54 |

* यह आंकड़े उद्देश्य शीर्ष 'वेतन' के अन्तर्गत लेखाओं में दर्ज व्यय दर्शाते हैं।

परिशिष्ट-VI-जारी

2008-09 के वास्तविक आंकड़े

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | योग |
|---|-------------|------------|--|-----------------------------|-------------|
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-- | | | | | |
| क-- सामान्य सेवाएं-- समाप्त | | | | | |
| (ख) राजकोषीय सेवाएं--समाप्त | | | | | |
| (iv) अन्य राजकोषीय सेवाएं-- | | | | | |
| 2047--अन्य राजकोषीय सेवाएं | 1,74,49 | .. | .. | .. | 1,74,49 |
| योग--(iv) अन्य राजकोषीय सेवाएं | 1,74,49 | .. | .. | .. | 1,74,49 |
| योग--(ख) राजकोषीय सेवाएं | 3,00,12,29 | .. | .. | 1,64,62 | 3,01,76,91 |
| (घ) प्रशासनिक सेवाएं-- | | | | | |
| 2051--लोक सेवा आयोग | 2,26,57 | .. | .. | .. | 2,26,57 |
| | 31,33 | | | | |
| 2052--सचिवालय-सामान्य सेवाएं | 39,20,63 | .. | .. | .. | 39,51,96 |
| 2053--जिला प्रशासन | 1,37,45,66 | .. | .. | .. | 1,37,45,66 |
| 2054--खजाना तथा लेखा प्रशासन | 47,04,63 | .. | .. | .. | 47,04,63 |
| 2055--पुलिस | 10,97,06,44 | 2,96,55 | 13,58,72 | .. | 11,13,61,71 |
| 2056--जेल | 45,30,46 | .. | .. | .. | 45,30,46 |
| 2058--लेखन सामग्री तथा मुद्रण | 13,48,89 | .. | .. | .. | 13,48,89 |
| 2059--लोक निर्माण-कार्य | 97,90,38 | .. | .. | .. | 97,90,38 |
| 2070--अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 55,98,61 | .. | .. | .. | 55,98,61 |
| | 2,57,90 | | | | |
| योग--(घ)--प्रशासनिक सेवाएं | 15,33,45,70 | 2,96,55 | 13,58,72 | .. | 15,52,58,87 |
| (ङ) पेन्शन तथा विविध सामान्य सेवाएं-- | | | | | |
| 2075--विविध सामान्य सेवाएं | 54,62 | .. | .. | .. | 54,62 |
| योग--(ङ) पेन्शन तथा विविध सामान्य सेवाएं | 54,62 | .. | .. | .. | 54,62 |
| | 27,35,43 | | | | |
| योग--क--सामान्य सेवाएं | 19,98,22,62 | 2,96,55 | 13,58,72 | 1,64,62 | 20,43,77,94 |
| ख-- सामाजिक सेवाएं-- | | | | | |
| (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति-- | | | | | |
| 2202--सामान्य शिक्षा | 27,62,44,05 | 1,34,51,83 | 19,78,61 | 14,56 | 29,16,89,05 |
| 2203--तकनीकी शिक्षा | 53,35,72 | 2,89,91 | .. | .. | 56,25,63 |
| 2204--खेलकूद तथा युवा सेवाएं | 11,80,50 | 1,44,71 | .. | 5,34 | 13,30,55 |
| 2205--कला एवं संस्कृति | 11,42,42 | 9,99 | .. | .. | 11,52,41 |
| योग--(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति | 28,39,02,69 | 1,38,96,44 | 19,78,61 | 19,90 | 29,97,97,64 |

* यह आंकड़े उद्देश्य शीर्ष 'वेतन' के अन्तर्गत लेखाओं में दर्ज व्यय दर्शाते हैं।

परिशिष्ट-VI-जारी

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|--|-------------|------------|---|--------------------------|-------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-- | | | | | |
| ख-- सामाजिक सेवाएं--समाप्त | | | | | |
| (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण-- | | | | | |
| 2210--चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 7,15,90,83 | 8,00,07 | ,, | 54,20 | 7,24,45,10 |
| 2211--परिवार कल्याण | 18,18 | ,, | ,, | 1,30,86,76 | 1,31,04,94 |
| योग--(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण | 7,16,09,01 | 8,00,07 | ,, | 1,31,40,96 | 8,55,50,04 |
| (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास-- | | | | | |
| 2215--जलपूर्ति तथा सफाई | 1,63,63,54 | ,, | 10,71 | ,, | 1,63,74,25 |
| 2216--आवास | 12,30,03 | ,, | ,, | ,, | 12,30,03 |
| 2217--शहरी विकास | 10,34,13 | 1,53,66 | 28,65 | ,, | 12,16,44 |
| योग--(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास | 1,86,27,70 | 1,53,66 | 39,36 | ,, | 1,88,20,72 |
| (घ) सूचना तथा प्रसारण-- | | | | | |
| 2220--सूचना तथा प्रचार | 11,56,81 | ,, | ,, | ,, | 11,56,81 |
| योग--(घ) सूचना तथा प्रसारण | 11,56,81 | ,, | ,, | ,, | 11,56,81 |
| (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-- | | | | | |
| 2225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 1,10,06,55 | 25,05,36 | 6,08,35 | ,, | 1,41,20,26 |
| योग--(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 1,10,06,55 | 25,05,36 | 6,08,35 | ,, | 1,41,20,26 |
| (च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण-- | | | | | |
| 2230--श्रम तथा रोजगार | 55,53,45 | 3,24,22 | ,, | ,, | 58,77,67 |
| योग--(च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण | 55,53,45 | 3,24,22 | ,, | ,, | 58,77,67 |
| (छ) समाज कल्याण तथा पोषण-- | | | | | |
| 2235--सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 31,26,90 | 37,18 | ,, | 65,64,20 | 97,28,28 |
| 2236--पोषण | 36,85 | ,, | ,, | ,, | 36,85 |
| 2245--प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत | 41,39 | ,, | ,, | ,, | 41,39 |
| योग--(छ) समाज कल्याण तथा पोषण | 32,05,14 | 37,18 | ,, | 65,64,20 | 98,06,52 |
| (ज) अन्य-- | | | | | |
| 2250--अन्य सामाजिक सेवाएं | 40,71 | ,, | ,, | ,, | 40,71 |
| 2251--सचिवालय-सामाजिक सेवाएं | 11,10,88 | ,, | ,, | ,, | 11,10,88 |
| योग--(ज) अन्य | 11,51,59 | ,, | ,, | ,, | 11,51,59 |
| योग--ख--सामाजिक सेवाएं | 39,62,12,94 | 1,77,16,93 | 26,26,32 | 1,97,25,06 | 43,62,81,25 |

* यह आंकड़े उद्देश्य शीर्ष 'वेतन' के अन्तर्गत लेखाओं में दर्ज व्यय दर्शाते हैं।

परिशिष्ट-VI-जारी

2008-09 के वास्तविक आंकड़े

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | योग |
|--|------------|----------|--|-----------------------------|------------|
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-- | | | | | |
| ग-- आर्थिक सेवाएं-- | | | | | |
| (क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप-- | | | | | |
| 2401--फसल कृषि-कर्म | 1,49,19,58 | 60,94,66 | 77,65 | .. | 2,10,91,89 |
| 2402--मृदा तथा जल संरक्षण | 30,61,90 | 1,08,51 | .. | .. | 31,70,41 |
| 2403--पशुपालन | 1,68,68,06 | 11,39,80 | 1,48,00 | .. | 1,81,55,86 |
| 2405--मछली पालन | 13,33,17 | .. | .. | 5,98 | 13,39,15 |
| 2406--वानिकी तथा वन्य प्राणी | 2,87,97,15 | .. | .. | .. | 2,87,97,15 |
| 2408--खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार | 14,78,13 | .. | .. | .. | 14,78,13 |
| 2415--कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा | 15,38 | .. | .. | .. | 15,38 |
| 2425--सहकारिता | 36,57,92 | .. | .. | .. | 36,57,92 |
| योग--(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप | 7,01,31,29 | 73,42,97 | 2,25,65 | 5,98 | 7,77,05,89 |
| (ख) ग्राम विकास-- | | | | | |
| 2501--ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम | .. | .. | 1,20,08 | .. | 1,20,08 |
| 2515--अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम | 1,17,22,68 | 43,36,74 | .. | .. | 1,60,59,42 |
| योग--(ख) ग्राम विकास | 1,17,22,68 | 43,36,74 | 1,20,08 | .. | 1,61,79,50 |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण-- | | | | | |
| 2700- मुख्य सिंचाई | 46,79,03 | 6,44,88 | .. | .. | 53,23,91 |
| 2701-- मध्यम सिंचाई | 1,69,63,55 | 91,20,12 | .. | .. | 2,60,83,67 |
| 2702--लघु सिंचाई | 35,20,03 | .. | .. | .. | 35,20,03 |
| 2705--कमान क्षेत्र विकास | .. | .. | 97,64 | .. | 97,64 |
| योग--(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण | 2,51,62,61 | 97,65,00 | 97,64 | .. | 3,50,25,25 |
| (च) उद्योग तथा खनिज-- | | | | | |
| 2851--ग्राम तथा लघु उद्योग | 33,89,09 | 3,05,90 | .. | 20,95 | 37,15,94 |
| 2852--उद्योग | 3,88,36 | .. | .. | .. | 3,88,36 |
| 2853--अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग | 4,66,43 | 4,00,69 | .. | .. | 8,67,12 |
| योग--(च) उद्योग तथा खनिज | 42,43,88 | 7,06,59 | .. | 20,95 | 49,71,42 |

* यह आंकड़े उद्देश्य शीर्ष 'वेतन' के अन्तर्गत लेखाओं में दर्ज व्यय दर्शाते हैं।

परिशिष्ट-VI- समाप्त

| शीर्ष | योजनेतर | योजनागत | 2008-09 के वास्तविक आंकड़े | | योग |
|---|-------------|------------|---|--------------------------|-------------|
| | | | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (हजार रुपये में) | केन्द्र आयोजनागत योजनाएं | |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-- समाप्त | | | | | |
| ग-- आर्थिक सेवाएं-- समाप्त | | | | | |
| (छ) परिवहन-- | | | | | |
| 3054--सड़क तथा सेतु | 1,64,83,22 | .. | .. | .. | 1,64,83,22 |
| योग--(छ) परिवहन | 1,64,83,22 | .. | .. | .. | 1,64,83,22 |
| (झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण- | | | | | |
| 3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान | 34,28 | .. | .. | .. | 34,28 |
| योग (झ) -- विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण | 34,28 | .. | .. | .. | 34,28 |
| (ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं-- | | | | | |
| 3451--सचिवालय - आर्थिक सेवाएं | 9,55,62 | 5,87 | .. | .. | 9,61,49 |
| 3452--पर्यटन | 14,54 | .. | .. | .. | 14,54 |
| 3454--जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी | 17,39,15 | 11,96 | .. | .. | 17,51,11 |
| 3475--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | 5,48,95 | .. | .. | .. | 5,48,95 |
| योग--(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं | 32,58,26 | 17,83 | .. | .. | 32,76,09 |
| योग--ग--आर्थिक सेवाएं | 13,10,36,22 | 2,21,69,13 | 4,43,37 | 26,93 | 15,36,75,65 |
| | 27,35,43 | | | | |
| योग--व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) | 72,70,71,78 | 4,01,82,61 | 44,28,41 | 1,99,16,61 | 79,43,34,84 |
| व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)-- | | | | | |
| ग-- आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा-- | | | | | |
| (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा | | | | | |
| 4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय | 1,01,35,73 | .. | .. | .. | 1,01,35,73 |
| 4701--मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय | 1,50,86 | .. | .. | .. | 1,50,86 |
| 4702--लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय | 2,57,99 | .. | .. | .. | 2,57,99 |
| योग--(घ)--सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूँजीगत लेखा | 1,05,44,58 | .. | .. | .. | 1,05,44,58 |
| (ङ) ऊर्जा का पूँजीगत लेखा-- | | | | | |
| 4801--बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय | 28,38,07 | .. | .. | .. | 28,38,07 |
| योग--(ङ)--ऊर्जा का पूँजीगत लेखा | 28,38,07 | .. | .. | .. | 28,38,07 |
| योग-ग-आर्थिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा | 1,33,82,65 | .. | .. | .. | 1,33,82,65 |
| योग-व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा) | 1,33,82,65 | .. | .. | .. | 1,33,82,65 |
| कुल योग--व्यय शीर्ष | 27,35,43 | | | | |
| | 74,04,54,43 | 4,01,82,61 | 44,28,41 | 1,99,16,61 | 80,77,17,49 |

* यह आंकड़े उद्देश्य शीर्ष 'वेतन' के अन्तर्गत लेखाओं में दर्ज व्यय दर्शाते हैं।

परिशिष्ट-VII
वर्ष 2008-09 के दौरान वितरित राजसहायता * पर व्यय
(तिरछे अंक प्रभारित व्यय दर्शाते हैं)

2008-09के वास्तविक आंकड़े

| शीर्ष | योजनेतर | केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं | योजनागत | योग |
|--|------------|------------------------------|---------|------------|
| 1 | 2 | 3 (हजार रुपये में) | 4 | 5 |
| व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)-- | | | | |
| ग-- आर्थिक सेवाएं-- | | | | |
| (क) कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप-- | | | | |
| 2408-- खाद्य भण्डारण तथा भांडागार-- | | | | |
| 01-- खाद्य-- | | | | |
| 102-- खाद्य सहायता-- | | | | |
| राजसहायता | 53,98,96 | .. | .. | 53,98,96 |
| 190-- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-- | | | | |
| राजसहायता | 4,37 | .. | .. | 4,37 |
| योग (क)-- कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप | 54,03,33 | .. | .. | 54,03,33 |
| (ड.) ऊर्जा-- | | | | |
| 2801-- बिजली-- | | | | |
| 80-- सामान्य-- | | | | |
| 101-- विद्युत बोर्डों को सहायता-- | | | | |
| राजसहायता | 78,18,64 | .. | .. | 78,18,64 |
| योग (ड.)-- ऊर्जा | 78,18,64 | .. | .. | 78,18,64 |
| महायोग | 1,32,21,97 | .. | .. | 1,32,21,97 |

* राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये लेखों में राजसहायता के अन्तर्गत दर्ज व्यय के आंकड़ों को दर्शाते हैं। राज्य सरकार से सहमति प्राप्ति के आधार पर विवरण पत्रक तैयार किया गया है।

परिशिष्ट-VIII

मुख्य शीर्ष 6003- राज्य सरकार का आंतरिक ऋण तथा
6004- केन्द्र सरकार से कर्जे और पेशगियों की परिपक्वता स्थिति

| वित्तीय वर्ष | 6003- आंतरिक ऋण राशि (करोड़ रुपये में) | 6004- कर्जे और पेशगियां राशि (करोड़ रुपये में) | कुल राशि (करोड़ रुपये में) |
|---------------------------------------|--|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=(2+3) |
| 2008-09 से पूर्व तथा में परिपक्व होना | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2009-10 में परिपक्व होना | 11,21.92 | 4,56.70 | 15,78.62 |
| 2010-11 में परिपक्व होना | 10,98.99 | 5,10.94 | 16,09.93 |
| 2011-12 में परिपक्व होना | 14,42.00 | 5,20.01 | 19,62.01 |
| 2012-13 में परिपक्व होना | 18,51.23 | 5,61.87 | 24,13.10 |
| 2013-14 में परिपक्व होना | 21,54.74 | 5,90.29 | 27,45.03 |
| 2014-15 में परिपक्व होना | 28,58.97 | 6,03.51 | 34,62.48 |
| 2015-16 में परिपक्व होना | 24,39.36 | 6,02.89 | 30,42.25 |
| 2016-17 में परिपक्व होना | 22,79.11 | 6,02.80 | 28,81.91 |
| 2017-18 में परिपक्व होना | 32,30.10 | 5,99.56 | 38,29.66 |
| 2018-19 में परिपक्व होना | 46,00.35 | 5,98.99 | 51,99.34 |
| 2019-20 में परिपक्व होना | 7,30.10 | 5,98.25 | 13,28.35 |
| 2020-21 में परिपक्व होना | 7,30.10 | 5,97.39 | 13,27.49 |
| 2021-22 में परिपक्व होना | 7,30.10 | 5,96.60 | 13,26.70 |
| 2022-23 में परिपक्व होना | 7,30.10 | 5,95.76 | 13,25.86 |
| 2023-24 में परिपक्व होना | 7,30.10 | 5,95.10 | 13,25.20 |
| 2024-25 में परिपक्व होना | 7,30.10 | 2,78.88 | 10,08.98 |
| 2025-26 में परिपक्व होना | 6,93.65 | 1,35.98 | 8,29.63 |
| 2026-27 में परिपक्व होना | 6,52.97 | 1,17.85 | 7,70.82 |
| 2027-28 में परिपक्व होना | 6,12.84 | 91.73 | 7,04.57 |
| 2028-29 में परिपक्व होना | 5,33.37 | 71.69 | 6,05.06 |
| 2029-30 में परिपक्व होना | 4,11.92 | 46.31 | 4,58.23 |
| 2030-31 में परिपक्व होना | 2,73.64 | 46.31 | 3,19.95 |
| 2031-32 में परिपक्व होना | 1,21.89 | 46.31 | 1,68.20 |
| 2032-33 में परिपक्व होना | 15.84 | 18.30 | 34.14 |
| 2033-34 में परिपक्व होना | 3.54 | 0.32 | 3.86 |

परिशिष्ट-VIII-समाप्त

| वित्तीय वर्ष | 6003- आंतरिक ऋण राशि (करोड़ रुपये में) | 6004- कर्ज और पेशागियां राशि (करोड़ रुपये में) | कुल राशि (करोड़ रुपये में) |
|--------------------------|--|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=(2+3) |
| 2034-35 में परिपक्व होना | 0.00 | 0.32 | 0.32 |
| 2035-36 में परिपक्व होना | 0.00 | 0.32 | 0.32 |
| 2036-37 में परिपक्व होना | 0.00 | 0.26 | 0.26 |
| 2037-38 में परिपक्व होना | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| 2038-39 में परिपक्व होना | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| 2039-40 में परिपक्व होना | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| 2040-41 में परिपक्व होना | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| 2041-42 में परिपक्व होना | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| 2042-43 में परिपक्व होना | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| 2043-44 में परिपक्व होना | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| 2044-45 में परिपक्व होना | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| 2045-46 में परिपक्व होना | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| विविध (**) | 63,63.40 | 4.17 | 63,67.57 |
| महायोग | 3,71,41.63 | 94,90.67 | 4,66,32.30 |

नोट:- 1. 'परिपक्व' का अर्थ है, वर्ष के दौरान राशि का पुनर्भुगतान किया जाना।

(**) इन मदों से संबंधित सूचना राज्य सरकार/रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्रतीक्षित है।

परिशिष्ट-IX
मध्यप्रदेश सरकार की वर्ष 2008-09 की वित्तीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन

| अनु.क. | विवरण | 1 अप्रैल 2008 को शेष (करोड़ रुपये में) | 31 मार्च 2009 को शेष (करोड़ रुपये में) | परिवर्तन (+) वृद्धि (-) कमी (करोड़ रुपये में) |
|--------|--|---|---|--|
| 1 | च-कर्जे और उधार | 58,23.12 | 76,30.97 | 18,07.85 |
| 2 | रोकड़ शेष निवेश लेखा में किया गया निवेश | 27,59.00 | 29,29.46 | 1,70.46 |
| 3 | सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा संस्थाओं में सरकारी निवेश (*) | 88,44.99 | 96,43.35 | 7,98.36 |
| 4 | सामान्य रोकड़ शेष | | | |
| | (i) खजानों में रोकड़ | .. | .. | .. |
| | (ii) रिजर्व बैंक में जमा | -13,03.79 | -8,40.93 | 4,62.86 |
| | (iii) मार्गस्थ प्रेषण-स्थानीय | 2.65 | 2.67 | 0.02 |
| | योग- सामान्य रोकड़ शेष | -13,01.14 | -8,38.26 | 4,62.88 |
| 5 | अन्य रोकड़ शेष और निवेश | | | |
| | (i) विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़ | 15.91 | 13.38 | -2.53 |
| | (ii) विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिये स्थाई पेशगी राशियां | 0.74 | 0.77 | 0.03 |
| | (iii) उद्दिष्ट निधियों का निवेश | 3,17.94 | 3,16.76 | -1.18 |
| | योग- अन्य रोकड़ शेष और निवेश | 3,34.59 | 3,30.91 | -3.68 |
| | महायोग | 1,64,60.56 | 1,96,96.43 | 32,35.87 |

(*) कम्पनियों, निगमों द्वारा निवेशित राशि का खुलासा निम्नानुसार है जो कि बी.आई.एफ.आर. से संदर्भित अथवा रुग्ण घोषित है (जिसके विवरण वित्त लेखे के विवरण संख्या-14 में उपलब्ध हैं):-

| स.क्र. | संस्था का नाम | (हजार रुपये में) | |
|--------|--|------------------|------------------------------------|
| | | निवेश | अभ्युक्ति |
| 1. | म.प्र.उद्वहन सिंचाई निगम मर्यादित, भोपाल | 5,85,83 | परिसमापन की स्थिति में |
| 2. | म.प्र.राज्य टेक्सटाइल निगम, भोपाल | 7,00,64 | 31.10.2000 को बंद की गई |
| 3. | देवास बिस्कुट तथा फूड प्रोडक्ट्स मर्यादित, देवास | 1,50 | स्वेच्छा से परिसमापन की स्थिति में |
| 4. | विक्रम शक्कर कारखाना मर्यादित, आलोट | 1,00 | परिसमापन की स्थिति में |
| 5. | बेंगाल नागपुर सूती कारखाना मर्यादित, राजनंदगांव | 44 | बी.आई.एफ.आर. के अधीन |
| 6. | धार परिवहन कम्पनी मर्यादित, धार | 2 | निष्क्रिय घोषित |

परिशिष्ट--X

लघु शीर्ष 800 - अन्य प्राप्तियां तथा अन्य व्यय के अंतर्गत प्रविष्टि

| मुख्य शीर्ष | मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्ति (करोड़ रुपये में) | लघु शीर्ष 800 -अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत प्राप्ति |
|--|--|---|
| 0056- जेल | 2.55 | 1.52 |
| 0059- लोक निर्माण कार्य | 21.74 | 12.04 |
| 0071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली | 8.03 | 4.50 |
| 0075- विविध सामान्य सेवाएं | 3,80.17 ^(x) | 3,65.49 ^(x) |
| 0215- जलपूर्ति तथा सफाई | 6.14 | 3.49 |
| 0217- शहरी विकास | 3.39 | 3.34 |
| 0235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 39.11 | 39.11 |
| 0403- पशुपालन | 3.08 | 1.68 |
| 0435- अन्य कृषि कार्यक्रम | 4.67 | 3.33 |
| 0700- मुख्य सिंचाई | 13.15 | 9.69 |
| 0702- लघु सिंचाई | 8.07 | 8.01 |
| 0852- उद्योग | 6.51 ^(क) | 6.53 |
| 0853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग | 13,61.08 ^(ख) | 13,62.68 |
| योग | 18,57.69 | 18,21.41 |

(x) पृष्ठ 68 पर पाद टिप्पणी (x) देखें ।

(क) पूर्व वर्षों की वापसी से संबंधित 0.02 करोड़ रुपये सम्मिलित नहीं हैं ।

(ख) पूर्व वर्षों की वापसी से संबंधित 1.60 करोड़ रुपये सम्मिलित नहीं हैं ।

परिशिष्ट--X- समाप्त

| मुख्य शीर्ष | मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय (करोड़ रुपये में) | लघु शीर्ष 800 - अन्य व्यय के अंतर्गत व्यय |
|--|--|---|
| 2217- शहरी विकास (गरीबों के लिए शहरी सेवा कार्यक्रम, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन इत्यादि) | 5,07.90 | 2,60.69 |
| 2250- अन्य सामाजिक सेवाएं (सेवादारों के मानदेय में वृद्धि एवं नेमनुक इत्यादि) | 10.64 | 10.64 |
| 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (मध्यान्ह भोजन सामग्री परिवहन, ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा इत्यादि) | 9,81.14 | 5,46.57 |
| 2702- लघु सिंचाई (अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य इत्यादि) | 65.29 | 60.70 |
| 2801- बिजली (टैरिफ अनुदान, कृषकों के बकाया देयकों के निपटारे के लिये प्रोत्साहन अनुदान) | 14,37.22 | 12,91.07 |
| 2810- अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत (म.प्र. ऊर्जा विकास निगम को सहायता अनुदान इत्यादि) | 6.28 | 3.36 |
| 2852- उद्योग (भारत-ओमान रिफाइनरी लि. वर्क्स कॉट्टैक्ट टैक्स की प्रतिपूर्ति इत्यादि) | 58.37 | 53.73 |
| 2853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग (ग्रामीण क्षेत्रों को गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण इत्यादि) | 1,05.20 | 94.69 |
| 4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय (म.प्र.विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना, म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण इत्यादि) | 4,60.81 | 2,88.54 |
| 4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (बांध तथा संलग्न कार्य, नहर तथा संलग्न कार्य इत्यादि) | 15,12.67 | 12,55.52 |
| 4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वर्ण रेखा बाढ़ नियंत्रण योजना चरण-II इत्यादि) | 12.65 | 9.76 |
| 4875- अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय (विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र में एपरेल पार्क की स्थापना इत्यादि) | 1.40 | 1.40 |
| 5425- अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय (विज्ञान पार्क की स्थापना इत्यादि) | 8.00 | 8.00 |
| योग | 51,67.57 | 38,84.67 |

